गीना देवी शोध संस्थान

द्वारा श्रीगंगानगर, राजस्थान से प्रसारित

साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध का अंतर्राष्ट्रीय मासिक

Impact Factor : 4.553

ISSN : 2321-8037

जनवरी 2024

Vol. 12, Issue 1

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

डॉ बाबासाहब भीमराव आंबेडकर महापरिनिर्वाण विशेषांक

विशेषांक संपादक :
डॉ. प्रा. संघप्रकाश दुड्डे

संपादक :
डॉ. रेखा सोनी

प्रधान सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

संगम SANGAM

साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

A Peer Reviewed International Refereed Journal

www.ginajournal.com

संस्थापक सम्पादिका :
स्मृति शेष
डॉ. विश्वकीर्ति

संस्थापक संरक्षक :
स्मृति शेष
श्री हरविन्द्र कमल चौधरी

वर्ष : 12	अंक : 1	जनवरी : 2024	आईएसएसएन : 2321-8037

सम्पादक :
डॉ. रेखा सोनी
शिक्षा विभाग, टांटिया वि.वि.,
श्रीगंगानगर-335001 (राज.)

प्रधान सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
सचिव, गीना देवी शोध संस्थान,
भिवानी (हरियाणा)

विशेषांक सम्पादक :
प्रो. डॉ. संघप्रकाश दुड्डे
हिंदी विभाग प्रमुख,
संगमेश्वर कॉलेज (स्वायत्त)
सोलापुर। (महाराष्ट्र)

मार्गदर्शन :
डॉ. राजेन्द्र गोदारा
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

इन्जीनियर सृष्टि चौधरी
लेक्चरर, इलेक्ट्रानिक्स
एंड कम्युनिकेशन,
सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर
गर्ल्स, पटियाला, पंजाब।

श्री श्रेष्ठ चौधरी,
सीनियर मैनेजर,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
साहिबजादा अजित सिंह नगर,
मोहाली, पंजाब।

कानूनी सलाहकार :
डॉ. रामफल दलाल एडवोकेट,
श्रीमती रूपिन्द्र कौर, एडवोकेट

सलाहाकार समिति (Advisory Committee)

डॉ. सुलक्षणा अहलावत
अंग्रेजी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
नूंह (हरियाणा)

डॉ. अरूणा अंचल
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)

डॉ. सुशीला
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय,
भिवानी (हरियाणा)

डॉ. अल्पना शर्मा
आईएएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर
(राजस्थान)

डॉ. विजय महादेव गाडे
बाबा साहेब चितले महाविद्यालय
भिलवडी (महाराष्ट्र)

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कॉलेज
धारवाड़ (कर्नाटक)

डॉ. रीना कुमारी
दशमेश गर्ल्स कॉलेज,
अल्ला बक्श, मुकेरिया, पंजाब।

श्री राकेश शंकर भारती
यूक्रेन।

श्री हेमराज न्यौपाने
नेपाल।

डॉ. ममता तनेजा
अबोहर, पंजाब।

डॉ. प्रियंका खंडेलवाल
बराण, राजस्थान।

प्रो. मधुबाला
राजकीय महिला महाविद्यालय, हिसार।

डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी
जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग
विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तरप्रदेश

डॉ. हवासिंह ढाका
राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
तोशाम (हरियाणा)

डॉ. राजेश शर्मा
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मोहिनी दहिया
माती जीतोजी कन्या महाविद्यालय,
सूरतगढ़ (राजस्थान)

डॉ. मुद्दस्सिर अहमद भट्ट
हिन्दी विभाग,
कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, कश्मीर

डॉ. सीहेच वी. महालक्ष्मी
सीहेच एसडीएसटी थेरेसा महिला
महाविद्यालय, एलुरू, आंध्र प्रदेश

डॉ. मोरवे रोशन के.
यूनाईटिड किंगडम।

डॉ. अनुपमा, पूर्व प्रोफेसर,
अंकारा विश्वविधालय, अंकारा, टर्की

डॉ. आर.के विश्वास
अध्यक्ष होम्योपैथिक, टांटिया, वि.वि.

प्रकाशक, स्वामी एवं मुद्रक डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज, पुराना बस स्टैण्ड रोड़, नया बाजार, भिवानी से छपवाकर 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा) से जारी किया।

संगम SANGAM

साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

A Peer Reviewed International Refereed Journal

(Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences)

सचिव :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : grngobwn@gmail.com

मो. 09466532152

संगम मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं/लेखों की मौलिकता का दायित्त्व स्वयं रचनाकारों/लेखकों का है। उससे सम्पादक व प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र केवल भिवानी (हरियाणा) होगा। सम्पादन और प्रबंधन के सभी पद पूर्ण रूप से अवैतनिक हैं।

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1300/-

<u>*Disclaimer :*</u>

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

Impact Factor : 2.636

ISSN : 2321-8037

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

तालिका– 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे: प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
www.bohalsm.blogspot.com grsbohal@gmail.com 8708822674 9466532152

अनुक्रमाणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	शुभकामना संदेश/अभिमत	डॉ. जयप्रकाश कर्दम	09–10
2.	सम्पादकीय	डॉ. प्रा. संघप्रकाश दुबे	11–17
3.	धम्म बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जी का योगदान	प्रो. डॉ. संघप्रकाश दुड्डे	18–26
4.	डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शैक्षिक सोच	जालिम प्रसाद	27–30
5.	अर्थशास्त्री, विश्वरत्न बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर	राजेश कुमार बौद्ध	31–34
6.	सामाजिक समरसता और डॉ. अम्बेडकर	डॉ. गोपीराम शर्मा	35–40
7.	'डॉ. बाबासाहब अंबेडकर' के सामाजिक विचार	**Dr. Salim Banadar**	**41-43**
8.	बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का शैक्षिक दृष्टिकोण का वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में अध्ययन	देश दीपक	44–48
9.	अम्बेदकरवादी स्वतंत्रता की अवधारणा	डॉ सुशील बिलुँग	49–54
10.	बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर और पत्रकारिता : बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता का विश्लेषणात्मक अध्ययन	लोकेन्द्र सिंह राजपूत	55–60
11.	बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक विचार	नन्दलाल भारती	61–69
12.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर का धर्म परिवर्तन	श्रीमती उषा देवी	70–74
13.	डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर और हिंदी साहित्य	डॉ. मालती धौंडोपन्त शिंदे	75–78
14.	पुस्तक प्रेमी डॉ० बाबा साहेब आंबेडकर	डॉ. पवनेश ठकुराठी	79–82
15.	डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर : समाज सुधारक और दलित उद्धारक	डॉ. पंडित बन्ने	83–90
16.	श्रममन्त्री के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका	डॉ. सूरज भान सागर	91–97
17.	समाज शास्त्री – डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर	के. सुवर्णा	98–100
18.	शिक्षा विषयक डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार-एक समीक्षात्मक अध्ययन	**Tushar Arora**	**101-104**
19.	डॉ. भीम राव आम्बेडकर के आर्थिक विचार	**Dr. Deepak Kumar**	**105-109**
20.	डॉ. अम्बेडकर का समाज दर्शन	कु. मीना	110–114
21.	डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर का शैक्षिक दृष्टिकोण	डॉ. सुनील कुमार शर्मा	115–119
22.	डॉ. अम्बेडकर के अनुसार शैक्षिक चिन्तन	डॉ. विष्णु कुमार	120–123
23.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : सामाजिक आंदोलन	डॉ. दिपिका रेवजिभाई चौधरी, श्री अक्षय जशभाई पारेख	124–128
24.	जल योजना विशेषज्ञ डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर	डॉ. ज्योती पांडुरंग गायकवाड	129–132

25.	सामाजिक न्याय की मुहिम के प्रणेता व शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर का समतामूलक व समावेशी समाज के निर्माण में योगदान	डॉ. सुनील कुमार थुआ	133–140
26.	डॉ. अंबेडकर, हिन्दी दलित आत्मकथाएं और समकालीन समाज	क	141–144
27.	डॉ. अम्बेडकर : एक अनोखा, विलक्षण, विराट, संवेदनशील एवं अनुकरणीय व्यक्तित्व	टुम्पा शर्मा	145–151
28.	डॉ. भीमराव अंबेडकर का सामाजिक चिंतन : एक अध्ययन	डॉ. गजेंद्र सिंह	152–155
29.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक विचार	डॉ. कमलेश कुमार थापक 'योगेशस्वरूप ब्रह्मचारी'	156–158
30.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्रकारिता और सामाजिक विचार	कीर्ति, आशीष कुमार	159–164
31.	डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर का शैक्षिक दृष्टिकोण	श्रीमती निलोफर अब्दुलसत्तार नाईकवाडी	165–169
32.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भारतीय राज्य घटना आणि लोकशाही	डॉ. सारीपुत्र तुपेरे	170–174
33.	बाबा साहेब का धर्मांतरण और कुछ वाजिब सवाल	डॉ. इबरार खान	175–180
34.	बाबासाहब अंबेडकर : आदर्श समाज की कल्पना	डॉ. लूनेश कुमार वर्मा	181–185
35.	अम्बेडकर की पत्रकारिता का सामाजिक न्याय	डॉ. नरगिस बानो	186–189
36.	भारतीय संविधान में अधिकारों एवं कर्तव्यों का आलोक	प्रा. डॉ. कान्तिलाल जी. काथड	190–194
37.	अम्बेडकर और उनका योगदान सामाजिक न्याय व दलित उत्थान	डॉ. सरोज बाला श्याम	195–199
38.	समाजशास्त्री के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर : एक विश्लेषण	कौशलेंद्र कुमार	200–204
39.	सामाजिक समस्याएँ और पत्रकार अम्बेडकर	अक्षय सभरवाल, अनुज कुमार	205–210
40.	हैदराबादच्या स्वातंत्र्य लढ्याबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची दृष्टिकोण	डॉ. रामचंद्र संगशेट्टी	211–214
41.	हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान	सावित्री देवी	215–218
42.	**TO CREATE THE CAST LESS SOCIETY Dr. B. R. AMBEDKAR**	**SHWETHA. D.**	**219-226**
43.	**DR. B.R. AMBEDKAR AS A MESSIAH OF THE SCHEDULED CASTES STRUGGLES**	**Dr. Arati Diwate, Dr. Ashwini Bidkar**	**227-230**

44.	Dr. B. R. Ambedkar's Educational Vision : Empowering Minds and Transforming Societies	Dr. Naresh Kumar	231-234
45.	DR. B. R. AMBEDKAR'S GEOGRAPHICAL THOUGHT : A CRITICAL ANALYSIS	Dr. Rajkumar Moharkar, Mr. Shirish Jadhav	235-238
46.	DR. B. R. AMBEDKAR'S THOUGHTS AND PERCEPTIONS TOWARDS WOMAN EMPOWERMENT	Dr. Mrs. Kundalkesha Dharmendra Gaikwad, Dr. Mr. Rahul Mineshwar Khobragade	239-244
47.	DR. B. R. AMBEDKAR THOUGHTS ON INDIAN ECONOMY	Dr. Sangita Kamat Nadkarni	245-248
48.	DR. B.R. AMBEDKAR'S ECONOMIC THOUGHT : A CRITICAL ANALYSIS OF HIS CONTRIBUTIONS TO INDIAN ECONOMIC POLICY	Dr. Rajguru Pravin Pundalik	249-251
49.	Economic Thoughts of Dr. B.R. Ambedkar	Dr. Reshama Shaikh	252-256
50.	SOCIAL AND POLITICAL THOUGHT OF DR. B.R. AMBEDKAR IN SPECIAL REFERENCE OF UNTOUCHABILITY, CASTE SYSTEM AND WOMEN	DR. MANJU RANI	257-260
51.	Remembering the Chief Architect of Indian Constitution- Bharat Rana Dr. B.R. Ambedkar and his contribution in promoting the National Integrity and Unity in India	Dr. Ashwini Bidkar	261-264
52.	"ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ "	Dr. Shridevi Annarao Patil	265-273
53.	ಹಿಂದೂಕೋಡ್ಬಿಲ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿಮಹಿಳೆಯರಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆಡಾಕ್ಟರ್ಬಿಆರ್ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ವರಕೊಡುಗೆಗಳು	ಲಲಿತಾಯಮನಪ್ಪಕಂದಗಲ್ಲ	274-277
54.	भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार	शुभांगी श्रीधर भागवत	278-281
55.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जलधोरण नीतीतील योगदान	प्रा. डॉ. मेटकरी संतोष मारूती	282-286
56.	THE CONTRIBUTIONS OF DR. ABASAHEB AMBEDKAR ON CONSTITUTION OF INDIA : AN OVERVIEW	Dr. Vijay Kumar N. Mulimani	287-291
57.	शिक्षा विषयक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के विचार	क	292-295

58.	**Dr. B.R. Ambedkar and Women's Empowerment : A Study of His Vision**	**Dr. Meenakshi Bansal**	**296-299**
59.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक अर्थविश्व	श्री. युवराज रेवणसिद्ध सोलापूरे	300-305
60.	**Dr. B R Ambedkar and His Economic Thought**	**Mr. Mohan K. Kale**	**306-312**
61.	'फाँस' उपन्यास में अभिव्यक्त अम्बेडकरी चेतना	रेवनसिद्ध काशिनाथ चव्हाण	313-316
62.	महिलाओं के प्रति डॉ. बाबासाहब अंम्बेडकर जी का दृष्टिकोण और कार्य	डॉ. रंजना आप्पासाहेब कमलाकर	317-320
63.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सत्याग्रह	प्रा. डॉ. शिवाजी मस्के	321-324
64.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जल व कृषी धोरणविषयक विचार	प्रा. विनायक यशवंत वनमोरे, प्रा. डॉ. बाळासाहेब कोंडीबा माने	325-330
65.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शैक्षणिक विचार व धोरण	डॉ. सतीश पन्हाळकर	331-339
66.	डॉ० भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत और दर्शन	मोनिका राज	340-348
67.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और सामाजिक क्रांति	डॉ. सहदेव वर्षाराणी निवृत्तीराव	349-353
68.	परिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों की महत्वपूर्णता:	भंते दीप रतन	354-358
69.	भारतीय समाज व्यवस्था और दलित जीवन	प्रा. सौ. मानसी संभाजी शिरगांवकर	359-364
70.	डॉ. आंबेडकर के दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद	निर्मल सुवासिया	365-368
71.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के तीन गुरू	**Dr. Ratan Kumar**	**369-372**
72.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उच्च शिक्षण विषयक विचार	प्रा. डॉ. वसंत कोरे, धिरज भिमशा शाखापुरे	373-377
73.	ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರ ನಿಲುವು	ಡಾ.ಅನಿತ ಟಿ	378-390
74.	**Philosophy of Dr. Babasaheb Ambedkar and National Education Policy 2020**	**Dr. Patil Sahebagouda Subhasachendra, Dr.Sanghaprakash Dudde**	**391-395**
75.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आर्थिक विचार	डॉ. वसंत गुलशन कोरे, श्री. लोंढे अभिजीत शंकरराव	396-400
76.	**Dr. B.R. Ambedkar's Perspective on Indian Caste System**	**SURESHA C**	**401-403**
77.	डॉ. आंबेडकर का सामाजिक संघर्ष और समकालीन समाज	अंकित दुबे	404-407
78.	अंबेडकरवादी अवधारणा	डॉ. शाहिद हुसैन	408-413

अभिमत

आधुनिक विश्व के इतिहास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा नाम है जिसने समस्त विश्व को अपने ज्ञान, प्रतिभा और व्यक्तित्व से प्रभावित किया है। उनका समय जीवन और कृतित्व विश्व मानवता को एक बहुत बड़ा उपहार है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का महत्व केवल इस कारण ही नहीं है कि उन्होंने भारत के संविधान की रचना की अपितु संविधान की रचना के द्वारा उन्होंने आधुनिक मानवता को परिभाषित किया तथा भारत और विश्व में लोकतंत्र के स्तंभों को सशक्त बनाया। बाबासाहब अम्बेडकर ने दुनिया के शोषित–पीड़ितों को अपने अधिकारों के संघर्ष करना सिखाया। उन्होंने बताया कि शिक्षा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति और सम्पदा है। शिक्षा मानव समता और स्वातंर्त्य का सबसे बड़ा आधार है। शिक्षा दीनता और हीनता से मुक्त कर संघर्ष करना सिखाती है। शिक्षा वह हथियार है जिससे सामाजिक–सांस्कृतिक दासता की जंजीरों को तोड़कर मुक्त हुआ जा सकता है। मानव–अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरों के रहम और दया पर जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं है। समानता और सम्मान के साथ जीने में ही जीने की सार्थकता है। इसीलिए बाबासाहब ने भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, स्वतंत्रता आदि को मूल अधिकारों का प्रावधान किया। बाबासाहब अंबेडकर का सम्पूर्ण जीवन अमानवीयताओं के विरुद्ध संघर्ष को समर्पित रहा। उनका जीवन अपने आप में प्रेरणा और ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। व्यक्ति किस प्रकार विचार में परिवर्तित होकर करोड़ों लोगों के मन–मस्तिष्क में बस जाता है बाबासाहब अम्बेडकर का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है।

बाबासाहब अम्बेडकर का जन्म जितना शुभ है उनका निर्वाण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और वह इसलिए कि निर्वाण से पहले उन्होंने कडा संघर्ष कर करोड़ों दलित, पिछड़े और स्त्रियों को संवैधानिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सम्मान और स्वाभिमान से जीने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने न केवल उनके जीवन को सँवारा था अपितु उनकी भावी पीढ़ियों का भी भविष्य सँवार दिया था। बाबासाहब अम्बेडकर ने इस बात को अच्छी तरह समझा था कि धर्म मनुष्य के शोषण का सबसे बड़ा आधार है। धर्म–समाज में व्यक्ति धर्म के बिना नहीं रह सकता। भारत की सामाजिक व्यवस्था वास्तव में एक धार्मिक व्यवस्था है, उसे धर्म–संस्थाओं का समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। दलित–अछूतों का सदियों तक सामाजिक–आर्थिक शोषण और उत्पीड़न धर्म (हिंदू धर्म) द्वारा पोषित वर्ण–जाति–व्यवस्था के कारण ही हुआ है। 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में अपने साथ कई लाख अनुयाइयों को बौद्धधर्म की दीक्षा दिलाकर उनको जाति–व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर मनुष्यता का बोध कराया था। पशुवत जीवन जीने वाले लोगों को समता की अनुभूति

और मानवीय गरिमा प्रदान करना बहुत बड़ी क्रांति थी।

मुझे यह देखकर बहुत खुशी है कि गीना देवी शोध संस्थान द्वारा श्रीगंगानगर (राजस्थान) से प्रसारित शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, एवं शोध का अन्तर्राष्ट्रीय मासिक 'गीना शोध संगम' का 'डॉ. अम्बेडकर भीमराव महापरिनिर्वाण विशेषांक' अंबेडकरवाद और बौद्ध धर्म के गंभीर अध्येयता एवं प्रसिद्ध चिंतक डॉ. संघप्रकाश डुड्डे के अतिथि संपादन में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें बाबासाहब अम्बेडकर के जीवन से लेकर उनके चिंतन के विविध पक्षों पर केंद्रित लेख सम्मिलित हैं। बाबासाहब के बारे में विविध प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी से युक्त इन लेखों से पाठकों को बाबासाहब को गहराई से जानने का अवसर मिलेगा। मेरा विश्वास है 'गीना शोध संगम' का यह विशेषांक एक संग्रहणीय होगा।

इस विशेषांक के सफल सम्पादन के लिए मैं डॉ. संघप्रकाश डुड्डे को बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि वह अपने ज्ञान और मेधा का लाभ समाज को देते रहेंगे। भवतु सब्य मंगलम।

—डॉक्टर जय प्रकाश कर्दम

नई दिल्ली,

23 जनवरी, 2024

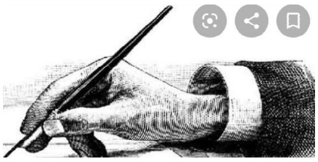

विशेषांक सम्पादक
डॉ. प्रा. संघप्रकाश दुड्डे
की कलम से..

परम पूज्य बोधिसत्व, भारत रत्न, युग प्रवर्तक, क्रांति कारक, राष्ट्र निर्माता, संविधान पिता, घटनापति, बाबा साहब आंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष में गीना शोध संगम इंटरनेशनल पत्रिका के संयुक्त तत्व अवधान में मुझे इस वर्ष 6 दिसंबर का महापरिनिर्वाण दिन विशेषांक का संपादन करने का सौभाग्य मिला मैं सबसे पहले गीना शोध संगम तथा उनके सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञ का भाव प्रकट करता हूं। आज मुझे खुशी हो रही है कि महापरिनिर्वाण दिन विशेषांक आपके सम्मुख रखते हुए जिन–जिन महानुभावों ने विद्वत जनो ने अपने आलेख भेजकर हमें उपकृत किया है उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहता हूं बाबा साहब आंबेडकर जी के विविध पहलू पर बहुत सारे विद्वत जन ने अपने आलेख भेजे हैं। उन आलेखों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका अलौकिक गुण कितने भी पन्नों में बांटा जाए तो पूरा नहीं हो पाएगा इतना महान इतनी महत्वपूर्ण कामगिरी उनका योगदान पूरे विश्व के लिए पूरी मानव जाति के लिए पूरी भारतीय समाज व्यवस्था के लिए उनका अनूठा योगदान रहा है और उस योगदान के प्रति उनके प्रति कृतज्ञ का भाव प्रकट करने हेतु महापरिनिर्वाण दिन विशेषांक के द्वारा हमने एक छोटा सा प्रयास किया है जोकि विद्वत जनों को लिखने के लिए प्रेरित करते हुए उनके मन में बाबा साहब आंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार का भाव है वह क्या चाहते हैं किस प्रकार बाबा साहब आंबेडकर जी के आंदोलन को देखते हैं उनका नेतृत्व किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। उनका आधुनिक युग का निर्माण भारतीय संविधान के प्रति उनका दायित्व समाज के प्रति समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय के प्रति उनकी निष्ठा किस प्रकार की रही है। इसे समझने का प्रयास इन सारे आलेखों के द्वारा किया गया है।

मैं डॉ. जयप्रकाश कर्दम जी के प्रति भी कृतज्ञ का भाव प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमें अभिप्राय देकर उपकृत किया है सोलापुर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉ इरेश स्वामी जी ने भी हमें अभिप्राय देकर उपकृत किया है उनके प्रति भी मैं मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। गीना शोध संगम के हमारे परम मित्र डॉ नरेश सिहाग जी के प्रति भी मैं अपना परम प्रकट आभार करता हूं जिन्होंने मुझे यह मौका दिया संगमेश्वर महाविद्यालय स्वायत्त तथा हिंदी विकास मंच गीना शोध संगम द्वारा महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष में संगम का यह जो विशेषांक आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ यह बहुत ही बड़ा अनूठा काम सिद्ध हो गया है आने वाले दिनों में दुनिया इसे याद रखेगी बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख इस अंक में आए हैं सारे विद्वानों के प्रति में कृतज्ञ का भाव प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इन आलेखों को लिखने का महत्व प्रयास उन्होंने किया है वे सारे गौरव के पात्र हैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष को उनकी विचारधारा को शब्दों में समाहित करने का यह प्रभाव प्रयास एक अनूठा प्रयास रहा है जिन्हें अनेक बिंदुओं में हमें आगे बढ़ाना है आने वाले सदियों में उनकी शिक्षा आवश्यक विचार राजनीतिक विचार आर्थिक विचार सामाजिक विचार शिक्षा को आगे ले जाने वाली उनकी विचारधारा इस विषय पर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय विचार मंथन संगोष्ठी का भी हमने आयोजन किया और इस संगोष्ठी में

थाईलैंड से भदन्त दीप रतन जो बहुत बड़े विद्वान भिक्षु है श्रीलंका से चामिनी वीरसूर्या हमें अतिथि के रूप में अपना कीमती योगदान देकर छात्रों के बीच में चर्चा विमर्श करने का बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना योगदान दिया उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं साथ ही साथ ज्ञात अज्ञात जितने भी सारे महानुभाव विद्वत जन है जिन–जिन लोगों ने इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें बोल दिया है श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम मैं उनके प्रति करता हूं और आने वाले दिनों में इसी प्रकार का काम करने की प्रेरणा बुद्ध धम्म संघ के मनोबल से प्राप्त हो बाबा साहब आंबेडकर जी की विचारधारा में सारा राष्ट्र एक संग हो समता बंधुता से पूरा भारतवर्ष पूरी दुनिया एक हो बुद्ध के इस मार्ग पर चलने की राह बाबा साहब के विचारधारा से निर्मित होकर उनका विचार संघर्ष आगे बढ़े यही एक काम इस अंक के द्वारा किया गया है जिसमें सारे मानवों ने योगदान दिया है उनके प्रति में कृतज्ञ का भाव प्रकट करता हूं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार भी यहां प्रस्तुत करता हूं जो आने वाले दिनों में हम सबको मिलकर इन बिंदुओं को आगे बढ़ाना है इसके बारे में विचार करना है सोचना है समझना है और बाबा साहब आंबेडकर जी की मूवमेंट उनके कारवां को हमें आगे ले जाना है तो चले समझ लेते हैं उनके महत्वपूर्ण विचारों को उनके आत्मसम्मान की भावना को स्वाभिमान की जंग को हम कैसे आगे ले जाए इसके बारे में इन बिंदुओं से हम सोचते हैं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारतीय जनता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान किया है, जिसके कई पहलुओं में समाहित हैं :–

1. **संविधान निर्माण :** उन्होंने भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार बनकर समाज में समानता, न्याय, और सामाजिक न्याय की प्रेरणा दी। संविधान ने भारतीय नागरिकों को विभिन्न अधिकारों और कर्तव्यों की गारंटी प्रदान की।
2. **आरक्षण का प्रवादन :** आंबेडकर ने आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समाज में समानता और अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव किया।
3. **धर्मनिरपेक्षता का प्रसार :** आंबेडकर ने धार्मिक बहिष्कार के खिलाफ खड़ा होकर समाज में धर्मनिरपेक्षता की भावना को प्रोत्साहित किया।
4. **शिक्षा के प्रति समर्पण :** उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने अनुयायियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने अधिकारों की जागरूकता दिलाई।
5. **सामाजिक सुधार :** उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने उपायों और विचारों का प्रचार–प्रसार किया ताकि समाज में समानता और न्याय हो सके।
6. **समाज में सहायता :** आंबेडकर ने समाज में दीनबंधु, अनुसूचित वर्गों, और असमानता से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठनों की स्थापना की।

   इन प्रयासों के माध्यम से, डॉ. भीमराव आंबेडकर जी ने भारतीय समाज में समानता, न्याय, और सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके सोच-समझ का प्रभाव महिलाओं के समृद्धि और समाज में समानता की दिशा में हुआ। इसके कुछ मुख्य पहलुओं में शामिल हैं :

1. **समानता का प्रोत्साहन :** आंबेडकर ने महिलाओं को समाज में समानता के साथ जीने का हक दिलाने के लिए समर्थन किया। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक उत्साह के माध्यम से महिलाओं को समर्थन और प्रोत्साहन दिया।
2. **शिक्षा का हक :** आंबेडकर जी ने महिलाओं को शिक्षा का हक प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को समाज में उनकी स्थिति में सुधार करने का मार्ग प्रदान किया।
3. **समाज में सक्रिय भूमिका :** आंबेडकर जी ने महिलाओं को समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात की।
4. **विवाह और समाज में बदलाव :** आंबेडकर जी ने विवाह संबंधित कानूनी सुधारों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने अपने समय में विवाह, विच्छेद, और समाज में सामाजिक बदलाव की मांग की।
5. **समाज में समानता की भावना :** आंबेडकर जी ने समाज में समानता की भावना को महत्वपूर्ण मानते हुए, महिलाओं को समाज में उनकी सही स्थिति दिलाने के लिए समर्थन किया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान से, महिलाओं को समाज में उनके अधिकारों की पहचान मिली और उन्हें समाज में समानता के साथ जीने का अधिकार मिला।

भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार :-

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और एक समृद्ध, समावेशी, और न्यायपूर्ण संविधान की रचना की। उनका योगदान समाज में भेदभाव को खत्म करने, सामाजिक न्याय स्थापित करने, और समता को सुनिश्चित करने के लिए था। आंबेडकर के द्वारा तैयार किए गए संविधान में मौद्रिक न्याय, समाजिक अनुसूचित जातियों के हक और सामाजिक समता की गरिमा को मजबूती से प्रतिष्ठित किया गया।

डॉ. आंबेडकर ने भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार बनकर अपना अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और संविधान की समर्थन में प्रेरित किया। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को सामाजिक न्याय, समता, और भूमिका संरचना में सुनिश्चित करना था। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक असमानता, और अनुसूचित जातियों के हक की सुरक्षा के लिए संविधान में महत्वपूर्ण सुधार किए। डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखित संविधान की विशेषताएं उनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, न्यायशास्त्रीय विद्वता, और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं।

1. **सामाजिक न्याय :** आंबेडकर ने संविधान में समाजिक न्याय को मजबूती से प्रमोट किया, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हकों की सुरक्षा करने के लिए।

2. **धर्मनिरपेक्षता :** संविधान में आंबेडकर ने धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को उच्च स्थान पर रखा, जिससे सभी धर्मों के अनुयायियों को समानता का अहसास हुआ।

3. **भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का समता :** संविधान में आंबेडकर ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समता की आवश्यकता को महत्वपूर्णता दी, जिससे समृद्धि और विकास में समानता हो।

4. **सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की दिशा में :** आंबेडकर जी ने संविधान में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की दिशा में नीतियों को शामिल किया, ताकि समृद्धि सामाजिक न्याय के साथ हो सके।

डॉ. आंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान की विशेषताएं में समाज में समता, सामाजिक न्याय, और समृद्धि की प्राथमिकता दी गई। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्टता से निर्धारित किया और सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकारित किया। संविधान में मौद्रिक न्याय, भाषा, धर्म, और स्त्री–पुरुष समानता के मुद्दे पर खास ध्यान दिया गया। इसके साथ ही, आंबेडकर ने संविधान में सुरक्षित और स्थायी बदलाव की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित किया, जो समग्र रूप से भारतीय समाज को समृद्धि, न्याय, और समता की दिशा में बदल सकता है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के तैयारी के साथ ही कानून मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया। उनका कानूनी ज्ञान और उनकी समर्पण भरी कड़ी मेहनत ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने योजना बनाने, न्यायपालिका संबंधित मुद्दों पर विचार करने, और भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में कई सुधार किए। उनका योगदान सिर्फ संविधान तैयार करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में समाज में बदलाव लाने के लिए भी कई पहलूओं पर काम किया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर जी ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया। उनका कार्यक्षेत्र विशेषकर संविधान निर्माण में रहा, जहां उन्होंने न्यायप्रणाली को सुधारने, समरसता को सुनिश्चित करने, और सामाजिक न्याय को मजबूती से स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने संविधान में विभिन्न अधिकार, कर्तव्य, और स्वतंत्रता संरक्षित करने के उपायों को स्थापित किया ताकि भारतीय नागरिकों को सामाजिक और न्यायिक दृष्टि से सुरक्षित रहे।

डॉ. भीमराव आंबेडकर जी ने अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय नेता के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका योगदान भारतीय समाज को उन्नति, समता, और न्याय की दिशा में था। उन्होंने दलितों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया और समाज में विभेदभाव के खिलाफ उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाई। उनकी नेतृत्व में संविधान निर्माण में भूमिका निभाई और उन्होंने समाज में समता और समृद्धि की प्रेरणा दी।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारतीय समाज के समृद्धि और समता के लिए राष्ट्रीय नेता के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका सामाजिक न्याय और समाज में भेदभाव को खत्म करने के प्रति समर्पण और उनका संविधान निर्माण में योगदान उन्हें एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता बनाता है। उनका योगदान एक समृद्ध, समावेशी, और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में था और उन्होंने भारत को सामाजिक विकास की ऊँचाईयों तक पहुँचाने के लिए प्रयास किए।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण सामाजिक संघर्षों का सामना किया। उनका संघर्ष भारतीय समाज में जातिवाद, भेदभाव, और असमानता के खिलाफ था। उन्होंने दलित समुदाय के लोगों को उच्च शिक्षा, समाज में समानता के लिए उत्तेजना की। उनका अद्वितीय योगदान जातिवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने में रहा, जिससे उन्हें 'दलितों के बाबा' कहा जाता है। आंबेडकर जी ने समाज में सामाजिक एवं आर्थिक समता की दिशा में काम किया और संविधान निर्माण में भी अपना सकारात्मक योगदान दिया।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने अपने जीवन में भगवान बुद्ध, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुयायी रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन भर में सामाजिक संघर्ष में भाग लिया। उनका मुख्य आंदोलन दलितों के अधिकारों के लिए था, जिसमें सामाजिक और आर्थिक समानता की मांग की गई। उन्होंने दलितों को आरक्षित आवकाशों और अन्य सुविधाओं के लिए समर्थन जुटाने के लिए कई समाजसेवी कार्यों की शुरुआत की, जिनमें 'काळा राम मंदिर सत्याग्रह' और 'चवदार तालाब सत्याग्रह' जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं। उनका संघर्ष ने दलितों को समाज में समानता और न्याय की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान किया। 'डॉ. आंबेडकर का मंत्र : पढ़ो, संघटित बनो, संघर्ष करो।' यह उद्धारण 'डॉ. आंबेडकर का मंत्र' की अनूठी भाषा है जो डॉ. आंबेडकर के उद्धारणों या उनके सोच का संक्षेप हो सकता है। डॉ. आंबेडकर ने समाज में समता, समानता और न्याय की प्राप्ति के लिए संघटित होने, संघर्ष करने, और अपने अधिकारों की रक्षा करने के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।

डॉ. आंबेडकर का मंत्र : 'पढ़ो, संघटित बनो, संघर्ष करो।' यह मंत्र उनके जीवनदृष्टि को दर्शाता है और लोगों को शिक्षा, संगठन, और सामाजिक संघर्ष में योग्य बनने के लिए प्रेरित करता है।

डॉ. आंबेडकरजी ने अपने आर्थिक विचारों में समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए कठिनाईयों का सामना किया। उन्होंने आर्थिक समाज में न्याय और समता की आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना और दलितों के लिए आर्थिक सुरक्षा और समानता की मांग की। उन्होंने भारतीय समाज को आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय की दिशा में बदलने के लिए उपायों की प्राथमिकता दी। उनकी आर्थिक दृष्टि में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों को आर्थिक समृद्धि की दिशा में देखने का प्रयास था।

डॉ. आंबेडकर जी ने अपने आर्थिक विचारों में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को महत्वपूर्णता दी। उन्होंने उच्च शिक्षा, रोजगार, और समृद्धि के लिए अनुसूचित जातियों को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक समर्थन प्रदान करने का आदान–प्रदान किया। उनका उद्दीपन भारतीय समाज को भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ सक्रिय रूप से खड़ा होने के लिए था। उन्होंने व्यापार, उद्यमिता, और आर्थिक विकास के माध्यम से समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़ने की बड़ी बात की।

डॉ. आंबेडकर के राजनीतिक विचार मुख्यतः समाजवाद, भारतीय संविधान, और दलितों के अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित थे। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, और मुक्ति के सिद्धांतों के आधार पर अपनी राजनीतिक दृष्टि को विकसित किया।

उन्होंने अपने जीवन में दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम किया और उन्होंने आरक्षित आरक्षित जातियों के लिए विशेष उत्कृष्टता प्रदान करने की मांग की। उनका योगदान भारतीय

संविधान को तैयार करने में भी है, जो समाज को समृद्धि, समानता, और न्याय की दिशा में बदलने का कारण बना।

उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में समाजवादी सिद्धांतों का महत्वपूर्ण स्थान था, जो समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए बोलता है।

डॉ. आंबेडकर के राजनीतिक विचार विशेषकर समाजवाद, सामाजिक न्याय, और न्यायपूर्ण राजनीति पर केंद्रित थे। उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद और असमानता के खिलाफ सुधार करने के लिए अपना संघर्ष चलाया। उनका उद्देश्य समाज में सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक समानता को स्थापित करना था।

उन्होंने अनुसूचित जातियों के हकों की रक्षा करने, उन्हें समाज में समाहित बनाने, और उन्हें प्रशासनिक प्रणाली में समाहित करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसमें न्यायपूर्णता, मौद्रिक न्याय, और समाज में समता की मौद्रिक न्याय, समाज में समता की प्राथमिकता दी। उनका दृष्टिकोण विचारशील था और उन्होंने भारतीय समाज को समृद्धि और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन किया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने न्यायशास्त्र में दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट प्राप्त की और विदेश में भी अध्ययन किया। उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता और न्याय स्थापित करना था। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करते समय शिक्षा के अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की मांग की।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा के अधिकार की बढ़ती जनसंख्या के लिए समर्पित किया और विशेषकर दलितों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया। उनका योगदान भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समता की दिशा में था।

डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धम्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉ. आंबेडकर का उद्देश्य इस धर्म को अपनाने से नहीं सिर्फ अपने व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था, बल्कि समाज में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ भी एक सामाजिक परिवर्तन लाना था।

उन्होंने बौद्ध धर्म के मौद्रिक न्याय, समाज में समता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मूलभूत बातें प्रमोट की। उन्होंने धर्म को एक सामाजिक सुधार के उपाय के रूप में देखा और बौद्ध धम्म के माध्यम से समाज में समता और न्याय को प्रमोट किया। उन्होंने बौद्ध धम्मके तत्वों को जीवन में अपनाया और अपने अनुयायियों को भी इसमें प्रेरित किया। इसके माध्यम से, उन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समरसता की बढ़ती मांग को समर्थन किया।

डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धम्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में 10 लाख अनुयाइयों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और साथ ही बहुजन समुदाय को इसमें प्रेरित किया। इसमें उनका उद्देश्य जातिवाद और असमानता के खिलाफ सामाजिक समता की प्रेरणा प्रदान करना था।

आंबेडकर जी ने बौद्ध धम्म को अपनाया क्योंकि इसमें समाज में समानता, न्याय, और बंधुत्व के सिद्धांतों

को प्रमोट करने का आदान–प्रदान था। उन्होंने इस धर्म के माध्यम से अपने अनुयायियों को समझाया कि सभी मनुष्य बराबर हैं और उन्हें एक–दूसरे के साथ सहयोग में रहना चाहिए। इसके माध्यम से, उन्होंने सामाजिक सामंजस्य और समता की बढ़ती जरुरत को पुनरुत्थान करने का प्रयास किया।

अंत में महापरिनिर्वाण दिन विशेषांक का लोकार्पण करते हुए डॉ जयप्रकाश कर्दम जी का मंतव्य हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है जो की एक आंबेडकरवादी विचारधारा के वे मुख्य प्रवाह बनाकर हमारे बीच में विचार स्रोत देने का उन्होंने जो काम किया है उनके प्रति भी में आभार प्रकट करता हूं साथ ही बोहल शोध मंजूषा के संपादक डॉ. नरेश सिहाग जी तथा उनके सभी सदस्यगण के प्रति भी में कृतज्ञ का भाव प्रकट करता हूं तथा इस अंक में जिन–जिन महानुभावों ने अपना कीमती समय देकर लेख आलेख प्रस्तुत किए हैं उनके प्रति भी में भावपूर्ण आभार प्रकट करता हूं और आने वाले दिनों में कई ऐसे अंको का निर्माण करने हेतु आवाहन करने के बाद आप हमें आवाज देंगे सहयोग करेंगे इस प्रकार की मैं आशा करता हूं और अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं।

धन्यवाद!

जय भीम।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 18-26

धम्म बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जी का योगदान

प्रो. डॉ. संघप्रकाश दुड्डे
हिंदी विभाग प्रमुख, संगमेश्वर कॉलेज (स्वायत्त) सोलापुर।

प्रस्तावना :–

इस दुनिया में महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है, कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया है, वह अतुलनीय है। आज तक इस प्रकार का चिरकाल टिकने वाला प्रवर्तन कोई नहीं कर पाया इसलिए आज डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी के अनुयायियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है, कि बौद्ध धम्म को जन–जन तक पहुंचाने का काम करना बहुत ही आवश्यक है। 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' यह धम्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने बौद्ध धम्म के प्रति अपना गहरा रुचि दिखाया और उन्होंने बौद्ध धम्म को अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका योगदान बौद्ध धम्म के प्रचार और बौद्ध विचारधारा को भारत में फैलाने में महत्वपूर्ण था।

बौद्ध धम्म का पुनर्जीवन : डॉ. आंबेडकर ने 14 अक्तूबर 1956 को नगपुर में बौद्ध धम्म को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धम्म को एक तरह के मानवधम्म के रूप में स्वीकार किया और इसे अपने अनुयायियों के बीच प्रचारित किया।

भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना : उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और इसके अध्यक्ष भी बने। उन्होंने इस संघ के माध्यम से बौद्ध धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया।

धर्मिक समाज की स्थापना : उन्होंने बौद्ध धम्म के अनुयायियों के लिए धर्मिक समाज की स्थापना की, जो उनके विचारों को फैलाने का माध्यम बना।

डॉ. आंबेडकर का बौद्ध धम्म को अपनाना उनके दृढ विश्वास को दर्शाता है कि धम्म उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। उन्होंने बौद्ध धम्म को एक सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए एक माध्यम के रूप में देखा और इसका प्रचार किया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बौद्ध धम्म के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किए और उन्होंने इस धम्म त्रिपिटक के साहित्य को बढ़ावा दिया। उनके योगदान के कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं :–

विचारधारा का प्रसार :– डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धम्म की विचारधारा को अपने लेखों, भाषणों, और पुस्तकों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बौद्ध धम्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रचार किया और लोगों को इसके महत्व के प्रति जागरूक किया।

शिक्षा के माध्यम से जागरूकता :– उन्होंने बौद्ध साहित्य के माध्यम से शिक्षा का महत्व बताया और लोगों को उनके अधिकारों और धर्म के विचारों के बारे में जागरूक किया।

धर्मिक समाज की स्थापना :– उन्होंने बौद्ध धम्म के अनुयायियों के लिए धर्मिक समाजों की स्थापना की, जिसमें वे धर्म के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते थे.

डॉ. आंबेडकर का बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में योगदान ने बौद्ध धम्म के अनुयायिओं के बीच जागरूकता और सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित किया और बौद्ध साहित्य को बढ़ावा दिया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और विभिन्न भाषाओं में बौद्ध धम्म संबंधित प्रमुख पुस्तकें लिखी। उनके लिखे गए बौद्ध साहित्य के कुछ प्रमुख शीर्षक निम्नलिखित हैं :–

डॉ. आंबेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ संपदा :–

1) एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी (एम०ए० की थीसिस)
2) द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेज इन ब्रिटिश इंडिया (पीएच०डी० की थीसिस, 1917, 1925 में प्रकाशित)
3) दी प्राब्लम आफ दि रुपी रू इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन (डीएस०सी० की थीसिस, 1923 में प्रकाशित)
4) अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट्स (जाति प्रथा का विनाश) (मई 1936)
5) विच वे टू इमैनसिपेशन (मई 1936)
6) फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम (1936)
7) पाकिस्तान और द पर्टिशन ऑफ इण्डिया/थॉट्स ऑन पाकिस्तान (1940)
8) रानडे, गांधी एंड जिन्नाह (1943)
9) मिस्टर गांधी एण्ड दी एमेन्सीपेशन ऑफ दी अनटचेबल्स (सप्टेबर 1945)
10) वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स? (जून 1945)
11) कम्यूनल डेडलाक एण्ड अ वे टू साल्व इट (मई 1946)
12) हू वेर दी शूद्राज? (अक्तुबर 1946)
13) भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का, अनुसूचित जनजातियों (अछूतों) पर उनके असर के सन्दर्भ में दी गयी समालोचना (1946)
14) द कैबिनेट मिशन एंड द अंटचेबल्स (1946)
15) स्टेट्स एण्ड माइनोरीटीज (1947)
16) महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविन्स स्टेट (1948)
17) द अनटचेबल्स : हू वेर दे आर व्हाय दी बिकम अनटचेबल्स (अक्तुबर 1948)

18) थॉट्स ऑन लिंगुइस्टिक स्टेट्स : राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों की समालोचना (प्रकाशित 1955)
19) द बुद्धा एंड हिज धम्मा (भगवान बुद्ध और उनका धम्म) (1957)
20) रिडल्सइनहिन्दुइज्म।
21) डिक्शनरी ऑफ पाली लॅग्वेज (पालि–इग्लिश)
22) द पालि ग्रामर (पालिव्याकरण)
23) वेटिंग फॉर अवीजा (आत्मकथा(1935–1936)
24) अ पीपल ऐट बे
25) द अनटचेबल्स और द चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज गेटोज
26) केन आय बी अ हिन्दू
27) व्हॉट द ब्राह्मिण्स हैव डन टू द हिन्दुज
28) इसेज ऑफ भगवतगिता
29) इण्डिया एण्ड कम्यूनिज्म
30) रेवोलोटिओं एंड काउंटर–रेवोलुशन इन एनशियंट इंडिया
31) द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स (बुद्ध और कार्ल मार्क्स)
32) कोन्स्टिट्यूशन एंड कोस्टीट्यूशनलीजम।

इन पुस्तकों के माध्यम से, डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया और उन्होंने इसे भारतीय समाज में सुधार के लिए एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने बौद्ध धर्म को भारतीय समाज में पुनजागरण के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में उठाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे बौद्ध समुदाय के लोगों के बीच पुनर्जीवित किया ताकि वे आत्म–समर्पण और समाज में उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें।

डॉ. आंबेडकर के द्वारा किए गए बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कदम :–

1. **धर्म के पुनर्जीवन का आयोजन** – उन्होंने नगपुर में 1956 में बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन का आयोजन किया, जिसमें वे और उनके अनुयायी बौद्ध धर्म को अपनाये।

2. **धर्मिक समाज की स्थापना** – उन्होंने बौद्ध समुदाय के लिए धर्मिक समाजों की स्थापना की, जो धर्म के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे और सामाजिक सुधार के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाते थे।

3 **धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रचार** – उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रचार किया और उनके समुदाय के लोगों को धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रति जागरूक किया।

इन कदमों के माध्यम से, डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्म को भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया और इसके पुनर्जीवन का माध्यम बनाया। डॉ. भीमराव आंबेडकर की बौद्ध तीर्थ यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था वे और उनके अनुयायी बौद्ध समुदाय के सदस्यों को बौद्ध धर्म के मूल स्थलों और तीर्थ स्थलों की यात्रा कराना। यह यात्रा उनके बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी और इसके माध्यम से वे बौद्ध समुदाय को उनके धर्मिक विचारों और मूल सिद्धांतों के प्रति जागरूक करने का मौका देना चाहते थे। इस यात्रा के दौरान, डॉ. आंबेडकर और उनके अनुयायी बौद्ध साधक तीर्थ स्थलों

की यात्रा की और वहां के धर्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को देखने का अवसर पाए। इसके माध्यम से, उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उनके धर्म समुदाय के लिए अद्‌भुत स्थलों के बारे में शिक्षा दी और समझाया। डॉ. आंबेडकर की इस बौद्ध तीर्थ यात्रा ने उनके अनुयायी और दूसरों को उनके धर्म और मूल सिद्धांतों के प्रति अधिक जागरूक बनाया और उन्होंने बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने बौद्ध समाज को अनेक महत्वपूर्ण संदेश दिए, जो उनके बौद्ध समुदाय के साथ उनके धर्मिक और सामाजिक मूल्यों को साझा करते हैं :–

1. **अवसर और विचारधारा के महत्व** – डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध समुदाय को धर्म के माध्यम से समाज में सुधार करने का अवसर दिया और धर्म को एक सामाजिक एवं आदर्श विचारधारा के रूप में स्वीकार किया।
2. **मानवाधिकार और सामाजिक न्याय** – उन्होंने बौद्ध धर्म के माध्यम से मानवाधिकार के महत्व को प्रमोट किया और समाज में समाजिक न्याय की प्राथमिकता को बढ़ावा दिया।
3. **शिक्षा का महत्व** – डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध समुदाय को शिक्षा के महत्व को समझने का संदेश दिया और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समुदाय के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की।
4. **बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन** – उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के पालन के माध्यम से उनके समुदाय को एक सशक्त और न्यायपूर्ण समाज के रूप में जीने का संदेश दिया। डॉ. आंबेडकर के संदेशों ने बौद्ध समुदाय को उनके धर्मिक और सामाजिक मूल्यों का पालन करने की समझ दिलाई और उन्होंने बौद्ध समुदाय को समाज में सुधार करने के लिए उत्साहित किया। डॉ. भीमराव आंबेडकर की '22 प्रतिज्ञा' भारतीय समाज के असमान वर्गों, विशेषकर दलितों, के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। ये प्रतिज्ञाएं डॉ. आंबेडकर द्वारा दलित समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई थीं। इन प्रतिज्ञाओं का मुख्य उद्देश्य दलित समुदाय को उनके अधिकारों की सुरक्षा और समाज में समानता की सुनिश्चित करना था।

यहां कुछ मुख्य प्रतिज्ञाएं हैं –

1. मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में आस्था नहीं रखूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा।
2. मैं राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखूंगा, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा।
3. 'गौरी', गणपति और हिंदू धर्म के दूसरे देवी–देवताओं में न तो आस्था रखूंगा और न ही इनकी पूजा करूंगा।
4. मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता।
5. मैं न तो यह मानता हूं और न ही मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे दुष्प्रचार मानता हूं।
6. मैं न तो श्राद्ध करूंगा और न ही पिंड दान दूंगा।
7. मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, जो बुद्ध के सिद्धांतों और उनकी शिक्षाओं के खिलाफ हो।
8. मैं ब्राह्मणों के जरिए कोई आयोजन नहीं कराऊंगा।
9. मैं इंसानों की समानता में विश्वास करूंगा।

10. मैं समानता लाने के लिए काम करूंगा।

11. मैं बुद्ध के बताए अष्टांग मार्ग पर चलूंगा।

12. मैं बुद्ध की बताई गई पारमिताओं का अनुसरण करूंगा।

13. मैं सभी जीवों के प्रति संवेदना और दया भाव रखूंगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा।

14. मैं चोरी नहीं करूंगा।

15. मैं झूठ नहीं बोलूंगा।

16. मैं यौन अपराध नहीं करूंगा।

17. मैं शराब और दूसरी नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा।

18. मैं अपने रोजाना के जीवन में अष्टांग मार्ग का अनुसरण करूंगा, सहानुभूति और दया भाव रखूंगा।

19. मैं हिंदू धर्म का त्याग कर रहा हूं जो मानवता के लिए नुकसानदेह है और मानवता के विकास और प्रगति में बाधक है क्योंकि यह असमानता पर टिका है। मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूं।

20. मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध का धम्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है।

21. मैं मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है।

22. मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि आज के बाद मैं अपना जीवन बुद्ध के सिद्धांतों, उनकी शिक्षाओं और उनके धम्म के अनुसार बिताऊंगा।

जाति प्रथा पर डॉ आंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा इतनी गहराई तक जड़ जमा चुकी है कि इस प्रथा को खत्म करना बहुत मुश्किल है और हिंदू धर्म में दलितों को न तो कभी बराबरी का दर्जा मिल सकता है और न ही सम्मान। यही भाव उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में भी झलकता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा नागपुर, महाराष्ट्र में लिया क्योंकि वे बौद्ध धर्म को अपनाकर एक नई धार्मिक व्यवस्था के साथ एक नई धार्मिक विचारधारा का पालन करना सिखाना चाहते थे/डॉ. भीमराव आंबेडकर मानवतावादी विचार के प्रमुख प्रवक्ता और अनुसरणकर्ता थे। उन्होंने मानवता, समाज में समानता, और न्याय के मूल सिद्धांतों को अपनाया और समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधार के माध्यम से इन मूल सिद्धांतों की प्राथमिकता दी।

निम्नलिखित कुछ प्रमुख तथ्य डॉ. आंबेडकर के मानवतावादी विचार को संकेतित करते हैं :-

1. **समाज में समानता** – डॉ. आंबेडकर ने जातिवाद और वर्णव्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने का संकल्प लिया और समाज में समानता की स्थापना करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों के लिए समान अधिकार की मांग की।

2. **धर्मनिरपेक्षता** – डॉ. आंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार किया और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ खड़ा होने का संकल्प लिया।

3. **शिक्षा का महत्व** – उन्होंने शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया और अपने समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा के अधिकार की मांग की।

4) **न्याय और अधिकार** – डॉ. आंबेडकर ने समाज में न्याय और अधिकार के महत्व को बताया और उन्होंने न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ाया।

5. **समाज में सुधार** – उन्होंने अपने समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण

योजनाएं बनाई, जिनमें विशेष रूप से उनके विचारों को आधार बनाने का प्रयास था। इन मानवतावादी विचारों और क्रियाओं के माध्यम से, डॉ. आंबेडकर ने समाज में समानता, न्याय, और मानवता के मूल सिद्धांतों की प्राथमिकता को प्रमोट किया और उन्होंने भारतीय समाज को समृद्धि और समरसता की दिशा में मार्गदर्शन किया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को भारतीय बौद्ध समुदाय के अपनाए जाने वाले बौद्ध धम्म के अनुसरणकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। इस संदेश में, उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्व को बताया और इसके माध्यम से सामाजिक और मानविक सुधार की दिशा में एक सार्थक योगदान करने की मांग की। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने समुदाय के लोगों के लिए मानवता, समाज में समानता, और न्याय के सिद्धांतों की प्रमुख स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के माध्यम से अपने समुदाय के लोगों को अधिक शिक्षा, सामाजिक समानता, और न्याय के अधिकार की मांग की।

1. **सामाजिक समानता** – पहली प्रतिज्ञा ने समाज में समानता की मांग की और दलितों को समाज के हर क्षेत्र में समान अधिकार दिलाने की मांग की।
2. **व्यक्तिगत स्वतंत्रता** – दूसरी प्रतिज्ञा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग की, जिसमें दलित समुदाय के सदस्यों को अपनी सोच और क्रियाओं की स्वतंत्रता दिलाने की मांग थी।
3. **अंतर-जाति विवाह** – डॉ. आंबेडकर ने दलित समुदाय के सदस्यों के लिए अंतर–जाति विवाह को स्वीकार करने की मांग की, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में जातप्रथा नष्ट हो।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भगवान बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथों की विशेषता को अपने लेखों में बड़े समझाया और प्रमोट किया। उन्होंने यह साबित करने के लिए कि बौद्ध धर्म में समाज में समानता और न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, कुछ मुख्य्य प्रमुख बिंदुओं को उठाया :–

1. **समाज में समानता का प्रशंसक** – डॉ. आंबेडकर ने बुद्ध और उनके धर्म के उपदेशों में समाज में समानता के प्रति अपनी मान्यता और समर्थन की भावना को प्रमोट किया। उन्होंने समाज में जातिवाद के खिलाफ उठे और समाज में समानता की स्थापना करने के लिए बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया।
2. **धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन** – डॉ. आंबेडकर ने बुद्ध के उपदेशों में विश्वास किया और उन्होंने धर्म के मूल सिद्धांतों के पालन के माध्यम से एक समाज में समानता, न्याय, और अधिकारों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया।
3. **बौद्ध ग्रंथों का पुनर्जीवन** – उन्होंने बुद्ध के धर्म ग्रंथों के पुनर्जीवन के लिए प्रयास किए और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को फिर से समझाने और प्रमोट करने का काम किया। इन तरीकों से, डॉ. आंबेडकर ने बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथों की विशेषता को बढ़ावा दिया और उनके मूल दर्शनों के आधार पर एक समर्थन और समान समाज के लिए यह आदर्श स्थापित किया। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भगवान बुद्ध के धर्म और उनके उपदेशों को जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने बुद्धिजीवी और असमान वर्गों के लिए धर्म के माध्यम से एक समाज में समानता और न्याय की स्थापना करने के लिए धर्म को एक माध्यम के रूप में देखा। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपने समुदाय के लिए मार्गदर्शन के रूप में प्रमोट किया और उनके धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन किया।

इसके लिए, डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए :

1. **धर्म दीक्षा (धर्म प्रतिष्ठापना)** – उन्होंने अपने अनुयायियों को धर्मदीक्षा दिलाई, जिसके माध्यम से उन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया।

बौद्ध विचारधारा के प्रचार – उन्होंने बौद्ध विचारधारा के प्रचार और शिक्षा के माध्यम से अपने समुदाय के सदस्यों को बुद्ध के उपदेशों के प्रति जागरूक किया।

2. **बौद्ध विचारधारा के सामाजिक सुधार** – उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के आधार पर अपने समुदाय के सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित किया और समाज में समानता की स्थापना के लिए कई योजनाएं बनाई।

डॉ. आंबेडकर के इन प्रयासों के माध्यम से, बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने और उसके मूल सिद्धांतों को समाज में फैलाने का काम किया और बौद्ध धर्म को एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक शक्ति के रूप में स्थापित किया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर और बौद्ध धर्म—डॉ. भीमराव आंबेडकर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और समाज सुधारक, बौद्ध धर्म के महत्व को महसूस करते थे और उन्होंने इसे एक माध्यम के रूप में देखा जिसके माध्यम से समाज में समानता और न्याय की स्थापना की जा सकती है। हम जानेंगे कि डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया और उसका पुनर्जीवन कैसे किया.डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनी जीवन में एक मार्गदर्शन के रूप में देखा जब उन्होंने नेपाल में बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी का दौरा किया। वहां, उन्होंने बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त की और बुद्ध के उपदेशों का महत्व समझा।

बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन

डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए :

डॉ. आंबेडकर के इन प्रयासों के माध्यम से, बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने और उसके मूल सिद्धांतों को समाज में फैलाने का काम किया और बौद्ध धर्म को एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक शक्ति के रूप में स्थापित किया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर के लिए समानता एक महत्वपूर्ण और मूल विचार था। उन्होंने जातिवाद और वर्णव्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने का संकल्प लिया और समाज में समानता और न्याय की स्थापना करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए :—

समाज में समान अधिकार – डॉ. आंबेडकर ने सभी वर्गों और जातियों को समान अधिकारों का अधिकार देने की मांग की। उन्होंने नागरिकों को समानता के अधिकार की गारंटी देने के लिए संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शिक्षा का अधिकार – डॉ. आंबेडकर ने अपने समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपने समुदाय के लिए बहुत कुछ किया और शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाया।

चार आर्य सत्य – डॉ. भीमराव आंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण आदर्श थे, जो उन्होंने भारतीय समाज के सुधार के लिए प्रस्तावित किए थे। इन चार आर्य सत्यों का उल्लेख डॉ. आंबेडकर के महान सामाजिक और आर्थिक सुधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किया गया था :—

शिक्षा (विद्या) – डॉ. आंबेडकर ने सभी वर्गों के लोगों के लिए उच्च शिक्षा के अधिकार की मांग की और उन्होंने

शिक्षा को आर्य सत्य के पहले महत्वपूर्ण तत्व के रूप में गणना की।

मानव समाज (मानवीयता) – डॉ. आंबेडकर ने मानव समाज के अधिकार की रक्षा की और उन्होंने चार आर्य सत्य में मानवीयता को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में दर्शाया।

सामाजिक समानता (समाजवाद) – डॉ. आंबेडकर ने समाज में समाजवाद की आवश्यकता की बात की और उन्होंने यह भी कहा कि समाजवाद चार आर्य सत्यों में से एक है।

धर्मनिरपेक्षता (निरीश्वरवाद) – डॉ. आंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत का पालन किया और चार आर्य सत्यों में धर्मनिरपेक्षता को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना।

चार आर्य सत्य डॉ. आंबेडकर के सोशल और आर्थिक सुधार कार्यक्रम के आधार थे और उन्होंने इन्हें समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए अपनाया।

इसे हमें जन–जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए धम्म परिषद, सामनेर शिविर, ध्यान शिविर, महिला उपासिका शिविर, बाल श्रामनेर प्रशिक्षण शिविर, धम्म यात्रा तथा विपश्यना ध्यान धारणा, का प्रचार प्रसार की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए केवल पूजा पाठ तक सीमित ना रहते हुए हमें लोगों में परिवर्तन लाने हेतु प्रयास करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता मानी जा सकती है। जो की तेजी से धम्म का प्रचार और प्रसार बढ़ सके यही एक मेरी आशा है।

1. **ज्ञान और शिक्षा का प्रसार** – बौद्ध धम्म के मूल सिद्धांतों को लोगों के बीच जागरूक करने के लिए शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से समर्थन करें। बौद्ध धम्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रसार करें।
2. **ध्यान और ध्यान में मास्टरी** – बौद्ध धम्म में ध्यान और मनन का महत्व है। ध्यान की तकनीकों को सिखाकर और लोगों को उनके अंतरात्मा के साथ जोड़ने का प्रचार करने में मदद करें।
3. **सामाजिक सेवा और चौरिटी** – बौद्ध धम्म के अनुसार, सेवा और करुणा महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक सेवा प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लोगों की मदद करें और उन्हें धार्मिक मूल्यों के साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करें।
4. **बौद्ध धम्म के स्थलों का प्रचार** – बौद्ध धम्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों को विश्व भर में प्रस्तुत करें, ताकि लोग उन्हें दर्शनिक और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जान सकें।
5. **आध्यात्मिक चर्चा और विचार–मुद्रा** – बौद्ध धम्म के तत्वों पर विचार करने और चर्चा करने के लिए अध्यात्मिक गुरुकुलों और चर्चों का संचालन करें।
6. **इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग** – आजकल के युग में, इंटरनेट और सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन माध्यमों का उपयोग धम्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए करें।
7. **संध्या और जागरूकता अभियान** – धम्म की जागरूकता अभियान का आयोजन करें, जिसमें धार्मिक चर्चाओं और बौद्ध संध्याओं को प्रमोट किया जा सकता है।
8. **धार्मिक संगठनों का समर्थन** – बौद्ध संगठनों को बढ़ावा दें और उनके साथ मिलकर समाज में बौद्ध धम्म के अधिकारों की रक्षा करें।
9. **धर्मिक शिक्षा और संशोधन** – बौद्ध धम्म के अध्ययन के लिए संध्या, विपश्याना, और अन्य प्रमुख अद्वैत ध्यान प्रदान करने के लिए स्थानीय आश्रमों और ध्यान केंद्रों की स्थापना करें।
10. **सामाजिक कार्यों में भागीदारी** – समाज की सेवा के रूप में योगदान करें, जैसे कि निर्दोषों की मदद

करना, जल–संरक्षण, और गरीबों की शिक्षा में योगदान करना। यह आपके मौखिक प्रचार के लिए एक उच्चाधिकृत प्रमाण हो सकता है।

11. **धार्मिक गतिविधियों का आयोजन** – धार्मिक जगहों पर सभा, पूजा, और ध्यान शिविरों का आयोजन करें ताकि लोग धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकें।

12. **धार्मिक ग्रंथों का प्रसार** – बौद्ध ग्रंथों की प्रतियाँ और विवरण बनाकर वितरित करें ताकि लोग इन्हें पढ़ सकें और धार्मिक ज्ञान को बढ़ावा दें।

13. **गुरू और शिक्षकों का द्विगुणन करें** – अपने गुरुओं और धार्मिक शिक्षकों को धर्मिक शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे अपने छात्रों को बौद्ध धम्म के मूल सिद्धांतों का शिक्षण दे सकें।

14. **आधुनिक साधनों का उपयोग** – सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, और डिजिटल माध्यमों का सही तरीके से उपयोग करें ताकि बौद्ध धम्म के मूल सिद्धांतों को लोगों के साथ साझा किया जा सके।

15. **संवाद और समर्थन का प्रदान** – लोगों के सवालों का उत्तर दें और उन्हें धर्मिक अनुभवों का समर्थन प्रदान करें।

16. **सामाजिक परिवर्तन का समर्थन** – बौद्ध धम्म के मूल सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करें।

ध्यान दें कि बौद्ध धम्म का प्रचार–प्रसार समझदारी, साहस, और संवाद कौशल की आवश्यकता है।

ये तरीके आपको बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए मदद कर सकते हैं और धर्म के मूल गुणों को दुनिया के साथ साझा करने में मदद कर सकते हैं।

प्रा. डॉ. संघप्रकाश दुड्डे, सोलापुर।
Email : smdudde@gmail.com
Mob. : 9766997174

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 27-30

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शैक्षिक सोच

जालिम प्रसाद
केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत शिक्षक।

शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सदाचरण, संघर्ष, संगठन, तकनीक आदि में दक्षता प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों में ऐसा कौशल उत्पन्न किया जाता है जिससे उनके अंदर जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखने और सीखने से है।

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री के साथ–साथ एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। शिक्षा से संबंधित उनके विचार निम्नलिखित हैं–

शिक्षा का उद्देश्य :-

शिक्षा का पारंपरिक उद्देश्य जीवन से मुक्ति पाना था लेकिन बाबा साहब के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे :–

1. शिक्षा का प्रथम उद्देश्य मुक्ति और स्वर्ग के लिए न होकर बौद्धिक विकास का हो।
2. पुस्तकीय ज्ञान का जीवन में वास्तविक उपयोग हो।
3. चारित्रिक विकास हो एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करे।
4. किसी भी विषय का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पैदा करे।
5. ऐसी शिक्षा हो जिससे लोकतांत्रिक भावना का विकास हो सके।
6. शिक्षा तार्किक एवं विश्लेषण पर आधारित हो।
7. विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दिया जाए जिससे आदर्श मानवीय समाज की स्थापना हो जहाँ ऊंच–नीच और छोटे–बड़े की भावना न हो।
8. शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो जिससे समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं भाईचारा स्थापित हो।
9. समाज में ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जिससे आत्मनिर्भरता, आत्म सम्मान एवं आत्मनिष्ठा में वृद्धि हो।
10. शिक्षा भौतिक जगत में अर्थात इस लोक में आदर्श स्थापित करे न कि परलोक से वास्ता हो।
11. विद्यार्थियों में पुस्तकीय ज्ञान के साथ–साथ व्यवहारिक ज्ञान का विकास हो।
12. विद्यार्थियों को बहुजन नायक नायिकाओं के जीवनी एवं संघर्ष से भी परिचित कराना।
13. शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों में कर्तव्य परायणता एवं जनतांत्रिक गुणों का विकास हो।
14. शिक्षा को व्यावसायिक बनाने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

पाठ्यक्रम :-

बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :–

1. समसामयिक एवं परिस्थितियों के अनुरूप हो।
2. सामाजिक समानता एवं लोकतांत्रिक भावना पर आधारित हो।
3. सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकतानुरूप पाठ्यक्रम का परिवर्तन हो न कि राजनीतिक पार्टियों के विद्वेषपूर्ण और प्रचार के लिए।
4. मौखिक आदर्श पर आधारित न होकर जीविकोपार्जन पर आधारित हो।
5. पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाए जिससे कक्षा 6 से 12वीं तक संविधान का संपूर्ण महत्वपूर्ण अंश पाठ्यक्रम में समाहित हो जाए।
6. शैक्षिक पाठ्यक्रम एक ऐसी समिति निर्माण करें जिसमें समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो।
7. शैक्षिक पाठ्यक्रम में बहुजन वीरांगनाओं जैसे सावित्रीबाई, उदा देवी, झलकारी बाई आदि एवं बहुजन नायकों जैसे दशरथ मांझी संत बाबा गाडगे एवं ज्योतिबा फूले आदि को भी स्थान दिया जाये।

शिक्षा का माध्यम एवं विद्यालय पोशाक :-

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा से प्रारंभ होना चाहिए। तत्पश्चात राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य की जानकारी के लिए राजभाषा या राष्ट्रभाषा को माध्यम के रूप में चयन करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान एवं साहित्य की जानकारी के लिए अंग्रेजी भाषा का भी विकल्प अनिवार्य है।

विद्यालय का पोशाक मौसम के अनुरूप होना चाहिए। पोशाक ऐसा होना चाहिए जो गरीब अमीर सभी को उपलब्ध हो सके। विद्यार्थियों का पोशाक किसी धर्म संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो।

शिक्षण पद्वति :-

बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण पद्वति पर जोर दिया जाना चाहिए :–

1. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा से प्रारंभ हो।
2. संवाद, वाद–विवाद और तार्किक पद्धति का अधिकतम उपयोग हो।
3. खेल–खेल में में शिक्षा यानी सजीवता एवं रोचकता का मेल हो।
4. तुलनात्मक एवं शोध पद्धति पर आधारित हो।
5. परियोजना पद्वति अर्थात करके सीखना पद्धति के पक्षधर थे।
6. समस्या समाधान विधि एवं वैज्ञानिक विधि जिससे बच्चों की जिज्ञासा को शांत किया जा सके।
7. समाज के समस्त छात्रों को दसवीं तक एवं बालिकाओं को 12वीं तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो।

विद्यालय :-

डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार विद्यालय का निम्नलिखित रूप से अस्तित्व हो-

1. विद्यालय एक सामाजिक संस्था हो जो एक लघु भारत का प्रतिनिधित्व कर सके।

2. विद्यालय सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक समानता का केंद्र हो।
3. विद्यालय के लिए सामाजिक हित सर्वोपरि हो।
4. विद्यालय सामाजिक इकाई बने।
5. बहुजन नायकों एवं नायिकाओं के जन्मदिन पर विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हो जिससे उनके बारे में भी विद्यार्थी भली–भांति जान सकें।
6. सरकारी एवं निजी विद्यालयों में भी सामाजिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को आरक्षण के आधार पर प्रवेश दिया जाये।

शिक्षक :–

डॉ. अंबेडकर का विचार शिक्षकों के बारे में निम्नलिखित रूप से था –

1. शिक्षक ज्ञान का जिज्ञासु हों।
2. तार्किक एवं आत्मविश्वासी हों।
3. चरित्रवान एवं लोकतांत्रिक भावना जिस में कूट–कूट कर भरी हुई हो।
4. शिक्षक विद्यार्थियों के प्रति भेदभाव रहित जात–पात से ऊपर व्यवहार करें।
5. शिक्षक में रचनात्मकता एवं नैतिकता निहित हो।
6. शिक्षक नवीन ज्ञान के भूखे एवं अध्ययनशील हों।
7. निष्पक्ष मूल्यांकन कर्ता एवं अनुसंधान कर्ता हों।
8. विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति ऐसी हो जिसमें बहुजन समाज का भी प्रतिनिधित्व हो।

महिला शिक्षा :–

डॉ. आंबेडकर महिलाओं की प्रगति के बारे में भली–भाँति परिचित थे। इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी हो।

1. परिवार समाज के विकास हेतु शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो।
2. विद्यालयों में को–शिक्षा अर्थात छात्र–छात्राओं को एक साथ पढ़ने की व्यवस्था हो।
3. बालिका शिक्षा पर समाज और सरकार विशेष ध्यान दे।
4. धर्म, जाति एवं लिंग बिहीन शिक्षा की व्यवस्था हो।

सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से वंचितों के लिए शिक्षा अनिवार्य :–

डॉक्टर अंबेडकर को वंचितों के नस–नस की जानकारी थी इसलिए इनके शिक्षा पर उनका विशेष जोड़ था।

1. पारंपरिक नारकीय जीवन से मुक्ति के लिए उचित कदम उठाया जाये।
2. सोए हुए विवेक को जगाने के लिए प्रयास किया जाये।
3. अंधविश्वास को हटाने के लिए कोशिश किया जाये।
4. गरीबी भुखमरी से बचाने के लिए प्रयास किया जाये।
5. सोया हुआ स्वाभिमान जगाने के लिए कोशिश किया जाये।
6. आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास किया जाये।

7. शोषण एवं दमन के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष हेतु आवाज उठाने के लिए प्रेरणा दिया जाये।
8. प्रतिष्ठा एवं जीविकोपार्जन हेतु तैयार किया जाये।
9. पुश्तैनी कर्मों को छोड़कर प्रतिष्ठित पदों के लिए और आर्थिक मजबूती के लिए तैयार किया जाये।
10. सामाजिक एवं आर्थिक विषमता दूर करने के लिए भरपूर प्रयास किया जाये।
11. सामाजिक परिवर्तन एवं देश की प्रगति के लिए उचित कदम उठाया जाये।
12. शिक्षित एवं परिश्रमी युवाओं को शासन में भागीदारी के लिए तैयार किया जाये।
13. सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए शिक्षा अनिवार्य हो।

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 31-34

अर्थशास्त्री, विश्वरत्न बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर

राजेश कुमार बौद्ध
संपादक, हिन्दी मासिक पत्रिका 'प्रबुद्ध विमर्श'।

इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन जो गुलामों को इंसान बनाए वो हैं बाबा साहब डॉ.अम्बेडकर हैं, विदेशों में डाक्टरेट की डिग्री पूरा करने वाले पहले भारतीय थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के अनुसार डॉ. अम्बेडकर 64 से अधिक विषयों में महारत रखते थे जो आज तक विश्व रिकॉर्ड है, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड ने सन् 2011 में उन्हें विश्व का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति घोषित किया।

डॉ. अम्बेडकर 9 भाषाएँ जानते थे, मराठी (मातृभाषा) हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच, पाली उन्होंने पाली व्याकरण और शब्दकोष (डिक्शनरी) भी लिखी थी,जो महाराष्ट्र सरकार ने 'डॉ बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 16' में प्रकाशित की हैं।

डॉ. अम्बेडकर दक्षिण एशिया में अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति थे और साथ ही दक्षिण एशिया अर्थशास्त्र में डबल डॉक्टरेट करने वाले भी वह पहले व्यक्ति थे।एक मात्र भारतीय जिनका फोटो ब्रिटेन स्थित लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगा है। डॉ अम्बेडकर अर्थशास्त्र में डॉक्ट्रेट ऑफ साइंस करने वाले पहले भारतीय थे।

यूनाइटेड नेशनल ने डॉ.अम्बेडकर के जन्म दिन को विश्व ज्ञानदिवस के रूप में मानाने का निर्णय लिया है। डॉ. अम्बेडकर के पास 21 विषयों में डिग्री थी जो आज तक रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने 9 डिग्री विदेश में और 12 डिग्री भारत में प्राप्त की है।

डॉ. अम्बेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य रहते हुए डॉ. अम्बेडकर ने पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश (मैटरनल लिव) की व्यवस्था की थी, उन्होंने महिलाओ को तलाक का अधिकार भी दिलवाया।

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन् 1925 में डा. अम्बेडकर द्वारा 'हिल्टन–यंग कमीशन' को प्रस्तुत दिशा निर्देशों के आधार पर की गयी थी, इस कमीशन का आधार डॉ. अम्बेडकर की किताब 'रूपये की समस्या–उस का उदगम और निदान' को आधार बना के ब्रिटिश सरकार द्वारा की गयी थी, जो उस समय पहले विशव युद्ध के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही थी।

प्रोफेसर अमर्त्य सेन 6 वे भारतीय जिन्हे नोबल पुरुस्कार मिला अर्थशास्त्री में उन्होंने कहा था 'डॉ. बी. आर. अम्बेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता है।'

13वें वित्त आयोग की सभी रिपोर्ट के संदर्भ के मूलस्रोत, 1923 में लिखित डॉ. अम्बेडकर पीएचडी

थीसिस, 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त विकास' पर आधारित थे। यह डॉ. अम्बेडकर ही थे जिन्होंने 7वें भारतीय श्रम सम्मेलन में यह कानून लागु करवाया की भारत में मजदूर 14 घंटे की बजाये केवल 8 घंटे काम करेंगे।

दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना और सोन नदी परियोजना के निर्माता – डॉ. अम्बेडकर ने ही अमेरिका के टेनेसी वैली परियोजना की तर्ज पर दामोदर घाटी परियोजना की शुरूवाती रुपरेखा तैयार की, केवल दामोदर घाटी परियोजना ही नहीं, हीराकुंड परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना भी उनके द्वारा तैयार की गयी। 1945 में, डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, श्रम के सदस्यों, द्वारा महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना में निवेश का निर्णय लिया गया था। डॉ. अम्बेडकर यह चाहते थे की भारत की नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाये, जिसकी वजह थी की बाढ़–और सूखे की समस्या ने निबटा जा सके उन्होंने जल नीति के बारे में अनुछेद 239 और 242 को समझते हुए कहा था की अन्तर्राज्यीय नदी को जोड़ना और नदी घाटी को विकसित करना जनहित में अनिवार्य है जिसका दायित्व शासन का है।

डॉ. अम्बेडकर जम्मू और कश्मीर के लिए अलग संविधान के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए 370 धारा नहीं लिखने का फैसला लिया जिसे बाद में और किसी से लिखवाया गया।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए एक विवाह अधिनियम, गोद लेने का अधिकार, तलाक, शिक्षा का अधिकार आदि बनाया जिसका रूढ़िवादी समाज द्वारा विरोध किया गया। लेकिन बाद में अलग अलग हिस्सों में अम्बेडकर के बनाये कानूनो को पास किया गया और लागु किया गया। यह डॉ. अम्बेडकर का भारत की महिलाओं के लिए विशेष योगदान था।

डॉ. अम्बेडकर ने राज्यों के बेहतर विकास के लिए मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बाटने का और बिहार को भी दो हिस्सों में बटाने का सुझाव सन 1955 में दिया था, जिस पर लगभग 45 सालो बाद अमल किया गया और मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में, और बिहार को झारखंड में बाटा गया यह भी डॉ. अम्बेडकर की दूरदर्शिता थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय से 2004 में अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूरे कर लिए और इस बात के जश्न में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने 100 अग्रणी छात्रों की सूची जारी की जिसमें डॉ. अम्बेडकर का नाम भी है, इसके साथ ही साथ इस सूची में 6 अलग अलग देशों के पूर्व राष्ट्रपति, 3 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों और कुछ नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम भी है।

बेल्जियम के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक के यू लिउवेन ने भी भारत के संविधान दिवस के दिन 2015 में डॉ. अम्बेडकर का सम्मान किया और उनके नाम से पुरुस्कार देने की घोषणा की। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा में भी लगाई गई है।

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही सरकारी क्षेत्र में कौशल विकास पहल शुरू की गयी। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), ईएसआई श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, मेडिकल लीव (बीमार हो जाने पर मिलने वाली छुट्टी), काम के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने पर विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति बीमा प्रदान करता है। डॉ. अम्बेडकर ने ही इस अधिनियम को बनाया था और लागु करवाया, और पूर्व एशियाई देशों में मजदूरों के लिए 'बीमा अधिनियम' लागू करने वाला भारत पहला देश बना यह डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के ही प्रयास से हुए। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रम विभाग में रहते हुए भारत में 'ग्रिड सिस्टम' के महत्व और

आवश्यकता पर बल दिया जो आज भी सफलता पूर्वक काम कर रहा है।

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन में श्रम विभाग ही था जिसने 'केंद्रीय तकनीकी विद्युत बोर्ड' (CTPB) की स्थापना करने का निर्णय लिया बिजली प्रणाली के विकास, जल विद्युत स्टेशन, साइटों, हाइड्रो–इलेक्ट्रिक सर्वेक्षण, बिजली उत्पादन और थर्मल पावर स्टेशन की जांच पड़ताल की समस्याओं का विश्लेषण इसका प्रमुख काम थे, बिजली इंजीनियरों जो प्रशिक्षण के लिए विदेश जा रहे हैं, इसका श्रेय भी डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाता है जिन्होंने श्रम विभाग के एक नेता के रूप में अच्छे सबसे अच्छा इंजीनियरों को विदेश में प्रशिक्षण देने की नीति तैयार की थी।

1942 में बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित करवाया। जिस के बाद डीके पैसेंड्री (पूर्व उप प्रधान, सूचना अधिकारी, भारत सरकार) ने अपनी किताब में लिखा की डा. बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय सांख्यिकी अधिनियम के बिना मैं देश में मजदूरो की स्तिथि, उनके श्रम की स्थिति, उनकी मजदूरी दर, अन्य आय, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमा और अन्य धन, श्रम विवाद का आकलन नहीं कर पाता। भारतीय श्रम अधिनियम 1926 में अधिनियमित किया गया था। यह केवल ट्रेड यूनियनों रजिस्टर करने के लिए मदद करता था लेकिन यह सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, 8 नवंबर 1943 को डॉ भीमराव अम्बेडकर ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक लाया।

डॉ. अम्बेडकर ने देश में महिलाओ की स्थिति सुधारने के लिए सन् 1951 में उन्होंने 'हिंदू कोड बिल' संसद में पेश किया, बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर प्रायः कहा करते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूं। मैंने हिंदू कोड बिल पर विचार होने वाले दिनों में पतियों द्वारा छोड़ दी गई अनेक युवतियों और प्रौढ़ महिलाओं को देखा। उनके पतियों ने उनके जीवन–निर्वाह के लिए नाममात्र का चार–पांच रुपये मासिक गुजारा बांधा हुआ था। वे औरतें ऐसी दयनीय दशा के दिन अपने माता–पिता, या भाई– बंधुओं के साथ रो– रोकर व्यतीत कर रही थीं। उनके अभिभावकों के हृदय भी अपनी ऐसी बहनों तथा पुत्रियों को देख–देख कर शोकसंतप्त रहते थे।

लंदन विश्वविद्यालय मे डी.एस.सी. यह उपाधी पाने वाले पहले और आखिरी भारतीय है। लंदन विश्वविद्यालय का 8 साल का पाठ्यक्रम 3 सालों मे पूरा करने वाले महामानव बाबा साहब डॉ अम्बेडकर जी है।

बाबा साहब डॉ अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित शैक्षणिक संघटन,डिप्रेस क्लास एज्युकेशन सोसायटी –14 जून 1928, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, 8 जुलाई 1945, सिद्धार्थ कॉलेज – मुंबई– 20 जून 1946, मिलींद कॉलेज औरंगाबाद 1 जून 1950,

बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसद में पेश किए हुए विधेयक महार वेतन बिल, हिन्दू कोड बिल, जनप्रतिनिधि बिल, खेती बिल, मंत्रियों का वेतन बिल, मजदूरों के लिए वेतन (सैलरी) बिल, रोजगार विनिमय सेवा, पेंशन बिल, भविष्य निर्वाह निधि, आदि।

लंदन विश्वविद्यालय के पुरे लाईब्ररी के किताबों की छानबीन कर उसकी जानकारी रखने वाले एकमात्र बाबा साहब डॉ अम्बेडकर। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर को प्राप्त सम्मान भारत रत्न, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की और से उन्हें द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहा गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें द यूनिवर्स मेकर कहा गया सी एन एन आई बी एन, आउटलुक मैगजीन और हिस्ट्री (टीवी चौनल) द्वारा कराये गए एक सर्वे में आजादी

के बाद डॉ. अम्बेडकर को देश का सबसे महान व्यक्ति चुना गया।

डॉ. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षाभूमि अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिन्दू धर्म के कुरीतियों से तथा जाति प्रथा से तंग आकर बौद्ध धर्म अपनाया जो विश्व के इतिहास में आज तक का स्वय इच्छा से किया गया सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन है। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर इनकी निजी किताबो के कलेक्शन में अंग्रेजी साहित्य की 1300 किताबें, राजनितीक 3,000 किताबें, युद्ध शास्त्र की 300 किताबें अर्थशास्त्र की 1100 किताबें, इतिहास की 2,600 किताबें, धर्म की 2000 किताबें, कानून की 5,000 किताबें, संस्कृत की 200 किताबें मराठी की 800 किताबें हिन्दी की, 500 किताबें तत्वज्ञान (फिलॉसाफी) की 600 किताबें, रिपोर्ट की 1,000, संदर्भ साहित्य (रेफरेंस बुक्स) की 400 किताबें पत्र और भाषण की 600, जिवनीयाँ (बायोग्राफी) की,1200, एनसाक्लोपिडिया ऑफ ब्रिटेनिका–1 से 29 खंड, एनसाक्लोपिडिया ऑफ सोशल सायंस–1 से 15 खंड, कैथॉलिक एनसाक्लोपिडिया–1से 12 खंड एनसाक्लोपिडिया ऑफ एज्युकेशन हिस्टोरियन्स् हिस्ट्री ऑफ दि वर्ल्ड–1 से 25 खंड, दिल्ली में रखी गई किताबें– बुद्ध धम्म, पालि साहित्य, मराठी साहित्य की 2000 किताबें, और बाकी विषयों की 2305 किताबें थी, बाबा साहब जब अमेरिका से भारत लौट आए तब एक बोट दुर्घटना में उनकी 32 बक्से किताबें समंदर में डूबा दी गई थी।

लेखक एवं प्रकाशक
राजेश कुमार बौद्ध
कार्यालय– रामपुर नया गॉव, पोस्ट आफिस–गोरखनाथ, जिला– गोरखपुर।
Email- prabuddhvimarshgkp@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 35-40

सामाजिक समरसता और डॉ. अम्बेडकर

डॉ. गोपीराम शर्मा
क

सामाजिक समरसता का अर्थ है– सभी को अपने समान समझना। जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता को दूर कर लोगों में परस्पर प्रेम एवं सौहार्द बढ़ाना तथा समाज के सभी वर्गों एवं वर्णों के मध्य एकता स्थापित करना ही सामाजिक समरसता है। सामाजिक एकता एवं समरसता से समाज के लोगों में एकजुटता आती हैं और सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। इससे वहां के लोगों में समाज के प्रति सेवा, सहयोग एवं समर्पण का भाव विकसित होता है तो वह देश बहुत तेजी से विकास करता है।

हमारे यहां प्राचीन काल से ही समरसता और एकात्मकता के तत्त्व मिल जाते हैं। वेदों में ऋषियों ने सामाजिक समरसता पर चिंतन किया है। वेद किसी एक व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, पन्थ, देश आदि के लिये नहीं, अपितु समस्त संसार के कल्याण के लिये मार्ग प्रशस्त करता है। वेदों का उद्घोष है–

"यत्र विश्वम् भवत्येकनीडम्।"[1]

अर्थात् वेद एक ऐसा घोंसला है जिसमें संपूर्ण विश्व एकजुटता से रहता है।

इसी प्रकार वेद कहता है कि मानव पशु, पक्षी, कृमि, कीट, पतंग, वृक्ष, वनस्पति, लता–गुल्म, औषध, अन्नादि सब में वही ब्रह्म व्याप्त है, तथा सब ब्रह्ममय है। अतएव उपनिषदों में यह कहा गया है–

"सर्वं खल्विदं ब्रह्मम्।"[2]

अर्थात् सब ब्रह्म ही है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा संसार के प्रत्येक सूक्ष्म एवं स्थूल तत्त्वों में व्याप्त है। जब वह सब जगह व्याप्त है ही, तो फिर ऊंच–नीच का भेद कहां रह जाता है?

सामाजिक समरसता को परिभाषित करते हुए अशोक रामटेके कहते हैं :–

'सामाजिक समरसता मतलब मानवता। मानवता मतलब मानवीय समाज में स्थित मनुष्य का मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना, उसे ही सामाजिक समरसता कहा जाता है।"[3]

इसी प्रकार सदाशिव देवधर यह मानते हैं कि –

'सामाजिक समरसता हृदय से हृदय को जोड़नेवाली दीर्घकालीन प्रक्रिया है।"[4]

मराठी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और लोकसाहित्य के अभ्यासक डॉ. प्रभाकर मांडे जी ने समरसता का सम्बन्ध लोक संस्कृति के साथ कर, समरसता को बहुत ही कम शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके मतानुसार–

'समरसता भारतीय लोकसंस्कृति का आत्मतत्त्व है।"[5]

संविधान और कानून व्यक्ति तथा समाज को समानता या समता का अधिकार देता है। लेकिन समानता के अधिकार के बावजूद व्यक्ति–व्यक्ति के भीतर का मनोमालिन्य मिट नहीं सकता। ऊपरी तौर पर देखने में समता और समरसता यह दोनों शब्द पर्यायवाची लगते हैं परन्तु ऐसा नहीं है। ये दोनों अवधारणाएँ परस्परावलम्बी हैं परन्तु दोनों का मतितार्थ अलग है। मराठी के एक प्रसिद्ध आलोचक डॉ. बाळकृष्ण कवठेकर इस संबंध में कहते हैं–

'समरसता की अवधारणा में समता अपेक्षित ही है परन्तु केवल समता मतलब समरसता, ऐसा नहीं। समता की अवधारणा केवल भौतिक अस्तित्व का ही अवसरों का ही विचार करती है। समरसता की अवधारणा भौतिक अवसरों के सिवाय, मनोमिलन से होने वाली एकात्मता अधिक महत्त्वपूर्ण मानती है। समता की अवधारणा में अधिकारों का एहसास है, समरसता की अवधारणा कर्तव्य भाव का एहसास जगाने वाली है।"[6]

समाज में अधिकतर लोग डॉ. अंबेडकर को केवल भारत के सविंधान निर्माता के रूप में जानते हैं और कुछ लोग उन्हें एक दलित नेता के रूप में, परन्तु यह उनका पूरा परिचय नहीं है, वास्तव में वे एक लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, मानवविज्ञानी, दर्शनशास्त्री, धार्मिक, प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक और राष्ट्रभक्त थे। वे समरसतावादी थे, स्वयं को उन्होंने बंधुत्ववादी कहते हुए बोला है–

'मेरे तत्त्वज्ञान के स्रोत राजनीति में नहीं बल्कि धर्मशास्त्र में निहित हैं, अपने गुरु गौतम बुद्ध के उद्देश्यों में से मैंने वह ग्रहण किए हैं। मेरे तत्त्वज्ञान में स्वतंत्रता और समता का बहुत ज्यादा महत्त्व है लेकिन मेरा यह मानना है कि अपरिचित स्वतंत्रता से समता का नाश होता है और अतिरिक्त समानता स्वतंत्रता को निर्बल बनाती है। मेरे तत्त्वज्ञान में स्वतंत्रता और समानता की सीमाओं का उल्लंघन न हो इसलिए सुरक्षा हेतु निर्बन्धों का स्थान है परन्तु निर्बन्ध स्वतंत्रता और समता सम्बन्धी होनेवाले उल्लंघन को स्थायित्व नहीं देता है। इस कारण मेरे तत्त्वज्ञान में बन्धुता का अति उच्च स्थान है। स्वतंत्रता और समता इनके विरुद्ध संरक्षण केवल बन्धुत्व भाव ही कर सकता है। इसी का दूसरा नाम मानवता है।"[7]

डॉ. अम्बेडकर का जन्म उस समय हुआ जब अस्पृश्यता का बोलबाला था। दलित समाज घृणा, अपमान, गरीबी व अभावों का जीवन जी रहा था। उन्होंने भारतीय समाज के इस शोषण को उजागर किया तथा सामाजिकता समानता की प्राप्ति हेतु निरन्तर संघर्ष किया। उन्होंने जातिवादी एवं यथास्थितिवादी वर्ग व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया।

बाबा साहब के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमा बाई था। बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय लोग अछूत और निचली जाति का मानते थे। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक दुराव भी सहन करना पड़ता था। प्रतिभाशाली होने के बावजूद स्कूल में उनको छुआ–छूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए उनके पिता ने स्कूल में उनका उपनाम 'सकपाल' की बजाय 'आंबडवेकर' लिखवाया। इसके पीछे की वजह यह थी कि वे कोंकण के अंबाडवे गांव के मूल निवासी थे। उस क्षेत्र में उपनाम गांव के नाम पर रखने का प्रचलन था। इस तरह भीमराव सकपाल का नाम आंबडवेकर उपनाम से स्कूल में दर्ज किया गया। बाबासाहब से कृष्णा महादेव अम्बेडकर नामक एक ब्राह्मण शिक्षक को विशेष स्नेह था। इस स्नेह के चलते ही उन्होंने बाबा साहब के नाम से

'अंबाडवेकर' हटाकर उसमें अपना उपनाम अम्बेडकर जोड़ दिया।

अम्बेडकर ने हिन्दू समाज में प्रचलित अस्पृश्यता को अन्यायपूर्वक मानते हुए प्रबल विरोध किया। उनके अनुसार ब्राह्मणों और शूद्र शासकों में अन्तर्द्वन्द्व के कारण शूद्रों का जन्म हुआ, जबकि प्रारम्भ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन वर्ण ही हुआ करते थे। शनैः–शनैः ब्राह्मणवाद का समाज में वर्चस्व स्थापित हो गया। उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक उदाहरणों से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अस्पृश्यता के बने रहने के पीछे कोई तार्किक, सामाजिक अथवा व्यावसायिक आधार नहीं है। उनका मानना था कि यदि हिन्दू समाज का उत्थान करना है तो अस्पृश्यता का जड़ से निराकरण आवश्यक है।

डॉ. अम्बेडकर ने मूल वर्णव्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने भारतीय (हिन्दू) समाज व्यवस्था में ही दोष बताए तथा जातिव्यवस्था का घोर विरोध किया। हिन्दू समुदाय की मूल मान्यताओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन की माँग की। दलित वर्गों को संगठित, जागरूक एवं शिक्षित करने हेतु पुरजोर प्रयास किए। हिन्दू समाज संगठन का मूल आधार वर्णव्यवस्था ही है। डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा–

'मेरे लिए यह चातुर्वर्ण्य, जिसमें पुराने नाम रखे गए हैं, घिनौनी वस्तु है, जिससे मेरा पूरा व्यक्तित्व विद्रोह करता है, यह चातुर्वर्ण्य सामाजिक संगठन प्रणाली के रूप में अव्यावहारिक, घातक और अत्यन्त असफल रहा है।"[8]

'शूद्र' शब्द वेदों से आया है। जहां इसको 'वर्ण' की संज्ञा के रूप में ग्रहण किया है जहां इसको निम्न या अपवित्र के अर्थ में नहीं लिया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शुच् दीप्ती धातु में रक् प्रत्यय करने से शूद्र शब्द बनता है जिसका अर्थ पवित्रीकरण का आरम्भस्थल मानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि पैर जल से आर्द्र होने पर पवित्र होता है, अन्यथा अपवित्र है। इसलिये शूद्र शब्द बाद में अपवित्रता का वाचक बन गया।

धर्मशास्त्रों में कहा गया है– "जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्विज उच्यते।"[9]

अर्थात् जन्म से सभी मनुष्य असंस्कृत होने के कारण शूद्र है, जब उसका संस्कार किया जाता है तब वह द्विज अर्थात् द्वितीय जन्म को प्राप्त करता है। तब 'शूद्र' कर्म आधारित व्यवस्था थी, जो बाद में जन्म आधारित जाति में परिवर्तित हो गयी। डॉ. अम्बेडकर ने लोगों में चेतना जाग्रत कर एवं जाति के निराकरण के लिए विभिन्न आन्दोलन व कार्य किए। जातिगत भेदभाव हटाने और अश्पृश्यता को मिटाने से ही समाज में बंधुत्व भाव का निर्मित होता है। इस बन्धुत्व भाव के सम्बन्ध में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अत्यन्त गहन चिन्तन किया। 25 नवम्बर, 1947 को दिल्ली में बोलते समय डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा–

'हम बन्धुत्व भाव के तत्त्व का पालन प्रत्यक्ष आचरण में नहीं करते। यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम भारतीय परस्पर एक–दूसरे के भाई–भाई हैं। सभी भारतीयों में परस्पर प्रेम और अपनत्व के सम्बन्ध हैं, ऐसा जब मन में भाव होता है तब उसे ही 'बन्धुत्व' के नाम से जाना जाता है। सामाजिक जीवन में एकता का अमृत सिंचन करने वाला तत्त्व बन्धुत्व भाव है। प्रतिदिन के व्यवहार में इसका अनुसरण करना नितान्त कठिन कार्य है। भारत में अनेक जातियाँ विद्यमान हैं। ये जातियाँ एक अर्थ से देश–विधातक हैं। इसका कारण यह माना जाता है कि ये जातियाँ सामाजिक जीवन में द्वेष उत्पन्न करती हैं। जाति देश–विघातक होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि ये जातियाँ परस्पर एक–दूसरे में मत्सर–घृणा का भाव निर्मित करती हैं। इनके रहते राष्ट्र–निर्माण की संकल्पना में अनेक बाधाएँ उत्पन्न होंगी। इसलिए राष्ट्र के निर्माण हेतु इस जाति भावना का

समूह उच्चाटन करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जहाँ राष्ट्र होता है वहीं बन्धुत्व का भाव होता है। बन्धुत्व का भाव यदि नहीं है तो वहाँ समता और स्वतंत्रता का कोई अर्थ शेष नहीं रहता।"[10]

श्री रमेश पतंगे जी ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने इस बन्धुत्व भाव को अपने तत्त्वज्ञान का सार तत्त्व मानते हुए इसे समरसता बताया है। उनके मतानुसार–

'समरसता से तात्पर्य बन्धुत्व भाव ही है। जैसा वह वैसा मैं, ऐसा माननेवालों की मानसिक अवस्था का नाम ही समरसता है।"[11]

डॉ. अम्बेड़कर ने देश में नागरिकों के लिए संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्वों की आयोजना अनुच्छेद–14 से 32 तक रखी। सामाजिक समरसता के लिए भारतीय संविधान की धारा–15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को कानूनी अपराध घोषित किया, अनुच्छदे–17 में अस्पृश्यता का अन्त किया गया। संविधान की धारा 19 के अन्तर्गत डॉ. अम्बेडकर ने भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दिला दी, जबकि इससे पूर्व मजदूरों को जमींदारों के सामने, दलितों का सवर्णों के सामने, नौकर का अपने मालिक के समक्ष व स्त्रियों का पुरूषों के सामने बोलना भी अपराध माना जाता था।

डॉ. अम्बेड़कर ने संविधान की धारा 23 के अनुसार शोषण के विरूद्ध अधिकार बनाया। इससे पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब निम्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था। संविधान की धारा 24 के अन्तर्गत चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम पर नहीं लगाया जा सकता। संविधान की धारा 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के सभी बालक–बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का कानून बना दिया, जिससे देश के शैक्षणिक स्तर में सुधार हो सके।[12]

डॉ. अम्बेडकर शासन में संसदीय प्रजातन्त्र के जबरदस्त समर्थक थे। उनका मानना था कि संसदीय प्रजातन्त्र में कार्यपालिका को जनमत के प्रति निरन्तर संवेदनशील रहना होता है। लोकतन्त्र आदर्श तभी बन सकता है जबकि सामाजिक व आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन कर दिया जाये तथा सभी व्यक्ति समान रूप से विधि के संरक्षणों से लाभान्वित होने की स्थिति में आ जाएं। प्रजातंत्र में ऐसी शासन व्ययस्था कायम हो, जिसमें सभी धर्मों, जातियों तथा प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त हो, जिसके द्वारा देश का विकास एव प्रगति संभव हो सके।

डॉ. अम्बेडकर ने स्त्री उत्थान सम्बन्धी प्रयासों में समता के सिद्धान्त को महत्त्व दिया। उनका मत ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें आदर्श, न्यायपूर्ण, स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व की भावना हो तथा स्त्री जाति का भी उत्थान हो सके। स्त्रियों की दुरवस्था का उन्होंने घोर विरोध किया। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री–पुरुष समानता का समर्थन किया।

डॉ. अम्बेड़कर ने देश की एकता को बनाए रखने के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलवायी। हिंदी ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में सभी देशवासियों को जोड़ने के कार्य में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने 14 अक्टूबर, 1948 को भाषाई राज्यों की मांग पर बने आयोग के समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन

में कहा कि–

'भाषाई राज्य बनाने में कोई खतरा नहीं है। खतरा तो भाषा का राज्य बनाकर हर राज्य की सरकारी राजभाषा बनाने में है। किसी प्रांत की भाषा को राजभाषा बनाने पर प्रांतीय राष्ट्रवाद बन जाएगा। हर राज्य की सरकारी राजभाषा प्रांतीय भाषा होने पर भारत एक संघ रहने की बजाय यूरोप की तरह टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए सभी राज्यों की हिन्दी राष्ट्रभाषा राज्य व्यवहार के रूप में स्वीकार की जाए।'[13]

अम्बेडकर का विश्वास था कि दलितों के उत्थान में केवल उच्च वर्णों की सहानुभूति और सद्‌भ्भावना ही पर्याप्त नहीं है। उनका मत था कि दलितों का तो वास्तव में तब उत्थान होगा जब वे स्वयं सक्रिय तथा जाग्रत होंगे। इसलिये उन्होंने घोषणा की कि शिक्षित बनो, आन्दोलन चलाओ और संगठित रहो। शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें इस बात का आभास होगा कि विश्व कितना प्रगतिशील है तथा वे कितने पिछड़े हुए है? अम्बेडकर दलितों में शिक्षा के प्रसार को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे। केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं अपितु अनौपचारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। आधुनिक भारत की स्थापना में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था। डॉ. अंबेडकर को 'समानता का प्रतीक' कहा जाता है। अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्ग के उत्थान का दर्शन झलकता है। वे एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भातृत्व के तत्त्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हों। डॉ. अम्बेडकर ने ऐसे श्रेष्ठ संविधान की रचना में सहयोग दिया, जिससे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के सिद्धान्त का लागू होता है। गांधी जी की भांति अम्बेडकर वैयक्तिक सामाजिक उन्नयन के पक्षधर रहे। वे मानते थे–

'हजार टन शब्द की अपेक्षा एक तोला आचरण अधिक अच्छा है।'[14]

आधुनिक भारत की स्थापना में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था। डॉ. अंबेडकर ने अपना संघर्ष जाति व्यवस्था के विरुद्ध प्रारंभ किया। शिक्षा और अनुभव ने उन्हें पूरे समाज की समानता पर कार्य करने की अग्रसर किया। इसलिए उनकी सोच तथा कार्यों से समग्र समाज के विकास का चिंतन मिलता है। वे जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठकर राष्ट्र के विकास और सामाजिक समरसता पर ज्यादा बल देते दिख जाते हैं। यही कारण कि डॉ. अम्बेडकर ने आरक्षण केवल अनुसूचित जाति के लिए ही नहीं पिछड़ी जातियों के लिए लागू किया और वह भी केवल 10 साल के लिए। बाबासाहब को ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अम्बेडकर से विशेष स्नेह के चलते उपनाम अम्बेडकर मिला। उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई के देहांत के बाद शारदा कबीर नामक ब्राह्मण महिला से विवाह किया। शारदा कबीर ने विवाहोपरांत अपना नाम सविता अम्बेडकर रखा। ब्राह्मण शिक्षक, ब्राह्मण पत्नी, महाराज से वजीफा प्राप्त करना, आरक्षण पिछड़ी जाति और स्त्रियों के लिए भी लागू करवाना, बालकों के लिए कारखाने में काम करने की मनाही, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करवाना आदि कार्य डॉ. अम्बेडकर की सामाजिक समरसता को प्रदर्शित करते हैं। अंबेडकर की इस सामाजिक समरसता पर डॉ. ईश्वर नन्दापुरे अपने विचार रखते हुए कहते हैं–

'धर्मग्रन्थ के आधार पर मनुष्य–मनुष्य के भिन्न–भिन्न स्तर निर्माण कर इन स्तरों को जाति के नाम पर विभाजित करने वाली तमाम व्यवस्था को विनष्ट कर उसमें से नए मनुष्यत्व का समर्थन कर मानवतावाद का

जयघोष करने वाले विचारों की देन हमें बाबा साहेब से ही मिली है।"[15]

डॉ. अम्बेडकर के विचारों की वर्तमान समय में भी उपयोगिता है। वर्तमान कालखंड में मनुष्य को जाति, धर्म, लिंग, भूप्रदेश आदि के आधार पर टुकड़ों में बाँटकर विभाजित किया जा रहा है। इससे समाज तथा देश में भी परस्पर एक–दूसरे के प्रति स्नेह भाव पनपने के बदले राग, द्वेष और वैमनस्य के भाव विकसित हो रहे हैं। आज सम्पूर्ण देश में स्थित लोगों को वैयक्तिक पारिवारिक स्तर पर समरस होने की जैसी आवश्यकता है, वैसी ही सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक आदि स्तरों पर भी मनुष्य को समरस होने की आज नितान्त आवश्यकता है। समरसता के मुख्य तत्त्वचिन्तक तथा समरसता मंच, महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यवाह श्री रमेश महाजन इसी विषय पर कहते हैं–

'वर्तमानकालीन समाज की दृष्टि से समरसता का प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस समाज में समरसता पनपे, इसके लिए समाज को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि समरसता लाने के लिए सबसे पहले लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना अत्यावश्यक है। मानसिक परिवर्तन हेतु वैचारिक उद्बोधन सेवाकार्य, समन्वय और जहाँ अत्यावश्यक हो वहाँ संघर्ष करने की आवश्यकता होती है।"[16]

हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर तत्कालीन भारत के राष्ट्रीय जीवन के अति महत्त्वपूर्ण पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता, समता एवं बन्धुत्व को स्थान दिया। संविधान की रचना के लिए भारत सदैव डॉ. भीमराव अम्बेड़कर का ऋणी रहेगा। डॉ. अम्बेड़कर ने समाज के सभी वर्गों के लिए समानता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने पिछड़ें, दलित, आदिवासियों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के हितों, अधिकारों को संविधान में लिखित रूप में लिपिबद्ध किया। उन्होंने देश की एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलवायी।

उनके विचार सामाजिक समानता, समरसता, देश सेवा के साथ–साथ एक स्वस्थ लोकतंत्र, देश व समाज के विकास के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेंगे।

सन्दर्भ :–

1. शुक्ल यजुर्वेद 32‍8
2. छान्दोग्य उपनिषद 3/14/1– सामवेद
3. अशोक रामटेके – सामाजिक समरसता दर्शन, पृष्ठ 48
4. सदाशिव देवधर – सामाजिक समरसता व अभाविप, पृष्ठ 01
5. डॉ. बाळकृष्ण कवठेकर – लोकसंस्कृति आणि सामाजिक समरसता (आलेख), संपादक डॉ. प्रभाकर मांडे, समरसतेची दशपदी, पृष्ठ 64
6. वही, प्रस्तावना, पृष्ठ 17
7. प्रो. रमेश पतंगे – डॉ. अंबेडकर साहित्य समरसता विचार (आलेख), संपादक प्रो. श्याम अत्रे, समरसता एक साहित्यिक मूल्य, पृष्ठ 44
8. सं. डॉ. एस. ए. कानडजे, प्रो. ए. आर. सिरसाट, डॉ. पी. एल. सोनटक्के – डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय, खंड संकल्प, भाग 1, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ 81
9. स्कंदपुराण श्लोक 6.1.239.31

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 41-43

'डॉ. बाबासाहब अंबेडकर' के सामाजिक विचार

Dr. Salim Banadar

M.A; M.Phil, Ph.d

Nehru Arts, Science And Commerce College, Ghantikeri, Hubli

परिचय :-

भारत के संविधान रचेता, दलितों के मसीहा, चिंतक, राजनेता और समाज सुधारक डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ। उनके माता–पिता का नाम रामजी और भीमाबाई था। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक सुधार के लिए कोशीश की और इस दौरान बाबासाहेब गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे ।

अंबेडकर जी के सामाजिक विचार :-

संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर जी ने अपना जीवन वंचित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका जीवन का उद्देश्य सामाजिक समानता, समरता और स्वतंत्रा की भावनाओं को स्थापित करना था। अंबेडकर भारतीय समाज में फैले हुए वर्ण–व्यवस्था, जाति–प्रथा तथा छुआछूत की प्रथा का खंडन किया। और एक अच्छा और समानता वाले समाज का सपना देखा। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाये नहीं जा सकते। अम्बेडकर के सामाजिक सुधार में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए काफी प्रयास किया है। इन सब की प्रगती के माध्यम से एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे के सिद्धांत हों। इनके विचारों को अपनाया जाता तो समाज में फैली वर्ण, जाति, लिंग, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक समस्याएँ जड से समाप्त हो जाती।

डॉ. भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज को सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में अग्रसर करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। उनके महान योगदान ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया और प्रभावित किया। उनकी जीवनी शैली हमें उनके सोच, उनके कार्य, और उनके संघर्षों की एक अद्वितीय कहानी सुनाती है, जिससे हम उनके उपकारों को समझ सकते हैं और उनके संदेशों को आगे फैला सकते हैं। डॉ. अंबेडकर का जीवन एक संघर्षपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन

था, जिसमें वे समाज के लिए न्याय, समाजिक समानता, और आर्थिक समानता की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रेरणा प्राप्त की, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, समाज में सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित किया, और भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई।

डॉ. अंबेडकर के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके सोच, और उनके कार्यों से एक सुंदर और विस्तारित परिचय प्राप्त करेंगे। हम उनके योगदान के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे और उनके संदेशों को अपने जीवन में अनमोल धरोहर के रूप में स्वीकार करेंगे। उनके जीवन को नई पीढ़ी के लिए प्रस्तुत करना और उनके संदेशों को आगे फैलाना है, ताकि हम समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में अग्रसर हो सकें। डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके सोच को समझेंगे, और उनके महान योगदान का सम्मान करेंगे। उनके सामाजिक कार्य जीवन की उच्चतम मूल्यों और आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देती है।

अम्बेडकर के सामाजिक विचरों में अस्पृश्य, दलितों तथा शोषित वर्गों के लिए काफी कोशिश झलकता है। वे उनके उत्थान के माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें समानता, स्वतंत्रा तथा भ्रातृत्व के तत्व समाज के आधारभूत बने। हर व्यक्ति का अपना जीवन–दर्शन ऐसा मानक होना चाहिए, जिससे वह अपने चरित्र को माप सके। यह दर्शन कुछ और नहीं, चरित्र मापने का एक मानक है। अम्बेडकर जी का सत है कि 'सकारात्मक रूप से सामाजिक दर्शन को मात्र तीन शब्दों में बतलाया जा सकता है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा'। मैंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों से बहुत कुछ सीखा है। उन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ। उनके दर्शन में स्वतंत्रता तथा समानता का अपना एक स्थान है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि 'असीमित स्वतंत्रता और समानता को नष्ट कर देती है तथा पूर्ण समानता से स्वतंत्रता का हनन होता है'।

डॉ. बाबा साहब आंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता थे। उन्हें मात्र दलित नेता कहना, उनकी विद्वत्ता, जन–आंदोलनों, सरकार में उनकी भूमिका के साथ न्याय नहीं होगा। युगों पुरानी जाति आधारित अन्यायपूर्ण और भेद–भावकारी समाज में सामाजिक समानता और सांस्कृतिक एकता के माध्य से लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का उनका व्यापक दृष्टिकोण दुनियाभर में जाहिर है। मानव अधिकारों के रुप में और राष्ट्रवादी साहसी नेता के रूप में उनके भाषणों में आधुनिक भारत की सामाजिक चेतना को जगाने के लिए उनके जीवन–पर्यंत समर्पण की झलक मिलती है। दलित वर्ग की शिक्षा के बारे में अम्बेडकर का मत था कि 'दलितों के अत्याचार तथा उत्पीड़ि परिस्थितयों से निकलने के लिए उनमें शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें इस बात का आभास होगा कि उनको अन्याय, अपमानित तथा दबाव को सहने के लिए मजबूर किया जाता है'।

अम्बेडकर का मत था कि 'दलित तथा कमजोर वगों में जीवन जीने के लिए जो संघर्ष भारत करना पड़ रहा है, वैसा विश्व के किसी अन्य देश में नहीं है'। देश के हालातों के आधारों पर अम्बेडकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि 'शूद्रों की ऐसी स्थिति बनाने के लिए ब्राह्मणों ने जान–बूझकर प्रयास किया था'। अंबेडकर ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पैदा करने वाले पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने की पुरजोर वकालत की, सन 1923 में वे लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी. (अर्थशास्त्र) की डिग्री प्राप्त की, अपने डीएससी

की थीसिस "The Problem of the Rupee – Its origin and its solution". में उन्होंने रुपए के अवमूल्यन की समस्या पर शोध किया, जो उस समय के शोधों में सबसे व्यवहारिक तथा महत्वपूर्ण शोध था।

इस प्रकार अम्बेडकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जाती–व्यवस्था भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विकृता है, जिसके दुख भाव समाज के लिए बहुत ही घातक हैं। जानत व्यवस्था के कारण लोगों में एकता की भावना का अभाव है, अतः भारतीयों का किसी एक विषय पर मत तैयार नहीं हो सकता। समाज कई भागों में विभाजित हो गया। जानत व्यवस्था हिन्दु समाज को दष्ट्प्रभाव नहीं किया अपितु भारत के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवि में भी जहर घोल दिया है।

संदर्भ :–

1. डॉ. बी. आर. अंबेडकर सोशियल जस्टिस– डॉ. शोभनाथ पाठक– रिलायंस पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली– 2019
2. डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विचार एवं दर्शन, नरेंद्र जाधव– प्रभात प्रकाशन– 2021
3. डॉ. भीमराव अम्बेडकर – एक महान समाज सुधारक – शैलेन्द्र कुमार।

saleembandar@gmail.com

Mo. 9986327672

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 44-48

बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का शैक्षिक दृष्टिकोण का वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में अध्ययन

देश दीपक
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर–208024

सारांश :–

बीसवीं शताब्दी के प्रथक दशक से हो रहे भारत के सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तनों ने डॉ. अम्बेडकर को बहुत प्रभावित किया। डॉ0 अम्बेडकर के स्वयं के जीवन, अध्ययन और विदेशों में प्राप्त शिक्षा व अनुभव से एक नई दृष्टि भी प्रदान की। डॉ0 अम्बेडकर अगाध ज्ञान के भण्डार, अध्यवसायी, अद्‌भुत प्रतिभा, सराहनीय निष्ठा, न्यायशीलता तथा स्पष्टवादिता के धनी थे। यह एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, संविधान शिल्पी और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित किया। डॉ0 अम्बेडकर अस्पृश्यों एवं दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। इन्होंने होने वाले अत्याचारों, शोषण, अन्याय व अपमान से मुक्ति पाने के लिए शिक्षा रूपी शक्ति प्रदान की। इन्होंने श्रमिकों, किसानों, महिलाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के उनके अधिकारों और शिक्षा के लिए कार्य किया।

मुख्य शब्द :– बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी, शैक्षिक दृष्टिकोण, वर्तमान परिदृश्य।

प्रस्तावना –

दिव्य विभूतियों के पावन अवतरण से गरिमा मंडित भारतवर्ष की भूमि में ऐसे संतों, मनीषियों एवं ऋषियों ने जन्म लिया है जिसके स्मरण मात्र से ही समस्त कल्मषों को दूर कर दिव्यता की अनुभूति कराने वाला है। उनके सहज एवं मर्मस्पर्शी विचारों से न केवल भारतीय वरन् सम्पूर्ण विश्व में सुधारात्मक जागरूकता की लहर दौड़ गयी। इन विद्वानों ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाजसेवा, राष्ट्रसेवा, मानव कल्याण आदि को समर्पित कर दिया। इनमें से भारतरत्न बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन भी अद्वितीय रहा है। इन्होंने शताब्दियों से चले आ रहे रूढ़िवाद का समूल नाश करने का प्रयास करते हुए दलितों के एक बड़े वर्ग को संविधान में समानता का दर्जा प्रदान करने का कार्य किया। शिक्षा से वंचित वर्ग को संविधान के आधार पर शिक्षा तक पहुँच दिलाने का कार्य किया।

वर्तमान समय में भारत में भौतिक मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है एवं आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। समाज केवल भौतिक मूल्यों से ही नहीं चल सकता इसके लिए नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य भी अपरिहार्य है। वांछित लक्ष्यों के अभाव में आज युवा वर्ग असन्तोष, असुरक्षा, बेरोजगारी आदि से ग्रस्त होता जा

रहा है। अतः ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जिस पर चलकर वह वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। इस हेतु डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचार एवं उसकी प्रासंगिकता को आत्मसात् करके समस्याओं को दूर किया जा सकता है तथा नये आयामों को जोड़ा जा सकता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य –

1. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी के शैक्षिक दृष्टिकोणों का अध्ययन करना।
2. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी के शैक्षिक दृष्टिकोणों का वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की विधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का संग्रहण –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में डॉ0 अम्बेडकर के शैक्षिक दृष्टिकोणों का अध्ययन एवं तथ्यमूलक आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक साहित्यिक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के शैक्षिक दृष्टिकोण एवं वर्तमान परिदृश्य में उपयोगिता–

'शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो' का आवाह्न करने वाले डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य को सामाजिक स्तर प्राप्त करना सम्भव नहीं, इसके साथ ही मनुष्यता मिलना भी शिक्षा पर ही निर्भर है। सभ्य और जागृत समाज का बनना मनुष्य के सभ्य और जागृत होने पर ही सम्भव है। अम्बेडकर जी इस बात से विदित थे कि ''विद्या विहीनः पशु'' अर्थात् विद्या से हीन पशु होता है। विद्या ही वह तत्व है जो मनुष्य को ज्ञान मण्डित कर यथार्थ में गुणों से युक्त मनुष्य की गरिमा प्रदान करता है। केवल आकृति से ही नहीं अपितु स्वभाव तथा प्रवृत्ति से भी।

डॉ0 अम्बेडकर जी ने ऐसी शिक्षा का समर्थन किया है जो कि किताबी कीड़े या क्लर्क न उत्पन्न करें अपितु व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे। जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो सके जिसमें समृद्धता, खुशहाली हो तथा जो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाभित हो। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है क्योंकि भारत में अभी भी हर एक व्यक्ति शिक्षित नहीं है अतः वर्तमान समय में डॉ0 अम्बेडकर जी के द्वारा बतलाये गये उपाय तथा दिखाये गये रास्ते अत्यन्त प्रासंगिक हैं।

डॉ0 अम्बेडकर स्वयं उच्च शिक्षित व्यक्ति थे और वो चाहते थे कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति हमसे अधिक शिक्षित हो और राष्ट्र की बागडोर संभाले। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार, ''शिक्षा मानव की प्रगति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसलिए ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए'' (बंसल, 2012)।

डॉ0 अम्बेडकर जी शिक्षा को केवल साक्षरता प्रदान करना नहीं मानते थे। उनके अनुसार, ''शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये स्वावलम्बी शिक्षा के समर्थक थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति केवल व्यक्ति के जीवन के एक पक्ष मस्तिष्क को ही मुख्यतः प्रभावित करती है। शरीर व आत्मा को छोड़ देती है। अम्बेडकर जी उत्पादक, रचनात्मक और आत्मनिर्भर शिक्षा को प्रमुखता देने की बात कहते थे।

वर्तमान समय में शिक्षा अत्यन्त महंगी हो गयी है। इस स्थिति में डॉ0 अम्बेडकर जी के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पद्धति के तहत भावी विद्यार्थियों को मार्ग दिखाया जा सकता है। अम्बेडकर जी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर शिक्षा के समर्थक थे जो कि युवा अवस्था में उन्हें रोजगार प्रदान करे। अम्बेडकर जी उच्च स्तर की

सस्ती एवं राष्ट्रीयकृत शिक्षा के पक्षधर थे। बाबा साहेब ने शिक्षा के व्यावसायीकरण का हर स्तर पर विरोध किया है। डॉ0 अम्बेडकर नैतिक शिक्षा, मानवता को सर्वोपरि मानते थे।

डॉ0 अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा ही एकता, बंधुता और देशप्रेम के विवेक को जन्म देती है। सभ्यता और संस्कृति का स्तम्भ शिक्षा द्वारा ही बनता है। उनका कहना था कि शिक्षा ही मनुष्यत्व प्रदान करती है। डॉ0 अम्बेडकर कहते हैं कि ''शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पियेगा वह दहाड़ेगा।'' शिक्षा को अम्बेडकर ने सामाजिक समरसता व व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास करने वाला बताया।

डॉ0 अम्बेडकर प्रचलित शिक्षा तथा शिक्षण पद्धति को बदलकर समरसता निर्माण करने वाली व लोकतान्त्रिक मूल्यों की भावना का विकास करने वाली शिक्षा व पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने के पक्षधर थे। उनका विश्वास था कि समाज में ऐसी शैक्षिक व्यवस्था हो जो समय के अनुकूल हो। उनका ये भी मानना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, जिससे बच्चों में रूचिपूर्वक पढ़ने के स्वभाव का निर्माण होगा तथा विद्यालय में रहकर ही सामूहिक अवधारणाओं को समाप्त किया जा सकता है।

डॉ0 अम्बेडकर जी का मानना था कि शिक्षा से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। उनका कहना था कि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है। शिक्षक के सम्बन्ध में डॉ0 अम्बेडकर जी का कहना है कि शिक्षक ज्ञान पिपासु, अनुसंधान करने वाला, नवाचार को समझने वाला एवं आत्मविश्वासी होना चाहिए। बाबा साहेब का विश्वास था कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उनका कहना था कि अंधविश्वासों से मुक्ति, अज्ञानता, अन्याय एवं शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की ताकत सिर्फ शिक्षा से ही संभव है। भारत वर्षों तक मुगलों, विदेशी सत्ता, आक्रांताओं एवं शासकों के आधीन रहा, जिससे भारत में पतन और अवनति का दौर अनंतकाल तक चलता रहा और डॉ0 अम्बेडकर यह मानते थे कि देश की इस पराधीनता का कारण शिक्षा भी है और मुख्यतः महिला शिक्षा का न होना अतः बाबा साहेब ने महिला शिक्षा पर भी अधिक बल दिया, विशेषतः दलित महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। उनका स्पष्ट विचार था कि यदि महिला शिक्षित होंगी तो वे अपनी संतान को भी शिक्षित व संस्कारवान बना सकती है।

डॉ0 अम्बेडकर अच्छी पुस्तकों को शिक्षक व शिक्षार्थी का परम मित्र मानते थे। अम्बेडकर के अनुसार, ''शिक्षक के पास अच्छी पुस्तकों का संग्रह होना चाहिए।'' अम्बेडकर के पास स्वयं ही एक विशाल निजी पुस्तकालय था जिसे देखकर एक विदेशी मण्डल ने कहा था कि यदि विश्व में ऐसा कोई आदमी है जिसने अपना घर पुस्तकों के लिए ही बनवाया है, तो वह कदाचित डॉ0 अम्बेडकर जी ही हैं।

डॉ0 अम्बेडकर शिक्षा में शिक्षक और शिष्य के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। उनका मानना था कि इस प्रकार के वातावरण के निर्माण से भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, मानवीय ऊँच–नीच, छुआ–छूत और जाति प्रथा की समाप्ति के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है।

डॉ0 अम्बेडकर का विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कहना था कि विद्यार्थियों का प्रथम कर्तव्य है कि वे अधिकाधिक समय अध्ययन में लगायें क्योंकि वही उनकी प्रगति का पथ है, आधार है। स्वयं अम्बेडकर के सम्बन्ध में प्रचलित रहा है कि वे 18–18 घण्टे अध्ययन करते थे।

डॉ0 अम्बेडकर विद्यालय को समाज की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला साधन मानते थे। वे विद्यालय को लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रशासित कराना चाहते थे जिससे विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों की

स्थापना की जा सके। विद्यालयों का वातावरण भेदभाव रहित लोकतांत्रिक व सामाजिक गुणों को विकसित करने वाला होना चाहिए। विद्यालय की समस्त योजनाएं विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए।

डॉ0 अम्बेडकर ने अनुशासन को एक ऐसा गुण बताया है जो प्रत्येक व्यक्ति को महान बना सकता है किन्तु उन्होंने बच्चों को स्वानुशासित रहने की सलाह दी व शिक्षा और अनुशासन में अटूट सम्बन्ध बताया जो शिक्षा प्रक्रिया समाज में समानता ला सकती है जब मनुष्य शिक्षित होगा तो वह अनुशासित भी होगा। यह स्वतंत्र अनुशासन के पक्षधर थे।

डॉ0 अम्बेडकर धर्म और विज्ञान में विरोध नहीं मानते थे। इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। मनुष्य जीवन में धार्मिक दृष्टि एवं वैज्ञानिक विधि दोनों से ही लाभ उठाया जा सकता है। ऐसा किये बिना मनुष्य एवं समाज का एक संगठित रूप सम्भव नहीं हो सकता। उन्होंने शिक्षा को विज्ञान पर आधारित होने के सन्दर्भ में बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा पर अधिक से अधिक धन व्यय किया जाए जिससे शिक्षा में विज्ञान पर अधिक जोर दिया जा सके और राष्ट्र की उन्नति हो सके।

अन्ततः निष्कर्ष रूप में डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार निम्न आधारभूत सिद्धान्त उल्लिखित होते हैं–

1. शिक्षा, अनिवार्य, निःशुल्क एवं सस्ती हो।
2. शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाये।
3. शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हो।
4. शिक्षा के केन्द्रीयकरण पर बल दिया जाये।
5. शिक्षा बालकेन्द्रित होनी चाहिए।
6. शिक्षा को बालक की समस्त शक्तियों का विकास करके पूर्व मानव बनना चाहिए।
7. शिक्षा में तुलनात्मक विकास की असमानता को दूर किया जाये।
8. शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोध को दूर किया जाये।
9. अनुसंधान को शिक्षण से अलग नहीं किया जाना चाहिए।
10. व्यक्ति के अस्तित्व हेतु शिक्षा अनिवार्य हो।
11. शिक्षा से बालकों में मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए।
12. शिक्षा से आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. बंसल, एस0 के0 (2012), सुनियोजित उच्च शिक्षा जीवन का आधार – डॉ0 अम्बेडकर के विचार, मंगलम्, 3(2,5), 405.
2. मिश्रा, ए0 (2022), डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता का अध्ययन। अप्रकाभित एम0एड0 लघु शोध प्रबन्ध शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षा विभाग, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय कानपुर।
3. पांडे, पी0 (2021), डॉ0 अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल, प्रथम संस्करण, एबीडी पब्लिशर्स।
4. प्रताप, ए0 (2015), बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी के शैक्षिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उनकी उपादेयता। अप्रकाशित एम0एड0 लघु शोध प्रबन्ध शिक्षक प्रशिक्षण।

शिक्षा विभाग, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. सरोज, वी0के0 (2002). डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक, दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों का अध्ययन। अप्रकाशित पी–एच0 डी0 शोध प्रबन्ध। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर। Retrieved from http://hdl.handle.net/10603/179581
6. यादव, ए0एस0 (2019), डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक और स्टार्टअप विचारधारा का अध्ययन। जर्नल ऑफ एडवांसेज एंड स्कॉलरली रिसर्चेज इन अलाइड एजूकेशन, 16(4), 1709–1711. Retrieved from https://ignited.in/I/a/305230

मो. नं. 7897588165

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 49-54

अम्बेदकरवादी स्वतंत्रता की अवधारणा

डॉ सुशील बिलुँग
असोसिएट प्रोफेसर, संट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैंनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना –11.

अपनी पुस्तक 'आम्बेडकर से दोस्तीः समता और मुक्ति' में हिन्दी दलित साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार कंवल भारती का कहना है कि 'डॉ. अम्बेडकर के लिए स्वतंत्रता की अवधारणा पूर्ण रूप से स्पष्ट थी। राजनीतिक स्वतंत्रता उनके लिए स्वतंत्रता नहीं बल्कि उसके पूर्व सामाजिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण थी। इसलिए राजनैतिक क्रांति से पूर्व वह सामाजिक क्रांति के पक्षधर रहे। राजनीतिक स्वतंत्रता उनके लिए अर्थपूर्ण थी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से गुलाम नहीं थे।' इसीलिए वह स्वतंत्र भारत के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहते हैं।

26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों या विसंगतियों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में तो हम समानता स्थापित करेंगे लेकिन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हम असमानता ही बनाए रखेंगे। राजनीति में हम 'एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य' के सिद्धांत को मान्यता देंगे। लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने प्रचलित और पारंपरिक सामाजिक–आर्थिक ढांचे की वजह से 'एक व्यक्ति और एक जैसा मूल्य' के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हम आखिर कब तक जीवन के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता को नकारते रहेंगे? अगर हम इसे बहुत लंबे अरसे तक टालते और नकारते रहे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालकर ही ऐसा कर सकेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उतना ही जल्दी हम इस अन्तर्विरोध को तत्काल दूर कर दें, वरना जो लोग इन समानताओं से पीड़ित हैं वे लोग राजनीतिक लोकतंत्र के उस ढांचे को ही उखाड़ कर फेंक देंगे जिसको इस संविधान सभा ने बड़ी लगन और मेहनत से बनाया है। (पृ. 35 में उद्धृत)

अपने अनुभव, अध्ययन एवं चिंतन के बल पर उन्हें भारतीय समाज की संगतियों–विसंगतियों की खूब अच्छी पहचान थी। वे महात्मा बुद्ध के दर्शन एवं फ्रांसीसी क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे। इन दोनों के दर्शनों को आत्मसात् करते एवं मार्क्सवाद के दर्शन को गहराई से समझते हुए उन्होंने अपना दर्शन और दृष्टिकोण निर्मित किया। साथ ही साथ वे कबीर और राणाडे एवं ज्योतिबा फुले से भी प्रभावित थे। कबीर ने उन्हें भक्तिमार्ग दिखलाया। ज्योतिबा फुले से उन्हें संघर्ष की प्रेरणा मिली। जो कुछ भी द्विजवाद के विरूद्ध उनका सक्रिय संघर्ष है उसकी प्रेरणा महात्मा फुले थे। बुद्ध ने उन्हें मानसिक एवं कायिक शांति का आदेश दिया। डी. आर. जाटव के अनुसार, 'बुद्ध ने अपने धर्म एवं दर्शन को मानव से प्रारंभ कर मानव–स्थिति तक ही सीमित रखा। डॉ. अम्बेडकर ने उसी परम्परा का अनुसरण किया और अपने समस्त दर्शन को मानव की सामाजिक परिधि में ही

रखा। मानव के स्वरूप में अन्तर्निहित अनेक सामर्थ्यों में उनकी अटूट आस्था थी। उनके मतानुसार, मनुष्य और जगत् का कोई पूर्व–निर्धारित लक्ष्य नहीं है और चुनाव एवं स्वतंत्रता की शक्ति ने मानव प्राणियों को वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा प्रदान की है।' उन्होंने अपने छात्रजीवन ;कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अमेरिकी प्रवास (जुलाई, 1913 से जून, 1916) के दौरान नीग्रो आन्दोलनों को गहराई और निकट से देखा था। अतएव वे अमेरिका के चौंदहवें संविधान संशोधन से काफी प्रसन्न थे जिसके द्वारा वहाँ के काले नीग्रो को स्वाधीनता के अधिकार मिले थे। उनको लगा कि नीग्रो समस्या दलितों की समस्या सदृश थी इसलिए पश्चिम का लोकतंत्र, समानता और स्वाधीनता का सिद्धांत ही हमारे देश के अछूतों का उद्धार कर सकता है।डी.आर. जाटव कहते हैं 'डॉ. अम्बेदकर का दर्शन आदमी को सम्प्रेरित करता है कि वह स्वयं सामाजिक बंधन, अंधविश्वासों और कुरीतियों से अपने को मुक्त करे। समाज मानव प्राणियों की क्रियाओं एवं प्रवृत्तियों का परिणाम है, जिसे वे अपने संकल्प के व्यवहार में बदल सकते हैं। उनका मानववादी चिंतन वर्णाश्रम धर्म व कर्म पर आधारित समाज व्यवस्था का विरोधी था। उनके दर्शन में ब्रह्मवाद, ब्राह्मणवाद, आत्मवाद, अवतारवाद, आवागमन, वर्णाश्रम धर्म, मोक्षादि के लिए कोई स्थान नहीं है।' वह नैतिकता का मूलाधार, आदमी के द्वारा आदमी के प्रति प्रेम में निहित मानते हैं। आदमी आदमी के साथ प्रेमपूर्वक रहे, यह मानव समाज की आवश्यकता है। नैतिकता मनुष्य–मनुष्य के बीच सम्यक् संबंधों की व्यवस्था है। नैतिक मानदण्ड स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृभाव में निहित है। किसी भी समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानव प्राणियों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृभाव के अनुकूल आचरण करें।

डॉ. अम्बेडकर हिन्दू धर्म के पुनर्जन्मवाद को नहीं मानते। उन्होंने कहा 'न्याय सामान्यतः स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का दूसरा नाम है।' उनके अनुसार, मनु ने सामाजिक असमानता को कानून बनाया, उसने धार्मिक असमानता को भी कानून बना दिया। उनकी प्रबल धारणा थी कि सच्ची स्वतंत्रता सामाजिक परिवेश में प्राणवत् होती है। उस परिवेश के लिए सामाजिक समानता, आर्थिक सुरक्षा और ज्ञान की शर्तें सबके लिए पूर्ण हो। इसे हिन्दू धर्म पूरा नहीं करता। हिन्दू धर्म असमानता का धर्म है क्योंकि वर्ण व्यवस्था ने प्रत्येक जाति के लिए जीवनयापन का ढंग पूर्व–निर्धारित कर दिया है। इसमें चयन का न कोई प्रावधान है और न ही स्वतंत्रता। हिन्दू वर्णाश्रम धर्म में शूद्र और अछूत जाति शिक्षा से वंचित हैं। शूद्र लोग न तो वेद पढ़ सकते थे और न ही किसी के द्वारा उनके पठन को सुन सकते थे। यदि ऐसा हो भी जाये तो इसके लिए कठोर दण्ड विधान की व्यवस्था थी। बाबा साहेब ने यह भी कहा,'प्राचीन दुनिया को इस बात के लिए दोषी ठहराया जा सकता है कि वह जन–समुदायों को शिक्षा दिलाने के उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रही, लेकिन कोई समाज कभी इस बात के लिए दोषी नहीं रहा कि उसने अपने धर्म के ग्रंथों के अध्ययन का अपने अधिकतर लोगों के लिए निषेध किया हो। कोई समाज इस बात के लिए दोषी नहीं रहा कि उसने सामान्य लोगों द्वारा ज्ञान प्राप्ति को प्रतिबंधित किया हो। किसी समाज ने कभी यह घोषित करने का प्रयास नहीं किया कि यदि कोई सामान्य आदमी ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करे तो उसे दण्डनीय अपराध माना जाए। मनु ही ऐसा एक दिव्य कानून वेत्ता था, जिसने सामान्य आदमी द्वारा ज्ञान प्राप्ति के अधिकार का निषेध किया।'

जब हिन्दू धर्म में स्वतंत्रता एवं समानता के अवसर ही समाप्त कर दिये गये हैं तो फिर उसमें भ्रातृत्व की प्रेरणा का पोषण मानव कल्पना के परे है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, हिन्दुओं में भ्रातृत्व के अभाव का मूल

कारण इसका चिंतन है। हिन्दू धर्म के विध्वंसक मूल्यों को उजागर करते हुए वे कहते हैं, 'हिन्दू धर्म का उपदेश है कि अन्तर्जातीय–भोज और अन्तर्जातीय विवाह न करें और साथ–साथ न रहें। ये 'न' ही उसकी शिक्षा का सार–तत्व है – हिन्दू धर्म का दर्शन भ्रातृत्व का सीधा निषेध है, हिन्दू धर्म समानता का शत्रु है, स्वतंत्रता का प्रतिरोधी है और भ्रातृत्व का विरोधी है।........भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता वस्तुतः व्युत्पन्न विचार हैं। आधारभूत तथा मौलिक धारणाएं समानता और मानव व्यक्तित्व के प्रति आदर–सम्मान हैं। भ्रातृत्व और स्वतंत्रता की जड़ें इन दो मौलिक धारणाओं में निहित हैं। उसे और आगे खोदने पर यह कहा जा सकता है कि समानता मूलभूत विचार है और मानव व्यक्तित्व के प्रति आदर–सम्मान उसी की छायामात्र है। यह माना जा सकता है कि जहां समानता का निषेध है, वहां हर चीज का निषेध है।....हिन्दू धर्म भ्रातृत्व तथा साथ ही स्वतंत्रता का एक निषेध है।'

सारतः खान–पान, जन्म–मृत्यु, उपनयन, नामकरण, शादी–विवाह आदि अवसरों पर एक साथ मिलना–बैठना, संगठित महसूस करना ही भ्रातृत्व के विचार का स्रोत है और इसी में सामाजिक दायित्व एवं पारस्परिक सामाजिक कर्त्तव्य अन्तर्निहित होते हैं। यही मानव सहानुभूति की भावना है।

डॉ. अम्बेडकर को दृढ़ विश्वास हो गया था कि दलितों के संताप का एकमात्र कारण हिन्दू धर्म है। यह धर्म उन्हें मुक्त करने के बजाय गुलाम बनाता जाता है। उनके विचारानुसार भारत में सारी सामाजिक विकृतियों एवं विसंगतियों की जड़ वर्ण व्यवस्था है। उसे समूल नष्ट किये बगैर न जातिवाद समाप्त किया जा सकता है और न अस्पृश्यता। और इसके बिना स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं मिल सकती। उनका मानना था कि वर्ण–व्यवस्था को उखाड़ फेंकने हेतु दलित वर्ग को शिक्षित, संगठित, स्वाभिमानी और संघर्षरत् बनना होगा।

बीस के दशक में अम्बेडकर ने समाजवाद के लक्ष्य को माना लेकिन उसके साधन को नहीं क्योंकि उसका साधन हिंसा का है। उन्होंने गाँधीवादी अहिंसा को एक धार्मिक सिद्वांत के रूप में नकारा और उसे मात्र युद्धनीतिके रूप में देखा। भारतीय क्रांति हेतु अस्पृश्यता एवं जाति भेद का ख़ात्मा अत्यावश्यक है।

कार्ल मार्क्स ने कम्युनिष्ट पार्टी के 'मनिफेस्टो' में प्रारंभ में ही कहा है कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष (Class Struggle) का ही इतिहास रहा है। शोषक और शोषित वर्ग एक दूसरे के विरोधी के रूप में वर्ग युद्ध निरंतर जारी रहता है। वर्ग संघर्ष ही मात्र सामाजिक विकास को प्रेरित और परिचालित करने वाली शक्ति/प्रेरक शक्ति (Moving Force) है। लेकिन भारतीय संदर्भ में डॉ. अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज का इतिहास निश्चित रूप में वर्ण संघर्ष (Caste Struggle) का इतिहास है। हिंदू समाज की अर्थव्यवस्था धर्माधिष्ठित होने के कारण उत्पादन एवं उत्पादन साधनों का स्वामित्व त्रौवर्णिकों को प्राप्त हुआ। उसके बल पर ही उन्होंने शूद्रातिशूद्रों का शोषण किया। इसीलिए सर्वप्रथम धार्मिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना अनिवार्य और आवश्यक भी है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि अम्बेडकर का त्रौवर्ण मार्क्स का शोषक वर्ग कहा जा सकता है क्योंकि उन्हीं के हाथों संसाधनों एवं उत्पादन साधनों का स्वामित्व है।

धार्मिक व्यवस्था पर कुठाराघात करना महात्मा गाँधी को मंजूर नहीं था और मार्क्स ने धर्म को 'अफीम' कहकर अर्थ के आगे धर्म को रखना उचित नहीं समझा। इसीलिए उन्होंने धर्मव्यवस्था पर कुठाराघात करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की। मानवीय जीवन के सभी व्यवहार अर्थमूलक होते हैं यही मार्क्स के 'मूलाधार और अधिरचना' सिद्धांत का निष्कर्ष है। लेकिन भारतीय समाज की संरचना एवं धारणा में सभी व्यवहार धर्ममूलक होते हैं। धर्म ही अर्थ, काम आदि पुरूषार्थों का मूलाधार (Base/Foundation) है और इन्हीं से संबंधित बाकी सारी

व्यवस्थाएँ उसकी अधिरचना (Super Structure) हैं। इसीलिए डॉ. अंबेडकर ने दलित मुक्ति के लिए हिंदूधर्म के विरोध में आंदोलन छेड़ा। यह आंदोलन साम्यवादी आंदोलन के विरोध में नहीं था। हिंदू समाज व्यवस्था के विरोध में था।

मार्क्स का मेहनतकश मजदूर शोषित अवश्य था लेकिन बहिष्कृत नहीं। अछूत समाज तो बहिष्कृत था। भारतीय समाज व्यवस्था में गुण और कर्म के अनुसार हक एवं अधिकार प्राप्त है। उच्च तीनों जाति उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन के हकदार बने, और शूद्र वर्ग के लोग सभी मानवी हक एवं अधिकारों से वंचित रहे। इस गुण कर्मानुसारी व्यवस्था में डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक विषमता का मूलस्रोत देखा और इसे ही वर्ण संघर्ष का मूलाधार माना।

वर्ग संघर्ष के द्वारा वर्ग विहीन समाज निर्माण करना ही मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था और वर्णसंघर्ष द्वारा जातिभेद का आधार नष्ट करते हुए वर्णविहीन समाज का निर्माण करना ही डॉ. अंबेडकर का अंतिम लक्ष्य था। अंतिम अवस्था में वर्गविहीन और वर्णविहीन समाज शोषण मुक्त ही रहेगा। इस दृष्टि से भारतीय समाज के संदर्भ में मार्क्सवादी और अंबेडकरवादी विचारधाराओं का अंतिम लक्ष्य एक ही है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, वर्णयुक्त समाज व्यवस्था में अछूत तबकों को उत्पादन पद्धति से तो वंचित ही रखा था। और जातिभेद के कारण उनके लिए नारकीय जीवन जीना अनिवार्य हो जाता था और उनका सामाजिक अस्तित्व बेज़बान पशुओं से भी बदतर था। मनुष्य होते हुए भी वे मानो मानवी चेतना (Human Consciousness) से ही विमुक्त (Alienated) थे। यही सामाजिक दासता था। पूँजीवादी व्यवस्था में मेहनतकश मजदूरों का शोषण होता रहता है लेकिन उनपर ऐसा नारकीय ओर पशुवत् जीवन नहीं लादा जाता जैसा अछूतों पर सदियों से लादा हुआ है।

डॉ. अंबेडकर को स्पष्ट पता हो गया था कि वर्ग संघर्ष द्वारा जातिभेद का निर्मूलन होना असंभव है और जातिभेद का निर्मूलन होने तक अछूतों को सामाजिक न्याय मिलना विलंबित होता जाएगा। इसीलिए आर्थिक तत्व को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने वर्ण संघर्ष पर ही बल दिया और दलित मुक्ति का आंदोलन छेड़ा। वर्णसंघर्ष का हथियार देकर डॉ. अंबेदकर ने भारतीय समाज में आमूलचूल क्रांति करने की जिम्मेदारी दलितों पर सौंप दी। दलित साहित्य यह दायित्व निभाने हेतु आंबेडकरवादी विचारधारा से प्रतिबद्ध है।

दलित साहित्य के निर्माण की मूलभूत प्रेरणा डॉ. अंबेदकर के तत्त्व विचारों में है जिनमें तीन प्रमुख सूत्र थे– 1. स्वाभिमान, स्वावलंबन और स्वोद्धार जो ये मुक्ति की मूलभूत प्रेरणाएँ हैं। 2. शिक्षा, संगठन, और संघर्ष मुक्ति के साधन हैं और 3. मानवीय हक एवं अधिकार भीख माँगने से नहीं मिलते बल्कि उनको पाने के लिए संघर्ष करना एवं लड़ना अनिवार्य होता है। इन विचार सूत्रों के द्वारा दलित समाज में न केवल जागृति होती रही बल्कि सदियों की दासता के विरोध में तीव्र संघर्ष करने की आत्मशक्ति भी विकसित होती रही। स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेदकर के आन्दोलन की कार्ययोजना बिलकुल योजनाबद्ध थी। सन् 1920 से 'मूक नायक' के माध्यम से अपने विचारों को जनसामान्य तक पहुंचा कर आन्दोलित करना और 1927 को मलाड आन्दोलन के रूप में सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक तीव्र जनसंघर्ष का सूत्रपात करना। अंततः 1956 में धर्मांतरण कर नव धर्म को स्वीकारना जो समरसता के सिद्धांत पर अवलंबित है।

डॉ. अम्बेडकर का दर्शन स्पष्ट था कि भारतीय समाज समतामूलक समाज हो और सभी स्वतंत्रता के

धरातल पर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करें। इसके लिए उनकी कार्य–शैली निम्न थीं – पहला, डॉ. अम्बेडकर अपने लोगों; दलितों की जरूरतों पर पूर्णरूपेण समर्पित थे जिनसे कभी समझौता नहीं किया। वह पूर्ण रूप से जाति व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को समाप्त कर देना चाहता था। दूसरा, वह हिन्दू धर्म को नकार कर दूसरे धर्म को अपनाना चाहता था जो स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व पर आधारित हो और उन्होंने बौद्ध धर्म को इस रूप में पाया और उसे अपनाया। तीसरा, उन्होंने 'शिक्षित हो, संघर्ष करो एवं संगठित हो' का नारा बुलंद कर अपनी मुक्ति के लिए जागृत किया। चौथा, वे चाहते थे कि प्रजातांत्रिक राष्ट्र में समतामूलक समाज की स्थापना हो और उसके लिए दलितों एवं शूद्रों को गोलबंद होकर राजनीति को हथियार के रूप प्रयोग करें जो कॉन्ग्रेस पार्टी के समकक्ष या उसकी टक्कर की उनकी पार्टी हो। उनका अनुभव था कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणवाद एवं पूँजीवाद का दूसरा नाम है।

'दलित मुक्ति आंदोलन' 25 दिसम्बर 1927 मेंमहाड़ सत्याग्रह आन्दोलन से क्रियाशील हुआ। इसमें जो चावदार तालाब से पानी लेने के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए एकत्र हुए थे, तब डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट घोषणा की कि हमारा मकसद सिर्फ एक तालाब विशेष से पानी लेना नहीं, बल्कि इस सत्य को स्थापित करना है कि हम मानव प्राणी हैं। वहप्रबल तौर से कहते थे 'गुलामों को बारबार उनकी दासता की याद दिलाने से ही वे दासता के विरूद्ध बगावत करने उठते हैं।'उन्होंने हुंकारते हुए कहा 'हमारे आन्दोलन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि जो निर्योग्यताएँ हम पर थोपी गई हैं, वे हट जाएं, बल्कि हम सामाजिक क्रांति चाहते हैं, एक ऐसी क्रांति, जिसमें नागरिक अधिकारों के मामले में आदमी और आदमी के बीच कोई भेद न किया जाए, सभी मनुष्यों को उच्चतम स्थान तक पहुंचने के लिए समान अवसर प्राप्त हों और जाति की कोई बाधक न रहे।'इस सम्मेलन में मनुस्मृतियाँ जलाई गईंजिसने दलितों पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक दासता लाद दी थी। इस आन्दोलन के माध्यम से दलित समाज प्रबोधित होता रहा।

अम्बेडकर फ्रांसीसी क्रांति की जड़ों में उस नयी व्यवस्था को देखते थे, जो मजदूर वर्ग की आदर्श व्यवस्था है। उनका कहना था कि इस क्रांति ने दो सिद्धांत दिये–स्वशासन एवं स्वनिर्णय के। स्वशासन या स्वराज का सिद्धांत लोगों में स्वयं शासन करने की इच्छा पैदा करता है, बजाय इसके कि दूसरे लोग उन पर शासन करें। अम्बेडकर ने इसी को 'जनतंत्र' कहा। जनतंत्र में स्वनिर्णय की स्वाधीनता है। अर्थात् राष्ट्र को अपनी सरकार बनाने का एवं जनता द्वारा चुनी सरकार को राष्ट्र और उसके समाज की दिशा और दशा तय करने की स्वतंत्रता हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार का निर्णय और समाज–व्यवस्था दोनों मजदूरों के हितों के खिलाफ हों, तो ऐसी स्वाधीनता का कोई अर्थ और मूल्य नहीं। अंबेडकर के आन्दोलन का अर्थ था जाति–विहीन और वर्ग–विहीन समाज का निर्माण। दलितो के लिए मुक्ति–संग्राम दो शक्तियों–ब्राह्मणवाद और पूंजीवादी के विरूद्ध है। उनका मानना था कि देश में मजदूर वर्ग के दो शत्रु ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मण समुदाय के विशेषाधिकारों या उसकी सत्ता का नाम नहीं बल्कि इसका अर्थ स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना को नकारना है।

उनके अनुसार समानता का अर्थ उन तमाम प्रक्रियाओं को रोकना है जो असमानता को जन्म देती हैं। भ्रातृत्व का अर्थ सर्वव्यापी मानवीय भ्रातृत्व है जो समस्त वर्गों और समस्त राष्ट्रों के बीच समता स्थापित करता है, जिसका लक्ष्य पृथ्वी पर शांति और आदमी के प्रति सदिच्छा है। उन्होंने माना कि स्वतंत्रता के विकास में

समानता का विकास भी निहित है।

निष्कर्षतः अंबेडकारवादी स्वतंत्रता की अवधारणा वर्णवादी समाज–व्यवस्था को नष्ट कर समतामूलक समाज के निर्माण से उत्पन्न बंधुत्व का माहौल पैदा करना है क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि सभी मनुष्य नैर्सिक रूप से समान एवं अपार क्षमताओं और संभावनाओं लिए जन्म लेते हैं। उनको आभास होता गया कि पहला, दलितों की मुक्ति मंदिर–प्रवेश में नहीं बल्कि सजगता, शिक्षा एवं स्वाभिमान है। दूसरा, कि दलितों की उन्नति से ही सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आयेगा जो उच्च–शिक्षा के जरिये संभव है। वह मात्र दलितों के ही मुक्तिदाता नहीं थे बल्कि समस्त वंचितों, पीड़ितों, शोषितों के मुक्ति–संघर्ष के नायक भी थे। उनका साध्य था समतामूलक समाज का निर्माण करना व साधन और तकनीक के रूप में था नारा – 'शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो।' अर्थात् 'शिक्षित करो और संगठित करो' तकनीक और साधन 'संघर्ष करना' आंदोलन था। यह आंदोलन जारी है जिसको दलित साहित्य ने और बलवंत और जीवंत बना दिया है।

संदर्भ–ग्रंथ :–

1. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज़, खंड 3, 1987.
2. सुभाष चन्द्र, (सम्पा.) आम्बेडकर से दोस्ती : समता और मुक्ति, साहित्य उपक्रम, दिल्ली – 92, 2007.
3. डी. आर. जाटव, विश्व धर्म और अम्बेडकर, सबलाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2001.
4. मोहन सिंह, डॉ. भीमराव अम्बेदकर : व्यक्तित्व के कुछ पहलू, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद –3, 2006.
5. कृष्णदत्त पालीवाल, डॉ. अम्बेडकर समाज–व्यवस्था और दलित–साहित्य, किताब घर, दिल्ली–2, 2005,
6. Gail Omvedt, Dalit and the Democratic Revolution, Sage Publications, New Delhi, 1996.

Email: bilungsushil@gmail.com
Mob. No. 9430955418.

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 55-60

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर और पत्रकारिता :
बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

लोकेन्द्र सिंह राजपूत
सहायक प्राध्यापक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।

शोध सार :-

भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर ने समाज में व्याप्त जातिभेद, ऊंच–नीच और छुआछूत को समाप्त कर समता और बंधुत्व का भाव लाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। वंचितों, शोषितों एवं महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब अलग–अलग स्तर पर जागरूकता आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि उस समय प्रकाशित समाचार–पत्र दलितों की आवाज को स्थान नहीं दे रहे थे। उनके दुरूख, पीड़ा और उन पर होने वाले अन्याय को उचित एवं प्रभावी ढंग से उस वर्ग द्वारा प्रकाशित समाचार–पत्रों में भी जगह नहीं मिल रही थी। यह बात बाबा साहेब भली प्रकार समझ चुके थे कि दीर्घकाल तक चलने वाली सामाजिक क्रांति की सफलता के लिए एक प्रभावी समाचार–पत्र का होना आवश्यक है। मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पत्रकारिता को अपना साधन बनाने का निश्चय किया और 1920 में 'मूकनायक' के प्रकाशन के साथ बाबा साहेब ने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। बाबा साहेब ने चार समाचार–पत्रों का प्रकाशन किया– मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत। बाबा साहेब की पत्रकारिता में दलित उत्थान के स्वर थे लेकिन किसी अन्य वर्ग के प्रति द्वेष और विरोध का भाव उसमें नहीं था। बाबा साहेब की पत्रकारिता का लक्ष्य सामाजिक समानता का निर्माण और नागरिक अधिकारों के प्रति जन–जागृति लाना था।

मुख्य शब्द :- डॉ. भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब, पत्रकारिता, डॉ. अम्बेडकर और पत्रकारिता।

प्रस्तावना :-

बाबा साहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर का व्यक्तित्व बहुआयामी, व्यापक एवं विस्तृत है। उन्हें हम उच्च कोटि के अर्थशास्त्री, कानूनविद, संविधान निर्माता, ध्येय निष्ठ राजनेता और सामाजिक क्रांति एवं समरसता के अग्रदूत के रूप में जानते हैं। सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष से हम सब परिचित हैं। उनके ध्येय निष्ठ, वैचारिक और आदर्श पत्रकार–संपादक व्यक्तित्व की जानकारी अपेक्षाकृत बहुत कम लोगों को है। बाबा साहेब ने भारतीय पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पत्रकारिता के सामने कुछ लक्ष्य एवं ध्येय प्रस्तुत किए।

पत्रकारिता कैसे वंचित समाज को सामाजिक न्याय दिला सकती है, यह यशस्वी भूमिका बाबा साहेब ने निभाई है। बाबा साहेब ने वर्षों से 'मूक' समाज को अपने समाचारपत्रों के माध्यम से आवाज देकर 'मूकनायक' होने का गौरव अर्जित किया है।

बाबा साहेब ने पत्रकारिता की आवश्यकता और प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा है– "जैसे पंख के बिना पक्षी होता है, वैसे ही समाचार–पत्र के बिना आंदोलन होते हैं"। (सिंह, 2023) सामाजिक समरसता के आंदोलन को आधार देने के लिए उन्होंने 1920 में समाचारपत्र 'मूकनायक' के प्रकाशन के साथ पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत की। मूकनायक से शुरू हुई यह पत्रकारिता 'बहिष्कृत भारत', 'जनता' और 'प्रबुद्ध भारत' तक जाती है। उन्होंने मूकनायक के पहले ही अंक में लिखा– "हमारे इन बहिष्कृत लोगों पर हो रहे तथा भविष्य में होने वाले अन्याय पर उपाय सुझाने हेतु तथा भविष्य में इनकी होने वाली उन्नति के लिए जरूरी मार्गों पर चर्चा हो इसके लिए पत्रिका के अलावा और कोई दूसरी जमीन नहीं है"।

बाबा साहेब की पत्रकारिता का प्राथमिक उद्देश्य अवश्य ही अस्पृश्य समाज की समस्याओं को उठाना और उन्हें समानता का अधिकार दिलाना था लेकिन यदि हम बाबा साहेब की समूची पत्रकारिता से होकर गुजरते हैं, तो हमें ध्यान आता है कि उनकी पत्रकारिता संपूर्ण समाज और मानवता के प्रति समर्पित थी। उनकी पत्रकारिता में मानवीय संवेदनाओं के साथ राष्ट्रीय स्वर भी है। बाबा साहेब अपने समाचारपत्रों के माध्यम से समस्त हिन्दू समाज का प्रबोधन कर रहे थे। समतापूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए अस्पृश्य वर्ग में आत्मविश्वास जगाना आवश्यक था और सवर्ण समाज को आईना दिखाकर उनको यह समझाना कि मनुष्य के साथ भेद करने का कोई तर्क नहीं, सब बराबर हैं। पत्रकारिता को माध्यम बना कर उन्होंने यह कार्य कुशलता एवं प्रभावी तरीके से किया। बाबा साहेब का लेखन आज भी प्रासंगिक है।

शोध उद्देश्य :–

1. एक पत्रकार एवं संपादक के रूप में बाबा साहेब की भूमिका का अध्ययन।
2. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता की विकास यात्रा का विश्लेषण।
3. समाज में वैकल्पिक पत्रकारिता की भूमिका का विश्लेषण।

शोध प्रविधि :–

इस शोध में विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। शोध हेतु द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिसमें पुस्तकें, समाचारपत्र, पत्रिकाएं, शोधपत्र एवं वेबसाइट्स शामिल हैं।

साहित्य समीक्षा :–

रतन लाल (2020) ने अपने लेख 'डॉ. भीमराव आंबेडकर को पत्रकार और संपादक क्यों बनना पड़ा' में बताया है कि समाचार पत्रों की शक्ति को पहचान कर डॉ. अम्बेडकर ने अपने सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन को जन–जन तक पहुँचाने के लिए पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन का निर्णय लिया। अपने समाचारपत्रों के माध्यम से उन्होंने अछूतों के अधिकारों की आवाज उठाई। (लाल, 2020)

रामशंकर पाल ने अपने शोधपत्र 'वैकल्पिक पत्रकारिता, सामाजिक परिवर्तन और डॉ. अम्बेडकर' में बताया है कि अम्बेडकर पत्रकारिता को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन मानते हैं। उनका पत्रकारीय योगदान समाज को दिशा देने और उसकी चेतना को उभारने के लिए प्रयासरत रहा। डॉ. अम्बेडकर की समूची पत्रकारिता को हम वैकल्पिक पत्रकारिता के रूप में देख सकते हैं। (पाल)

विश्लेषणात्मक अध्ययन :–

बाबा साहेब की पत्रकारिता को 'मूकनायक' से प्रारंभ कर 'प्रबुद्ध भारत' तक जाकर समझने की कोशिश करेंगे। समाज को विषमता से समता की ओर ले जाने के डॉ. भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन को शक्ति देने के उद्देश्य से 31 जनवरी, 1920 को 'मूकनायक' का पहला अंक प्रकाशित हुआ। "जाने–अनजाने डॉ. बाबा साहेब ने इसी दिन से दीन–दलित, शोषित और हजारों वर्षों से उपेक्षित मूक जनता के नायकत्व को स्वीकार किया।" (रणसुभे, 2017) मूकनायक के प्रकाशन के समय बाबा साहेब की आयु मात्र 29 वर्ष थी। वे तीन वर्ष पूर्व ही यानी 1917 में अमेरिका से उच्च शिक्षा ग्रहण कर लौटे थे। उन्होंने 'मूकनायक' का प्रकाशन वर्षों के शोषण और हीनभावना की ग्रंथि से ग्रसित दलित समाज के आत्म–गौरव को जगाने के लिए किया था। इसलिए उन्होंने अपना समाचारपत्र अंग्रेजी में नहीं, अपितु मराठी भाषा में प्रकाशित किया।

मूकनायक के प्रकाशन एवं संपादन की संपूर्ण जिम्मेदारी बाबा साहेब के कंधों पर थी, किंतु वे इसके घोषित संपादक नहीं थे। उन दिनों बाबा साहेब सिडनेहॅम कॉलेज, मुंबई में प्राध्यापक थे। शासकीय सेवा में होने के कारण वे मूकनायक के संपादक नहीं हो सकते थे। उन्होंने दलित समाज के ही पढ़े–लिखे युवक पांडुरंग नंदराम भटकर को घोषित संपादक बनाया। समाचार–पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री का चयन एवं संपादन बाबा साहेब स्वयं करते थे। मूकनायक में बाबा साहेब ने भी 14 आलेख लिखे। पहले ही अंक में उन्होंने लिखा– "हमारे इन बहिष्कृत लोगों पर हो रहे तथा भविष्य में होने वाले अन्याय पर उपाय सुझाने हेतु तथा भविष्य में इनकी होने वाली उन्नति के लिए जरूरी मार्गों पर चर्चा हो इसके लिए पत्रिका के अलावा और कोई दूसरी जमीन नहीं है"। इसी तरह पत्रकारिता के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए डॉ. अंबेडकर ने लिखा है– "सारी जातियों का कल्याण हो सके, ऐसी सर्वसमावेशक भूमिका समाचार–पत्रों को लेनी चाहिए। यदि वे यह भूमिका नहीं लेते हैं, तो सबका अहित होगा" (सिंह, 2023)। बाबा साहेब ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि भावी उन्नति एवं उसके मार्गों के वास्तविक स्वरूपों की चर्चा होने के लिए समाचार–पत्र जितना महत्व अन्य किसी का नहीं है। यानी समाचार–पत्र समाज की उन्नति के मूल में हैं।

आज संविधान से हमें जो नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, उसकी एक भूमिका 1920 में ही मूकनायक के तीसरे अंक में बाबासाहेब ने रख दी थी। 'यह स्वराज्य नहीं, हम पर राज्य है' शीर्षक से लंबे आलेख में उन्होंने लिखा– किसी भी व्यक्ति को हम तभी नागरिक कह सकते हैं, जब उसे न्यूनतम अधिकार प्राप्त हों। ये अधिकार हैं– (1) व्यक्तिगत स्वातंर्त्य, (2) व्यक्तिगत सुरक्षितता, (3) व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार, (4) कानून की दृष्टि में समानता, (5) सद्बुद्धि के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, (6) भाषण स्वातंर्त्य, मत स्वातंर्त्य, (7) सभा लेने

का अधिकार, (8) देश के राज कारोबार हेतु प्रतिनिधि भिजवा देने का अधिकार एवं (9) सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार। स्पष्ट है कि बाबा साहेब प्रत्येक नागरिक के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। मूकनायक में सामाजिक–राजनैतिक विमर्श को दिशा देने वाली सामग्री के साथ ही ऐसे समाचार भी प्रकाशित होते थे, जिनका संबंध बहुजन समाज के हित से होता था। समसामयिक घटनाओं को लेकर प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती थीं। मूकनायक ने न केवल दलित वर्ग में स्वतंत्र चेतना का संचार किया, बल्कि अमानवीय व्यवहार के प्रति सवर्ण समाज का ध्यान भी आकर्षित किया। आर्थिक अभाव में यह समाचारपत्र बंद हो गया।

बाबा साहेब ने 20 मार्च, 1927 को महाड़ के चवदार तालाब का सत्याग्रह किया। समाचारपत्रों में सत्याग्रह के समर्थन और विरोध में समाचार प्रकाशित होने लगे। विरोध में प्रकाशित समाचार अतार्किक थे। बाबा साहेब उनका उत्तर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 3 अप्रैल, 1927 को अपने दूसरे साप्ताहिक 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। इस समाचारपत्र में चवदार तालाब सत्याग्रह के संबंध में भरपूर लेखन किया गया। 'बहिष्कृत भारत' को बाबा साहेब के आंदोलन का मुखपत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। 'बहिष्कृत भारत' को प्रकाशित करने का जब निर्णय हुआ, तब डॉ. अंबेडकर ने सब प्रकार से परिश्रम किया। समाचारपत्र के दीर्घकाल तक संचालन के लिए आर्थिक पक्ष की चिंता भी की और पाठकों के बौद्धिक हेतु श्रेष्ठ सामग्री की योजना भी बनाई। उन्होंने आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए 'बहिष्कृत फंड' में दान देने हेतु लोगों से आह्वान किया। किंतु, इसमें उन्हें वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक वर्ष में ही इस समाचार–पत्र पर 500 रुपये का कर्ज हो गया। बाबा साहेब के लिए अर्थाभाव में बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कठिन होने लगा था। अंततः 15 नवंबर, 1929 को बहिष्कृत भारत का अंतिम अंक पाठकों के हाथ में पहुँचा। इस समाचार पत्र के बंद होने पर भी बाबा साहेब ने दुरूख व्यक्त किया और अंतिम अंक में 'बहिष्कृत भारताचे ऋण हे लौकिक ऋण नव्हे काय?' अर्थात 'बहिष्कृत भारत का ऋण लौकिक ऋण नहीं है क्या?' शीर्षक से लंबा लेख लिखा। (रणसुभे, 2017) यह समाचारपत्र भी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। अपने इस पत्र के माध्यम से बाबा साहेब ने दलित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के विचार प्रस्तुत किए। यह पत्र अपनी स्पष्टवादिता और तेजतर्रार लेखन के लिए प्रसिद्ध रहा। बाबा साहेब जाति–भेद समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह के पक्षधर थे। वे अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों की सूचना बहिष्कृत भारत में न केवल प्रकाशित करते, बल्कि उनका अभिनंदन भी करते थे।

बाबा साहेब ने अपना तीसरा पत्र 24 नवंबर, 1930 को 'जनता' के नाम से प्रकाशित किया। यह पत्र लंबे समय तक प्रकाशित होता रहा। बाद में इसी समाचारपत्र का नाम बदलकर 'प्रबुद्ध भारत' रख दिया गया। जनता के संपादक बाबा साहेब नहीं थे। हालाँकि, समाचार–पत्र के मत्थे पर यह प्रकाशित किया जाता था कि डॉ. भीमराव अंबेडकर एमए, पीएचडी, डीएससी, बार एट लॉ के नेतृत्व में निकलने वाला जनहित प्रवर्तक पाक्षिक पत्र 'जनता' है। 'जनता' शीर्षक के नीचे अंग्रेजी में 'द पीपुल' लिखा जाता था। कुछ अंकों के बाद मुखपृष्ठ पर शीर्षक

के नीचे यह घोष वाक्य लिखा जाने लगा कि– 'गुलामों को उसकी गुलामी का अहसास करा दो तो वह विद्रोह करेगा।' जनता के संपादक के रूप में जन्म से ब्राह्मण देवराव विष्णु नाईक की नियुक्ति की गई। नाईक भी समाज से भेद–भाव और छुआछूत को समाप्त करने के लिए आंदोलन में सक्रिय थे। पाठकों की माँग रहती थी कि डॉ. अंबेडकर 'जनता' के लिए नियमित लिखें। लेकिन, बाबा साहेब की व्यस्तता बढ़ने के कारण यह संभव नहीं हो पाता। इस बीच बाबा साहेब को एक बार फिर अध्ययन हेतु इंग्लैंड जाना पड़ गया। लेकिन, इस बार समाचारपत्र पर कोई संकट नहीं आया। समाज के प्रबोधन के लिए समाचारपत्र का क्या महत्व है, इसको समझाने के लिए बाबा साहब ने लंदन से ही 'जनता' के पाठकों के लिए पत्र लिखादृ "अपने स्वावलंबन तथा भविष्य के राजनीतिक अधिकारों के लिए इस पत्रिका को बनाए रखना, इसे समृद्ध और संपन्न बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आज भले ही 'जनता' पत्र का महत्व आप समझ नहीं पा रहे हो, तो भी उसका सही अहसास निकट भविष्य में होगा" (पानतावणे, 1987)।

अपवाद छोड़ दें तो 'जनता' साप्ताहित निरंतर एवं अखंड रूप से 25 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। जनता में बाबा साहेब ने विविधतापूर्ण लेखन किया है। लंदन से लिखे गए पाठकों के नाम पत्र तो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं ही, अन्य लेख एवं प्रकाशित भाषण भी महत्वपूर्ण हैं। बाबा साहेब के जो सात महत्वपूर्ण भाषण हैं, उन्हें भी जनता में प्रकाशित किया गया था। दलितों के प्रति सवर्णों के अमानवीय व्यवहार को लेकर डॉ. अंबेडकर ने बहुत ही कठोर भाषा में लिखा है। लेकिन, उनके तर्कों को काटने में सक्षम तर्क किसी और के पास नहीं थे। बाबा साहेब ने अपने इन सभी लेखों में भाषा की मर्यादा पर पूर्ण ध्यान दिया है। उनके लेखन की भाषा असंतुलित कभी नहीं हुई। वे किसी के विरोध में अपनी लेखनी नहीं चला रहे थे, बल्कि विशुद्ध रूप से मानवता के हित में अपने पत्रकारीय और लेखकीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या वैर नहीं था। अपने विरोधी विचार के प्रति भी बाबा साहेब का हृदय कितना विशाल है, उसे एक घटना के माध्यम से भली प्रकार समझा जा सकता है। हैदराबाद रियासत के एक दलित युवक ने बाबा साहेब का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वे सिर्फ एक जाति (महार) के नेता हैं और उस जाति के लोग अन्य दलित जातियों के प्रति शत्रुवत व्यवहार करते हैं। वह चाहते तो इस पत्र का व्यक्तिगत उत्तर दे सकते थे या फिर नजरअंदाज कर सकते थे। किंतु, बाबा साहेब ने उस युवक के पत्र को 'जनता' में 14 जून, 1941 में प्रकाशित किया। इस पत्र का विस्तृत उत्तर भी उन्होंने इसी अंक में लिखा। अपने विरोधी के पत्रों को, जिसमें उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें अपने पाठकों तक सार्वजनिक रूप से पहुँचाने का साहस कोई विरला एवं विशाल हृदय का व्यक्ति ही कर सकता है।

'जनता' पत्र का नाम 4 फरवरी, 1956 को बदल दिया गया। अब यह 'प्रबुद्ध भारत' नाम से निकलने लगा। इसे अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का मुखपत्र घोषित कर दिया गया। अपने देहावसान तक, अर्थात 6 दिसंबर, 1956 तक 'प्रबुद्ध भारत' को नियमित प्रकाशित होते हुए बाबा साहेब ने देखा। इसके कुछ अंकों में उन्होंने लेखन भी किया। सन् 1961 में यह समाचार पत्र बंद हो गया।

निष्कर्ष :–

'मूकनायक' से लेकर 'प्रबुद्ध भारत' तक बाबा साहेब की पत्रकारिता की यात्रा एक संकल्प को सिद्ध करने का वैचारिक आग्रह है। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने दलितों एवं सवर्णों के मध्य बनी भेद–भाव, ऊंच–नीच और सामाजिक विषमता की खाई को पाटने का काम किया। उनकी पत्रकारिता में संपूर्ण समाज के लिए प्रबोधन है, उसे केवल दलित पत्रकारिता का सीमित कर देना अन्यायपूर्ण होगा। उनकी इस पत्रकारीय यात्रा में अनेक सवर्ण साथी उनके सहयात्री बने। उन्होंने समाचार–पत्रों का बाबा साहेब की भावना के अनुरूप संपादन किया। समाचार पत्रों को माध्यम बनाकर डॉ. अम्बेडकर ने अपने सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन को जन–जन तक पहुँचाने का कार्य किया। उस समय की मुख्यधारा की पत्रकारिता के सामने उन्होंने एक उद्देश्य को लेकर अपने स्तर पर समाचार पत्र प्रकाशित कर वैकल्पिक पत्रकारिता की एक धारा को प्रवाहित किया और वैकल्पिक पत्रकारिता के महत्व, प्रभाव एवं उसकी आवश्यकता को भी समाज के सामने रखने का कार्य भी बाबा साहेब ने किया।

संदर्भ :–

1. पानतावणे, ड. ग. (1987). पत्रकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रतिमा प्रकाशन।
2. पाल, र. (द.क.). वैकल्पिक पत्रकारिता, सामाजिक परिवर्तन और डॉ. अम्बेडकर। https://www.academia.edu/.
3. रणसुभे, स. (2017). पत्रकारिता के युग निर्माता : भीमराव आंबेडकर, नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन।
4. लाल, र. (2020, 04 13). मत–विमत. Retrieved from द प्रिंट : https://hindi.theprint.in/opinion/why&did&dr&br&ambedkar&to&become&a&journalist&and&editor/129596/
5. सिंह, ल. (2023). आंबेडकर विचार और पत्रकारिता, अहमदाबाद : पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट।

ई–मेल : lokendra777@gmail.com

मोबाइल फोन 9893072930

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 61-69

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक विचार

नन्दलाल भारती

15–एम वीणा नगर, कवि, लेखक एवं उपन्यासकार, इंदौर, मध्य प्रदेश–452010

सर्वविदित है कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल,1891 को महू छावनी, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, यह वक्त राजनैतिक दृष्टि से उथल–पुथल का समय था। रियासतें धीरे–धीरे समाप्त हो रही थी, रजवाड़े बिखर रहे थे परन्तु ब्रिटिश का साम्राज्य और विस्तार ले रहा था। अछूत कही जानी वाली जातियों के लिये मुश्किल का दौर था। अछूत जातियां कहने को तो हिन्दू मानी जाती थी पर हिन्दूओं के बीच उनकी कोई औकात नहीं थी। उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। कुछ मामले में तो कुत्ते बिल्ली अछूतों से अच्छे थे। कुत्ते–बिल्ली के जूठन से परहेज नहीं था परन्तु अछूत कही जाने वाली जातियों की परछाई तक से परहेज था। उनके चलने के निशान मिटाने के लिये कमर में झाड़ू बाधना होता था। रास्ते पर थूकने से रोकने के लिये गले में हांड़ी लटकाने तक को विवश किया जाता था। मंदिर में प्रवेश वर्जित था। सार्वजनिक तालाब–कुओं से पानी तक लेना प्रतिबंधित था। धर्माचार्य–शंकराचार्य और धर्म ग्रंथ तक अछूतों के खिलाफ थे खैर आज भी है।

बाबा साहब इन्हीं सामाजिक बुराईयों को मिटाकर अछूतों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये आजीवन संघर्षरत रहे। बाबा साहब हिन्दू धर्म द्वारा स्थापित शूद्र विरोधी व्यवस्था से असहमत थे। बाबा साहब समतावादी विचारधारा में विश्वास करते थे। वे सर्व–धर्म समभाव पर आधारित समाज की स्थापना के पक्षधर जो हिन्दू कट्टर पंथियों को मान्य न था। बाबा साहब अस्पृश्यता का उन्मूलन कर अस्पृश्य समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास की राह सुगम करने के लिये संघर्षरत थे। बाबा साहब हिन्दूवादी धार्मिक ढांचे में सुधार के पक्षधर थे जिससे अस्पृश्यता के शिकार दलित समाज को समानता का अधिकार प्राप्त हो सके।

बाबा साहेब अम्बेडकर हिन्दू धर्म और हिन्दू धर्म ग्रंथों को ही दलितों के बहिष्कृतीकरण का कारण मानते थे, सच भी यही है। बाबा साहब राष्ट्र को सर्वोपरि मानते थे। बाबा साहब कहते थे मैं पहले भी भारतवासी हूं और बाद में भी परन्तु गांधी जी खुद को पहले हिन्दू और बाद में भारतवासी मानते थे। गांधी जी की इस मान्यता को देखते हुए गांधी से सामाजिक समानता की उम्मीद न के बराबर थी। गांधी जी का अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन उनका मानसिक संघर्ष और चिन्तन–मनन दिखावा था। अस्पृश्य समाज की पूरी उम्मीद बाबा साहब के ऊपर टिकी थी। बाबा साहब का मानना था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन जाति व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है और जाति व्यवस्था धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिये अस्पृश्यता का उन्मूलन आवश्यक है। सामाजिक ढांचे में सुधार बाबा साहब की प्राथमिकता थी। बाबा साहब का मानना था कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य अस्पृश्यता उन्मूलन के बाद सुलझाये जा सकते है।

बाबा साहब सामाजिक सुधार को प्रमुखता से उठाते थे। उन्हें यकीन था कि आर्थिक समस्याओं के समाधान से सामाजिक समस्याओं का समधान हो सकता है जबकि जातिवादी अस्पृश्यों के लिये दासता की जंजीर था। इसलिये सभी बुराईयों की जड़ जातिवाद का उन्मूलन बाबा साहब की दृष्टि में प्रमुख था। जातिवाद के उन्मूलन के बिना सामाजिक समानता सिर्फ कोरा सपना था। समाज में बदलाव के लिये बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर लगाम जरूरी थी। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं था, बाबा साहब इसमें भी परिवर्तन के पक्षधर थे ।वे चाहते थे कि महिलाओं को भी पुरूषों के समान अधिकार मिले। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार के पक्षधर थे और वे इसके लिये भी संघर्षरत थे। बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को सम्पति में हिस्सा मिले। हिन्दू कोड बिल जो बाबा साहब ने तैयार किया था उसमें भी इसका उल्लेख था। बाबा साहब के सामाजिक विचार क्रान्तिकारी थे, बाबा साहब ने अस्पृश्यों को संगठित करते–करते समय अस्पृश्य महिलाओं को आगे आने के लिये उत्प्रेरित किया था और अस्पृश्य महिलाओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा भी लिया था।

4 अक्टूबर 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिये वायसराय आफ इंडिया नामक जहाज से बम्बई से रवाना हुए थे। बाबा साहब 18 अक्टूबर को लन्दन पहुंचे। वहां पहुंचने के पश्चात महानायक ने सबसे पहला कार्य अल्पमत समिति को एक स्मरण–पत्र प्रस्तुत का काम किया। उसमें दलित वर्गो की सुरक्षा का विवरण था। आठ–दस दिनों में ही वे उन्होने सर फिलिपचेट वुड से मुलाकात की। हिन्दुस्तानी सेना के प्रमुख सेनापति के पद पर उनकी हाल में ही नियुक्ति हुई थी। हिन्दुस्तानी फौज में किस तरह अस्पृश्यों की भर्ती करना संभव हो सकेगा, इस बारे में उनसे चर्चा हुई। इसके अलावा वे भारतीय मामलों के मन्त्री, उपमंत्री मजदूर नेता मि. लांसबेरी से भी मिले। उन सब से चर्चा करते समय उन्होंने अपनी पहली मुलाकात में ही अस्पृश्यों के प्रति उनकी सहानुभूति जीतने में सफलता पायी। मजदूर ने तालां सबेरी ने उन्हें भोजन पर आमन्त्रित किया। अस्पृश्यों के राजकीय अधिकारों की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने हेतु जो प्रयास था, वह प्रशंसनीय रहा। 12 अक्टूबर को 1930 का तत्कालीन सम्राट जार्ज पंचम ने गोलमेज परिषद का उद्घाटन किया और अध्यक्षता बर्तानिया के प्रधानमन्त्री रैम्जे मैक डोनाल्ड ने की। यह पहला अवसर था जब दलित समाज से दो प्रतिनिधि आमन्त्रित किये गये थे। हिन्दुओं ने तो उनके अस्तित्व को ही स्वीकार न किया था और न उनकी अस्मिता को। भारत के संविधान बनाने में न की राय ली जाये, ऐसा ब्रिटिश न्यायविद्वों का मानना था, लेकिन उस समय कौन जानता था कि एक दिन बाबा साहब ही भारतीय संविधान बनाने में सर्वे सर्वा होगें। परिषद की सामान्य सभा में 17 से 21 नवम्बर तक सप्रू, जयकर, डॉ. मुंजे, बैरिस्टर जिन्ना, बीकानेर नरेश तथा डॉ. आम्बेडकर के भाषण प्रभावशाली सिद्ध हुए।

डॉ. आम्बेडकर ने अपने भाषण में अस्पृश्यों की दृष्टि से स्वराज किस भांति आवश्यक है, इस पर विशेष जोर दिया। उन्हें समझाया कि किस तरह अंग्रेजों ने अस्पृश्यों के साथ विश्वासघात किया है। अन्य विचारणीय विषयों पर भी इतने प्रभावशाली ढंग से प्रकाश डाला कि ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री पर उसका गहरा असर हुआ। वहां के इंडियन मेल अखबार में डॉ. आम्बेडकर के भाषण के बारे में लिखा था– यह भाषण परिषद में दिये गये भाषणों में सर्वोत्तम भाषण का एक उदाहरण है। स्पेक्टेटर अखबार ने डॉ. आम्बेडकर को भारत के राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचाना। यह अंश मैंने ऐतिहासिक उपन्यास महाननायक बाबा साहब डॉ. आम्बेडकर, लेखक मोहनदास नैमिशराय से लिया है। बाबा साहब के ये क्रान्तिकारी सामाजिक विचार अस्पृश्यों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं

सामाजिक विकास की दृष्टि से मील के पत्थर साबित हुए। आज अस्पृश्यों का जो विकास प्रगति पर है वह बाबा साहब के सामाजिक विचारों की देन है, यह बाबा साहब के सामाजिक विचारों की विजय है।

बाबा साहब अस्पृश्यता के सख्त विरोधी थे खैर क्यों न होवे भी इस जातिवादी तेजाब के दरिया के दर्द के भुक्त भोगी थे। जैसा कि हम सभी जानते है जाति प्रथा हिन्दू वर्ण व्यवस्था का घिनौना रूप है। यह व्यवस्था अस्पृश्य समाज को कुत्ते बिल्ली से नीचले स्तर का समझती है। पशुओं के मूत्रपान से कोई परहेज नहीं है पर अस्पृश्य लोगों की परछाईं से परहेज था। अमानवीय व्यवस्था से बाबा साहब बेचैन रहते थे। इस व्यवस्था की ही वजह से बड़ौदा दफतर में उच्च वर्णिक कर्मचारियों ने बाबा साहब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, फाइलें फेंककर देते थे। अन्ततः बाबा साहब को इस नौकरी को त्यागना पड़ा था। बाबा साहब का कलेजा जातिवाद के नस्तर से झलनी हो गया था। हिन्दू वर्ण व्यवस्था की जटिलता से अस्पृश्य समाज के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहे थे जिसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। बाबा साहब ने इस जटिल समस्या के खिलाफ शंखनाद कर दिया। बाबा साहब के क्रान्तिकारी सामाजिक विचारों की ही देन है कि आधुनिक युग में दलित समाज सिर उठाकर चल रहा है। हालांकि समस्यायें पूरी तरह खत्म नही हुई इसके बाद भी दलित समाज अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहा है जो बाबा साहब के शूलों भरी राह पर चलने का प्रतिफल है।

बाबा साहब जाति प्रथा को वर्ण व्यवस्था का घृणित रूप मानते थे, जोसच भी है। इस व्यवस्था के घृणित रूप के कुप्रभाव ने आदमी को अछूत के श्रेणी में लाकर चौथे वर्ण में पटक दिया था जिसे शूद्र, अस्पृश्य/अछूत कहा। इस घृणित जातिवादी व्यवस्था को बाबा साहब समूल उखाड़ फेंकना चाहते थे, जो अछूत वर्ग के जिन्दगी के लिये नया सूर्योदय था। आज जो अश्पृश्यों का स्थिति है वह बाबा साहब के क्रान्तिकारी सामाजिक विचार का ही परिणाम है। बाबा साहब के अथक आन्दोलनों के वजह से अब अस्पृश्य वर्ग अछूत जाति विशेष से नहीं अपने काम से भी पहचाने जाने लगे है। इसके पूर्व सवर्णो के चौखट पार करने के बाद जैसे ही दलित बाहर निकलता था पानी के छींटे मारकर पवित्र किये जाते थे। यह तथाकथित सभ्य सवर्ण लोगों की असभ्य रीति थी पर आज इसके विपरीत होने लगा है। सवर्ण लोग दलितों के दरवाजे पर आने लगे है, भले ही कम है पर खानपान–जलपान तक करने लगे है। इतना ही नहीं अब तो रोटी और बेटी के रिश्ते भी होने लगे है हां गति बहुत मंद है परन्तु आगाज तो हो चुका है, इसका असली नायक कौन है.......बाबा साहब अम्बेडकर दूसरा कोई नहीं। इसके लिये बाबा साहब को कितना दर्द झेलना पड़ा सुनकर दिल दहल जाता है पर बाबा साहब ने तेजाब के दरिया को पार किया। अश्पृस्य वर्ग को सम्मान से जीने और तरक्की के रास्ते को सुगम बना दिया। यह कमाल महात्मा गांधी ने नहीं बाबा साहब ने किया गांधी जी तो वर्ण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करना चाहते थे। बाबा साहब ने वह कर दिखाया अश्पृस्य समाज को समानता का अधिकार दिला दिया। बाबा साहब ने जाति प्रथा का जोरदार विरोध निम्न आधारों को केन्द्र बिदु में रखकर किया।

1. वर्ण व्यवस्था/जाति प्रथा अश्पृस्य वर्ग के लोगों के गुणों एवं प्रतिभाओं का उपेक्षा करती है।
2. जाति प्रथा अर्न्तजातीय वैवाहिक सम्बन्धों का बहिष्कार करती है।
3. जाति प्रथा विभिन्न जातियों में द्वेष, तनाव और नफरत पैदा करती है।
4. जाति प्रथा प्रजातन्त्र की विरोधी है।
5. जाति प्रथा आदमी को ऊंच–नीच में बांटती है, और अश्पृश्य वर्ग के साथ मानवता के व्यवहार को बढावा

नहीं देती है और भी बहुत से कारण थे। बाबा साहब ने जाति प्रथा को मानवता–समता का विरोधी माना।

इन्हीं कारणों के आधार पर बाबा साहब ने जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया। यह काम आसान तो कतई नहीं था, जोखिम भरा काम था। विद्ववता और अश्पृस्य समाज के उद्धार के प्रति समर्पित बाबा साहब ने पत्थर पर दूब नहीं सुगन्धित फूल उगाकर दुनिया के सामने मिशाल कायम कर दिया जिस पर आज पूरी कायनात गौरवान्वित है। बाबा साहब यहीं नहीं रूके उन्होंने पाखण्डवाद/पुरोहितवाद का भी विरोध किया। पाखण्डवाद की जननी मनुस्मृति तक का विरोध बाबा साहब ने किया। मनुस्मृति का दहन पुरोहितवाद का जोरदार विरोध किया। जैसा कि जग जान चुका है बाबा साहब वर्ण व्यवस्था का पुरजोर विरोध करते थे, ऐसी अमानवीय व्यवस्था का विरोध होना भी चाहिये पर किसी ने नहीं किया, न मुगल शासकों ने किया न अंग्रेजी शासन ने। सदियों पुरानी इस जाति प्रथा अथवा अमानवीय प्रथा को पोषण मिलता रहा था। बाबा साहब के क्रान्तिकारी सामाजिक विचारों ने इस जाति प्रथा के खिलाफ शोले सुलगा दिया, जिसे ज्वालामुखी बनने में देर न लगी। बाबा साहेब सामाजिक समानता और न्याय के लिये संघर्षरत थे। वे हिन्दू समाज में बुनियादी स्तर पर बदलाव चाहते थे जिससे दमित/दलित वर्ग को सम्मान से जीने का अधिकार मिले। हिन्दू धर्म की रूढ़िवादिता एंव छुआछूत की परम्पराओं से उपजे अमानुशतावाद से दलितों को बाबा साहब मुक्त कराना चाहते थे। पुरोहितवाद के विरूद्ध बाबा साहब के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे पर हठी वर्ग मानने को तैयार न था। यह हठी वर्ग मानवतावादी बाबा साहब को जैसे अपना दुश्मन मानने लगा था। बाबा साहब के पुरोहितवाद के विरोध में दिये गए सुझावों पर बात की जाये तो उनमें से कुछ निम्न सुझाव थे।

– बाबा साहब का सुझाव था कि हिन्दू धर्म का प्रामाणिक ग्रंथ होना चाहिये, जो सभी हिन्दू अनुयाइयों को मान्य हो, जैसा कि इसाई बाइबिल को मानते हैं, मुसलमान कुरान को मानते हैं, सिक्ख गुरू ग्रंथ को मानते है, ऐसे ही धर्म ग्रथ के पक्षधर थे।

– बाबा साहब का यह भी सुझाव था कि हिन्दुओं में पुरोहितावाद को समाप्त कर देना चाहिये, यदि यह पुरोहितवाद इतना ही जरूरी हो तो पैतृक आधार को त्यागकर सभी को समान अधिकार दिया जाना चाहिये अथवा जो भी हिन्दू धर्मावलम्बी पुरोहित बनना चाहे उसे पुरोहित बनने का अधिकार होना चाहिये।

– बाबा साहब का यह भी मानना था प्रत्येक पुरोहित के पास राज्य द्वारा मान्य धार्मिक कार्यक्रमों तथा उत्सवों को सम्पन्न कराने की सनद होनी चाहिये। बाबा साहब का यह सुझाव अच्छे पुरोहित को बढावा देने का बेहतरीन उपाय था जबकि हो यह रहा था आज भी अक्सर हो रहा है कि पुरोहित के घर में पैदा हो गये तो उनको पुरोहित बनने का लाइसेंस मिल गया, भले ही अनपढ़ हो। पुरोहितवाद का हठधर्मिता आज भी बेखौफ जारी है। सरकारें भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नतीजन वही घिसा पिटा पुरोहितवाद फल फूल रहा है।

– पुरोहित गीरी सबके लिये खुला हो और यह पुरोहित एक प्रकार से सरकारी मुलाजिम हो।

– पुरोहित गीरी का आधार वंशवाद न हो। पुरोहित की संख्या लोगों की जरूरतों के मुताबिक निर्धारित हो।

बाबा साहब के कितने उत्तम विचार थे और बाबा साहब का व्यक्तित्व कितना दूर–दृष्टिवान था और बाबा साहब के कितनी नेक–नियति के व्यक्तित्व के धनी थे। बाबा साहब का माना था कि वर्ण व्यवस्था में कठोरता लाने का कार्य मनुस्मृति ने किया है। मनुस्मृति के कारण दलित वर्ग को सामाजिक असमानता एवं सामाजिक हीनता का दुख भोगना पड़ रहा है। बाबा साहब मनुस्मृति को भेदभाव और अन्याय की जड़ मानते

थे। मनुस्मृति के विषमतावादी व्यवस्थाओं के कारण ही दलित/अछूत वर्ग का सामाजिक, शामिक, आर्थिक पतन और शोषण हो रहा। इसी कारण से बाबा साहब ने मनुस्मृति का पुरजोर विरोध किया और आखिरकार दहन भी।

गांधी जी द्वारा अस्पृश्यों को दिये गये हरिजन नाम से भी बाबा साहब को एतराज था। इसके गांधी जी का तर्क था कि अस्पृश्यों को हरिजन से उद्‌बोधित करने से अस्पृश्यों के अन्दर व्याप्त कुण्ठा और आत्म ग्लानि दूर होगी और वे अपने को हीन नहीं समझेगें। इसके विपरीत अस्पृश्यों और स्पृश्यों में दीवार खड़ी हो गयी। अस्पृश्यों को भी अपने हित–अनहित को पहचनाने की शक्ति थी आज भी है। अस्पृश्यों को सोचने में आ रहा था कि अगर अश्पृस्य हरिजन अर्थात् भगवान के आदमी है तो बाकी लोग किसके और कौन है? इस हरिजन शब्द का बाबा साहब ने विरोध किया। बाबा साहब हरिजन शब्द को गांधी जी की राजनीतिक चाल मानते थे। बाबा साहब का मानना था हरिजन अछूत वर्ग के लोग ही होगे तब तो हम अस्पृश्य ही रहेंगे। गांधी जी द्वारा दिये गये अछूत वर्ग के हरिजन के मकड़जाल में उलझा रहेगा और उसकी स्थिति यथावत् रहेगी। ऐसी स्थिति में अछूत वर्ग को सामाजिक समानता और प्रतिष्ठा कैसे मिल सकती है। हरिजन नाम की तह और मन्तव्य को समझते हुए बाबा साहब ने हरिजन शब्द का पुरजोर विरोध किया। आज भी हरिजन शब्द समाज में जीवित है यदा कदा सुनने को मिल जाता है। अछूतों के सम्मान और अधिकार के लिये बाबा साहब ने हर तरह से संघर्ष किया। बाबा साहब अपने क्रान्तिकारी सामाजिक विचारों की वजह से आज भी हमारे दिलों में बसते हैं उनके कहे शब्द आज की पीढ़ी के कानों में भी गूंजते हैं।

बाबा साहब का मानना था कि अस्पृश्यता हिन्दू समाज की दासता का द्योतक है। बाबा साहब चिन्ता ग्रस्त रहते थे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कैसे हो? अस्पृश्य समाज को सम्मान कैसे मिले? बाबा साहब का मानना था कि जाति के आधार पर कुछ सार्थक सृजित होने की सम्भावना नजर नही आती है, इसलिये बाबा साहब जाति विहीन समाज की स्थापना के पक्षधर थे। बाबा साहब का मानना था कि अर्न्तजातीय विवाह, जातीय व्यवस्था की चूले हिला सकता है। एक डर यह भी था कि जब तक लोगों के अन्दर जातीय अभिमान रहेगा तब तक अपने जाति के बाहर विवाह करने को तैयार नहीं होंगे। भेदभाव कुलाचे मारता रहेगा। बाबा साहब छुआछूत को हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के लिये कलंक मानते थे। बाबा साहब ने जातिवाद को खत्म करने के कुछ ठोस उपाय भी सुझाये थे। परिवर्तन के लिये जरूरी है कि लोगों को धर्म ग्रंथो की पकड़ और परम्पराओं से मुक्त कराया जाये। प्रत्येक हिन्दू शास्त्रों और वेदों का दास है। जाति का उन्मूलन इन धर्मग्रंथों की महिमा के समाप्त किये जाने पर आधारित है। जब तक धर्म ग्रंथ का प्रभाव हिन्दुओं पर हावी रहेगा तब तक वे अपनी अर्न्तआत्मा के अनुसार कार्य करने को स्वतन्त्र नहीं होगे। वंशानुगतपद सोपान में अन्यायपूर्ण सिद्धान्तों को त्यागकर समानता, स्वतन्त्रता एवं भातृत्व भाव के सिद्धान्त को अपनाकर अस्पृश्यता का उन्मूलन सम्भव है। समानता, स्वतन्त्रता और भातृत्व भाव किसी भी धर्म की आधारशिला हो सकते है। अस्पृश्यता उन्मूलन की दृष्टि से बाबा साहब के सामाजिक विचार सर्वोत्तम थे। बाबा साहब के सामाजिक विचारों की वजह से जातिवाद की जड़ों पर प्रहार हुआ और आज दलित सम्मान से विकास के पथ पर अग्रसर है। हालांकि अस्पृश्यता का पूरी तरह उन्मूलन तो नहीं हुआ है पर बहुत कुछ बदल चुका है। यह सब बाबा साहब के सामाजिक विचारों की वजह से सम्भव हो पाया है। विश्वास है निकट भविष्य में अस्पृश्यता का नामोंनिशान नहीं रहेंगा बशर्ते दलित समाज बाबा साहब के विचारों को फलीभूत करने के लिये कमर कस ले तो अस्पृश्यता का पूर्णतः उन्मूलन सम्भव है।

शिक्षा की दृष्टि से बाबा साहब के सामाजिक विचार क्रान्तिकारी सिद्ध हुए, जिस समुदाय के लोगों के लिये स्कूल की चौखट चढना वर्जित था। वही समाज शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह सब बाबा साहब की वजह से सम्भव हो पाया है। बाबा साहब का उपकार है, वे दर्द को झेलते हुए भी हमें बराबरी का हक दिलाने में कामयाब रहे। बाबा साहब न होते तो मैं भी उच्च शिक्षित न होता। वजीफा ने मेरी पढ़ाई में बहुत मददगार साबित हुआ। वजीफा का प्रावधान बाबा साहब के संघर्षो का ही परिणाम रहा। वजीफा की वजह से मैने बी.ए. तक की शिक्षा प्राप्त किया। नौकरी–धंधा करते हुए उच्च शिक्षा भी हासिल कर लिया। यह सब सम्भव हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संघर्ष और आन्दोलनों की वजह से। जैसा कि बाबा को विश्वास था शिक्षा अस्पृश्यों के सुधार में अहम भूमिका निभा सकेगी। बाबा साहब का विश्वास फलीभूत हो चुका है।

बाबा साहब सदैव अस्पृश्यों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित किया। शिक्षित होकर अस्पृश्य अपने आत्म सम्मान के प्रति जागरूक भी बन सकेगे। अस्पृश्य शिक्षित होकर प्रगतिशील बनेगे, इससे अस्पृश्य समाज का सामाजिक, आर्थिक विकास होगा और वे अपने राजनीतिक हितों के प्रति सचेत होगे। शिक्षा शेरनी का दूध है जो पीता है गुर्राता है अर्थात अपने हितों की रक्षा कर सकता है। उक्त को देखते हुए अस्पृश्य समाज शिक्षा को हथियार बनाकर चहुंमुखी विकास सुनिश्चित कर सकता है। अशपृस्य समाज के लिये शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं करने के लिये बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी किया। ब्रिटिश सरकार में उच्च जातियों का शिक्षा पर एकाधिकार रहा और निम्न जातियों अर्थात अस्पृश्य जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, इसके देखते हुए बाबा साहब ने अस्पृश्यों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। बाबा साहब धार्मिक सहयोग से शिक्षा देने के खिलाफ थे। वे अस्पृश्यों हेतु उदार शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। बाबा साहब का मानना था कि धर्म निरपेक्ष शिक्षा ही छात्रों में स्वतन्त्रता और समानता के मूल्यों की प्रस्थापना कर सकती है। बाबा साहब ने अशपृस्यों की शिक्षा पर उच्च जातियों द्वारा लगाये सदियो पुराने ताले को चटकाकर रख दिये। आज अस्पृश्य/दलित समाज शिक्षा प्राप्त कर देश दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। दलितों में यह शिक्षा क्रान्ति बाबा साहब के सामाजिक विचारों का प्रतिफल है।

शिक्षित बनो संघर्ष करो बस इतना ही नहीं बाबा साहब ने आर्थिक विकास का भी रास्ता दिखाया। बाबा साहब ने कहा दलितों को ग्रामीण समुदाय और आर्थिक जकड़न से आजाद होना होगा। दलित अपने जीवनयापन के लिये उच्च जातियों पर आश्रित थे, उनकी बंधुआ मजदूरी करते थे, अन्य कार्य करते थे जिससे अस्पृश्यों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। बाबा साहब पुराने परम्परागत व्यवसायों की जगह अन्य सम्मानजनक व्यवसाय करने का आहवाहन किया। बाबा साहब का सुझाव था कि अस्पृश्यों को पुराने परम्परागत असम्मानजनक व्यवसाय बंद कर नई तकनीकी ज्ञान हासिल कर नये व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रख देना चाहिये। शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से दलितों को रोजगार पाने में सहायक होगी। बाबा साहब का मानना था अस्पृश्यों को शहरों की ओर रूख करना चाहिये क्योंकि बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के कारण शहरों में रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हैं। इसलिये रोजगार के अवसरों को देखते हुए दलितों को शहर की ओर कूच करना चाहिये और अपने परम्परागत कामों को तिलांजलि देना चाहिये। दलितों को ग्रामीण बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिये। आगे बाबा साहब कहते है कि यदि अस्पृश्यों को गांव में रहना अधिक जरूरी हो तो उन्हें अपने परम्परागत् कामों को बंद

कर दें और सम्मानजनक आजीविका के नये काम नये साधनों को अपनाना चाहिये। इससे दलितों की आर्थिक में सुधार होगा, आर्थिक उन्नति होने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बाबा साहब कहते थे कि दलित वर्ग को स्वयं के आत्मसम्मान में अभिवृद्धि हो ऐसा काम करना चाहिये, और एक दूसरे की सहायता करने की प्रवृति विकसित करना चाहिये। बाबा साहब कठिन परिश्रम के पुरजोर समर्थक थे। बाबा साहब दूर दृष्टिवान् थे उनका मानना था कि परोपकार, सहानुभूति से समाज सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। वे कठिन परिश्रम से धर्नाजन कर उन्नति के समर्थक थे। उनका मूल मन्तव्य था दलितों शिक्षित बनो, संघर्ष करो, आर्थिक उन्नति करो। ऐसे थे बाबा साहब और उनके सामाजिक विचार, जिसके अनुसरण से दलित वर्ग निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर है।

बाबा साहब ने दलित वर्ग को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ता हासिल करने का आह्वाहन किया। बाबा साहब मानते थे कि दलित वर्ग राजनीतिक शक्ति से समाज में प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम होगे। इस राजनीतिक मन्त्र को माननीय काशीराम जी ने आत्मसात् किया और बहुजन समाज की अगुवाई किये और उनके राजनीतिक समझ की ही देन है बहुजन समाज पार्टी। बाबा साहब के राजनीतिक सुदृढ़ता के आहवाहन का परिणाम है कि बहन मायावती देश के राजनीतिक गढ़ उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री बनी। बाबा साहब अपने सामाजिक विचारों से राजनीतिक सुदृढ़ता की ज्योति जला दिये जिसके क्रान्तिकारी परिणाम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित देश के हर प्रान्तों में देखे और अनुभव किये जा सकते है। इस राजनीतिक दृढता से दलितों के विचारों में क्रान्तिकारी बदलाव आया है। बाबा साहब के सामाजिक क्रान्तिकारी विचारों की वजह से देश की सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियों ने दलित वर्ग के महानुभावों को राष्ट्रपति चुना है। अगर दलित वर्ग के लोग राजनीतिक रूप से दृढ़ रहे और बाबा साहब के सामाजिक विचारों का अनुसरण करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब देश के प्रधानमन्त्री सहित देश के अन्य महत्वपूर्ण शीर्षस्थ पदों पर दलित वर्ग के लोग विराजित होंगें। दूरदृष्टि और पक्के इरादे वाले बाबा साहब चाहते थे कि दलित वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों के लिये संगठित होकर संघर्ष करें, इस संघर्ष से उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इसलिये बाबा साहब राजनीतिक अधिकारों के लिये संगठित होकर संघर्ष का आह्वाहन करते थे। बाबा साहब के आह्वाहन का परिणाम है कि राजनीतिक क्षेत्र में दलितों की स्थिति सुदृढ़ हुई है।

बाबा साहब हिन्दू धर्म के दार्शनिक आधार में सुधार करने के लिये प्रयास करते रहे परन्तु हिन्दूवाद अस्पृश्यों के प्रति अपनी धारणा में परिवर्तन नहीं किया। आज भी कहीं न कही दलितों के मंदिर प्रवेश पर दलितों का अपमान किया जाता है। दलितों के मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता हैं। मंदिर में शूद्रों के प्रवेश वर्जित है, ऐसे सूचना भी सोशल मीडिया पर देखने को मिलते है। हिन्दूवाद ने बाबा साहब को भी नहीं बख्शा, बाबा साहब को भी उत्पीड़न के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा था। बाबा साहब ने इसका विकल्प खोजना शुरू किया, लम्बे सोच विचार के बाद बाबा साहब ने बौद्ध धम्म को अपना लिया और अपने अनुयायियों का भी आह्वाहन किया कि वे भी बौद्ध धम्म को अपनाये। बौद्ध धम्म ग्रहण करने का मूलभाव था मानवतावाद। मानवताद को हिन्दूवाद में कोई जगह नहीं थी जिसका ज्वलन्त उदाहरण है–जातिवाद, छूआछूत। आज भी हिन्दूवाद का जातिवाद, छूआछूत अभिन्न अंग है। बौद्ध धम्म में समानता और स्वतन्त्रता का आदर–सम्मान किया जाता है परन्तु हिन्दू धर्म में वर्ण का दबेदबे रहे जिसके मूल में भेदभाव निहित है। इससे अन्याय, शोषण–उत्पीड़न को

ही बल मिलता है। बाबा साहब मानते थे कि बौद्ध धम्म अपनाने से अन्याय, शोषण–उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। अस्पृश्य सम्मानजनक पहचान बनाने में कामयाब होगे। उदार भाव के साथ अस्पृश्यों को नया आध्यात्मिक आधार भी मिलेगा, जो विकास के लिये जरूरी भी है।

बाबा साहब का विचार था कि मन की शान्ति, जिजीविशा के लिये अदम्य उत्साह, और साहस, ज्ञान की पिपासा के प्रति अनन्त–जिज्ञासाओं से संकुल और समानता में आस्था रखने वाला धर्म ही मानव जाति के लिये उपयुक्त हो सकता है। बौद्ध धम्म के प्रति बाबा साहब का आकर्षण बचपन से था। धर्म में बाबा साहब की श्रद्धा थी। हिन्दू धर्म अपनी जातीय विकृतियों की वजह से बाबा साहब को रास नहीं आ रहा था। बाबा साहब ने मुस्लिम, सिक्ख और जैन धर्म का अध्ययन किया परन्तु वे खुद को बौद्ध धम्म के निकट पा रहे थे। अन्ततः बाबा साहब ने बौद्ध धम्म को स्वीकार लिया। बौद्ध धम्म मानवता का आह्वाहन करता है। हिन्दू धर्म को त्यागकर बौद्ध धम्म अपनाने वाले निरन्तर विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे है वही दूसरी और जातिवाद, छूआछूत, अन्याय, शोषण–उत्पीड़न का खेल धर्म का आड़ में चल रहे है, इसके खत्म होने की कोई सम्भावना नही लगती है, हिन्दू धर्म में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था लागू है तब तक कोई सम्भावना दूर–दूर तक नहीं दिखाई देती बस इसका एक ही विकल्प है बाबा साहब के सुझाये रास्ते पर अग्रसर होना तभी दलित/अस्पृश्य वर्ग को समानता, मानवता एवं उदार भावना के साथ सुदृढ़ आध्यात्मिक आधार प्राप्त हो सकेगा जिसकी दलित/अस्पृश्य वर्ग को जरूरत है।

बाबा साहब ने जाति प्रथा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, मनुस्मृति का विरोध, गांधी के हरिजन शब्द का विरोध एवं गांधी से संघर्ष कर दलितोत्थान की नई दिशा तलाशते हुए, अस्पृश्यता के उन्मूलन, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास एवं राजनीतिक हिस्सेदारी के लिये संघर्षरत थे वही दूसरी ओर इस बात का भी संकेत भी दिया कि अस्पृश्य/दलित वर्ग अपनी वर्तमान दशा के लिये खुद भी जिम्मेदार है। उन्हें भी आत्म सम्मान की भावना स्वयं में विकसित करना चाहिये। बाबा साहब ने अस्पृश्यों से साफ–साफ कह दिया कि अस्पृश्यों को मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ देना चाहिये। मरे हुए जानवरों को उठाना और उनकी खाल उतारने का काम बंद कर खुद के अन्दर आत्म सम्मान से जीने और विकास करने के लिये काम करना चाहिये। सभी प्रकार के अमर्यादित कामों को त्याग देना चाहिये। बाबा साहब अछूतों को संगठित होने, शिक्षा प्राप्त करने को प्रेरित करते थे। बाबा साहब कहते थे अस्पृश्यों को अपने मन से हीन भावना का त्यागकर आत्मगौरव की भावना विकसित कर समानता और न्याय पूर्ण जीवन को लक्ष्य बनाना चाहिये। बाबा साहब अस्पृश्यों की शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। बाबा साहब का उद्देश्य था कि अस्पृश्य समाज के लोग शिक्षित होकर सरकारी नौकरी में जायें। उन्नति के काम करे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे और तरक्की करें। बाबा साहब ने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया।

आज देश की आधी आबादी जमीन से आकाश तक जो उड़ान भर रही हैं, वह सब बाबा साहब के सामाजिक विचारों की ही देन है, दुनिया जानती है हिन्दूवादी व्यवस्था में महिलाओं की दशा कितनी दयनीय थी, उन्हें पति के देहान्त के बाद सती तक होना पड़ता था अर्थात जीवित ही अग्नि दाह करना पड़ता था। आज जो देश में महिलाओं ने जो कुछ विकास किया है, आज स्त्री–पुरूष की जो समानता है और समान अवसर है, यह सब बाबा साहब के सामाजिक विचारों की बदौलत ही सम्भव हो रहा है। महिला आरक्षण बाबा साहब के क्रान्तिकारी सामाजिक विचारों के ही प्रतिफल है। भारत की महिलाओं के लिये बाबा साहब परमात्मा से कम नहीं है। दलित एवं महिला उत्थान ही नहीं देश का विकास बाबा साहब के खुली आंखों के ही सपने हैं। बाबा साहब

के सामाजिक विचारों को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल काम है।

भारतीय समाज और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबा साहब ने अस्पृश्यों को संगठित किया, जागृत किया, शिक्षित किया। बाबा साहब के सामाजिक विचारों की देन है कि सदियों से शोषित–पीड़ित तरक्की से दूर फेंके समाज जिसे कुत्ते–बिल्लियों तक से हीन समझा जाता था, उन्हें संगठित किया और आवाज दिया। अस्पृश्यों के दुर्भाग्य को बाबा साहब ने सौभाग्य में बदल दिया। यह सब जो चमत्कार हुआ वह बाबा साहब के त्याग और संघर्ष से सम्भव हुआ है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि अस्पृश्य समाज को आज जो विकास और सम्मान से जीने का अवसर मिल रहा है यह बाबा साहब के सामाजिक विचारों के शंखनाद का अमृत फल है, हां इस फल को अस्पृश्यों के पहुंचाने में बाबा साहब को लाखों तकलीफों का सामना करना पड़ा। बाबा अस्पृश्य समाज और देश की महिलायें बाबा साहब की सदा ऋणी रहेंगी। बाबा साहब अपने सामाजिक उद्धारवादी विचारों का वजह से भारतीय जनमानस में अमर रहेंगें।

नन्दलाल भारती
मो. 9753081066 / 9512213565
Email: nlbharatiauthor@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 70-74

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर का धर्म परिवर्तन

श्रीमती उषा देवी
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, ज्वाला देवी विद्या मंदिर पीजी कॉलेज, कानपुर।

भारतीयता के संवाहक, सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न, व्यक्तित्व के धनी, कर्मठ ,सर्वोच्च विवेकशील, भारतीय जनमानस की भावनाओं के भाव से गूढ़ अनुभूति के वेत्ता बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू छावनी (मध्य प्रदेश) में राम जी सकपाल सूबेदार के यहां हुआ था। एक नन्हा सा बालक जन्म से तर्कशील, विवेकी तथा सूक्ष्मदर्शी , दूरदर्शी को यह नहीं ज्ञात था कि वह जैसे तैसे अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ने में उन्हें उन्हीं के देश में अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं का शिकार होना पड़ेगा। ऐसे अबोध बालक बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकर ने 7 नवंबर सन् 1900 में स्कूल में प्रवेश लिया। स्कूल में प्रवेश करते ही उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाली सामाजिक व्यवस्था के कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया परंतु बाबा साहब ने बड़े धैर्य के साथ उन सभी असामाजिक तत्वों को झेलते हुए अपने अध्ययन में विघ्न नहीं आने दिया। शिक्षा के प्रति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अधिक लगाव था। शिक्षा उनके लिए सर्वोपरि थी।

बाबा साहब के तिरस्कार और अपमान का सिलसिला स्कूल से ही शुरू हो गया था। बाबा साहब ने बचपन से ही स्कूल से अलग पट्टी पर बैठना, अध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा उन्हें तथा उनकी पुस्तक और उत्तर पुस्तिका को ना स्पर्श करना यही सब अपमानजनक व्यवहार बाबा साहब के अंतर्मन को छू जाती थी। बाबा साहब को जब प्यास लगती थी जब पानी पीने जाते थे तो उन्हें पानी को छूना मना था उन्हें पानी पिलाने के लिए एक कर्मचारी लगा रहता था और जब वह कर्मचारी कहीं चला जाता था तो उन्हें कभी–कभी तो बिना पानी के घंटों प्यासे रहना पड़ता था। ऐसे घृणित विचारधारा के लोगों से बाबा साहब ने कभी हार नहीं मानी। यही दुर्भावनाओं और दुर्व्यवहार ने विशद रूप ले लिया जो आंदोलन और प्रदर्शन के द्वारा आगे प्रकट हुआ। यही वे कारण थे जो बाबा साहब के अंदर क्यों? क्या? और कैसे? प्रश्न उठ रहे थे। उनमें सबसे बड़ा प्रश्न असमानता और अस्पृश्यता का था आखिर असमानता अस्पृश्यता का भाव क्यों है यही असमानता यदि समानता में बदल जाए तो इस अपमान से छुटकारा मिल सकता है।

अस्पृश्यता को दूर करने के लिए गांधी ने अस्पृश्यता निवारण अभियान को राजनीतिक शक्ल देते हुए शायद पहली बार कहा था, 'छुआछूत हिंदू धर्म पर एक बड़ा भारी कलंक है।' गांधी की दृष्टि में जाति को मिटाना आवश्यक नहीं था।

बाबा साहब अंबेडकर का मत था जब तक जाति समाप्त नहीं होती छुआछूत का अंत नहीं होगा। सामाजिक उत्थान की समस्या को लेकर बाबा साहब अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने दलितों को सलाह दी कि वह

गांधी और कांग्रेस के नारों से भ्रमित ना हो। उन्हें अपने जीवन स्तर को उठाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। बाबा साहेब हिंदू धर्म में ही रहकर हिंदू धर्म के अंदर व्याप्त जाति, धर्मांधता, छुआछूत, असमानता को दूर कर भारत में समानता स्थापित करना चाहते थे, परंतु हिंदू कट्टरपंथियों ने सदैव बाबा साहब के विचारों को कुचलना चाहा तब बाबा साहब ने हिंदू धर्म की पक्षपात और भेदभाव की नीति से से मुंह मोड़ कर स्वयं को बदलने की मंशा से उन्होंने पूरे दलित समाज में समता लाने की सोंची और हिंदू धर्म की अस्पृश्यता और समानता ने उनका धर्म परिवर्तन के लिए हृदय बदल दिया। सन 1933 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आए अस्पृश्यों के प्रतिनिधि गवई को उन्होंने हिंदू धर्म त्यागने की बात बताई। उन्होंने कहा मेरा बौद्ध धर्म की ओर झुकाव बढ़ रहा है।

बाबा साहेब का धर्म परिवर्तन केवल स्व कल्याण के लिए नहीं था बल्कि पूरे अस्पृश्य समाज के लिए था। उनके धर्म परिवर्तन से देश को नुकसान नहीं होगा यह विश्वास दिलाते हुए उन्होंने कहा– 'मेरे कर्तव्य के तीन उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य देश, दूसरा अस्पृश्य समाज और उसके बाद आता है हिंदू समाज।'

महाराष्ट्र में शुद्धि संगठन कार्य के अगुवा विनायक महाराज मसूरेकर से डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू महासभा के पूणे अधिवेशन में चार वर्णों वाली व्यवस्था को समाप्त कर एक वर्णीय वाली व्यवस्था तथा जन्म से जाति निर्धारित ना हो, ऐसा उन्होंने आवश्यक मांग की चर्चा करते हुए कहा था।

कांग्रेस के सारे नेतागणों और गांधी जी ने धर्म परिवर्तन के बारे में घोर विरोध किया इस पर बाबा साहब ने महात्मा गांधी के निवेदन को पढ़कर कहा, 'मैंने अभी यह तय नहीं किया है कि हम किस धर्म को स्वीकार करेंगे लेकिन सब तरफ से सोच विचार करने पर हमें यकीन हो गया है कि हिंदू धर्म हमारी तरक्की में किसी तरह बढ़ावा नहीं दे सकता।'

अस्पृश्यों के धर्मांतरण का जैसे सवर्ण हिंदू विरोध कर रहे थे उसी तरह कई अस्पृश्य जातियों के नेतागण भी अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। बाबा साहब ने 24 अक्टूबर 1935 के दिन मा वा बेलकर के साथ शिष्टमंडल से विचार विनिमय कर दृढ़ता से कहा, 'अस्पृश्यों के लिए धर्म परिवर्तन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है।'

29 दिसंबर 1935 के हिंदू महासभा के अधिवेशन में पं सातबडेकर के लेख 'डॉक्टर अंबेडकर के कर्तव्य' के लेख का उत्तर देते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा– 'मेरा धर्म परिवर्तन का निश्चय अटल है।'

जनवरी 1936 में पुणे शहर में धर्म परिवर्तन के एक सम्मेलन में अखिल महाराष्ट्र युद्ध परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी देते हुए कहा– 'अगर भगवान भी स्वयं अवतरित हो जाए तो भी अस्पृश्य समाज धर्म परिवर्तन के निश्चय से विचलित नहीं होगा।'

31 मई 1936 में बाबा साहेब अंबेडकर ने बंबई में धर्मांतरण के संबंध में एक मीटिंग बुलाई यह रणनीति केवल महारो तक ही सीमित थी। बाबासाहेब अस्पृश्य जातियों से धर्मांतरण के बारे में एक–एक जाति समुदाय से अलग–अलग बात करना चाहते थे।

दिसंबर 1942 में एक बार फिर बाबा साहेब ने विश्व को अवगत कराने के लिए दलित वर्गों की दर्द भरी कहानी सुनने और उनके अधिकारों के बारे में यह निबंध लिखो तथा कनाडा के पेसिफिक रिलेशन संस्थान के हिंदुस्तानी विभाग ने उनको दलित वर्गों की समस्याओं पर लिखे पेपर को पढ़ने का निमंत्रण दिया। इस निबंध को बाबा साहब ने बाद में 'गांधी और अछूतों की आजादी' के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित कराया।

बाबा साहब ने शोध पत्र में लिखा– 'मुझे महसूस हुआ कि दासों, नीग्रो और यहूदियों की समस्या से भी बड़ी अछूतों की समस्या की ओर संसार का ध्यान आकृष्ट करने का यह उत्तम अवसर है।

बाबा साहेब का उद्देश्य था हिंदू धर्म से मुक्ति बाबा साहब ने मुंबई में ऐलान किया– 'हमारे आंदोलन का लक्ष्य है अस्पृश्यों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक मुक्ति प्राप्त करना। जहां तक अस्पृश्यों का सवाल है तो यह मुक्ति धर्मांतरण के अलावा और किसी ढंग से हासिल नहीं की जा सकती।'

आंबेडकर के मुताबिक– 'रिलीजन के मुकाबले धम्म एक सेक्युलर विचारधारा, संसार, मनुष्य और समाज की एक सेक्युलर व्याख्या है।'

'बुद्ध एंड हिज धम्मा' में अंबेडकर ने अपनी रचनाओं में दिए गए बहुत से तर्कों को बुद्ध द्वारा दिए गए तर्कों के रूप में बताया ताकि हिंदू धर्म की आलोचना में और भारीपन हो। उदाहरण के तौर पर वे कहते हैं कि बुद्ध ने सोचा की परतबद्ध असमानता का एक ऐसा समाज पैदा कर सकती है जिसमें ऊपर की तरफ घृणा और नीचे की तरफ अपमान बढ़ता ही जाएगा।

बौद्ध धर्म निश्चय ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प था। 3 अक्टूबर 1954 को ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण पर आंबेडकर ने ऐलान किया था– 'सकारात्मक दृष्टि से मेरे सामाजिक दर्शन को तीन शब्दों में समेटा जा सकता है : मुक्ति, समानता और भाईचारा। मगर कोई भी यह ना कहे कि मैंने अपना दर्शन फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। बिल्कुल नहीं।................ मैंने उन्हें अपने प्रभु बुद्ध के उपदेशों से लिया है।'

सन 1956 में आंबेडकर ने महाबोधि सोसाइटी के महासचिव डीवालिसिंहा को पत्र लिखकर सूचना देने के बाद धन्मांतरण का पहला दौर 18 मार्च को आगरा में मुख्य अस्पृश्य जाति जाटव थे, आयोजित हुआ। इस आयोजन में 2000 जाटवों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया।

बौद्ध सन्यासियों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति के बजाय बाबा साहेब आंबेडकर धम्म दीक्षा का अनुष्ठान सामाजिक समालोचना की पद्धति से अपनाना चाहते थे। उन्होंने 24 मई 1956 को वे बौद्ध धर्म अपनाएंगे और सभी अस्पृश्य बौद्ध धर्म अपनाएं। उन्होंने एक ईसाई पादरी जैसे स्वर में कहा– 'मैं एक गडरिया हूं। यह कहना शायद अतिशयोक्ति होगा। तुम भेड़ हो और मैं गडरिया हूं। अगर तुम मेरे पद चिन्हों पर चलोगे तो कुछ दिनों में अज्ञानता से मुक्ति पा लोगे और चीजों को ज्यादा बेहतर समझने लगोगे।'

बाबा साहेब ने 23 सितंबर को इस बात की पुष्टि की कि धर्मान्तरण धर्मान्त्रण कार्यक्रम 14 अक्टूबर को दशहरे के दिन नागपुर में आयोजित होगा। बर्मा देश के भिक्कू महास्थविर चंद्रमणि को इस अनुष्ठान में आमंत्रित किया। इस अनुष्ठान में बहुत बड़ी संख्या में लोग सफेद कपड़े पहने हुए उपस्थित हुए। लाखों अस्पृश्यों की उपस्थिति में बाबा साहब तथा उनकी दूसरी पत्नी ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। भिक्कू ने उन्हें बुद्ध की, धम्म की और संघ की शपथें दिलाई। उसके बाद पंचशील का संकल्प दिलाया। इसके बाद उन्होंने तीन बार बुद्ध की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। अंत में अंबेडकर ने ये शब्द कहे– 'असमानता और उत्पीड़न के प्रतीक, अपने प्राचीन धर्म को त्याग कर आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अवतरण के दर्शन में मेरा कोई विश्वास नहीं है, यह दावा सरासर गलत और शातिराना होगा कि बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे। मैं किसी हिंदू देवी देवता का भक्त नहीं हूं। आइंदा में कोई श्राध नहीं करूंगा। मैं बुद्ध के बताएं अष्ट मार्ग का दृढ़ता से पालन करूंगा। बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है और मैं ज्ञान, सद् मार्ग और करुणा के तीन सिद्धांतों के प्रकाश में जीवन

यापन करूंगा।'

इसके बाद उन्होंने 22 शपथ ली जिनमें से पहली 6, आठवीं और 19वीं सीधे हिंदू धर्म पर केंद्रित थी।

1. मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देवता नहीं मानता, न हीं उनकी पूजा करूंगा।
2. मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानता, न हीं उनकी पूजा करूंगा।
3. मैं गणपति और गणेश को भगवान नहीं मानता, न हीं उनकी पूजा करूंगा।
4. मैं ईश्वर के अवतार के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता।
5. मैं बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानता।
6. मैं ना तो श्राद्ध करूंगा और ना ही देवताओं को चढ़ावा चढ़ाऊंगा।
7. मैं किसी ब्राह्मण के माध्यम से कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं कराऊंगा।

इस प्रकार मैं अपने पुराने धर्म, हिंदू धर्म को खारिज करता हूं जो कि मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए हानिकारक है, मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद करता है और मुझे एक निम्नतर व्यक्ति के रूप में देखता है।

तदोपरांत धर्मांतरण के लिए प्रतीक्षा कर रहे लाखों अस्पृश्यों को तिसरना, पंचशील और अपनी ओर से तय की गई 24 शपथ दिलाई।

23 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का देहावसन हो गया। उनका अंतिम संस्कार भी धर्मांतरण की एक नई लहर के अवसर पर लगभग100000 अस्पृश्यों ने बौद्ध धर्म अपनाया।

धर्मांतरण के संबंध में बी. डी. सावरकर का कहना था कि– 'दरअसल इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया ही नहीं है।'

इंडियन एक्सप्रेस ने सटीक टिप्पणी दी थी– 'खैर हमारे लिए यही संतोष की बात है कि परंपरागत हिंदू व्यवस्था से बाहर निकलने के बावजूद आंबेडकर ने एक ऐसा पंथ चुना जो मूल रूप से भारतीय ही है, जो सिक्ख धर्म, ब्राह्मणवाद और आर्य समाज की तरह हिंदू धर्म का ही एक और संस्करण भर है।'

धर्मांतरण आंदोलन ने अंबेडकर को समानता का संदेश फैलाने में बेबी काम्बले का संस्मरण – 'शक्ति बुद्धि और बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों से हमें जीवन, उत्कृष्टता और अमरत्व प्राप्त हुआ है। बाबा के भाषण व्यक्तित्व, आत्मा की पवित्रता, न्याय और सत्य निष्ठा के संदेशों पर केंद्रित होते थे। यही वह क्षण था जब हमने उनके भाषणों को समझना शुरू किया। मैंने भी इन सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया और यह प्रण किया कि मैं अपने जीवन का उन्हीं के अनुसार निर्वाह करूंगी।'

गेल आम्टे कहती हैं– 'बौद्ध धर्म को अपनाकर आंबेडकर ने वही हासिल कर लिया था जो फूले और पेरियार हिंदू धर्म के विरुद्ध अपने सारे प्रतिरोध के बावजूद हासिल नहीं कर पाए थे।'

बेबी काम्बले अपनी आत्मकथा में लिखती हैं– 'मैं शपथ पूर्वक कहती हूं कि मैं एक महार (महाराष्ट्र) की इसी भूमि की निवासी हूं। मैं कोई बंजारन नहीं हूं जो यहां आई और ये भी नहीं जानती कि कहां से आई है। यही धरती मेरा घर है और महार ही मेरी मां है जो इसकी साक्षी है। क्योंकि आज भी यह देश, यह राष्ट्र (महाराष्ट्र) अपना नाम महार से लेता है।'

जूलियट बताती हैं कि धर्मांतरण ने बौद्धों को 'एक दूषित व्यक्ति होने के एहसास से' तो मुक्त कर दिया था। मगर जूलियट भी यह तो मानती हैं कि गिलास पूरी तरह खाली नहीं था– 'बौद्ध धर्मावलंबी अब भी हिंदू

सार्वजनिक अनुष्ठानों और प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेते मगर अब उनकी उपस्थिति निषेध के कारण नहीं है बल्कि वे हिंदुओं से पृथक होने के गहरे एहसास की वजह से उनसे दूर रहने लगे हैं।'

निष्कर्ष रूप में यह सर्वविदित है कि बाबा साहेब आंबेडकर पहले अस्पृश्य थे जिन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, असमानता के खिलाफ खुलकर बगावत की। धर्मांतरण के द्वारा केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को समानता और भाईचारा का एक सशक्त संदेश दिया। आज भारत में बाबा साहेब अंबेडकर दलित के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक बन चुके हैं। विश्व में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनकी लेखनी ने विश्व में बाबा साहब को अमर कर दिया। वह आज भी लोंगो के हृदय में जीवित हैं और युगों युगों तक भारत ही नहीं विश्व के प्रेरणा स्रोत रहेंगे।

मो नं. 9140290832

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 75-78

डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर और हिंदी साहित्य

डॉ. मालती धौंडोपन्त शिंदे
नारायण राववाघमारे महाविद्यालय, आ. बालापुर।

आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफइकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त कीं तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किये थे। व्यावसायिक जीवन के आरम्भिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

हिंदू पंथ में व्याप्त कुरूतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकार सन 1951 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में, उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं।

जीवन लंबा होने की बजाए महान होना चाहिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए।

भारतीय संविधान विश्व का सबसे अधिक व्यापक और विशाल संविधान है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनिक विवरणों को शामिल किया गया है। बाबा साहेब ने इसका बचाव करते हुए कहा कि हमने पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई है। यदि सभी विवरण शामिल नहीं होंगे तो भविष्य में नेता तकनीकी रूप से संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिये ऐसे सुरक्षा उपाय भीमराव आंबेडकर का स्थान निर्विवाद है। वह दलितों के महान नायक के रूपत और जाति आवश्यक हैं। इससे पता चलता है कि वह जानते थे कि संविधान लागू होने के बाद भारत को किन व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर आंबेडकर ने अपना पूरा जीवन छुआछूरत के सबसे प्रखर और अग्रणी दलित नेता के रूप में डॉक्टरवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया. इस बीच वह गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे. स्वतंत्र भारत के वो पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे।

भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष पद पर उनके दायित्व निर्वहन के चलते उनके समर्थक उन्हें संविधान का जनक भी कहते हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में दलित का अभिप्राय उन लोगों से है, जिन्हें जन्म, जाति या वर्णगत भेदभाव के कारण हजारों सालों से सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों से वंचित रहना पड़ा है। शुद्रों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है, सवर्ण आज भी शुद्रों के साथ बैठकर खाने में, या उसकी बिरादरी में शादी–ब्याह से कतराते हैं। यह विडंबना ही है, कि समस्त प्राणियों में एक ही तत्व के दर्शन करने वाला, वर्ण–व्यवस्था को गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित करने वाला समाज, इतना कट्टर कैसे हो गया कि निम्न वर्ण या जाति में जन्म लेने वालों को सब प्रकार के अवसरों से वंचित किया जाता रहा और इन सड़ी–गली सोच के लिए 'मनुस्मृति' को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हमारे देश का लम्बे अरसों तक गुलाम रहने का यह भी एक मुख्य कारण रहा है। हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के पुराधाओं ने भारत को इस कलंक पूर्ण प्रथा से मुक्त कराने का यथासाध्य प्रयास किया। भारत के संविधान अनुच्छेद 15 (2बी) के अंतर्गत यह प्रावधान रखा गया कि जाति के आधार पर, भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेद–भाव नहीं किया जायगा। लेकिन यह सब संविधान के पन्नों में सीमित रह गया। आज भी सवर्ण के कुएं से दलितों का पानी लेना मना है। दलितों की बस्तियाँ, सवर्णों से बिल्कुल अलग होती है, जहाँ से सवर्ण गुजरने से आज भी बचने की कोशिश करता है।

इसके अलावा लम्बे समय तक, सामाजिक शोषण और दमन की शिकार रही, हरिजन और गिरिजन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचिबद्ध किया गया, ताकि इनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उनके प्रयासों का परिणाम कुछ–कुछ तो अब दीखने लगे हैं, लेकिन पूर्णतया अभी दूर है। सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में चली मानवाधिकारों की हवा ने दलित चेतना को प्रवाहित करने में बड़ा योगदान किया है। यही कारण है कि अब दलित साहित्यकार परम्परागत काव्य–शास्त्र और सौन्दर्य–शास्त्र को अपर्याप्त मानते हुए साहित्य की नई कसौटी की खोज में जुट गये हैं। दूसरी ओर ये लोग अफ्रीका और अमेरिका की अश्वेत जातियों के साहित्य से भी प्रेरणा ले रहे हैं, जिससे दलितों का काव्य–शास्त्र केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोड़ने और जगाने के लिए संगत रूप से अभिव्यक्त हुए हैं।

ग्रामीण जीवन में अशिक्षित दलित का जो शोषण होता रहा है, वह किसी भी देश और समाज के लिए गहरी शर्मिंदगी का सबब होना चाहिए था।

'पच्चीस चौका डेढ़ सौ' कहानी में इसी तरह के शोषण को जब पाठक पढ़ता है, तो वह समाज में व्याप्त शोषण की संस्कृति के प्रति गहरी निराशा से भर उठता है।

ब्याज पर दिए जाने वाले हिसाब में किस तरह एक सम्पन्न व्यक्ति, एक गरीब दलित को ठगता है और एक झूठ को महिमा–मण्डित करता है, वह पाठक की संवेदना को झकजोर कर रख देता है भी हो। म्लेच्छ, अछूत, दास तथा न जाने और कितने गाली–वाचक शब्दों से पुकारे जाने दलितों द्वारा रचित "दलित चेतना साहित्य" में अपने अनुभव को उच्च वर्ण के साहित्यकारों के अनुमान की तुलना में अधिक मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम हो रहा है, लेकिन इसे आत्मकथात्मक साहित्य ही कहा जा सकता है।

दलित साहित्य में 'जूठन' ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। इस पुस्तक ने दलित, गैर–दलित

पाठकों, आलोचकों के बीच जो लोकप्रियता अर्जित की है, वह उल्लेखनीय है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी दलितों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, 'जूठन' इसे गंभीरता से उठाती है।

प्रस्तुति और भाषा के स्तर पर यह रचना पाठकों के अन्तर्मन को झकझोर देती है।

भारतीय जीवन में रची–बसी जातिदृव्यवस्था के सवाल को इस रचना में गहरे सरोकारों के साथ उठाया गया है।

दलितों की वेदना और उनका संघर्ष पाठक की संवेदना से जुड़कर मानवीय संवेदना को जगाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यह पुस्तक पाठकों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई है।

दलित कहानियों में सामाजिक परिवेशगत पीड़ाएं, शोषण के विविध आयाम खुल कर और तर्क संगत रूप से अभिव्यक्त हुए हैं।

ग्रामीण जीवन में अशिक्षित दलित का जो शोषण होता रहा है, वह किसी भी देश और समाज के लिए गहरी शर्मिंदगी का सबब होना चाहिए था।

'पच्चीस चौका डेढ़ सौ' कहानी में इसी तरह के शोषण को जब पाठक पढ़ता है, तो वह समाज में व्याप्त शोषण की संस्कृति के प्रति गहरी निराशा से भर उठता है।

ब्याज पर दिए जाने वाले हिसाब में किस तरह एक सम्पन्न व्यक्ति, एक गरीब दलित को ठगता है और एक झूठ को महिमा–मण्डित करता है, वह पाठक की संवेदना को झकजोर कर रख देता है।

भारतीय समाज व्यवस्था ने दलितों के मौलिक अधिकार ही नहीं छीने बल्कि उन्हें निकृष्ट जीवन जीने के लिए भी बाध्य किया और उन पर कड़े कानून भी लागू किए। उनके संपत्ति अर्जित करने कर प्रतिबंध लगाए। आज भी दलितों के पास अपनी निजी जमीन व अन्य संपत्ति नहीं है जिसे अनदेखा करते हुए अनेक राज्य सरकारें दलितों को स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जारी नहीं करती हैं यानी कहने को वे भारत के नागरिक हैं लेकिन राज्य सरकारें ऐसा नहीं मानती हैं।

सैकड़ों साल एक ही स्थान पर रहने के बावजूद वे उस स्थान के निवासी नहीं माने जाते हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति के कागजात नहीं हैं।

ठाकुर का कुआं (कविता) इसी सामाजिक सच्चाई को अभिव्यक्त करती है और दलितों की अंतःपीड़ा को सहज और सरल शब्दों में पाठकों के सामने रखती है।

कौशल्या वैसन्त्री की यह आत्मकथा हिन्दी दलित साहित्य की पहली महिला आत्मकथा मानी जाती है। कौशल्या वैसन्त्री अपने जीवन की एक–एक पर्त को जिस तरह उघाड़ कर पाठकों के सामने रखती हैं वह एक साहस का काम है।

इस आत्मकथा की एक विशिष्टता है उसकी भाषा, जो जीवन की गंभीर और कटू अनुभूतियों को तटस्थता के साथ अभिव्यक्त करती है।

एक दलित स्त्री को दोहरे अभिशाप से गुजरना पड़ता है– एक उसका स्त्री होना और दूसरा दलित होना।

कौशल्या वैसन्त्री इन दोनों अभिशापों को एक साथ जीती हैं जो उनके अनुभव जगत को एक गहनता

प्रदान करते हैं।

सुशीला टाकभौरे की इस आत्मकथा ने अपने पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष को जिस तरह शब्दबद्ध किया है वह इसे दलित साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है।

एक स्त्री होने की पीड़ा और दलित जीवन की विसंगतियों को अभिव्यक्त करने में एक आत्मकथाकार को सफलता मिली है।

इसीलिए यह दलित साहित्य की एक श्रेष्ठ रचना है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर।
2. जूठन–ओमप्रकाश वाल्मीकि।
3. पच्चीस चौक डेढ़ सौ–ओमप्रकाश वाल्मीकि।
4. ठाकुर का कुंआ कविता–ओमप्रकाश वाल्मीकि।
5. दोहरा अभिशाप–कौशल्या बैसन्त्री।
6. शिकंजे का दर्द–सुशीला टाकभौरे।

मो.– 9421867650

shindemd2010@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 79-82

पुस्तक प्रेमी डॉ० बाबा साहेब आंबेडकर

डॉ. पवनेश ठकुराठी
लोअर माल रोड, तल्ला खोल्टा अल्मोड़ा, उत्तराखंड–263601

अपने परिवारीजनों द्वारा श्भीवाश नाम से पुकारे जाने वाले डॉ० भीमराव आंबेडकर अपने बचपन से ही एक पुस्तक प्रेमी थे। अपने बाल्यकाल में भीवा को अस्पृश्यता के तीखे प्रहारों ने जीवन के प्रति सोचने हेतु विवश किया। यही कारण है कि स्वभाव से हठी होने के वावजूद भीवा में उम्र के बढ़ने के साथ–साथ गंभीरता और अध्ययनशीलता बढ़ने लगी थी– 'जैसे जैसे वह ऊपरी कक्षाओं में प्रवेश कर रहा था, उसके स्वभाव का हठीलापन, उतावलापन और शरारतीपन कम होने लगा और वह अध्ययन की ओर ध्यान देने लगा। पाठशाला के छूटते ही वह चर्नीरोड गार्डन में जाकर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता रहता था। उसी उद्यान में कृ. अ. केलूसकर गुरुजी भी संध्या समय पधारा करते तथा अपने अध्ययन में लीन रहते। एक दिन उन्होंने भीम से पूछताछ की और उसे पठन–पाठन के लिये पुस्तकों के चयन का मार्गदर्शन किया।'[1]

अपनी अध्ययनशीलता की प्रवृत्ति के कारण ही भीवा अस्पृश्य छात्रों में मैट्रिक पास करने वाले पहले विद्यार्थी बने। इसी दौरान भीमराव का विवाह भी हो गया लेकिन उनकी शिक्षा जारी रही। वर्ष 1908 में उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कालेज में प्रवेश लिया। परीक्षा के दौरान भीमराव के पिता उन्हें रात्रि में जगा दिया करते थे– 'परीक्षा के दिनों में, उसके पिताजी आधी रात में दो बजे उसे नींद से जगाकर पढ़ाई करने के लिए बैठा देते थे, जिससे उसका अध्ययन अच्छी तरह से हो सके। भीवा की पुस्तकों की इच्छा पूरी करने के लिए वे कभी कभी अपनी बिटिया के घर जाकर उसके गहने गिरवी रख देते थे। उन दिनों एल्फिंस्टन कालेज में धनी और उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक रहती थी। भीवा को अंग्रेजी और फारसी पर अच्छी प्रवीणता थी। इसलिए फारसी के उप–आचार्य के. वी. इरानी और अंग्रेजी के आचार्य प्रो. मुल्लर भीवा पर अधिक स्नेह रखते थे।'[2]

बीए की परीक्षा उत्तीर्ण होने व पिता रामरजी सूबेदार की मृत्यु के बाद भीमराव को बड़ौदा नरेश ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु अमेरिका भेजा। 'जुलाई की बारह तारीख को आंबेडकर न्यूयार्क पहुंचे। उन्होंने अपने प्रवास में अध्ययन के लिए बौद्ध धर्म के ग्रंथ रखे थे।'[3]

भीमराव का पुस्तकों से अत्यधिक लगाव था। इसीलिए तो वे पुस्तकें खरीदने हेतु धन खर्च करते थे।

'जिस समय अन्य विद्यार्थी सिनेमा, शराब और सिगरेट पर पैसा बहाते थे, उन दिनों भीमराव पुस्तकें खरीदने के सिवा अन्य कोई खर्चा नहीं करते थे। शराब और सिगरेट को उन्होंने कभी स्पर्श तक नहीं किया था। केवल बचपन से लगी हुई चाय–पान की आदत वहां अवश्य बढ़ गयी थी। उन्हीं दिनों उन्हें अपनी आंखों पर चश्मा लगाना पड़ा था।'[4]

भीमराव के पास यद्यपि बहुत अधिक धन नहीं था। इसके बावजूद अपनी बचत से वे किताबें खरीदते और अपना अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने में ही बिताते थे। 'उनके सहपाठियों का यह कथन है कि आंबेडकर ने अपने छात्र जीवन का एक एक क्षण अध्ययन में ही बिताया।'[5]

भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इतिहास, समाजशास्त्र, मानववंश शास्त्र, तत्वज्ञान, मानसशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। डॉ० आंबेडकर ने अपने जीवनकाल में अनेक पुस्तकें लिखीं। इन पुस्तकों में अमेरिकी विचारक जान ड्यूवी के विचारों की झलक स्पष्ट रूप से दिखती है– 'जॉन ड्युई के विचारों की छाप उनकी अनेक पुस्तकों में दृष्टिगोचर होती है। वे कक्षा में अध्यापन करते समय भी जॉन ड्युई की शैली का अनुकरण करते थे। 'अनहिलेशन आफ कास्ट' जात पात तोड़ने के विषय पर लिखी गयी अपनी किताब में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, "जॉन ड्युई मेरे अध्यापक थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।'[6]

भीमराव अमेरिका में रहकर भी भारत की समस्याओं पर गहन चिंतन किया करते थे। उनके निबंधों व शोध पत्रों में भारत की समस्याओं का चित्रण होता था। 'उन्होंने अमेरिकावासी नीग्रो समाज के सवालों का भारतीय अस्पृश्यों की समस्या के साथ कभी एकीकरण नहीं किया। अपने 'भारतीय जाति' निबंध में उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अस्पृश्य, समाज से संबंधित भेदभाव वांशिक नहीं है, वरन वे भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। उनके भविष्य के सारे अनुसंधानों का यही मूल स्रोत रहा है। इस तरह भीमराव आंबेडकर अपनी ज्ञान साधना में रत रहे। वे प्रतिदिन लगातार 18 घंटे अविराम साधना में लीन रहते। सन् 1915 में उन्होंने 'एडमिनिस्ट्रेशन एंड फायनांस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी' विषय पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर एम. ए. की उपाधि प्राप्त की। इन्हीं दिनों ये 'नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया–ए हिस्टारिकल एंड अनेलेटिकल स्टडी' विषय पर भी शोध कार्य कर रहे थे। उन्होंने यह शोध प्रबंध सन् 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय को विचारार्थ प्रस्तुत किया और इसे सन् 1925 में लंदन की पी. एस. किंग एंड कंपनी में 'दि इवोल्यूशन ऑफ प्राविन्शियल फायनांस इन ब्रिटिश इंडिया' नाम से प्रकाशित किया। (बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पी–एच. डी. की उपाधि से विभूषित किया।)'[7] पीएच. डी. हेतु लिए लिखे गए अपने प्रबंध की प्रकाशित पुस्तक को भीमराव ने शिक्षा हेतु सहायता करने वाले बड़ौदा नरेश सर सयाजीराव गायकवाड़ को सादर अर्पित की है।

न्यूयार्क में रहते समय आंबेडकर ने अपने अवकाश काल में पुरानी पुस्तकों की दुकानों में जाकर बहुत–सी किताबें खरीदी थीं। उन लगभग 2000 किताबों को भारत लौटने वाले एक मित्र को सौंपकर उन्होंने लंदन के लिए प्रस्थान किया। किंतु कुछ समय के उपरांत भारत लौटने पर उन्हें उन किताबों में से बहुत कम हाथ आयीं। डा. आंबेडकर को अपनी तरुणावस्था में ही पुस्तकों से बहुत लगाव था, प्यार था। उनकी यह लगन 'बांबे

क्रानिकल' को लिखे गए एक पत्र से प्रगट होती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पहली सीढ़ी के स्वतंत्रता सेनानी, सर फिरोजशाह मेहता का सन् 1915 में देहांत हुआ। यह समाचार अमेरिका बहुत समय बाद पहुंचा। भारत के प्रति आस्था के साथ खोज खबर रखने वाले आंबेडकर को जब यह पता चला कि मेहता की स्मृति में उनका एक पुतला खड़ा किया जायेगा तो उन्होंने 'क्रानिकल' को अपने विचार एक पत्र द्वारा सूचित किये थे। उन्होंने लिखा था– "मेहता की स्मृति में केवल पुतला खड़ा कर ही स्मारक स्थापित न कर, उनकी याद में एक सार्वजनिक लायब्रेरी की योजना साकार करनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक और सामाजिक प्रगति के लिए एक ग्रंथागार का बहुत बड़ा आधार रहता है। इस भांति उस स्मारक का उपयोग हितकर होगा ही। साथ ही वह उनकी स्मृति को भी चिरंतन बनाये रखेगा।"[8]

डॉ० आंबेडकर अमेरिका के बाद जब लंदन अध्ययन हेतु गये तो वहाँ उनका ध्यान लंदन संग्रहालय की ओर आकर्षित हुआ। 'इस महान ग्रंथागार में डा. आंबेडकर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बैठा करते थे। वे एक निजी तौर पर चलाये गये होटल में रहते थे। उस होटल की मालकिन जरा कठोर मिजाज की थी। वह उन्हें नाश्ते में सिर्फ एक प्याली चाय, एक पाव का टुकड़ा और एक मछली का टुकड़ा खाने को देती थी। बस इतना ही खाकर डा. आंबेडकर ग्रंथागार के लिए रवाना हो जाते और सबसे पहले वहां पहुंच जाते। फिर तो बिना किसी आराम के वे लगातार किताबों में डूब जाते थे। अपना समय व्यर्थ ही खराब न हो, इसलिए वे दोपहर का भोजन, अपरान्ह का अल्पाहार या शाम की चाय–सबको तिलांजलि दे दिया करते थे। अपनी पढ़ाई में वे इतने तल्लीन रहते कि चौकीदार उन्हें याद दिलाता और उस ग्रंथागार को बंद करता। आंबेडकर थक अवश्य जाते थे। लेकिन वहां लिखे कागजों के पुर्जों से उनकी जेबें भरी होती थीं। वे इस ग्रंथागार के अलावा इंडिया आफिस लायब्रेरी, लंदन यूनिवर्सिटी लायब्रेरी और दूसरे प्रमुख ग्रंथालयों का भी लगातार उपयोग करते थे।'[9]

पुस्तकों के प्रति अपने इसी प्रेम व अध्ययनशीलता के कारण भीमराव आगे चलकर भारत के संविधान निर्माता बने। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपये की समस्यारू उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, जाति का उच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गाँधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रानाडे, गाँधी और जिन्ना, कांग्रेस और गाँधी ने अछूतों के लिए क्या किया, शूद्र कौन और कैसे, महाराष्ट्र भाषाई प्रान्त, भगवान बुद्ध और उनका धर्म आदि अनेक पुस्तकें लिखीं।

अपने पुस्तक प्रेम व अध्ययनशील प्रवृत्ति के कारण ही डॉ० बाबा साहेब आंबेडकर 64 विषयों में मास्टर बने। वे हिन्दी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था। डॉ० अम्बेडकर की किताबें वर्तमान में भारत में अबसे अधिक बिकने वाली किताबों में गिनी जाती हैं। डॉ० बाबासाहेब का पुस्तक प्रेम ही था कि उनके निजी पुस्तकालय 'राजगृह' में 50,000 से भी अधिक किताबें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था।

संदर्भ :-

1. डॉ० बाबा साहेब आंबेडकर, वसंत मून, अनुवाद प्रशांत पांडे, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी), नई दिल्ली, भारत, वर्ष 2020, पृ० 5
2. वही, पृ० 5
3. वही, पृ० 7
4. वही, पृ० 9
5. वही, पृ० 10
6. वही, पृ० 10
7. वही, पृ० 11
8. वही, पृ० 11
9. वही, पृ० 22

मो०–9528557051

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 83-90

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर : समाज सुधारक और दलित उद्धारक

डॉ. पंडित बन्ने, डी. लिट्.
शोध–निर्देशक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, भारत महाविद्यालय, जेऊर (म.रेल)
तह – करमाला, जि. सोलापुर (महाराष्ट्र)

संवेदनशील व्यक्ति को जीने के लिए एक आदर्श डॉ. आंबेडकर का दर्शन है। वह जातिविहीन और वर्णविहीन समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए कटिबद्ध है। डॉ. आंबेडकर उच्च शिक्षावेता, गणतंत्र भारत के संविधान निर्माता एवं धार्मिक तथ्यों के ज्ञाता हैं और उनकी बुद्ध धम्म के प्रति गहरी आस्था है। ''20 जुलाई 1924 को 'बहिष्कृत हिकारिणी सभा' की स्थापना की। डॉ. आंबेडकर की दृष्टि मुंबई असेंबली को अगस्त 1923 के उन प्रस्तावों पर पड़ी जिसमें लिखा था कि सार्वजनिक पनघट, पाठशाला, अस्पताल, अदालत आदि स्थलों पर अछूतों पर कोई रोक नहीं है। डॉ. आंबेडकर को एक रास्ता दिखा और उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष का प्रयास महाड़ सत्याग्रह से प्रारंभ करना निश्चित किया, जिसका परिणाम हुआ कि पाँच हजार अछूतों के साथ डॉ. आंबेडकर ने 19 मार्च को एका सभा किया तथा 20 मार्च, 1927 को सवर्णों के जोरदार विरोध के बावजूद चवदार तालाव का पानी स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में पिया परिणम स्वरूप 16 मार्च, 1937 के महाड के चवदार तालाव के संबंध में मुंबई हाईकोर्ट के मुकदमे का फैंसला अस्पृश्यों को पानी पीने के हक में हुआ।''

(बोधिसत्व बाबासाहब टुडे – सं. ज्ञान प्रकाश जखमी, पृ. 28 जुलाई, 2015)

नारी के मुक्तिदाता :–

डॉ. आंबेडकर हिंदू कोड–बिल बनाकर लाखों निरीह महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाना चाहते थे। 'हिंदू कोड बिल' में हिंदू विवाह का कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू गोद एवं गुजारा भत्ता कानून जैसे नामों से पास किया। इन कानूनों को पारित करवाने में डॉ. आंबेडकर ने अहम् भूमिका निभाई। अन्तर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में भी डॉ. बाबा साहब का विशेष योगदान रहा। डॉ. आंबेडकर ने महिलाओं के लिए भारत के इतिहास में पहली बार प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में ऐसा प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और इस तरह समानता के अधिकार को मौलिंक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। परिवार में हिस्सेदारी के मामले में समान अधिकार मिले।

संविधान और डॉ. आंबेडकर :–

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दिसंबर, 1946 में गठित संविधान सभा में सर तेजबहादुर सप्रु,

के. एम. मुंशी, ठाकुरदास भार्गव और सरदार पटेल जैसे ख्याति प्राप्त वकोलों को उपस्थिति में कानूनविद में कुशल, निपुण और सच्चे देश प्रेमी डॉ. आंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति द्वारा विद्यमान संविधान को अंजाम देना का सफल प्रयास हुआ।

भारतीय समाज की सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने हेतु भारत के महानायक ने जो ऐतिहासिक राजनैतिक नेतृत्व प्रदान किया और भारतीय लोगों का जो संप्रभुता संपन्न समाजवादी प्रजातंत्रिक गणराज्य संघ बनाया। डॉ. आंबेडकर ने कहा – ''मुझे आशा है कि मेरे देशवासी किसी न किसी दिन यह सीख लेंगे कि देश व्यक्ति से कही महान होता है। अतः हमने संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर, 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया और दृढ़ता से संकल्प किया कि हम भारतवासी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएँगे एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपसना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराएँगे तथ उन सब में व्यक्ति की गरिभा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करूवाली बंधुता बढ़एंगे।'' (बोधिसत्व बाबासाहब टुडे – सं. ज्ञानप्रकाश जखमी, पृ. 22, नवंबर, 2018 से अप्रैल, 2019)

संविधान सामाजिक जीवन का आईना है। भारतीयों को नागरिकता प्रदान कर उनको विधि के समक्ष समता दिलाई। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद को प्रतिबद्ध किया। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी। अस्पृश्यता का अंत किया। उन्होंने शोषण के विरूद्ध अधिकार, वाक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिलाई।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने कथा था – ''संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में प्रतिदिन कुर्सी पर बैठे मैंने किसी भी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंग से यह बात नोट की है कि प्रारूप समिति और उसके सभापति आंबेडकर ने अस्वस्थ होते हुए भी बहुत उत्साह और लगन से काम किया है। हमने डॉ. आंबेडकर को प्रारूप समिति में लेने और इसका सभापति बनाने का जो निर्णय लिया था हम उससे बेहतर और ज्यादा सही निर्णय ले ही नहीं सकते थे। उन्होने न केबल अपने चुने जाने का सार्थक बनाया अपितु जो काम उन्होंने किया है, चार चाँद लगा दिया है।'' (बोधिसत्व बाबासाहब टुडे – सं. ज्ञानप्रकाश जखमी, नवंबर, 2018 से अप्रैल, 2019, पृ. 23) डॉ. पं. नेहरू ने कहा था – डॉ. आंबेडकर संविधान के मुख्य शिल्पकार है।'

भारत के संविधान में समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता का अवसर प्रत्येक नाकरिक को प्राप्त है। बिना लिंगभेद, धर्मभेद, जातिभेद, वणभेद सबको मौलिक अधिकार प्राप्त है। डॉ. आंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 17 दिन में भारतीय संविधान बनाकर 26 नवंबर, 1949 को संसद मे राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपा जिसे 26 जनवरी, 1950 को भारत राष्ट्र के संविधान के रूप में लागू किया।

पत्रकारिता और आंबेडकर :–

पत्रकारिता समाज को मस्तिष्क और वाणी है। वैचारिक चेतना का उव्देलन है। डॉ. आंबेडकर जी ने दलितों का हिमचिंतन करने के लिए, उनको वाणी प्रदान के लिए पत्रकारिता का भी आश्रय लिया। अनेक पत्र–पत्रिकाओं का संपादन एवं प्रकाशन किया है। जैसे–मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता एवं प्रबुद्ध भारत आदि।

31 जनवरी, 1920 में मराठी पत्र 'मूकनायक' का प्रारंभ हुआ। प्रस्तुत पत्र के संपादक पाण्डुराम नंद राम

भटकर थे। डॉ. आंबेडकर इसके संपादक नहीं थे, पर पत्र उन्हीं के द्वारा ही लिखे जाते थे। मूकनायक का उद्देश्य था कि अब तक मूक बने दलितों को वाणी दी है। दलितों को वाणी दी, उनकी आवाज को, उनकी पीड़ा को, उनकी समस्याओं को उजागार किया, उनमें जागृति पैदी की। इस पत्र के माध्यम से दलितों में उत्साह संचार किया, नई चेतना जाग्रत की, अपने अधिकारों को प्राप्त करने का जाग्रत पैदा किया। सवर्णों को अन्याय, अत्याचार एवं अमानवीता एवं अमानवीयता को उजागर किया।

19 अगस्त, 1920 में 'मूकनायक' के अंक में डॉ. आंबेडकर ने संपादकीय लिखा – ''कुत्ते–बिल्ली जो अछूतों का जूठा खाते हैं, वे बच्चों का मल भी खाते हैं। उसके बाद वरिष्ठो– स्पृश्यों के घरों में जाते हैं, तो उन्हें छूत नहीं लगती। लेकिन यदि अछूत उनके घर में काम से भी जाता है, तो वह पहले से ही बाहर दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। घर का मालिक दूर से देखते ही कहता है – अरे–अरे दूर हो, 1923 में 'मूकनायक' मूक हो गया।''

डॉ. आंबेडकर ने अछूतों, दलितों हित चिंतन करने के उद्देश्य से इसका प्रकाशन किया। समाज में बिना समानता लाए स्वराज्य नई गुलामी को जन्म देगा।

'बहिष्कृत भारत' 3 अप्रैल, 1927 में प्रकाशित हुआ, यह पत्रिका 1929 तक चला। यह पाक्षिक पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। 'बहिष्कृत भारत' के माध्यम से दलितों को अध्ययन, शिक्षा और वकालत भी इसी पत्र के माध्यम से बाबासाहेब ने की। प्रकाशित लेख एवं संपादकीय 'महार और उनका वतन का' 'अस्पृश्यों की उन्नति का आधार प्रमुख है। डॉ. आंबेडकर बार–बार कहते हैं – 'अछूत, दलित, समाज के व्यक्ति बहिष्कृत लोग है, इनका जाग्रति लाना इसका लक्ष्य था।'

1928 में पाक्षिक पत्र समता का प्रकाशन हुआ। यह पत्र मानव–मानव के बीच समता की भावना का प्रतिपादक था। बाद में यह पत्र 'जनता' के नाम से छपता रहा और फिर इसे 'प्रबुद्ध भारतः नाम देकर प्रकाशित किया गया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद 'प्रबुद्ध भारत' के प्रकाशन हुआ इसके मुख पृष्ठ पर सबसे ऊपर छपा रहता था – 'बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छमि, संघ शरणं गच्छामि।'

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से दलितों में नई स्मूर्ति पैदा की। गरीबों, शोषितों, वंचितो व दलितों को समानता का अधिकांश, सत्ता में प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी बाबा साहब के प्रयासों का ही पारिश्रमिक है। बाबासाहेब लेखक के साथ–साथ एक सफल संपादक भी थे। उन्होंने 1920 में मूकनायक, 1927 में बहिष्कृत भारत, 1930 में जनता, 1956 में प्रबुद्ध भारत नाम पत्र–पत्रिकाएँ प्रकाशित की व संपादन किया।

समाचार पत्रों के माध्यम से ही भारत में सामाजिक परिवर्तन का आरंभ हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को आज अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अभिव्यक्ति को दो माध्यम है – भाषण और समाचार पत्र। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी समाचार–पत्रों की अहम भूमिका रही है।

दलित उत्थान और डॉ. आंबेडकर :–

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने सभी यातनाओं, दुःखी जातिगत भेदभाव व सामाजिक कुरीतियों का सामना किया। दलित व सामाजिक उत्थान उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य बना गया। भारत के संविधान में उनके इन अनुभवों एवं दलितो के दुःखों की झलक दृष्टिगत होती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य दलितोत्थान था।

संविधान एक राष्ट्र ग्रंथ के समान है। देश की आधी जनसंख्या का न्याय व उनके अधिकार दिलाने की पहल बाबासाहेब ने ही शुरू की थी। गरीबों, शोषितों, वंचितों व दलितों को समानता का अधिकांश, सत्ता में प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी बाबा साहब के प्रयासों का ही परिश्रमिक है।

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने समाज को संगठित, शिक्षित एवं जाग्रत करने का कार्य किया। आजादी से पहले ही दलित समाज के लोगों के विकास की ओर ध्यान दिया था। आजादी के पश्चात डॉ. आंबेडकर जी को भारत के संविधान बनाने का उत्तर दायित्व मिला। संविधान में दलितों के लिए उन्होंने विशेषकर निम्न प्रावधान किए हैं –

1. वयस्क को मताधिकार देकर दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को भी बराबरी एवं समानता का हक दिलाया। जिस कारण दलितों में जाग्रति पैदा हुई।
2. मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए जिनमें समानता, आजादी, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धर्म संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संपत्ति अर्जन करने संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपाय करने हेतु अधिकार मिले।
3. सभी राज्यों को निर्देश दिए गए कि वे दलितों के बहुआयामी विकास एवं हितों के लिए समुचित ध्यान रखें। ताकि किसी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से बच सकें।
4. **दलित सरंक्षण संबंधि प्रावधान :–**

अ) दलितों को सामाजिक सुरक्षा के लिए निम्न प्रविधान किए गए हैं –

अनुच्छेद–14 – कानून के सामने देश के सभी नागरिकों को बराबरी का हक।

अनुच्छेद–15 – किसी भी नागरिक के साथ जाति आधार पर भेद–भाव न होना।

अनुच्छेद–17 – छुआछूत को गैरकानूनी बनाया गया है।

अनुच्छेद–23 – बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी बनाया गया है।

अनुच्छेद–24 – बाल मजदूरी को गैर कानूनी बनाया गया।

अनुच्छेद–25 – सभी जातियों को मंदिर प्रवेश की अनुमति।

अनुच्छेद–15(4)– दलित व अन्य पिछड़े समाज के लोगों के लिए शैक्षणिक आरक्षण के प्रावधान की व्यवस्था।

दलितों को विधायिका में प्रतिनिधित्व –

दलितों को विधायिका में उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के लिए –

अनुच्छेद–330 – दलितों को लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद–332 – राज्यों के विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

संविधान संशोधन :– 73 एवं 74 में ग्राम पंचायतों में दलितों को आरक्षण प्रदान किया गया है। नगरीय निकायों में भी दलितों को आरक्षण प्रदान किया गया है।

नौकरियों में प्रतिनिधित्व एवं सुरक्षा :– संविधान बनाते समय कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने यह तय किया था कि दलितों को सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले।

अनुच्छेद–320(4) में – प्रशासन में सक्षम दलितों द्वारा नौकरियाँ भरी जा सकें। केंद्रीय एवं राज्य सरकार

दोनों में ही यह व्यवस्था लागू होती है।

आयोग का गठन – संविधान के अनुच्छेद 338 में दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए आयोग का गठन किया गया है।

दलितों को सुरक्षा के लिए अन्य कानून –

कांग्रेस सरकार ने दलितों की रक्षा के लिए कई नए कानून बनाये जो पूरे देश में लागू किए गए जो निम्न प्रकार है :–

1. अस्पृश्यता (अपराध) एक्ट 1955 छुआछूत समाप्त करने के लिए।
2. नागरिक अधिकार संरक्षण (संशोधन) एक्ट 1976 छुआछूत करने वालों की बड़ी सजा।
3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार विरोधी एक्ट 1989) जाति आधारित अत्याचार को सख्ती से निपटने के लिए।
4. हाथ से मैला उठाने संबंधी (रोकथाम) एक्ट 1997।''

(बोधिसत्व बाबासाहेब टुडे –सं. ज्ञानप्रकाश जखमी, नवंबर–दिसंबर–जनवरी, 2016)

मानवाधिकार और डॉ. आंबेडकर का चिंतन :–

आदर्श समाज में मानव और समाज के बीच सही संबंध स्थापित करने वाले नई क्रांतिकारी मानवतावादी विचारधारा को भारत में प्रस्थापित करने वाले एक ही महामानव थे– डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर। उन्होंने मानव–मानव के बीच होने वाले भेदभाव, उच्च–नीच, लिंग–भेद, जाति–भेद, धर्मभेद आदि को देखा और उसे नष्ट करने के लिए या उसे समान मानवीय अधिकार दिलाने की कोशिश की। मानवाधिकार का अर्थ उन सहज अधिकारों से है जो मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते, बिना किसी भेदभाव के बिना किसी अन्य योग्यता के मिलने चाहिए, जिनको पानी और उपयोग करने का अधिकारी है। उनका आधार नैतिक एवं आध्यात्मिक दोनों है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित समाज के अधारक थे। अपनी पीड़ा और अस्पृश्यता रूपी महान राक्षस को मार पीटने के लिए मानवाधिकारों की माँग के लिए कई आंदोलन चलाए। उनके द्वारा किए गए मानवाधिकार सत्याग्रहों में एक महाड का जल सत्याग्रह और दूसरा नासिक कालाराम मंदिर प्रवेश का धर्म सत्याग्रह। देश में मानवाधिकारों की संस्थापना के लिए सबसे सफल प्रयास हमारे संविधान के माध्यम से किए गए। जिससे देश के दलितों को एक नई दिशा मिली। डॉ. आंबेडकर ने दलितों को नाशिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश कराने के लिए मंदिर प्रवेश का एक कानून 1935 में बनाया। मंदिर प्रवेश का हक भी दलितों को मिल गया। डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में पाँच हजार लोगों का एक जुलूस महाड़ के चौवदार तालाब के पानी की ओर चल पड़ा। डॉ. बाबासाहेब ने तालाब का पानी पिया। यह एक मानवाधिकार की सबसे बड़ी जीत थी। डॉ. बाबा साहब ने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए संविधान में व्यवस्था की थी। स्त्री को हक दिलाने में अंत तक संघर्ष किया। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था –''हमारा युद्ध शक्ति के लिए नहीं है। वह स्वतंत्रता के लिए युद्ध है, यह मनुष्य के व्यक्तित्व के पुनरूद्धार का युद्ध है।''

(बोधिसत्व बाबासाहब टुडे – सं. ज्ञानप्रकाश जखमी, पृ. 22, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2018)

वे चाहते थे कि दलितों की समस्या का समाधान राजनीति, पैसे और शक्ति के माध्यम से हो। उन्होंने

पंचायतों मे आक्षरण के तहत भाग लेने का अधिकार मिल गया। वे दलित समाज के लोगों का शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने का संदेश देते ये कि – ''तुम्हारे पैरों में जूते भले न हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबे होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पी लेता है उसे गुर्रना आ जाता है।'' (बोधिसत्व बाबासाहब टुडे – सं. ज्ञानप्रकाश जखमी, पृ. 23, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,) कहना सही है कि बाबा साहब आजीवन छात्र रहे थे।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने अधिकारों के लिए लंदन गोलमेज परिषद जाता था। उसी दिन उनके बेटे राजरत्न की अचानक मृत्यु हो गई। उसी दिन बाबासाहेब को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना था। बड़ा भाई भागकर आया और बोला – ''भीम, तू कहाँ जा रहा है, बेटे के आकस्मिक निधन से बाबा साहब इस रह गए थे फिर भी उन्होंने अपने आपको संभाला और भाई से कहा – आज अगर मैं लंदन नहीं पहुँचा तो करोड़ो दलित, पिछड़ों के अधिकारों का क्या होगा? मैं मेरे एक बेटे के लिए अपने करोड़ो बेटों को नहीं मार सकता।'' (बोधिसत्व बाबासाहब टुडे – सं. ज्ञानप्रकाश जखमी, पृ. 23, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2018) कहना सही है कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मानवाधिकारों के प्रति कितने जागरूक थे। उन्होंने समाचार पत्रों को जाति–भेद, हिंसा द्वेष, अमानवीयता, पाखंड, कुरीतियों खत्म करने के लिए प्रकाशित किए, ताकि समाज में मानवीय मूल्यों का निर्माण तथा मानवीय अधिकारों की सुरक्षा हो सके।

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर का लेखन संचार :–

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने समाचार–पत्रों में आलेख और संपादकीय के साथ–साथ लगभग दो दर्जन ग्रंथों की रचनाएँ की। इनका लेखन संसार बहुत बड़ा है। जैसे –

1. भारत में जातियाँ उनकी उत्पत्ति विकास एवं विस्तार।
2. रूपये की समस्या : उद्‌गम और विदान भारतीय मुद्रा एवं बैंकिग का इतिहास।
3. जाति का विनाश।
4. पाकिस्तान विषयक विचार।
5. पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन।
6. रानड़े गांधी और जिन्ना।
7. राज्य और अल्पसंख्यक।
8. कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया?
9. शूद्रों की खोज।
10. अछूत कौन और किसे? (ये अछूत क्यों और कैसे बने?)
11. हिंदू धर्म की रिडल।
12. बुद्ध और उनका धम्म।
13. बुद्ध पूजा पाठ आदि शोध–पत्र, प्रबंध लेख व पुस्तकें डॉ. बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई है।

डॉ. आंबेडकर की शिक्षा विषयक विचार :–

जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए जीवन का सबसे बड़ा कारक शिक्षा है। भगवान बुद्ध ने 'अत्तदीपोभव' कथा था। शिक्षा व्यक्ति को सही–गलत का निर्णय करने की क्षमता प्रदान करती है। डॉ. आंबेडकर ने सर्वप्रथम शिक्षा को ही अपने समाज को शिक्षित करने की आधारभूत सीढ़ी माना है। डॉ. आंबेडकर कहते हैं

– ''शिक्षा का प्रबंध इस तरह होना चाहिए कि साधारण जनता को शिक्षा सुलभता से प्राप्त हो। निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा बहुत खर्चीली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के स्तर पर लाने के लिए उन्हें सहूलियतें देनी चाहिए।'' (बोधिसत्व बाबासाहब टुडे – सं. ज्ञानप्रकाश जखमी, पृ. 16, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2016) कहना सही है कि डॉ. आंबेडकर जी ने मानवीय जीवन में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने सामाजिक न्याय व्यवस्था में शिक्षा को प्रथम स्थान देते हैं।

डॉ. आंबेडकर जी ने लिखा है – ''शिक्षा एक पवित्र संस्था है। पाठशाला में मन सुसंस्कृत होते हैं पाठशाला का मतलब होता है – नागरिक तैयार करने वाला पवित्र क्षेत्र। यह एक राष्ट्रीयता मानवता तथा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने का उदात्त कार्य है। स्कूल में समबुद्धि वाले, उदात्त, निःपक्षपाती और विशाल हृदय वाले अध्यापक होने चाहिए। अध्यापक वर्ग का राष्ट्र का साथी है, क्योंकि उसके हाथ में शिक्षा की लगाम होती है। इसलिए समाज सुधार की दृष्टि से देखने पर शिक्षक कौन, जैसा महत्वपूर्ण दूसरा कोई प्रश्न नहीं है।'' (बोधिसत्व बाबासाहब टुडे – ज्ञानप्रकाश जखमी, पृ. 16, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2016) डॉ. आंबेडकर जी ने शिक्षा को एक पवित्र संस्था माना है और नागरिक तैयार करने वाला पवित्र क्षेत्र है।'' 4 जनवरी 1925 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने दलितों पिछडों व शोषित छात्रों के लिए सोलापुर में एक होस्टेल खोला। सभा विद्यार्थियों के कपड़ो, पुस्तकों, निवास, भोजन इत्यादि का भी प्रबंध करती थी। सभी ने उन छात्रों में विद्या और ज्ञान के प्रति स्नेह उत्पन्न करने के लिए अन्य संस्था स्थापित की। सभा के अनुसार छात्रों ने सरस्वती विलास नामक एक मासिक पत्रिका भी आरंभ किया।'' (बोधिसत्व बाबासाहब टुडे–ज्ञानप्रकाश जखमी, पृ. 16, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2016)

बाबा साहब आंबेडकर ने शिक्षा का महत्व समझाते थे हमारे लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थाएँ अपने प्रयास से आरंभ की थी, जिनमें मुंबई में सिद्यार्थ कॉलेज, औरंगाबाद में मिलिन्द कॉलेज है।

डॉ. आंबेडकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण :–

भारत बहुजनों को देश है। डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक दर्शन व्यावहारिक जीवन का दर्शन है। उन्होंने वैज्ञानिक तरीका व शोध का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से डॉ. बाबासाहब ने मानव प्राणियों की शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन के लिए बोध कराते हैं। उन्होंने आधुनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं कौ वैज्ञानिक विश्लेषण से मानव कल्याण के लिए बुद्ध का नैतिक दर्शन, आदेशों तथा शिक्षओं को महत्वपूर्ण बताया। मनुष्यों की समता, स्वतंत्रता तथा स्वयं निर्णय की क्षमता प्रदान करना, स्वावलंबी होना चाहिए आदि की आवश्यकता पर बल दिया। आंबेडकर ने बुद्ध, धम्म, संघ की वैज्ञानिक व्याख्या कर सभी की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन प्रदान किया।

पीड़ित अभावग्रस्त मनुष्यों की सेवा, मानव जीवन की सार्थकता और उत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति राष्ट्रीय सामाजिक चेतना, बाबा साहेब आंबेडकर के वैज्ञानिक आदर्शों की गहराईयों को छूता है। डॉ. आंबेडकर के वैज्ञानिक समाजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, राजनीति प्राप्त है। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर स्वयं एक वैज्ञानिक दर्शन थे। उनका प्रत्येक वाक्य, लेख, कथन, जीवन–यापन, वेशभूषा तथा सोच वैज्ञानिक हुआ करते थे। वैज्ञानिक प्रगति के प्रतिक, वैज्ञानिक परिवर्तन के चिह्न, वैज्ञानिक मानवता के हिमायती थे। डॉ. आंबेडकर वैज्ञानिक मानवतावाद के समर्थक, राष्ट्रभक्त, विद्वान तथा मुक्तिदाता थे।

निष्कर्ष :–

डॉ. आंबेडकर जी ने वैज्ञानिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, स्त्री सुधार क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीति क्रांति, शैक्षिक क्रांति के प्रणेता है। अधिकार, न्याय, समानता, शिक्षा के लिए संघर्श करने को प्रेरित करता है – आंबेडकर दर्शन। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमजीवी जनता, आर्थिक गुलामी करने वाले पीढ़ी को इन परंतत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए तमाम परिस्थितियों से विद्रोह करना महान विचारक है। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। वे आजाद भारत में गरीबी भुखमरी और अस्पृश्यता को खत्म कर दुनिया के अन्य देशों की तरह ही भारत को फलता–फूलता देखना चाहते थे।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. बुद्ध – अंबेडकर मिशन – सं. ज्ञानप्रकाश जखमी, 2013–14.
2. बोधिसत्व बाबा साहब टुडे – सं. ज्ञानप्रकाश जखमी, जुलाई, 2015.
3. जखमों से भरे जखमी – सं. वी. आर आंबेडकर।
4. बोधिसत्व बाबा साहब टुडे – सं. ज्ञानप्रकाश जखमी, मई, जून, जुलाई, 2016.

मोबाईल नं. 9657240554 / 9834582128

ईमेल : drpanditbanne@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 91-97

श्रममन्त्री के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका

डॉ. सूरज भान सागर
एसो0 प्रो0 एवं अध्यक्ष–हिन्दी विभाग, एन0आर0ई0सी0 कॉलिज, खुर्जा (बुलन्दशहर) – 203131

भारतरत्न ही नहीं बल्कि विश्वरत्न बहुयामीय प्रतिभा के धनी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं जानता है। भारत ही नहीं विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है, जोकि डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नहीं जानता है, अर्थात् विश्वभर के सारे देश इस बहुयामीय प्रतिभावान व्यक्तित्व के नाम और काम दोनों रूपों से भली–भाँति परिचित हैं। डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कोई यूँ ही नहीं जानता, डॉ0 बाबा साहेब भीमराव ने केवल एक वर्ग विशेष या समाज के लिए कार्य नहीं किया है बल्कि उन्होंने सम्पूर्ण भारतीय समाजों, सम्प्रदायों, धर्मों तथा राष्ट्र के लिए कार्य किया है। उनके कृत कार्यों की वजह से ही भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उन्हें विश्वरत्न के रूप में देखता है। भारत में तो वह पैदा हुए है, भारत उनकी जन्मस्थली है, लेकिन अमेरिका, रूस, चीन, फ्राँस, कम्बोडिया इत्यादि अनेक देश उनके कृत कार्यों के कायल ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को एक उभरते हुए चाँद की तरह देखते हैं। उन्होंने भारत में ऐसे समय जन्म लिया, जब भारत में जातिपात, छुआछात, अस्पृश्यता, रूढ़िवाद, अन्धविश्वास, असमानता का वातावरण पूरे यौवन पर था। जहाँ भारत में मानव–मानव के बीच में असमानता, भेदभाव, छुआछात, नीच–ऊँच की खाई अधिक गहरी थी। यहाँ एक वर्ग दूसरे वर्ग से जाति के नाम पर असमानता का व्यवहार करता था। उसे अस्पृश्य समझा जाता था। उसके साथ भेदभाव किया जाता था। उसे वह मानवीय अधिकार नहीं थे, जोकि एक दूसरे वर्ग (उच्च वर्ग) को थे, अर्थात् उसका जीवन नारकीय जीवन था। उसकी जिन्दगी पशुओं से भी बदहत्तर थी। उसे सार्वजनिक स्थलों (कुँआ, मन्दिर, धर्मशाला, पाठशाला, आम रास्ता इत्यादि) के प्रयोग की स्वतन्त्रता नहीं थी। इनका प्रयोग एक उच्च वर्ग के रहमोकरम पर ही था।

अतः इस प्रकार के वातावरण में डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम मालोजी सकपाल (अंग्रेज फौज के सूबेदार थे) तथा माता का नाम भीमा बाई था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा ऐसे असमानता भरे वातावरण में सतारा के प्राथमिक विद्यालय में हुई। डॉ0 अम्बेडकर की बाकी की उच्च शिक्षा दूसरे देशों में हुई, क्योंकि भारत के अस्पृश्य और ऊँच–नीच, जातिवादी मानसिकता भरे वातावरण में डॉ0 अम्बेडकर को यहाँ उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ा, इसलिए उन्हें आगे की शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ा और वहाँ के समतापूर्ण वतावरण में उन्होंने पी–एच0डी0 बार–एट लॉ, डी–एस0सी0 जैसी उपाधियाँ प्राप्त कीं और अस्पृश्य समाज में उच्च शिक्षा हासिल कर समाज का ही नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन किया। (यहाँ यह कटु सत्य है कि उस समय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डॉ0 बाबा साहेब भीमराव

अम्बेडकर के समान अन्य कोई शिक्षित व्यक्ति किसी भी समाज में नहीं था।)

''डॉ0 अम्बेडकर का जन्म भारत में अवश्य हुआ, लेकिन उनकी उच्च शिक्षा मुल्क से बाहर के देशों में हुई, क्योंकि उस समय भारत में जातिवाद, ऊँच–नीच तथा अस्पृश्यता की खाई अधिक थी और मानव से मानव में असमानता का व्यवहार अपने चरम पर था।''[1]

यूँ तो डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है। चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे वह शैक्षिक व सांस्कृतिक हो। प्रत्येक क्षेत्र में डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुकरणीय कार्य किए हैं। इसी प्रकार डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने विभिन्न आन्दोलन कर समाज व राष्ट्रहित में अनेकोंनेक कार्य कर अपना लोहा मनवाया है। उनके द्वारा किए गए आन्दोलन में चाहे कालाराम मन्दिर में प्रवेश का मामला हो, चाहे महाड़ तालाब से पानी पीने का मामला हो, चाहे नारियों को सम्मान दिलाने का मामला हो, अर्थात् किसी समस्या के लिए डॉ0 अम्बेडकर ने आन्दोलन किया हो, प्रत्येक में उन्हें सफलता मिली है। कहने का आशय यह है कि प्रत्येक काम को शुरू करने के पश्चात उन्होंने उसे तभी छोड़ा है, तब उसे पूर्ण कर उसे अंजाम तक पहुँचा दिया है। यह उनकी कार्य शैली, कार्य निपुणता, साहस और बेहिचक अच्छी सूझ–बूझ का नतीजा रहा है कि उन्होंने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त की है।

''डॉ0 अम्बेडकर ने श्रमिकों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हड़ताल का आह्वान किया तथा 20000 किसानों के साथ एक ही दिन ठाणे, कोलाबा, रत्नगिरि सतारा तथा नासिक में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन में किसानों तथा श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह हड़ताल एक मौलिक स्वतन्त्रता है। जिस पर किसी भी सूरत पर अंकुश नहीं लगने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि स्वतन्त्रता कांग्रेसी नेताओं का अधिकार है तो हड़ताल भी श्रमिकों का पवित्र अधिकार है।''[2] इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर ने किसानों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए तत्कालीन सरकार और कांग्रेसी नेताओं के सामने जोर–शोर से किसानों और श्रमिकों के हक के लिए आन्दोलन किया और सरकार को किसानों तथा श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए बाध्य किया। यह आन्दोलन डॉ0 अम्बेडकर का श्रमिकों के हित में एक बहुत बड़ा सशक्त कदम था, जिसका परिणाम तत्कालीन ही नहीं, बल्कि वर्तमान परिवेश में महत्वपूर्ण है, जिसकी उपादेयता आज कोविड–19 महामारी के समय भी देखी जा रही है।

यह बात तो डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा वे कार्य थे, जो कि उनकी अद्भुत कार्य क्षमता, दक्षता, कार्य शैली के कुछ उदाहरण है, लेकिन इनके साथ ही बहुत ऐसे कार्य डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े है जोकि एक वर्ग विशेष या समाज से सम्बन्धित नहीं हैं। वे सम्पूर्ण समाज के हित के लिए है और ये कार्य ऐसे हैं, जिनके लिए पूरा समाज संघर्षशील रहता है। इसी प्रकार के कार्यों में उनका एक अथक प्रयास या कार्य रहा है, वह है श्रमिक वर्ग के लिए उनके अधिकारों को दिलाने के लिए श्रमिक संघर्ष या श्रमिक आन्दोलन, जोकि उन्होंने देश आजाद होने से पूर्व अंग्रेज सरकार में श्रम मन्त्री के रूप में किया। उस समय की तत्कालीन अंग्रेज सरकार को श्रमिक हित में अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर ही नहीं बल्कि बाध्य कर दिया। उन्होंने उस समय श्रमिकों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके लिए दैनिक वेतन, काम के घण्टे, बीमा, सुरक्षा–व्यवस्था इत्यादि का बन्दोबस्त किया।

''बहुत कम लोग इससे परिचित है कि डॉ0 अम्बेडकर ने श्रमिक हितों के लिए 'इंडिपेन्डेट लेवर पार्टी' की 15 अगस्त, 1936 को स्थापना की और इस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर मजदूरों के हित में 12 जनवरी 1938 को पार्टी के बेनर तले किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया और हड़ताल करने को श्रमिकों, किसानों का मौलिक अधिकार घोषित कराया।''[3]

उस समय जमींदार लोग 'वतन प्रथा' चलाते थे। वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के बदले पूरे गांव को बधुंआ मजदूर बनाकर रखते थे, साथ ही पूरे गांव के लोगों को श्रम भी करना पड़ता था, जिसके कारण लोगों को आर्थिक हानि तो उठाने ही पड़ती थी, साथ ही शारीरिक हानि भी उठानी पड़ती थी, जिसके कारण सारे लोग डरे व दबे रहते थे। इस प्रथा को डॉ0 अम्बेडकर ने समाप्त कराया। ''17 सितम्बर 1937 को उन्होंने महारो की अधीनता की स्थिति में रखने के लिए चली आ रही 'वतन प्रथा' खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के बदले महारों को पूरे गांव के लिए श्रम करना पड़ता था और अन्य सेवायें देनी पड़ती थी। इस तरह पूरे गांव के लोग बधुआ मजदूर होते थे।''[4]

डॉ0 अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में महारों को जमीन से बेदखल करने की जो 'वतनदारी' प्रथा थी, जिसके तहत सवर्ण लोग महार लोगों की जमीन हड़प या जब्त कर उनसे गुलामों जैसा व्यवहार करते थे, साथ ही गुलामी भी कराते थे। उस प्रथा को डॉ0 अम्बेडकर ने खत्म कराया। इस व्यवस्था को समाप्त कराने की दिशा में डॉ0 अम्बेडकर ने एक विधेयक पास कराया। ''इस विधेयक में यह प्रावधान था कि महारों को उस जमीन से बेदखल न किया जाय, जो गांव की सेवा के बदले में भुगतान के तौर में उन्हें मिली है। क्योंकि इससे पूर्व शाहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में सन् 1918 में कानून बनाकर 'वतन प्रथा' का अंत कर दिया था तथा भूमि सुधार लागू का महारों को भू–स्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई।''[5] इस प्रकार पूर्व आदेश को नजीर बनाते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महारों के हक में एक सशक्त कदम उठाया और एक विधेयक पास कराते हुए उन्हें स्वाबलम्बी बनाया, जो उनका ऐतिहासिक कदम था।

इसी क्रम में डॉ0 अम्बेडकर ने बिचौलिया या खोट व्यवस्था को समाप्त कराया। खोट व्यवस्था के तहत स्थानीय सवर्ण लोग राजा की तरह से निम्न वर्ग के लोगों से व्यवहार करते थे, और राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते थे, जिसके कारण निम्न वर्ग से राजस्व के रूप में वसूला गया पैसा पूरी तरह सरकारी खजाने में जमा नहीं हो पाता था और उन्हें पुनः राजस्व चुकाना पड़ता था। इस व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा भी उन्होंने विधेयक पास गराया। ''डॉ0 अम्बेडकर ने खोटी व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस व्यवस्था के तहत एक बिचौलिया अधिकारी लगान वसूल करता था। इस बिचौलियो को खोट कहा जाता था। यह खोट स्थानीय राजा की तरह व्यवहार करते थे तथा राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते थे। ये खोट अक्सर सवर्ण जातियों से ही होते थे।''[6] इस प्रकार खोट व्यवस्था का प्रतिरोध करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने उसका खात्मा कराया, जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए राहत भरा कदम था। वे अब सीधे जाकर लगान जमा कर सकते थे।

आर्थिक एवं औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में डॉ0 अम्बेडकर का कहना था कि आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए हमें उद्योगों की आवश्यकता होती है। उद्योग चलाने के लिए पूँजी और मशीनों की आवश्यकता होती

है, ठीक इसी प्रकार पूँजी और मशीनों के साथ–साथ हमें उद्योगों से उत्पादन के लिए श्रमिकों की नितान्त आवश्यकता है। श्रमिकों के बिना हम कोई भी उद्योग (चाहे छोटा हो या बड़ा हो) उसमें उत्पादन बिना श्रमिकों के नहीं हो सकता है, अर्थात् श्रमिकों के बिना कोई भी औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन होना असम्भव है। अतः उद्योगों के लिए पूँजी और मशीनों के साथ–साथ श्रमिकों का काफी बड़ा महत्व ही नहीं योगदान है। डॉ0 अम्बेडकर के शब्दों में–''किसी भी उद्योग को चलाने या उत्पादन के लिए श्रमिकों का बड़ा योगदान है। श्रमिकों के बिना उत्पादन की कोशिश करना बेमानी है, इसलिए हमें श्रमिकों के हितों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। श्रमिकों का हित सर्वोपरि है।''[7]

डॉ0 धन्नजयकीर ने अपनी पुस्तक 'डॉ0 अम्बेडकर एक युगपुरूष' में लिखा है कि–''श्रम मन्त्री के रूप में उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में श्रमिकों के हित को सर्वोपरि माना तथा श्रमिकों के हितों के लिए समय–समय पर आन्दोलन ही नहीं किए बल्कि विधान सभा में श्रमिकों के हितों की लड़ाई लड़ते हुए कई महत्वपूर्ण अध्यादेश पास कराए, भले ही इस कार्य के लिए उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया। चाहे कांग्रेसी नेताओं की नाराजगी हो या पूँजीपतियों का विरोध हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और श्रमिकों को उनके वाजिब हक दिलवाए।''[8]

डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर श्रमिकों के लिए एक बीकन रहे हैं। डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कमजोर एवं असहाय वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में जीवित मजदूरी, सभ्य कार्य और क्रूर मकान मालिकों के उत्पीड़न तथा किसानों की स्वतन्त्रता के लिए तत्कालीन सरकार के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा और श्रमिक वर्गों के हित के लिए उन्हें लागू करने का अनुरोध किया। डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर ने सामाजिक बुराईयों को हटाने के लिए विभिन्न आन्दोलन किए और जीवन भर उन बुराईयों से लड़ते रहे। ''श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए सन् 1936 में 'स्वतन्त्र श्रम पार्टी' की स्थापना की और उसे आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए। उनके इस व्यापक कार्यक्रम में भूमिहीन, गरीब किराएदार, कृषक और श्रमिकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम अधिक थे। उन्होंने श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से अपनी 'स्वतन्त्र लेबर पार्टी' के बैनर तले सन् 1937 में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में 17 उम्मीदवारों में से 15 उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए। इस प्रकार पहली बार में ही डॉ0 अम्बेडकर को राजनीति में अच्छी सफलता मिली। इसी तारतम्य में 17 सितम्बर 1937 को बोम्बे विधान सभा में पूना सत्र के दौरान कोकन में भूमि कार्यकाल की खोटी प्रणाली को समाप्त करने का बिल पेश किया और सफलता प्राप्त की।''[9]

यही नहीं उन्होंने सन् 1937 की शुरूआत में औद्योगिक विवाद विधेयक का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि इस विधेयक में श्रमिकों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए हड़ताल करने का हक नहीं था। इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर ने श्रमिकों को अपना हक प्राप्त करने के लिए हड़ताल को वैध कराया।

जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व की व्यवस्था में प्रवाह था, तब ऐसे समय में डॉ0 अम्बेडकर श्रमिकों के आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर भारतीय श्रम–व्यवस्था का मार्ग दर्शन कर रहे थे। एक प्रकार से उद्यमी और प्रबन्धक समृद्धि के लिए श्रमिकों से आशा तो करते थे, लेकिन श्रमिकों को उनका शेयर नहीं देते थे। इस नीति का डॉ0 अम्बेडकर ने विरोध किया। डॉ0 अम्बेडकर ने सरकार की श्रम नीति के लिए बुनियादी संरचना के लिए नींव रखकर श्रम कल्याण के लिए उपायों को पायलट किया और पेश किया।

उन्होंने नौटी की समस्याओं का सामना किया और कर्मचारियों और नियोक्ताओं से सम्मान प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में 18 नवम्बर 1943 को डॉ0 अम्बेडकर ने विधान सभा में भारतीय ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया और बहस करने के बाद नियोक्ताओं को ट्रेड यूनियनों की मांगो को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, जो ट्रेड यूनियनों के लिए एक सफलता का रास्ता था।''[10]

''मजदूरों और किसानों के इस संघर्ष का नेतृत्व करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने सोशलिस्टों और कम्यूनिस्टों का भी सहयोग लिया, लेकिन यह सहयोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट पूँजीवाद को तो दुश्मन मानते थे, लेकिन वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जबकि डॉ0 अम्बेडकर ब्राह्मणवाद और पूँजीवाद दोनों को भारत के मेहनतकशों का दुश्मन मानते थे। 12—13 फरवरी 1938 को मनभाड़ में अस्पृश्य रेलवे कामगार परिशद की अध्यक्षता करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने कहा कि ''भारतीय मजदूर वर्ग ब्राह्मणवाद और पूँजीवाद दोनों का शिकार है और इन दोनों व्यवस्थाओं पर एक ही सामाजिक समूह का वर्चस्व है।'' उन्होंने उपस्थित कामगारों से कहा कि कांग्रेस, सोशलिस्ट और वामपंथी तीनों अस्पृश्य कामगारों के विशेष दुश्मन ब्राह्मणवाद से संघर्ष करने को तैयार नहीं है। उन्होंने अस्पृश्यों, कामगारों यूनियन से अपनी पार्टी इंडिपेंडेन्ट लेब पार्टी का समर्थन करने का आह्वान किया।''[11]

महिला श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने सन् 1943 में माइन्स मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य यह था कि महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ के साथ सशक्त बनाना। इसी क्रम में श्रमिक महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 8 फरवरी 1944 को कोयला खानों में भूमिगत काम पर महिलाओं के रोजगार प्रतिबन्ध लगाने पर बहस के दौरान विधान सभा में बोलते हुए कहा कि—''यह पहली बार है कि मुझे लगता है कि किसी उद्योग में सिद्धान्त समान कार्य के लिए समान वेतन के बराबर वेतन की व्यवस्था की गई है।''[12] यह उनके द्वारा कृत का ऐतिहासिक क्षण था। इसी क्रम में 26 नवम्बर, 1945 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर ने प्रगतिशील श्रम कल्याण कानून लाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि—''श्रम अच्छी तरह से कह सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने 100 साल का श्रम कानून का उचित कोड लिया है, कोई तर्क नहीं है कि इतिहास हमेशा एक उदाहरण नहीं है। यह अधिक बार की एक चेतावनी है।''[13] इस प्रकार तर्क प्रस्तुत करते हुए उन्होंने श्रमिक हितों के लिए ब्रिटिश सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य किया।

अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर ने समाज में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक लड़ाई लड़ने के साथ समाज के श्रमिक वर्ग के हितों के लिए समय—समय पर विभिन्न आन्दोलन ही नहीं किए बल्कि उन आन्दोलनों को नेतृत्व भी किया। इसके साथ—साथ जन प्रतिनिधि के रूप में समय—समय पर तत्कालीन सरकार के सामने विभिन्न मुद्दों पर विधेयक प्रस्तुत किए। विधेयक प्रस्तुत ही नहीं किए बल्कि उन पर गम्भीर बहस और तर्क देते हुए उन्हें पास भी कराया और सरकार को श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने पर मजबूर किया।

''भारत के वायसराय की कार्यकारी कौंसिल में लेबर मेम्बर के पद पर रहते हुए बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने मजदूर संगठन और उनकी भलाई के लिए बहुत सी उपलब्धियाँ व सुविधा अंग्रेजों से हासिल करके मजदूरों को दी। इनके द्वारा हासिल कुछ उपलब्धियों में से बहुत सी उपलब्धियाँ जारी भी मजदूरों के हित में लागू

हैं, जिन्हें केन्द्र व राज्य सरकार लागू किए हुए है। ये उपलब्धियाँ निम्नांकित हैं :–

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बाबा साहेब ने विधान सभा में 1916 में पेश किया और पास कराया।
2. बाबा साहेब ने ट्रेड यूनियन कानून में संशोधन करके सभी रजिस्टर्ड यूनियनों को मान्यता दिलाई।
3. मजदूरों के लिए अनिवार्य बीमा योजना की शुरूआत की।
4. मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करवाई।
5. स्त्री मजदूरों को वेतन के साथ प्रसूति छुट्टियों की सुविधा उपलब्ध कराई।
6. यदि सफाई कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल पर चले जाते या एक सप्ताह काम पर नहीं जाते, तो उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेजा जा सकता था। ऐसा नियम दिल्ली नगर पालिका में प्रचलित था, ऐसे नियम को बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने समाप्त कराया। दिल्ली का सर्वप्रथम सफाई मजदूर संगठन और नगर पालिका कामगार संगठन बाबा साहेब के नेतृत्व में स्थापित हुआ।
7. काम करते हुए मजदूर को चोट लगने, अंग कटने या मृत्यु होने पर उचित मुआवजे का कानून भी बाबा साहेब ने पास कराया।
8. अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करने के अधिकार को बाबा साहेब ने उचित ठहराया।
9. बाबा साहेब ने लेवर मेम्बर रहते हुए पूरे देश में रोजगार कार्यालय स्थापित कराए।''[14]

अतः इस प्रकार डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तत्कालीन सरकार में श्रम मन्त्री रहते हुए श्रमिकों के हित में अनेक विधेयक, बिल प्रस्तुत किए और पास कराए। उन्होंने श्रममन्त्री के रूप में अधिक से अधिक कार्य श्रमिक हित में किए। उन्हीं के द्वारा प्रदत्त अधिकारों की देन है कि वर्तमान राज्य व केन्द्र सरकार श्रमिक हित में कार्य कर रही है। इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर की श्रममन्त्री के रूप में श्रमिक हित में बहुत बड़ी भूमिका है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है।

वर्तमान परिवेश में कोविड–19 महामारी (राष्ट्रीय आपदा) के समय में देश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए वर्तमान श्रम एवं कल्याण मन्त्री ने डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के श्रमिक हित सम्बन्धी विचारों, कार्यों के महत्व एवं प्रासंगिकता को समझते हुए तथा इस महामारी के दौर में उनकी उपादेयता को सार्थकता समझते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि–''डॉ0 अम्बेडकर के श्रमिक विचारों से प्रेरित होकर मौजूदा सरकार ने श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए है। उदाहरण के लिए प्रधानमन्त्री श्रम योगी मान–धान योजना को फरवरी 2019 में लागू किया गया। इस योजना के उद्देश्य के तहत श्रमिकों को अपने बुढ़ापे में असंगठित सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, अर्थात् किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम कानून के प्रवर्तन में श्रम सुविधा पोर्टल, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जैसे तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त मौजूदा सरकार ने केन्द्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों को चार श्रमिक कोडो में विभक्त किया है। मजदूरी पर श्रम संहिता, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की परिस्थितियाँ इत्यादि को सरल और तर्क संगत बनाने के लिए कार्य कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि कोविड महामारी द्वारा लाए गए असाधारण परिस्थितियों में श्रम बिरादरी का विशेष महत्व है और सलाम का हकदार है। इसी श्रृंखला में श्रममन्त्री ने कहा कि श्रमिकों के लिए अनेक नेताओं ने कार्य किए हैं, लेकिन उन नेताओं में डॉ0 अम्बेडकर का स्थान अतुलनीय व सबसे श्रेष्ठ है। श्रम बिरादरी के हकों

की लड़ाई लड़ने का सच्चा श्रेय डॉ0 अम्बेडकर को जाता है। चूँकि हम राष्ट्र निर्माण में अनगिनत मजदूरों के अनगिनत योगदान को याद करते है। जिसमें श्रमेव जयते की लगातार बढ़ती भावना होती है। इस सबका श्रेय डॉ0 अम्बेडकर को है। आज हम मजदूर दिवस पर तहेदिल से अम्बेडकर को याद करते है। उनका योगदान भारत के श्रमिक और भारत के लिए सदा अविस्मरणीय रहेगा। श्रमिक कानूनों के संदर्भ में सदैव हम (सरकार) ऋणी रहेंगे। आज अन्तराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर को देश उनके कई योगदान के लिए याद करता है, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण कार्य मजदूर और किसानों को संगठित करने और उनके आन्दोलन का नेतृत्व करने का भी था। अतः हमें डॉ0 अम्बेडकर के योगदान को याद रखना चाहिए।''[15]

मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर 01 मई, 2020-09:36 पूर्वान्ह को केन्द्रीय श्रममन्त्री अर्जुनराम मेघावल का सम्बोधन :- उपर्युक्त विवेचन एवं अनेक उदाहरणों के माध्यम से कहा जा सकता है कि डॉ0 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रकार समाज एवं राष्ट्र के विभिन्न पक्षों में जीवन भर कार्य किए है, जिनके द्वारा समाज और राष्ट्र के सामने विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए हैं, चाहे वह समाज में अस्पृश्यता, छुआछात, ऊँच-नीच का मामला हो, चाहे शिक्षा-रोजगार की बात हो, चाहे अर्थ-व्यवस्था की समस्या हो, चाहे राष्ट्रनीति बनाने का मामला हो, चाहे विदेशी कम्पनियों का या निजीकरण का मामला हो, चाहे नारी सशक्तिकरण का मामला हो। प्रत्येक क्षेत्र में डॉ0 अम्बेडकर का योगदान अविस्मरणीय है। ठीक इसी प्रकार डॉ0 अम्बेडकर ने श्रम मन्त्री रहते हुए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सामने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक व कानूनी कई कदम (विधेयक) उठाए और उन्हें श्रमिक हित में लागू कराया। कई बार तो उन्होंने श्रमिक आन्दोलनों का स्वयं नेतृत्व भी किया, जो एक ऐतिहासिक कार्य था। आज हम वर्तमान परिवेश में श्रमिक हितों में डॉ0 अम्बेडकर द्वारा कृत कार्यों (योगदान) के ऋणी रहेंगे।

संदर्भ सूची :-

1. देशभक्त और संविधान शिल्पी डॉ0 अम्बेडकर - भिक्षु विमल कीर्ति, पृष्ठ -22
2. अम्बेडकर का महाड़ मार्च बनाम गान्धी का दांडी मार्च - के0एम0 सन्त, पृष्ठ-12
3. इन्डिपेन्डेंट लेबर पार्टी - डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, पृष्ठ-28
4. अम्बेडकर का महाड़ मार्च बनाम गान्धी का दाण्डी मार्च - के0एम0 सन्त, पृष्ठ-12
5. वही, पृष्ठ-18
6. वही, पृष्ठ-28
7. डॉ0 अम्बेडकर का आर्थिक एवं सामाजिक दर्शन - डॉ0 डी0आर0 अम्बेडकर, पृष्ठ-50
8. डॉ0 अम्बेडकर एक युग पुरूष - डॉ0 धन्नजयकीर, पृष्ठ-25
9. इन्डिपेन्डेंट लेबर पार्टी - डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, पृष्ठ-35
10. वही, पृष्ठ-40
11. वही, पृष्ठ-42
12. 8 फरवरी 1944 को विधान सभा में महिलाओं के पक्ष में दिया गया ऐतिहासिक भाषण का अंश, डॉ0 अम्बेडकर का पूना ऐतिहासिक भाषण-एल0आर0 बाली।
13. 26 नवम्बर 1945 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में डॉ0 अम्बेडकर के ऐतिहासिक भाषण का अंश, डॉ0 अम्बेडकर का पूना ऐतिहासिक भाषण-एल0आर0 बाली।
14. संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एक परिचय-चन्द्रप्रकाश आशारानी, पृष्ठ-35-36
15. 01 मई, 2020 को मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में केन्द्रीय श्रममन्त्री अर्जुनराम मेघवाल का लिखित एवं मौखिक (सम्बोधन) बयान।

मो0 नं0- 9219765596

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 98-100

समाज शास्त्री - डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर

के. सुवर्णा
जी. टी. विद्वा संस्थान, सुंकदकट्टे, बेंगलूरू–५६००२१

अम्बेडकर का जन्म १४ अप्रैल १८९१ को मध्य प्रदेश में स्थित 'महू' नगर में हुआ था। रामजी मालोजी सकफल और भीमाबाई की अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाले मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नामिरो जिले में आंबडव गाँव के निवासी थे। अम्बेडकर ने सतारा नगर मे राजवाडा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में ७ नवब्बर १९०० को अंग्रेजी पहली कक्षा में प्रवेश लिया इसलिए ७ नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। जब वे अग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उर्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूते मे असमान्य बात थी, उनके परिवार के मित्र एंव लखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्द की जीवनी उन्हे भेंट दी गयी। इसे पढकर उन्होने पहली बार गौतम बुद्द एंव बौद्द धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। १९०७ में उन्होने अपनी मैट्रिक परीक्षा उतीर्ण की और अगले वर्ष उन्होने कालेज में प्रवेश किया।

इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। १९१२ तक उन्होने बाँम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक प्राप्त की १९१३ में अम्बेदकर २२ वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। न्यूयार्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए तीन वर्ष ए. लिव. प्रति माह बडोदा राज्य की छात्रवृति प्रदान की गई थी। अपनी कला स्नातकोत्तर परीक्षा पास की जिसमे अर्थ शास्त्र प्रमुख विषय, और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अंत में अर्थशास्त्र में पी.एच.डी प्राप्त की गई जब प्रथम युद्द का काल था, उन्होने अर्थशास्त्र में डी. एस.सी उपाधी प्राप्त की।

अम्बेडकर ने कहा था, छूआ छुत गुलामी से भी बदतर है बड़ोदा रियासत द्वारा गायकवाड का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होने इस घटना को अपनी आत्मकथा में निर्णित किया। इसके बाद लेखाकार के रूप में व एक नीजि शिक्षक के रूप में भी काम किया। हालाकि वे छात्रों के साथ सफल रहे फिर भी अन्य प्रोफेसर ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिये पृथक निर्वाचिक और आरक्षण देने की वकालत की। बंबई से उन्होने साप्ताहिक मूकनायक के

प्रकाशन की शुरूआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकाप्रिय हो गया। तब अम्बेडकर ने इसका रूढीवादी हिन्दू राजनेताओ व जातीय भेदभाव से लड़ने के लिए प्रेरणा दी। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिये गये भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाह चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया। जिनका अम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा गया।

सन् १९२७ तक डॉ. अम्बेडकर ने छूआछूत के विरूद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरम्भ करने का निर्णय किया। उन्होने सार्वजनिक आंदोलनो, राज्यग्रहों और जलूसों के द्वारा अछुतों को भी हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। २५ दिसबंर १९२७ को उन्होनें हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रति वर्ष २५ दिसंबर को मनस्मृति दहन दिवस के रूप में दलितों द्वारा मनाया जाता है। उन्होंने लिखा है मुस्लिम समाज मे तो हिन्दू समाज से भी कहीं अधिक सामाजिक बुराईयां है और मुसलमान उन्हे भाईचारे जैसे नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते है। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अर्जल वर्गा के खिलाफ भेदभाव जिन्हे निचले दर्ज का माना जाता था। समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की जिसके कारण इस्लाम की नीतियों का अक्षरक्ष अनुपालन की बता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया। सांप्रदायिकता से पीड़ित हिन्दूओं और मुसलमानों दोनों समूहों ने सामाजिक न्याय की माँग की।

अब तक भीमराव अम्बेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गाँधी की भी आलोचना की। उन्होने उन पर अछूत समुदाय को एक करूणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैविय अंसतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊचाँइयों का क्षेत्र है। उनकी एक नारा "हालाकि मैं एक अछूत हिन्दू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन में एक हिन्दू के रूप में हरगिज नही मारूंगाँ। अपने अनुयायियों से भी हिन्दू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाते का आह्वान किया। उन्होने अपनी इस बात का भारत भर में कई राजनैतिक सभाओं में भी दोहराया। निःसन्देह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। परिश्रम और संगठन होने से स्थिति में सुधार आए। इसके अलावा अम्बेडकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे। जिसका केन्द्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमे स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व हो, किसी भी हाल मे धर्म की बीमारी से जकड़ा पे और ना ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे, जिसमे अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद १२ वर्ष तक के समय के बीच उन्होने ने विश्व के सभी प्रमुख धर्मो का गहन अध्ययन किया।

वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करे उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी धर्मान्तरण करे। अम्बेडकर बौद्द धर्म को पसंद करते थे क्योकि उसमें तीन सिद्धांतों का समान्नित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता बौद्ध धर्म प्रज्ञा करूणा और समता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्ही बातो को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। साथ ही उनका कहना था धर्म का कार्य विश्व का

पुनर्निमाण करना होना चाहिए। अम्बेडकर का मानना यह था कि धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। ये सब बाते उन्हें एक मात्र बौद्ध धर्म में मिली।

पहला और सबसे महत्वपूर्ण समाजिक दस्तावेज के रूप में अम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। इनके द्वारा तैयार किये गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए गारही सुरक्षा प्रदान की गई है। जिसमे धर्म की आजादी छुआछूत को खत्म करना, और भेदभाव के सभी रूपो का उल्लंघन करना शामिल है। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तक दिया स्कूल और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता जो के सकारात्मक कारवाई थी। अम्बेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और भारत आधुनिक, वैज्ञानिक सोभ और तर्कसंगत विचारों का देश होता, अम्बेडकर ने एक समान नागरिक सहित को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की इच्छा प्रकट की। इस मसौदे मे उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की माँग की गयी थी।

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 101-104

शिक्षा विषयक डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार–एक समीक्षात्मक अध्ययन

Tushar Arora
Class Teacher, Social Science Department, Vedantu Innovation Pvt. Ltd.

सार :–

डॉ0 भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए मसीहा थे। ज्ञान, अद्भुत प्रतिभा, न्यायशीलता एवं स्पष्टवादिता जैसे गुण उनमें मौजूद थे। वह भारत के संविधान के मुख्य शिल्पी होने के साथ–साथ एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, सक्रिय राजनेता एवं अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार करने तथा दलितों को अत्याचार, शोषण एवं गुलामी से मुक्त करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज में दलितों की स्थिति के कारण उनके साथ होने वाले अत्याचार, शोषण व अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। स्वयं डॉ0 अम्बेडकर को भी अपने जीवन में, दलित होने के कारण, बहुत अपमान एवं अन्याय का दंश झेलना पड़ा। फिर भी डॉ0 अम्बेडकर ने शिक्षा के विषय में अपना विस्तृत विचार प्रस्तुत किया।

प्रस्तावना :–

डॉ0 अम्बेडकर ने शिक्षा को व्यक्ति के उत्थान का एकमात्र साधन बताया है। उनके अनुसार शिक्षा के बिना मनुष्य एक पशु के समान होता है। उनका कहना था कि दलितों का शोषण भी केवल इसीलिए होता है क्योंकि वह शिक्षित नहीं हैं। डॉ0 अम्बेडकर के प्रभावशाली विचारों के कारण ही उन्हें अमेरिका में 'ज्ञान का प्रतीक' की उपाधि से सम्मानित लिया गया था। भारतीय समाज में समानता के विचार का प्रादुर्भाव भी डॉ0 अम्बेडकर के विचार के द्वारा ही हुआ। सदियों से शोषित दलित समाज भी समानता के अधिकार की बात करने लगा। उसका श्रेय डॉ0 भीमराव को ही जाता है। उन्होंने न केवल दलितों को अपितु महिलाओं को भी शिक्षा एवं समानता का अधिकार दिलाने का कार्य किया। आज भारतीय समाज में प्रत्येक वर्ग व प्रत्येक धर्म का व्यक्ति समानता के साथ रह रहा है, तो उसमें डॉ0 भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण :–

डॉ. भीमराव अंबेडकर, भारतीय समाज के एक महान नेता और एक महान समाजशास्त्री थे। जिन्होंने न केवल अपने आत्मविश्वास, बल्कि शिक्षा के प्रति अपने उद्दीपन और समर्पण के माध्यम से समाज को सुधारने का संकल्प लिया। उनका दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति विशेष था, और उन्होंने इसे एक जीवन यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए अपनी शक्ति का समर्पण किया। अंबेडकर ने शिक्षा को मुक्ति, समाज में समानता, और आत्मनिर्भरता का

साधन माना। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्ति को सिर्फ ज्ञान के साथ ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त करने का एक माध्यम भी प्रदान करती है। अंबेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा के प्रति अपने समर्पण के माध्यम से एक मिसाल स्थापित की हैं। उन्होंने अपनी कठिनाइयों और समाज में उन्हें दी जाने वाली सामाजिक स्थिति के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और बहुत मुश्किलों के बावजूद उन्होंने विदेश में अध्ययन करने का निर्णय किया। अंबेडकर का यह मानना था कि शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए, अनेक वर्गों के लोगों को उच्च शिक्षा के संबंध में अधिकारित करना चाहिए। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और नस्लीय स्थिति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ सख्त रूप से खड़ा होने का समर्थन किया और समाज में समानता के माध्यम से समृद्धि का समर्थन किया। अंबेडकर ने शिक्षा को समाज में सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन माना और उन्होंने शिक्षा को एक समाज में बदलाव लाने का माध्यम बनाया। उन्होंने शिक्षा को उन्नति और समृद्धि की ओर एक कदम माना और उसे एक समृद्धि भरा समाज बनाने का साधन समझा। डॉ. भीमराव अंबेडकर का शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण उदाहरणीय है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य :-

भारतीय समाज के महान नेता डॉ. भीमराव अंबेडकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के सभी पहलुओं में शिक्षा को मुक्त, समान, और सामाजिक उन्नति का माध्यम बनाने के लिए कठिनाईयों का सामना किया और शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत प्रयास किए। शिक्षा के मुक्त और समान हकः अंबेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों को मुक्त और समान हक देने के लिए समर्थन जताया। उन्होंने विशेषतः दलितों के लिए उच्च शिक्षा के अधिकार की मांग की और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समाज में सभी वर्गों के लोगों को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। अंबेडकर ने शिक्षा को आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण साधन माना और अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को स्वतंत्र और सकारात्मक सोचने की क्षमता प्रदान करने का समर्थन किया और उन्हें समाज में समर्थ नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। डॉ. अंबेडकर ने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में लौटकर वे विभिन्न विद्यापीठों में प्रोफेसर बने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुसंधान और शिक्षण कार्यों के माध्यम से अपना योगदान दिया। अंबेडकर ने शिक्षा को एक समाज में जागरूकता और सामाजिक बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और उन्हें समाज में समस्याओं का सामना करने और सुलझाने के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक समानता की प्रोत्साहन का साधन माना और उन्होंने इसके माध्यम से समाज में सामाजिक असमानता को कम करने के लिए प्रयास किए। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्यों से नहीं सिर्फ भारतीय समाज को जागरूक किया, बल्कि उन्होंने शिक्षा को एक समाजशास्त्री, विचारक, और समाजसेवी की भूमिका में भी स्थापित किया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के शिक्षा सम्बन्धी विचार :-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवनभर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए, जो समाज में सामाजिक और आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए थे। अंबेडकर ने शिक्षा को समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का माध्यम माना। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में समानता और

स्वतंत्रता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। अंबेडकर ने शिक्षा को समाज में समर्थन का माध्यम माना और यह समझाया कि शिक्षित समाज अधिक विकसित होता है और उसमें सामाजिक असमानता कम होती है। उनका उद्देश्य था कि शिक्षा को सामाजिक सुधार का एक साधन माना जाए, जिससे समाज में जातिवाद, असमानता, और भेदभाव के खिलाफ लोग जागरूक हों और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य करें। डॉ. अंबेडकर ने दलितों और अनुसूचित जातियों के लिए उच्च शिक्षा के अधिकार की मांग की और इस पर उन्होंने लड़ा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए कि यह अधिकार सभी को समानता से प्राप्त हों। अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक समर्थन का माध्यम बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता को प्रमोट किया और समाज में इसका प्रचार–प्रसार किया। अंबेडकर ने अपनी शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएं।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा के विचारों ने भारतीय समाज में जातिवाद, असमानता, और उन्नति की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त किया और उनकी सोच आज भी हमें एक उच्चतम समाज की दिशा में प्रेरित करती है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण विचारों को उजागर किया था। उनकी दृष्टि से एक उच्च गुणवत्ता और समानता की भावना से युक्त शिक्षा व्यवस्था को साधारित करने के लिए कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अम्बेडकर ने शिक्षा में समानता की भावना को प्रमोट किया और सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकारों का हकदार माना। उनका कहना था कि हर किसी को शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता का अधिकार होना चाहिए। अम्बेडकर ने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की महत्वपूर्णता को बताया। उनका मानना था कि शिक्षा को उच्चतम मानकों पर बनाए रखना चाहिए ताकि विद्यार्थी समृद्धिशील नागरिक बन सकें। अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक असमानता के खिलाफ एक साधन माना। उनका उद्देश्य था कि शिक्षा के माध्यम से समाज में जातिवाद, भेदभाव, और असमानता का समापन हो। डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का एक माध्यम माना और यह समझाया कि शिक्षा व्यक्ति को बेहतर रोजगार के लिए तैयार करने में मदद करती है। अम्बेडकर ने शिक्षा को विशेषज्ञता और अनुसंधान के लिए एक कुशलता बढ़ाने का माध्यम माना। उनका दृष्टिकोण था कि शिक्षा न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को भी अगले स्तर पर ले जा सकती है। अम्बेडकर ने शिक्षा की व्यापक पहुंच को महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना था कि शिक्षा सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचनी चाहिए, विशेषकर उन वर्गों में जो पिछड़े हुए है। अम्बेडकर ने एक उदार शिक्षा नीति की महत्वपूर्णता को बताया और यह कहा कि शिक्षा को सभी वर्गों और समुदायों के बीच समान रूप से बांटा जाना चाहिए। अम्बेडकर जी के इन विचारों से स्पष्ट है कि उन्होंने शिक्षा को समाज में समानता, न्याय, और सामाजिक उन्नति का साधन माना था। उनकी दृष्टि से, शिक्षा समाज में सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने में मदद कर सकती है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर : एक शिक्षा शास्त्री के रूप में :–

डॉ. भीमराव अम्बेडकर को एक शिक्षा शास्त्री (Educationist) कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अद्वितीय और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी शिक्षा से संबंधित दृष्टिकोण और कार्यों के कारण, उन्हें एक शिक्षा नेता के रूप में माना जाता है। डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में इसे समझा जा सकता है। अम्बेडकर ने शिक्षा को समाज में समर्थन का माध्यम माना और उन्होंने यह

सुनिश्चित किया कि समाज में सभी वर्गों के लोगों को इसका अधिकार होना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा को सामाजिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन बनाया जा सकता है और इसके माध्यम से लोग समाज में बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। उन्होंने शिक्षा को समाज में जागरूकता बढ़ाने का साधन माना और उसके माध्यम से लोगों को समाज में बदलाव लाने और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक समानता की प्रोत्साहना का साधन माना और इसके माध्यम से समाज में भूतपूर्व असमानता को कम करने के लिए प्रयास किए। अम्बेडकर ने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में विभिन्न विद्यापीठों में प्रोफेसर बने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुसंधान और शिक्षण कार्यों के माध्यम से अपना योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण साधन माना और अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इन कारणों से, डॉ. भीमराव अम्बेडकर को शिक्षा के क्षेत्र में एक योगदानी और नेता के रूप में माना जाता है, जिनका प्रभाव आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष :-

डॉ0 भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही विस्तारित चर्चा की है। उन्होंने दलितों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने एवं समाज में समानता का अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अंधविश्वास से मुक्ति एवं अन्याय का विरोध शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। डॉ. अम्बेडकर के नारे "शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो" ने तो दलितों एवं शोषितों में जान ही डाल दी। इसी नारे से प्रेरणा लेते हुए दलित समाज के लोगों ने संघर्ष किया और दलित समाज के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।

सन्दर्भ सूची :-

1. बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा के तथ्यों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण।
   S. K. Mahto', Rani Mahto, in Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education Multidisciplinary Academic Research
2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक और शैक्षिक विचारों का अध्ययन।
   Jay Shankar Yadav', in Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education | Multidisciplinary Academic Research.
3. आंबेडकर : हाशियाकृत समाज के शिक्षाशास्त्र।
   https://www.forwardpress.in/2017/10/ambedkars-thoughts-on-education-an-overview-hindi/
4. Dr. B.R. AMBEDKAR'S VIEW ON EDUCATION.
   https://www.nijresearch.com/wp-content/uploads/vol-1-no-2-012.pdf

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 105-109

डॉ. भीम राव आम्बेडकर के आर्थिक विचार

Dr. Deepak Kumar
Ph.D, Post Doctorate2 (Political Science)
K.M.G.G. (P.G.) College, Badalpur, Gautambudh Nagar, C.C.S. University, Meerut, Uttar Pradesh

शोध सार :-

20वीं सदी में डॉ. आम्बेडकर भारत के सबसे उत्कृष्ट बुद्धिजीवी और भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारक थे। अर्थशास्त्र में उनका कार्य उल्लेखनीय है। सार्वजनिक वित्त और कृषि से संबंधित उनके विचार अर्थशास्त्र में मील का पत्थर हैं। उनका मानना था कि भारत के आर्थिक विकास की रणनीति संपत्ति उन्मूलन, असमानताओं को समाप्त करने और जनता के शोषण को समाप्त करने पर आधारित होनी चाहिए। आम्बेडकर ने आम तौर पर महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक विकास, कृषि और सिंचाई, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था, श्रम और औद्योगिक सुधार, बीमा, निवेश और वित्त में योगदान दिया, उन्होंने देश में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास में आरक्षण मानदंड पेश किए। उनके आर्थिक विचारों के माध्यम से आर0बी0आई अधिनियम 1934 के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने में बहुत मदद मिली थी और संसद में महिला सशक्तिकरण विधेयक (हिंदू कोड बिल) पेश करने वाले वे पहले व्यक्ति थे।

मुख्य शब्द :- बी0 आर0 आम्बेडकर, विकास, सशक्तिकरण, अर्थशास्त्री, अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना :-

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर 20वीं सदी में दुनिया के सबसे उत्कृष्ट बुद्धिजीवियों में से एक थे। भारत में सामाजिक और आर्थिक विचारकों का एक समृद्ध इतिहास रहा है जिसने आधुनिक भारत की नींव स्थापित करने में मदद की है। बाबा साहेब आम्बेडकर एक भारतीय अर्थशास्त्री, न्यायविद्, राजनीतिक नेता, दार्शनिक, विचारक, मानवविज्ञानी, इतिहासकार, वक्ता, विपुल लेखक, विद्वान, संपादक, एक क्रांतिकारी और स्वतंत्र भारत के संस्थापकों में से एक थे। सार्वजनिक वित्त और कृषि पर आम्बेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं और भारत की वर्तमान स्थिति में भी लागू है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सरकारों को डॉ. अम्बेडकर के विचारों को आधार बना कर उपाय करने के विशय मे सोचना चाहिए।

संक्षिप्त जीवनी और शिक्षा :-

भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास महू में हुआ था। आंबेडकर रामजी परिवार में सबसे छोटे और 14वें बच्चे थे। उनका जन्म अछूत समुदाय महार में हुआ था। 1897 में आम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया जहाँ 1906 में आम्बेडकर एलफिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लेने वाले एकमात्र अछूत

बनें। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर (एम०ए०) परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय, और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए "प्राचीन भारतीय वाणिज्य (Ancient Indian Commerce)" विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। 1916 में, उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य, "भारत का राष्ट्रीय लाभांश–एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन (National Dividend of India & A Historical and Analytical Study)" के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई, 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश "भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (Evolution of Provincial Finance in British India)" पूर्ण किया और अर्थशास्त्र में पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त की, अक्टूबर 1916 में, ये लंदन चले गये और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स (विधि अध्ययन) के लिए प्रवेश लिया, और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट (Doctorate) थीसिस पर काम करना शुरू किया। 9 मई को, उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में "भारत में जातियां– उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास" नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 1923 में, उन्होंने अर्थशास्त्र में डी०एस0सी० (डॉक्टर ऑफ साईंस) उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस "The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution" (रुपये की समस्या– इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान) पर थी।

नोबल पुरस्कार विजेता डॉ. अमर्त्य सेन ने कहा, कि आम्बेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान अद्‌भुत है और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।" वह वंचितों के सच्चे प्रतिष्ठित समर्थक थे उसने जो हासिल किया है, वह उससे कहीं अधिक का हकदार है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान अद्‌भुत है और उसे हमेशा याद रखा जाएगा।" प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, कि "आम्बेडकर के आर्थिक विचार और उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, जितना अधिक हम भारत के समक्ष आने वाले मुद्दों के संदर्भ में, आंबेडकरकर के विचार को याद करते हैं, उतना ही अधिक हम उनकी दृष्टि और समग्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं।" उनके विचारों के माध्यम से आर0बी0आई अधिनियम 1934 के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में बहुत मदद मिली। वह हमारे देश में रोजगार कार्यालयों के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने राष्ट्रीय पावर ग्रिड प्रणाली, सोन नदी परियोजना, नेविगेशन आयोग, केंद्रीय जल सिंचाई, हीराकुंड परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अर्थशास्त्री के रूप में उनके कामों को निम्नवत बिन्दुओं से समझा जा सकता है।

भारत की मुद्रा समस्या :–

ब्रिटिश शासन के तहत जब भारतीय रुपया गिरते मूल्य से जूझ रहा था, तब डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर ने 1923 में "भारतीय रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान" पर अपनी पी0एच0 डी0 थीसिस लिखी थी। उन्होनें अपनी थीसिस में तर्क दिया कि स्वर्ण विनिमय मानक में स्थिरता नहीं है। भारत सोने के विनिमय मानकों को वहन नहीं कर सकता हैं और इससे मुद्रास्फीति का खतरा भी बढ़ सकता है। उन्होंने सांख्यिकीय आंकड़ों और कारणों से यह सिद्ध किया कि कि किस प्रकार भारतीय रुपये ने अपना मूल्य खो दिया है और इसलिए इसकी क्रय शक्ति लगातार कम हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि धन का प्रवाह चक्रीय होना चाहिए और सरकारी घाटे को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विनिमय दर स्थिरता की

तुलना में मूल्य स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी उपरोक्त पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का कारण बनी।

कर नीति :-

आम्बेडकर ने 1936 में "स्वतंत्र मजदूर पार्टी" के घोषणा पत्र में कराधान के संबंध मे अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने तत्कालीन प्रचलित भूमि राजस्व प्रणाली और समाज के गरीब वर्गों पर इन करों के बोझ का विरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों की भुगतान क्षमता के आधार पर ही कर लगाया जाना चाहिए। यानी अमीरों से ज्यादा कर लिया जाना चाहिए और गरीबों पर कम कर लगाया जाना चाहिए साथ ही एक निश्चित सीमा तक टैक्स में छूट भी मिलनी चाहिए। कराधान लगाते समय सभी बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। कर से लोगों के जीवन की गुणवत्ता कम नहीं होनी चाहिए। भू–राजस्व कर अधिक लचीला होना चाहिए तथा कृषि भूमि पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उस समय भारतीय कर प्रणाली भेदभाव और असमानता पर आधारित थी।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण :-

डॉ. आम्बेडकर का विचार था कि औद्योगिकीकरण के बिना भारत का तीव्र और समग्र विकास संभव ही नहीं है। उनके अनुसार, औद्योगीकरण बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है और बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करता है। इससे विदेशी निर्भरता कम होती है और देश का समग्र आर्थिक विकास होता है। उनका मानना था कि बड़े पैमाने पर निवेश के अभाव में निजी क्षेत्र के उद्योग बड़े उद्योग स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए, सरकार को बड़े पैमाने पर उद्योग शुरू करने के लिए आगे आना चाहिए। छोटे उद्योगों को निजी क्षेत्र को आबंटित किया जाना चाहिए। बीमा एवं परिवहन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। मजदूरों को हड़ताल का अधिकार दिया जाए।

कृषि एवं भूमि सुधार :-

आम्बेडकर ने भारत के प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर जोर दिया। पूर्व कृशि मंत्री शरद पवार के अनुसार, आम्बेडकर के दृष्टिकोण ने सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। डॉ. आम्बेडकर ने भारतीय कृषि व्यवस्था का गहन विश्लेषण किया था और भारतीय कृषि एवं किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अनेको शोध लेख लिखे, सेमिनार एवं सम्मेलनों का आयोजन किया साथ ही किसान आन्दोलन का नेतृत्व भी किया। कृषि पर उनके विचार उनके लेख "Small Holdings in India and their remedies"(1917) और "Status and minorities"(1947) में भी मिलते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि कुछ ही लोगों के पास उपजाउ भूमि होना भारतीय कृषि की एक विकट समस्या है जिसके कई नुकसान हैं जैसे खेती में कठिनाइयाँ, संसाधनों का उपयोग, बढ़ती लागत, कम उत्पादकता, अपर्याप्त आय और निम्न जीवन स्तर। उनके अनुसार, कृषि की उत्पादकता न केवल भूमि की जोत के आकार से बल्कि पूंजी, श्रम और अन्य कारकों से भी संबंधित है। इसलिए यदि पूंजी या श्रम आदि पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं हैं, तो बड़े आकार की भूमि भी अनुत्पादक और अलाभकारी हो सकती है। दूसरी ओर, यदि ये संसाधन (पूंजी और श्रम आदि) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों तो छोटी भूमि जोत उत्पादक बन जाती है। इसी सोच के साथ आजादी के बाद "Land Ceiling Act" पारित किया गया। उन्होंने जाति व्यवस्था के तहत बंधी दासता और श्रम के शोषण का भी उल्लेख

किया जो आर्थिक विकास के लिए बेहद खराब है और उन्होंने इसके उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। उनके सामूहिक खेती, भूमि की आर्थिक जोत, भूमि का समान वितरण, बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण, सरकार द्वारा धन, पानी, बीज और उर्वरक का प्रावधान, बंजर भूमि को भूमिहीन श्रमिकों को आवंटित करके खेती करना, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, किसानों को ऋण देने वाले निजी साहूकारों का नियंत्रण और विनियमन के संबंध में अनेक सुझाव दिये जिससे कृषि व्यवस्था मे सुधार किया जा सके।

मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था :-

डॉ. आम्बेड़कर ने 1923 में ही वैश्वीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, उदारीकरण और निजीकरण का संकेत दे दिया था। भारत सरकार ने इस नीति को 1990 के दशक में अपनाया था। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि डॉ. आम्बेडकर एक सदी आगे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि रूपये का मूल्य स्थिर रख कर मुक्त व्यापार की नीति को सफल बनाया जा सकता है।

जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन :-

डॉ0 आम्बेडकर का मत था कि देश की प्रगति के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है इसलिए उन्होंने भारत में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का पुरजोर समर्थन किया। बाद में उनके विचारों से सहमत होकर सरकार ने परिवार नियोजन को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया था।

महिलाओं का आर्थिक और शैक्षिक उत्थान :-

आम्बेडकर के अनुसार, महिला सशक्तिकरण आवश्यक है और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार और समानता विकसित किए बिना आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी असंभव है लेकिन भारत में महिलाओं की खराब आर्थिक स्थिति के कारण हमारे देश की प्रगति में बाधा आ रही है। इसलिए, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें समान दर्जा, अधिकार और व्यवसाय की स्वतंत्रता देना महत्वपूर्ण है। महिलाओं को शिक्षित करना समाज में उनकी स्थिति बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। शिक्षा असमानताओं में भी कमी लाती है और परिवार के भीतर उनकी स्थिति में सुधार करने के साधन के रूप में भी कार्य करती है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को भौतिक, मानवीय और बौद्धिक संसाधनों जैसे ज्ञान, सूचना, विचार और वित्तीय संसाधनों जैसे धन और धन तक पहुंच तथा घर, समुदाय, समाज और राष्ट्र में निर्णय लेने पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होता है। 1950 में महिला साक्षरता दर 15% से नीचे थी, 1981 में आरक्षण मिलने के बाद 2011–12 में 30% की वृद्धि हुई और यह 67% हो गई। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के उत्थान मे आम्बेडकर का अमूल्य योगदान है। आम्बेडकर ने महिला उद्यमियों के लिए अधिक प्रावधान दिए इसलिए आज विभिन्न क्षेत्रों में इतनी अधिक महिला भागीदारी वाले निवेश देखने को मिले हैं। 1970 में केवल 14.2% महिला उद्यमी थीं, जबकि 2010–11 में महिला उद्यमी की संख्या 31.6% हो गयी। वर्तमान में महिला उद्यमियों की संख्या बेहद तेजी से बड़ी है अक्टूबर 2022 में प्रकाशित नीति आयोग की वेबसाइट पर "भारत में महिला उद्यमियों को सरकारी सहायता डिकोडिंग" रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं का आर्थिक योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 17% है।

निष्कर्ष :-

डॉ. आम्बेडकर का जीवन छोटा (65 वर्ष) था परन्तु उल्लेखनीय था। डॉ. आम्बेडकर सचमुच एक

बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। एक सच्चे दलित मुक्तिदाता, एक महान राष्ट्रीय नेता और देशभक्त, एक महान लेखक, एक महान शिक्षाविद्, एक महान राजनीतिक दार्शनिक, जिसका उनके समकालीनों में कोई सानी नहीं है। आम्बेडकरवाद के आर्थिक विचार आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत प्रासंगिक है। स्पष्ट है कि डॉ0 आम्बेडकर की परिवार नियोजन, महिलाओं के उत्थान और मानव पूंजी और कई अन्य अवधारणाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। चूंकि मौजूदा कानून और सुधार भूमि अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अधिशेष भूमि का वितरण आदि प्रभावी नहीं हैं, इसलिए डॉ. आम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में उन पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य, मुद्रास्फीति, किसानों की स्थिति, भारत की बड़ी युवा श्रम शक्ति का आर्थिक विकास हेतु पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है, हमें डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के विचारों पर पुनर्विचार करने और भारत के बेहतर आर्थिक विकास के लिए फिर से अपनी आर्थिक नीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि डॉ. आम्बेडकर आधुनिक भारत के अग्रणी निर्माताओं में से एक थें।

References :-

1. S. Anand (Ed.), Annihilation of Caste: The annotated critical edition – B.R. Ambedkar – Introduced with the essay 'The Doctor and the Saint' by Arundhati Roy, Navayana Publishers, New Delhi, (2014)
2. B.R. Ambedkar, What Congress and Gandhi have done to the Untouchables?
3. B. R. Ambedkar, Annihilation of Caste, an undelivered speech written in 1936 by B. R. Ambedkar
4. Jaoul Nicolas, Learning the use of Symbolic means: Dalits, Ambedkar statues and the state in U.P., Contributions to Indian Sociology
5. Outlook Magazine 23/08/2004
6. Jadhav Narendra, Ambedkar: Awakening India's social conscience, Konark Publishers, New Delhi (2014)
7. Badal Sarkar, Dr. B. R. Ambhedkar's theory of State Socialism International Research Journal of Social Sciences, 2, (2013)
8. Arun Shourie - "Worshipping False Gods" ASA Publications
9. Y.D. Sontakke Thoughts of Dr. Ambedkar Samyak Prakashan, 2004.
10. Nfim Hoti Lal "Thoughts on Dr. Ambedkar" Anand Sahitya Sadan, Aligarh, 1969
11. Ahir, D.C. (1990) "The Legacy of Dr. Ambedkar" B. R. Publishing corporation, New Delhi.
12. Dr. M. R. Ingle (2009) "Relevance of Dr. Ambedkar?s Economic Philoshophy in the current scenario" International Research Journal, Sep, Vol 1 Issue 12
13. https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar
14. http://www.columbia.edu

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 110-114

डॉ. अम्बेडकर का समाज दर्शन

कु. मीना
पीएच0डी0 (हिन्दी), शोधार्थी, एम0 बी0 रा0 स्ना0 महाविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल।

सारांशिका :-

अम्बेडकर जी को किसी भी दर्शन से बाँधना उनको सीमांकित करना होगा। अम्बेडकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति है उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में समाज को हित में रखकर अपने कार्य किये। जिस समाज से वह पीड़ित हुए, जिस समाज ने उनको दुत्कारा उस समाज की विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन को समाज के उत्थान में लगा दिया। बाबा साहब किसी भी विचारधारा के विरोधी नहीं थी वह तो किसी भी विचारधारा या धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। जिस समाज में उन्होंने विभिन्न दुःख झेले उस समाज को ही वह परिवर्तन करना चाहते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि बाद में आने वाली पीढ़ी किसी भी प्रकार के छुआछूत या किसी भी रूढ़िग्रस्त मानसिकता से न जूझे सब एक–दूसरे को मानव के रूप में देखे तथा सर्वप्रथम अपने मनुष्य होने के धर्म का पालन करे। उनके समाज दर्शन की अगर एक ही व्याख्या की जाए तो उसमें यही भावना निकल कर आती है, 'मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो।' उनमें हमेशा से ही सरलता और सहजता की झलक निकलकर सामने आती है। इतने बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बावजूद उनके मुँह से इतनी सरल और सहज विचार सामने आते है–

'मेरे नाम की जय–जयकार करने से अच्छा है,
मेरे बताए हुए रास्ते पर चले।'

18वीं–19वीं सदी के दौर में ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित था। 1857 की क्रांति एक विश्व व्यापक स्तर में बदलाव की स्थिति थी। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े अपना अस्तित्व बनाए रखी हुई थी। इस दौर के तत्सम की सामाजिक, परिस्थितियों ने समूचे भारत वर्ष के सामाजिक, राजनीति, आर्थिक धार्मिक परिस्थितियों को प्रभावित किया था। पाश्चात्य प्रभाव जहाँ भारत के समाज को प्रभावित कर रहा था तो वही उसे अपनी दासता के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश के अंदर ही विभिन्न संप्रदायों के आपस में कलह उत्पन्न हो रहे थे। सामाजिक अराजकता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। समाज में छूआछूत स्त्री वैमनस्यता का बोलबाला प्रचलित था। साथ ही साथ सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। इन सभी का चिन्तन–मनन तथा इसके सुधार हमारे प्रतिष्ठित समाज–सुधारक जिनमें राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फुले इत्यादि महान पुरूष सामने आए और इन्होंने अपने सुधारवादी आंदोलनों के माध्यम से जैसे– ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, गाँधी दर्शन, लोहिनी दर्शन इत्यादि के माध्यम से इन कुरीतियों को

समाप्त करके का अथक प्रयास किया जिसमें इन्हें सफलता भी हासिल हुई। इसी समय इन व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कबीर, दादू, नानक, तुलसी इत्यादि संत महात्माओं ने समाज को एक नया आयाम दिया। तथा समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया। इनके दोहों के माध्यम से हम देखते है कि इन्होंने समाज में साम्यता प्रदान करने के लिए अपने विविध प्रयास किए। समाज में व्याप्त विविध आडंबरों के बोलबाला था यूं कहे कि समाज में व्याप्त विभिन्न प्रतिकूलता के साथ ऐसे एक महान उन्नायक सामने आए। जिनका नाम भीमराव अम्बेडकर हैं यह एक दार्शनिक विधिवेत्ता, समाज सुधारक, शिक्षाविद इत्यादि कई रूपों में हमारे सामने आते है।

अंबेडकर जी के अगर दर्शन सम्बन्धी या यों कहे कि दार्शनिक विचार उनके प्रत्येक क्षेत्र में अलग—अलग है किन्तु सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित एक ही लक्ष्य है वह है साम्यता तथा एकता की भावना। एक विधिवेत्ता के रूप में या राजनीति के प्रति इनके दृष्टिकोण की बात कही जाए तो यह संविधान के नींव है। एक मील के पत्थर है जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी विशेष भूमिका प्रदान की है। जैसा कि कहा जाए अनु0 14—18 में समानता की बात कही जाए तो इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन इत्यादि समानता पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए गए है। किसी भी रूप में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी का मानना है व्यक्ति को यह सब अधिकार सभी को समान रूप से दिया जाना चाहिए। वह व्यक्ति की स्वच्छंद अभिव्यक्ति के पक्षधर है। उन्हीं के शब्दों में कहे तो—

''मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है।
एक विचार को प्रचार—प्रसार की जरूरत होती है,
जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों
मुरझाकार मर जाते हैं।''

अम्बेडकर जी की हर बार उनकी एक नई दार्शनिकता सामने आती है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरूआत पहली बार बम्बई के विधानसभा के सदस्य के रूप में नामांकन से किया था। उन्होंने तत्समय की सामाजिक, राजनीति परिस्थितियों को देखकर ही उनके समाज दर्शन में एक नया परिवर्तन आया था। अंबेडकर जी के दार्शनिक विचारधारा का कारण कहीं न कहीं उनका बचपन था अपने बालक जीवन में उन्हें छूआछूत जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ था। महार जाति होने के कारण उनके साथ विद्यालय में, समाज में कोई भी परिवेश स्तर पर हर समय उनको भेदभाव की स्थिति से गुजरना पड़ता था। अध्यापक उनको कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे। दरवाजे के बाहर से ही उनको आपनी विद्यार्जन करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने से भी वंचित रखा जाता था। किसी ने यह सोचा भी न होगा कि जिस बालक को कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है वह बालक राष्ट्रोत्थान का एक महानायक बन जाएगा। अपने जीवन के कठिन दौर उनका संपूर्ण संघर्षमय जीवन और उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ, समाज में व्याप्त लोगों की पीड़ा और स्वयं वेदना ने एक ऐसे महापुरूष का निर्माण किया। अंबेडकर जी की समाजोत्थान विचारधारा अपनी एक स्वच्छंद विचार थे। जिसमें उन्होंने अपने विचारों को एक नया आयाम दिया था। जिन्हें अम्बेडकर जी ने 'अम्बेडकरवाद' या यूं कहे कि 'अंबेडकर दर्शन' के नाम से संज्ञापित किया। अंबेडकर जी के दर्शन स्वयं में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनके 'अंबेडकर दर्शन' से सम्बन्धित उनके कुछ संक्षिप्त दर्शनवादी बिन्दुओं पर चर्चा निम्न है—

स्वतंत्रता, समानता, बधुत्व की भावना :-

अंबेडकर जी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के पक्षधर थे। उनके साथ हुए या फिर छूआछूत वातावरण को देखते हुए उनके मन में एक ही भावना थी कि किसी न किसी प्रकार नागरिकों विशेषकर दलितों और स्त्रियों को उनके बराबर अधिकार मिले, जो छूआछूत की पीड़ा से वह स्वयं गुजरे वह उसे समूल नष्ट करना चाहते थे। अनु0 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात कहीं गई है। अंबेडकर जी दलित चेतना की वैचारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति चाहते थे। डॉ0 सी0वी0 के शब्दों में कहे तो–

'प्रतिबद्धता ही दलित साहित्य का सौन्दर्य विधान है। दलित साहित्य–लेखन दलित अस्मिता की तलाश है.......... यह सामाजिक परीक्षण व उनके छिन्न–भिन्न कर देने की एक अनबुझी प्यास है। वर्णव्यवस्था से उपजी अमानवीय त्रासदी से मुक्ति की छटपटाहट ही दलित का साहित्य का मूल स्वर है। जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की संरचना ही इसका मूल प्रतिपाद्य है।'

अंबेडकर जी केवल दलितों के उत्थान ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति का कल्याण चाहते है।

शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण :-

अंबेडकर जी एक महान शिक्षाविद है जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवनकाल में उच्च से उच्चतर शिक्षा हासिल की है। उनके स्वयं के जीवन में भी शिक्षा का विशेष महत्व रहा है, इसलिए वह शिक्षा के विविध आयामों से उसकी विशेषताओं से परिचित थे। समाज जब रूढ़िवादी मानसिकता से पूर्णतः ग्रसित था, ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। अंबेडकर जी का मानना था कि किसी मनुष्य का संपूर्ण विकास शिक्षा द्वारा ही संपन्न हो सकता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। मनुष्य की उन्नति तभी हो सकती है जब स्त्री और पुरूष दोनों को बराबर की शिक्षा मिले और पुरूषों के समक्ष ही उनको अधिकार मिल सकें। तत्समय की परिस्थितियों में बाल विवाह, सती–प्रथा जैसे व्याप्त कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी जिससे महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। महिलाओं को शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था। जहाँ महिलाओं के हित के लिए विभिन्न सुधारवादी आंदोलन विभिन्न दार्शनिक विचारकों के द्वारा चलाए गए तो वही अंबेडकर जी ने भी उनको समानता तथा शिक्षा का अधिकार दिलवाने में भी विभिन्न संवैधानिक प्रावधान किए थे। जिसमें उनको विशेष अवसर और अधिकार दिए गए थे। शिक्षा के प्रति उनकी विचारधारा था कि शिक्षा अर्जन मुनष्य का निम्न विकास होता है –

चारित्रिक एवं शैक्षिक विकास संभव :-

शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। उसके अंदर आदर्शवादिता तथा नैतिकता का विकास होता है जो मानव को एक उत्तम मानव बनाता है।

मानसिकता तथा बौद्धिकता का विकास :-

शिक्षा से मनुष्य के चरित्रगत विकास के साथ–साथ उसके मानसिक और बैद्धिक विकास में समतुल्यता बनी रहती है। मानव की संपूर्णता तभी मानी जाती है जब मानव की बुद्धि और हृदय दोनों पक्षों में साम्यता बनी रहती है।

अंबेडकर जी का मानवतावादी तथा साहित्यिक दृष्टिकोण :-

बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीमराव जी अपनी प्रखरता के कारण विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञानी है जो उन्होंने अपनी

साहित्यिक जीवन में भी कोई कमी नहीं की। उनके साहित्यिक रचनाओं तथा विचारधारों में उनका मानवतावादी दृष्टिकोण झलकता है। अंबेडकर जी अपने पढ़ने और लेखन कार्य में इतना मग्न हो जाते थे कि उनको अपने खाने–पीने की भी होश नहीं रहती थी। उनका मानना था कि अपने लेखन कार्य से व्यक्ति को समाज में अच्छी और अनुभवी रचनाओं के माध्यम से जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं भी ऐसा किया। मानवता के हित के लिए उन्होंने सामाजिक कार्यों के साथ साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया और उनके हुनर का ही परिणाम है कि उन्होंने अनेकानेक रचनाओं का लेखन कार्य किया।

उन्हीं के शब्दों में अगर कहा जाए तो– ''अपनी साहित्य की रचनाओं में उदात्त जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों को परिष्कृत कीजिए। अपना लक्ष्य सीमित मत रखिए। अपनी कलम की रोशनी को इस तरह से परिवर्तित कीजिए कि गाँव, देहातों का अँधेरा दूर हो। यह मत भूलिए कि अपने देश में दलितों और उपेक्षितों की दुनिया बहुत बड़ी है। उसकी पीड़ा और व्यथा को भली–भाँति जान लीजिए और अपने साहित्य द्वारा उनके जीवन को उन्नत करने का प्रयास कीजिए। इसमें सच्ची मानवता है।'' अंबेडकर जी का मानन था कि साहित्य में केवल मनोरंजनपरक साहित्य नहीं लिख जाना चाहिए बल्कि समाज में व्याप्त विसंगतियों को सामने लाकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। पुस्तके उनके लिये किसी रिश्ते या नाते से भी बढ़कर है।

वे कहते है– ''पुस्तके लिखते हुए समय कैसे बीत जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। लेखन करते समय मेरी पूरी शक्ति एकत्रित होती है। मैं भोजन की परवाह नहीं करता। मैं कभी–कभी तो रातभर पढ़ता–लिखता बैठा रहता हूँ। मैं उस समय कभी नहीं ऊबता, ना ही मुझे ऊब महसूस होती है। काम समाप्त होते ही मैं बहुत निरूत्साही और असंतुष्ट हो जाता हूँ। मेरे चार पुत्र होने पर जितना आनंद होता, उतना मुझे मेरी पुस्तक के प्रसिद्ध होने पर होता है।'' उन्होंने अपने जीवनकाल में भी विभिन्न पुस्तकों के लेखन से समाज को एक नई दिशा देने की को शिक्षा की उन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया है जिसमें उनके मानव भलाई या कहे दलित विमर्श से सम्बन्धित उनके लेख देखे जाते रहे हैं। वह जीवन के यथार्थवादी पक्ष पर विशेष बल देते थे जिसमें साफ–साफ उनकी जीवनवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होता है। साहित्य मानव हित को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है। साहित्य में देश, काल वातावरण को देखकर ही उस काल का साहित्यकार अपने लेखन कार्य को करता है। एक हिंदुस्तानी या भारतीय परिवार में कोई भी कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि सभी का अंत सुखांत से किया जाता है। क्योंकि यहाँ सभी कार्य मानव हित को लेकर किये जाते है। अंबेडकर जी को अंदर एक सच्चे साहित्यिक दार्शनिकता की भी झलक देखने को मिलती है। उनके बिना साहित्य का पूर्णता नहीं मानी जा सकती।

बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण :–

विभिन्न संघर्षों के बाद अंबेडकर जी अपने अंतिम दिनों के समय में बौद्ध धर्म को अपना लेते है। अंबेडकर जी एक ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे जिसमें किसी भी प्रकार का छूआछूत जैसी स्थिति न हो, वह किसी भी धर्म के प्रति देय दृष्टि नहीं रखते थे बल्कि उनका मानना था कि ऐसा धर्म होना चाहिए जिसमें समन्वय की भावना निहित है।

उपसंहार :–

भीमराव अम्बेडकर मानव को केवल मानव के रूप में देखने के पक्षधर थे। अंबेडकर जी किसी विचार

धारा के विरोधी नहीं थे या यो कहें कि वह किसी भी मत का असमर्थन नहीं करते बल्कि जिस धर्म में अन्याय, अत्याचार और मानवता का भोशण हो वह उन बातों का विरोध करते है। अंबेडकर जी नास्तिक नहीं थे बल्कि वह उनकी आस्था का केन्द्र बिन्दु 'मानव कल्याण' है। जिसमें सभी का कल्याण हो और सबको उनके बराबर अधिकार दिए जा सके। उनका मूल उद्देश्य स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना निहित है। अंबेडकर समस्त भारतवासियों के हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगे। चाहे वह विधिवेता के रूप में हो, चाहे एक समाजकर्ता के रूप में वह लोकतंत्र के समान मानव हृदय में हमेशा जगमगाते रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. दलित साहित्य का सौदर्यशास्त्र– डॉ0 शरणकुमार लिंबाले, अनुवादक रमणिका गुप्ता,
वाणी प्रकाशन, 4695, 21–ए, दरियागंज, नयी दिल्ली–110002
शाखा – अशोक राजपथ, पटना–800004
2. दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, श्रीमती चन्द्रकला, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, जी–17, जगतपुरी, दिल्ली–110051
3. भारतीय सामाजिक चिन्तन, डॉ0 वी0एन0 सिंह, डॉ0 जनमेजय सिंह, विवेक प्रकाशन
7–यू0 ए0, जवाहर नगर, दिल्ली–7
ISBN: 81-7004-078-7

ई–मेल– kumarimeena9568 @gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 115-119

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर का शैक्षिक दृष्टिकोण

डॉ. सुनील कुमार शर्मा
सहायक प्रोफेसर, सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय।

शिक्षा राष्ट्र की भावी पीढ़ियों को राष्ट्रीय जीवन का गौरव और राष्ट्रीय संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्यों को प्रदान कर राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। यह भारत देश, जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, छह दशक बाद भी अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय नहीं कर पाया है, व्यावहारिक शिक्षा में अम्बेडकर के दिशा–निर्देशों को समझ नहीं पाया है। हमारी शिक्षा नीति राजनीतिक अतिवाद की आंधी में अपने मूल्यों से भटककर मैकाले और मदारसाई कुबुद्धिजीवियों के हाथों का खिलौना बनकर भावी पीढ़ी को शून्य स्वाभिमान और शून्य आत्मविश्वास के अंधकार में धकेल रही है। राष्ट्र और विदेश का शून्य भाव। ऐसे में डॉ. भीमराव अंबेडकर और उनके शिक्षा दर्शन को एक प्रकाश पुंज के रूप में देखा जाता है।

शिक्षा दर्शन (Educational Philosophy) :–

अधिकांश लोग भीमराव अंबेडकर को एक महान् राजनीतिज्ञ और अस्पृश्यता का रक्षक मानते हैं, लेकिन मानव जीवन और समाज की प्राण ऊर्जा के रूप में उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किये, वही भारतीय संविधान का वैचारिक आधार बने। जहां राजनीतिक क्षेत्र ने उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना, वहीं उन्होंने सामाजिक परिवर्तन भी लाया। वे शिक्षा के अग्रदूत बने और अपने कार्य में उन्होंने शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने वर्णाश्रम का विरोध किया और शिक्षा को प्रगति का मूल आधार बताया। अनुभव के झंझावातों से गुजरकर बुद्धिवाद के व्यावहारिक धरातल पर उन्होंने जो रास्ता बनाया, वही वास्तव में शिक्षा दर्शन का आधार बना।

शिक्षा दर्शन के मूल भूत आधार (Basic Principles of Educational Philosophy) :–

1. शिक्षा विश्व को जागृत करने का एक साधन होनी चाहिए जो वर्ण आश्रम और अज्ञान की दीवार के बीच अंतर कर सके।
2. यह शिक्षा के प्रति रुझान के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला कारक बने, जिससे स्वयं के लिए सर्वोत्तम स्वधर्म का निर्णय करने की क्षमता पैदा हो।
3. शिक्षा अंधविश्वासों और रूढ़ियों को तोड़ने का मजबूत आधार बने, शिक्षा ऐसी हो कि कम से कम अपने भाइयों के बीच मित्रता, समानता, सहयोग और मैत्री के रिश्ते बन सकें और जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। संप्रदाय, धन, जन्म स्थान आदि बंधन कम हो सकते हैं।

4. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का मुख्य संदेश मानव सेवा होना चाहिए, इससे मानव–मानव के बीच एकता और उचित संबंधों का विकास मजबूत होना चाहिए।

5. उनके अनुसार शिक्षा सड़ी–गली एवं अव्यवहारिक धारणाओं को दबाने में इतनी सक्षम होनी चाहिए ताकि दोषपूर्ण व्यवहारों को बदला जा सके।

6. शिक्षा का स्वरूप भ्रमित करने वाला नहीं बल्कि सरल होना चाहिए। यह छल और झूठ से मुक्त होना चाहिए और मानवता के बीच प्रेम फैलाना चाहिए।

7. शिक्षा वह कारक होनी चाहिए जो मनुष्य को अपनी भूमिका का महत्व समझाने में सक्षम हो।

8. शिक्षा स्वतंत्र बुद्धि के विकास का कारण बने तथा बौद्धिक प्रतिभा को दीन–हीन होने से बचाये।

9. शिक्षा को पारलौकिक मूल्यों की स्थापना के स्थान पर वास्तविक समाजोपयोगी मूल्यों के निर्माण एवं स्थापना में सहायता करनी चाहिए।

10. शिक्षा एक मानवीय सिद्धांत के रूप में स्थापित होनी चाहिए तथा मानव व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम होनी चाहिए।

11. शिक्षा वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए ताकि छात्रों में सामाजिक, राजनीतिक, सौंदर्य और नैतिकता के सही मानक विकसित हो सकें।

12. शिक्षा को नई चुनौतियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए ताकि सामाजिक परिवर्तन की यात्रा सुगम हो सके।

13. शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी में सद्गुण धारण करने की शक्ति का विकास होना चाहिए, इससे न्याय और समानता के सिद्धांतों का भी पोषण होना चाहिए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर (नैमिषराय, मोहनदास, 'बाबा साहेब ने कहा था' पृष्ठ 76) ने कहा है – 'जो व्यक्ति न तो अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है और न ही शेयरों के लिए, अर्थात् स्वतन्त्रता और अपने कल्याण की चिन्ता करता है।'

वे शिक्षा के प्रसार के समर्थक थे। रावस ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया – 'मनुष्य केवल रोटी पर जीवित नहीं रह सकता, उसके पास मस्तिष्क भी है, उसे दार्शनिक विचारधारा की खुराक अवश्य लेनी चाहिए।'

शिक्षा का उद्देश्य (Educational Objectives) :–

डॉ. भीमराव अम्बेडकर शिक्षा को मानव कल्याण का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। वे बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उन्होंने एक बार कहा था, "इस प्रकार, मैं बौद्ध देशों की नई पीढ़ी को बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं पर अधिक ध्यान देने की सलाह देता हूं।

अम्बेडकर ने निम्नलिखित उद्देश्यों से शिक्षा को मानव उत्थान का कारक बताया है।

(1) नैतिक एवं चारित्रिक विकास :–

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना तथा चरित्र का विकास करना है।

उन्होंने 12 फरवरी 1938 को युवाओं की एक सभा में कहा था – 'शिक्षा एक दुर्लभ तलवार की तरह है जो चरित्रहीन होती है और विनम्रता की तरह सीखने वाला भी एक जानवर से पैदा होता है।'

(2) मानसिक एवं बौद्धिक विकास :-

उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य मानसिक एवं बौद्धिक विकास को स्वीकार किया, उनका मानना था कि इसके माध्यम से ही विवेक को जागृत किया जा सकता है। उसके अनुसार– 'शिक्षा से ही समाज का कल्याण हो सकता है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसमें तर्कसंगत सोचने की शक्ति विकसित होती है, जिससे अच्छे बच्चों को ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता मिलती है।"

(3) शारीरिक विकास एवं एकता शक्ति का विकास :-

शरीर के संतुलित विकास में ही विकास के बीज निहित हैं, यह जानना होगा। खान–पान और व्यवहार पर ध्यान देना ही शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है, इससे ही उनमें आत्मविश्वास विकसित हो सकता है। उन्होंने कहा –'एकता साहस पैदा करती है, साहस से आंदोलन शुरू भी होते हैं और उनसे कुछ हासिल भी होता है।' ....किसी भी आदर्श या उद्देश्य की परिभाषा के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हमें इसका उपयोग ऐसे तरीके से नहीं करना चाहिए जो हिंसा की भावना को नष्ट कर दे, बल्कि इसे ऐसे तरीके से उपयोग करना चाहिए जिससे ताकत पैदा हो।

(4) संकीर्णता से मुक्ति :-

अम्बेडकर साहब शिक्षा को मुक्ति का साधन बनाना चाहते थे, इसी सन्दर्भ में डॉ. डी.आर. जाटव के विचार दृष्टिगोचर हैं– "डॉ. अम्बेडकर स्वयं एक विद्रोही विद्वान थे जो मनुष्य को पुरोहितवाद, धर्मान्धता, कटुता, साम्प्रदायिकता, जाति व्यवस्था, जातिवाद, परलोकवाद, आस्तिकता, नरक–स्वर्गवाद, छुआछूत आदि से मुक्ति दिलाना चाहते थे।

राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता (Nationalism and National Unity) :–

राष्ट्रीय प्रेम उत्सव में शिक्षा को विशेष भूमिका दी जानी चाहिए, इस संदर्भ में उनके विचार देखने योग्य हैं :– "मेरी राय में, आज सबसे बुनियादी जरूरत जनता के बीच एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना है, न कि यह भावना कि वे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिंधी या कर्नाटक हैं, क्योंकि यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक भारतीय है।

पाठ्यक्रम :-

अम्बेडकर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनता को यह विश्वास दिलाना है कि गणित, विज्ञान, सिद्धांत, सामाजिक विज्ञान और आचरण में उनकी शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आजीविका के लिए धार्मिक अभ्यास एवं शिक्षा को भी उचित स्थान मिलना चाहिए।

अम्बेडकर चाहते थे कि शिक्षा कलात्मक हो और पाठ्यक्रम मानव धर्म को दिशा दे जैसा डॉ. डी.आर. जाटव ने कहा था :– 'डॉ. अम्बेडकर का मानव स्वभाव में निहित कई विचारधाराओं में अटूट विश्वास था, उनके

मैट ओस्टर मैन और दुनिया का कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है और पसंद और स्वतंत्रता की शक्ति ने हमें भावी जीवन के लिए आशा दी है।.......मनुष्य प्रकृति का एक अलौकिक प्रतिनिधि है जिसमें रचनात्मकता की भावना प्रचुर मात्रा में निहित है।',

शिक्षण विधि (Teaching Methods) :–

डॉ. अम्बेडकर अपने समय में प्रचलित शिक्षण विधियों को दोषपूर्ण मानते थे। वह ऐसी शिक्षण विधियाँ विकसित करना चाहते थे जो स्वतंत्र सोच, करके सीखना, अनुभव से सीखना, तर्क से सीखना, प्रश्न और उत्तर द्वारा सीखना, वाद–विवाद द्वारा सीखना की दिशा में मदद कर सके। वे इसे शिक्षण की एक विधि के रूप में आवश्यक मानते थे। उन्होंने तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार चित्रण अथवा उदाहरण विधि की सहायता लेना भी उचित समझा। उनके अनुसार, शिक्षण विधियों में प्रेरक शक्ति के साथ समतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। व्यावहारिक जीवन में उन्होंने व्याख्यान एवं उपदेश पद्धति का प्रयोग किया।

शिक्षक (Teacher) :–

उन्होंने अपने शिक्षक को जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उनका मानना था कि शिक्षक व्यक्तिवादी विचारों वाला और व्यापक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए जो समाज की रूढ़ियों को तोड़कर समाज को सही दिशा दे।

डॉ. डी. आर. को आप जाटव का ये बयान देख सकते हैं– वे मनुष्य को पुरोहितवाद, धर्मांधता, धर्मांधता, साम्प्रदायिकता, जाति व्यवस्था, जातिवाद, लोकवाद, आस्तिकता, नरक–स्वर्गवाद, छुआछूत आदि से मुक्त कराना चाहते थे। वे मनुष्य–मानव के बीच उचित संबंध स्थापित कर समतामूलक समाज की नींव स्थापित करना चाहते थे।

शिक्षार्थी (Student) :–

शिक्षार्थी ने स्वयं में सामंजस्य का गुण विकसित किया है, उसका मानना है कि समावेशिता और सामाजिक स्थिरता दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रगति और न्याय की नींव को अलग नहीं किया जाना चाहिए और सामान्य विचारधारा में अटूट विश्वास होना चाहिए जैसे टी. एच. ग्रीन ने भी कहा– 'वास्तविक समाज में लोगों की समान भावना और सामान्य आर्थिक विकास में अटूट विश्वास होता है।'

अध्ययन के उद्देश्य :–

भारतीय संविधान के विशेषज्ञ डॉ. भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक एवं शैक्षिक विचारधारा के अध्ययन का उद्देश्य इस प्रकार है :–

1. अम्बेडकर जी की प्रतिष्ठा व गौरव को वर्तमान युवा पीढ़ी तक पहुँचाना।
2. अम्बेडकर जी के द्वारा मानव कल्याण के लिए किये गये प्रयत्न व कार्यो की जानकारी प्राप्त करना।
3. अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े हर शैक्षिक, सामाजिक पहलू के बारे में जानना।
4. विषम परिस्थितियों में भी दृढता के साथ अपने आत्मविश्वास को अडिग रखने की प्रेरणा लेना।

5. अम्बेडकर जी के शैक्षिक विचारों, दृष्टिकोण को वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक बनाने हेतु प्रयास करना।

6. अम्बेडकर जी द्वारा किये गये अविश्वसनीय कार्यो की जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन की विधि :-

प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक अनुसंधान विधि एवं तथ्य आधारित विधि का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें अम्बेडकर जी के जन्म स्थान पर जाकर उनके मूल धार्मिक सिद्धांतों, सामाजिक एवं व्यावहारिक जानकारी से सम्बन्धित एकत्रित तथ्यों को शामिल किया जायेगा। अम्बेडकर जी की आत्मकथा, उनकी पुस्तकों, लेखों, प्रतिवेदनों आदि के माध्यम से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर तथ्यों को एकत्रित किया जायेगा तथा प्राप्त स्त्रोतों के आधार पर अपना शोध कार्य पूरा किया जायेगा।

संदर्भ सूची :-

1. पुखराज जैन :— भारतीय राजनीतिक चिंतन।
2. डी. आर. निगम :— अम्बेडकर — जीवन दर्शन।
3. धनंजय कीर : अम्बेडकर — जीवन और मिशन।
4. बी. एल. ग्रोवर, यशपाल : आधुनिक भारत का इतिहास।
5. डॉ. बी. पी. वर्मा : मोर्डन इण्डियन पालिटिकल थॉट।
6. प्रो. दत्ता भगत : दलित साहित्य।
7. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हू वर दा शूद्रास।
8. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : रीडल्स इन हिन्दुजम।

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 120-123

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार शैक्षिक चिन्तन

डॉ. विष्णु कुमार
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं।

''शिक्षा न केवल प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक हथियार भी है।'' डॉ. अम्बेडकर एक महान विधिवेता, उच्च कोटि के विद्धान और प्रखर मनीषी थे। डॉ. अम्बेडकर ने अपने विद्वता के आलोक में केवल भारत देश को अपितु पूरे संसार को प्रकाशित किया। डॉ. अम्बेडकर ने शैक्षिक चिन्तन किया तथा कीचड़ में कमल खिलते है की कहावत को चरितार्थ किया।'' उनकी ज्ञान जिज्ञासा को देखते हुए यदि उन्हें महान विद्धान कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। बाबा साहेब द्वारा लिखित शोध पत्र, भाषण, पुस्तकें तथा लेखों को दुनियाभर के विद्वान उत्साहपूर्वक पढते थे। ''डॉ. अम्बेडकर द्वारा किये गये महान कार्य लोगों को प्रेरित करते हैं, विशेषतः शिक्षा से सम्बन्धित उनके कार्य जिनका इतिहास के पन्नों पर महत्वपूर्ण स्थान है। गति बिना शुद्र की प्रगति नहीं। इतनी सारी अवनति एक अविद्या से हुई।'' अपने गुरू महात्मा ज्योतिराव फुले के इन विचारों से प्रेरणा लेकर उन्होंने शिक्षा को एक व्यापक संकल्पना के रूप में समझाया। इन सब की झलक उनके विचार स्फूर्त लेखन, पत्र संस्करण भाषण प्रकट चिन्तन, विधि मण्डल में रखे विचार, विभिन्न समितियों के लिए तैयार किये गये प्रतिवेदन, उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं तथा विद्यार्थी, शिक्षण प्राध्यापक, पालक वर्ग में हुए सम्भाषण आदि में मिलती है। मानव जीवन में शिक्षा की महत्ता का आभास उन्हें बाल्यावस्था में ही हो गया था। शिक्षित बनो, संगठित रहे, संघर्ष करो के इस त्रि–सूत्रीय संदेश में उन्होंने शिक्षा को पहला स्थान दिया है।

'पढ़ो और पढ़ाओं'' की सीख उन्होंने सबको दी। उनके अनुसार शिक्षा एक ऐसी चाबी है, जिससे विकास का ताला खुल सकता है। शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। समाज को जाति–पाति उच्च–नीच जैसी रूढियों से मुक्ति दिलाने एवं आधुनिक समय में उसके अस्तित्व को बनाये रखने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ''जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता का उपदेश सम्पूर्ण मानव जाति को दिया। ठीक इसी प्रकार बाबा साहेब ने दलित समाज को निमित्त बनाकर 'शिक्षा ही मानवोत्थान की कुंजी है' का संदेश सम्पूर्ण मानव जाति को दिया। उन्होंने कहा कि – विद्या, प्रज्ञा, करूणा, शील व मित्रता इन पंच तत्वों के आधार पर प्रत्येक मनुष्य को अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए।''

ज्ञान का संबंध करूणा तथा मित्रता की भावना से होना चाहिए तथा निःस्वार्थ, न्यायप्रिय व व्यापक मनोवृत्ति का आत्मसात् करके व्यक्ति को सुशील बनने का प्रयास करना चाहिए। अपने भाषणों एवं उपदेशों के माध्यम से उन्होंने शिक्षा के उ्ददेश्य व महत्व को विशद किया। बाबा साहेब कई भाषाओं के ज्ञाता थे, परन्तु संस्कृत भाषा उन्हें सर्वप्रिय थी। उन्होंने कहा कि संस्कृत वाड्मय की तुलना में परिशयन वाड्मय फीका है।

संस्कृत में रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य है, तत्व ज्ञान है, तर्क शास्त्र है, गणित है, आधुनिक विद्या से संबंधित सब कुछ है। यद्यपि संकीर्ण मानसिकता वाले अध्यापकों ने अछूत होने के कारण उन्हे संस्कृत भाषा पढाने से इन्कार कर दिया था। फिर भी स्वप्रेरणा और स्वश्रम से संस्कृत भाषा पर प्रभुत्व पाया और उच्च कोटि के विद्धान बने। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि चाहे कार्य कितना ही कठिन क्यों न हो यदि उसे पूरी निष्ठा के साथ मेहनत व लगन से किया जाये तो सफलता अवश्य मिलती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान व पराक्रमी नहीं होता। शिक्षा के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करके तथा ज्ञान के बंद द्वार खोल कर एक सामान्य तथा नीची जाति का व्यक्ति भी पराक्रमी व बुद्धिमान बन सकता है।

शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए, अमेरिका में अध्ययन के दौरान उन्होंने अपने पिताजी के मित्र को एक पत्र में लिखा था कि ''हमें अब इस परम्परागत धारणा को त्याग देना चाहिए कि मॉ–बाप बच्चे को जन्म देते हैं कर्म नहीं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा वे अपने बच्चों का भाग्य बदल सकते है। शिक्षा समस्त उत्थान का मूल मंत्र है। लड़को के साथ–साथ लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि समाज की प्रगति हो सके। अपनी पुत्री को पढाकर आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे है, इसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। आपको अपने संबंधियों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता का प्रयास करना चाहिए।''

शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को केवल साक्षर या शिक्षित बनाना ही नहीं है, बल्कि उसका मानसिक विकास कर, उसके आत्मभिमान को जगाना है। बाबा साहेब के शब्दो में ''शिक्षा दुधारी शस्त्र है, इसलिए उसे चलाना खतरे से भरा रहता है। चरित्रहीन और विनयहीन शिक्षित व्यक्ति पशु से भी अधिक घातक होता है। सुशिक्षित व्यक्ति का ज्ञान और शिक्षा यदि जनहित के विरोध में हो तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप बन जाता है।''

इस प्रकार स्पष्ट है कि बाबा साहेब व्यक्ति के केवल अक्षर ज्ञान को ही महत्व नहीं देते थे, अपितु शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण पर बल देते थे। चरित्र के अभाव में शिक्षा महत्वहीन है। इसलिए वे शिक्षा से ज्यादा चरित्रवान शिक्षा की वकालत करते थे। वे कहते थे कि शिक्षित व्यक्ति यदि चरित्रवाद होता तो वह अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करेगा। किन्तु यदि वह दुष्चरित्र होगा तो अपने ज्ञान से समाज के लिए खतरा पैदा करेगा। शिक्षा व संस्कारों के प्रचार– प्रसार के लिए उन्होंने मार्च 1924 के बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की।

इस सभा द्वारा उन्होंने दो छात्रावासों की स्थापना की। 1926 में उन्होंने भारतीय बहिष्कृत सेवा समिति की रचना की तथा इसी संस्था के अन्तर्गत भारतीय बहिष्कृत शिक्षण प्रचारक मण्डल की स्थापना की। ''शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए तथा शिक्षा सस्ती से सस्ती हो ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके।'' बाबा साहेब शिक्षा के सार्वजनीकरण पर बहुत बल देते थे। वे कहते थे कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना चाहिए तथा शिक्षा विश्वस्तरीय होनी चाहिए। लोगों में उत्साह, सुझबूझ और उद्यमी संस्कृति होनी चाहिए। शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। उन्होंने परम्परावादी ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति का पुरजोर विरोध किया क्योंकि इसने शुद्र तथा स्त्रियों को विद्या अध्ययन से वंचित किया। शिक्षा के ब्राह्मणीकरण ने हिन्दू समाज व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक शुद्र वर्ग तथा देश की आधी आबादी के सूचक महिला वर्ग को शिक्षा का अधिकार न देकर उन्हें अज्ञानता के अंधेरे में रहने के लिए विवश किया, ताकि उच्च

वर्ग–ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का उन पर वर्चस्व बना रहे और बेगार के रूप में उनका शोषण व उत्पीड़न करते रहें। उन्होंने इस ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति के स्थान पर सामूहिक शिक्षा पद्धति की वकालत की और कहा समाज के प्रत्येक वर्ग के स्त्री–पुरूषों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर में वृद्धि हो सके। उनका विचार था कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ही लोगों के शैक्षिक स्तर को सुधारा जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ''प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है हर बालक को प्राथमिक शाला में प्रवेश मिले और कम से कम इतनी शिक्षा तो ले कि जीवन में उस साक्षरता का उपयोग कर सके।'' किन्तु अभी तक के आंकड़े यह बताते है कि स्कूल जाने वाले हर सौ बालकों में से केवल अठारह बालक ही चौथी कक्षा तक पहुँच पाते है, शेष बय्यासी (82) बालक अशिक्षित रह जाते है। इसका अर्थ है कि शासन को शिक्षा के लिए काफी धनराशि खर्च करनी चाहिए ताकि, स्कूल जाने वाला प्रत्येक बालक चौथी कक्षा तक पहुँच सके। ''अपने इन्हीं विचारों को मूर्तरूप देने के लिए उन्होंने संविधान की धारा 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के सभी बालक–बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का कानून बनाया था।''

बाबा साहेब यह मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल और श्रम साध्य तथा दीर्घकालिक प्रक्रिया है। पलक झपकते ही सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, यह सोचना स्वयं को मुगालते में रखना होगा। लेकिन वे यह भी जानते थे कि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक समस्या पर विजय पायी जा सकती है। शिक्षा हेतु विद्यालय की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि ''विद्यालय केवल बारहखड़ी पढ़ाने का स्थान मात्र नहीं है, बल्कि विद्यालयों के द्वारा बच्चों को सुसंस्कारित व समाजोपयोगी बनाना होता है। विद्यालय श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने के कारखाने हैं, इसलिए कारखाने का मिस्त्री जितना होशियार होगा, वहां से निकलने वाला उत्पाद भी उतनी ही उत्तम श्रेणी का होगा। विद्यालय में कोई उपासना गृह नहीं है कि जहाँ रसोइया ब्राह्मण होना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण का बनाया भोजन सबको चलता है परन्तु वर्तमान में ब्राह्मण वाली शिक्षा पर्याप्त नहीं है।''

''डॉ. अम्बेडकर शिक्षा व समाज में एक गहरा सम्बन्ध मानते थे। क्योंकि सुशिक्षित नागरिक ही सुसभ्य समाज का निर्माण करते हैं और अच्छे नागरिक बनने का दायित्व विद्यालयों पर है। अतः विद्यालयों में पारम्परिक शिक्षा पद्धति व शिक्षक उन्हें स्वीकार नहीं थे। परम्परागत शिक्षा पद्धति व शिक्षक ''सा विद्या या विमुक्तये'' का ढोल तो पीटते हैं, परन्तु दलित व स्त्री वर्ग को अज्ञानता के अंधकार में जकड़े रहने को विवश करते है। विद्या, विनय और शील यह तीनों बाबा साहेब के आराध्य देव थे। विद्या को उन्होंने प्रथम आराध्य मानते हुए कहा कि विद्या, बिना मनुष्य को शांति और मनुष्यता दोनों प्राप्त नहीं है। अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए मनुष्य को जैसे अन्न की आवश्यकता होती है, वैसे ही विद्या की भी है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु तुल्य है। मुम्बई विधानसभा में मुम्बई विश्वविद्यालय सुधार बिल पर 5 अक्टूबर 1927 को अपने ओजस्वी भाषण में बाबा साहेब ने कहा कि हम सभ्यता के फायदे त्याग सकते हैं लेकिन हम शिक्षा के अधिकार और अवसरों का त्याग नहीं कर सकते हैं। पिछड़े समाज ने अब यह समझ लिया है कि बिना शिक्षा उनका अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। उन्होंने उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। ''वे कहते थे कि बी. ए. पास एक छात्र जो आधार समाज को दे सकता है वैसा आधार चौथी कक्षा उत्तीर्ण एक हजार छात्र नहीं दे सकते है।''

ऐसा नहीं था कि वे प्राथमिक शिक्षा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक

क्रान्ति का प्रारम्भ उच्च शिक्षा से ही संभव है, इसीलिए वे उच्च शिक्षा को तवज्जो देते थे। उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में बाबा साहेब के स्वतंत्र व मौलिक विचार थे। वे विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर संकायों को अलग–अलग रखने के विरोधी थे। वे दोनो संकायो के एकीकृत होकर कार्य करने के पक्षकर थे। उच्च शिक्षा में शिक्षण एवं शोध दोनों का समावेश होता है। स्नातक स्तर पर शिक्षक कार्य को प्रधानता और स्नातकोत्तर स्तर पर शोधकार्य को प्राथमिकता दी जाती है। इसके पीछे उनकी सोच थी कि यदि दोनो संकाय एक साथ रहेंगे तो स्नातक स्तर के विद्यार्थियो को भी स्नाकोत्तर स्तर के विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा प्राध्यापक भी स्नातक स्तर के विद्यार्थियो की क्षमताओं से परिचित हो जायेंगे। जिसमें स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अच्छे व प्रतिभाशाली विद्यार्थी चुनने में आसानी होगी। इससे शिक्षा व शोध के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित होंगे ऐसा उनका विचार था। देश के विकास में उन्होंने शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान माना था। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही एकता स्वतंत्रता, बन्धुता तथा देश प्रेम की भावना का जन्म होता है, जो कि आधुनिक समाज की विशेषता है। शिक्षा के बिना हम विश्व कि आधुनिक तकनीकों, उपकरणों, यन्त्रों, प्रोद्योगिकी तथा ज्ञान के नये क्षेत्रों से अनभिज्ञ रह जायेगें। इस प्रकार विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा आधुनिकीकरण व विकास की ओर से पिछड़ जायेंगे।

सन्दर्भ सूची :–

1. साभंरिया कुमार रतन (1991), डॉ. अम्बेडकर एक प्रेरक जीवन, डॉ. अम्बेडकर अकादमी, पृष्ठ संख्या– 27
2. सिंह रामगोपाल (2006), सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, पृष्ठ संख्या– 104
3. रणसुभे सूर्य नारायण (1991), डॉ. अम्बेडकर राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या– 40
4. सिंह रामगोपाल (1994), डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन, जैन ब्रदर्स चौड़ा रास्ता, जयपुर, पृष्ठ संख्या– 93
5. सिंह रामगोपाल (1994), ''डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन'' जैन ब्रदर्स चौड़ा रास्ता, जयपुर, पृष्ठ संख्या– 89
6. सिंह रामगोपाल (1994), ''डॉ़ अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन'' जैन ब्रदर्स चौड़ा रास्ता, जयपुर, पृष्ठ संख्या– 91
7. साभंरिया कुमार रतन (1991), डॉ. अम्बेडकर एक प्रेरक जीवन, डॉ. अम्बेडकर साहित्य अकादमी, पृष्ठ संख्या– 30
8. जाटव डी. आर. (2003), डॉ. अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व साहित्य सदन, जयपुर, पृष्ठ संख्या– 128
9. स्वामी आशुतोष (2009), भारत रत्न से अलंकृत महान प्रतिभाएँ, पृष्ठ संख्या– 103
10. साभंरिया कुमार रतन (1991), डॉ. अम्बेडकर एक प्रेरक जीवन, डॉ. अम्बेडकर साहित्य अकादमी जयपुर, पृष्ठ संख्या– 31

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 124-128

डॉ. भीमराव अम्बेडकर : सामाजिक आंदोलन

डॉ. दिपिका रेवजिभाई चौधरी
आसिस्टंट प्रोफेसर, श्रीमती एस. आई. पटेल इप्कोवाला कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन पेटलाद, आणंद।
श्री अक्षय जशभाई पारेख
ज्ञान सहायक, आनंदपूरा प्राईमरी स्कूल पंडोली, पेटलाद, आणंद।

सारांश :–

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर समाज में एकता की स्थापना के लिए कृत संकल्प थे। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य एवं मनुष्य के बीच कैसा भेद। यह भेद अवश्य समाप्त होना चाहिए। वे सभी जाती के बीच के भेद को समाप्त कर एकता का वातावरण पैदा करना चाहते थे। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि संघर्ष किये बिना अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। सवर्ण हिन्दुओं के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रतिष्ठित मार्ग सत्याग्रह ही है। इस दिशा में उन्होंने चिंतन किया और उस मार्ग पर चले। अम्बेडकर जी का स्पष्ट मानना था कि'जातिविहीन समाज की स्थापना'के बिना स्वराज्य की प्राप्ति निरर्थक होगी। उन्होंने अपना जीवन 'दलित वर्ग' के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अछूतोद्धार के लिए १९२५ में त्रावणकोर के कोचीन राज्य में 'वाईकॉम सत्याग्रह' शुरू किया। जिन सड़कों पर 'शूद्रों' का चलना बाध्य था, वहाँ चलने का मानवाधिकार प्राप्त करने हेतु यह सत्याग्रह किया गया।

२० मार्च १९२७ को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी उपयोग करने का अधिकार दिलाने हेतु महाड़ सत्याग्रह चलाया गया। गांधी जी के १९३० के दांडी मार्च का राजनीतिक दृष्टि से जो महत्व था वही सामाजिक दृष्टि से डॉ. अम्बेडकर के तालाब मार्च का था। २ मार्च १९३० अछूतों को मंदिर प्रवेश दिलाने हेतु नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया गया। उनका मानना था कि व्यक्ति का जन्म समाज की सेवा हेतु नहीं, अपितु आत्मोन्निति के लिए है। समाज में अनपढ़ लोग हैं। ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। हिन्दु समाज की गलत विचारधारा को परिवर्तित करने हेतु अम्बेडकर जी द्वारा किए गए कुछ सामाजिक आंदोलन को यहाँ निर्देशित किया गया है।

बीज शब्द : सामाजिक आंदोलन।

प्रस्तावना :–

भारत में १९ वीं सदी में कई महान विभूतिओ का जन्म हुआ था। जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाषचंद्र बोस आदि। इस सदी में एक और महान

विभूति का जन्म हुआ था, जो की दलित जाति में होने के कारण वे एक दलित थे। बचपन से ही उन्होंने दलितो पे होने वाले अत्याचार देखे और सहे। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। वह महानायक को हम डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम से पहचानते है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म १४ अप्रैल, १८६१ को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महो नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर जी का जन्म महार जाति के अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। उस समय महार जाति को महाराष्ट्र में अछूत माना जाता व घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ऐसे भेदभावपूर्ण निर्दयी व्यवहार और अपमानने उनके मन में भविष्य की रूपरेखा तैयार कर दी थी। अतः अम्बेडकर ने इस दिशा में चिंतन किया और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई आंदोलन किए। उन्होंने अपना जीवन 'दलित वर्ग' के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।

सामाजिक आंदोलन :–

सामाजिक आंदोलन क्यों किए जाते है? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते कि जब किसी स्थान पर रहने वाले लोग वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होते है और उसमे परिवर्तन लाना चाहते हैं, तब सामाजिक आंदोलन किए जाते है। कई बार किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। जिसके पीछे कोई न कोई विचारधारा अवश्य होती है।

फैमरॉन के अनुसार – "सामाजिक आंदोलन तब होते है जब बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने या उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था को स्थापित करने हेतु एकजूट हो जाते हैं।"

थियोडोरसन के अनुसार –"सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है,जिसके अनतर्गत किसी विचारधारा मे परिवर्तन लाने या उसका विरोध करने हेतु सहयोग देने के लिए लोगों को बहुत बड़ी संख्या में संगठित एवं जागृत किया जाता हैं।"

अम्बेडकर जी के द्वारा किए गए सामाजिक आंदोलन :–

गांधी युग के समय भारत में लोग गांधी जी–कांग्रेस के नेतृत्व में भारत की आजादी और स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे तब डॉ. अम्बेडकर ने 'उत्पीड़ित दलितों की आजादी' के लिए संघर्ष शुरू किया था। इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए दो आंदोलन, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, समानांतर रूप से चल रहे थे। अम्बेडकर जी का स्पष्ट मानना था कि 'जातिविहीन समाज की स्थापना' के बिना स्वराज्य की प्राप्ति निरर्थक होगी'।

दलित स्वतंत्रता के लिए संघर्ष – वायकॉम सत्याग्रह :–

डॉ. अम्बेडकर ने पेरियार नेता रामास्वामी नाइकर के नेतृत्व में १६२५ में त्रावणकोर के कोचीन राज्य में 'वायकॉम सत्याग्रह' शुरू किया। जो कि आज के केरल प्रांत का एक गांव है। जिन सड़कों पर 'शूद्रों' का चलना बाध्य था, वहाँ चलने का मानवाधिकार दिलाने हेतु यह सत्याग्रह किया गया। जो की सफल रहा। गांधी जी के शिष्य विनोबा भावे और कर्मवीर विट्ठल रामजी शिंदे ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। १६२६ के दौरान एक

और महत्वपूर्ण घटना घटी। मद्रास के एक मुंगेसन (दलित) ने एक हिन्दु मंदिर में प्रवेश किया, जिस कारण ब्राह्मणों ने उस पर मुकदमा चलाके उसे दंडित किया। जिससे डॉ. अम्बेडकर बहुत आक्रामक हो गये और जेझुरी में घोषणा की कि यदि अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई तो हमें अलगाव–उपनिवेश की बात करनी होगी। डॉ. अम्बेडकर की "पृथक बस्ती" की बात को मौजूदा अखबारों ने तोड़–मरोड़कर पेश किया और उसे 'दलितस्तान' तक ले जाया गया।

आजादी के ४० साल बाद भी ऊंची जातियों द्वारा हो रहे अपमान के कारण दलित गांवों से पलायन कर चुके थे, लौटने से इन्कार कर चुके थे और अलग आवास की मांग कर रहे थे। इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ १९८१ और १९८५ मे हो रहे दंगों के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरार जी भाई देसाई ने भी साफ शब्दों में कहा था, 'जब तक अस्पृश्यता खत्म नहीं हो जाती, आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी।'

महाड़ सत्याग्रह :–

महाड़ सत्याग्रह को चवदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। स्वर्ण हिन्दु दलितों को हिन्दु धर्म का हिस्सा मानते थे, लेकिन स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा अछूतों को चवदार तालाब का पानी उपयोग करने के अधिकार से नकारा गया था। मुसलमान, ईसाई, पारसी तालाब के पानी का उपायोग करते थे केवल दलितों के लिए पानी लेना निषिद्ध था। डॉ. अम्बेडकर की अगुवाई में २० मार्च १९२७ को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी उपयोग करने का अधिकार दिलाने हेतु सत्याग्रह चलाया गया। जिसमें हजारों की संख्या में दलितो ने तालाब–मार्च की। अम्बेडकर जी ने सबसे पहले अपने दोनों हाथो से तालाब का पानी पिया, जिनका अनुकरण हजारों सत्याग्रहियों ने किया। असमानता के विरुद्ध उनका यह पहला सत्याग्रह था।

इस सत्याग्रह को कोलाबा जिले के महाड़ म्युनिसिपिलिटी के अध्यक्ष श्री नाना साहब टिपनेस का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। श्री अनंतराव चित्रेख, डी. वी. प्रधान, श्री जोशी और समाज समता मंडल के अधिकतम सदस्यों ने सत्याग्रह को पूरा सहयोग दिया। रूढ़िवादी हिन्दु वर्ग के विरोध के बावजूद यह सत्याग्रह सफल हुआ। इस लिए २० मार्च को 'सामाजिक सशक्तिकरण दिन'के रूप में मनाया जाता है।

नासिक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह :–

भारत में हिन्दु धर्म की ऊंची जाति के लोगो कों जन्म से ही मंदिर प्रवेश का अधिकार था, लेकिन हिन्दु दलितों को नहीं था। यह अधिकार दिलाने हेतु डॉ. अम्बेडकर द्वारा नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह २ मार्च १९३० में आरंभ किया गया था। जिसमे शामिल होने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर से लोग नासिक शहर में आए थे। डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मे अम्बेडकर जी ने सूचना दी की 'अहिंसा के मार्ग से ही सत्याग्रह' करना है। सत्याग्रह के लिए चार टुकड़ियाँ बनाई गई। जिसे मंदिर के चार दरवाजों पर तैनात किया गया। सत्याग्रहियों की मांग का विरोध दर्शाते हुए पुलिस और पुजारियों ने मंदिर के सब दरवाजों पर ताले लगवा दिए। ताकि कोई अछूत मंदिर प्रवेश न कर पाए। स्वर्ण हिन्दुओं ने पत्थर बरसाके, लाठियों से पिटाई करके हमला किया। जिसमें ज्यादातर दलित घायल हुए। दलितों की संख्या सवर्ण हिन्दुओं से कई गुना अधिक होने के बावजूद दलितों ने उन पर हमला नहीं किया। क्योंकि वे सभी अम्बेडकर जी के आदेश का पालन कर रहे थे। इस सत्याग्रह में करीब 15000 दलित शामिल हुए थे, अधिकतर संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। तकरीबन

5 वर्ष,11 महीने और 7 दिन तक सत्याग्रह चलता रहा, किंतु मंदिर का दरवाजा दलितों के लिए नहीं खोला गया। अम्बेडकर जी ने प्रश्न किया कि – "यदि ईश्वर सबके है तो उनके मंदिर में कुछ लोगों को ही प्रवेश क्यों?" इस सत्याग्रह में दादा साहेब गायक वाडक, सहस्त्र बुद्धे, देवराव नाईक, डी.वी. प्रधान, बाला साहब खरे, स्वामी आनंद सहित सभी अनुयायिओ का समर्थन मिला था। ब्रिटिश सरकार की मदद की वजह से स्वर्ण हिन्दु, अछूतों को मंदिर प्रवेश न करने देने मे सफल हुए थे। तब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा की – "हिन्दु इस बात पे भी सोचे कि,क्या मंदिर प्रवेश दलितों के सामाजिक स्तर को हिन्दु समाज में ऊंचा उठाने का अंतिम उद्देश्य है? या दलितों के उत्थान की दिशा में यह पहला कदम है?" यदि मंदिर प्रवेश अंतिम लक्ष्य है तो दलित वर्ग के लोग उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। दलितों का अंतिम लक्ष्य है सत्ता में भागीदारी। हिन्दु धर्म के नियम की अपरिवर्तनीयता को देखते हुए अम्बेडकर जी ने कहा की जो धर्म भगवान के समक्ष भी समानता का अधिकार प्रदान नहीं करता, उस धर्म को धिक्कारना चाहिए। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने १९५६ में हिन्दु धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।

उपसंहार :–

यदि अम्बेडकर जी अपने लोगों के लिए नहीं लड़ते तो क्या होता? आज के समाज में दलितों का क्या स्थान होता? ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है। अम्बेडकर जी ने दलित जाति के लिए जो किया वो अमूल्यवान माना जाता है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने सामाजिक उत्कर्ष को अपने निजी जीवन से भी ऊपर रखा।

एक दलित होने के कारण दलितों पर हुए हर अत्याचार को उन्होंने बचपन से सहा। जिसके कारण उनके दिलो–दिमाग पर गहरी चोट लगी। उन्होंने बचपन में ही यह निश्चय किया कि दलितो के साथ हो रहे अन्याय को रोकना होगा और सब अधिकार दलित को भी दिलाने होंगे। जिसके लिए उन्होंने अच्छी पढ़ाई करने का ठान लिया। उनका मानना था की जिसे अपने दुःखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा। और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा। क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आप की हार निश्चित है। अम्बेडकर जी ने अमेरिका, लंडन जैसे बड़े देश में पढ़ाई करके बहुत सारी डिग्रियाँ प्राप्त की। यदि वो चाहते तो विदेश मे ही स्थाई होकर उनका निजी जीवन बेहद अच्छा बना शकते थे। लेकिन उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को नजर अंदाज किया और 'दलित वर्ग' के उत्थान के लिए सोचा। अपनी पढ़ाई पूर्ण करके वे भारत लौट आए। दलित वर्ग को अधिकार दिलाने हेतु उन्होंने कई सत्याग्रह किए। जिसकी चर्चा यहाँ की गई है।

उनके विचारों पर दृष्टि डालने से समझा जा सकता है कि किसी भी समय मानव को अपनी गुलामी स्वयं खत्म करनी होगी। भगवान् या एक महामानव पर इसके उन्मूलन के लिए निर्भर नहीं रहना है। संख्यानुसार लोगों का बहुमत में होना पर्याप्त नहीं है। लेकिन सफलता पाने और बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा सतर्क, मजबूत और स्वाभिमानी रहना होगा। सबको स्वयं अपनी राहों को आकार देना होगा। अगर इन सबके बीच हम एक बुनियादी सैद्धांतिक समानता को देखे, तो कई साल पहले के डॉ. अम्बेडकर के विचार वर्तमान समय में भी उतने ही ताजा और उपयोगी लगते हैं।

संदर्भ :–

1. Shinh, M; & Chaudhari, S. (2007) Indian Political Thinker Dr. Bhim Rao Ambedkar. New Delhi : Discovery Publishing House.

2. Jyotikar, D. P. (1990) Arshdrashta : Dr. Babashaheb Ambedkar. Ahmedabad : University Granthnirman Board.
3. Kumar, S; & Kumar, A. (2021) NTA UGC Sociology Paper 2. New Delhi: Arihant Publications (India) Ltd.
4. From Wikipedia, the free encyclopedia. (n.d.) Retrieved from Mahad Satyagraha: https://en/wikipedia.org/wiki/Mahad_Satyagraha
5. Doordarshan National. (2015, September 18) Special feature on Dr. B. R. Ambedkar - Part - 05 [Video]. You Tube. https://www.youtube.com/watch\v/oKwK5H5wphA

डॉ. दिपिका रेवजिभाई चौधरी, आसिस्टंट प्रोफेसर
श्रीमती एस. आई. पटेल इफ्कोवाला कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन पेटलाद, आणंद पिन कोड ३८८४५०
dipupradip79@gmail.com
मोबाईल नं. ६६२५३६६५८५
श्री अक्षय जशभाई पारेख, ज्ञान सहायक
आनंदपूरा प्राइमरी स्कूल पंडोली, पेटलाद, आणंद, पिन कोड ३८८१६०
akshayparekh621@gmail.com
मोबाईल नं. ६३५२४०४६३०

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 129-132

जल योजना विशेषज्ञ डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर

डॉ. ज्योती पांडुरंग गायकवाड
सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शरदचंद्र पवार कॉलेज, सोलापुर।

बाबा साहेब अम्बेडकर न केवल भारतीय संविधान के निर्माता हैं, बल्कि समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिक वैज्ञानिक, मानव विज्ञानी, राजनीति शास्त्री, दर्शन शास्त्र, कानून आदि के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने न केवल मानव जाति के बारे में सोचा बल्कि उन्हें भविष्य में सुरक्षित करने का भी काम किया। आज मानव जाति के सामने सबसे गंभीर समस्या पानी की समस्या है। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर वायसराय के समय में कार्यकारी मंत्रि मंडल में श्रममंत्री थे, उन्होंने समाज के लोगों के कल्याण के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने जल नीतियां अपनाईं। डॉ. बाबा साहेब बहु उद्देश्यीय नदी बेसिन परियोजना का प्रस्ताव देने वाले पहले व्यक्ति थे।

प्रोफेसर एस.सी. हार्ट ने अपनी पुस्तक न्यू इंडिया रिवर्स में डॉ. बाबा साहेब को जल नियोजन के जनक कहा गया है। अब इसे 70 के बाद से केंद्रीय जल आयोग के रूप में जाना जाता है। भारत की खेती प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है, उस पानी का प्रबंधन सिंचाई के रूप में कृषि विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखने का एक वैकल्पिक तरीका है। विश्व बैंक के अनुसार, सिंचाई प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब भूमिहीन क्षेत्रों में, मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बदलने की एक योजना है। प्राचीन काल के समय में दो नदियों की घाटी में पानी जमा करके खेती की जाती थी। जल प्रबंधन के लिए मौर्य काल में गिरनार में सुदर्शन नामक झील का निर्माण किया गया था। सातवाहन काल में ईंट के कुएं बनाए गए थे। यह गांवों के लिए उपलब्ध था। पीने और कृषि के लिये इसका उपयोग किया जाता था। ऐसा पाया गया है कि, सल्तनत काल के दौरान पानी के संरक्षण के लिए मामूली प्रयास किए गए थे।

जल संसाधनों के संरक्षण में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। खेती को पानी मिलेगा तभी खेती अधिक उत्पादन करेगी। इसलिए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की जल नीति पर वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया। सतही और भूमिगत जल की योजना और विनियम न आवश्यक है। जल बर्बादी का विषय नहीं है बल्कि, कितना जल उपयोग किया जाना चाहिए इसका संतुलन आवश्यक है। देश में जल वितरण असमान है। कृषि को धन माना जाता है। जल को एक शोध उपकरण माना जाता है। देश में सिंचाई परियोजनाएँ चलाते समय हर उस नागरिक को पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे वह खेतिहर हो या न हो, जिसके पास अपने नाम पर कोई जमीन नहीं है। अगर हम दलितों को वहाँ पानी पीने से रोकते हैं जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ और अन्य पक्षी जल पीते हैं, तो यह है स्वतंत्रता का प्रश्न। यहां पानी पीना हमारा अधिकार है।

इस तथ्य पर टिप्पणी करते हुए कि पानी प्रकृति का एक उपहार है, ची पंडित कहते हैं कि, जो हमने नहीं बनाया उसे नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। भविष्य में पानी का महत्त्व ध्यान में रखते हुए इसके परिणाम हमारी अगली पीढ़ी को हमेशा भुगतना पड़ेगा, पानी प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया एक निःशुल्क उपहार है और यह उपहार अनमोल भी है। अतः डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर इस बात से भली–भांति परिचित थे कि, जल का विनाश ही सूखे और जल की कमी का मुख्य कारण है।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1944 से 1946 तक श्रम मंत्रालय संभाला, इसलिए इन दो वर्षों के दौरान उनकी और उनके सहयोगियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दो शक्तिशाली तकनीकी संगठनों, एक केंद्रीय जल मार्ग सिंचाई और नेविगेशन आयोग, दो केंद्रीय तकनीकी ऊर्जा का निर्माण थी। आयोग बोर्ड का गठन 5 अप्रैल को, भारत में जन शक्ति सामग्री के पर्याप्त उपयोग के लिए विकल्पों की उचित योजना बनाने के लिए एक मजबूत तकनीकी बोर्ड, CWINC का गठन किया गया था। इसी आधार पर बाद के वर्षों में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना की गई। इसी आयोग के माध्यम से पिछले पांच–छह दशकों से जल संसाधनों के विकास का काम विशेषकर सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन के संदर्भ में पूरा किया गया। नियंत्रण एवं जल प्रबंधन, योजना प्रबंधन अनुसंधान के साथ–साथ परियोजना नियोजन आदि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसका श्रेय डॉ. अम्बेडकर को दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने केंद्रीय जल मार्ग सिंचाई और नवाचार आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा और 8 जनवरी 1944 को समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विकास अधिकारी के पद के निर्माण के संबंध में एक सिफारिश की गई। इस बैठक में दो विकास अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया और 1944 में जल शक्ति और श्रम मंत्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने परामर्श अभियंता सिंचाई और परामर्श अभियंता बिजली नामक दो विकास अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। अम्बेडकर पानी की कमी को नियंत्रित करने और जल विद्युत उत्पादन की समस्या को हल करने के लिए एक बहु उद्देश्यीय परियोजना स्थापित करना चाहते थे और 1943 और 1946 के बीच दामोदर महानदी, सोन और कोसी नदी परियोजना शुरू की गई थी।

दामोदर बेसिन परियोजना एक प्राकृतिक आपदा :–

डॉ. अम्बेडकर ने दामोदर बेसिन परियोजना को इस तथ्य के स्थायी समाधान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया कि, दामोदर नदी अपनी प्राकृतिक विनाशकारी प्रवृत्तियों के कारण दुःखों की नदी के रूप में जानी जाती थी। क्योंकि यह बड़े पैमाने पर भूमिका कटाव करती थी। बिहार और पश्चिम बंगाल में बाढ़ की गंभीर समस्या पैदा हुई। यानी सिर्फ चार साल में इस परियोजना का काम तमाम मंजूरियों के साथ शुरू किया गया और कम समय में पूरा कर लिया गया, जिससे बिहार में मिट्टी का कटाव कम हुआ और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिली।

हीराकुंड परियोजना क्षेत्र :–

राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी महानदी को कई बार महानदी की बाढ़ से नुकसान उठाना पड़ा। 1944 में उड़ीसा राज्य में भीषण बाढ़ से दो लाख 35 हजार 581 लोगों की मृत्यु हुई, मलेरिया से एक लाख तीस हजार लोगों की मृत्यु हुई।[8] नवंबर 1945 में, नदियों की समस्या पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था। उस

सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर थे। समस्या को आगे बढ़ना होगा, यह प्राकृतिक आपदा पानी की अधिकता भी नहीं है, इस पर मसूरी और टेनेसी योजनाएँ बनानी होंगी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी नदी। अम्बेडकर कहते है कि, मुझे लगता है कि एक हजार वर्गमील भूमि को सोखने के लिए पर्याप्त जल संसाधन होने के बावजूद उड़ीसा एक गरीब, पिछड़ा और क्षीण राज्य क्यों है, इसका एकमात्र उत्तर यह है कि जल संसाधनों का उपयोग सही है, इतनी बड़ी मात्रा में पानी खतरनाक है और इसे समुद्र में छोड़ना गलत है, यह लोगों के लिए खतरनाक है। समाधान यह है कि बाढ़ वाली नदियों पर बांध बनाए जाएं और उनके पानी को स्थायी रूप से जलाशयों में डाला जाए ताकि इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों जैसे सिंचाई, बिजली, उद्योग, कारखानों के लिए सस्ते बीज और परिवहन, सड़क, सिंचाई, पानी के लिए किया जा सके। सीवरेज, मृदा संरक्षण और बिजली विकास। उनका मानना था कि यदि इसे सीमित किया गया, तो यह प्रांत का नासूर बन जाएगा और यदि कल्याण हासिल करना है, तो केंद्र सरकार क्रांति और राज्य सरकार जल विकास के लिए सहकारी और समन्वित प्रयास करेगी। संसाधन, जल संसाधनों का निरंतर स्रोत फायदेमंद हो सकता है, अन्यथा आप समुद्र में जाकर असीमित नुकसान करते रहेंगे। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने राय व्यक्त की कि, पानी का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए जैसे पानी के लिए पानी।

सोन नदी बेसिन :–

सोन नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है और यह गंगा नदी में मिलती है इस नदी पर एक परियोजना 1944 में बनाई गई थी। इस परियोजना का उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन, पाइपलाइन बिजली आपूर्ति, औद्योगिक विकास और जल परिवहन के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग जल परिवहन के लिए किया जाएगा। एक बैठक इस संबंध में 10 मार्च 1945 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी। इससे पहले जनवरी 1945 में डॉ. बाबा साहेब ने कलकत्ता में आयोजित एक बैठक में इस परियोजना के महत्व को व्यक्त किया था और डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर दिल्ली परिषद के संस्थापक थे। बैठक में सोन नदी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।

अंतरराज्यीय नदियाँ और डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर :–

स्वतंत्र भारत की जल नीति तय करने में बाबा साहेब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 1935 के अंतरराज्यीय जल मार्ग अधिनियम में संशोधन करके अंतरराज्यीय जल मार्ग केंद्र सूची धारा 74 में शामिल किया गया। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि पानी का मतलब जल आपूर्ति, सिंचाई नहरें, जल निकासी और बांध, जलाशय और जल शक्ति आदि। 1956 के अधिनियम के अनुसार, नदियों या नालों के बीच जल संस्थानों के संबंध में मध्यस्थता का प्रावधान है।

निष्कर्ष :–

जल को जीवन कहा जाता है। बढ़ती जनसंख्या के साथ–साथ भारत में पानी की खपत भी बढ़ रही है, वर्षा और उपलब्ध नदियों से ताजा पानी बहुत दुर्लभ होता जा रहा है, पानी के असीमित उपयोग और जलाशयों के अनुचित भंडारण के कारण यह समस्या गंभीर होती जा रही है, जिसके कारण उचित योजना बनाना आवश्यक है। इसके उपयोग को कम आंकने से बचने के लिए उचित जल नियोजन जल ग्रहण क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए, जल पर बांध बनाकर पानी का संरक्षण किया जाना चाहिए, जल प्रबंधन से कृषि और अन्य

क्षेत्रों का विकास होता है, जल प्रबंधन का अर्थ है देश में सिंचाई का विकास। भारत की जल नीति के संबंध में व्यक्त किए गए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को भारत में कानून में तब्दील किया गया और वास्तव में कुछ बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया, जो स्वतंत्र भारत की कई भावी पीढ़ियों के लिए एक वरदान है क्योंकि आज जब सिंचाई, जल विद्युत, जल आपूर्ति जैसे कई मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, बाढ़ नियंत्रण, नौकायन इत्यादि। इन्हें लागू करते समय कई विशेषज्ञों को डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से राजनेताओं की मदद करनी होगी।

सन्दर्भ :–

1. डॉ. थोरात सुखदेव : डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर योजना, जल और बिजली विकास भूमिका और योगदान।
2. महाराष्ट्र सरकार डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर भाषण 2002 इंगल एम.आर. वर्तमान स्थिति।
3. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की आवश्यकता– प्रशांत प्रकाशन, जलगांव।
4. केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली (1986) भारत में केंद्रीय जल आयोग भारत की सेवा के चार दशक।
5. डॉ. बी.आर. अंबेडकर 1945 दामोदर बेसिन योजना, कलकत्ता परिषद, 3 जनवरी 1945
6. डॉ. नरेंद्र जाधव : बोल महामानवाचे खंड दो।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 133-140

सामाजिक न्याय की मुहिम के प्रणेता व शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर का समतामूलक व समावेशी समाज के निर्माण में योगदान

डॉ. सुनील कुमार थुआ
सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय, पलवल
सम्बद्ध कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।

शोध सार :-

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार, न्याय सामान्यतः स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का पर्याय है। यदि सभी व्यक्ति समान हैं, तो सभी मनुष्य एक ही सार–तत्व के हैं और वह सारतत्व उन्हें समान मौलिक अधिकारों एवं समान स्वतंत्रता के लिए अधिकारी बनाता है।'[1] उपरोक्त कथन विश्लेषण के बाद हम पाते हैं कि डॉ. अंबेडकर ने दुनिया के विभिन्न देशों की सामाजिक क्रांति और वहां के साहित्य का अवलोकन किया था। जिसका परिणाम उनके सोच में स्पष्ट तौर झलकता है। फ्रांस में 1789 ई. में जो क्रांति हुई थी उसमें वहां के क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों ने यह उद्घोष किया था कि एक अच्छा समाज बिना स्वतंत्रता समानता और बंधुता के निर्मित नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय में 'सामाजिक' पद संपूर्ण मानव जीवन का वाचक है, न कि किसी विशिष्ट वर्ग या जाति का। जिसमें आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक एवं विधिक इत्यादि संपूर्ण सामाजिक आधार समाहित है। जिस तरह से कुटिल बुद्धिजीवियों ने मनुस्मृति जैसी अमानवीय ग्रंथ का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत किसी एक वर्ग और जाति को विशेष प्राथमिकता दी गई, पर डॉ. अंबेडकर ने इस व्यवस्था को पहचाना और इसका विरोध किया। वे संपूर्ण मानव को केंद्र में रखकर चिंतन करते थे। भारत का संविधान, जो समस्त मनुष्यों को समान अवसर प्रदान करता है, यह सभी डॉ. अंबेडकर के गहन चिंतन मनन का ही परिणाम है। उन्होंने बड़े आग्रह के साथ कहा, मेरे जीवन–दर्शन में स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्त्व है। लेकिन, उसी के साथ अनिर्बंध स्वतंत्रता समानता के लिए खतरनाक भी होती है।[2] डॉ. अंबेडकर स्वतंत्रता के पक्षधर थे पर अनुशासन के बगैर नहीं। वे अनुशासन रहित स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे। उनकी स्वतंत्रता से अगर दूसरे को हानि होती है तो वे उसके खिलाफ थे। वे हमेशा संपूर्ण समाज और राष्ट्र के बारे में चिंतन किया करते थे।

बीज शब्द :-

डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, स्त्री व नारी, सामाजिक न्याय, संविधान, समता मूलक, समावेशी, समरसता, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी।

मूल शोध आलेख :-

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि ''स्वतंत्रता व उन्नति के लिए जिन हालातों की आवश्यकता होती है, हिंदू धर्म उसके विरूद्ध है।'[3] हिंदू धर्म वर्ण और जाति पर आधारित है जो समतामूलक समाज के निर्माण में किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है। जहां ऊंच–नीच, बड़ा–छोटा, छुआ–छूत आदि सामाजिक कुरीतियों को बोलबाला हो, वह सभ्य समाज नहीं हो सकता। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति अपनी अन्य विशेषताओं के बावजूद, समतामूलक समाज बनाने में असफल रही है, क्योंकि जिसकी सोच ही गैर बराबरी की बुनियाद पर आधारित हो, वह समाज समता मूलक कैसे हो सकता है? डॉ. अंबेडकर द्वारा हिंदू धर्म का विरोध किए जाने की एक मुख्य वजह उसमें समानता का न होना है। उनका कहना था कि असमानता हिंदू धर्म की आत्मा है। खासकर मनुस्मृति के द्वारा शूद्रों के जीवन की प्रत्येक अवस्था में असमानता के तत्व को लागू किया गया है। यह बात मानसिक गुलामी, विवाह तथा दंड संबंधी मनुवादी व्यवस्था के अवलोकन से साफ–साफ दृष्टिगोचर होती है। जिस तरह मनुवादियों ने मनुस्मृति के नियमों को लागू किया, उसके अध्ययन से पता चलता है कि किस तरह का दंड विधान बनाया गया था। उस दंड विधान में साफ–साफ नफरत व घृणा को देख सकते हैं। पूरी व्यवस्था के अंतर्गत शूद्रों व महिलाओं को मनुष्य होने के बावजूद मनुष्य नहीं समझा गया और दंड संहिता को इस तरह तैयार किया गया कि शूद्र मनुष्य न होकर जानवर हैं।

डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत समान सुविधाओं, समान अवसरों तथा समान प्राथमिकताओं पर बल देते थे। वे प्रत्येक मानव को कानून की दृष्टि में समान समझते थे और जहां तक मानव की कुछ सामान्य विशेषताओं का प्रश्न है, वहां पर समानता का सिद्धांत स्वीकार करते थे। उनकी दृष्टि में सभी मानवों को सैद्धांतिक दृष्टि से समान समझना लोकतंत्र का मौलिक आधार है। वर्ण, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग एवं राष्ट्र से परे सब मानवों में एक सामान्य विशेषता है। मानव सामाजिक के साथ–साथ बौद्धिक प्राणी भी है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जहां अन्याय एवं अत्याचार को ज्यादा सहता है, वहां पर सामाजिक विद्रोह होते रहते हैं। उनका यह कहना था कि, 'यदि आर्थिक समानता नहीं लाई गई, तो जनतांत्रिक व्यवस्था भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी।'[4] हमारे पूरे संविधान में कहीं भी कट्टरता, कटुता और उच्च वर्णों के प्रति नफरत का भाव नहीं है। यही उनकी समाज के प्रति सकारात्मक व सच्ची सोच को दर्शाता है। लेकिन हिंदू धर्म की वर्ण–व्यवस्था और उससे निकली जाति–व्यवस्था बहुस्तरीय असमानता पर आधारित होने के कारण बंधुता को बाधित करती है। इसमें चारों वर्णों के बीच ऊंच–नीच की भावना तो है ही, इन वर्णों के अंतर्गत भी असंख्य जातियां हैं, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से भेदभाव, घृणा एवं द्वेष मौजूद है।'[5]

मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यह इसलिए है, क्योंकि मानव संबंध बंधुता पर आधारित होता है, लेकिन जिस समाज में एक दूसरे के सामने आने पर सजा मिले उसे समाज को 'वसुधैव कुटुंबकम' कैसे कहा जा सकता है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज के निम्न तबके को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष वृद्धि के लिए पूर्ण रूपेण अयोग्य बना दिया था। वे शस्त्र व शास्त्र धारण नहीं कर सकते और बगैर शास्त्र व शास्त्र के विद्रोह कैसे होगा? फिर शिक्षा के अभाव में न अपनी मुक्ति के बारे में कुछ सोच सकते थे और न ही कोई जानकारी प्राप्त कर सकते थे। इस तरह शूद्रों, अति शूद्रों एवं महिलाओं को निम्न एवं वंचित बनाकर रखा गया।[6]

सामाजिक न्याय के अंतर्गत स्त्री चेतना का इतिहास व दर्शन :–

उबीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक देश दुनिया में कई महिला संगठनों की उत्पत्ति हो चुकी थी। इन संगठनों ने सामाजिक सुधारों के साथ–साथ चुनावों में मत देने का अधिकार भी मांगा। सन् 1929 में बाल विवाह पर रोक के कानून को पास करवाने के बाद ये संगठन तलाक, उत्तराधिकार तथा संपत्ति के अधिकार के मामले उठाने भी लगे। साल 1934 में ऑल इंडियावी मेंस कॉफ्रेंस ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव पास किया। सन् 1937 में हिंदूवी में सराइटटू प्रॉपर्टी कानून पास हुआ। सन् 1934 से 1951 तक हिंदू कोड बिल पर तीखी बहस चलती रही। इस मामले में डॉ. आंबेडकर के अत्यधिक विरोध के कारण नेहरू को कानून बनाने की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। प्रथम चुनाव में भारी जीत के बाद सन् 1955 में हिंदू विवाह कानून, सन् 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू अल्प वयस्क और संरक्षण कानून तथा हिंदू गोद लेने तथा पालने का कानून बना।'[7]

सामाजिक न्याय के इस संघर्ष में महिलाओं के स्वायत्त संगठन तथा डॉ. बाबा साहब अंबेडकर के प्रयास से महिला मानवाधिकार के प्रथम अध्याय में भारत में 'हिंदू कोड बिल' के रूप में शुरुआत हो चुकी थी। इसी आलोक में रेखा कस्तवार लिखती हैं कि, 'स्त्रीवादी आंदोलनों की सशक्त पृष्ठभूमि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तैयार हो चुकी थी। उन्नीसवीं शताब्दी में पुरुषों द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार से शुरू (जिसे शुरुआती तौर पर ब्रिटिश आकाओं की प्रसन्नता के लिए स्वीकारा गया था) आंदोलन बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में समानता के अधिकारों द्वारा स्त्री को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने से होता हुआ जो बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वनिर्णय के अधिकार तक विस्तृत हुआ।'[8]

महिला तथा मानव अधिकार के अंतर्गत स्त्री की चेतना और जागृति का उद्देश्य बीसवीं सदी में पुष्ट होने लगा था। अन्यथा उनकी स्वयं के बारे में कोई दृष्टि पैदा नहीं हुई थी। बीच–बीच में अधिकारों की मांगें उठ रही थीं किंतु उसे अधिक तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। कारण यह था कि कुछ चुनिंदा महिलाएं ही उस संकीर्ण पितृ सत्तात्मक समाज में अपने अधिकारों की मांग कर रही थीं। बाकी का पूरा का पूरा समाज अभी भी वैचारिक रूप से कुंद था। स्त्रियों को पुरुषों द्वारा दिखाई गई अपनी माता, पत्नी तथा बहन की अच्छी तथा घरेलू छवि तक सीमित थी। जिसे उन्नीसवीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने तथा स्वतंत्रता के समय गांधी ने पुष्ट किया था।

इस परिप्रेक्ष्य में राधा कुमार लिखती हैं कि भारतीय नारी के आत्म बलिदानी स्वभाव के बारे में गांधी की संस्तुति कोई मौलिक नहीं थी क्योंकि उसकी प्रशंसा पहले ही समाज सुधारकों तथा पुन रुत्थान वादियों द्वारा की जा चुकी थी। वस्तुतः उन्होंने नारी स्वभाव का पुनःरूपण ही किया। समाज सुधारकों ने जहां स्त्री की आत्म बलिदानी प्रकृति को सांस्कृतिक दबावों के चलते कष्टप्रद रूप में देखा। वहीं पुन रुत्थान वादियों ने महिलाओं के संस्कारात्मक बलिदान को हिंदू स्त्री के गौरव की संज्ञा दी, परंतु गांधी ने स्त्री के आत्म बलिदानी स्वभाव को हिंदू संस्कारों के अलावा मां के रूप में भारतीय स्त्री के विशेष गुणों को परिभाषित किया। गांधी की दृष्टि में स्त्रियों द्वारा शांति और अहिंसा के प्रसार के लिए उनकी गर्भ धारण एवं मातृत्व का अनुभव ही विशेष योग्यता है। अगर वे प्रसव की वेदना सह सकती हैं तो वे कुछ भी सह सकती है, कोई भी कष्ट उठा सकती हैं।'[9]

राधा कुमार की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री की परंपरागत छवि को बनाए रखना समाज में न केवल उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखेगा बल्कि इससे उनकी खुद के बारे में नारीवादी दृष्टि का विकास कभी नहीं हो पाएगा। स्त्रियों को रूढ़ि तथा संस्कार की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण पितृ सत्ता उसका शोषण

अनवरत जारी रखेगी। स्त्रियों को मानवाधिकार की प्राप्ति तभी हो सकेगी जब घरेलू जीवन के परंपरागत बोझ से बा हर निकालकर वह स्त्री मुक्ति के नए आयामों को देख सकेंगी। उपनिवेशिक काल में स्त्री अधिकारों की चेतना नारीवाद की पहली पीढ़ी की महिलाओं के मस्तिष्क में उभरी। जिसमें पंडिता रमाबाई तथा सावित्री बाई फुले के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जाति–प्रथा विरोधी तथा स्त्री शिक्षा की समर्थक इन महिलाओं ने उस बंद समाज में शिक्षा की अलख जगाकर समाज को रोशनी दिखाने की चेष्टा की। तत्पश्चात दूसरी पीढ़ी के रूप में कमला देवी चट्टोपाध्याय, मार्गेटक जिंस भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट आदि का नाम आता है। इन्होंने स्त्री शिक्षा, महिलाओं के वोट का अधिकार तथा राजनीति में महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका की बात छेड़ी। इसके साथ ही राजनीति में पुरुषवादी वर्चस्व को तोड़ने का काम किया जब कांग्रेस के चुनाव में 'श्रीमती बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आशा शुक्ल तथा कुसुम त्रिपाठी अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि हमारे इतिहास की किताबों में सरोजिनी नायडू, ऐनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसी महिलाओं के योगदान का उल्लेखनीय विवरण है, लेकिन ऐसी हजारों अनजानी, अनसुनी महिलाएं हैं।

डॉ. अंबेडकर का स्त्री चिंतन व दृष्टि :–

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि उस समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है।[10] स्त्री की दशा से ही किसी देश की दशा का प्रगति का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। बाबा साहेब के व्यक्तित्व पर गौतम बुद्ध तथा ज्योतिबा फुले व कबीर का गहरा प्रभाव था। बौद्ध धर्म ऐसा पहला धर्म था जिसने स्त्रियों को धर्म शिक्षा का अधिकार दिया और स्त्री–पुरुष समानता का भी उपदेश दिया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने दलित वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल खुलवाए। सावित्री बाई फुले ने अपना सारा जीवन स्त्री–शिक्षा के उत्थान में लगा दिया। उन्ही की प्रेरणा से डॉ. अंबेडकर ने दलित समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो संगठित रहो का नारा दिया। अपने इस नारे में उन्होंने शिक्षा को प्रथम स्थान दिया।[11]

वे शिक्षा के महत्त्व को जानते थे। परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण में नारी की अहम भूमिका को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है, जितनी की पुरुष शिक्षा। उनका तो यहां तक कहना था कि एक लड़का शिक्षित होगा तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होगा लेकिन जब एक लड़की शिक्षित होगी तो पूरा परिवार व समाज शिक्षित होगा। इसलिए नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक आवश्यक है। वह राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण करने की महत्ती भूमिका निभाती है, किंतु मनु जैसे स्मृतिकारों ने नारी को मूक पशु की तरह रखने के लिए उन्हें शिक्षा से वंचित रखने की राष्ट्रघाती नीति अपनाई (अंबेडकरवादी स्त्री– चिंतन– तेज सिंह, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली. 2011. पृ. 62)[12]

स्त्रियों को समझाते हुए वे कहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें गलत आदतों से दूर रखना चाहिए और उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। ऐसा करके वह अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकती हैं। वे उनसे सवाल भी करते हैं क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे हमेशा गंदगी में रहें, मृत पशुओं का मांस खाते रहें, दूसरों की जूठन बटोरते रहें और चाटते रहें। अगर नहीं तो उनके बेहतर भविष्य की सोचो।' स्त्रियों को जागरूक करते हुए वे उन्हें जानकारी देते हैं कि उन्हें अपनी लड़कियों की शादी जल्दी नहीं करनी

चाहिए, कम बच्चे पैदा करें और अति समर्पण की भावना को त्यागें। अपने पति के साथ दासी न बनकर बल्कि एक दोस्त बनकर, एक सहयोगी के रूप में उनका साथ दें। उन्होंने स्त्रियों से स्वच्छ जीवन व्यतीत करने का भी आग्रह किया। उन्होंने स्त्रियों का ध्यान साफ–सुथरे जीवन की ओर आकृष्ट करते हुए कहा कि इस बात चिंता मत करो कि तुम्हारे वस्त्र फटे हुए और पुराने हैं। बल्कि इतना ध्यान रखो कि वो साफ–सुथरे और पूरे अंग को ढकने वाले हों। अंबेडकर स्त्रियों की सामाजिक गुलामी को गहराई तक जानते थे। उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण था कि उन्हें इस गुलामी से किस प्रकार निजात दिलाई जाए। उनके आत्म सम्मान को कैसे जगाया जाए और ऐसा क्या किया जाए कि उनका उद्धार हो सके। अंबेडकर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि स्त्रियों के शोषण के दो मुख्य कारण है प्रथम ज्ञान की कमी और दूसरा संपत्ति विहीन होना। जब तक स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक उनको संपत्ति में भी बराबर का हक नहीं मिलेगा।

उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तभी आएगा जब स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। उनकी उन्नति भी तभी संभव है जब उन्हें घर में, परिवार में, समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। उनका कहना था कि स्त्रियों की स्थिति मात्र उपदेश देने से नहीं सुधरने वाली कानून में भी उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। अंबेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर इसलिए उन्होंने संविधान के द्वारा महिलाओं को सारे अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। मनु दर्शन ने स्त्री के लिए गुलामी भरा जीवन ही निर्धारित किया। उसका अपना कुछ भी नहीं जो कुछ भी है सब पुरुषों के लिए। वह पुरुषों के लिए जिएगी, उसकी तन–मन से सेवा करेगी, उसे तृप्त करेगी और उसके बच्चे पैदा करने वाली साधन बनी रहेगी। बाबा साहेब ने स्त्री विरोधी इन्हीं मान्यताओं को ठुकराया और उनके उधर हेतु साहसिक कदम उठाए चाहे वह महिला कामगारों की प्रसूति अवकाश से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक हो चाहे कारखानों और खदानों में काम के घंटे की बात हो। या स्त्री–पुरुष श्रमिकों के लिए समान वेतन का अधिकार दिलाने वाली बात हो।

सामाजिक न्याय की दिशा में पिछड़े वर्ग के लिए अंबेडकर का योगदान :–

अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रांतिकारी आदर्श ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में समानता स्थापित करने के लिए अछूत शुद्र ही क्या ब्राह्मणों की महिलाओं की सेवा में अपनी पत्नी सावित्री बाई व दत्तक पुत्र यशवंत ने अपना सारा जीवन लगा दिए। ऐसे समता पुरुष महामानव को बाबा साहेब ने अपना गुरु माना। शूद्र अर्थात् ओ. बी. सी. समाज की कोल्हापुर रियासत के महाराजा छत्रपति राजर्षि शाहू जी महाराज को साथ लेकर बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका। शाहू जी महाराज ने उनको मूकनायक समाचार पत्र निकालने और अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए न केवल आर्थिक सहायता की बल्कि उनके साथ माण गांव में 21–22 मार्च 1920 को आयोजित सभा से समानता की इस सामाजिक लड़ाई में भी प्रत्यक्ष भाग लेना प्रारंभ किया। इसी सभा में उन्होंने विश्वास भी जताया कि एक समय ऐसा आएगा जब अंबेडकर दलितों के ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के युगान्तकारी नेता होंगे।[13] आज न तो राजर्षि शाहू जी महाराज जीवित हैं नहीं बाबा साहेब किंतु आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व बाबा साहेब के संबंध में शाहू जी महाराज द्वारा व्यक्त किए गए विचार सच साबित हुए हैं।

शाहू जी महाराज की अध्यक्षता में नागपुर में 30, 31 मई एवं 1 जून, 1920 को आयोजित 'अखिल भारत बहिष्कृत परिषद' ने सामाजिक आंदोलन को देशव्यापी स्वरूप दिया। इस परिषद में संपूर्ण भारत से उपस्थित दलित नेताओं के साथ कई ओ.बी.सी. समाज के नेता भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसमें मुख्यतः आयुष्मान

रणदिवे, बाबूराव है बतराव यादव, आयुष्मान कोठारी, श्री पतराव शिंदे आयुष्मान कांबले इत्यादि थे। इस प्रांत में राजर्षि शाहू जी महाराज के आने से पूर्व ओ.बी.सी. समाज में विशेष जागृति नहीं थी। शाहू जी महाराज की प्रेरणा से 1920 से ओ.बी.सी. समाज में भी इस क्षेत्र में जागृति आनी प्रारंभ हुई। उसी प्रकार ओ.बी.सी. समाज से ताल्लुक रखने वाले डॉ. पंजाबराव देशमुख साहेब और बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने मिलकर दलित तथा शूद्र (ओ. बी.सी.) समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए विपुल कार्य किया। जिस समय भारतीय संविधान की रचना हो रही थी लखनऊ के बदलूराम रसिक ने बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर से मिलकर पिछड़े वर्गों के संबंध में उनके विचार जानने चाहे तब अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने विचार रखते हुए बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने कहा 'मैं सभी वर्गों की परिस्थितियों से भली–भांति परिचित हूँ। पिछड़े वर्ग तथा अछूतों के अधिकारों के संबंध में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों की एक ही जैसी समस्याएं है। जहां अछूतों के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा वहां पिछड़े वर्ग भी उन्हीं के साथ होंगे क्योंकि दोनों का चोली–दामन का साथ है। इसके बाद बदलूराम रसिक डॉ. पंजाबराव देशमुख से मिले। उनसे भी पिछड़े वर्गों के अधिकारों के बारे में पूछा कि आपने डॉ. अंबेडकर से इस विषय में बातचीत की है? डॉ. पंजाबराव देशमुख साहेब ने इसका उत्तर देते हुए कहा मेरी और डॉ. अंबेडकर की हमेशा ही बातचीत होती रहती है। ये हमारे अधिकारों के प्रति पूर्ण रूपेण सजग तथा सचेत हैं। वे शोषित वर्ग की सहायता के लिए ही पैदा हुए हैं। इससे पता चलता है कि बाबा साहेब ने पिछड़े वर्गों के हितों के प्रति कितने सरोकार रखते थे।[14]

शूद्रों की अवनति के कारण :–

21 एवं 22 मार्च, 1920 को दक्षिण महाराष्ट्र, बहिष्कृत परिषद की ओर से मांड गांव में आयोजित सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉ. अंबेडकर ने कहा, 'आज तक हमारा मानना था कि हमारी खराब परिस्थिति का कारण हमारा नसीब (भाग्य) है और नसीब को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, इस कारण हम जिस स्थिति में हैं हमें उसे सहन करना चाहिए।

वर्तमान पीढ़ी को ऐसा लगता है कि हमारी परिस्थिति की वजह ईश्वर की अकृपा न होकर वह अन्य लोगों के बुरे कर्मों का परिणाम है ऐसा हमें लगता है। इस प्रकार उनके कहने का तात्पर्य यह था कि हमारी जो दीन–हीन अवस्था है उसका कारण हमें यह बताया जाता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह पिछले जन्म के कर्मों का फल न होकर ब्राह्मणों द्वारा लादी गई गुलामी के कारण हमारी ऐसी अवस्था है। हिंदुओं को एक संघ बनाने का उपाय बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने केवल हिंदू धर्म की बुराई ही नहीं बताई बल्कि उसे एक अच्छा धर्म बनाने के लिए कई बार प्रयास भी किए। ऐसा ही एक प्रयास उन्होंने मई, 1924 में मुंबई क्षेत्रीय बहिष्कृत सम्मेलन की ओर से बार्शी जिला सोलापुर में आयोजित सभा में दिए गए भाषण में किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 'जाति भेद यह (जाति सूचक) नाम में समाया है।[15]

डॉ. आंबेडकर का सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण व आदिवासियों के लिए योगदान :–

बाबा साहेब का मानना था कि समय के साथ–साथ देश और दुनिया में बहुत कुछ बदला है और बदलता जा रहा है, लेकिन आश्चर्य होता है कि आदिवासियों का कुछ नहीं बदला। आर्यों से लेकर मुगलों, अंग्रेजों से देसी अंग्रेजों तक एक जैसी समस्या मौजूद हैं। जल–जंगल–जमीन–संस्कृति मौलिकता और प्रकृति से पवित्र रिश्ता और आज की 21वीं सदी में जब दुनिया के नए स्वरूप नई प्रतिस्पर्धा और विकास की नई–नई तकनीकें

उसके प्रभाव पर जब–जब लंबी–लंबी बहसें हो रही हैं तब आदिवासी समस्या को लेकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। बाबा साहेब के लक्ष्य का केंद्र मनुष्य ही था जो समन्वय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और न्याय आदि के आदर्शों पर आधारित था। विकास के आधुनिक अवधारणा के क्रियान्वयन होने से सर्वाधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित भारतीय समुदायों में आदिवासी समुदाय ही हुआ है।[16]

पहली बात तो यह है कि आदिवासी समस्या' जैसे शब्दों का प्रयोग उन आदिवासियों को हिकारत के तथा नफरत की दृष्टि से देखने को प्रोसाहित करता है? जबकि हिकारत की जगह प्रेम की नजर से देखकर उनकी 1928 से जारी समस्याओं की समाधान करने की जरूरत है? अंबेडकरवादी आंदोलनों में दलितों की पृष्ठभूमि में उन्हीं आदिवासियों के प्रश्न और समस्याओं के अध्ययन एवं महत्व को विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. अंबेडकर ने जो भी किया दलितों के समान आदिवासी समाज के प्रति भी सहानभूति थी? वे आदिवासी समाज के लिए कितने प्रयासरत थे कितने सजग व चिंतित थे, इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं। अतः डॉ. अंबेडकर पर ठक्कर बापा जैसे विद्वानों ने भी आरोप की लगाया की अंबेडकर आदिवासी समाज के प्रति उदासीन थे। लेकिन एक बात सच है कि डॉ. अंबेडकर के पश्चात् दलित–पंथी लोग और उनके उतराधिकरियों ने आदिवासी समस्या की और कभी ध्यान ही नहीं दिया। डॉ. अंबेडकर के मन में जो आदिवासी समाज के प्रति प्रतिबद्धता थी उसको नजर अंदाज कर उसे धूमिल कर दिया। डॉ. अंबेडकर का स्पष्ट रूप यह मानना था कि आदिवासियों की मूल संस्कृति तथा ढांचे को ठेस न पहुंचाते हुए उनका जीवन सुधारने एवं उन्हें विकास के सूर्य की और ले जाने का प्रयास करना अत्यंत जरूरी है? अछूत और आदिवासी समाज ऐसा समाज है जोकि समाज की मुख्यधारा से हमेशा अलग रखा गया है और यहाँ मुख्य जीवन कट जाने का डर बाबा साहेब ने हमेशा व्यक्त किया परंपरागत रूप से भारतीय समाज में दलित वर्ग तथा जनजातियां समूह सामाजिक रूप से पिछड़ी रही है।

अतः उनकी स्थिति में सुधार हेतु तथा उन्हें समाज में अन्यों के समकक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष संरक्षण की आवश्यकता थी। ताकि कालांतर में ये अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में टिक सकें और ये सोच बाबा साहेब के मन में थी। उनको भविष्य की चिंता और डर था। यह हमें संविधान में देखने को मिल जाता है, जो इनकी संवैधानिक अधिकारों के रूप में वर्णित है।[17] भारत में आर्यों के आक्रमण के बाद हजार सालों तक आदिवासी समाज को हिंदूवादी व्यवस्था ने जंगलो में रहने लिए मजबूर किया और इस हजार सालों की उत्पीड़न एवं अपमान को देखते हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने 23 अक्टूबर को साइमन कमीशन को यह बात कही थी कि आदिवासियों को वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस तरह अक्टूबर 1933 में जे. एच हट्टन के समक्ष आदिवासी अधिनियम संविधान में लाकर विशेष संरक्षण देने का मत व्यक्त किया। बाबा साहेब के इन्हीं प्रयासों से 1935 के गवर्मेंट एक्ट के तहत 1936 में सर्वप्रथम शेड्यूल ट्राइब्स की योजना बनी।

डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा के सम्मुख अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों के हित रक्षा के लिए संविधान में आवश्यक प्रावधान की मांग को एक ज्ञापन का प्रयोग किया। जिसे बाद में स्टेट एंड मैनोरिटीज नाम से प्रकाशित किया गया।[18] इस प्रकार संविधान सभा द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विधान मंडलों में तथा शिक्षा व सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधि सुरक्षित रखने के प्रावधान को स्वीकार किया गया। जहां तक आरक्षण की बात है तो आदिवासियों को ये हक बाबा साहेब ने संविधान की रचना कर

प्रदान की और साथ ही एक संवैधानिक नाम 'शेड्यूल ट्राइब्स भी प्रदान किया था।[19]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुशांत शेखर, सामाजिक न्याय : अम्बेडकर विचार और आधुनिक संदर्भ, दर्शना पब्लिकेशन, 2014, पृ–21
2. वही, पृ–32
3. वही, पृ–34
4. संपादक, प्रो. कमल नयन काबरा, अरुण त्रिपाठी, अनिल चमडिया–युवा संवाद (वर्ष–15, अंक–9) दिसम्बर, 2017, पृष्ठ–21
5. वही, पृष्ठ–22
6. नानक चंद्रत्तू, डॉ आंबेडकर : कुछ अनछुए प्रसंग, सम्यक प्रकाशन दिल्ली, 2008
7. संपादक डॉ. पी. एस. भाटी, डॉ. बी. आर. अंबेडकर जीवन और विचारधारा, राजस्थानी ग्रंथ घर प्रकाशन, जोधपुर, 2007
8. अवधेश कुमार चौबे, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, धीरज पॉकेट बुक्स नई दिल्ली, 2002
9. कन्हैया लाल चंचारिक, आधुनिक भारत का दलित आंदोलन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2008
10. संपादक, एस. एम. माइकल, आधुनिक भारत में दलित दृष्टि एवं मूल्य रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2010
11. अनु. प्रभा खेतान, (द सिमोन बुआर) स्त्री उपेक्षिता, हिंद पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली।
12. डॉ. बी. आर. अंबेडकर, संपूर्ण वांङमय, खंड–7 प्रकाशन सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, 1995 पृष्ठ 339
13. डॉ बी. आर. अंबेडकर, हुआ रशुद्राज, थैंक्स एंड कम्पनी, पब्लिकेशन, बम्बई, 1946, पृ.15
14. कीर धनंजय, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, लाइफ एंड मिशन, पॉपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1959, पृष्ठ–105
15. कंवल भारती, समाजवादी अंबेडकर, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009
16. संपादक, प्रोफेसर कमल नयन काबरा अरुण त्रिपाठी, अनिल चमड़िया, युवा संवाद (वर्ष–15, अंक–9) दिसंबर, 2017, पृ. 83
17. रमणिका गुप्ता, आदिवासी कौन, पृ. 85–86
18. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, खंड–2, पृ. 471–72
19. अरुंधति राय, न्याय का गणित, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013

ईमेल– skthua@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 141-144

डॉ. अंबेडकर, हिन्दी दलित आत्मकथाएं और समकालीन समाज

क

क

पिछली शताब्दी में भारतीय समाज के ढांचे को जिन्होंने न केवल सर्वाधिक प्रभावित किया बल्कि उसमें एक बड़े सकारात्मक बदलाव के कारण रहे डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव को बचपन से ही बहुत निकटता से देखा था और स्वयं भी इसका शिकार रहे थे। इसलिए यह पीड़ा उनके लिए भोग हुआ यथार्थ ही थी। बचपन में रेलवे स्टेशन से बैल गाड़ी से यात्रा करने की घटना ने उनके मस्तिष्क को भीतर तक प्रभावित किया। धनंजय कीर लिखते हैं—'भीम के खूबसूरत कपड़े देख कर उनको ऐसा लगा कि ये बच्चे किसी सम्पन्न परिवार के होंगे। लेकिन जब यह मालूम पड़ा कि वे एक महार के हैं, तो वे चार कदम पीछे हट गए। फिर भी उन्हें एक बैल गाड़ी किराये पर देने का सद्भाव उन्होंने दिखाया। गाड़ी के कुछ आगे बढ़ने पर बच्चों के संवाद से गाड़ीवान ने यह जाना कि ये बच्चे महार के हैं। वह आग बबूला हो गया। उसने उन बच्चों को गाड़ी से इस तरह फेंक दिया जैसे टोकरी से कूड़ा—करकट फेंका जाता है।'[1]

यह घटना एक ओर तो समाज की दलितों के प्रति मानसिकता दर्शाती है लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जब वही बच्चे दुगुना किराया देने को तैयार हो जाते हैं तो वही गाड़ीवान उसी गाड़ी में उनको बैठने देता है। इससे सामाजिक के साथ आर्थिक पहली भी खुलकर सामने आता है। यानि धन एक ऐसी वस्तु है जो हर प्रकार के भेदभाव को कुछ हद तक तो कम कर ही देती है। इसीलिए डॉ अंबेडकर ने शिक्षा को मानव मुक्ति का आधार मानते हुए सभी से शिक्षित होने की अपील की। 20 जुलाई, 1924 को इसी उद्देश्य से डॉ अंबेडकर ने बंबई में एक सभा बुलाकर 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से बहिष्कृत समाज के लिए छात्रावास, पुस्तकालय व शिक्षा में मदद हेतु अन्य संसाधनों की पूर्ति करने की योजना बनी। इस सभा बहिष्कृत लोगों के जीवन में अनेक तरह के सकारात्मक बदलावों का कारण बनी। इसके माध्यम से लोग आत्मनिर्भर व अपने शिक्षा के लक्ष्य के प्रति अधिक दृढ़ बने।

इसके तीन साल बाद 20 मार्च, 1927 को चवदार तालाब की घटना, जिसे महाड़ सत्याग्रह भी कहा जाता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक स्तम्भ बन कर आज भी सबके मन में छपी हुई है। 'अंबेडकर चवदार तालाब की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गए। वे नीचे झुके और उन्होंने तालाब का एक अंजुली भर पानी पिया। उस प्रचंड जनसमुदाय ने भी अपने नेता का अनुकरण किया। उन्होंने अपना नागरिक तथा मानवीय अधिकार

प्रस्थापित किया।'[2] तालाब से एक अंजुली पानी पीना महज एक प्रतीक था उन अधिकारों को आगे बढ़कर छीन लेने का, जिन्हें भेदभाव के चलते भारतीय समाज में उन्हें नहीं मिले थे। ये दलित समाज को इंसान होने का दर्जा दिलवाने की डॉ अंबेडकर की लड़ाई थी जो 1937 में जाकर पूरी हुई। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी लोगों को उस तालाब से पानी पीने का आदेश जारी किया। अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र के साथ–साथ दो वोट डालने का अधिकार भी दिया। अंबेडकर इसके समर्थन में थे तो वहीं दूसरी ओर गांधी ने इसका विरोध यह कर किया कि ऐसा होने से हिन्दू समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होगी।

अंततः दोनों के बीच समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसके अंतर्गत दो वोट डालने का दलितों का अधिकार तो समाप्त हो गया लेकिन उनके लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ा दी गई। आगे चलकर जब डॉ अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे तब उन्होंने अपने एक भाषण में कहा– '26 जनवरी, 1950 को हमें राजनीतिक समता प्राप्त होगी। किन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता रहेगी। अगर यह विसंगति यथासंभव तुरंत दूर करने का प्रयास हमने नहीं किया, तो जिन्हें विषमता की आंच लगी हुई है, वे लोग संविधान समिति द्वारा बड़े परिश्रम से बनाए इस राजनीतिक लोकतंत्र की मीनार मिट्टी में मिलाए बिना नहीं रहेंगे।'[3] इससे यह स्पष्ट होता है कि भले ही अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में दलितों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न किया था, लेकिन फिर भी भविष्य के प्रति वे पूरी तरह से आशान्वित नहीं थे।

हिन्दी साहित्य में विधिवत दलित लेखन का प्रारंभ भीम राव अंबेडकर के विचारों को आधार मान कर ही किया गया। दलित साहित्य के लेखकों ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से सामाजिक भेदभाव का सच हमारे सामने रखा है। ऐसी ही दो प्रमुख आत्मकथाएं हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन (खंड–1 व खंड–2) और डॉ तुलसीराम की दो भागों में लिखी गई आत्मकथा– मुर्दहिया और मणिकर्णिका। जूठन की भूमिका में ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं– 'दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव–दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसें ली हैं, जो बेहद क्रूर और अमानवीय है।'[4]

लेखक द्वारा कही गई ये बात कोई गैर–दलित व्यक्ति शायद ही महसूस कर सके। इसीलिए दलित साहित्य में 'स्वानुभूति' और 'सहानुभूति' साहित्य का एक लंबा विमर्श चला। हालांकि सदियों के जुल्म को परिणामस्वरूप ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए साहित्य की प्रामाणिकता पर सिर्फ इसलिए सवाल उठायें जाएँ क्योंकि वो व्यक्ति दलित नहीं है, यह भी एक प्रकार का जुल्म ही है। दलितों को स्कूल में पढ़ाई से लेकर, पानी पीने व घर से दूर रहने पर किराये पर कमरा लेने में जो परेशानियाँ होती हैं, उन सब घटनाओं का इन दोनों आत्मकथाओं में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो घर की आर्थिक समस्याएं थीं सो तो थीं ही। जूठन में लेखक ने लिखा है– 'साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है। हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकीय जीवन से कम ना थे।'[5] डॉ अंबेडकर ने भी शिक्षित बनने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने की ओर जोर दिया था क्योंकि सामाजिक भेदभाव का मूल आधार भी यही दोनों पहलू रहे हैं। हालांकि जो दलित बहुत शिक्षित व आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, ऐसा कहना सच्चाई से मुंह फेरना ही होगा।

जूठन में लेखक ने एक ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है। जब किसी यात्रा में पास की सीट पर बैठे

परिवार से सामान्य व सुखद बातचीत चल रही थी। लेकिन जात का सवाल आते ही दोनों परिवारों के बीच सन्नाटा छा गया और ये सन्नाटा पूरी यात्रा के दौरान बना रहा। यह सन्नाटा समाज के एक वर्ग के प्रति लंबे समय से हो रहे भेदभाव का परिणाम था। इसमें अपनी योग्यता से ऊँचे पदों पर पहुँच जाने के बाद भी सहकर्मियों द्वारा लेखक की योग्यता पर लगातार संदेह करना भी शामिल रहा।

डॉ. अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह 1927 ई. में किया था लेकिन 21 वीं सदी में प्रकाशित आत्मकथा मुरदाहिया में डॉ. तुलसी राम लिखते हैं– 'अकाल की विभीषिका से कहीं पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा था। संयोगवश बबुरा धनहुवाँ के स्कूल के प्रांगण में एक नल (हैंडपंप) गड़ा हुआ था। डर के मारे हम उसे नहीं छूते थे। मुझे बड़ी राहत मिली जब मेरे सहपाठी सकंठा सिंह ने नल चलाकर मेरे हाथ–पैर धुलवाये।'[6] इस घटना को जानने के बाद यह प्रश्न मन में अवश्य उठता है कि इतने वर्षों बाद भी दलितों के जीवन में क्या बदला है? पहले भी उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, अब भी नहीं है। दरअसल जातिगत भेदभाव की कई परतें हमारे समाज में व्याप्त हैं। ये परतें इस कदर एक–दूसरे में उलझी हुई हैं कि इन्हें सुलझा पाना बहुत बहुत मुश्किल है। जातिगत व्यवस्था के बारे में हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारत में हर छोटी से छोटी से जाति अपने से छोटी जाति खोज लेती है। इस कथन की प्रामाणिकता डॉ तुलसीराम की आत्मकथा में देखने को मिलती है। तुलसीराम जब अपनी उच्च शिक्षा के लिए बनारस में पहुंचे तब उनको वहाँ किराये पर कमरा लेने के लिए कई बार जाति छुपानी पड़ी, और कई बार जाति का भेद खुल जाने पर कमरा छोड़ना भी पड़ा। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं– 'उन दिनों दलितों को गैरदलित लोग किराये पर बनारस में मकान नहीं देते थे। अतः जो भी दलित किराये का कमरा लेते थे, वे अपनी जाति छिपा देते थे। गौरीगंज में जो कमरा हमें मिल, उसे मुन्नी लाल ने तय किया था। मकान मालकिन थी राजवंती चाची, जो जाति से तेली थी, किन्तु भेदभाव में उसके सामने कट्टर ब्राह्मण भी कहीं नहीं ठहरते थे।'[7] इससे यह भी सपस्थ होता है कि ब्राम्हणवाद और सामंती सोच हमारे समाज के मन–मस्तिष्क में गहरे तक घर कर चुकी है। जाहिर है कि जब चाची पर किरायेदारों का जाति भेद खुला, उसी दिन उस मकान से ना केवल भागना पड़ा बल्कि बड़ी मुश्किल से अपना सामान उस कमरे से निकाल पाए। इन संघर्षों से निकल कर जो लोग आगे बढ़ गए, उनके लिए अलग संघर्ष दूसरे रूपों में आए।

समकालीन समाज की बात करने से पहले हमें समकालीन शब्द के अर्थ को समझना होगा। हिन्दी शब्द सागर के अनुसार समकालीन शब्द का अर्थ– 'जो एक ही समय में हो। एक ही समय में हने वाले।'[8] समकालीनता को हम दो अर्थों में समझ सकते हैं– पहली काल आधारित समकालीनता और दूसरी विषय आधारित समकालीनता। विषय आधारित समकालीनता कई बार हमें अपने समय से बहुत पीछे लेकर चली जाती है। इसलिए हम यहाँ पर काल आधारित समकालीनता के संदर्भ में पिछले कुछ समय में घटी घटनाओं के माध्यम से समकालीन समाज में दलितों की स्थिति को समझ सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश से एक खबर सामने आई थी कि दमोह में एक सरकारी डॉक्टर को किराये का मकान ढूँढने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर होने के नाते पहले तो लोग बहुत सम्मान देते हैं लेकिन जैसे ही जाति का पता चलता है तो मकान देने से मना कर देते हैं। ऐसी ही एक खबर नवभारत टाइम्स ने मार्च महीने में छापी थी जिसमें उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में टीचर की बाल्टी से पानी पीने पर एक 9 साल के दलित बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई थी। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अखबारों का हिस्सा बन गईं। ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो आज तक

कहीं दर्ज नहीं हो सकी हैं। पिछले दिनों नेटफलिक्स पर आई मूवी कटहल में भी इस विषय को बहुत प्रभावी ढंग से उठाया गया है। जिसमें तथाकथित निम्न जाति से आने वाली इन्स्पेक्टर को कई जगहों पर लोगों के पूर्वाग्रह का शिकार होना पड़ता है। रामचरित मानस के बालकांड में तुलसीदास ने लिखा है–

'जद्यपि जग दारुण दुख नाना।
सबसे कठिन जाति अवमाना।'

यानि दुनिया में अनेक प्रकार के दुःख हैं लेकिन जातिगत अपमान सबसे बड़ा दुःख है। यह दुःख वही लोग बेहतर समझ सकते हैं जिन्होंने स्वयं इस दुःख को झेला हो।

अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए खूब संघर्ष किया लेकिन आज लगभग 100 साल बाद भी स्थिति पूरी तरह से नहीं बदल पाई है। सामाजिक न्याय के जिस संकल्प को लेकर डॉ अंबेडकर चले थे, वह संकल्प पूरा होने में अभी बहुत समय लगेगा। इसे पूरा करने के लिए समाज में उनके जैसे दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व की आवश्यकता बनी रहेगी।

संदर्भ :–

1. डॉ. आंबेडकर जीवन–चरित, धनंजय कीर, पॉप्युलर प्रकाशन, पांचवां पुनर्मुद्रण, 2022, पृष्ठ संख्या– 15
2. वही, पृष्ठ संख्या– 71
3. वही, पृष्ठ संख्या– 394
4. जूठन (पहला खंड), ओमप्रकाश वाल्मीकि, राधाकृष्ण पेपरबैक्स, ग्यारहवाँ संस्करण, 2016, पृष्ठ संख्या–7
5. वही, पृष्ठ संख्या–35
6. मुर्दहिया, डॉ. तुलसी राम, राजकमल पेपरबैक्स, नौवां संस्करण, 2023, पृष्ठ संख्या– 83
7. मणिकर्णिका, डॉ. तुलसी राम, राजकमल पेपरबैक्स, सातवाँ संस्करण, 2023, पृष्ठ संख्या–37
8. हिन्दी शब्द सागर कोश, संपादक– श्यामसुंदर दास, पृष्ठ संख्या–250

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 145-151

डॉ. अम्बेडकर : एक अनोखा, विलक्षण, विराट, संवेदनशील एवं अनुकरणीय व्यक्तित्व

दुम्पा शर्मा
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।

भारतीय भूमि पर एक से एक प्रतिभाशाली और विलक्षण व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों का जन्म हुआ है। देश के लिए, मानवता के लिए, भारतीयता के लिए अनेक प्रकार के उवदान से उनकी पहचान बनी। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, राष्ट्र–निर्माता के रूप में, राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं के निदान में अपनी रचनात्मक भूमिका के लिए उनका बार–बार स्मरण किया जाता है तथा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। ऐसे ही एक महान और विराट व्यक्तित्व डॉ. भीमराव अम्बेडकर हैं। वे हमेशा से मानवता के अग्रदूत के रूप में तथा भारतीयों के अग्रदूत के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे हैं। उन्होंने देशवासियों के लिए, देश के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हें उनके अधिकारों का बोध कराया और साथ ही साथ उनके कर्तव्यों और दायित्वों से भी अवगत कराया। उन्होंने मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की, मानवता के नये आयामों को उद्घाटित किया और देश को, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए भारतीयता को रेखांकित किया। उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। वे बहुत गहन, गंभीर अध्ययन और अनुभव से देश के लिए काम करते रहें, उन्होंने भारत और भारतीयता को अपने प्रत्येक प्रदेय में महत्व दिया, उसकी सार्थक व्याख्या की और हमें बताया कि मानवता क्या है? भारतीयता क्या है? और हम सब यदि अधिकारों के लिए सचेत हैं तो हमें देश और समाज के लिए अपने कर्त्तव्यों के प्रति भी समर्पित होना होगा। वास्तव में ऐसे महान और विराट व्यक्तित्व विलक्षण होते हैं, बिरले होते हैं और कभी–कभी जन्म लेते हैं।

डॉ. अम्बेडकर भी एक ऐसे व्यसक्ति और व्क्तित्व, हैं, जिनको प्रति वर्ष 14 अप्रैल को हम याद करते हुए, वर्ष भर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। हमारे देश भारतवर्ष और पूरे विश्व के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि ऐसा एक विराट और महान व्यक्तित्व सृष्टि में 14 अप्रैल को अवतरित हुआ, जिन्होंने अपनी बहुआयामी, अपने दिव्य व्यक्तित्व के तमाम आयामों के साथ हम सबको उपकृत किया और हम सब के लिए कार्य किया। वस्तुतः उनके जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित रहे, उन्होंने अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए, मानव और मानवता के लिए, समाज और सामाजिकता के लिए, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए अनेक ऐसे कार्यों को निष्पन्न करने का संकल्प लिया, जिनके माध्यम से वे राष्ट्रीय उन्नयन का कार्य कर सकते थे।

भारत एक लंबी गुलामी से गुजर रहा था, उस परतंत्र और पराधीन राष्ट्र को स्वतंत्र कराके तथा

आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास युक्त बनाने में, उसे आधुनिक और अद्यतन, अधुनातन दृष्टि से सम्पन्न और सशक्त बनाने में क्या भूमिका हो सकती है? यह सुनिश्चित करके, उन्होंने उन क्षेत्रों में निरंतर कार्य किया। अभावों, अपमानों, अड़चनों और सुधार आदि की राह में खड़े तमाम अवरोधों से लड़ना, उनके विरुद्ध संघर्ष करना और उन्हें परास्त करने, उन्हें पराजित करने की विलक्षण मेधा की अद्भूत प्रतिभा, इन सबके साथ संकल्प शक्ति से संपन्न होकर आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति, सामर्थ्य जुझारूपन से समस्त नकारात्मकताओं को अमूल उखाड़ फेंकने की संकल्प शक्ति ये सब एक व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर में देखने को मिलती है। इच्छा, ज्ञान और कर्म की यह त्रिवेणी, यह संकल्प उनके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। एक महाप्राण की तरह, एक महामानव की तरह सामाजिक विद्रुपताओ से अशेष संघर्ष करना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना। राष्ट्र उनके लिए सदा वंदनीय और स्तुत्य रहा, इसलिए राष्ट्र के हितों को वे सर्वोपरि मानते रहे और राष्ट्र वासियों के लिए निरंतर समर्पित रहने, कार्यरत रहने, संघर्षरत रहने का संकल्प उन्होंने लिया था। शोषितों के प्रति, पीड़ितों के प्रति एक विलक्षण सेवा–भाव, एक समर्पण भाव उनके समस्त कृतियों में हमें दिखाई देता है। उनकी दृष्टि, उनका दर्शन, उसका चिंतन–मनन अनोखा था। उपेक्षितों के लिए अधिकार वंचितों के लिए, हाशिये पर पड़े हुए भारतीय समाज के लिए, दलित चेतना से ग्रस्त समुदाय के लिए और इन सबके साथ–साथ समस्त भारतीय नागरिकों के लिए ये निरंतर चिंतनशील रहें, निरंतर कर्मरत रहें और उन्होंने अपने शैक्षिक ज्ञान के माध्यम से, अपने अध्ययन के माध्यम से, अपनी बहुभाषा, विद्वता के माध्यम से भारतीय समाज के लिए जो किया, वह वास्तव में अतुल्य, अप्रतीम और विलक्षण हैं।

समादृत डॉ. भीमराव अम्बेडकर को हम अनेक रूपों में देखते हैं, उनका व्यक्तित्व एक व्यक्ति मात्र नहीं है। वे एक संस्था, एक समुदाय के रूप में, एक चिंतन श्रृंखला के रूप में और एक ज्ञानधारा के रूप में हमारे बीच उपस्थित होते हैं। उन्होंने सामाजिक समता के विश्व नायक के रूप में एक अनुकरणीय भूमिका का निर्वाह किया। आज भी वे अपने समस्त कृतियों से, कार्यों से, राष्ट्र निर्माण संबंधी रचनात्मक भूमिकाओं से हमारे बीच विद्यमान हैं। उन्होंने समाजसे असमानता, भेदभाव, ऊँच–नीच, छुआछूत को दूर करने की दृष्टि से अनेक रचनात्मक कदम उठाए। इसीलिए उन्हे विश्व नायक के रूप में देखा गया। समाज की अनेक प्रकार की विकृत्तियों के निवारण और उनसे निदान पाने के लिए वे जीवन प्रर्यन्त समर्पित रहें। यह जो व्यक्ति और व्यक्तित्व है, जो नेतृत्व है, यह वास्तव में अनुकरणीय सलाध्य और प्रशंसनीय है। ऐसा व्यक्तित्व शताब्दियों में कोई एक हमारे समक्ष आता है। समान समाज की परिकल्पना चाहे संपदा, धन–पूँजी के आधार पर हो, चाहे ज्ञान, शिक्षा और तमाम तरह के शिक्षण–प्रशिक्षण आदि के माध्यम से हो के वे पक्षधर थे। उनका मानना था कि हमारे देश के समस्त नागरिकों में समानता का बोध होना चाहिए और समाज में कोई ऊँच–नीच, छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि सम्भावी समेकित संस्कृति के निर्माता के रूप में हम उन्हें याद करते हैं। यह देश बहु भाषा–भाषी देश है, यह देश अनेक संस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी एक भारतीय संस्कृति का देश है।

इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर के रूप में बाबा साहेब ने रचनात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक कार्य में सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नयन के तमाम स्वप्नों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हें राष्ट्र उन्नयन और उत्थान के नायक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने देश में जो अनेक कमियाँ थी, त्रुटियाँ थीं, विद्रुपताएं थीं, उन सबसे राष्ट्र को निकालने के लिए तमाम तरह के संवैधानिक

प्रावधान करने में रचनात्मक भूमिका निभाई। वास्तव में वे विधिवेत्ता था, वे समाज के मनोविज्ञानिकता को समझते थे, वे मानव मनोविज्ञान के भी अधिकारी विद्वान थे। उन्होंने देश वासियों को उन तमाम पक्षों पर जीवंत प्रयत्न कार्य किया और देश को, देशवासियों को उन्नयन, उत्थान और शिखर की ओर ले जाने में जो कुछ संभव था, वह कर दिखाया। वे एक शिक्षाविद् एक विचारक और चिंतक थे तथा साथ ही साथ एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज और सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में जहाँ कहीं दोष देखा, दुषण देखा, मालिन्य देखा, उसके निवारण के तमाम उपाय किये और देशवासियों को प्रेरित, मार्ग प्रशस्त किया और उन्हें उस लौकिक धरातल से ऊपर उठने की भी प्रेरणा दी। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने शिक्षा के नये आयाम उद्घाटित किये। वास्तव में वे अद्यतन, अधुनातन वैश्विक ज्ञान से ओत–प्रोत थे, इसलिए वे देशवासियों को अपने वैचारिक चिंतन के माध्यम से अद्यतन, अधुनातन बनाने का संकल्प लेकर चल रहे थे, उन्होंने जातिवाद की जकड़न में फंसे हुए राष्ट्र को निकालने का अद्भूत कार्य किया। आज हम जातिवाद के बंधन से धीरे–धीरे मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह मार्ग बाबा साहेब का ही दिखाया हुआ है। अस्पृश्यता के उन्मूलन में एक आचार्य के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। मानवता के प्रति, मनुष्य के आचरण और व्यवहार में इस तरह के भेद–भाव के प्रति एक आक्रोश का प्रदर्शन, उनके पूरे जीवन शैली में दिखाई देता है। भारतीय संविधान के निर्माता और वस्तुकार के रूप में एक ऑर्किटेक्ट की जो भूमिका उन्होंने निभाई, वह वास्तव में पूरे विश्व में प्रणम्य मानी जाती है।

लगभग 65 वर्ष के अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में उन्होंने जो कार्य किया, वह सौ वर्ष की आयु से अधिक का कार्य था। निरंतर अध्ययनशील रहना, राष्ट्र के लिए समर्पित रहना, चिंतन–मनन करना, देश–विदेश की संवैधानिक व्यवस्था को, विधिक व्यवस्था को समझकर उसे भारतीय समाज के लिए प्रस्तुत करना, उसके रचनात्मक पक्षों को संविधान के प्रावधानों से जोड़ना, यह वास्तव में उनके विलक्षण प्रतिभा का प्रतिफल माना जा सकता है। राष्ट्र की बहुमुखी स्वतंत्रता में रचनात्मक और उल्लेखनीय, स्मरणीय और स्तुत्य भूमिका वे निरंतर निभाते रहे हैं। समाज त्रुटियों से, दोषों से, जकड़नों से उन्नति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता, इसलिए उन्होंने इन नकारात्मक पहलुओं से भारतीय समाज को मुक्त कराने का प्रयास किया। बाबा साहेब के सपनों का भारत अनूठा और विलक्षण भारत था। वे चाहते थे हमारे देश में कोई रूढ़िवादी या पारंपरिक विद्रुपतावादी या कुछ भी ऐसा न रहे, जो हमारे राष्ट्रवासियों, देशवासियों के विकास में बाधक बने। इसलिए उन्होंने एक अनूपम, विलक्षण, एक अनूठे भारत की कल्पवना की। वे राष्ट्रीय नागरिकों को राष्ट्र–निर्माण में सहभागी बनाना चाहते थे। कुल मिलाकर ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें हाशिये पर खड़ा हुआ भारतवासी, जिसमें अभी तक उपेक्षित महसूस करने वाला भारतवासी भी राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सके और वे भी मुख्याधारा का हिस्सा बन सके। मुख्याधारा से कटे हुए लोग भी उसी तरह शिक्षा, ज्ञान अर्जित कर सकें, जैसे अब तक बाकी लोग अर्जित करते रहे हैं।

इसलिए उन्होंने अर्थ व्यवस्था की समानता को अर्थ व्यवस्था के भेद से मुक्त करा के अभेद व्यवस्था तैयार करने की योजनाएं अपने तमाम कृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया था। अनेक पिछड़े, नीचले, उपेक्षित वर्ग, दलित वर्ग, निर्धन वर्ग, सुख–सुविधाओं से वंचित वर्ग, विविध समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येरक नागरिक और राष्ट्र–निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका तय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह बोध कराना उनका दायित्व था कि भारत उन सबका देश है, भारत और भारतीयता हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसके उन्नयन,

उसके विकास के लिए उसके उत्थान के लिए अपनी रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित करे, जो भी हमसे संभव हो, उसके लिए कर सके, यानि शिखर से तलहटी तक जो भी है, वह भी इस देश के निर्माण में अपनी–अपनी भूमिका निभाता रहे। पक्षपात रहित, तटस्थ, मानवीय, सशक्त ढांचे का निर्माण यह उनका सपना था। वे चाहते थे कि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष हो, एक अपेक्षित, एक गरीब, मजदूर, किसान, दलित भी यदि अदालत की शरण में जाए तो उसे उसका हक, उसका अधिकार, उसका न्याय उसे ईमानदारी से मिले, तटस्थता से मिले। मानवीयता को वे एक सशक्त ढांचे के रूप में तैयार करना चाहते थे। इसलिए अस्पृश्यता का अंत अत्यंत आवश्यक था। जाति के आधार पर, व्यवसाय के आधार है पर या धन और धन की व्यवस्था के आधार पर है। ऊँच–नीच का, छोटे–बड़े का, अमीर–गरीब का यह जो भेदभाव है, इन सबको वे दूर करना चाहते थे। इन सबके स्थायी निवारण के लिए, वे संपूर्ण हिंदू समाज को, भारतीय राष्ट्र समाज को बलशाली बनाने वाले भारत के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए स्वाभिमान के साथ जीने की कला अगर किसी ने सिखाई तो वे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सिखाई। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए, जीवन जीने और जीवन पर्यन्त, मृत्यु पर्यन्त शिक्षा और प्रेरणा अर्जित करने के लिए समर्पित रहने का रास्ता, या मार्ग जिसने प्रशस्त किया वे बाबा साहेब हैं।

वे इसी प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन हो, हम अपनी विरासत को अपनी धरोहर को, हम अपनी राष्ट्रीय गौरव को सम्मान के साथ समादृत भाव के साथ शीष पर बैठाए, उसके प्रति समर्पित हो। वे देश के नीचले, उपेक्षित, हाशिये पर जी रहे समाज को मेहनत–मसक्कत करने वाले मजदूरों, किसानों को आत्म–सम्मादन के साथ जीने का अधिकार दिलवाना चाहते थे। वे ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे, जहां कोई भी अपने प्रति हीन भावना का अनुभव न करे, वे गर्व के साथ यह अनुभव करे कि वे भारतवासी हैं और समस्ते भारतीयों की तरह उसके पास भी सब अधिकार उपलब्ध ा हैं, जो अन्य भारतीयों के पास उपलब्ध हैं। वे संपूर्ण देशवासियों को सुशिक्षित, सकुशल, कला–संपन्न बनाना चाहते थे। बाबा साहेब का यह भी सपना था कि यहां शिक्षा हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के व्यक्ति को मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षित समुदाय ही एक उन्नत राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभा सकता है। इसलिए वे कौशल संपन्न भारत का भी निर्माण करना चाहते थे। वे तमाम कलात्मक अभिव्यंक्तियों को भी उद्घाटित करने, उन्हें अग्रसर करने, उन्हें उन्नत करने में जो भी भूमिका होती है उसे सुनिश्चित करना चाहते थे। समस्त भारतवासियों को हर दिशा, हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना चाहते थे।

उनकी यह धारणा थी कि भारत के हर एक नागरिक के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वे सबकी तरह समस्त अवसरों का लाभ उठा जा सके। जैसे प्रकृति अपने संसाधनों को समस्त भारतीयों के लिए, समस्त मानवता के लिए, समस्त वैश्विक समुदाय के लिए निष्पक्ष भाव से उपस्थित करती है। सूर्य जब चमकता है तो सबके लिए चमकता है। वह अपनी ऊर्जा सबको देता है। चंद्रमा की चाँदनी सबको प्राप्त होती है। गंगा की धारा सभी के लिए उपलब्ध होती है। इसलिए बाबा साहेब का यह स्वप्न था कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जहाँ के निवासियों को अवसरों की समानता उपलब्ध हो। उन्होंने तकनीकी रूप से एक उन्नत भारत की परिकल्पना की थी। वे चाहते थे कि भारत तकनीक में, विज्ञान में, उद्योग में प्रौद्योगिकी में विश्व के विकास से जुड़ सके। वे एक गतिशील भारत की परिकल्पना करते थे। इसलिए वे एक प्रौद्योगिकी सम्पन्न और समृद्ध भारत की परिकल्पना करते थे।

बाबा साहेब का भारत आर्थिक समानता, आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक सम्पन्नता का भारत बने, ऐसा वे सोचते थे। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि उनका जो भविष्य दर्शन था वह वास्तव में विलक्षण था, उन्होंने बहुत दूर के परिदृश्य को देखा और समझा। वास्तव में दूर दृष्टा के रूप में, भविष्य निर्माता के रूप में उन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई, वह वंदनीय है। आज प्रशासन, साहित्य, कला, संगीत, धर्म, दर्शन, नाटक, सिनेमा, काव्य ऐसी न जाने कितनी महत्वपूर्ण विधाओं, अनुशासन क्षेत्रों में, समादृत पदों पर जो वंचित समाज विद्यमान है, इसका श्रेय बाबा साहेब को जाता है। वास्तव में इन शीर्थ स्थलों पर बैठे हुए ऐसे तमाम लोगों को अगर मार्ग दिखाया, मार्ग प्रशस्त किया तो वे थे बाबा साहेब, जिनके दर्शन से, प्रदेय से एक आत्मविश्वास मिला, एक शैक्षिक अवलोक मिला। बहुत से दलित और बहुत से उपेक्षित वर्ग के लोग, हाशिये पर खड़े लोग, जो आज देश–निर्माण में, राष्ट्र–निर्माण में रचनात्मक भूमिकाएं निभा रहे हैं। ऐसे वर्ग के अनेक लोग आज न्यायाधीश भी है, अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्यरत भी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी वे अपने दायित्व की भूमिका निभा चुके हैं, मुख्यमंत्री आदि पदों पर भी इस वर्ग के बहुत से लोग आज विराजमान हैं। राजपाल के रूप में या देश के राष्ट्रपति के रूप में हम देख सकते हैं कि बाबा साहेब का यह जो स्वप्न था, वह अब साकार हो रहा है। जिस उज्जवल और प्रशस्त भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी, वह आज विश्व के सामने अपनी एक रचनात्मक उपस्थिति दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है।

दुर्भाग्य से बाबा साहेब का जन्म उस कालखंड में हुआ, जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे, समाज की अवस्था में ऐसा विष घूला हुआ था कि बाबा साहेब को जाति का छोटा माना जाता था और स्कूल में उन्हें बाकी विद्यार्थियों के साथ कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। वे कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ते थे, स्कूल मे जो पानी पीने का घड़ा था, उसको छूने की भी मनाही थी। प्यास लगने पर उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ता था तब तक चपरासी आकर उनको पानी न पिला दे। वही बालक जिसे कक्षा में बैठने नहीं दिया गया, आगे चलकर वह नौ भाषाओं का ज्ञाता बना, बत्तीस डिग्रियां ली, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएच.डी. करने वाले पहले भारतीय बने और हमारे महान संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष भी। कहाँ वह स्कूल, और कक्षा के बाहर बैठना, वह पानी का मटका न छूना, वह गरीबी, असमर्थता और कहाँ यह ख्याति और सम्मान का शिखर। ''अरे पर्वत तू कल तक जिसकी लाचारी पर हँसता था, तेरी चोटी पर बैठा है, वही वैशाखियां लेकर।'' यह उन्नति अविश्वसनीय लगती है। सब सच है, लेकिन झूठ जैसा लगता है, क्योंकि यह मानना कठिन है कि अपने आत्मबल और प्रतिमा से कोई अपने भाग्य की रेखा इस तरह बदल सकता है। मेरा विश्वास है वे स्वाभिमान और संकल्प का वही रक्त लेकर जन्मे थे, जो पाँच हजार वर्ष पहले कर्ण की धमनियों में दौड़ रहा था। एक कहावत है– 'अधर्म बड़ा आकर्षक होता है' बड़ी ताकत से अपनी ओर खींचता है। खासतौर से उसे, जो सक्षम हो, जिसके हाथों में ताकत हो। लेकिन महानता की पहली शर्त यही है कि हम अधर्म से बच के चलें। अपने कर्तव्य से छल करना इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है?

आजादी से पहले 1943 में बाबा साहेब वॉयसराय कौन्सिल के शामिल किये गये और उन्हें लेबर मिनिस्टर बना दिया गया, श्रम मंत्रालय और पी. डब्लू. डी. का डिपार्टमेंट भी इनके पास था, उस जमाने में भी पी.डब्लू. डी. का बजट करोड़ों में हुआ करता था। देश के बड़े–बड़े कॉन्ट्राक्टर पी. डब्लू. डी. के कॉन्ट्रेक्स लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। कॉन्ट्राक्स किसे मिलेंगे यह फैसला बाबा साहेब के हाथों में था, उनकी कलम में था।

उनके बेटे थे यशवंत राव। एक दिन दिल्ली के एक कॉन्ट्रैक्टर ने यशवंत राव से सम्पर्क किया और कहा कि अपने पिता जी से कहकर मेरा कॉन्ट्रेक्ट पास करवा दो, कमिशन के तौर पर मैं अपने फार्म में आधा हिस्सा देने को तैयार हूँ, यानि उस जमाने के हिसाब से कई–कई करोड़। यशवंत राव स्वभाव से काफी सीधे–साधे थे। संदेश लेकर मुंबई से चल पड़े और दिल्ली आ गये, बाबा साहेब के पास।

उन्होंने जब यह प्रस्ताव सुना तो कहा– 'मैं इस कुर्सी पर समाज का उद्धार करने बैठा हूँ, अपने बच्चे पालने के लिए नहीं? यह प्रलोभन जिसने तुम्हें दिया, वो तो अपराधी है ही तुम इस प्रलोभन के संदेश वाहक बने, मेरे लिए तुम भी अपराधी हो। उन्हों ने फौरन यशवंत राव को मुंबई रवाना कर दिया। कहा जाता है, उन्होंने अपने बेटे को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और यशवंत राव भूखे–प्यासे लौट आये। यह है कर्तव्य के प्रति निष्ठा, जो पुत्र मोह में अंधा हो जाता है, वह धृतराष्ट्र बन जाता है और वो अपने यश को अकलंकित रखता है, वह श्रीराम कहलाता है। वाल्मीकि रामायण में श्रीराम स्वयं करते हैं– 'न भीतो मरणादस्मि, केवलं दूषितं यशः' अर्थात् मुझे मृत्यु का भय नहीं है, केवल अपयश का भय है। बाबा साहेब जानते थे कि धन, दौलत, माया का स्थान कर्तव्य के आगे शून्य है। लालच की कालिख से उन्होंने अपनी उज्वातल कीर्ति को धूमिल नहीं होने दिया।

उन्हें आभास था कि ''विजय तन की घड़ी भर की दमक है/ इसी संसार तक उसकी चमक है / भुवन की जीत मिटती है /भुवन में उसे क्या खोजना गिर कर पतन में/शरण केवल उजागर धर्म होगा/सहारा अंत में सत्कर्म होगा।'' विद्या दुनिया का अकेला धन है, जिसे न चोर चुरा सकता है न राजा हर सकता है, न भाई बांट सकता है। खर्च करने से यह धन और बढ़ता है। इसलिए संसार में विद्या जैसा धन दूसरा नहीं है। ये जरा सी बात जो समझ जाता है, उसके लिए विवेकानंद, आईन्सटाइन और अम्बेडकर बनने का मार्ग प्रसस्त हो जाता है। क्या था बाबा साहेब के पास? सचमुच कुछ नहीं, शून्य। लेकिन विद्या ग्रहण करने की प्यास इतनी ज्यादा थी कि उस प्यास ने एक निर्धन दलित बालक को भारत जैसे महान राष्ट्र का संविधान निर्माता बना दिया। चौदह से अठारह घंटे तक वेरोज पढ़ा करते थे। सिर्फ स्कूल, विश्वविद्यालय तक नहीं और आगे भी सफल होने, लेजेन्ड बन चुकने के बाद भी उन्होंने पढ़ना कम नहीं किया।

कहा जाता है कि उनकी लाइब्रेरी दुनिया में किसी एक व्यक्ति की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। पचास हजार से भी ज्यादा किताबें इनकी लाइब्रेरी में हुआ करती थी। आज हमारे घरो में या तो किताबें होती ही नहीं या फिर इंटिरियर डिजाइनर के हिसाब से रखी जाती हैं, जो पढ़ने के काम नहीं आती, दिखाने के काम आती है। हमारे टेलिविजन के स्क्रीन का साइज दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और किताबों की आलमारी छोटी होती जा रही है। बाबा साहेब के बारे में यह कहना गलत न होगा कि उन्होंने पढ़–पढ़ कर अपना भाग्य लिख लिया। जब वे कांस्टी ट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, तो उन्हें कहा गया कि भाषाओं की लिस्ट तैयार कीजिए। उस लिस्ट में वे समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कई सदस्य इसके विरोध में खड़े हो गए और संस्कृत को अपना स्थान, अपना मुकाम, अपना रुतबा पाने के लिए लगभग पचपन वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। इसी विषय को लेकर हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री और बाबा साहेब में बात हो रही थी। अचानक लोगों का ध्यान गया कि ये वार्तालाप हिंदी या अंग्रेजी में नहीं संस्कृत में हो रहा है, शास्त्री जी जिस परिवार से आते थे, उसके अनुसार लोगों को उम्मीद थी कि वे संस्कृत बोल सकते हैं। लेकिन बाबा साहेब, उनका संस्कृत से क्या संबंध है? उनके कुल वंश में तो

ज्यादा तर लोग निरक्षर रहे होंगे। तो उन्हें संस्कृत और व्याकरण का इतना ज्ञान कहां से हो गया?यह कोई पहेली नहीं है, बात पानी की तरह साफ है कि बाबा साहेब अक्षरों की ताकत, शब्दों का सामर्थ्य, भाषा का बल और ज्ञान का महत्व जानते थे। वे जानते थे कि जिसके पास न तो विद्या है न परिश्रम, न दान की इच्छा जन ज्ञान का प्रभाव, वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं हैं। इसलिए उन्होंने पढ़ाई की, जितना ज्यादा हो सकता था, उतना पढ़ते रहे और अपने अनोखे, विलक्षण, विराट, संवेदनशील एवं अनुकरणीय व्यक्तित्व का उदाहरण सम्पूर्ण विश्व के समक्ष उपस्थित किया।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. अंबेडकर बी. आर., अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी हैं।
2. अंबेडकर बी. आर., संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्याएं।
3. मुगले चंद्रकांत, डॉ. अंबेडकर जीवन दर्शन।
4. शास्त्री शंकरानंद, युग पुरुष बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर।
5. जोगी सुनील, दलित समाज के पितामह डॉ. भीमराव अंबेडकर।
6. भटनागर मोहन राजेंद्र, युग पुरुष अंबेडकर।
7. सिंह सुमन, डॉ. अंबेडकर का चिंतन।
8. अंबेडकर बी. आर., अछूत कौन और कैसे?

tumpazen369@gmail.com
संपर्क–7980309818

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 152-155

डॉ. भीमराव अंबेडकर का सामाजिक चिंतन : एक अध्ययन

डॉ. गजेंद्र सिंह
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी, एम.जे.एस. शासकीय महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)

शोध-सार :-

डॉ. भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान निर्माता और समाजशास्त्री थे, जिनका सामाजिक चिंतन भारतीय समाज को समृद्धि और सामंजस्य से भरा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समाज में समता, और भारतीय जनता के सभी वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा थी। अंबेडकर ने अपने चिंतन में अछूतों, दलितों, महिलाओं और उनके अधिकारों के पक्ष में अधिक जोर दिया। उन्होंने चिंतन किया कि समाज में सभी वर्गों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिलना चाहिए, और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करते समय अछूतों महिलाओं और दलितों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों का समर्थन किया, जिससे समाज में व्याप्त विभेद और अनैतिकता को समाप्त किया जा सके। उनका सामाजिक चिंतन एक न्यायपूर्ण, समरस, और समृद्ध समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर मिले। उनका यह चिंतन आज भी समाज में समरसता और सामंजस्य की दिशा में प्रेरित कर रहा है। तथा सभी समुदाय,जाति और धर्म के लोगों को नई दिशा दे रहा है।

शोध-प्रपत्र :-

डॉ. भीमराव अंबेडकर, भारतीय समाज में सुधारक और न्यायवादी सोच के साथ अपने सामाजिक चिंतन के माध्यम से समाज में समता, न्याय, और सामंजस्य के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनका चिंतन विभिन्न सामाजिक अधिष्ठानों को छूने वाला था और उन्होंने भारतीय समाज को एक नए दिशा से देखने की कल्पना की। अंबेडकर ने अपने समाजिक दृष्टिकोण में जातिवाद और अछूतवर्ग के प्रति भेदभाव के खिलाफ स्वरुपी रूप से विरोध व्यक्त किया। उन्होंने यह बताया कि समाज में समता केवल कानूनी, राजनैतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक मानवाधिकारों के पूरे संरचन में होनी चाहिए। उनका सोचना था कि शिक्षा, रोजगार, और समाज में समानता सिर्फ समरसता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया और जातिवाद के खिलाफ खुलकर बसामाजिक चिंतन व्यक्ति को सामाजिक समस्याओं का चिंतन मनन व सामना करने, समाज में साभार, समर्थन, और सहयोग की भावना बनाए रखने में मदद करता है। यह विशेष रूप से सामाजिक न्याय, समाज में समावेश, और समृद्धि के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है।

सामाजिक चिंतन के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते ही हैं साथ ही दूसरों की

भावनाओं काभी सम्मान करने की आत्मक्षमता विकसित करते हैं। यह सामाजिक सजीवता को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में भी अनेक प्रकार से मदद करता है। समाज में सत्य और असत्य की पहचान करने, सामाजिक जिम्मेदारियों का समर्पितीकरण करने, और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में योजनानुरूप रूप से कार्रवाई करने की क्षमता हमें सामाजिक चिंतन से मिलती है। सामाजिक चिंतन व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण को समाजिक संदर्भ में बदलने की प्रक्रिया है। यह उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समझने, समर्थन करने और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता को सुधारता है।

सामाजिक चिंतन में सही और गलत की समझ, समाज में समावेश, और सामाजिक न्याय की प्राथमिकता होती है। यह व्यक्ति को समाज के विभिन्न वर्गों, धार्मिकताओं, और सांस्कृतिक विषयों में समझदारी और सहजता के साथ सहनशीलता का अनुभव करने में हमारी मदद करता है। यह एक नवीन दृष्टिकोण पैदा करता है, जिससे व्यक्ति समाज में सहयोग और समर्थन का अहसास का अनुभव करता है। सामाजिक चिंतन से उत्पन्न विचारशीलता और समर्पण व्यक्ति को समाज को सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करता है। इसके माध्यम से, व्यक्ति सामाजिक समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है और समाज में सामंजस्य और समर्थन का एक अद्वितीय संबंध बनाए रखता।

सामाजिक चिंतन व्यक्ति को समाज में सामाजिक न्याय, समाज में समावेश, और सामाजिक सहयोग की महत्वपूर्णता को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह विचारशीलता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है जिससे समाज में एक मजबूती का आदान–प्रदान होता है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन का कुंजीय तत्व सामाजिक चिंतन में ही छिपा होता है। यह व्यक्ति को उसके समाज के साथ एक अद्वितीय संबंध में बाध्य करता है और सही दिशा में सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित करता है।

"माणगांव में डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवन का पहला पब्लिक भाषण दिया। एक घंटे के भाषण में कहा, "अछूत वर्ग की प्रगति के लिए साहूजी महाराज द्वारा जो कार्य किए जा रहे है वे अमूल्य है और उम्मीद है कि भविष्य में भी वे इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे। महाराज ने जिस काम का आह्वान किया है उसे पूरा करने का मैं वचन देता हूं। उन्हें यह भी भरोसा दिलाता हूं कि इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा और अपना जीवन इसी काम को पूरा करने के लिए व्यतीत करूंगा। भाषण में शिक्षा के प्रचार को बड़ावा देने व सामाजिक धार्मिक कुरूतियों को मिटाने पर जोर दिया। सभा के बाद महाराजा ने एक सर्वजाति भोग का आयोजन किया जिसमें उनके अलावा उनके कई जागीरदारों, सरदारों व अफसरों ने अछूतों के साथ बैठकर भोजन किया।"[1]

अंबेडकर ने दलितों और अछूतों के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता को उजागर करते हुए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत की। उन्होंने उनके लिए शिक्षा, रोजगार, और समाज में समानता की मांग की और उन्हें समाज की रूपरेखा से बाहर करने के लिए कई कदम उठाये। उनके द्वारा आच्छादित की गई नागरिकता के अधिकारों की मांग ने एक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम उठाया और अच्छूतों को समाज में विशेष सम्मान दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई।

अंबेडकर ने अपने सामाजिक चिंतन में धर्म निरपेक्षता का समर्थन तो किया ही साथ–साथ उन्होंने बताया

कि समाज में समानता केवल एक विशेष धर्म या जाति के लोगों के लिए होनी नहीं चाहिए, बल्कि सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए होनी चाहिए।

साहब ने अपने चिंतन में समाज में समानता को प्राथमिक रूप से प्रस्थापित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि समाज में व्यक्ति की जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उसकी क्षमताओं और प्रतिबद्धता के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शिक्षा, रोजगार, और अनेक सामाजिक अवसरों की समानता की मांग की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कई सामाजिक सुधारों की मांग की कि चाहे व्यक्ति की जाति कोई भी हो, उसे समान का अधिकार और अवसर अवश्य मिलना चाहिए।

साहब का लक्ष्य हमेशा से ही नौकरी करना नहीं रहा उन्होंने हमेशा से ही अपना सम्पूर्ण जीवन सामाजिक सुधारों में अर्पण कर दिया "उन्होंने सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी। सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा सक्रीय होने के कारण उनकी वकालत धीरे–धीरे कम होती जा रही थी। वह अपना समय नहीं दे पा रहे थे। समय उनके पक्ष में नहीं था, जीवन में उतार–चढाव चल ही रहे थे। आर्थिक तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी वह कई बार एक जगह बैठे हुए लंबे समय तक विचार में डूबे जाते थे।"[2]

आजादी की कामना प्रत्येक भारतियों के साथ साहब को भी थी लेकिन उससे पहले उनको सामाजिक आजादी चाहिए थी। "मैं इस देश की राजनैतिक आजादी से ज्यादा जरूरी अपने करोड़ों अछूत भाईयों की सामाजिक आजादी समझता हूं। मेरे बहुत से भाई जो राजनीति के दांवपेंच नहीं समझते वे गांधीवाद के चंगुल में फंस गये हैं। मैंने एक भाई को यह कहते हुए सुना है कि हम गांधी जी की प्रजा है। यह कैसी दयनीय व गुलाम मानसिकता है। आजाद भारत, आजाद नागरिकों का देश होगा या गांधीजी की प्रजा का? हम इंसान है और इंसान होने के नाते इंसान के सभी नागरिकों अधिकारों के हकदार है और जब तक वे अधिकार हासिल नहीं कर लेते, हमें चौन से नहीं बैठना चाहिए। हम अपने उचित मानवीय अधिकारों को खुद हासिल करेंगे, यहीं हमारा मकसद होना चाहिए।''[3]

समाज की प्रगति का आइना है महिलाओं की दशा "नागपुर में ही अमरावती की सुलोचना बाई डोंगरे की अध्यक्षता में दलित वर्ग की महिलाओं का भी एक सम्मेलन हुआ जिसमें अंबेडकर ने कहा, 'महिलाओं का एक ही संगठन हो और यदि महिलाओं को अपने कर्तव्य की पूरी समझ आ जाए तो वे समाज सुधार का काम प्रभावी ढंग से कर सकती है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी महिलाओं ने महान योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वह किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। उन्हें अब विश्वास है कि पिछड़े वर्ग की स्त्रियां भी अब प्रगति कर रही है।[4]

भारतीय समाज में सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है, वह एक महान विचारक और नेता थे। उनका सामाजिक चिंतन भारतीय समाज को अद्वितीयता, समानता, और न्याय की दिशा में जोड़कर रखने में मदद करता है। अंबेडकर ने भारतीय समाज की अशिक्षितता, जातिवाद, और अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ उनकी आवश्यकता को समझा और उन्होंने इसके समाधान के लिए उच्च शिक्षा को महत्वपूर्णता बताया। उन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक असमानता के खिलाफ खुले और स्थायी समर्थन का समर्थन किया और एक समाजशास्त्री, नैतिक विचारक, और संविधान निर्माता के रूप में अपने योगदान से

महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। साहब ने समाजिक चिंतन के माध्यम से समाज में सामाजिक बदलाव की आवश्यकता को सुनिश्चित करते हुए संविधान बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने समाज में असमानता और अन्याय के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और विचारों की स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता को बताया।

'मेरा यह विश्वास है कि हम लोग तब तक भारत में एक स्वतंत्र समाज तैयार नहीं कर सकते है जब तक एक वर्ग विशेष द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण, दमन या उसके साथ दुर्व्यहार जारी रहता है। समाजवादी आदर्शों में विश्वास रखते हुए मेरा यह पक्का विश्वास है कि समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में आपसी व्यवहार की बराबरी होनी चाहिए। मेरा विचार है कि यह समस्या और समस्याओं का केवल एक समाजवाद ही सही हल है।"[5] अंबेडकर का सामाजिक चिंतन ने भारतीय समाज को समृद्धि, समानता, और न्याय की दिशा में प्रेरित किया और उनका योगदान हमें आज भी समाज में सुधार की दिशा में निरन्तर प्रेरित कर रहा है। भीमराव का सामाजिक चिंतन भारतीय समाज को एक नई ऊंचाई, समृद्धि, समानता, और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में मोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंबेडकर ने जातिवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और उसने समाज में समानता की दिशा में मोड़ने का समर्थन किया। उन्होंने जातिवाद को एक समाज में बाँटने का कारण माना और इसके खिलाफ सख्त रूप से उत्कृष्टता और न्याय की बढ़ौतरी की आवश्यकता को बताया। उनका सामाजिक चिंतन ने समाज में विशेषाधिकार, उत्पीड़न, और असमानता के खिलाफ घोर विरोध किया और समाज को एक समानता और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में बदलने के लिए सुझाव प्रदान दिया। उन्होंने सामाजिक असमानता को हटाने और विशेषाधिकारों को खत्म करने के लिए समृद्धि और न्याय के लिए सामाजिक एवं संवैधानिक परिवर्तनों की मांग की। अंबेडकर का मत सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में समाज को सुधारने की आवश्यकता पर बोलता है और उनका योगदान हमें एक समृद्धिपूर्ण समाज की दिशा में प्रेरित कर रहा है।

भारतीय संविधान का निर्माण करते समय, अंबेडकर ने समाज में उपेक्षा और असमानता के खिलाफ डटकर खड़ा होने का उदाहरण स्थापित किया। उनका योजनात्मक चिंतन से विभिन्न वर्गों को समृद्धि की दिशा में एक साथ ले जाने का प्रयास किया है। उनका सामाजिक चिंतन आज भी हमें समाज में न्याय, स्वतंत्रता, समरसता और सामंजस्य की महत्वपूर्णता के प्रति जागरूक करता है तथा उनकी विचारशीलता ने एक समृद्ध, विकसित, और एकत्रित समाज की दिशा में हमारा निरन्तर मार्गदर्शन किया। सामाजिक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज में अपना स्थान एवं जिम्मेदारियों को समझने में हमेशा मदद करती है। यह सोचने व समझने का तरीका है जिसमें हम अपने समाज की संपूर्ण रूपरेखा, मूल्य और नीतियों को समझने का प्रयास करते हैं।

सन्दर्भ-सूची :-

1. परिहार डॉ. एम. एल., बाबा साहेब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ 45, 46
2. वहीं, पृष्ठ 64
3. वहीं, पृष्ठ103
4. वहीं, पृष्ठ 221
5. अंबेडकर डॉ. बी. आर., जात–पात का विनाश, बुद्धम पब्लिशर्स जयपुर, पृष्ठ 23

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 156-158

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक विचार

डॉ. कमलेश कुमार थापक 'योगेशस्वरूप ब्रह्मचारी'
शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभागाध्यक्ष,
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश।
शोध छात्र, संस्कृत विभाग, कला संकाय, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय।

सारांश :-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी एक महान समाज सुधारक, एक महान विचारक एवं दलितों के मसीहा थे। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले में महू के पास छावनी में हुआ था। बाबा साहब ने अपने जीवन पर्यन्त जातिवाद को खत्म करने व छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति के आधार पर निम्न जाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव का विरोध किया एवं समाज में फैले छुआछूत के इस जहर को खत्म करने का प्रयास किया। बाबा साहब ने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर भी अपना प्रयास किया और उनकी शिक्षा–दीक्षा पर भी बल दिया जिससे स्त्रियाँ समाज में अपने पैरों पर खड़े होकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। बाबा साहेब ने धार्मिक आधार पर हो रहे भेदभाव को मिटाने के लिये लोकसभा में हिन्दू कोड बिल को लाया। बाबा साहेब ने हमेशा अपने विचारों में शिक्षा, सामाजिक समानता एवं स्त्री शिक्षा में जोर दिया।

मुख्य शब्द :- बाबा साहेब, सामाजिक व्यवस्था, दलित, न्याय,भेदभाव, छुआछूत, धर्म, संविधान।

आलेख :-

बाबा साहेब का जीवन जिन भेदभाव व सामाजिक विषमताओं को झेल कर व्यतीत हुआ लेकिन वो उन सभी सामाजिक भेदभाव को सहते हुये भी कभी झुके नहीं। अपने अध्ययन व परिश्रम के द्वारा अपने को उस मुकाम तक पहुंचाया जहाँ से वो दलितों एवं अछूतों को न्याय एवं उनका अधिकार दिला सके। बाबा साहेब ने हिन्दू समाज में फैली कुरीतियों का जमकर विरोध किया और अपना सम्पूर्ण जीवन समाज सेवा में लगा दिया। बाबा साहेब का प्रथम आन्दोलन जो कि सन् 1920 में हुआ वह समाज सुधार से ही सम्बन्धित था। उन्होंने हजारों दलितों एवं अछूतों को साथ में लेकर 'अत्यज्य संघ' नामक सामाजिक संगठन की स्थापना की थी। इस संघटन का काम गरीब एवं अनाथ बच्चों की सहायता करना था।

बाबा साहेब के अनुसार– 'समाज सेवा राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज सेवा करने से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है।' बाबा साहब गरीबी को एक सामाजिक बुराई मानते थे उनका कहना था कि गरीबी को खत्म करके ही समाज मे समानता लाई जा सकती है। बाबा साहेब समाजवादी विचारधारा के संवाहक थे जिसमे आर्थिक पूंजी व विकास सभी वर्गों को प्राप्त हो न कि किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग को। बाबा

साहेब हिन्दु धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित थी उसको अस्वीकार किया और उसका हमेशा विरोध किया। वह वर्ण व्यवस्था को सामाजिक असमानता का आधार कहते थे। बाबा साहेब समाज में विद्यमान अस्पृश्यता एवं जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिये हमेशा प्रयासरत रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। वह सभी को समान अधिकार देने के पक्ष में थे इसलिये वह हिन्दू कोड बिल लोकसभा में लाये, पर बिल राजनैतिक विरोधों के कारण पारित नहो सका। बाद में वह खण्डों–खण्डों में पारित हुआ। बाबा साहेब ने अपने विचारों में हमेशा धर्म–निरपेक्षता के विचारों को अपनाया। वह धर्म में आस्था तो रखते थे पर राज्य के धर्म–निरपेक्ष–स्वरुप पर जोर देते थे।

उनका मानना था कि राज्य व्यवस्था को सभी धर्मों का आदर व सम्मान करना चाहिये। वह व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। बाबा साहेब ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी थे। वह समाज में हो रहे भेदभाव को ब्राह्मणवाद की ही देन मानते थे। वह मनुवाद के भी खिलाफ थे उनका मानना था कि मनुस्मृति की वजह से ही शूद्रों पर अत्याचार होता है। बाबा साहेब सामाजिक समानता के पक्षधर थे। वह फ्रांसीसी दार्शनिक 'रुसो' के सामाजिक, समानता, व स्वतंत्रता व बंधुत्व के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वह राजनीतिक समानता से पहले सामाजिक समानता की बात करते थे। बाबा साहेब ने दलितों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह से मुस्लिम एवं ईसाईयों के लिये साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया उसी प्रकार दलितों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा मौके मिले और उनका विकास हो।

बाबा साहेब ने हिन्दु धर्म में फैली कुरीतियों को देखते हुए एवं सन् 1935 के येवला सम्मेलन में हिन्दुओं के अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध हिन्दु धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी। कुछ सालों बाद अपने परिनिर्वाण के लगभग सात सप्ताह पहले 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाबा साहेब ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिये अन्तर्जातीय विवाह को उपाय बताया। बाबा साहेब ने स्वयं सन् 1948 में एक ब्राह्मण महिला 'सरिता कबीर' से विवाह कर समाजिक समानता को बल दिया। बाबा साहेब नारी शिक्षा, सम्पत्ति में महिला का पूर्ण अधिकार, महिलाओं के लिये तलाक का प्रावधान आदि सुधारों पर जोर दिया। बाबा साहेब का सबसे बड़ा कार्य संविधान निर्माण में रहा। संविधान के द्वारा उन्होंने देश के हर वर्ग, नारी, श्रमिक, किसान आदि को कल्याणकारी सुरक्षा प्रदान की। बाबा साहेब को दलितों का उद्धारक कहकर कुछ लोग उनकी महानता को कम करने का प्रयास करते हैं, जबकि बाबा साहेब के कार्यों व प्रयासों से आज भी बहुत सारे लोग अपरिचित है।

अतः बाबा साहब बहुत बड़े समाज सुधारक, कानूनविद, दलितों के हित चिन्तक एवं एक बड़े राजनेता थे। जिनके माध्यम से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके सामाजिक विचारों की उपादेयता आज भी प्रासंगिक है। आज भी केन्द्र या राज्य सरकारें कोई भी कल्याणकारी योजनाऐं सामाजिक सुधार के लिये लागू करती है तो उसका आधार कहीं न कहीं बाबा साहेब के सामाजिक विचार ही होते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पुजारी विजय कुमार, डॉ. अम्बेडकर– जीवन दर्शन, गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली।
2. धनंजय कीर, डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर, जीवन चरित, पापुलर प्रकाशन।

3. खान, मुमताज अली (1995), मानवाधिकार और दलित, नई दिल्ली।
4. के. एल. शर्मा (1986), जाति वर्ग और सामाजिक आन्दोलन, जयपुर।
5. सिन्हा, राकेश के, गाँधी, अम्बेडकर, और दलित, जयपुर, भारत।
6. जाटव, डी. आर (1998), भारत में सामाजिक न्याय, जयपुर।
7. सर्वेश (2007), अम्बेडकर के विचार, समता साहित्य सदन, नई दिल्ली।
8. मेहता, चेतन (1991), युगदृष्टा डॉ. भीमराव अम्बेडकर, मलिक एंड कम्पनी, नई दिल्ली।
9. लिमयेमधु (1997), बाबा साहब अम्बेडकर एक चिंतन, आत्माराम एंड संस, दिल्ली।
10. सागर एस. एल (2000), डॉ. अम्बेडकर संक्षिप्त जीवन परिचय, सागर प्रकाशन, मैनपुरी।

पता :–

स्वर्गाश्रम पीली कोठी चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश (पिनकोड– 485334)

मोबाइल नंबर – 7905555940,

Email id - yswaroop10@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 159-164

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्रकारिता और सामाजिक विचार

कीर्ति
पीएच.डी. हिंदी शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
आशीष कुमार
पीएच.डी. हिंदी शोधार्थी, विश्वविद्यालया इस्लामिया, दिल्ली।

बीज शब्द :- पत्रकारिता, दलित पत्रकारिता, डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत', 'जनता', 'समता', 'प्रबुद्ध भारत', सामाजिक विचार, समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्य।

पत्रकारिता मानवीय, सामाजिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधा है। जो न केवल सूचना संचार माध्यम से समाज में लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है अपितु वह जनतांत्रिक मूल्यों एवं मानवता को क्षति पहुंचाने वाले संस्थानों, व्यक्तियों एवं कार्यों को योजनाबद्ध एवं क्रियान्वयन करने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित कर राज्य को निरंकुश होने से भी बचाती है। इसी कारण राज्य में सत्ता लोलुप सदैव से पत्रकारिता को अपने अनुकूल या जोड़–तोड़ कर अपने हित साधन के उपकरण के रूप में इसके उपयोग के लिए तरह–तरह से जुगाड़ करते रहते हैं। यदि वह अपने कार्य में सफल हो जाते हैं तब यही पत्रकारिता लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन में न केवल राज्य का साथ देती है बल्कि शासन की निरंकुशता पर रुपहले पर्दे डाल, उसे जवाबदेही से भी विमुक्त रखने में सहायता करती है। स्पष्ट कहें तो राज्य या पूंजीपतियों के हित साधन के रूप में पत्रकारिता अपने नैतिक दायित्व के उलट कार्य करती है। भारत में मुद्रित पत्रकारिता की शुरुआत सन् 1780 के बाद दृष्टिगोचर होने लगी। वहीं हिंदी साहित्य में इसका उदय सन् 1826 में 'उदंत मार्तंड' साप्ताहिक पत्र से होता है। साहित्य एवं समाजसेवी व्यक्तित्वों की छाया में पलने से बीजांकुर रूप में पत्रकारिता में शुरुआती विषय प्रायः धर्म, समाज और व्यक्ति के आम सरोकारों से जुड़े थे और उनमें प्रायरू खबरें भी छपती थीं।

दलित पत्रकारिता डॉ. अम्बेडकर से पहले शुरू हो चुकी थी। जिसमें ज्योतिबा फूले, गोपाल बाबा बलंकर, शिवराज जानवा कांवले आदि नाम प्रमुख है। किन्तु अपने सुदृढ़ व्यवस्थित चिंतन की आधारशिला प्रदान कर डॉ. अम्बेडकर ने मृत प्राय होती जा रही दलितों की आवाज को 'मूकनायक' के माध्यम से पुनः जीवित किया। डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन' लिखते हैं– "यह स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर को सामाजिक कार्यों की प्रेरणा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले से मिली। फूले ने सत्यशोधक आन्दोलन की नींव रखी। 1 जनवरी, 1877 को 'दीनबंधु' का प्रकाशन शुरू किया। इसी लोकपत्रकारिता की प्रेरक पृष्ठभूमि पर डॉ. अम्बेडकर के 'मूकनायक' का उदय हुआ।"[1]

डॉ. अम्बेडकर को ऐसे माध्यम की तलाश थी जिसके माध्यम से वह देश के कमजोर व दलित लोगों की आवाज भारत के करोड़ों लोगों तक पहुँचा सके, उनमें जागृति ला सकें। उनके स्वराज संबंधी विचारों की अवहेलना कर उनकी पीठ पर से होकर जाने वाला कोई स्वराज का राजमार्ग न बनाया जाए अन्यथा उनकी स्थिति में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं बल्कि इससे राष्ट्र और दलित समाज दोनों की अवनति का ही मार्ग सुनिश्चित होगा।

वह लिखते हैं कि "हमारे पास धन नहीं है। हमारा अपना कोई समाचार पत्र नहीं। हमारे लोगों पर भारत–भर में आए दिन जो निर्मम अत्याचार होते हैं, उनका जिस प्रकार दमन किया जाता है, उसकी सूचना समाचार–पत्रों में नहीं छपती। यहाँ तक कि समाचार पत्र हमारे सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित विचारों को जान–बूझकर जनता के सामने नहीं आने देते और यह सब समाचार–पत्रों की सुसंगठित साजिश का नतीजा है।"[2] यही मुख्य कारण था कि उन्हें स्वयं पत्रकार की भूमिका में आकर कमान थामनी पड़ी। छत्रपति शाहूजी महाराज से आर्थिक सहायता पाकर उन्होंने 1920 में 'मूकनायक' शुरू किया। भारतीय पत्रकारिता ने उन्हें जो खिन्नता दी थी, उसी ने उन्हें अपनी तीखी संयत भाषा व सुलझी हुई विचार श्रृंखला के साथ पत्रकारिता में आने की शक्ति भी दी। यह बात हम उनके इस कथन के माध्यम से समझ सकते हैं– "भारत की पत्रकारिता इस बात को अपना सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि कर्तव्य नहीं मानती कि वह तटस्थ भाव से निष्पक्ष समाचार दें, वह सार्वजनिक नीति के उस निश्चित पक्ष को प्रस्तुत करे जिसे वह समाज के लिए हितकारी समझे, चाहे कोई कितने भी उच्च पद पर हो, उसकी परवाह किए बिना किसी भय के उन सभी को सीधा करे और लताड़े, जिन्होंने गलत अथवा उजाड़ पक्ष अनुसरण किया है। उसका तो प्रमुख कर्तव्य यह हो गया है कि नायकत्व को स्वीकार करें और उसकी पूजा करें। उसकी छत्रछाया में समाचार–पत्रों का स्थान सनसनी ने, विवेक–सम्मत मत का विवेकहीन भावावेश ने, उत्तरदायी लोगों के मानस के लिए अपील ने और दायित्वहीनों की भावनाओं के लिए अपील ने ले लिया।"[3] इससे स्पष्ट है कि बाबासाहेब पत्रकारिता के धर्म एवं मर्म दोनों को समझते थे इसलिए वह लोगों को भावात्मक आवेग या अपील की ओर ले जाने वाली पत्रकारिता के स्थान पर राष्ट्र के नवनिर्माण राष्ट्रोन्नति को सुनिश्चित करने वाली पत्रकारिता चाहते थे।

'मूकनायक' के 'मनोगत' शीर्षक लेख में वह भारतीय समाज के जातियों में बंटे होने के कारण व्याप्त असमानता का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि "हिन्दू समाज एक मीनार है और एक–एक जाति इस मीनार का एक–एक तल (मंजिल) है। ध्यान देने की बात यह है कि इस मीनार में सीढ़ियां नहीं हैं, एक तल से दूसरे तल में जाने का कोई मार्ग नहीं है। जो जिस तल में जन्म लेता है वह उस तल (जाति) में मरता है। नीचे के तल का मनुष्य कितना ही लायक हो उसका ऊपर के तल में प्रवेश संभव नहीं। परन्तु ऊपर के तल का मनुष्य चाहे कितना भी नालायक हो उसे नीचे के तल में धकेल देने की हिम्मत किसी में नहीं।"[4] भारतीय समाज को सुदृढ़ करने के लिए इस जातिगत भेदभाव को समाप्त करना ही प्रथम करणीय कार्य होना चाहिए। बाबा साहेब इस बात के महत्व को भली–भांति समझते थे और अपनी पत्रकारिता के माध्यम से अन्य लोगों में भी यह जागृति लाना चाहते थे, तभी तो उन्होंने अपने लेखन में इस बात को 'मूकनायक' के प्रथम अंक में रखा। वह पत्रकारिता में पत्रकारों द्वारा पक्षपात पूर्ण व्यवहार के कारण चिंतित थे। दरअसल पत्रकारिता से लेकर समाचार पत्रों के वितरण तक सभी कार्य कुछ खास वर्ग तक ही सीमित थे, इस कारण वह वर्ग न तो अपनी न अपने नायकों की सच्ची समालोचना पत्रकारिता में करता था न किसी अन्य द्वारा होने देता था। पत्रकारिता पर डॉ. अम्बेडकर का आरोप

है कि, "समाचार पत्रों ने शब्दों को तोड़ा–मरोड़ा और आशय प्रसंग से काटकर प्रस्तुत किया है। समाचार पत्र मेरे साथ कभी भी न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते।"[5] बाबासाहेब पत्रकारिता के नैतिक धर्म को समझते थे इसलिए उन्होंने अपनी लगभग 35 वर्ष की पत्रकारिता में अपने द्वारा निकाले गए पत्रों में इस पूर्व धारणा वाली पत्रकारिता की आम बीमारी को कहीं नहीं आने दिया। उनका यह स्पष्ट मानना था कि यदि कोई अखबार किसी जाति विशेष को नुकसान पहुँचाता है तो वह पूरे समाज का अहित करता है, जिसमें सभी जातियां शामिल हैं। अपनी इस बात को उन्होंने 'पानी वाले जहाज' नामक शीर्षक में दृष्टांत से बताया कि यदि कोई किसी जहाज में अन्य सहयात्री के अहित के उद्देश्य से कोई छेद कर दे कि वह डूब जाएगा तो जब जहाज डूबेगा तो सुराख करने वाला भी अंततः डूब जाएगा। "समाज एक नौका है। जिस प्रकार अग्नि बोट पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री सचेतन रूप से इतर यात्रियों को हानि पहुँचाने के लिए या उनको संकट में डालने के लिए, अथवा अपने विनाशक स्वभाव के कारण यदि दूसरों की कोठरी में छेद करता है तो जहाज पर यात्रा कर रहे सभी यात्रियों के साथ वह भी पानी में डूबने से बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक जाति का नुकसान करने पर प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जाति की भी हानि होती है। इसमें किंचित शंका नहीं।"[6] प्रस्तुत उदाहरण के माध्यम से बाबा साहेब ने न केवल पत्रों की स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर किया बल्कि उनके गलत कृत्य के कारण होने वाली समाज की हानि के विषय में उन्हें सचेत कर सही मार्ग दिखाने का कार्य भी किया।

बाबा साहेब की संपूर्ण पत्रकारिता में कहीं पर भी किसी जाति या समुदाय विशेषके प्रति विद्वेष की भावना नहीं है बल्कि उन्होंने आपसी मतभेद को दूर कर, समाज में व्याप्त हर प्रकार की कुरीति व आडम्बर का जड़ से उन्मूलन कर एक समतामूलक एवं बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की जो सही मायनों में प्रजातांत्रिक, समतामूलक आदर्श राष्ट्र राज्य होगा और जिसके होने से ही सही मायनों में राष्ट्रोन्नति सुनिश्चित होगी। उन्होंने 'हमारा संदेश' शीर्षक में लिखा कि "प्रत्येक बहिष्कृत बंधु को इस विचार को अपने जन्म की सार्थकता अपने दीनहीन जाति बंधु को उन्नत मार्ग पर लाकर सिद्ध करनी चाहिए और अपना चरित्र ऐसा रखो जो अपने समाज का मार्गदर्शन करके ऊंच–नीच की भावना राष्ट्र को कितनी घातक है यह वरिष्ठ कहने वाले लोगों को हमारे ऊपर आज तक किये गए अन्याय के लिए उनको स्वयं पश्चाताप हो ऐसा कार्य करना चाहिए। अपनी ही मातृभूमि के लोगों की अवहेलना और अपमान उन्होंने किया है, इसके लिए उनको बुरा महसूस हो।"[7] उनके शब्दों में यहां जनता से अपील अपने आचरण द्वारा वह आमूल–चूल परिवर्तन लाने की है जो न केवल उन्हें और दीनबंधुओं को गरिमामय जीवन की ओर ले जाए अपितु आडम्बरपूर्ण कुप्रथाओं का समर्थन करने वालों को भी पश्चाताप करने के विवश करे।

बाबा साहेब का शिक्षा पर अतिशय जोर रहा। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए लिखा कि "अंग्रेजी विद्या अर्थात 'शेरनी का दूध'। जिसे पीने को मिला उसमें नया उत्साह नया तेज, नई स्फूर्ति पैदा हुई। अंग्रेजी विद्या का परिशीलन करने वालों को यूरोपियन देशों के इतिहास से अनियंत्रित–राज सत्ताओं की हानियाँ और स्वतंत्रता पाने की कल्पना उमड़ी। जिस भारतीय ने जितना अधिक शेरनी के दूध का पान किया वह उतना ही अधिक अंग्रेजी राज के विरुद्ध दहाड़ा।"[8] इससे एक बात सामने आती है कि बाबा साहेब अंग्रेजी विद्या की वकालत करते हैं क्योंकि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण सम्पन्न, तार्किक बुद्धि के विनिर्माण के लिए उसे महत्वपूर्ण समझते हैं जिसको प्राप्त करके व्यक्ति विज्ञान, समाज, राजनीति, इतिहास आदि के विषय में तार्किक ढंग से चिंतन करने लगता है।

इसी चिंतन के परिणाम स्वरुप वह व्यक्ति व राज्य के अंतर्संबंध एवं उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सचेतन हो जाता है। डॉ. अम्बेडकर स्त्री सशक्तिकरण के मार्ग में ज्योतिबा फूले द्वारा चलाए गए अभियान को आगे लेकर गए। उनका मानना था कि परिवार में स्त्री शिक्षा ही वास्तविक प्रगति की धुरी है। स्त्री शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने लिखा कि, "अगर घर में एक पुरुष पढ़ता है तो केवल वही पढ़ता है और यदि घर में स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है।"[9] साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि, "मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ।[10] बाबा साहेब समाज के उत्थान के लिए शिक्षा को मूल आधार मानते हैं। इसलिए वह समाज को 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो'का मूल मंत्र भी देते हैं।

'काक गर्जना' में माँ का उदाहरण देकर उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किसी मां के चार बच्चों में से एक निर्बल है व बाकी सभी सबल हैं तो माँ उस निर्बल बच्चे की ओर अतिरिक्त ध्यान देती है अन्यथा उस बच्चे की क्या गति होगी। इस उदाहरण के माध्यम से बाबा साहेब ने समाज के निर्बल वर्गों के साथ सहज हो रहे अन्याय व राज्य और अन्य सभी वर्गों को उनके दायित्व बोध का अनुभव कराने का भी प्रयास किया। इतना ही नहीं 'उन्नति तृष्णा' नामक शीर्षक से लेख में उन्होंने बहिष्कृतों और समाज के सभी वर्गों को व्यक्ति चेतना से सम्पन्न आत्मगौरव के भाव अपने अंदर संचारित कर राष्ट्रोन्नति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आह्वान किया है। वह मानते थे कि एक सुदृढ़ सशक्त समाज की आधारशिला एक आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति इकाई से होकर जाती है।

डॉक्टर अंबेडकर के प्रथम मराठी पाक्षिक पत्र 'मूकनायक' का प्रकाशन सन् 1920 में हुआ। 3 अप्रैल, 1927 को मराठी पाक्षिक 'बहिष्कृत भारत' का प्रवेशांक आया। "बहिष्कृत भारत' का आद्योपांत अवलोकन करने से तात्कालिक सत्याग्रह आंदोलन, मंदिर प्रवेश, राजनैतिक प्रश्न, पत्रकारिता क्रिया–प्रतिक्रिया, स्त्री समता, शिक्षा, अंतरजातीय व अंतरधर्मीय विवाह इत्यादि प्रश्नों की आंदोलनात्मक बड़ी श्रृंखला इस पत्र में मिलती है।"[11] 29 जून, 1928 को 'समता' पत्र का प्रवेशांक आया।'समता' पत्र ही 'जनता' पत्र के रूप में नामांतरित हुआ। 14 अक्टूबर, 1956 को 'जनता' पत्र का नाम बदलकर 'प्रबुद्ध भारत' कर दिया गया। डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता व्यापक सामाजिक चिंतन की पत्रकारिता थी। उनके इस चिंतन का प्रकटीकरण कई प्रश्नों और विषयों के माध्यम से हुआ है। उसमें सामाजिक रूढ़ियों, परम्पराओं एवं प्राचीनता पर कड़ा प्रहार और वैज्ञानिकता और आधुनिकता को स्वीकार करने का आग्रह मिलता है।

बहिष्कृत भारत का संपादन करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने बहुत से दलित आंदोलनों का नेतृत्व, सभाओं की अध्यक्षता आदि से जो अनुभव प्राप्त किए व जिन प्रश्नों से वह उस समय जूझे उनका उत्तर–प्रतिउत्तर अपने इस पत्र के माध्यम से समाज को दिया। "पत्रकार अम्बेडकर ने अपने मराठी पत्र 'बहिष्कृत भारत' में, 'आजकल के प्रश्न' शीर्षक से एक नियमित स्तंभ चलाया था। ये प्रश्न कल के हैं और दुखद यह है कि ये आज के भी हैं। जैसे अंतरधर्मीय व अंतरजातीय विवाहों का प्रश्न जैसा तब था वैसा आज भी है।"[12] बाबा साहेब अपने विचारों में प्रगतिशील थे। वे समय के साथ उनमें तार्किक ढंग से चिंतन–मनन करते रहते थे। 'हमारे आलोचक' में वह बहुत से प्रश्न तार्किक ढंग से 'बहिष्कृत भारत' पत्र में उठाते हैं। वह पूछते हैं कि "अगर आप 'बहिष्कृत' वर्ग में जन्म लेते तो क्या आप चुपचाप रहते? दक्षिण अफ्रीका में यूरोपियन की रेलगाड़ी में अलग डिब्बे होते हैं और वे भारतीयों के साथ तुच्छता का व्यवहार करते हैं, तो हिन्दुओं को गुस्सा आता है।.... परन्तु छुआछूत के चलते,

उनसे होने वाली मानहानि और उन्नति के मार्ग में हमेशा की बंदी तुम्हें क्यों नहीं दिखती।"[13] बाबा साहेब पूर्ण रूप से समाज को समर्पित पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध थे। पर वह दलितों की सामाजिक दासता से मुक्ति के लिए समर्पित राष्ट्रीय नायक भी थे। इस कारण उनकी पत्रकारिता को युगीन सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। किन्तु वह कहीं भी समाज के अन्य वर्गों से विद्वेष नहीं करते थे, न ही किसी को ऐसा करने के लिए आह्वान करते हैं। बल्कि 'बहिष्कृत भारत' में वह इस बारे में लिखते हैं कि "हम पर एक आरोप यह है कि हम स्पृश्य वर्ग से द्वेष करते हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत सारे मित्र स्पृश्य वर्ग में से हैं। हमें अपने कार्य के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए प्रसंगानुसार किसी का मन दुखता हो तो इसका आशय कि हम स्पृश्य से द्वेष करते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए।"[14] इस बात के लिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि उनके सामाजिक न्याय की अवधारणा में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भ्रातभाव को उन्होंने आदर्श समाज की परिकल्पना में अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। अपने सामाजिक आंदोलनों में उन्होंने जो अनुभव किया और जिन समस्याओं को ज्यादा देखा उन पर उन्होंने बेबाक लेखनी चलाई। महाड़ तालाब सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश पर उन्होंने दलितों के लिए समान रूप से प्रवेश व प्रयोग के लिए अनुमति मांगते हुए बॉम्बे सरकार से 'बोले प्रस्ताव' को व्यवहार में लागू करने और इसका विरोध करने वालों को दंडित करने की अपील की।

'बहिष्कृत भारत' के लेख 'आपने बांटा, बाप के घर में ही बांटा' शिक्षा विभाग की रिपोर्ट को आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर उसका विवेचन करके बाबा साहेब ने सरकार को यह ध्यान दिलाने का प्रयास किया कि मराठा और अस्पृश्य जातियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई है और सरकार ने भी अपनी योजना सुविधाओं में इन्हें वंचित रखा, उच्चतर शिक्षा में तो दलितों की भागीदारी शून्य ही रह जाती है। बाबा साहेब की पत्रकारिता की दृष्टि सत्य के प्रति समर्पित पत्रकार की दृष्टि है जिसे हम उनके लेखों के माध्यम से देख सकते हैं। "डॉ. अम्बेडकर ने पत्रकारिता में तर्कसंगत बुद्धिवाद, व्यावहारिक भाषा–शैली, महाभारत, रामायण, कथा–पुराणों के उद्धरणों सहित ऐतिहासिक अतीत–बोध, वैचारिक गांभीर्य का समावेश किया है। चिंतन समाजोन्मुखी, भविष्य का पूर्वानुमान, साहित्यिक सरसता व रोचकता उनकी पत्रकारिता की विशेषताएं हैं। समता, स्वतंत्रता और बंधुता के प्रगतिशील लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित समाज निर्माण की सक्रिय आकांक्षा और जिस पीड़ित वर्ग की पक्षधरता से लेखन किया। उसमें स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, कल्पनाशीलता व महत्वकांक्षा उत्पन्न करने का सतत संघर्ष उनके संपादकीयों की धमनियों में प्रवाहित है।"[15] इस प्रकार बाबा साहेब की पत्रकारिता पर शोध करने वाले प्रो. श्यौराज सिंह 'बेचौन' के कथन से स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता सामाजिक चिंता को उद्घाटित करते हुए समाजोन्मुखी थी जिसका लक्ष्य मानव कल्याण था।

अंततः हम यह कह सकते हैं कि डॉ. अम्बेडकर को पत्रकारिता के क्षेत्र में दलितों की मुक्ति की मांग और स्वराज संबंधी उनके विचारों को स्वर देने तथा अपने एवं दलितों के आंदोलनों पर उठने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आना पड़ा। वह पत्रकारिता को राष्ट्रीय आंदोलन एवं समाज के प्रति नैतिक तथा मानवीय रूप से प्रतिबद्ध आदर्श कार्य मानते थे। किन्तु वह यह भी जानते थे कि यह व्यवसाय से व्यापार की ओर हो चली है और इसके घातक परिणाम क्या होंगे। समतामूलक समाज की परिकल्पना जो बाबा साहेब ने की, जिसमें सामाजिक न्याय का महत्व जो उन्होंने लोगों को समझाया उसका भारी कार्य बहुत दूर तक पत्रकार अम्बेडकर

ने किया। उनके विचारों को जन–जन तक पहुंचाने और उन पर लगने वाले आक्षेपों का उत्तर उनकी पत्रकारिता से मिला। उनकी पत्रकारिता कहीं किसी से विद्वेष न रखकर दलितों के प्रश्न एवं उनकी उचित मांग समाज के सामने रख रही थी। बाबा साहेब पूर्वाग्रहों से विमुक्त, तटस्थ सच्चे पत्रकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। पर अफसोस की उनकी पत्रकारिता में आए बहुत से सामाजिक विचार आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि बहुत सी समस्याएं अपने न्यूनाधिक बदले रूप में ज्यों की त्यों हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. 'मूकनायक', लेखक– डॉ. भीमराव अम्बेडकर, संकलन एवं अनुवाद– डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन', सह–सम्पादन– डॉ. रजतरानी 'मीनू', गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली–110009, प्रथम संस्करण–2012, 'दो शब्द', पृष्ठ 7–8
2. 'बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार', यशवन्त सोनटक्के, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण–2012, पृष्ठ 61
3. वही।
4. 'मूकनायक', लेखक– डॉ. भीमराव अम्बेडकर, संकलन एवं अनुवाद– डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन', सह–सम्पादन– डॉ. रजतरानी 'मीनू', गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली–110009, प्रथम संस्करण–2012, पृष्ठ 24
5. 'गांधी–अम्बेडकर हरिजन–जनता', डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन', गौतम प्रकाशन, दिल्ली–110032, संस्करण–2008, पृष्ठ 86–87
6. 'मूकनायक', लेखक– डॉ. भीमराव अम्बेडकर, संकलन एवं अनुवाद– डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन', सह–सम्पादन– डॉ. रजतरानी 'मीनू', गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली–110009, प्रथम संस्करण–2012, पृष्ठ 27
7. वही, लेख 'हमारा संदेश', पृष्ठ 102
8. 'मूकनायक के सौ साल और अस्मिता संघर्ष के सवाल', डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन', एकैडमिक पब्लिकेशन, दिल्ली– 110090, प्रथम संस्करण–2021, पृष्ठ 148
9. 'अम्बेडकरवादी विचाराधारा और समाज', संपादक– तेज सिंह, लेख– 'डॉ. अम्बेडकर का स्त्री–चिंतन', अनिता भारती, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली–110085, संस्करण–2008, पृष्ठ 214
10. https://bodhvichar.com/main&kisi&samudaay&ki&pragati&mahilaon&ne&pragati&haasil&ki&hai&usse&maapta&hu/
11. 'हिन्दी की दलित पत्रकरिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव', डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन', समता प्रकाशन, दिल्ली–110032, संस्करण–2009, पृष्ठ 173
12. 'दलित क्रान्ति का साहित्य', सम्पादक– डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन', संगीता प्रकाशन, दिल्ली–110032, संस्करण–2009, पृष्ठ 15
13. 'बहिष्कृत भारत', लेखक– डॉ. भीमराव अम्बेडकर, अनुवाद तथा सम्पादन– डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन', सह–सम्पादन– डॉ. रजतरानी 'मीनू', गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली–110009, प्रथम संस्करण–गणतन्त्र दिवस 2008, पृष्ठ 100
14. वही, पृष्ठ 101
15. 'हिन्दी की दलित पत्रकरिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव', डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन', समता प्रकाशन, दिल्ली–110032, संस्करण–2009, पृष्ठ 175–176

फोन नं.– 8860165523, मेल– kirtipanwar148@gmail.com
फोन नं.– 9560580858, मेल– Kumarashish1027@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 165-169

डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर का शैक्षिक दृष्टिकोण

श्रीमती निलोफर अब्दुलसत्तार नाईकवाडी
शोधार्थी, एम.ए., बी.एड., सेट, सोलापुर।

शोध सार :-

संसार में सभ्य समाज कि निर्मिती करना है, तो उसके लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही असभ्य और सभ्य क्या है? इसका फर्क समझकर असभ्य वर्तन छोड़कर सभ्यता को महत्व देगा और एक सभ्य नागरिक या व्यक्ति कहलाएगा। इस तरह भारत में भी डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम शिक्षा क्षेत्र में आदरपूर्वक और प्रेरणादायक रूप में लिया जाता है। डॉ. बाबा साहेब जी ने अपने संपूर्ण जीवन में शिक्षा को सर्वोपरि माना है। उनके शैक्षणिक दृष्टिकोण समाज में जो असभ्यता या दुराचार करने वाले और अमानवीय कृत्य को करने वाले और उन सभी गैर कृत्य को समय–समय पर जवाब देना और जागृत रहना, सजग रहना, अपने अधिकार के प्रति आवाज उठाने के लिए शिक्षा प्राप्त करना हर एक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति अपने समाज के लिए एक सामाजिक परिवर्तन और बुराई के खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम बनेगा। यह विश्वास डॉ. अंबेडकर जी ने अपनी कई व्याख्यानों में और प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा भी साबित किया हुआ है। जिसे पूरी दुनिया नमन करती है। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी के इसी शैक्षिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत शोधलेख में समझने के लिए वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी का शैक्षिक दृष्टिकोण शिक्षा से जुड़े हर उसे व्यक्ति को मार्गदर्शित करता है, जो न केवल शिक्षित है, या पढ़ा लिखा है, बल्कि वंचित या निर्धन या लाचार है समाज कल्याण के लिए हमेशा जागृत है। जो आज भी कालजयी है।

बीज शब्द :- सभ्य, शैक्षिक दृष्टिकोण, संघर्ष, जागृत, प्रेरणादायक, वंचित, कालजयी, संगठित, बहिष्कृत।

प्रस्तावना :-

भारत में महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, रवींद्रनाथ टैगोर ,महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद आदि शैक्षिक क्षेत्र में योगदान दिए हुए व्यक्तियों को याद किया जाता है। इनमें सम्मानपूर्वक और उल्लेखनीय, वंदनीय ऐसा एक नाम आता है, जो कि डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जी है। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जी ने शैक्षिक दृष्टिकोणों में अर्थात 'शिक्षा, इक' शिक्षा से संबंधित और दृष्टिकोण मतलब 'देखने का समझने का अंदाज' जो कि आपने अपने जीवन आचरण द्वारा उदाहरण लोगों के सामने रखा है। शिक्षा को महत्व देकर व्यक्ति समाज में सभ्यता

का दर्शन करा सकता है और समाज में फैले अंधविश्वास, अज्ञानता को शिक्षा रूपी ज्ञान भरी आंखों द्वारा दूर करता है। और अज्ञानता के तमस को ज्ञान के प्रकाश से रोशन करता है। प्रस्तुत शोध आलेख में डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर के शैक्षिक दृष्टिकोण का व्यावहारिक जीवन में प्रसंगानुसार सार्थक उपयोग कर जीवन संतुलित और खुशहाल बनाना और समाज में सामाजिक समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित रखना, शिक्षा द्वारा ही संभव है। यह व्यक्त करने का प्रयास किया गया है।

शोध के उद्देश्य :-

1. नई युवा शक्ति को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन कार्यों एवं जीवन संघर्षों से परिचित करवाना।
2. शिक्षा का महत्व समझाना।
3. नहीं युवा पीढ़ी को डॉक्टर अंबेडकर जी के शैक्षिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शित करवाना।
4. डॉ. अंबेडकर जी के शैक्षिक दृष्टिकोण को समझकर उनकी प्रेरणा को अंगीकारना।
5. डॉ. अंबेडकर जी के शैक्षिक दृष्टिकोण को समझते हुए प्रासंगिकता अनुसार अध्ययन करना।

अतः प्रस्तुत शोधालेख का उद्देश्य डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी के शैक्षिक दृष्टिकोण पर समग्र रूप से प्रकाश डालना है। ताकि आने वाली युवा पीढ़ियां बाबा साहेब जी के मानवतावादी मूल्य से परिचित होकर सामाजिक परिवर्तन करने में अपना योगदान दे सके।

विषय वस्तु विश्लेषण :-

शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की 'शिक्ष्' धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से बना है।' शिक्ष्' का अर्थ है– सीखना और सिखाना। 'शिक्षा' शब्द का अर्थ हुआ सीखने–सिखाने की क्रिया। मोटे तौर पर' शिक्षा 'शब्द दो रूपों में लिया जाता है। एक व्यापक अर्थ में 'शिक्षा' जो समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक क्रिया है। व्यक्ति क्षण–प्रतिक्षण हर दिन नए अनुभव द्वारा सीखता या सीखाता है। यह अनौपचारिक रूप से होता है। दूसरा संकुचित अर्थ में' शिक्षा 'जो विद्यालय या महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है। जिसमें छात्र निश्चित पाठ्यक्रम पढ़कर संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। यह औपचारिक शिक्षा रूप से होता है। भारतीय संदर्भ में शिक्षा का तात्पर्य 'सा विद्या या विमुक्त ये से है अर्थात विद्या ऐसी हो जो मुक्ति के द्वार खोल दे। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर भारत की परतंत्रता का कारण अशिक्षा को मानते हैं, अशिक्षा के कारण ही हमारे भारत देश को गुलामी का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार भारत में जातिनिहाय, वर्णनिहाय जो चार वर्ग थे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी अछूत इन चार वर्गों में से सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ऐसा माना गया। बाकी सभी वर्ग में शिक्षा को जितना समझना या सीखने का अधिकार प्राप्त नहीं था। क्षुद्र यानी अछूत को तो शिक्षा से वंचित या दूर ही रखा जाता था। इस कारण समाज में अत्याचार, अंधविश्वास बढ़ता गया। शिक्षा के कारण ही भारतीय वंचित, निर्धन और स्त्रियों पर साथ ही साथ अल्पसंख्यकों पर बाह्यांडबर का प्रभाव बढ़ता गया, जिससे यह लोग दास्यता का शिकार बन गए। इन लोगों को अगर शिक्षा का अधिकार मिल जाता तो, यह अपने अधिकार के प्रति सचेत और जागरूक रहकर उसे संघर्ष करते और फिर

दास्यता उनके करीब भी ना आती।

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जी ने इन वंचित निर्धन लाचार पीड़ित समाज के लिए शिक्षा का द्वार खुल कर शिक्षा का महत्व समझाया इसके लिए उन्होंने "शिक्षित बनो, संगठित रहो एवं संघर्ष करो" का मूलमंत्र दिया। उन्होंने 20 जुलाई 1923 को मुंबई में' बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। इस संघटना द्वारा सोलापुर में 4 जनवरी 1925 में एक छात्रावास शुरू कर दलित, गरीब छात्रों को निवास भोजन कपड़े और शिक्षा संबंधी साधन सामग्री दी। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस छात्रावास को सोलापुर नगरपालिका की तरफ से रुपए 40000 का अनुदान दिलवाया। इस संस्था ने 'सरस्वती विलास' नाम का मासिक और एक मुफ्त वाचनालय भी शुरू किया। 14 जून 1928 को डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जी ने 'डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी' की स्थापना की और मुंबई सरकार ने पनवेल ठाने, नाशिक, पुणे और धारवाड़ में पांच छात्रावास स्थलों को मंजूरी दी। 29 जुलाई 1944 को मुंबई में द बाम्बे शेड्यूल्ड कास्ट्स इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की। और ये अछूत समुदाय के उत्थान के लिए बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा स्थापित कई संगठनों में से एक था। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने 8 जुलाई 1945 को 'पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी' की स्थापना की, अछूत सहित निम्न मध्यम वर्ग को उच्च शिक्षा प्रदान करना यह इसका उद्देश्य था। इस संगठन की ओर से सभी सदस्यों के लिए 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज आफ आर्ट्स एंड साइंस, 1950 में छत्रपति संभाजी नगर में मिलिंद कॉलेज, 1953 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज आफ कमर्स एंड इकोनॉमिक्स शुरू किया गया था।

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जी का मानना था कि सामाजिक कुरीतियों को अगर हमें दूर करना है तो इसके लिए शिक्षा प्राप्त करना बेहद जरूरी है। शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा के बिना उन्नति की संभावना करना असंभव है। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का गतिविधि मानते थे और उनका विश्वास था कि शिक्षा के व्यापक प्रसार से ही भारत के करोड़ पीड़ित लोगों को उनके मानवाधिकार और देश के नागरिक की हैसियत से प्राप्त अधिकारों के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है।

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जी ने कहा है कि, "शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पियेगा, वही दहाड़ेगा" उन्होंने शिक्षा को सामाजिक विकास और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का कारण बतलाया है। डॉक्टर अंबेडकर जी भारत के शिल्पकार के साथ–साथ एक महान शिक्षक भी थे। उनका मानना था की गुलामी का मुक्ति का द्वारा शिक्षा से ही खुल सकता है। अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने की ताकत शिक्षा से ही प्राप्त की जा सकती है।

डॉ. अंबेडकर जी ने महिला शिक्षा पर भी जोर देते हुए कहा कि, "समाज में महिलाएं शिक्षित होगी तभी वह अपनी संतानों को शिक्षित कर पाएंगे और सभ्यता का आचरण करने को सिखलाएंगी संस्कार क्षमता पीढ़ी का निर्माण करना है तो पहले घर की स्त्रियों को शिक्षित करना आवश्यक है।" आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर नए आयाम को छू रही है। यह प्रासंगिकता दिखाई देती है। उन्होंने हमेशा स्त्री–पुरुष समानता का नारा लगाया यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत करते समय

हिंदू स्त्रियों के लिए न्याय संबंध व्यवस्था बनाने के लिए विधेयक में प्रावधान रखा। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी शिक्षा प्रसार के हिमायती थे।

उन्होंने स्पष्टतः स्वीकार किया और कहां, "आदमी केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रह सकता, उसको मस्तिष्क भी मिला हुआ है, जिसे विचारों की खुराक चाहिए। डॉ. अंबेडकर की शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य जन जागृति को मानते हैं। उनके अनुसार गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और आचरण की शिक्षा को मुख्यतः पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए। खेलकूद व्यायाम और जीव–कोपार्जन की शिक्षा को भी पर्याप्त स्थान प्राप्त होना चाहिए। अंबेडकर जी चाहते थे की, शिक्षा काला अनुरूप होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम मानव सर्जन को दिशा देने वाला होना चाहिए। जैसाकि डॉक्टर डी. आर. जाटव ने कहा, "मानव के स्वरूप में अंतर निहित अनेक सामर्थों में डॉक्टर अंबेडकर की अटूट आस्था थी उनके मत अनुसार आदमी और जगत का कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है और चुनाव एक स्वतंत्रता की शक्ति ने हमें भावी जीवन की आशा प्रदान की है।..... मनुष्य प्रकृति का विलक्षण प्रतिनिधि है। जिसमें सर्जनात्मकता की भावना अपार मात्रा में अंतर निहित है।" शिक्षा हेतु उचित धनराशि व्यय राष्ट्र के सम्यक पोषण की आधारशिला मानते थे। सच्चे अर्थों में उन्होंने राष्ट्र के सजक प्रहरी की भूमिका जीवन पर्यंत निर्वाहित की। बाबा साहेब प्रचलित शिक्षा व शिक्षण पद्धति को बदलना चाहते थे। उनका मानना था कि समरसता निर्माण करने वाली वह लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना का विकास करने वाली शिक्षा व पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाना चाहिए। उनका यह दृढ़ मत की समाज में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिनकी समय के अनुकूल आवश्यकता है। वह मानते थे की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए जिससे बालक मंक रुचि से पढ़ने का स्वभाव निर्माण हो। विदेशी भाषा में पढ़ने वाले व्यक्ति का समुचित विकास हो पाएगा, ऐसी उनके मन में शंका थी।

डॉ. अंबेडकर ने पर्यावरण शिक्षा पर भी बल दिया है। 1953 में जब वह औरंगाबाद के प्रवास पर थे, तो वे आगंतुकों से भी तभी मिलते थे, जब वह एक वृक्ष लगाने के लिए तैयार हो जाते थे। आज प्रदूषण इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों फैल रही है। शुद्ध हवा का मिलना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए वृक्ष से लगाना आवश्यक है। यह प्रासंगिक सोच के वृक्षारोपण करना अत्यंत आवश्यक है उनमें दिखाई देता था। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी के यह शैक्षिक दृष्टिकोण जिसमें उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, वंचित और अल्पसंख्यकों की शिक्षा और अछूत, दलित वर्ग शिक्षा साथ ही साथ पर्यावरणीय शिक्षा के विचार आज भी प्रासंगिक है। समाज उत्थान के लिए इन सभी का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर जी के इस शैक्षिक दृष्टिकोण अनुसार देश के छोटे से छोटे से गांव और कस्बों में शिक्षा का प्रसार होना अत्यंत आवश्यक है। यह बात उन्होंने बार–बार अपने भाषणों में और व्याख्यानों में व्यक्त की थी। जिसका आज व्यापक परिणाम दिखाई दे रहा है। शिक्षित व्यक्ति समाज में अज्ञानता, अन्याय, अत्याचार का विरोध कर पाने में सक्षम बनती है। और समाज परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देकर देश को विकसित करने के लिए सदैव तत्पर रहती है।

निष्कर्ष :-

शिक्षा को मानव मुक्ति का आधार मानने वाले डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी ने शिक्षा आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं में साथ ही साथ वंचित अल्पसंख्यक पीड़ित व्यक्ति में भी आत्मविश्वास की कमी को दूर करने का रास्ता शिक्षा द्वारा ही बतलाया है। इसलिए उनके शैक्षिक संगठनों का आज भी उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंततः तत्कालीन परिस्थितियों में अंबेडकर जी ने किए हुए संघर्षो का और शिक्षा संबंधी कार्यों का स्पष्ट दृष्टिकोण जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों में भी नजर आता है। वह आज भी प्रासंगिक है और उतना ही परिपूर्ण और प्रेरणादायी है। जिससे समाज में फैली अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास को ज्ञान की रोशनी से दूर किया जा सकता है।

संदर्भ :-

1. सिंह, डॉ. प्रीतम (अप्रैल १४, २०२०) www.rashriyashiksha.com
2. लोखंडे, डॉ. भाई (अप्रैल १३,२०१२) डॉ. अंबेडकरी व्यवस्था और आप, कोल्हापुर, पारिजात प्रकाशन। पृष्ठ २४६–२५४
3. नैमिशराय, मोहनदास 'बाबासाहेब ने कहा था' पृष्ठ – ७३
4. डॉ. डी. आर. जाधव, 'डॉ. आंबेडकर का धर्म दर्शन, पृष्ठ –१३८
5. मून कपिल गौतमराव : डॉ. अंबेडकर की दृष्टि में शिक्षा का महत्व। www.vishwahindijan.blog post
6. अग्निहोत्री, डॉ. कुलदीप चंद (अप्रैल ३, २०१५) www.pravakta.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 170-174

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भारतीय राज्य घटना आणि लोकशाही

डॉ. सारीपुत्र तुपेरे
सहायक प्राध्यापक, मराठी विभाग, संगमेश्वर कॉलेज (स्वायत्त) सोलापूर।

भारतरत्न, भारतीय संविधानाचे निर्माते, जगविख्यात तत्त्वज्ञ प्रज्ञावंत, अर्थतज, कायदेतज्ज्ञ, ज्ञानमयी प्राध्यापक, साक्षेपी पत्रकार, कामगारांचे नेते, ज्येष्ठ जल–उर्जा–शेतीतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, जागतिक क्रीतीचे बौध्द अभ्यासक, बोधीसत्त्व अशा अनंतपैलूंनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ओळखले जाते। त्यामध्ये त्यांनी केलेली भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती अतिशय महत्त्वाची व क्रांतिकारक आहे। हजारो वर्षापासून चालत आलेली राजशाही, हुकूमशाही नष्ट करून त्यांनी लोकशाहीची स्थापना केली। जी भारतीय लोकशाही जगामध्ये आदर्शवत आहे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भारतीय संविधान आणि लोकशाही या विषयाच्या अनुषंगाने मांडणी करत असताना हा विषय आजच्या काळासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे। कारण सर्वत् परतएकदा हुकूमशाहीने डोके वर काढलेले आहे।

काही हातातून सांविधानिक लोकशाही सुटत जात असताना, आपण सर्वजन प्रतिक्रांतीच्या विनाशकारी छायेत असताना हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाही हे तीन शब्दच आपल्यासाठी उर्जावंत ठरणारे आहेत। समकालातील नव्या आव्हानांशी लढयासाठी उपकारक ठरणारे आहेत। हे ऐतिहासिक सत्य आपण समजून घ्यायला हवे। मागील वर्षी भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव देशभर मोठया उत्साहात साजरा करण्यात आला। गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांचा इतिहास लक्षात घेतला तर स्वातंत्र्यांनंतरची ही वर्षे आव्हानात्मक होती। तरीसुध्दा प्रारंभापासून देशाचा विकास साधण्याचे ध्येय प्रत्येक शासनप्रणालीने ठेवलेले होते। त्याची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले। यामागे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाहीप्रधान प्रणालीचा भक्कम आधार होता। तिलाच सांसदीय लोकशाही असे म्हटले जाते. ही लोकशाहीच भारतीय राज्यघटनेचा मूलाधार आहे।

भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकामध्ये सुरवातीला आलेले 'आम्ही भारताचे लोक' हे शब्द अतिशय महत्त्वाचे आहेत। We the People of India यामधून एकात्मता, एकसंघपणा आणि बंधुभावाचा आशय प्रतिबिंबित होतो। भारतीय असणे ही प्रत्येक भारतीय लोकांची खरी ओळख आहे। यातूनच त्यांचे भारतीयत्व सिध्द् होते। यामागे भारतीय संविधान आहे। सांविधानिक भारतीयत्व हे लोकशाहीला पुरक आहे। यातूनच लोकशाहीचा व्यापक अर्थ दृग्गोचर होते।

लोकशाही ही राजकीय संकल्पना आहे। सामान्यतः लोकशाहीची संकल्पना स्पष्ट करताना अब्राहम लिंकन

यांनी केलेली व्याख्या प्रमाण म्हणून उदधृत केली जाते। लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांनी चालविलेले जे शासन त्या शासन प्रकाराला लोकशाही असे ते म्हणतात। यामध्ये लोकांच्या सत्तेखाली त्यांच्या संमतीने चालवणारी व त्यांच्याच हिताची अशी राज्यपध्द्ती असा आशय त्यांना अभिप्रेत आहे। अब्राहम लिंकन यांनी मांडलेल्या लोकशाहीच्या संकल्पनेत राजकीय विचार केंर्द्वर्ती होता।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीची व्यापक व्याख्या केलेली आहे। आपल्या देशाचा विचार करताना आपला देश लोकशाहीप्रधान राष्ट्र व्हावे हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत होते। भारतीय लोकशाही बलशाली, प्रभावी आणि उन्नत व्हावी यासाठी त्यांनी अहोरात्र तळमळीने विचार केला। आणि अब्राह्मन लिंकनने केलेली लोकशाहीची व्याख्या त्यांनी नाकारली। शतकानुशतके भारतात प्रचलित असलेली चातुर्वर्ण्याधिष्ठित समाजव्यवस्था आणि त्यातून उद्भवलेली आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीची स्वतंत्र व्याख्या दिली होती। ते म्हणतात, ''ज्या सरकारपध्दतीत लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक स्थित्यंतरे रक्तपाताशिवाय घडवून आणण्यात येतात ती लोकशाही होय।'' आर्थिक व सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक स्थित्यंतरे याचाच अर्थ आमूलाग्र बदल आणि याचाच अर्थ आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात जी विषमता आहे तिचे उच्चाटन करायला हवे आणि ते उच्चाटन लोकशाही तत्त्वानुसारच केले पाहिजे। म्हणजे आर्थिक व सामाजिक लोकशाही र्स्थापित केली पाहिजे। त्याशिवाय राजकीय लोकशाही म्हणजे दर पाच वर्षाचे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी राबवलेली राज्यपध्दती यशस्वी होणार नाही ती अपूर्णच राहणार।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्पष्ट मत होते की, लोकशाही समतेच्या तत्त्वावर आधारलेली असते। प्रत्येक माणसाला समान मूल्य आणि प्रतिष्ठा, प्रत्येक माणसाला जीवन जगण्याची समान संधी हे लोकशाही आद्यतत्त्व असते। परंतु ज्या देशात समाजव्यवस्था धर्मावर आधारलेली असते आणि सामाजिक विषमतेचा धर्माची सनद असते, व्यक्तीचे महत्त्व जिथे जन्मतरू जातीवर मोजले जाते आणि माणसा– माणसात जिथे उच्च–नीचता मानली जाते तिथे समानतेवर आधारलेली लोकशाही निर्माण होऊ शतकत नाही अशीही त्यांची धारण होती। म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांनी सामाजिक लोकशाहीचा आग्रह धरला होता. वरील सामाजिक विषमतेवर उपाय सांगताना त्यांनी धर्माधिष्ठित जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन करणे हा एकच इलाज सांगितला। 20 मे 1956 रोजी व्हाईस ऑफ अमेरिका या नभोवाणी केंद्रावरून दिलेले त्यांचे भाषण अतिशय महत्त्वाचे आहे। भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय या शीर्षकाखाली हे भाषण शासनाच्या खंडात आलेले आहे. यामध्ये भारतीय लोकशाही समोरील आव्हाने ते मांडतात।

वास्तविक 1956 ला बाबासाहेबांनी सांगितलेले विचार आजच्या काळालाही लागू होतात। किंबहुना त्यांची गरज आज र्प्कर्षाने जाणवत आहे। या भाषणाच्या सुरवातीला ते म्हणतात की, लोकशाही ही सहजीवनाची एक पध्दत आहे। लोकांनी निर्मिलेल्या समाजात सामाजिक संबंध तसेच लोकाच्या परस्प्रातील सहजीवनात लोकशाहीची मुळे शोधावी लागतात। जातीव्यवस्थेने श्रेणीबंध्द् विषमता निर्माण केलेली आहे। जातींचा दर्जा समान नसतो त्या एक दुस–यावर उभ्या असतात। त्या एकमेकांच्या द्वेष करतात. त्यांच्यात चढत्या र्क्माने द्वेष आणि उतरत्या क्रमाने तिरस्कार, तुच्छता असते. तिचा घातक परिणाम म्हणजे परस्पर सहकार्याची भावना नष्ट होते। ही भावना लोकशाहीला नकार देते। जातीव्यवस्थेचे बळी असणार्यांना शिक्षण दिल्याशिवाय भारतीय लोकशाहीला भवितव्य

असणार नाही. डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला शिक्षणाचा मार्ग येथे महत्त्वाचा आहे। तो सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा तो राजमार्ग होता।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीच्या शेवटच्या बैठकीत जे भाषण दिले त्यामध्ये त्यांनी भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाहीचा अनुबंध आणि त्यापुढील आव्हाने विशद केलेली होती। बाबासाहेबांच्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही। तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही। संविधानाचा अंमल हा संपूर्णतः संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो। संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग–जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते। राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वतरूच्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे। केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे?

माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे। याच अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णतः दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे। आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलेब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते। परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही। हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल। दुसरी महत्वाची गोष्ट, जिचे पालन केले पाहिजे ती अशी की, लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणाऱ्या सर्वांना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवावा लागेल. त्यांच्या मते, लोकांनी आपले स्वातंर्त्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये। तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये, की जेणे करुन त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उदध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील। संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतित केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही। परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत। आयरीश देशभक्त डॅनियल ओकॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे, कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही, कोणतीही स्त्री स्वतरूच्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही आणि कोणताही देश स्वतरूच्या स्वातंर्त्याचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही। इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते। धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल। परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अधरूपतन आणि अंतिमतरू हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो। तिसरी गोष्ट आपण केली पाहिजे की अशी, की केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये। आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन

करायलाच हवे। राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही।

सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवन मार्ग आहे, जो स्वातंर्त्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्वे म्हणून मान्यता देतो। स्वातंर्त्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही। ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय। समतेपासून स्वातंर्त्य वेगळे करता येत नाही। समतेशिवाय स्वातंर्त्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होयय स्वातंर्त्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल। बंधुत्वाशिवाय स्वातंर्त्य आणि समता स्वभाविकरित्या आस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल।

भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णतः अभाव आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करुनच आपण सुरुवात केली पाहिजे। त्यापैकी एक समता आहे। सामाजिक क्षेत्रात आपला समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्वावर आधारित आहे। याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात तर बाकीचे निष्कृष्ट अवस्थेत असतात। आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिर्द्यात जगतात। २६ जानेवारी १६५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील। राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत। आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत। अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही। ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे। अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील। आपल्यात उणीव असलेली दुसरी बाब म्हणजे बंधुत्वाचे तत्त्व मान्य करणे होय।

बंधुत्व म्हणजे काय? जर भारतीय लोक एक असतील तर सर्व भारतीयांमध्ये बंधुत्वाची समान भावना असणे हे होय। हे तत्व सामाजिक जीवनाला एकता आणि एकजिनसीपणा प्राप्त करुन देत। ही बाब प्राप्त करणे कठीण आहे। मला ते दिवस आठवतात जेव्हा राजकारणाने प्रेरित लोकांना 'भारतीय लोक' या शब्दाची चीड येत असे। भारतीय राष्ट्र म्हणणे ते पसंत करत असत। मी या मताचा आहे की आपण एक राष्ट्र आहोत यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात आहे असा समज बाळगण्यासारखे होईल। हजारो जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल? सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढ्या लवकर जाणीव होईल तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल। त्यांनतरच एक राष्ट्र होण्याच्या गरजेचा आम्ही गांभीर्याने विचार करु शकू। या ध्येयाप्रत पोहोचणे अतिशय कठीण आहे. अमेरिकेत जातीची समस्या नाही। भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत। पहिली गोष्ट त्या समाजजीवनात विभागणी करतात। त्या राष्ट्रविरोधी आहेत कारण त्या जाती–जातीमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात। आम्हाला वास्तवात जर राष्ट्र व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे। राष्ट्र निर्मिती

नंतरच बंधुत्व वास्तवात पाहावयास मिळेल। बंधुत्वाशिवाय असलेली समता आणि स्वातंर्त्य म्हणजे रंगाच्या वरवरच्या थरांसारखा केवळ बाह्य देखावा असेल। स्वातंर्त्य ही आनंदाची बाब आहे याबद्दल शंका नाही। परंतु या स्वातंर्त्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदाऱ्या टाकलेल्या आहेत याचा आपण विसर पडू देता कामा नये। या स्वातंर्त्यामुळे, कोणत्याही वाईट गोष्टीसाठी आपल्याला आता इंग्रजांवर दोषारोपण करता येणार नाही। यापुढे जर काही वाईट घडले, तर त्यासाठी आपल्याशिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही। अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे। काळ वेगाने बदलतो आहे. आपले लोकसुद्धा, नवनवीन विचारप्रणालींचा मागोवा घेत आहेत। लोकांच्या राज्याचा आता त्यांना कंटाळा येऊ लागला आहे। आता त्यांना लोकांसाठी राज्य हवे आहे। आणि राज्य लोकांचे व लोकांनी निवडलेले आहे किंवा नाही याची चिंता ते करणार नाहीत। ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांकरिता निवडलेले शासन या तत्त्वाचे जतन केले आहे ते तर आपल्याला सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर आपल्या मार्गात कोणते अडथळे येणार आहेत ते आपण ओळखले पाहिजेत, की जेणेकरुन लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या तुलनेत लोकांसाठी असलेल्या सरकारला लोक प्राधान्य देण्याकडे वळतील। यासाठी पुढाकार घेण्यात आपण दुर्बल ठरता कामा नये। देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला माहीत नाही।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेले वरील समग्र चिंतन मूलगामी स्वरूपाचे असून त्यामध्ये त्यांनी राज्यघटना आणि लोकशाहीच्या संवर्ध्नाची जबाबदारी भारतीय नागरिकांवर सोपवली होती। परंतू तिचे आजचे वास्तव अतिशय भयानक आहे। मागील काही काळाचे संदर्भ लक्षात घेतले तर संविधान बदलाची भाषा आणि लोकशाहीला बाहुले बनविल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे। कायदा व न्याय व्यवस्था ही सुध्दा विसंगत वागत आहे। शासकीय र्प्णालीवरील लोकांचा विश्वास उडालेला आहे। हे बदलायचे असले तर देशाचे संविधान अबाधित राहिले पाहिजे कारण, कोणत्याही देशाची घटना ही त्या देशाच्या सार्वभौम गणतांत्रिक शासनप्रणालीची मार्गदर्शक असते। देशातील राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकासाला पुरक ठरणाऱ्या तत्त्वांची बांधणी या घटनेतून केली जाते। भारतासारख्या बहुविविधता असलेल्या देशात तर राज्घटनेवर मोठी जबाबदारी असते। कारण येथे राज्यघटनेतून मिळालेल्या लोकशाही अधिकारांना सातत्याने आव्हाने निर्माण केली जातात। भारतीय राज्यघटना ही लोकशाहीला पुरक आहे किंबहुना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय लोकशाहीचा ती आधारस्तंभ आहे। त्यामध्ये स्वातंर्त्य, समता, बंधुता, वैश्विक मानवतावाद, सर्वधर्म्समभाव ही सांविधानिक मूल्ये आहेत। त्यामुळे जर आपल्याला भारत देशाला सक्षम राष्ट्र घडवायचे असेल तर सांविधानिक मूल्यांचे संवर्धन करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे।

संदर्भ :–

1. डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना, रावसाहेब कसबे, सुगत प्रकाशन, 1977.
2. भारतीय राज्यघटनेची ओळख, प्रा.प्रदिप वेताळ व प्रा.मनोज मगर, प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव, जून 2019.
3. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड 13, भाग 1, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे प्रमुख शिल्पकार, डॉ. आंबेडकर चरित्र– साधने प्रकाशन समिती, उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, 2012
4. संविधान सभेत डॉ. आंबेडकर, जयदेव गायकवाड, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. 2011.
5. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवडक लेख, डॉ. गंगाधर पानतावणे, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे.2009.

चलभाष : 9822984313, ई संकेत : sariputratupere15@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 175-180

बाबा साहेब का धर्मांतरण और कुछ वाजिब सवाल

डॉ. इबरार खान

अस्सिटेंट प्रोफेसर व अध्यक्ष, हिंदी विभाग, मिर्जा गालिब कॉलेज, गया –823001 बिहार।

कोई भी बालक या बालिका जिस किसी के घर जन्म लेता/लेती है तो उस घर के रहने वाले जिस धर्म को मानने वाले होते हैं वह भी उसी धर्म के अनुसार आचरण करता/करती है। धर्म हमें आचरण का तरीका सिखाता है। हम धर्म से इतने अधिक बंधे होते हैं कि उस धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लेना आसान नहीं होता। भारतीय इतिहास में बाबासाहब का धर्मांतरण एक बड़ी घटना थी। उसकी व्यापक प्रतिक्रिया भी हुई। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेड़डकर ने नागपुर की दीक्षाभूमि में सन् 1956 ई. में हिन्दू धर्म का त्याग कर दिया और अपने लगभग तीन लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बाबासाहेब ने मनुस्मृति दहन (1927) के समय ही हिंदू धर्म छोड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के येवला नगर में अस्पृश्यम के सम्मेलन में घोषणा की कि 'मैं हिन्दू के घर में पैदा हुआ क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं थी, किन्तुं मैं हिन्दू धर्मावलम्बी रहकर नहीं मरूँगा' परन्तु उन्होंने यह घोषणा नहीं की थी कि वे कौन सा धर्म स्वीकार करेंगे। 1943 ई. में उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थलों की यात्रा की। 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। प्रश्न उठता है कि आखिर बाबासाहेब ने धर्मांतरण क्यों किया? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें बाबासाहेब की पुस्तक 'धर्मांतरण क्यों?' से मिलते हैं। धर्मांतरण के संबंध में पाँच प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं –

प्रथम प्रश्न – बाबा साहेब ने धर्मांतरण क्यौं किया?

द्वितीय प्रश्न – बाबासाहेब ने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया? वे कोई अन्य धर्म भी स्वीकार कर सकते थे।

तृतीय प्रश्न – बाबासाहेब ने धर्मांतरण के लिए नागपुर को ही क्यों चुना?

चतुर्थ प्रश्न – 1935 में हिन्दू धर्म छोड़ने की घोषणा करने वाले बाबासाहेब को इसे अमलीजामा पहनाने में 21 वर्ष क्यों लगे?

पंचम् प्रश्न – बाबासाहेब ने धर्मांतरण के लिए 14 अक्टूबर की ही तिथि क्यों चुनी?

अब हम बारी–बारी से सभी प्रश्नों का उत्ततर ढूँढेंगे। हमारे समक्ष सबसे प्रथम प्रश्न यह है कि 'बाबासाहेब ने धर्मांतरण क्यों किया?' बाबासाहेब ने हिन्दू धर्म की वर्जनाओं, प्रताड़नाओं से त्रस्त होकर धर्मांतरण किया। उन्होंने हिन्दू धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा है– ''वह धर्म जो इस तथ्य को अनदेखा करके अधिकतर लोगों को अशिक्षित रखकर कुछ ही लोगों को शिक्षा का लाभ देने की इजाजत देता हो, वह धर्म नहीं बल्कि लोगों को लगातार मानसिक गुलाम रखने का षड्यंत्र है। वह धर्म जो कुछ लोगों को शस्त्र धारण करने की इजाजत देता

है तथा अधिकतर लोगों को अपनी आत्मरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रखता हो, वह धर्म नहीं बल्कि लगातार गुलामी में रखने की योजना है। वह धर्म जो कुछ लोगों के लिए संपत्ति तथा दौलत इकट्ठा करने के रास्ते खोल देता है तथा दूसरों को गरीब तथा उपेक्षित रखता हो और उन्हें विवश करता हो। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहने के लिए, वह धर्म नहीं बल्कि कोरी क्रूरता है। हिंदू धर्म के चातुवर्ण का यही मतलब है।'' हिन्दू धर्म में दलितों की स्थिति पशुओं से भी बदतर रही है। उन्हें बहुविधि प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। बाबासाहेब ने साफतौर पर कहा है कि– ''मेरा धर्मांतरण विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक कारणों से है। हिंदू धर्म मेरे विवेक को मान्य नहीं है। यह मेरे आत्मसम्मान को स्वीकार नहीं है।'' लेकिन यह भी सत्य है कि धर्मांतरण का कारण मात्र आध्यात्मिक ही नहीं समझना चाहिए। इससे आर्थिक तथा आध्यात्मिक दोनों लाभ हुए। इससे सामाजिक हैसियत भी सुधरी जो कि एक महत्वपूर्ण बात है।

अब द्वितीय महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 'बाबासाहेब ने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया?' जबकि उनके पास जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म तथा ईसाई धर्म अपनाने के विकल्प मौजूद थे। इस विषय में विभिन्न विद्वानों के अपने–अपने मत हैं। बाबासाहेब के आंदोलन का लक्ष्य अछूतों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। बाबासाहेब द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने को वर्तमान में कई दलित साहित्यकार उचित नहीं मानते। डॉ. धर्मवीर ने तो साफतौर पर कहा है कि 'बौद्ध धर्म तो क्षत्रियों का धर्म है। बाबासाहेब को आजीवक धर्म अपनाना चाहिए था।' इधर कुछ दलित साहित्यकारों ने तो धर्मांतरण को ही खारिज कर दिया। उनका कहना है कि बाबासाहेब को धर्मांतरण ही नहीं करना चाहिए था। यह कोई स्थायी समाधान नहीं है क्योंकि बौद्धों के यहाँ भी जाति भेद दिखता है। हिन्दू धर्म में रहकर ही हिन्दू धर्म को सुधारने का काम करना चाहिए था। जब लोगों ने हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो पहले के बौद्धों ने इन नवीन बौद्धों को 'नवबौद्ध' कहा। दया पंवार ने अपनी आत्मकथा 'अछूत' में लिखा है– ''महार के रूप में पहचाने जाने के लिए सरकारी दफ्तर में उनका नाम नवबौद्ध घोषित किया गया।'' बाबासाहेब ने कहा सन् 1935 से मैंने हिन्दू धर्म को त्यागने का आंदोलन चलाया था। अप्रैल 1935 में केवल जिला नासिक के विशाल जलसे में मैंने एक प्रस्ताव द्वारा निर्णय किया था कि, ''मैंने हिन्दू–धर्म में जन्म लिया है, यह मेरे बस की बात नहीं थी, किंतु यह बस की बात है कि मैं हिन्दू रहकर मरूँ नहीं।'' मेरी यह इक्कीस वर्ष की प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। मैं आज हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मैं हिन्दू–नरक से छुटकारा पा गया।'' बाबासाहेब द्वारा बौद्ध धर्म ही स्वीकार किये जाने के निम्न कारण हैं–

पहला कारण यह है कि बौद्ध धर्म कोई ईश्वरीय धर्म नहीं है।

दूसरा कारण यह है कि बाबासाहेब ने 1935 में हिन्दू धर्म त्यागने की घोषणा की थी तथा 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इस बीच बाबासाहेब की पुस्तक 'शूद्रों की खोज' 1940 ई. में छपी। इसमें बाबासाहेब ने बताया कि शूद्र पूर्व में क्षत्रिय थे। ये ब्राह्मणों से युद्ध करते थे। बाद में ब्राह्मणों ने इन्हें अपना दास बनाया और उन दासों को शूद्र कहने लगे। ब्राह्मणों द्वारा उपनयन संस्कार नहीं करने से क्षत्रिय निम्न स्तर पर आ गए। क्षत्रिय दो तरह के हुए। पहला– सूर्यवंशीय तथा दूसरा चंद्रवंशीय। सूर्यवंशीय क्षत्रियों को ही शूद्र बनाया गया। चंद्रवंशीय क्षत्रिय वर्तमान में दिखते हैं। सूर्यवंशीय क्षत्रिय ही ब्राह्मणी व्यवस्था का, उनकी सत्ता का जबर्दस्त विरोध करते थे। इस विषय में प्रथम अध्याय में चर्चा की गई है। बाबासाहेब को यह प्रतीत हुआ होगा कि बौद्ध भी क्षत्रिय हैं

वे हमारे पूर्वज हैं। तो फिर हमारे पूर्वज द्वारा संचालित धर्म ही क्यों न स्वीकार किया जाए? अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपने लेख 'बड़ा संदेश था अंबेडकर का बौद्ध बनना' में लिखा है कि ''उनका (बाबा साहेब) आकर्षण तो 1940 से ही बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ने लगा था, जब वह बुद्ध और उनकी विरासत पर पढ़—लिख रहे थे।'' वे इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे थे।

तीसरा कारण यह है कि बाबासाहेब ने 1943 में विभिन्न बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। उन्हें वहाँ समानता दिखी। वे 1954 में रंगून में आयोजित 'विश्व बौद्ध सम्मेलन' में भी शामिल हुए थे। तभी उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय ले लिया था।

चौथा कारण यह है कि हिन्दू धर्म के लोग महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। जिस प्रकार विष्णु ने रामावतार, कृष्णावतार, वामनावतार, नृसिंहावतार लिया उसी तरह विष्णु ने बुद्धावतार भी लिया। हालांकि बाबासाहेब राम तथा कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, फिर भी भारतीय समाज में उनका उतना विरोध नहीं हुआ जितना मुसलमान या ईसाई बनने पर होता।

पांचवां कारण यह है कि यदि वे ईसाई या मुसलमान बनते तो अत्यधिक विरोध होता। लोग यह कहकर विरोध करते कि ये दोनों विदेशी धर्म है जबकि बाबासाहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया था जो कि एक स्वदेशी धर्म है। रामचन्द्र गुहा ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि— ''हिंदू धर्म छोड़ने की बात करते ही मुस्लिम समाज और ईसाई मिशनरियों ने उनसे संपर्क साधा, लेकिन अम्बेडकर ने दोनों को इस सोच के साथ दरकिनार कर दिया कि ये धर्म भारतीय मूल के नहीं हैं।'' बाबासाहेब द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार न किये जाने के कारणों में से एक यह भी है कि बाबासाहेब की दृष्टि में इस्लाम धर्म प्रगतिशील धर्म नहीं था। यह बात कुछ हद तक व्यवहारिक रूप में सही समझी जा सकती है। लेकिन सैद्धांतिक रूप में इस्लाम काफी प्रगतिशील धर्म रहा है। प्रेमचंद ने इस्लामी सभ्यता (1925) शीर्षक लेख में बड़ी सटीक टिप्पणी की है।

वे स्पष्टतः लिखते हैं— ''वे सिद्धांत जिनका श्रेय अब कार्ल मार्क्स और रूसो को दिया जा रहा है, वास्तव में अरब के मरूस्थल में प्रसूत हुए थे और उनका जन्मदाता अरब का वह उम्मीर था जिसका नाम मुहम्मद है। मुहम्मद के सिवा संसार में और कोई धर्म—प्रणेता हुआ है जिसने खुदा के सिवा किसी मनुष्य के सामने सिर झुकाना गुनाह ठहराया हो।'' आज मार्क्स और रूसो को प्रगतिशीलता का पयार्य माना जाता है। आज लोग मार्क्स का गुणगान करते नहीं थकते हैं। ऐसे लोग जो मार्क्स का गुणगान करते नहीं थकते। उन्हें प्रेमचंद के कथन पर विचार करना चाहिए। 'इस्लाम प्रगतिशील धर्म नहीं है' यह बात सोचकर उनके जैसा विद्वान व्यक्ति सिर्फ इस एक कारण से ऐसा नहीं कर सकता। मूल मामला इस्लाम के विदेशी मूल का होने का था। फिर उन्हें यह भी जानकारी थी कि मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था है लेकिन वे यह भी कहते थे कि यह जाति व्यवस्था हिन्दुओं की जाति व्यवस्था से अलग है। मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था हिन्दुओं के कारण आई है। क्योंकि बहुत सारे हिन्दू मुसलमान बने हैं। वे मुसलमान तो बन गए लेकिन हाँ यह सच है कि उनके सामने जैन तथा सिख नामक दो स्वदेशी धर्म भी थे। लेकिन उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया क्योंकि संभवतः जैन धर्म का कोई विशेष वजूद उनकी दृष्टि में नहीं था। रही बात सिख धर्म की तो इसके बारे में उन्होंने जरूर सोचा परन्तु उन्हें पता चला कि सिखों के यहाँ भी हिन्दू धर्म की ही भांति जाति व्यवस्था हावी थी। इन सबके अतिरिक्त संभवतः कुछ राजनीतिक कारण थी थे। जिसके कारण बाबासाहेब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया।

अब तृतीय महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बाबासाहेब ने धर्मांतरण के लिए नागपुर ही क्यों चुना? इसका एक कारण तो यह था कि नागपुर में ही 'शिड्यूल कास्ट फेडरेशन' का कार्यालय था। इससे काफी हद तक सहायता मिली। नागपुर में बाबासाहेब के अनुयायियों की एक तरह से कहें की एक पूरी फौज थी। इसलिए भी उन्होंने नागपुर शहर को चुना। उस समय की स्थिति ये थी कि धर्मांतरण कार्यक्रम के एक सप्ताह पहले ही नागपुर में स्थित 'शेड्यूल कास्टस फेडरेशन' के कार्यालय के आस–पास उनके अनुयायियों की भीड़ जुटने लगी थी। 12 अक्टूबर तक तो नागपुर आने वाली हर बस, ट्रेन बाबासाहेब के अनुयायियों से भरी पड़ी थी। 14 अक्टूबर को बाबासाहेब और उनकी पत्नी सविता बाई ने सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया। बर्मा से आए 83 वर्षीय बौद्ध भिक्षु भिखू चंद्रमणि ने उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार कराया। इस अवसर पर उन्होंने सफेद परिधान पहने हुए ही अपने अनुयायियों को मराठी भाषा में शपथ दिलाई थी। 15 अक्टूबर 1956 ई. को उन्हों ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। बाबासाहेब के साथ लगभग तीन लाख अनुयायियों ने धर्मांतरण किया था। बौद्ध धर्म को अपनाकर वे बहुत प्रफुल्लित हुए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वालों की कुल 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो इस प्रकार हैं–

1. "मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूँगा, और न उनकी पूजा करूँगा।
2. मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूँगा और न कभी उनकी पूजा करूँगा।
3. मैं गौरी–गणपति इत्यादि हिन्दू धर्म के किसी भी देवी–देवताओं को नही मानूँगा और न ही उनकी पूजा करूँगा।
4. मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है।
5. मैं इसे कभी नहीं मानूँगा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का प्रचार समझूंगा।
6. मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा, और न कभी पिंडदान करूँगा।
7. मैं बौद्ध धर्म के विरूद्ध किसी की बात नहीं मानूँगा।
8. मैं कोई क्रिया कर्म ब्राह्मण के हाथों से नहीं कराऊँगा।
9. मैं इस सिद्धांत को मानूँगा कि सभी मनुष्य एक हैं।
10. मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूँगा।
11. मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण रूप में पालन करूँगा।
12. मैं तथागत बुद्ध की बताई दस पारमिताओं का पूर्ण पालन करूँगा।
13. मैं प्राणी मात्र पर दया रखूँगा, और उनका पालन करूँगा।
14. मैं चोरी नहीं करूँगा।
15. मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
16. मैं व्यभिचार नहीं करूँगा।
17. मैं शराब आदि कोई नशा नहीं करूँगा।
18. मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीन तत्वों, अर्थात् ज्ञान, शील और समता पर ढालने का प्रयत्न करूँगा।
19. मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने हिन्दू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ।

20. मेरा विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है।

21. मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है।

22. मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूँगा।

भवतु सब्बे मंगलं, रक्खन्तुआ सब्ब देवता,
सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सात्थि भवन्तुजते।
भवतु सब्बै मंगलं, रक्खवन्तु सब्ब देवता,
सब्ब धम्मांनुभावेन सदा सोत्थि भवन्तुत ते
भवतु सब्बै मंगलं, रक्खतन्तु सब्ब देवता,
सब्ब संघानुभावेद सदा सोत्थि भवन्तु ते।''

बाबासाहेब ने धर्मांतरण के लिए नागपुर को ही क्यों चुना? इस विषय में उन्होंने जो कारण बताए हैं वे अति महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं– ''भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, वे जानते हैं कि बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय नाग–जाति के लोगों का है। जिनकी विशाल आबादी नागपुर में थी। वीर नागों का केन्द्र स्थल होने के कारण ही इस नगर का नाम नागपुर पड़ा। यहाँ से सत्ताईस मील की दूरी पर बहने वाली नदी का नाम भी 'नागा' है। नाग–जाति के लोग वैदिक आर्यों के कट्टर शत्रु हो गए थे, क्योंकि आर्य लोग नागों का समूल नाश करना चाहते थे।'' यह भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है कि नाग जाति भी एक दलित जाति ही थी।

चतुर्थ प्रश्न यह उठता है कि 1935 ई. में हिन्दू धर्म छोड़ने की घोषणा करने वाले बाबासाहेब को बौद्ध धर्म स्वीकार करने में 21 वर्ष क्यों लगे? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि 'बाबासाहेब जैसे विद्वान व गंभीर चित्त का व्यक्ति इतने बड़े मुद्दे पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था।' वे पूरी जाँच–पड़ताल करके संतुष्ट होने के बाद ही कोई धर्म स्वीकार करना चाहते थे। वे सभी विकल्पों जैसे– जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, सिख आदि पर पूरी सावधानी से विचार कर रहे थे। फिर सुधारों व प्रतिनिधित्व जैसे आवश्यक प्रश्नों पर भी वह दैनिक अनुभवों के आधार पर विचार–विमर्श कर रहे थे।

पंचम् प्रश्न यह है कि बाबासाहेब ने 14 अक्टूबर की ही तिथि धर्मांतरण के लिए क्यों चुनी? 1956 ई. में 14 अक्टूबर को रविवार का दिन था और देश में विजयदशमी मनाई जा रही थी। संभवतः वे 14 अक्टूबर को धर्मांतरण करने 'अपनी विजय के रूप में ले रहे थे।' उस दिन वे हिंदू धर्म की जकड़ने से खुद को स्वतंत्र कर रहे थे।

यह अवश्य ही अत्यधिक महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न है कि यदि 'धर्मांतरण के सात सप्ताह बाद जब उनकी आयु 65 साल थी, उनका परिनिर्वाण न हुआ होता तो वर्तमान में दलित की स्थिति कुछ और होती। धर्म के मामले में वर्तमान में जो द्वंद्व की स्थिति है वह कभी नहीं होती परन्तु उन्हे उतना समय नहीं मिल पाया कि वे सब कुछ व्यवस्थित तरीके से कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. धर्मांतरण क्यों? – डॉ. अम्बेडकर, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, चतुर्थ संस्करण –2007, पृ.सं. 14–15
2. वही, पृ. सं. 33

3. अछूत – दया पवार, रूपांतर दामोदर खड़से, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, छठा संस्करण 2016, पृ.सं. 171
4. धर्मांतरण क्यों? – डॉ. अम्बेंडकर, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, चतुर्थ संस्करण –2007, पृ.सं. 42
5. हिन्दुतस्तान, 'बड़ा संदेश था अंबेडकर का बौद्ध बनना' – रामचंद्र गुहा, प्रधान संपादक शशिशेखर, सं. कृष्णभकांत उपाध्याय, पृ.सं. 6
6. वही, पृ.सं. 06
7. प्रेमचंद रचनावली खंड–7, संपा. –रामआनंद, जनवाणी प्रकाशन प्रा. लि. दिल्ली, प्रथम संस्करण –1996, पृ.सं. 316
8. धर्मांतरण क्यों? – डॉ. अम्बेंडकर, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, चतुर्थ संस्करण –2007, पृ.सं. 48
9. धर्मांतरण क्यों? – डॉ. अम्बेंडकर, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, चतुर्थ संस्करण –2007, पृ.सं. 40

मो.– 8712375016
ईमेल–ibkhan88@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 181-185

बाबासाहब अंबेडकर : आदर्श समाज की कल्पना

डॉ. लूनेश कुमार वर्मा (व्याख्याता)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपैरी, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

सारांश :-

बाबासाहब अंबेडकर भारतीय समाज व्यवस्था में दलित व निम्न जाति के लोगों के प्रति छुआछूत की भावना, महिलाओं की समाज में स्थिति और सामाजिक दासता को अंग्रेजों की दासता से अधिक गंभीर व जड़ता युक्त मानते थे। अंबेडकर आदर्श समाज की कल्पना में भारतीय हिंदू समाज में प्रचलित श्रम विभाजन व जाति प्रथा को दोषपूर्ण स्वीकार करते हैं। समाज तभी विकास व उत्थान के पथ पर अग्रसर हो सकता है, जब जातिवाद जैसी कुप्रथाओं से वह मुक्त हो। आदर्श समाज की कल्पना करते हुए अंबेडकर उसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता आदि गुणों का समावेश होना आवश्यक मानते हैं। आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। समता आधारित आदर्श समाज में सबके अधिकार एक होने की पहल करना अंबेडकर की मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचायक है। आदर्श समाज की स्थापना तभी हो सकती है, जब प्रारंभ से ही सभी लोगों को समान अवसर और समान व्यवहार प्राप्त हो।

मुख्य शब्द :- आदर्श समाज, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता।

भीमराव अंबेडकर मानव मुक्ति के पुरोधा के रूप में स्मरण किए जाते हैं। वे अपने समय के अच्छे पढ़े–लिखे लोगों में से एक थे। उन्होंने तत्कालीन राजनीति में सक्रिय भूमिका का निर्वहण किया। 'अंबेडकर किसी एक जातीय समूह की बजाय पूरे मानव समाज की बेहतरी के लिए प्रयासरत थे।"[1] वे सभ्य कहे जाने वाले समाज में अछूत समझे जाने वाले लोगों, महिलाओं और श्रमिकों को वास्तविक मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरुप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। समाज के दलित, दमित व पिछड़े वर्ग के लोग सामान्य अधिकार पा चुके हैं। वे अपनी कार्य कुशलता व दक्षता के आधार पर अपनी कौशलों का विकास कर उचित व्यवसाय का चुनाव करने कर रहे हैं।

अंबेडकर का जन्म दलित जाति में हुआ था। अनुसूचित जाति में जन्म लेने के कारण अंबेडकर को जीवन भर शोषण, यातना व प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। विदेश में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर वे भारत के अनुसूचित जाति का उद्धार करना उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा। आपने इस कर्तव्य का पालन उन्होंने अंतिम सांस तक किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें दलितों की जातिगत उत्पीड़न का उन्हें सहज अनुभव बोध था। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए नया कानून बनाने वह छुआछूत की भावना को समाप्त करने का संकल्प ले लिया था। अपने

इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे मनोयोग से अध्ययन व चिंतन–मनन पर बल दिया।

पढ़ लिखकर जब वे स्वतंत्रता संग्राम में संघर्षरत थे, तब से ही उनके समक्ष उनका यह लक्ष्य बना रहा। वे भारतीय समाज व्यवस्था में दलित व निम्न जाति के लोगों के प्रति छुआछूत की भावना, महिलाओं की समाज में स्थिति और सामाजिक दासता को अंग्रेजों की दासता से अधिक गंभीर व जड़ता युक्त मानते थे। वे सामाजिक दासता के उन्मूलन के बिना प्राप्त स्वतंत्रता को अधूरा मानते थे। वे इसे कुछ लोगों का विशेषाधिकार मानते थे। इससे आम जनमानस को विशेष लाभ प्राप्त नहीं होने की बात करते थे। वे कहते थे– 'अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है।'[2] वे निरंतर सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष करने में अग्रसर रहे।

भीमराव अंबेडकर के जीवन में बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी चिंतन धारा व रचनात्मकता को इनके दर्शन से ऊर्जा प्राप्त होती थी। हिंदू समाज में व्याप्त जातिवादी व्यवस्था के फलस्वरुप उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा छुआछूत व उत्पीड़न की घटनाओं के फलस्वरूप उनका हिंदू समाज से मोह भंग हुआ। 14 अक्टूबर सन 1956 को वे अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म के समतावादी दर्शन के मतानुयायी हो गए।

अंबेडकर आदर्श समाज की कल्पना में भारतीय हिंदू समाज में प्रचलित श्रम विभाजन व जाति प्रथा को दोषपूर्ण स्वीकार करते हैं। भारत में जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जा सकता है। विभिन्न वर्गों में विभाजन के फलस्वरूप ऊँच–नीच की भावना इसे और अधिक दोष युक्त कर देती है। सभ्य सामाजिक व्यवस्था में श्रम विभाजन से श्रमिक वर्गों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं होना चाहिए। वे भारत की जाति प्रथा के स्वरूप को दोषपूर्ण मानते हुए कहते हैं– 'भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊँच–नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता।'[3] जातिवाद की भावना से समाज की समता में बाधा उत्पन्न होती है। जातिवाद असमान व्यवहार को प्रश्रय देता है। समाज तभी विकास व उत्थान के पथ पर अग्रसर हो सकता है, जब जातिवाद जैसी कुप्रथाओं से वह मुक्त हो। जातिवाद के समाप्त होने से सबके लिए समान भौतिक स्थितियाँ व जीवन सुविधाएँ उपलब्ध होंगे, तभी समाज में भावात्मक समता प्रतिष्ठित हो पाएगी।

मनुष्य की रुचि पर आधारित श्रम विभाजन से ही आदर्श समाज की स्थापना अंबेडकर मानते हैं। इसे ही सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण संभव हो सकता है। इसमें व्यक्ति को अपने पेशा व कार्य का चुनाव करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आधुनिक विकासशील समाज में उद्योग धंधे व तकनीक में निरंतर विकास हो रहा है ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को अपनी परंपरागत कार्य अथवा पेशा बदलने की आवश्यकता हो, तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन में व्यक्ति को पूर्व निर्धारित कार्य को इच्छा–अनिच्छा से करना ही होता है, इसमें व्यक्ति की भावना व रुचि का कोई स्थान नहीं होता है। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की रुचि न हो वहाँ कार्य कुशलता कैसे संभव है? यह स्थिति उसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के लिए भी अनुकूल नहीं कहा

जा सकता है। अतः व्यक्ति जाति प्रथा के अस्वाभाविक नियमों में फँसकर निष्क्रिय हो सकता है। ऐसा समाज किसी भी दृष्टि से आदर्श नहीं हो सकता है।

आदर्श समाज की कल्पना करते हुए अंबेडकर उसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता आदि गुणों का समावेश होना आवश्यक मानते हैं। "डॉ अंबेडकर ने प्रजातंत्र के लिए समानता स्वतंत्रता और भाईचारे को जरूरी बताया।"[4] समाज में जब भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा, तभी प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। समाज के सभी लोगों को अपनी क्षमताओं का विकास करने का पर्याप्त व समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। वे आदर्श समाज के विषय में कहते हैं– 'किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सब का भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए।'[5] आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। लोगों को अपनी इच्छा अनुसार समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाज में विभिन्न जाति, धर्म, मत, संप्रदाय के लोगों का व्यवहार दूध–पानी के मिश्रण की तरह एकरूपता लिए हुए होना चाहिए। जिस तरह दूध में पानी मिला देने पर भी वह दूध ही दिखाई देता है। पानी उसमें अपने आप को विलीन कर लेती है। इस तरह आदर्श समाज का निर्माण जाति प्रथा के छोटे–बड़े के भेद को मिटाकर होना चाहिए, जिसमें ऊँच–नीच का भेद न हो।

समाज में लोगों के रीति–रिवाज, कार्य व्यवहार आदि के सम्मिलित अनुभवों के आदान–प्रदान का नाम सामूहिक जीवनचर्या है। आदर्श समाज में सामूहिक जीवनचर्या लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति आदर व सम्मान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को समाज के लोगों के प्रति श्रद्धा व सम्मान प्रकट करने, लोगों के सुख–दुख में भाग लेने आदि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे ही भ्रातृत्व के गुणों का विकास होता है।

आदर्श समाज में गमनागमन की स्वतंत्रता, अपने जीवन व शरीर की सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमता बढ़ाने व प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा होने से ही समाज दासता के बंधन से मुक्त हो सकेगी। भारतीय समाज दीर्घकाल से दासता के बंधन में जकड़ी हुई थी। इस दासता के कारण समाज के कुछ लोगों के द्वारा बहुसंख्यक लोगों के वास्तविक नागरिक अधिकारों का दमन किया जाता था।

अंबेडकर दासता को केवल कानूनी पराधीनता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, इसके अंतर्गत वे कुछ लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए अन्य लोगों को विवश करना को भी इसमें जोड़कर देखते हैं। दमित लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य व व्यवहार करने की स्वतंत्रता नहीं होती थी। उन्हें दिए गए आदेशों का पालन करना होता था। अपनी इच्छा के विरुद्ध अन्य कार्यों व व्यवहार को करने के लिए बाध्य होना को हुए दासता के रूप में स्वीकार करते हैं। जब तक समझ में समता समानता स्थापित नहीं हो जाता तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसके बिना प्राप्त स्वतंत्रता कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगी। देश को विदेशी शक्तियों की दास्तान से मुक्त करने के साथ–साथ समाज में व्याप्त दासता से भी मुक्ति आवश्यक है। आदर्श समाज को दासता के बंधन से स्वतंत्रता आवश्यक है।

सुव्यवस्थित आदर्श समाज में सबके अधिकार समान होने चाहिए। किसी के भी अधिकारों का हनन किसी

के भी द्वारा नहीं होना चाहिए और इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। देश में या राज्य में किसी को भी यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे दूसरों पर शासन करने में समर्थ हों। बाबासाहब लिखते हैं– 'व्यक्ति स्वयं में साध्य है, व्यक्ति के कुछ अपृथक अधिकार होते हैं, जिनकी गारंटी संविधान द्वारा मिलनी चाहिए। किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और राज्य कुछ लोगों को ऐसे अधिकार नहीं देगा, जिनसे वे अन्य लोगों पर शासन करें।'[6] समता आधारित आदर्श समाज में सबके अधिकार एक होने की पहल करना अंबेडकर की मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचायक है।

अंबेडकर आदर्श समाज में समता पर बल देते हैं। समता शब्द एक नियामक सिद्धांत प्रस्तुत करती है। समता का तात्पर्य जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव मात्र के प्रति समान व्यवहार से है। समाज में सभी व्यक्तियों की क्षमता समान नहीं होती है। व्यक्ति की क्षमता वंश–परंपराके कारण, सामाजिक उत्तराधिकार की उपलब्धियों के कारण और व्यक्ति के अपने कर्म के कारण अन्य लोगों की अपेक्षा विशिष्ट होते हैं। इस तरह सभी लोग समान नहीं होते हैं। इन स्थितियों में भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने का समान अवसर व प्रोत्साहन दिया जाना उचित होगा। अंबेडकर कहते हैं– 'समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, तो यह तो संभव है, जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए।'[7] वंश, परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार आदि कारण जिस पर व्यक्ति का कोई वश नहीं है, के कारण इन्हें श्रेष्ठ मानना न्याय संगत कैसे कहा जा सकता है? उनकी अपेक्षा जो व्यक्ति अपने प्रयासों से आगे बढ़ता है, के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए।

आदर्श समाज की स्थापना तभी हो सकती है, जब प्रारंभ से ही सभी लोगों को समान अवसर और समान व्यवहार प्राप्त हो। इसके लिए समाज के निम्न व शोषित वर्ग के लोगों के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उत्थान की रूपरेखा तैयार करना होगा। समाज के सभी वर्गों के हितानुरूप कार्य योजना बनाना होगा।

राजनीतिज्ञों का समाज के हर लोगों के साथ मिलन होता है। समाज के लोगों से व्यवहार करते समय उन्हें समतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यही उनके लिए सरल सुगम और व्यावहारिक है। समता मूलक वंचित व्यवहार करने से समाज में विषमता नहीं पनपती है। अंबेडकर राजनीतिज्ञों के उदाहरण से समता शब्द पर विचार करते हुए अपनी बात स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं– 'राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सब की अलग–अलग आवश्यकताओं व क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग–अलग कर सके।'[8] वास्तव में राजनीतिज्ञ भी मनुष्य ही होता है। उसकी भी अपनी सीमाएँ होती हैं।

राजनीतिज्ञ जन सेवक होते हैं। समाज में व्याप्त विषमता एक सच्चाई है। जनता की विभिन्न आवश्यकताएँ होती हैं। एक ही व्यक्ति के द्वारा इन सब की समग्र जानकारी रख पाना दुष्कर होता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को व्यवहारितावाद के सिद्धांत पर कार्य करने की आवश्यकता होती है और उसे मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना होता है। राजनीतिक को यह व्यवहार इसलिए अपनाना पड़ता है क्योंकि इससे वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव हो जाता है। राजनीतिज्ञ को विभिन्न स्थितियों–परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। ऐसी स्थिति में उसका यह व्यावहारिक दृष्टिकोण ही समता मूलक सिद्ध होता है।

बाबा साहब अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी विद्वत्ता का उपयोग एकांत में ज्ञान साधना करने की अपेक्षा मानव मुक्ति व समाज कल्याण में करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से इस बात को जीवन पर्यंत सिद्ध करते रहे। अंबेडकर अपने प्रयासों में बहुधा सफल भी रहे।

निष्कर्ष :-

भारतीय संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बाबा साहब अंबेडकर भारतीय चिंतन परंपरा में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। उनका जीवन सामाजिक समरसता व दलितों की मुक्ति के लिए सदैव समर्पित रहा। "बाबा साहब के विचारों से दलितों को अपनी गुलामी का अहसास हुआ, उनकी वेदना को वाणी मिली, क्योंकि उसे मूल समाज को बाबा साहब के रूप में अपना नाम मिला दलितों की वह वेदना में की वेदना नहीं वह बहिष्कृत समाज की वेदना है।"[9] आदर्श समाज के स्थापना के लिए बाबासाहेब अंबेडकर जीवनपर्यंत संघर्षरत रहे। वे ऐसे चिंतक, समाज सुधारक एवं विचारक थे, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व पर आधारित आदर्श समाज की कल्पना को साकार रूप देने के लिए आजीवन प्रयत्न किया।

संदर्भ :-

1. पांडे, सत्यम. बाबा साहेब की विरासत रायपुर : देशबंधु, संस्करण 14 अप्रैल 2022, पृष्ठ 06.
2. आरोह भाग–2 रायपुर : राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, संस्करण 2019–20, पृष्ठ 135.
3. वही, पृष्ठ 137.
4. गुप्ता, रेखा. महिला सशक्तिकरण में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका (आलेख). दलित चेतना के स्वर. दिल्ली जे. टी.एस. पब्लिकेशंस संस्करण 2022, पृष्ठ 175.
5. आरोह भाग–2 रायपुर : राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, संस्करण 2019–20, पृष्ठ 138.
6. अम्बेडकर. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर– सम्पूर्ण वाड्मय, खंड–1, नई दिल्ली : डॉ. कल्याण प्रतिष्ठान कल्याण मंत्रालय–भारत सरकार, संस्करण 1998, पृष्ठ संख्या 152.
7. आरोह भाग–2 रायपुर : राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, संस्करण 2019–20, पृष्ठ 140.
8. वही, पृष्ठ 140.
9. गुप्ता, रमणिका. दलित हस्तक्षेप. दिल्ली शिल्पायन प्रकाशन. संस्करण 2004, पृष्ठ 15.

डॉ. लूनेश कुमार वर्मा (व्याख्याता)
म.नं. 3349 वार्ड 61, काजल किराना के पास, शुक्ल वंशम के पीछे, रावतपुरा कालोनी फेस– 01
मठपुरैना. पोस्ट– सुंदर नगर, तह– जिला– रायपुर (छत्तीसगढ़), पिन 492001
मोबाइल नंबर 8109249517
ई मेल luneshverma@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 186-189

अम्बेडकर की पत्रकारिता का सामाजिक न्याय

डॉ. नरगिस बानो
सहायक प्राध्यापक, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273003

भूमिका :–

भारतीय संविधान के निर्माता, शिल्पकार तथा सफल पत्रकार व संपादक डॉ. भीमराव राम जी आंबेडकर ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे जाति भेद, ऊंच–नीच और छुआछूत को मिटाकर समता और बंधुत्व का भाव लाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। बाबा साहेब में सामाजिक रूप से वंचितों, शोषितों एवं महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किये। उन्हें आभाष हुआ कि उस समय के प्रकाशित समाचार–पत्र शोषित दलितों की आवाज के लिए कोई स्थान नहीं दिया जा रहा था। उनके दुःख, तकलीफों और उनके साथ होने वाले अन्याय को उचित एवं प्रभावी ढंग प्रकाशित समाचार–पत्रों में स्थान नहीं मिल पा रहा था। यह बात बाबा साहेब को भली–भाति समझ आ चुका था कि दीर्घकाल तक चलने वाली सामाजिक विषमता को समता की ओर ले जाने के महान लक्ष्य की पूर्ण करने के लिए प्रभावी समाचार–पत्र का प्रकाशित होना अति आवश्यक है। बाबा साहेब ने पत्रकार के रूप में जो प्रकाश स्तम्भ स्थापित किया है वह वंचित वर्गों के उद्धार के उनके अंतहीन संघर्ष के एक अंग के रूप में था। इसके लिए मत निर्माण का एक सशक्त माध्यम मानकर आंबेडकर ने पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया। डॉ. आंबेडकर निष्पक्ष पत्रकारिता के कंटीले रास्ते पर लगभग 36 वर्षों तक चलते रहे तथा पत्रकारिता उनके लिए समाज और राष्ट्र की सेवा का पवित्र साधन था।

अम्बेडकर की पत्रकारीय चेतना :–

डॉ. अंबेडकर की पत्रकारिता खास और अलग थी। इनकी पत्रकारिता समाज और देश को आइना दिखाने वाली थी। इन्होंने एक ऐसे वंचित समाज के लिए पत्रकारिता की जो हासिये पर था और आज भी है। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ने कई दशक तक पत्रकार के रूप में कार्य करने के साथ–साथ कई समाचार पत्रों का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य किया। आजादी के पहले जब भारत में पत्रकारिता अपने शैशव काल में थी, तब पत्रकारिता एक मिशन के रूप में थी स्वतंत्रता आंदोलन की मिशनरी पत्रकारिता की आड़ में लोग अपने हितों को साध रहे थे, उसी समय बाबा साहेब ने पत्रकारिता की नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत किया। डॉ. अंबेडकर ने वर्ष 1920 का 'मूकनायक' पाक्षिक पत्र कहीं न कहीं पत्रकारिता के वैकल्पिक प्रतिमान को स्थापित करने एवं

अछूत वर्ग में एक नई चेतना जगाने का कार्य कर रहा था। इन्होंने जिन समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा संपादन किया, वे पत्र अपने समय में वंचित वर्ग एवं खुली मानसिकता वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रों के रूप में माने गए हैं। अंबेडकर की पत्रकारिता उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रही है। बाबा साहेब ने अछूत समाज के विकास को केंद्र में रखते हुए अछूत दंश की मुक्ति के लिए सेवा भाव से पत्रकारिता को हथियार बनाकर अपने समाज हित के विचारों को बढ़ावा देने तथा समाज की भलाई के लिए पत्रकारिता के माध्यम को चुना और आन्दोलनों के लिए इस माध्यम का पूरजोर उपयोग किया। उनकी पहचान समाज सुधारक, समाज चिंतक, संविधान शिल्पी के साथ–साथ एक निर्भीक एवं मिशनरी पत्रकार के रूप में भी दुनिया में प्रति स्थापित है। हिंदी पत्रकारिता में भी उपेक्षित वर्ग (दलित वर्ग) का अपना एक अलग स्थान रहा है तथा उपेक्षित वर्ग ने भी पत्रकारिता के माध्यम से अपने विभिन्न लक्ष्यों को पूर्ण किया है। डॉ. अंबेडकर पत्रकारिता को 'पंसारी की दुकान' कहा करते थे तथा कामोत्तेजक विज्ञापन छापकर समाज को लूटने और युवा पीढ़ी को गुमराह करने के लिए इन्हें समाज का अपराधी मानते थे।

इन्होने वर्ष 1920 में 'मूकनायक' नामक समाचार के प्रकाशन के जरिये पत्रकारिता के क्षेत्र में पर्दापण किया। इस पत्र को उपेक्षित समाज का पहला पाक्षिक पत्र माना जाता है। इस पत्र ने प्रबोधन, शिक्षण, जागृतिऔर दलित पत्रकारिता के मार्ग को प्रशस्त करने का बखूबी काम किया। 3 अप्रैल 1927 को बाबा साहेब के संपादन में मराठी पाक्षिक पत्रिका 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन किया गया। 'बहिष्कृत भारत' की पत्रकारिता विचार पक्ष को समग्रता में जीवित रखने, विरोधी पक्ष के साथ बौद्धिक, तार्किक एवं प्रमाणिक संवाद स्थापित करने और प्रतिक्रियाओं का संतुलित विवेक से उत्तर देने का ऐतिहासिक दस्तावेज है। 4 सितम्बर 1927 को बाबा साहेब ने समाज समता संघ के मुख्य पत्रिका 'समता' का सम्पादन किया। इस पत्रिका के माध्यम से वे मानव अधिकार और समता का प्रचार करते रहे। यही पत्र बाद में 'जनता' और 'प्रबुद्ध भारत' के रूप में संपादित हुआ। 24 नवम्बर, 1930 को 'जनता' नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत हुई। इस पत्र के प्रधान सम्पादक देवराज विष्णु नाईक थे। 'जनता' का प्रकाशन काल अंबेडकर के जीवन की सर्वाधिक जिम्मेदारियों का काल रहा है। इन सभी पत्रों के माध्यम से डॉ. अंबेडकर ने सामाजिकता के विभिन्न स्तर में अलख जगाने का प्रयास किया। उनका पत्रकारीय योगदान समाज को दिशा देने एवं उनकी चेतना को उभारने के लिए प्रयत्नशील रहा है। अंबेडकर की समूची पत्रकारिता को हम वैकल्पिक पत्रकारिता के रूप में देख सकते हैं। 'बहिष्कृत भारत' पत्र में अंबेडकर जी की निर्भीक एवं साहसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता के प्रतिमान को स्थापित करती है। 'बहिष्कृत भारत' पत्र में संपादक के रूप में डॉ. अंबेडकर जी की पत्रकारीय चेतना को देखा जा सकता है।

बाबा साहेब की पत्रकारिता का सामाजिक न्याय :–

आज संविधान से नागरिक को जो भी अधिकार प्राप्त हैं, उसकी एक भूमिका 1920 में मूकनायक पत्रिका के तीसरे अंक में बाबा साहेब ने रख दी थी। 'यह स्वराज्य नहीं, हम पर राज्य है' नामक शीर्षक से आलेख में उन्होंने लिखा– किसी भी व्यक्ति को हम तभी नागरिक कह सकते हैं, जब उसे न्यूनतम अधिकार प्राप्त हों। ये

अधिकार (1) व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, (2) व्यक्तिगत सुरक्षितता, (3) व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार, (4) कानून की दृष्टि में समानता, (5) सद्बुद्धि के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, (6) भाषण स्वातंत्र्य, मत स्वातंत्र्य, (7) सभा लेने का अधिकार, (8) देश के राज कारोबार हेतु प्रतिनिधि भिजवा देने का अधिकार एवं (9) सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार। इस आलेख से यह स्पष्ट है कि बाबा साहब प्रत्येक नागरिक के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। मूकनायक में सामाजिक–राजनैतिक विमर्श को दिशा देने वाली सामग्री के साथ ही ऐसे समाचार भी प्रकाशित होते थे, जिनका संबंध बहुजन समाज के हित से होता था। समसामयिक घटनाओं को लेकर प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती थी।

बाबा साहेब की पत्रकारिता का प्राथमिक उद्देश्य अवश्य ही अस्पृश्य समाज की समस्याओं को उठाना और उन्हें समानता का अधिकार दिलाना था लेकिन यदि हम बाबा साहेब की समूची पत्रकारिता से होकर गुजरते हैं, तो हमें ध्यान आता है कि उनकी पत्रकारिता संपूर्ण समाज और मानवता के प्रति समर्पित थी। उनकी पत्रकारिता में मानवीय संवेदनाओं के साथ राष्ट्रीय स्वर भी है। उनकी पत्रकारिता में प्रत्येक स्थान पर 'भारत' उपस्थित रहा। उनके समाचार पत्रों के नाम से ही इस बात को समझा जा सकता है। जब बाबा साहेब ने छापे खाने की स्थापना की, तब उसका नाम भी 'भारत भूषण' रखा। उनकी पत्रकारिता को 'दलित पत्रकारिता' तक सीमित करके नहीं रखा जा सकता। यदि हम ऐसा करते हैं, तब उनके साथ और उनकी पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं कर रहे होते हैं। बाबा साहेब की पत्रकारिता को संपूर्ण समाज का सहयोग भी प्राप्त हुआ। सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष से हम सब परिचित हैं। बाबा साहेब ने समाज में व्याप्त जातिभेद, ऊंच–नीच और छुआछूत को समाप्त कर समता और बंधुत्व का भाव लाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। वंचितों, शोषितों एवं महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने अलग–अलग स्तर पर जागरूकता आंदोलन चलाए। अपने इन आंदोलनों एवं वंचित वर्ग की आवाज को बृहद् समाज तक पहुँचाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता को साधन के रूप में अपनाया। उनके ध्येयनिष्ठ, वैचारिक और आदर्श पत्रकार–संपादक व्यक्तित्व की जानकारी अपेक्षाकृत बहुत कम लोगों को है। बाबा साहेब ने भारतीय पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पत्रकारिता के सामने कुछ लक्ष्य एवं ध्येय प्रस्तुत किए। पत्रकारिता कैसे वंचित समाज को सामाजिक न्याय दिला सकती है, यह यशस्वी भूमिका बाबा साहेब ने निभाई है। बाबा साहेब ने वर्षों से 'मूक' समाज को अपने पत्रकारिता के माध्यम से आवाज देकर 'मूकनायक' होने का गौरव अर्जित किया है।

निष्कर्ष :–

बाबा साहेब की समूची पत्रकारिता संपूर्ण समाज और मानवता के प्रति समर्पित थी। उनकी पत्रकारिता में मानवीय संवेदनाओं के साथ राष्ट्रीय स्वर भी है। बाबा साहेब की पत्रकारिता का प्राथमिक उद्देश्य अवश्य ही अस्पृश्य समाज की समस्याओं को उठाना और उन्हें समानता का अधिकार दिलाना था। उनकी पत्रकारिता को 'दलित पत्रकारिता' तक सीमित करके नहीं रखा जा सकता। बाबा साहेब की पत्रकारिता से संपूर्ण समाज को लाभ मिला है। उनके द्वारा उठाए गए सामाजिक प्रश्न हों, आर्थिक विषय हों या फिर सांप्रदायिक एवं देश–बाह्य

विचारधारों के खतरे, सब पर उन्होंने उस समय मार्गदर्शन किया, वह आज की परिस्थितियों में भी पाथेय है। इनकी पत्रकारिता का अपना एक उद्देश्य था। उन उद्देश्य के साथ–साथ मिशन और एक लड़ाई थी। जाति के सवाल को लेकर। अछूत और पिछड़ों के हक और अधिकार को लेकर, यह कह सकते है कि समाज में व्याप्त गैर बराबरी के सवाल को लेकर एक ऐसा वैचारिक युद्ध जो समाज में सभी जाति को बराबरी का अधिकार देने को लेकर था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबा साहेब ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए जो प्रतिमान स्थापित किए, वे हमेशा ही भारतीय पत्रकारिता को दिशा देने का लगातार कार्य करते रहेंगे।

संदर्भ सूची :–

1. https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MMC&102.pdf
2. https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ethics&in&journalism
3. https://en.wikipedia.org/wiki/B-_R-_Ambedkar
4. http://mediamorcha.com/entries
5. https://panchjanya.com/bharat/dr&ambedkar&was&the&of&journalism/
6. http://mediamorcha.com/entries/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A6
7. https://www.prabhasakshi.com/trending/dr&bhimrao&ambedkar&was&the&pioneer&of&social&journalism#google_vignette
8. https://www.samvad.in/Encyc/2021/4/14/babasaheb.amp.html

ईमेल– nimmynargisha@gmail.com

मो. 8668816507

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 190-194

भारतीय संविधान में अधिकारों एवं कर्तव्यों का आलोक

प्रा. डॉ. कान्तिलाल जी. काथड
आसिस्टन्ट प्रोफेसर, बाबासाहेब डॉ. बी. आर. आम्बेडकर चेर सेन्टर, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट।

भारत राज्यों का संघ है। देश आजाद होने के बाद संविधान निर्माताओं के कंधों पर एक बड़ी चुनौती यह थी कि कैसे छोटी अवधि में इतने विशाल देश के संविधान का निर्माण किया जाए। पर इस चुनौती को हाथ में लिया गया और संविधान बनने के अथक प्रयासों के अंतर्गत 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक निरंतर परिश्रम के बाद परिष्कृत होकर भारत का संविधान भारत की जनता के सामने आया। भारतीय सामाजिक ढाँचे को दृष्टिगत रखते हुए संविधान को देश में लागू किया गया। यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में अमेरिका से मूल अधिकार लिये गए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति–निर्देशक तत्त्व और जर्मनी के संविधान से तथा भारत सरकार अधिनियम–1935 के प्रावधानों से आपात उपबंध को लिया गया, इन सभी को लेकर भारत के संविधान का निर्माण हुआ।

भारत संघ अलग–अलग राज्यों से मिलकर बना है। इन राज्यों के पास इनका अपना कोई संविधान नहीं है, अपितु संपूर्ण भारत संघ का केवल एक ही संविधान है और इसमें भारत संघ से संबंधित तथा भारत के अलग –अलग प्रांतों से संबंधित सभी का उल्लेख कर दिया गया है, अर्थात् सभी प्रांतों का एक ही संविधान है तथा भारत संघ का भी एक ही संविधान है। संविधान में संघ और भारत के राज्यों के लिए अलग–अलग व्यवस्था है, परंतु पुस्तक एक ही है। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय है।

केंद्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा–79 के अनुसार, केंद्रीय संसद् की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद् (राज्यसभा) तथा लोगों का सदन (लोकसभा) के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा–74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है।

संविधान असल में देश का सर्वोच्च विधान है। व्यक्तिगत तौर पर, मैं यह मानता हूँ कि अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन का यह ऐसा पवित्र दस्तावेज है, जिससे लोकतंत्र प्रभावी रूप में जीवंत रह सकता है। देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् 1949 में इसी दिन देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी, 1950 को इसे अमल में लाया गया था। यह महत्त्वपूर्ण है कि 29 अगस्त, 1947 को देश के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की नियुक्ति हुई थी। जैसा कि पहले भी इंगित किया गया है कि दुनिया के सभी संविधानों को बारीकी से परखने के बाद संविधान को बनाया गया। संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने 26 नवंबर, 1949 को संविधान का निर्माण पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया।

भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसमें 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। यह हस्तलिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। इसे तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। संविधान का मसौदा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित था। इसमें किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, फिर दो दिन बाद इसे लागू किया गया था।

भारत का संविधान देश का मूल विधान है। इसमें हमारी सभ्यता के आदर्शों और मूल्यों के साथ हमारे स्वाधीनता संग्राम से उपजी आस्थाएँ और आकांक्षाएँ भी सम्मिलित हैं। संविधान हमारे गणराज्य के संस्थापकों के सामूहिक विवेक का मूर्त रूप है। यह मूल रूप से भारतवासियों की संप्रभु इच्छा की अभिव्यक्ति है।

भारत शासन अधिनियम—1935 के बाद भी भारत में केंद्रीय सरकार की स्थिति कुल मिलाकर वही बनी रही, जो 1919 के अधिनियम के अनुसार थी, क्योंकि 1935 के अधिनियम के संघीय उपबंध को कभी लागू ही नहीं किया गया। केवल प्रांतों में स्वायत्तता की शुरुआत किए जाने के कारण पद्धतियों और प्रक्रियाओं में यथा आवश्यक परिवर्तन किए गए।

देश में 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। तदुपरांत सत्ता के हस्तांतरण और स्वतंत्र भारत के लिए संवैधानिक ढाँचे का उपबंध करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। इन्हीं प्रयासों के भाग के रूप में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 को भारत आया। इस मिशन का उद्देश्य भारत में एक ऐसे तंत्र की स्थापना में वायसराय की मदद करना था, जिससे भारतीय अपना संविधान स्वयं तैयार कर सकें। स्वतंत्रता के मूल मुद्दों और बाहरी हस्तक्षेप के बिना भावी संविधान तैयार करने के लिए एक प्रतिनिधि संविधान सभा के गठन पर जोर दिया गया।

कैबिनेट मिशन ने 16 मई, 1946 को भारत के भावी संविधान को तैयार करने के लिए सिद्धांत और प्रक्रिया निर्धारित करते हुए अपनी योजना प्रस्तुत की। अविलंब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन के संबंध में इस योजना में अनेक सुझाव दिए गए।

प्रत्येक प्रांत के लिए उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुल सीटों का आवंटन करना, जो वयस्क मताधिकार

द्वारा प्रतिनिधियों के लिए दस लाख अथवा उसके आसपास की संख्या के लिए एक प्रतिनिधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के अनुपालन में मुख्य समुदायों के बीच सीटों के प्रांतीय आवंटन का विभाजन करना और इस बात का उपबंध करना कि प्रांत में प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित प्रतिनिधियों का विधानसभा के लिए निर्वाचन उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इन सुझावों पर संविधान तैयार हुआ, जिस पर हमारा लोकतंत्र चल रहा है।

संविधान की प्रस्तावना में संविधान का मूल उल्लेख है। यह प्रस्तावना भारतीय संस्कृति से जुड़े हमारे संविधान के उद्देश्य को पूरी तरह से स्पष्ट करती है। प्रस्तावना में है :–

हम, भारत के लोग, भारत को एक (संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :–

– सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
– विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
– प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए।

तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता और अखंडता) सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों को देश की अखंडता और अक्षुणता कायम रखने के साथ ही सद्भाव कायम रखने की संस्कृति को इंगित करते हैं। संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करे।

मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं।

– प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे।
– स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सँजोए रखे और उनका पालन करे।
– भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
– देश की रक्षा करे।
– भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे।
– हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका निर्माण करे।
– प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे।

– वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे।
– सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे।
– व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।
– माता–पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
– संविधान हमें हमारे कर्तव्यों के साथ ही अधिकारों के लिए जागरूक करता है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान के रूप में भारत का संविधान मानवीय अधिकारों का भी एक तरह से वैश्विक दस्तावेज है। इसके प्रति सम्मान का अर्थ है – हम संप्रभुत्व संपन्न हमारे देश की गरिमा के लिए कार्य कर रहे हैं। संविधान के जो मूल कर्तव्य और अधिकार इस लेख में मैंने दिए हैं, उन्हें यहाँ फिर से लिखने का गहरा अर्थ है। दिखने में नहीं, इन्हें व्यवहार में जीवन में उतारने की जरूरत है। इसलिए कि संविधान इनके जरिए ही हमें जागरूक करता है। जीवन जीने का एक तरह से आलोक प्रदान करता है। इसे इस तरह से समझें कि जनतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप की भूमिका इनसे ही बनती है। हस्तक्षेप भी जनता का अधिकार है और कर्तव्य भी। मैं यह भी मानता हूँ कि लोकतंत्र किसी स्थान पर असफल होता है तो उसका कारण निर्वाचित प्रतिनिधि जितने हैं, उतने ही इसके जिम्मेदार उस देश के नागरिक भी हैं। यह बात इसलिए कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाला हरेक नागरिक जब तक अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करेगा, अधिकार की अपेक्षा नहीं रख सकता। संविधान की उद्देशिका में जो बातें कही गई हैं, वे लोकतंत्र का एक तरह से मर्म हैं। उन्हें जीवन में उतारकर ही लोकतंत्र के आलोक को भी बचाए रखा जा सकता है। महात्मा गांधी ने कभी कहा था, 'मेरे लिए लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें समाज के सबसे कमजोर तबके को भी वही अवसर मिलते हों, जो सबसे शक्तिशाली वर्ग के पास रहते हैं। वास्तविक जनतंत्र में शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाती है।' उनके इस लेख के आलोक में भी इसी बात की पुष्टि होती है कि संविधान अधिकारों और कर्तव्यों के जरिए जनतंत्र में समानता का संचार करता है।

भारतीय संविधान लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का संवाहक है। संविधान प्रदत्त मूल्यों में जाएँगे यह भी लगेगा कि यह ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना से प्रेरित है, जिसमें हरेक व्यक्ति बगैर किसी भेदभाव के समानता का अधिकार प्राप्त करे। यह हरेक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य और प्रतिभा के अनुसार विकास के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यह वंचित वर्गों के हितों की सुरक्षा का दायित्वबोध देता है तो नैतिक मूल्यों से जीवन जीने की निरंतर राह सुझाता है। संविधान में नैतिक मूल्यों से जीवन जीने की बात के भी गहरे निहितार्थ हैं– इसके भावार्थ में जाएँगे तो यह लगेगा कि संविधान ऐसी व्यवस्था का नियमन करता है, जिसमें समाज की सुरक्षा और उसके हितों की साधना का संकल्प है। बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान को पेश करते समय जो बात कही थी, वह आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, वह अंततः बुरा साबित होगा, अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अंततः अच्छा साबित होगा, अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे।

भारतीय संविधान निर्माण के बाद उसमें अब तक 127 संशोधन हो चुके हैं। समय, स्थितियों के अनुसार संविधान में यह लचीली व्यवस्था रखी गई है। संविधान का मूल आलोक यही है कि इसे इस्तेमाल करने वाले इसकी मर्यादा को समझें, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के संकल्प को याद रखें। संविधान के अधिकार और कर्तव्य इसी की याद दिलाते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथों :-

१. डॉ. भीमराव अम्बेडकर व्यक्तित्व के कुछ पहलू।

ले. मोहन सिंह, लोकभारती प्रकाशन – इलाहाबाद, पांचवा संस्करण– २०१४

२. संविधान संस्कृति और राष्ट्र।

ले. कलराज मिश्र, प्रभास प्रकाशन– नई दिल्ली, प्रथम संस्करण–२०२१

३. भारत का संविधान।

ले. डॉ. पूरण मल, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, संस्करण – २०१४

४. छछछछ छछछछछछछ छछछछछछ.

छछ छ.–छछछछछछछछछ छछछछछछछ छछछछछछछछछ, छछ. छछछछछछ छछछछ– छछछछछ छछछछछ,

छछछछछ– छछछछछ छछछछछ छछछछ–छछछछछ, छछछछ छछछछछ – छछछछछ–छछछ, छछछछछछछछछ–छछछ

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 195-199

अम्बेडकर और उनका योगदान सामाजिक न्याय व दलित उत्थान

डॉ. सरोज बाला श्याम
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शा. इन्दिरा गांधी गृह विज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल म0प्र0

शोध सारांश :-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन के महानायक अपना सम्पूर्ण जीवन, सामाजिक समानता स्थापित करने, दलितों को उसके हक दिलानें, सामाजिक-धार्मिक कुरीतियों को मिटाने, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिये, दलित स्त्रियों के विकास में अपना संम्पूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर अपने समय में देखा कि किस प्रकार मानव समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को समाज में कहीं भी स्थान नहीं है। उसे निम्न और हेय की दृष्टि से देखा जाता था। उनका दोष सिर्फ यह है, कि उनका जन्म हिन्दू समाज के निम्न समझे जाने वाले अस्पृश्य जाति में हुआ था। जिसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार बिल्कुल ही नहीं था जो पशुओं की तरह जीवन जीने के लिये मजबूर था। अम्बेडकर जी का जन्म अछूत समझे जाने वाली महार जाति में हुआ था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को बचपन से ही सामाजिक, आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा से ही भेदभाव स्कूल के बाहर रहकर पढाई करना, कक्षा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति न होना सार्वजनिक पानी को पीने का अधिकार नहीं होना। इस तरह की सामाजिक भेदभाव से बचपन से ही गुजर चुका था प्रस्तुत शोध पत्र में डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक न्याय तथा दलित उत्थान संबंधी विचारों का विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना :-

भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाजसुधारक डॉ0 भीमराव अम्बेडकर अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराईयों जैसे छुआ-छूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान गरीब दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिये संघर्ष करते रहे। डॉ भीमराव अम्बेडकर के विचार और सिद्धान्त हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। वे ऐसी सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें देश सभी को सामान राजनीतिक और सामाजिक न्यायियक अवसर दे और धर्म जाति रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाये। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में नैतिकता और सामाजिकता दो मुख्य मूल्य रहे है जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में काफी ज्यादा है। उन्होने कहा था "मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, सामानता और भाईचारा सिखाये।" उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन सामाजिक रूढ़िवादिता, जातिप्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त

करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन का परम लक्ष्य समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना करना था।' सामाजिक न्याय की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा हैं। हमारे लोकतांत्रिक समाज में इसका अर्थ और भी व्यापक हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के दो प्रमुख आधार स्तम्भ हैं जिन पर सामाजिक न्याय विचार टिका हुआ है। वास्तव में हमारे सिद्धान्तकारों के मध्य सामाजिक न्याय के अर्थ को लेकर मतैक्य का अभाव हो सकता है लेकिन सामाजिक न्याय का सार तत्व एक ही है और वह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में मानवीय गरिमा को स्वीकार किया जाये तथा मनुष्य के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाये. अर्थात किसी भी मनुष्य के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ण जन्म स्थान तथा अर्थ के आधार पर भेदभाव न किया जाये।

अध्ययन का महत्व :-

अछूतों के उत्थान संबंधी कार्य में डॉ0 अम्बेडकर एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होने अश्स्पृश्ता से उत्पन्न होने वाली निरयोग्यताओं को सहन किया और एक कर्म योग के रूप में इस समस्या पर विचार किया इसका निराकरण करने का संकल्प लिया। और इसका उन्मूलन करने के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होने अस्पृश्य समाज में होने वाले अन्याया और अत्याचार के विरूद्ध आवाज बुलंद की। उन्होने अस्पृश्यों में आत्मसम्मान और स्वालंबन उत्पन्न करने के लिये उन्हे शिक्षित बनो, संगठित रहो, और संघर्ष करो, का तीन सूत्रीय मंत्र दिया उन्होने भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा और अवसर की सामानता और बंधुत्व का मंत्र दिया। डॉ० अम्बेडकर के जीवन का लक्ष्य जहां समाज के दलित व कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना था वहीं ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विकास करना था जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। न्याय मानव समाज की एक आधारभूत आवश्यकता होती है, न्याय के अभाव में सुखी, शान्तिपूर्ण और समृद्धशील समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, आधुनिक समाज में सामाजिक न्याय अवधारणा औचित्यपूर्ण व्यक्ति की जगह औचित्यपूर्ण समाज की कल्पना करती है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर के अनुसार स्वतंत्रता और समानता के साथ—साथ भ्रातत्व भी सामाजिक न्याय का आधारभूत तत्व होता है। जब तक हमारे समाज में जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ण, लिंग एवं व्यवसाय के आधार पर सामाजिक, आर्थिक भेदभाव रहेगा तब तक हम सामाजिक न्याय की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

डॉ० अम्बेडकर ने अपने सामाजिक चिन्तन के लिए तीन महापुरूषों के विचारों को प्रेरणास्रोत बनाया था। उनमें पहले कबीर, दूसरे महात्मा ज्योतिबा फुले और तीसरे महात्मा बुद्ध थे जिनके विचारों ने अम्बेडकर के चिन्तन को सर्वाधिक प्रभावित किया। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि ''अधिकारों की रक्षा कानून के द्वारा नहीं बल्कि समाज की सामाजिक और नैतिक चेतना द्वारा की जाती है। अगर सामाजिक चेतना ऐसी है कि वह अधिकारों को मान्यता देने के लिए तैयार हैं जिन्हें अध्यादेशों को कानून लागू करता है तो अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यदि वर्ग और समुदाय द्वारा प्रबल विरोध किया जाता है तो कोई भी कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका उनकी गारंटी नहीं देती।'' दलित समाज में परिवर्तन होने लगा है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और हिन्दू समाज में सदियों से व्यापत छुआछूत की बेडियों भी टूटने लगी हैं। भारतीय दलित समस्याओं और दलित चेतना में अम्बेडकर के सिद्धांत और विचारों को आत्मसात करने में कामयाब नजर आ रहे हैं। डॉ. अम्बेडकर का मूल मंत्र ''शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो दलित चेतना में चिंगारी का काम कर रहा है और यह सर्वविदित

है कि वर्तमान में कुछ दलित उच्च स्थानों पर विराजमान हैं।

उद्देश्य :–

सामाजिक न्याय जातिप्रथा और वर्ण व्यवस्था पर डॉ0 अम्बेडकर ने कठोर प्रहार किया डॉ अम्बेडकर आधुनिक भारत के मात्र ऐसे नेता है जिन्होने अपने ग्रंथों ने न केवल अस्पृश्यों के उद्‌गम का विवेचन किया है बल्कि जातिप्रथा और वर्ण व्यवस्था को देश और हिन्दू धर्म के पतन का कारण माना है। उनके मतानुसार हिन्दू धर्म ग्रंथों पर आधारित जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था अस्पृश्यता के लिये उत्तरदायी हैं। इसलिये अस्पृश्यता के निवारण के लिये जातिप्रथा और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन अनिवार्य है। उनकी धारणा है कि जाति की संस्था का नाश ही समानता को सुनिश्चित कर सकता है। डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक न्याय व दलित उत्थान संबंधी विचारों को प्रस्तुत करना।

उपकल्पना/ आलेख का मुख्य भाग :–

डॉ० अम्बेडकर आधुनिक भारतीय इतिहास के वे युग पुरुष हैं जिन्होंने समाज से व्याप्त शोषण और अन्याय को निकटता से देखा तथा उसके उन्मूलन के लिए उन्होंने निरन्तर संघर्ष किया, उनके विचार में एक मनुष्य को दूसरे से छोटा समझना, उसका शोषण करना, उस पर अपना अधिपत्य जमाना, मानवीय मूल्यों का अपमान और ईश्वर के प्रति पाप है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक और सामाजिक न्याय के अथक सेनानी थे, वे सामाजिक न्याय के आदर्श को लोकतांत्रिक और वैधानिक ढंग से प्राप्त करना चाहते थे। डॉ० अम्बेडकर की विभिन्न रचनाएं जैसे कास्ट इन इण्डिया, एनिहिलेशन आफ कास्ट हू वेयर शूद्राज, कस्टम इन इण्डिया, और दि अनटचेबल उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जिनमें इसके प्रमाण मिलते हैं। संविधान सभा में डॉ० अम्बेडकर ने साफ शब्दों में घोषणा की थी, कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभाषी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप जहां सभी नागरिक समान होंगे अर्थात राजनीति में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धान्त प्रचलित होगा। परन्तु हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में अब भी समान मूल्य के सिद्धान्त को स्वीकार करने से इन्कार कर रहे होंगे जिसके परिणामस्वरूप देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता का जन्म होगा जिससे अन्ततः हमारी एकता, अखण्डता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय खतरे में पड़ जायेगा।

अतः डॉ भीमराव अम्बेडकर ने स्त्रियों के जीवन में कई अमूल परिवर्तन करने के पक्षधर थे। महिलाओं में चेतना लाने उनमें जागृति उत्पन्न करने एवं प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए समय–समय पर उन्होंने अनेक आन्दोलन किये। उन्होंने स्वतन्त्र भारत के नागरिकों को अनमोल संविधान के द्वारा बिना भेदभाव किए स्त्री–पुरुष को समान रूप से मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता व समानता के अधिकार तो प्रदान किए ही साथ ही स्त्रियों के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में स्थिति को सुधारने के अनेकों कानून एवं अधिनियम भी पारित कराये। डॉ० अम्बेडकर ने दलित व कमजोर वर्गों के हितो के लिए केवल संघर्ष ही नहीं किया अपितु सार्वजनिक पदों पर काम करने का जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने सभी कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना का कार्य किया। उन्होंने बम्बई की एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा– ''नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है, नारी को जागृत किये बिना राष्ट्र का विकास का विकास सम्भव नहीं है। अम्बेडकर एक विचारक, समाज सुधारक और संविधान विद मात्र नहीं थे, वे एक युग

का प्रतिनिधित्व करते थे अम्बेडकर ने दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेको आन्दोलन किये अम्बेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता की समस्या की जड़ जाति व्यवस्था में है और इसका निराकरण धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था को मनुष्य के व्यय में परिवर्तित करके करना चाहते है। इसका निराकरण समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू करके किया जा सकता है।

निष्कर्ष :–

जहां पर सैधान्तिक रूप से सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास किया गया है और हमें व्यवहारिकता प्रदान करना होगा तभी डॉ० अम्बेडकर द्वारा बताये गये सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना सम्भव होगी। इस प्रकार निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि दलितों को राजनैतिक रूप से जागरूक करने का कार्य डॉ० अम्बेडकर ने किया था उनका मानना था कि जाति व्यवस्था ही सामाजिक न्याय की स्थापना की राह में सबसे बड़ी बाधा है सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम राजनैतिक सत्ता ही है, स्वतन्त्रता के बाद का अनुभव हमें यह बताता है कि दलित समाज की स्थिति सुधारने के अभियान में राजनीतिक सत्ता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दलितों को उन्हों अपने अधिकार को प्रेरित करने का काम भी डॉ० अम्बेडकर ने ही किया, जिसके लिए उनका अनेकों भारतीय नेताओं से मतभेद भी हुआ। लेकिन अन्ततः उनके विचारों की विजय हुई। डॉ० अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की संकल्पना एक सच्चे लोकतंत्र, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता के ऐसे दर्शन पर आधारित है जिसमें बंधुत्व की भावना हो और सभी का सम्मान हो अतः हमें समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपनी सामंती और अभिजनवादी सोच को बदलना होगा और इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि वास्तव में सामाजिक न्याय की स्थापना के मार्ग में कौन–कौन सी बाधाएं हैं, और उन्हें हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं जिससे सामाजिक न्याय पर आधारित आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सके।

भारतीय समाज की स्थिति सुधारने के लिये अनेक आन्दोलन किये गये तथा कुछ हद तक उनकी स्थिति में सुधार भी आया। आज दलित वर्ग की थोड़ी बहुत उन्नति हुई है आज दलित वर्ग की स्थिति सुधरी सी नजर आती है। उसका श्रेय डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को जाता है। बपचन में छुआ–छूत का शिकार होने के कारण उनके जीवन का अधिकांश समय संघर्ष करने में व्यतीत हुआ। उन्होने पिछड़े वर्गो के लोगों को न्याय समानता और अधिकार दिलाने के लिये अपने जीवन को देश प्रेम के प्रति समर्पित कर दिया उनके चिंतन का क्षेत्र मुख्यतः सामाजिक न्याय की समस्या थी इसलिये स्वभाविक है उन्होने मूलतः इसी दृष्टि से राजनैतिक विषयों पर विचार किया था। वह अपने सार्वजनिक जीवन में दलितों को सामाजिक राजनैतिक आर्थिक न्याय दिलाना चाहते थे। भारत रत्न से अलंकृत भीमराव अम्बेडकर का अथक योगदान सामाजिक न्याय और दलित उत्थान में कभी नहीं भुलाया जा सकता। धन्य है वह भारत भूमि जिसने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारतीय राजनीतिक विचारक डॉ0 जगदीप सिंह।
2. इण्डियन पॉलिटिक्स थिंकर्स (डॉ0 एस.एस. नन्दा एड वी.के. पुरी)
3. भारतीय राजनीतिक विचारक डॉ0 आदित्य वीर।
4. आधुनिक राजनीतिक चिंतक राजवीर सिंह।

5. सिंह वृजमोहन समकालीन समाज में दलित नील कमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. मलपूरण डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जीवन एवं विचार प्वाईन्टस् पब्लिशर्ज, जयपुर।
7. सिंह रामगोपाल डॉ0 अम्बेडकर सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन नेशनल पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली।
8. कीर धनन्जय डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरित्र।
9. भाटिया के0 एल0 सोशल जस्टिस ऑफ अम्बेडकर नेशनल, नई दिल्ली।
10. डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक चिंतन, जोधपुर।
11. गुप्ता एस0 के0 आधुनिक भारत शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
12. गुप्ता शिव प्रकाश – भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति और विचार राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
13. अम्बेडकर वी0आर0– अस्पृश्यता म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

पत्राचार का पूर्ण पता
डॉ0 सरोज बाला श्याम
अशोक भवन सरस्वती स्कूल के पास
वार्ड नं0–06, (09) पाण्डव नगर
जिला–शहडोल (म0प्र0) पिन–484001
मो0नं0–8839635750
ई–मेल–sarojbhalavi17@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 200-204

समाजशास्त्री के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर : एक विश्लेषण

कौशलेंद्र कुमार
शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

परिचय :-

सामाजिक असमानता और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले, महान व्यक्तित्व के धनी डॉ. भीमराव अम्बेडकर समाज सुधारक एवं न्यायविद् होने के साथ–साथ प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, लेखक, दार्शनिक, बहु–भाषाविद, धर्म–दर्शन और अर्थशास्त्र के विद्वान की थे। उनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था। चूंकि, महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा 'अछूत' के रूप में देखा जाता था, इसलिए उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

डॉ. अम्बेडकर एक सच्चे देश भक्त और राष्ट्रवादी नेता थे। उनके अनुसार देश के विकास में जाति–व्यवस्था सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए उनका मानना था कि जाति आधारित अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है, अर्थात समग्रता में जाति–व्यवस्था का उन्मूलन।

डॉ० अम्बेडकर का लोकतंत्र से भी गहरा संबंध रहा है। उनके अनुसार लोकतंत्र का महत्त्व व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी उतना ही है जितना राजनीतिक क्षेत्र में। वे लोकतंत्र को एक 'जीवन–पद्धति' के रूप में महत्व देते हैं। लोकतंत्र श्रेष्ठ है क्योंकि यह व्यक्ति एवं समाज की स्वतंत्रता में अभिवृद्धि करता है। उन्होंने लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का समर्थन किया है।

डॉ. अम्बेडकर एक महान देश भक्त होने के नाते भारतीय समाज के सभी पक्षों एवं समस्याओं का समाजशास्त्रीय जरिए से अध्ययन एवं अवलोकन कर इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए वे अस्पृश्यता को समाप्त करने का एक समग्र कार्यक्रम जिसमें सामाजिक स्तर पर शिक्षा, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक संगठन, आजीविका के स्तर पर नए साधन और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मविश्वास को प्रस्तुत करते हैं।

मूल आलेख :–

सामाजिक जीवन और संबंधित घटनाओं का अध्ययन ही सामान्यतः समाज शास्त्र कहलाता है। अधिकांश समाज शास्त्री सामाजिक संबंधों, कार्यों एवं घटनाओं के साथ–साथ उनके स्वरूपों के अध्ययन को समाजशास्त्र की संज्ञा देते हैं। इस संदर्भ में एक, उल्लेखनीय समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल के अनुसार, 'समाजशास्त्र मानवीय

अन्तर्राम्बंधों के स्वरूपों का विज्ञान है।' इसलिए यह कहना उचित होगा कि समाजशास्त्र वह समाज विज्ञान है जो कि समाज में मनुस्यों के संबंधों, उनके रूपों, प्रकारों, क्रियाओं, घटनाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि, 'समाजशास्त्र निश्चित ही मनुष्य और उसकी सामाजिक स्थिति का एक व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन है जो यथार्थ रूप में उनका अवलोकन और विश्लेषण करता है।'(1)

'चूंकि, समाजशास्त्र की प्रणाली वैज्ञानिक है अर्थात समाजशास्त्र वस्तुगत तथा विश्लेषणात्मक विज्ञान है, जिसके तहत सामाजिक संबंधों का तथ्यात्मक रूप में वर्णन किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव जीवन की सामाजिक घटनाओं का क्रमिक एवं व्यवस्थित अध्ययन समाज शास्त्र करता है। अर्थात समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं के संरचनात्मक और क्रियात्मक पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। अतः वह एक तथ्यात्मक विज्ञान है।'(2)

वहीं, 'समाज शास्त्र से भिन्न, एक अन्य विद्या समाज दर्शन है, जिसमें सामाजिक जीवन, स्थितियों एवं घटनाओं का अध्ययन तथ्यात्मक ढंग से न करके, मूल्यात्मक एवं आदर्शात्मक रूप किया जाता है। मानव के परम आदर्श अथवा सर्वोच्च मूल्यों के प्रकाश में सामाजिक क्रिया–कलापों का अध्ययन समाज दर्शन के तहत किया जाता है। समाज दर्शन की प्रणाली दार्शनिक एवं नैतिक होती है जिसमें सहज ज्ञान, बुद्धि तथा तर्क की सहायता से एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें सभी सामाजिक घटनाओं को सम्पूर्णता में मूल्यांकित किया जाता है। समाजदर्शन यह निर्धारित करता है कि मानव का विश्व में क्या स्थान और कर्तव्य है। समाज दर्शन में मूख्यतः मूल्यात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार समाजास्त की तुलना में, समाज दर्शन केवल वर्णनात्मक न होकर समीक्षात्मक और आदर्शात्मक भी है।'(3)

समाज शास्त्र और समाज दर्शन के उपर्युक्त स्वरूप से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर न केवल एक समाज शास्त्री थे बल्कि एक समाज दार्शनिक भी थे, क्योंकि उन्होंने तथ्यात्मक तथा मूल्यात्मक दोनों ही रूपों में भारतीय समाज का अध्ययन किया। वे समाज का तथ्यपरक अध्ययन करते हुए यह जाँच–पड़ताल भी किये कि सामाजिक संबंधों में न्याय तथा सामाजिक उपयोगिता कहाँ तक मिलती है। डॉ० अम्बेडकर ने भारतीय समाज का अध्ययन स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्वकी कसौटी पर किया है ताकि वर्णन और मूल्यांकनदोनों साथ हो सके। एक समाज शास्त्री के रूप में डॉ. अंबेडकर ने भारत की सामाजिक स्थिति का व्यापक एवं बेबाक तथ्यपरक विश्लेषण किया और साथ ही एक समाज दार्शनिक होने के नाते उसके प्रयोजन तथा अर्थ भी खोजा।'(4)

जब हम भारत के संदर्भ में समाज शास्त्र की बात करते हैं तो इसके अन्तर्गत मुख्यतः सामाजिक संगठन, धर्म, वर्ण, उपक्रम, जाति, सभ्यता, संस्कृति, अस्पृश्यता, परिवार, विवाह, गांवआदि का अध्ययन किया जाता है। डॉ. अंबेडकर ने इन सभी संस्थाओं का अध्ययन समाज शास्त्रीय पद्धति से किया है, अर्थात् उनका विश्लेषण पहले तो तथ्यात्मक रूप में किया और फिर उसका मूल्यांकन तथा समीक्षा किया। डॉ. अम्बेडकर ने इन सभी सामाजिक संस्थाओं का वस्तुगत तथा व्यवस्थित ढंग से मूल्यांकान कर यह खोजा कि कौन सी समाजिक संस्थाओं जैसे– वर्ण, जाति तथा आश्रम आदि में क्या–क्या दोष हैं और उनके कारण मानव संबंधों एवं जीवन स्तर में किस प्रकार गिरावट आई। उदाहरण के लिए वर्ण तथा जाति के संदर्भ में डॉ. अंबेडकर की दो कृतियों– 'भारत में जाति प्रथा' एवं 'जाति प्रथा उन्मूलन' यह सिद्ध करती है कि उन्होंने समाज शास्त्रीय दृष्टि से यहां की

सामाजिक स्थिति और मानवीय संबंधों का सार्थक एवं गंभीर विश्लेषण किया है।

चूकि, :समाज शास्त्त और समाज दर्शन एक–दूसरे के पूरक है। एफ० जे० रायट ने कहा है, 'समाज शास्त्र व्यावहारिक समाज विज्ञान है, समाज दर्शन इस व्यवहार के उचित–अनुचित होने का विचार है। 'यह कथन डॉ. अंबेडकर की कृतियों में स्पष्ट होता है, अर्थात् उनमें समाज शास्त्रीय विश्लेषण के साथ–साथ सामाजिक दार्शनिक विवेचन भी संलग्न हैं।'(5)

भारतीय समाज का संरचनात्मक स्वरूप बहुत ही विलक्षण है। हम देखते हैं कि भारत के सामाजिक इतिहास में वर्ण व्यवस्था का अत्यधिक महत्व है क्योंकि उसी से व्यक्ति, परिवार और समाज के कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं। भारतीय समाज में जाति का मूल जड़ वर्ण–व्यवस्था ही है। जन्म से मरण–पर्यंत प्रत्येक हिंदी व्यक्ति के विभिन्न संस्कार वर्ण–भेद के अनुसार ही चलते आए हैं। यहां तक कि भारतीय समाज में राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक संगठनों की रूप रेखाएं वर्ण–व्यवस्था द्वारा ही निर्धारित की गई है।

'कहा जाता है कि वर्ण का वर्गीकरण समाज की सुव्यवस्था के लिए किया गया था, लेकिन कर्तव्य तथा अधिकारों के विभाजन में जो अन्याय तथा भेदभाव किया गया, उससे वर्ण–व्यवस्था की अवनति होना ही था। डॉ. अम्बेडकर वर्ण–व्यवस्था को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जो उनकी कृतियों– 'जाति–प्रथा का उन्मूलन, 'हिन्दुत्व का दर्शन', 'शुद्रों की खोज' आदि से प्रमाणित होता है।'(6)

'डॉ. अम्बेडकर ने वर्ण–व्यवस्था को किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना है। वर्ण–व्यवस्था जन्मानुसार व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं योग्यता में आबद्ध हो गई जिसके कारण कालांतर में उसका कोई सुनिश्चित स्वरूप और आदर्श नहीं रह पाया। जन्म से ही ब्राह्मण, भले ही वह मूर्ख हो, जन्म से ही क्षत्रिय भले ही वह उरपोक हो, जन्म से ही वैश्य भले ही वह भीख मांगता हो, और शूद्र भी जन्म से ही भले ही वह निपुण, सबल और कमाऊ क्यों न हो। फलतः पूरा भारतीय समाज वर्ण–विभाजन विभाजन के स्थान पर जाति–विभाजन की स्थिति में आ गया जिसके कारण हम सब ऊंच–नीच, निकृष्ट, भेद–भाव, अन्याय, शोषण आदि के शिकार हो गए। स्पष्ट है कि डॉ. अंबेडकर ने वर्ण–व्यवस्था को समाज शास्त्रीय पद्धति से अवलोकन कर उसका समाज के समक्ष एक तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया।'(7)

'भारतीय समाज में अस्पृश्यता एक ऐसा कलंक है जिसे विधिक तथा संविधानिक रूप में तो मिटा दिया गया है, लेकिन व्यवहार में वह आज भी अनेक रूपों में प्रदर्शित होता है। कहा जाता है कि वेदकालीन समाज में किसी भी वर्ण के लिए 'अस्पृश्य' का व्यवहार नहीं था। उपनिषद् काल में चाण्डाल आदि का उल्लेख है, जिन्हें कालांतर में अस्पृश्य माना जाने लगा। वस्तुतः अस्पृश्यता की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं, किंतु स्मृतिकाल में अत्यंत निकृष्ट कार्य करने वालों को अस्पृश्य कहा गया जिनको देखना, छूना तथा उनका साया भी सवर्ग लोगों को अपवित्र कर देता था।'(8)

'निस्संदेह अस्पृश्यता हमारी समाज व्यवस्था की एक निकृष्ट बुराई है। इसकी उत्पत्ति के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ 'अछूत कौन और कैसे?' में इन तथ्यों की खोज कि –(1) हिन्दू एवं अछूतों में कोई नस्ल–भेद नहीं है, (2) अस्पृश्यता से पहले उनके बीच केवल सामुदायिक एवं बिखरेपन की भिन्नता थी और केवल बिखरे लोग ही अस्पृश्य बने। (3) जिस प्रकार अस्पृश्यता का कोई नस्ली आधार नहीं है, उसी प्रकार कोई व्यावसायिक आधार भी नहीं है। और (4) केवल दो तथ्यों के कारण अस्पृश्यता का प्रादुर्भाव हुआ – (क) बाह्मणों

द्वारा बौद्धों के रूप में बिखरे लोगों के प्रति घृणा की भावना और (ख) गोमांस का बिखरे लोगों द्वारा उपभोग करते रहना।'[9]

स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर ने वर्ण, जाति और अस्पृश्यता का जो अध्ययन, निरीक्षण तथा विश्लेषण किया वह बहुत ही सारगर्भित समाजशास्त्रीय महत्व का है। डॉ. अम्बेडकर ने संबंधित तथ्यों की खोज के साथ–साथ उनके अर्थ एवं प्रयोजन का विवेचन भी किया। समाजशास्त्रीय विधियों एवं खोजों का उल्लेख उनकी कृतियों में विस्तार से देखने को मिलता है। वर्ण, जाति एवं अस्पृश्यता के विवेचन में डॉ. अम्बेडकर ने यह संकेत अवश्य दिया है कि ये तीनों हिन्दू समाज व्यवस्था के क्रमिक अंग है और उनमें अब इतना अंतः सबंध स्थापित हो चुका है कि जो स्त्री–पुरुष उन जातियों में जन्म लेते हैं, जिसे अपवित्र तथा गंदी कहा जाता है, तो वे भी जातिगत आधार पर अस्पृश्य ही मानी जाती है। वस्तुतः अस्पृश्यता को शूद्र–अछूत, अतिशुद्र, और गांधी के हरिजनों के साथ इस भावना से जोड़ दिया गया है कि ये निकृष्ट एवं गंदा ढोने का कार्य करते हैं। किंतु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य अथवा तथाकथित उच्च जातियों के स्त्री–पुरुष निकृष्ट तथा दुष्कर्म करते हैं, तो उन्हें अस्पृश्य क्यों नहीं माना जाता?[10]

जब हिन्दू समाज, धर्म और दर्शन में कर्म–प्रधान है तो फिर गुण–कर्म से ही प्रत्येक हिन्दू की सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा को क्यों मूल्यांकित नही किया जाता? आज वर्तमान में विधि के समक्ष सभी भारतीय स्त्री–पुरुष समान समझे जाते हैं, तो फिर क्यों उन्हें जन्म के आधार पर ऊँच–नीच, छूत–अछूत, सवर्ण–अवर्ण आदि माना जाता है? क्या वर्ण, जाति तथा अस्पृश्यता की तीन मूर्ति को किसी भी तरह छिन्न–भिन्न कर मिटाया जा सकता है? यह समाजशास्त्रियों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉ. अम्बेडकर जैसे विध्वंसक यदि समाज में पैदा होते रहें, तो संभवतः ऐसा युग आ सकता है जहाँ जातिविहीन समाज की स्थापना का स्वप्न साकार हो सकेगा।'[11]

'भारत में जातिवाद का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि, 'जाति, नहीं श्रम विभाजन पर आधारित है और न ही प्राकृतिक क्षमताओं पर। जाति, व्यक्तियों के मौलिक क्षमता और प्रशिक्षण को अलग कर उनके कार्य का निर्धारण केवल जन्म से ही कर देती है। अर्थात जाति–पांति का निर्धारण जन्म और माता–पिता के सामाजिक दर्जे पर किया जाता है। जाति–व्यवस्था में कुंठाएं जन्म देने वाली विषैले सिद्धांत समाहित है। जाति को नियति का खेल मानना एक दृढ़ भ्रांति का प्रतिक है और यह निम्न वर्ग के लोगों की प्रगति में बाधक हैं। डॉ. अम्बेडकर अपने समाजशास्त्रीय खोज एवं अध्ययन द्वारा ठोस तर्क देकर सिद्ध किया कि चतुर्वर्ण और जाति–प्रथा के कारण ही भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या स्थायी रूप से अक्षम होकर पिछड़ गयी है।'[12]

'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' नामक अपनी पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर लिखते हैं कि, 'मैं निस्संशय यह कह सकता हूँ कि समाज व्यवस्था को बदले बगैर प्रगति संभव नहीं है। इसके किए बगैर समाज रक्षा अथवा अभिक्रमण के लिए भी तैयार नहीं किया जा सकता। जाति–प्रथा की नींव पर कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता। न तो राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और ना ही नैतिकता का। जाति–प्रथा की नींव पर जो कुछ भी बनाया जायेगा उसमें दरारें पड़ जायेंगे, वह कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा।'[13]

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार समाज की रचना समता एक स्वतंत्रता पर होनी चाहिए न कि पारंपरिक वर्ण

अथवा जाति व्यवस्था पर। समाज की नींव में नैतिकता को भी वे प्राथमिक मानते थे और नैतिकता को ही अपने सारे कार्यों का आधार बनाया। डॉ. अम्बेडकर एक महान् विद्वान, ज्ञानी, विचारक और दृष्टा थे। वह दलितों का मसीहा थे। हमारे समाज के लिए उनका अवदान गुरुतर है। उनका जीवन और संघर्ष यह दर्शाता है कि साहस पूर्वक एवं सेवाभाव से निरंतर कर्मरत हुआ व्यक्ति ही महान बनता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज का हो। समाज की गंदी और सड़ी–गली बुराइयों एवं प्रथाओं का अंत करना महान व्यक्ति का ध्येय होता है।

निष्कर्ष :–

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि, डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज का अवलोकन कर सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अनुसंधान तथा विश्लेषण किया और उसके आधार पर वर्ग, जाति, आश्रम, छुआछूत, परिवार, विवाह, धर्म, संस्कार आदि का समाजशास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया। सामान्यतः भारत में जब कोई शूद्र–अछूत सामाजिक अनुसंधान और विश्लेषण करता है, तो उस पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि वह हिन्दू धर्म, समाज तथा शास्त्रों का प्रतिरोधी है, लेकिन यह तुच्छ मनोवृति की एक अभिव्यक्ति है। डॉ. अम्बेडकर की समस्त कृतियों में भारतीय तथा हिन्दू समाज का तथ्यात्मक विश्लेषण मिलता है जो उन्हें सबसे बड़ा समाज शास्त्री एवं समाज वैज्ञानिक सिद्ध करता है। अतः डॉ. अम्बेडकर न केवल विधिवेता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, अधिवक्ता, शिक्षाशास्त्री आदि है बल्कि एक महान समाज शास्त्री भी हैं।

संदर्भ सूची :–

1. डॉ. डी. आर. जाटव– डॉ. अंबेडकर के समाज शास्त्रीय विचार–2015, समता साहित्य सदन, जयपुर, पृ. 14
2. वही, पृ. 15
3. वही, पृ. 15
4. वही, पृ. 16
5. वही, पृ. 17
6. वही, पृ. 19
7. वही, पृ. 22
8. वही, पृ. 37
9. वही, पृ. 38
10. वही, पृ. 39
11. वही, पृ. 40
12. डॉ. डी. आर. जाटव– डॉ. अंबेडकर : एक प्रखर विद्रोही (2004), एबिडी पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 30
13. डॉ. बी. आर. अंबेडकर : एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1944), पृ .55

पता – 91/237, पाल हाउस, राजपुरा, नई दिल्ली – 110007
मो. न.– 8800327595

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 205-210

सामाजिक समस्याएँ और पत्रकार अम्बेडकर

अक्षय सभरवाल,

अनुज कुमार

पीएच.डी. हिन्दी शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

समस्या एक ऐसा शब्द है जिससे मानव जीवन का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रहा है। इस दृष्टि से समस्या शब्द अत्यधिक जटिल और गूढ़ है। दुनिया का ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो समस्या से मुक्त हो। प्रत्येक समाज किसी–न–किसी गंभीर समस्या से ग्रस्त है। राब और सेल्जनिक ने सामाजिक समस्या के संदर्भ में लिखा है– "सामाजिक समस्या एक मानवीय सम्बन्धों की समस्या है जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है अथवा जो व्यक्ति की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बधाएं पैदा करती है।"[1] समाज मानवीय सम्बन्धों पर आधारित एक संगठित व्यवस्था है। ऐसे में जब उसे समस्या का ग्रहण लगता है तो उसके विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बाबा साहेब ने भी समाज की संकल्पना में समभाव के महत्व पर अत्यधिक बल दिया है, यह समभाव ही आगे चल कर समाज के राष्ट्र में परिणत होने का महत्वपूर्ण कारक बनता है।

भारतीय समाज को देखा जाए तो वह मानव निर्मित वर्ण–व्यवस्था जिसका विकृत रूप जाति–व्यवस्था है, से ग्रस्त है। इस अप्राकृतिक व्यवस्था ने मनुष्य को मनुष्य के रूप में न स्वीकार कर उसे एक जाति के पदानुक्रम रूप में स्वीकार किया। जाति का प्रश्न और उससे मुक्ति के प्रयास का एक लंबा इतिहास रहा है। आदिकाल में सिद्धों और नाथों ने भी जातिव्यवस्था की जड़ों को खोदकर लोक कल्याण की भावना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जिसमें उनकी रूढ़िवादी परम्पराओं के विरोधी स्वर मुखर हैं। भक्तिकाल तक आते–आते वर्ण–व्यवस्था के साथ–साथ धार्मिक–पाखंड, अंधविश्वास, ऊंच–नीच, सांप्रदायिक उन्माद आदि का खंडन कबीर, रैदास, नामदेव जैसे संतों ने खुलकर किया। वर्ण–व्यवस्था के इसी विरोध को फुले और डॉ. अंबेडकर ने अपने गंभीर चिंतन से सींच कर एक ऐसे वैकल्पिक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो समता पर आधारित हो। आजादी से पूर्व दलित समाज की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए प्रो. श्यौराज सिंह 'बेचौन' ने लिखा है– "दलित समाज दोहरी गुलामी सह रहा था। अंग्रेजों ने दलित–गैर–दलित सभी भारतीयों को राजनैतिक सत्ता के दम पर अपने अधीन कर रखा था। दलितों को स्वदेशी स्पृश्य हिंदुओं ने जाति–भेद की सत्ता के नीचे दबा रखा था। अस्पृश्यता, बहिष्कार और अपमान का शिकार देश का लगभग एक–चौथाई हिस्सा हर प्रकार के मानव–अधिकारों से वंचित था।"[2] आज जिसे दलित समाज कहा जाता है उसकी दुर्दशा का एक मात्र कारण जाति व्यवस्था ही रही है।

समाज को उसकी समस्याओं से सीधे अवगत कराते हुए उसके निराकरण के मार्ग खोजने एवं उन पर

गहरे चिंतन करने के लिए बाध्य करने का काम ही पत्रकारिता का मूल है। आजादी से पूर्व भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रकारिता पर एकाधिकार की बात करें तो उस पर तथाकथित उच्च जाति का वर्चस्व था। जिसके फलस्वरूप दलित समाज की समस्याओं पर चर्चा के लिए उसमें स्थान तक नहीं मिल पा रहा था। "1980 में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले की मृत्यु हुई और 1891 में डॉ० अंबेडकर का जन्म हुआ, फूले के सामाजिक कार्यों की परंपरा में संत गाडगे, छत्रपति शाहू महाराज, गुरुवर विठल राम जी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटिल जैसे सामाजिक नेताओं की शृंखला में डॉ० अम्बेडकर एक मजबूत नेता थे।"[3] बाबा साहेब से पहले की वह पत्रकारिता जो दलितों के प्रश्न उठाती रही थी जीर्ण–शीर्ण हो अब सुप्त अवस्था में चली गई थी। मुख्यधारा की पत्रकारिता दलितों के प्रश्नों को न तो स्थान दे रही थी न ही उनके आंदोलनों की कोई सकारात्मक या स्वस्थ आलोचना कर रही थी इसके विपरीत वह बाबा साहेब के सामाजिक कार्यों एवं वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर नकारात्मक ढंग से पेश कर रही थी। साथ ही उन पर आए दिन होने वाले अत्याचारों को भी स्थान तक नहीं दे रही थी। तत्कालीन अखबारों में डॉ. अम्बेडकर के विरुद्ध टीका–टिप्पणी भी प्रकाशित होती रहती थीं। अतः डॉ. अम्बेडकर ने उनका जवाब देने के लिए, अपने आंदोलन की सूचना समाज तक पहुंचाने और उसमें जागृति की लौं जलाने के लिए पत्रकारिता की जरूरत को महसूस किया और उन्होंने 31 जनवरी, 1920 को मराठी पाक्षिक 'मूकनायक' का प्रवेशांक निकाला और उसके 'मनोगत' शीर्षक के अंतर्गत लिखा– "बम्बई इलाके से निकलने वाले समाचार पत्रों को निहारने से ऐसा दिखाई देता है कि उनमें अधिसंख्य समाचार पत्र विशिष्ट जातियों के हित साधन करने वाले हैं। इतर जातियों के हितों की उनको परवाह नहीं है।"[4]

जिस निष्पक्षता और तटस्थता की पत्रकारिता से दरकार थी जो उसका नैतिक धर्म होता है बाबा साहेब उसे पत्रकारिता जगत से विलुप्त पा रहे थे। इस कारण उन्हें अपने लोगों के लिए जागृति का बिगुल बजाने व उनके स्वराज संबंधी विचारों को समाज के सामने लाने के लिए स्वयं आगे आना पड़ा। किन्तु जरूरत के मुताबिक धन न होने के कारण वह कुछ समय चिंतित अवश्य रहे किन्तु उनकी समस्या का हल छत्रपती साहू जी महाराज ने किया और यह कहा कि "बहिष्कृत और पिछड़ी, शूद्र, अति शूद्र जातियों को अम्बेडकर के रूप में उनका नेता मिल गया है। अम्बेडकर की बातों पर ध्यान दो, उनके नेतृत्व में संगठित हो जाओ, उनका अखबार घर–घर ले कर जाओ।"[5] साहू जी महाराज बाबा साहेब के व्यक्तित्व में एक सच्चे पत्रकार की उन संभावनाओं को देख रहे थे जो समाज में जागृति ला कर नए राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती थीं।

डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता पर बात की जाए तो उनके राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और जाति संबंधी विचार स्पष्ट थे। उनकी दृष्टि में हिन्दू धर्म में व्याप्त वर्ण आधारित जाति–व्यवस्था समतामूलक समाज की निर्मिति में एक बाधा है। उनके अनुसार– "हिंदुओं की नीति और आचार पर जाति–प्रथा का प्रभाव अत्यधिक सोचनीय है। जाति–प्रथा ने जन–चेतना को नष्ट कर दिया है। गुणों का आधार भी जाति है और नैतिकता का आधार भी जाति ही है।"[6] मूकनायक के 'मनोगत' शीर्षक से लिखे गए संपादकीय में उन्होंने इस सामाजिक अमानवीय व्यवस्था का एक मीनार के रूपक के माध्यम से बड़े ही तार्किक ढंग से खंडन कर अपने विचार को जनता तक पहुंचाया है जो सहज ही उन्हें इस समस्या पर पुनः नए सिरे से विचारने को विवश करता है।

हम तदयुगीन समाज पर नजर डालें तो वहाँ जातिवादी मानसिकता का दंश तो है ही जिसे बहिष्कृत

समाज झेल रहा था साथ ही साथ यह जातिवाद से उपजी एक पूर्व निर्धारित औसत मानसिकता पत्रकारिता के क्षेत्र तक में चली आयी थी जिससे पत्रकार अम्बेडकर को अपने लगभग 35 वर्ष की पत्रकारिता के काल में लगातार दो–चार होना पड़ा। इसका जिक्र करते हुए बाबा साहेब ने लिखा "हमें अच्छी तरह स्मरण है 1919 में जब हमने 'मूकनायक' शुरू करने के लिए निशुल्क विज्ञापन छापने के लिए केसरीकार से विनती की थी, तब उन्होंने हमारी विनती को उपेक्षा पूर्ण ढंग से नकार दिया था। उसके बाद हमनें कहा था की पैसे लो और हमारा विज्ञापन छाप दो तब कहा था कि हमारे अखबार में जगह नहीं है और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, बल्कि भेंट करने से भी मना कर दिया। ऐसे केसरी को हम कोड़ी बराबर महत्व क्यों दें।"[7] फ्रांसीसी विचारक 'माजिनी' ने कहा था कि विचारों में शक्ति होती है, अच्छे और महान विचार कभी नहीं मरते परंतु बाबा साहेब का विश्वास था कि यदि अच्छे और जागृति लाने वाले महान विचारों का भी यदि प्रचार–प्रसार ना किया जाए तो वह भी मर सकते हैं। इस बात को हम बाबा साहेब कि सजग पत्रकारिता दृष्टि एवं संसाधनों के सदुपयोग में निहित उच्च नैतिक आदर्श एवं विशुद्ध वैज्ञानिकता पर आधारित तार्किक क्षमता के साथ जोड़ कर देख सकते हैं।

सदियों से चली आ रही बहिष्कृतों की सामाजिक दासता व औपनिवेशिक शासन की परतंत्रता ने भारतीयों से उनके आत्मगौरव के भाव को व दलितों को दोहरी गुलामी ने आत्मसम्मान विहीन बना दिया था। बाबा साहेब इस बात को अच्छे से समझते थे। तभी तो उन्होंने 'सिंह प्रतिबिंब' व 'उन्नति तृष्णा' शीर्षक से संपादकीय लिख कर बहिष्कृत समाज व भारतीय समाज दोनों को एक स्वर में संबोधित करते हुए आत्मसम्मान, आत्मबोध जगाने का कार्य किया व राष्ट्र–उन्नति के लिए व्यक्ति चेतना के महत्व को समझते हुए अपनी लेखनी चलायी। क्योंकि वह जानते थे किसी माज की संकल्पना व्यक्ति–परिकल्पना की परिधि के बाहर नहीं की जा सकती है। एक उन्नत समाज की संकल्पना का आधार एक उत्तम व्यक्तित्व के निर्माण की इकाइयों की निर्मिति द्वारा ही संभव है।

मूकनायक पत्र के अंकों में उन्होंने तर्क सहित स्पृश्य जातियों की ब्रिटिश सरकार से स्वराज्य की मांग को बहिष्कृत समाज के ऊपर राज के रूप में विश्लेषित किया है। 28 फरवरी, 1920 के अंक 3 के संपादकीय में उन्होंने स्वराजवादियों पर टिप्पणी करते हुए लिखा– "एक देश को दूसरे देश पर राज क्यों करना चाहिए? ऐसा प्रश्न ब्राह्मण वृंद उठाने वाले हैं। अगर ब्रिटिश लोगों ने भरी सभा में यह पूछा कि एक वर्ग (जाति) का दूसरे वर्ग पर साम्राज्य क्यों स्थापित रहे तब कालिख पुते हुए मुंह से तुम्हें क्या कहना चाहिए?"[8]

हम देख सकते हैं कि डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता केवल सूचनापरक नहीं थी अपितु वह प्रश्नसूचक शैली में आगे बढ़ती थी और प्रश्नसूचक शैली पाठक को चिंतन–मनन करने पर मजबूर करती है। उसमें समतामूलक और राष्ट्र को मजबूत करने वाला विचार सदैव मौजूद रहता था। आज 'हम एक राष्ट्र हैं' का नारा सबसे अधिक बुलंद आवाज में दिया जा रहा है। उसके संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है– "हिन्दू राष्ट्र एक जीव होने के लिए राष्ट्र में जाति–भेद और धर्म भेद खत्म हुए बगैर हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनना मुश्किल है।"[9]

इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता भारतीय समाज की जाति–व्यवस्था से मुठभेड़ करती हुई नजर आती है। इस पत्र ने शिक्षण, जागृति और दलित पत्रकारिता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में उन्होंने 3 अप्रैल, 1927 को मराठी पाक्षिक पत्रिका 'बहिष्कृत भारत' और 4 सितंबर 1927 को 'समता' का

सम्पादन किया। यही पत्र आगे चलकर 24 नवंबर, 1930 को 'जनता' नामक साप्ताहिक पत्र और फिर 'प्रबुद्ध भारत' नाम से संपादित हुआ। 'बहिष्कृत भारत' के संदर्भ में डॉ. रामशंकर ने लिखा है– "'बहिष्कृत भारत' की पत्रकारिता विचारपक्ष को समग्रता में जीवित रखने, विरोधी पक्ष के साथ बौद्धिक, तार्किक व प्रमाणिक संवाद स्थापित करने और प्रतिक्रियाओं का संतुलित विवेक से उत्तर देने का ऐतिहासिक दस्तावेज है।"[10]

10 मार्च, 1927 को महाड़ सत्याग्रह आंदोलन हुआ जिसमें अस्पृश्य समाज के लोगों ने 'चवदार' तालाब का पानी पिया। इस पर स्पृश्य समाज द्वारा जो हँगामा खड़ा किया गया और उसके उपरांत 'चवदार' तालाब का जो शुद्धिकरण किया गया। इस पर डॉ. अम्बेडकर को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि इस बीमारी का इलाज इतना आसान नहीं है। महाड़ में हुई इस घटना का उन्होंने 'बहिष्कृत भारत' के तीन अंकों 'महाड़ का धर्म–संग्राम व वरिष्ठ हिंदुओं की जिम्मेदारी', 'महाड़ का धर्म–संग्राम व अंग्रेज सरकार की जिम्मेदारी' और 'महाड़ का धर्म–संग्राम व अस्पृश्य वर्ग की जिम्मेदारी' शीर्षक से बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। हिन्दू समाज यदि संगठित नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण स्पृश्य समाज के भीतर पैठा जाति–भेद और छुआ–छूत है। उन्होंने 'बहिष्कृत भारत' के 22 अप्रैल, 1927 के अंक में 'महाड़ का धर्म–संग्राम व वरिष्ठ हिंदुओं की जिम्मेदारी' शीर्षक में लिखा– "जिस जाति–भेद और छुआ–छूत से हिन्दू समाज की संगठन शक्ति का क्षय हुआ है व परस्पर अपनापन नष्ट हुआ है, एक जाति के हित सम्बन्ध दूसरी जाति के हित सम्बन्धों के विरोधी हो गए हैं उस जाति–भेद और अस्पृश्यता को नष्ट किए बगैर एक निश्चात्मक बल संवर्धन के कार्य सम्पादन में सफलता नहीं मिलेगी। परंतु वहाँ जाति–भेद, छुआ–छूत नष्ट करने के बजाय जाति–जाति के अंदर फूट और दूरी पैदा करके संगठन से पहले विघटन हो रहा है। यह महाड़ में घटित हुए प्रकरण से साफ देखने में आया है।"[11]

इसलिए उन्होंने 'बहिष्कृत भारत' के 26 जून, 1927 के अंक में इसके विरुद्ध संगठित होने का आह्वान किया– "हमारे समाज पर लगे अस्पृश्यता के कलंक को धोने की जिन्हें तीव्र लालसा हो वे सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बहिष्कृत समाज के दफ्तर में अपना नाम दर्ज करवा लें।"[12]

इसी क्रम में उन्होंने 'महाड़ का धर्म–संग्राम व अंग्रेज सरकार की जिम्मेदारी' में इस प्रकार की घटना को नियंत्रित करने हेतु सरकार की जिम्मेदारियों का उल्लेख किया है– "न्याय और समता देने के कार्य में और उस पर अमल करने के काम में निष्पक्षता, दृढ़ निश्चय और सख्ती करनी चाहिए। एक जैसा न्याय कड़ाई का अमल करने में सरकार समर्थ है।...ऐसा गुंडों लोगों को विश्वास हो तो महाड़ में हुए जैसे दंगे खत्म हो जाएंगे इसमें हमें शंका नहीं।"[13] वहीं उन्होंने 'महाड़ का धर्म–संग्राम व अस्पृश्य वर्ग की जिम्मेदारी' में अस्पृश्य समाज को जाग्रत करते हुए लिखा– "जो डरता है ब्रह्मराक्षस उसी के पीछे लगता है। सर्वशक्तिमान भगवान को बलि देने के लिए शेर जैसे हिंसक पशुओं का कोई उपयोग नहीं करता। उसके विपरीत बेचारे मुर्गों–बकरों की बलि दी जाती है। पर तुम तो शेर हो।"[14]

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन्होंने महाड़ की घटना पर तीन दृष्टियों से चिंतन किया है। उन्होंने पत्रकारिता का एक आदर्श स्थापित किया। उनकी पत्रकारिता एकपक्षीय नहीं रही। अतः उनका मूल उद्देश्य समाज और राष्ट्र को मजबूत करना था। निश्चय ही डॉ. अम्बेडकर की दलित पत्रकारिता ने पत्रकारिता को एक दिशा दी है और उसमें ऐसे विषयों को शामिल किया है जिनसे सवर्ण पत्रकारिता अपना मुंह मोड़ती रही। इस प्रकार उन्होंने वंचित समाज की मूक आवाज को मुखर कर समता, स्वतन्त्रता और बंधुता जैसे मूल्यों की स्थापना

की और पत्रकारिता के स्वरूप का लोकतांत्रीकरण करने का प्रयास किया जिससे पत्रकारिता राष्ट्रीय स्वरूप अख्तियार कर सके।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज में लिंग, जाति, धर्म के नाम पर फैली विसंगतियों और विषमताओं का पूरी ईमानदारी से पुरजोर विरोध किया और वंचितों, शोषितों और पिछड़ों की समस्याओं और उनके प्रश्नों को प्राथमिकता से उठाया क्योंकि स्पृश्य हिंदुओं के सम्पादन में जो पत्र–पत्रिकाएँ निकाल रही थीं उनमें दलित समाज के उत्पीड़न को स्थान नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ ही उन्होंने दलित समाज में चेतना जाग्रत कर हिन्दू धर्म में व्याप्त अस्पृश्यता और वर्णव्यवस्था का तर्क सहित खंडन कर उसमें आत्मविश्वास, समानता और स्वतन्त्रता की भावना को भरने का प्रयास किया।

अंत में हम यह कह सकते हैं कि डॉ. अम्बेडकर एक ऐसे प्रबुद्ध पत्रकार थे जिन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से पूर्वाग्रह मुक्त होकर बहिष्कृत समाज की समस्याओं और उनके प्रश्नों को तथ्यों सहित निर्भीकता से प्रस्तुत किया। बाबा साहेब की पत्रकारिता, पत्रकारिता के नैतिक तथा उच्च–आदर्शों को प्रस्तुत करने वाली पत्रकारिता है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के प्रचार–प्रसार, उत्थान, सामाजिक सद्भाव और देश को संगठित कर समतामूलक समाज की सशक्त भूमिका तैयार की। उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था, जो कि दलित समाज के लिए बहुत कठिन दौर था उसमें अपने तर्कों का इस्तेमाल सतर्कता से करते हुए विषमतामूलक तत्वों को रेखांकित किया। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर ने अपने समाज का मार्गदर्शन ही नहीं किया अपितु उसकी कमियों को भी उद्घाटित किया। डॉ. अम्बेडकर की नजर समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना, समस्या और चर्चा पर बनी रहती थी। जिसका जिक्र वे अपनी पत्रिका में करते थे किंतु आज का पत्रकार वास्तविक मुद्दों की जानकारी न देकर उसे ऐसे मुद्दों में उलझा देता है जिसका कोई समाज सरोकार नहीं है। निजीकरण की आंधी में व्यवसायीकरण का ऐसा चक्रवात उठा है जिसमें सब कुछ प्राइवेट संस्थाओं के हाथों में जा रहा है और जिनका मूल उद्देश्य मात्र धन कमाना है। ऐसे में शिक्षा का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं रहा है। दलित और वंचित समाज की पहुंच उससे दूर होती जा रही है। किंतु पत्रकारों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। बाबा साहेब भारत की स्थिति को अच्छे से जानते–समझते थे। इसलिए वह राष्ट्रोन्नति के लिए मानते थे कि भारत में जब तक वर्ण–संघर्ष को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक वर्ग–संघर्ष को भी मिटाया नहीं जा सकता।

संदर्भ सूची :–

1. 'सामाजिक समस्याएँ और सामाजिक परिवर्तन', डॉ. राम आहूजा, मीनाक्षी प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, 1975, पृ. 02
2. 'मूकनायक के सौ साल और अस्मिता संघर्ष के सवाल', डॉ. श्यौराज सिंह बेचौन, एकैडमिक पब्लिकेशन, प्रथम संस्करण, 2021, पृ. 17
3. 'हिन्दी की दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव', डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचौन', समता प्रकाशन, 2009, पृ० 162
4. 'मूकनायक', डॉ. अम्बेडकर, डॉ. श्यौराज सिंह बेचौन (संकलन एवं अनुवाद), गौतम बुक सेंटर, संस्करण 2019, पृ. 27

5. 'मूकनायक के सौ साल और अस्मिता संघर्ष के सवाल', डॉ. श्यौराज सिंह बेचौन, एकेडमिक पब्लिकेशन, सोनिया विहार, दिल्ली, संस्करण—2021, पृ० 9—10
6. 'बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय', संपादक, डॉ. श्याम सिंह 'शशि', खंड—1, पृ. 778
7. 'मूकनायक के सौ साल और अस्मिता संघर्ष के सवाल', डॉ. श्यौराज सिंह बेचौन, एकेडमिक पब्लिकेशन, सोनिया विहार, दिल्ली, संस्करण—2021, पृ० 21—22
8. 'मूकनायक', डॉ. अम्बेडकर, डॉ. श्यौराज सिंह बेचौन (संकलन एवं अनुवाद), गौतम बुक सेंटर, संस्करण 2019, पृ. 51
9. वही, पृ. 118
10. https://www.google.com/amp/s/www.prabhasakshi.com/amp/news/dr&bhimrao&ambedkar&was&the&pioneer&of&social&journalism
11. 'बहिष्कृत भारत', डॉ. अम्बेडकर, डॉ. श्यौराज सिंह बेचौन (संकलन एवं अनुवाद), गौतम बुक सेंटर, प्रथम संस्करण 2008, पृ. 38
12. 'डॉ. अम्बेडकर', वसंत मून, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नौवाँ संस्करण, 2020, पृ. 42
13. 'बहिष्कृत भारत', डॉ. अम्बेडकर, डॉ. श्यौराज सिंह बेचौन (संकलन एवं अनुवाद), गौतम बुक सेंटर, प्रथम संस्करण 2008, पृ. 47
14. वही, पृ. 71

मो. 9654963616,
मो. 7982232667
मेल — sonuuu112@gmail.com,
anujk401@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 211-214

हैदराबादच्या स्वातंत्र्य लढ्याबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची दृष्टिकोण

डॉ. रामचंद्र संगशेट्टी
संगमेश्वर कॉलेज, सोलापूर।

भारतात जवळजवळ ब्रिटिशकालीन 567 संस्थाने होती। त्या प्रत्येक संस्थानाचा कारभार देशी संस्थानिक चालवत असत। दक्षिण भारतात हैदराबाद कोल्हापूर व नागपूर ही मोठी संस्था होती। त्यापैकी हैदराबाद हे संस्थान लोकसंख्येच्या बाबतीत सर्वात मोठे असून आकाराने ते दुसऱ्या क्रमांकाचे होते। हे संस्थान भारताच्या मध्यभागी असून एका बाजूला जुना मुंबई प्रांत दुसऱ्या बाजूला मद्रास प्रांत उत्तरेला मध्य प्रदेश अशी त्याची रचना होती। 1941 च्या शिर गणतीनुसार हैदराबाद संस्थानाची एकूण लोकसंख्या एक कोटी 63 लाख 38 हजार 5 34 इतकी होती। त्यात दलितांची संख्या 35 लाख म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या 18 टक्के इतकी होती. हिंदू 70 टक्के तर मुस्लिम फक्त अकरा टक्केच होती। मुस्लिमांचे अल्पशे प्रमाण असूनही त्यांच्या हाती हैदराबाद संस्थानांची संपूर्ण सत्ता होती। सरकारी नोकरी आहात त्यांचे प्रमाण 80 टक्के होते। इसवी सन 1724 ते 1948 या कालखंडात हैदराबाद संस्थानात आसफिया या घराण्याची सत्ता होती। या संस्थांच्या गादीवर वंशपरंपरेने येणाऱ्या सत्ताधीशाला निजाम असे म्हणत।[1]

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला। त्यापूर्वी 18 जुलै 1947 च्या कायद्यानुसार भारतातील काही संस्थांनी पाकिस्तानात होती। बरीचशी संस्थाने गृहमंत्री सरदार वल्लभाई पटेलांच्या कणकर भूमिकेमुळे भारतीय संघराज्यात हे संस्थान विलीन करण्यात आले। तरीही काही संस्थानिकांनी पाकिस्तानात किंवा भारतीय संघराज्यात विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले। भारताच्या मध्यभागी व मोठे असणारे हैदराबाद संस्थान विलीन व्हायला तयार नव्हते। 14 जून 1947 रोजी त्या वेळचा निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर यांनी दिल्लीस एक शिष्टमंडळ पाठवून आपण स्वतंत्र रहात असल्याचे जाहीर केले। त्याचबरोबर असेही जाहीर केले की 15 ऑगस्ट 1947 नंतर हैदराबाद राज्यात कोणी दुसऱ्या राज्याचा अथवा राष्ट्राचा ध्वज फडकविला तर त्या सक्त मजुरीची व दंडाची शिक्षा पर्मावण्यात येईल।[2]

आम्ही स्वतंत्र भारताच्या संघराज्यात कधीही सामील होणार नाही अशी प्रतिज्ञा निजामने केली होती। पाकिस्तान व ब्रिटिश सरकारचा काव्यबाजपणा त्यास कारणीभूत होता। भारताची फाळणी करायची आणि शक्य असेल तेथे संस्थानिकांना फूस लावून नव स्वतंत्र देश तुकडे तुकडे करायचा असे ब्रिटिश सरकारचे धोरण होते। संस्थानांच्या प्रश्नावर देखरेख करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने कॉनरॅड कॉर्नफिल्ड या राजकीय सल्लागाराची

नेमणूक केली। काही संस्थांनी निदान भारत व पाकिस्ताना पासून वेगळी राहावीत असा त्यांचा प्रयत्न होता।[3]

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका :-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्र भारताचे कायदामंत्री होते त्यावेळी त्यांनी हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन करण्याचा सल्ला निजामाला दिला होता परंतु तो निजामाने मानला नाही आणि स्वतंत्र हैदराबाद आझाद ची घोषणा केली। त्या वेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभाई पटेल यांनी हैदराबाद संस्थानाबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी चर्चा केली त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हैदराबाद संस्थानावर कारवाई करण्यासाठी सरदार वल्लभाई पटेल यांना भक्कम पाठिंबा जाहीर केला। त्यानुसार लष्करी कारवाई होऊन निजामांचे संस्थान केवळ चारच दिवसात संघराज्यात विलीन झाले। त्यात निजामांचा मोठा पराभव झाला।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे या देशातील महापुरुष होते। त्यांनी हैदराबाद संस्थानातील स्वातंर्त्य प्रिय जनतेची निजाम आणि रझाकारांच्या मगर मिठीतून तसेच त्यांच्या अन्याय, अत्याचारापासून सुटका केली। हैदराबाद संस्थानात एकूण 18 टक्के दलित जनतेने या मुक्ती संग्रामात सहभाग घेतला। त्यावेळी हैदराबाद संस्थानात दलित समाजाची अत्यंत वाईट परिस्थिती होती पेशवाईत ब्राह्मण वर्गाला विशेष सवलती होत्या त्या सवलतीच्या आधारे त्यांनी अस्पृश्य वर्गांची ज्याप्रमाणे पिळवणूक केली अगदी त्याचप्रमाणे निजामशाहीत 11 टक्के मुस्लिम समाजाला सामाजिक आर्थिक राजकीय सवलती होत्या। 80 टक्के सरकारी नोकरी या त्यांच्या हातात होत्या। त्यामुळे ते दलितावर अन्याय अत्याचार करीत असत. मुस्लिम देखील हिंदू प्रमाणे अस्पृश्यता पाळीत असत।[४]

हा अनुभव स्वतः डॉ. बाबासाहेबांना आला होता. त्यांनी स्वतः कथन केला तो असा इसवी सन 1934 स''' मी व माझे सहकारी वेरूळची लेणी पाहण्यासाठी गेलो। दौलताबादचा किल्ला ही पहावा या उद्देशाने आम्ही पोहोचलो। किल्ल्यावर जाण्यापूर्वी समोरच्या हौदात हातपाय धुवावे म्हणून आम्ही तिथे गेलो आणि पाण्याने हातपाय धुतले। मात्र तेथे उपस्थित असणाऱ्या मुस्लिमांना समजल्यावर त्यांनी महाराणी हौद बाटवला म्हणून वाटेल त्या भाषेत त्यांनी आमचा उद्धार केला। ही गोष्ट माझ्या मनाला लागली. सदर जिल्हा निजामशाहीत मोडत होता. तेव्हाच मी निजामशाही विरोधी लढा देण्याचा निश्चय केला।[५]

1938–39 सालापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हैदराबाद संस्थानांच्या संग्रामाकडे अधिक लक्ष दिले। त्यावेळी हैदराबादच्या निजामाने संस्थानात सभा आंदोलने मिरवणूक काढण्यास बंदी केली होती। तरी डॉ. बाबासाहेबांनी हैदराबादच्या सीमा भागात अनेक ठिकाणी भाषणे केली व निजामावर टीका केली। हैदराबाद संस्थानाचे आंबेडकर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बी एस व्यंकटराव यांनी 31 ऑक्टोबर 1938 रोजी हैदराबाद संस्थानात दलित संघ डॉ. बाबासाहेबांच्या सल्ल्याने सुरू केला। निजाम राजवटीत आर्थिक दृष्ट्या दलितांना सवर्ण हिंदू आणि मुस्लिमांच्या दयेवरच राहावे लागत। दलितांना महार वतन होते। परंतु त्या वतनामुळेच ते उच्चवर्णी यांचे गुलाम बनले होते। महार वतन त्यांचा हक्कच होता। त्या हक्कांच्या मोबदल्यात महारांना विविध स्वरूपाची कामे करावी लागत। उदा. वेट बिगारीची कामे, सरकारी टपालाची ने– आण करणे, गावाची साफसफाई करणे, स्मशानाची व्यवस्था, गावाची संरक्षण, चोरांचा बंदोबस्त व अधिकाऱ्यांचे ओझे वाहून नेणे इत्यादी स्वरूपाचा अन्याय व अत्याचार महार जमातीवर होत होता। या संस्थानात चालत असलेल्या अन्यायास डॉ. आंबेडकरांनी वाचा फोडली।

अशा परिस्थितीत दलितांमध्ये राजकीय जागृती घडवून आणण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेकदा सभा घेतल्या। त्यांचे विचार हैदराबाद संस्थानात प्रसारित होऊन तेथील दलितांमध्ये राजकीय जागृती झालेली होती। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सर्व दलित बांधवांना हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात सहभागी होण्याचे आवाहन केले। आपल्या बांधवांना उपदेश करताना डॉ आंबेडकर म्हणतात, अस्पृश्य जाती या भारतभूमीची पहिली लेकरे आहेत। ती आदि संतान आहेत. इतर जाती जमाती प्रमाणे ती आपलीही मातृभूमी आहे। या मातृभूमीच्या मोठेपणासाठी आपण झगडले पाहिजे। मातृभूमीच्या स्वातंर्त्यासाठी आणि तिच्या अखंडत्वासाठी सर्वांनी जीवाभावाने लढाव यास तयार झाले पाहिजे. हिंदुस्तान हे आपले घर आहे आपले वतन आहे ही गोष्ट अस्पृश्यांनी विसरता कामा नये. निजाम हा अस्पृश्यांचा आणि अस्पृश्यांच्या मातृभूमीचा शत्रू आहे।[६]

रझाकारांचा अत्याचार व डॉ. आंबेडकरांची विधायक भूमिका :–

रझाकारामध्ये काही हिंदू रझाकार होते। यात प्रामुख्याने दलित समाजातील लोकही होते। बी एस व्यंकटराव आणि श्यामसुंदर हे त्याकाळी हिंदू रझाकारांचे नेते होते। त्यांची पश्त अक्वाम नावाची संघटना होती। त्यांचा निजामाला पूर्ण पाठिंबा होता आणि निजामाचा त्यांना आशीर्वाद होता। पश्त अक्वाम म्हणजे शोषित, दडपलेल्या जातीची संघटना होय। मुस्लिम रझाकाराच्या डोळ्यात हे पश्त अक्वामवाले सामील होत आणि लुटालुटीत भाग घेत असत। स्टेट कॉंग्रेसच्या नोंदीप्रमाणे रझाकारांनी 1431 खेड्यांची लूट केली। 10532 घरे जाळली। 1035 लोकांचे खून झाले। महिलावर अत्याचार झाले अनेक गावे ओसाड पडली 27 कोटी रुपये लुटले।[7]

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने हैदराबाद संस्थानातील दलितांनी आंदोलनात भाग घेतला। परंतु दुर्दैवाने दलित स्वातंर्त्यसैनिकांची नोंद आमच्या इतिहासात संशोधकांनी व लेखकांनी घेतली नाही। उलट रजाकारांच्या संघटनेत काही मूठभर दलितांनी सहभाग घेतला म्हणून साऱ्या दलितांना देशद्रोही म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्वातंर्त्यसैनिक अनंत भालेराव यांनी आपल्या ग्रंथात केला।[8]

मुठभर महार रझाकार बनले म्हणून संपूर्ण महार समाजास दोषी ठरवणे बरोबर नाही। मुस्लिम रझाकार हिंदू सवर्णांना लुटत आहेत। अशा स्थितीत आपणही हात धुवून घ्यावा या भावनेने दलित मंडळी पश्त अक्वाम या संघटनेत सामील झाली असावीत। हिंदू सवर्ण आपल्याला जनावरापेक्षाही हीन वागणूक देतात तेव्हा सूट घेण्याची ही चांगली संधी आहे असे त्यांना वाटत असावे. अर्थात काही मूठभर दलित सोडले तर बाकी स्टेट कॉंग्रेस हिंदू महासभा आर्य समाज या स्वातंर्त्यवादी संघटनेतही पुष्कळ दलित होते. त्यांनी सवर्णांच्या बरोबरीने विविध सत्याग्रहात भाग घेतला होता। तुरुंगवासीही पत्करला होता। तर काहींनी हौतात्म्य ही पत्करले।[9]

संस्थानातील दहा–बारा महारापेक्षा निजामांची नोकर असणाऱ्या हिंदूंनीच रझाकारांना पर्यायाने निजामाला मोठे सहकार्य केले। कारण निजामाचे राज्य भारतात विलीन झाल्यास त्या सर्वांची अधिकार पदे नष्ट होणार होती। त्यामुळे निजामाला खुश ठेवण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न असे। संस्थानातील जागीरदार आपल्या तरुण देखण्या मुली निजामाला भेट देत असत। राजाला भेट म्हणून मुली देण्याची प्रथा 1948 पर्यंत सुरू होती।[10] (हैदराबाद विमोचन आणि विसर्जन–नरहर कुरुंदकर पृष्ठ क्रमांक 23) यावरून असा निष्कर्ष निघतो की महारापेक्षा निजामाला जागीरदार व उपजागीरदार यांनीच अधिक सहकार्य केले। त्यामुळे हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामात दलितांनी बजावलेल्या कामगिरीला दुर्लक्षित करून चालणार नाही।

हैद्राबाद मुक्ती संग्रामास सुमारे 83 वर्ष होत आहेत। तरीपण या आंदोलनाचा वास्तव्य इतिहास लोकांसमोर आलेला नाही या लढ्यात स्टेट कॉंग्रेस आर्य समाज, हिंदू महासभा, महाराष्ट्र परिषद, यासारख्या विविध संघटनांनी भाग घेतला। भारतीय स्वातंत्र चळवळीच्या साठ–सत्तर वर्षांची आंदोलने झाली ती सर्व आंदोलने कमी अधिक प्रमाणात हैदराबाद स्वातंर्त्य आंदोलनात देखील झाली। यास लढ्यामध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने महिलाही सहभाग घेतला। सुशिक्षित, अशिक्षित, वरिष्ठ, कनिष्ठ, गरीब, श्रीमंत अशा सर्व स्तरातील व्यक्तीचा यात सहभाग खूप मोठा होता। बरोबर पुरोगामी आणि राष्ट्रवादी मुस्लिम व्यक्तींचाही यात समावेश होता। तसेच यासंद्रामात संस्थानातील मानवी हक्कांची जाणीव व स्वातंर्त्याची प्रेरणा नसलेला अस्पृश्य समाधी ही निर्णयाक भूमिका घेऊन लढ्यात उतरला होता त्याचे प्रेरणास्थान डॉ बाबासाहेब आंबेडकर होते।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. डॉ. अनिल कटारे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि हैदराबादचा स्वातंर्त्यसंग्राम, पृष्ठ 9, कल्पना प्रकाशन, नांदेड 1999
2. सेतू माधवराव पगडी, जीवन सेतू (आत्मचरित्र) पृष्ठ 512 कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन पुणे 1665.
3. ना.य.डोळे, हैदराबाद स्वातंर्त्यसंग्राम, पृष्ठ सात, ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई, 1998.
4. बाळकृष्ण कासार, लोक निर्माण विशेषांक, पृष्ठ नऊ चिपळूण,
5. य.दि. फडके, विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र ,खंड चार पृष्ठ 293, श्री विद्या प्रकाशन पुणे 1993.
6. डॉ. एस. एस. नरवडे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि हैदराबाद संस्थान, पृष्ठ 53, सुगावा प्रकाशन, पुणे 1988.
7. दिगंबर राव बिंदू, हैदराबाद राज्याचे विसर्जन, पृष्ठ पंचेचाळीस, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद 1986.
8. अनंत भालेराव पेटलेले दिवस, पृष्ठ वीस, श्री विद्या प्रकाशन, शनिवार पेठ, पुणे।
9. ना.य. डोळे, पृष्ठ 33
10. नरहर कुरुंदकर, हैदराबाद विमोचन आणि विसर्जन, पृष्ठ 23, मराठी साहित्य परिषद, हैदराबाद, 1985.

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 215-218

हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान

सावित्री देवी
हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, बावल (रेवाड़ी)

भाषा भाव व विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। कल्पना कीजिए यदि हमारे आपके पास भाषा नहीं होती तो हम क्या होते, क्या होता हमारा संघर्ष, क्या होती हमारी उन्नति कहां होते पुस्तकालय, कहां होते विद्यालय, विश्वविद्यालय, सभा समितियां आदि। कैसे होता ज्ञान का विकास भाषा के अभाव में मनुष्य सन्नाटा है। मनुष्य के विकास के साथ–साथ भाषा का भी विकास हुआ है। भाषा मानव के सूक्ष्म चिन्तन और स्वस्थ मानसिकता का प्रतीक है। भाषा व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है। समाज व्यक्ति जो प्रारम्भ में ही भाषा बोध देने लगता है। भाषा समाज को व्यवस्था देती है। उसे एकता देती है। किसी भी देश की उन्नति में उस देश की भाषा का अहम योगदान होता है।

भारत में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा हिन्दी है। हिन्दी भाषा संसार की सर्वाधिक विज्ञान संगत भाषा हैं। वह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसका शब्दकोष व्यापक है उसमें अनेक भाषाओं के शब्द हैं।

वर्तमान भारत में भाषाओं – बोलियों में टकराव दिखाई पड़ रहा है। भाषाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी क्षेत्र या अंचल विशेष की अस्मिता को एक ऐसा राजनीतिक रूप दे देती हैं कि अन्य भाषाई क्षेत्र घृणा या फिर विरोध की प्रतीकात्मक छवियों में सीमाबद्ध होने लगते है। यही कारण है कि हम एक सुदृढ़ भाषाई नीति को बनाने की अपेक्षा उसके विभेदक स्वरूप को तलाशने और पाने में लगे है। प्रारम्भ में अंग्रेजी भाषा की सता को स्वीकारने में अधिक रूचि दिखाई तो बाद में क्षेत्रीय राजनीति के उभार में भाषाई दावं पेच को केवल भावनात्मक आधार तक सीमित कर दिया। प्रशासन के निचले स्तर में यद्यपि राज भाषाएं उपयोग में लाई जाती रही लेकिन जहां तक ज्ञान, सम्मान और प्रशासन का मामला है। राजभाषाएं अपने औचित्य को प्रमाणित नहीं कर पाई। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि भारतीय भाषाएं उक्त दृष्टि से कमजोर है। कोई भी भाषा अपने सरंचनात्मक रूप में कमजोर अथवा मजबूत नहीं होती। वह नई परिस्थितियों, नई चुनौतियों के अनुरूप नए सिरे से गढी जाकर अपने औचित्य को प्रमाणित करती है। इसके लिए शासक वर्ग के भीतर भाषाई दूरदर्शिता का होना

निहायत जरूरी है।

भारत के संविधान के निर्माण में जिन विषयों पर सबसे ज्यादा बहस हुई उनमें से एक भाषावार प्रांतों का निर्माण था। इसकी मुख्य वजह आजादी के आंदोलन के दौरान भाषाई चेतना का विकास था। स्वतंत्र भारत का पहला दशक भारत के पुनर्निर्माण के साथ–साथ भाषाई, विवाद के दो पक्ष थे एक भाषावार प्रांतो का गठन और दूसरा राजभाषा के रूप में हिन्दी पर विचार ये दोनों पक्ष एक ही मुद्दे के दो पहलू है। जो उपरी तौर पर दो भिन्न मुद्दे लगते है।

जिन लोगो ने भाषावार प्रांत रचना की दिशा में भाग लिया था वे लोग समूचे देश की राजभाषा के रूप में हिन्दी अपनाने के पक्ष में नहीं थे। राष्ट्रीय राजनीति आजादी के बाद उत्पन्न समस्याओं के निपटारे में इतनी उलझी हुई थी कि उसने भाषाई उलगाववाद को महत्व न देने का फैसला किया।

लेकिन फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भाषाई राष्ट्र इतने प्रबल और ताकतवर हो चुके थे कि वे आजादी बाद किसी भी रूप में इस मुद्दे का निपटारा चाहते थे। भाषाई विवाद के निपटारों की दिशा में गठित जे. वी. पी. समिति जिसके सदस्य जवाहर लाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया थे, ने पुनर्गनठन संबधी अपना मत इस प्रकार दिया – भाषा महज एक जोडने वाली शक्ति नहीं बल्कि एक दूसरे से अलग करने वाली ताकत भी है।[1]

डॉ0 अम्बेडकर के भाषा सबंधी विचारों को देखे तों पता चलता है कि वे अपने समकालीन राजनीतिज्ञों से विचार संवेदना और दूरदृष्टि के लिहाज से कहीं आगे थे। आजादी के बाद भाषाई विवाद का मसला संविधान सभा की बहस से शुरू हुआ। संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉ0 अम्बेडकर थे। बाबा साहेब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर ने जब अथक परिश्रम के बाद अपना संविधान सभा के सामने रखा तब बहस से पूर्व ही विधान की भाषा पर सवाल उठाया। राष्ट्रभाषा के सवाल पर सबसे पहले बहस करने की मांग की।

डॉ0 अम्बेडकर राजभाषा विवाद के मसले पर सीधे हिन्दी का पक्ष लेने वालों के साथ नहीं थे। डॉ0 अम्बेडकर भाषावार रूप से प्रांतो के गठन के संदर्भ में आनुशांगिक रूप से राजभाशा हिन्दी पर अपने विचार रखें। 1948 में बाबा साहेब भाषावार प्रांत आयोग के समक्ष महाराष्ट्र के सबंध में अपना वक्तव्य दिया। उन्होनें कहा – ''भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बाद भी ऐसी व्यवस्था करनी होगी, ताकि भारत की एकता खंडित न होने पाए। इसलिए इस समस्या के समाधान हेतु मेरा सुझाव है कि भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लेने पर भी ऐसी संवैधानिक व्यवस्था हो कि केन्द्र सरकार की जो राज भाषा हो, वही भाषा सभी प्रांतों की राजभाषा मानी जाए। केवल इसी आधार पर मैं भाषावार प्रांतो की मांग को मानने के लिए तैयार हूं।''[2]

इससे स्पष्ट है कि डॉ0 अम्बेडकर राजभाषा के मसले को राष्ट्रीय अंखडता से जोडकर देख रहे थे। आजादी के लिए जो आंदोलन हुए उनमें जनता को एकत्रित करने के लिए हिंदी का प्रचार बहुल किया गया।

लेकिन आजादी के बाद उसे अमल में नहीं लाया गया बल्कि भाषावार प्रांत रचना की नीति ने भाषाई अलगाव इस खतरे को देख रहे थे इसलिए उन्होनें कहा– ''भाषावार प्रांतो की योजना में वहां की भाषा की भूमिका अनिवार्यता महत्वपूर्ण है। किन्तु यह भूमिका प्रांत के निर्माण तक ही सीमित रखी जा सकती है अर्थात इसका उपयोग उस प्रांत की सीमाओं के रेखांकन तक ही किया जाना चाहिए। भाषावार प्रांतो की योजना में ऐसी कोई दो टूक अनिवार्यता नहीं हो जो हमारे लिए उस प्रांतीय भाषा को वहां की राजभाषा भी बनाने के लिए बाध्यकारी है।''[3] डॉ0 अम्बेडकर की नजर में प्रांतो की भाषाओं को वहां की राजभाशा के रूप में स्वीकृत करने का सीधा अर्थ है – ''प्रांतो को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित होने का न्योता देने जैसा था।''[4]

इससे स्पष्ट होता है कि बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर भाषावाद के घोर विरोधी थे और भाषा को समूचे राष्ट्र को जोड़ ने के एक महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में देखते थे। इस सबंध में उनकी राय लोकप्रिय राजनीति से सर्वथा भिन्न थी। अपनी राय को लोगो के सामने रखने के लिए उन्होनें द टाइम्स ऑफ इंडिया में 23 अप्रैल 1953 को लेख लिख कर अपनी राय रखी। उस लेख में उन्होनें कहा कि भाषावार प्रांत रचना का कारण और इतिहास चाहे जो रहा हो उसका निपटारा वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।''[5]

राजभाषा के सबंध में हिन्दी का समर्थन उन्होनें 1955 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में किया। उनकी यह पुस्तक भी वस्तुतः भाषावार प्रांतो के गठन में उपजी समस्याओं पर केंद्रित थी। लेकिन इस पुस्तक में उन्होनें दो बातें स्पष्ट तौर पर कहीं पहला भारत जैसे बहुभाषी राज्य को एक राज्य, एक भाषा के सूत्र पर विश्वास करना चाहिए। और दूसरा यह भाषा हिन्दी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती। उन्होनें उन्नत देशों का हवाला देते हुए कहा कि एक राज्य एक भाषा' विकास का सूत्र है। बहुभाषी राष्ट्र की संकल्पना अंततः विघटन की ओर ले जाती है।''[6] मिश्रित भाषावार राज्यों के खतरे का जिक्र करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने साफ तौर पर कहा था कि ''इस खतरे से तभी निपटा जा सकता है जब संविधान में क्षेत्रीय भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं होगी। राज्य की राजभाषा हिन्दी रहेगी और जब तक भारत इस प्रयोजन के योग्य नही हो जाता, अंग्रेजी बनी रहेगी।''[7]

राजभाषा के मुद्दे पर डॉ0 अम्बेडकर साहस के साथ अपना पक्ष रखते है और क्षेत्रीयता के आगे समर्पण नहीं करते। बाबा साहेब भाषाई मुद्दे को भावनात्मक अधिकार की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र और कर्तव्य के रूप में परिभाषित करते है – ''भाषा संस्कृति की संजीवनी होती है चूंकि भारतवासी एकता चाहते है और एक समान संस्कृति विकसित करने के इच्छुक है। इसलिए सभी भारतीयों का यह भारी कर्तव्य है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा के रूप में अनपाएं। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को भाषावार राज्य के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार नहीं करता, भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता।''[8]

डॉ. अम्बेडकर ने एक भाषा एक राज्य के स्थान पर एक राज्य एक भाषा' का समर्थन किया। डॉ0 अम्बेडकर किसी भी रूप में ऐसे प्रांतवाद का समर्थन नहीं करते जो राष्ट्रीयता के समक्ष अपनी स्वतंत्र और

अलहदा पहचान की दावेदारी पेश करें। अतः राष्ट्रीय एकता उनके लिए कोई भावनात्मक मामला नहीं था बल्कि विशुद्ध व्यावहारिक मामला था। इसे वे किसी भी लोकतंत्र की सफलता का अनिवार्य पक्ष मानते थे। इसलिए उन्होनें कहा यदि राज्य में रहने वाले लोगो में भ्रातृत्व भावना का अभाव हो तो लोकतंत्र बिना संघर्ष के चल ही नहीं सकता नेतृत्व के लिए दो दलो में लड़ाई–झगड़ों और प्रशासन में भेदभाव का व्यवहार, ये दो तत्व किसी भी मिश्रित भाषावार द्विभाषी में सदा बने रहते है और उनका लोकतंत्र के साथ निर्वाह नहीं हो सकता।''[9]

राजभाषा के मुद्दे पर हिन्दी के पक्ष में डॉ0 अम्बेडकर की मान्यताओं को स्वीकार कर लिया होता तो भारत की संघात्मकता ओर मजबूत होती।

संदर्भ सूचि :-

1. रामचन्द्र गुहा – भारत गांधी के बाद (पृष्ठ 229)
2. बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर संपूर्ण वाडम्य खंड – 1 (पृष्ठ 130–131)
3. उप. पृष्ठ – 131
4. उप. पृष्ठ – 132
5. उप. पृष्ठ – 163–167
6. उप. पृष्ठ – 176
7. उप. पृष्ठ – 178
8. उप. पृष्ठ – 178–179
9. उप. पृष्ठ – 177.

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 219-226

TO CREATE THE CAST LESS SOCIETY Dr. B. R. AMBEDKAR

SHWETHA. D.

SOCIOLOGY, Department Bangalore Univarsity Jnana Bharathi Campus, BANGALORE – 560056

INTRODUCTION :-

Dr. B. R. Ambedkar did not encourage the aspiration of cast system with in India and cast system generates in Human practice among tha communits ambedkar believed that economically Dalits are very poor witch the are lacks access to political social and economic power, Ambedkar has always been for establishments society based an the principals of library equality and fratimanity ?

ABSTRACT :-

In a 'casteless' society, people from different backgrounds would be treated with dignity and respect.

However, Satish Deshpande argues that only upper castes are enabled to think of themselves as "casteless," while the under-privileged lower castes are often restricted to their caste identities?

AMBEDKAR'S VIEW ON CASTE :-

Ambedkar, during his stay at Columbia University, presented a paper in an anthropology seminar of Dr. Goldenweizer. In the paper, Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development, Ambedkar identifies caste as an important institution. He observes that caste is a complex subject that needs a comprehensive explanation. He contends that before him many subtler minds have attempted to unravel the mysteries ofcaste, but unfortunately it still remains in the domain of the "unexplained", not to say of the "un- understood". The problem of caste is vast and has been challenged both theoretically and practically.

Ambedkar Writes :-

As long as caste in India does exist, Hindus will hardly intermarry or have any social intercourse with outsiders, and if Hindus migrate to other regions on earth, Indian caste would become a world problem. Many great scholars have tried to identify the origin ofcaste. However, Ambedkar did not endorse most of the theories?

Senart :-

To the French scholar's statement that the idea ofpollution was peculiar to caste, Ambedkar said it was 'a particular case ofthe general belief in purity'. For Ambedkar, the idea of pollution could be ignored without affecting the working of castes. The idea was attached to the institution ofcaste only because the caste that occupied the highest rank was the priestly caste, which was associated with purity ?

Nesfield :-

To Nesfield's theory highlighting absence ofmessing with those outside the caste, Ambedkar said that it was mistaking the effect for the cause. Being a self- enclosed unit, caste naturally limits social intercourse, including messing?

Sir H Risley : Ambedkar did not find Risley's views deserving of a comment.

Ketkar : He agreed with Ketkar, who had defined caste in its relation to a system of castes and had focussed his attention only on those characteristics which were absolutely necessary for the existence of a caste within a system. Ambedkar, however, critiqued Ketkar for taking 'prohibition of intermarriage and 'membership by autogeny' as two characteristics ofcaste and argued that they were but two aspects of one and the same thing. If intermarriage is prohibited, the membership of those born with in the group shall be automatically limited.

Ambedkar further argues that no civilized society other than Indian one practises rituals of the remote past even today. Its religion is essentially primitive, and its tribal code, in spite of the advancement of time and civilization, operates with all its pristine vigour even today. The prevalence of exogamy was well- known in the primitive world. However, with the passage of time and subsequent changes of institutional norms and values, exogamy lost its importance and efficacy, and excepting the nearest blood-kin, there is usually no social bar restricting the field of marriage. But in India the law of exogamy is a positive injunction even today. Indian society still holds on to the clan (gotras) system, even though there are no clans, and this can be easily seen from the law of matrimony which centres round the principle of exogamy. It is not that sapindas (blood-kin) cannot marry, but a marriage even between sagotras (of the same clan) is regarded as a sacrilege.

Ambedkar notes that endogamy is foreign to the Indian people. The various gotras of India are and have been exogamous : It is no exaggeration to say that to the people ofIndia, exogamy is a creed and none dare infringe it; so much so that, in spite of endogamy ofthe castes within them, exogamy is strictly observed, and there are more rigorous penalties for violating exogamy than endogamy.

Ambedkar Writes :

You will, therefore, readily see that with exogamy as the rule there could be no Caste, for

exogamy means fusion. But we have castes; consequently in the final analysis creation of Castes, so far as India is concerned, means the superposition ofendogamy on exogamy.

However, in an originally exogamous community, an easy working out ofendogamy (which is equivalent to the creation of caste) is a grave problem, and it is in the consideration of the means utilized for the preservation of endogamy against exogamy that we may hope to find the solution ofour problem. Thus the superposition ofendogamy on exogamy means the creation of caste (Ibid., 9). Endogamy means creation ofcaste.

Ambedkar takes the example of an imaginary group that desires to make itself into a caste and analyses what means it will have to adopt to make itself endogamous. If a group desires to make it self endogamous a formal injunction against inter-marriage with outside groups will be ofno avail amidst the practice of exogamy already in place. Again, there is a tendency in all groups in close contact with one another to assimilate and amalgamate and thus to consolidate into a homogeneous society. If this tendency is to be strongly counteracted in the interest of caste formation, it is absolutely necessary to circumscribe a circle outside which people should not contract marriages.

Never the less, this encircling to prevent inter-caste marriages creates problems from within, of which there is not easy solution. Roughly speaking, in a normal group, the sex ratio is more or less evenly distributed, and generally speaking there is equality between those ofthe same age. The equality is, however, never quite realized in actual societies. To the group that is desirous of making it self into a caste, the maintenance of equality between the sexes becomes the ultimate goal; without it, endogamy can no longer subsist. In other words, if endogamy is to be preserved, conjugal rights from within have to be provided for; otherwise members ofthe group will be driven out ofthe circle to take care of themselves in any way they can. For the same, the conjugal rights have to be provided for from within. It is absolutely necessary to maintain a numerical equality between the marriageable units of two sexes within the group desirous of making it self into a caste. It is only through the maintenance ofsuch equality that the necessary endogamy of the group can be kept intact, and a very large disparity is sure to break it (Ambedkar : 2014, vol 1. p. 10)?

CAST SYSTEM AND THE ORIGIN UNTOUCHABILITY :-

In Indian society, caste is still the most powerful factor in deter-mining the person's dignity. The caste system is the result of the Hindu belief in reincarnation and Karma. The four Castes eventually developed into a social mosaic of 3000 subcastes, with the untouchables at the bottom ofthe list. The practice of caste system and untouchability was the corner stone of the Hindu society. The period from c. 500 B.C (the time coinciding with the rise of Buddhism) to the 14th and 5th centuries A.D (the Gupta Age) is widely regarded by historians as the peri- od of the formation of the Indian Caste

System and its sup- porting ideology (Habib, 2000: 169).

The first most intricate theoretical exposition of the Brahminical societal structuring is found in Manusmriti. By the early centuries ofthe Common Era, Manu had become the standard source ofauthority in the Hindu orthodox tradition. According to the Varna model, the Harijans or Untouchables are outside the caste system, and contacts with Harijans pollute members of other four varnas (Srinivas, 1972). There is a hierarchy other than that of the pure and the impure, namely the traditional hierarchy of the four Varnas. The set of the four Varnas divides into two: the last category, that of the Shudras, is opposed to the block of the first three, whose members are 'twice born' in the sense that they participate in initiation, second birth, and in religious life in general (Dumont, 2002: 162).

Brahmins introduced on elaborate system to preserve their purity. In order to maintain purity, all relations with lower castes were prescribed. Those who opposed the Brahmin religion were branded as untouch- ables and thrown out ofthe society. The caste system cannot be said to have grown as a means of preventing the admix- ture ofthe races or as a means ofmaintaining purity of blood. The term scheduled caste is an administrative coinage and terms such as Chandala[1], exterior caste Harijan, purity in order to maintain Dalit[2], etc have been in currency, each of which had a different origin. The breed of the Chandala is a degraded one and is ranked with that of dog and the pig. The concern here is that the Hindu doctrine ofcreation refers only to four varnas and if so, how does one court of Pancha- mas, those of the fifth? Gandhi adopted the use of the term "Harijan" in place of untouchable.

He insisted that caste (Var- na) was essential to Harijan. Ghurye divided untouchables into two: 'pure' and 'impure'. The untouchables become pure through abjuring 'beef and such other anathematic diet (Ibid 1979), this is precisely what M.S. Srinivas Christened as Sanscarifications[3].

However, Sanskritization scarcely functional for achieving higher ritual status for the untouchables (Oommen, 2008).

The principle of graded inequality has been carried into the economic field. "From each according to his ability, to each according his need" is not the principle of the Hindu Social order. The principle of the Hindu Social order is: From each according to his need to each according to his nobility (The illustrations given above are merely drawn from imagination). They are facts of the history. Through Sanskritization move- ment, a section of untouchables who could improve their economic condition, either by abandoning or continuing their traditional occupations. A low caste was able, in a generation or two, to rise to a higher position in the hierarchy by adopting vegetarianism or teetotalism, and by sanskritizing its rituals and pantheon (Srinivas 1952). They tried to justify their claims to a higher social status in caste hierarchy by inventing suit- able mythologies.

Ambedkar's vision of Social Justice: Perspective and Prospect Social justice as a form of

justice means what is social- ly just; and what is socially just varies with time and space. John Rawls (1971) believed that his theory of justice is an improvement over utilitarian accounts of justice as maximum welfare. He developed the following principles of justice: (a) each person is to have an equal right to most extensive basic liberty compatible with similar liberty for others, (b) social and economic inequities are arbitrary unless they are reasonably expected to be the advantage of the repre sentative man in each income class, (c) inequalities are to attach to positions and offices equally open to all. Similarly taking a leaf from Rawl's theory of social justice (Beteille 2005), argues that, "the fundamental issue in distributive justice is equality; a more equal or at least a less unequal distribution of the bene- fits and of social co-operation". The basic aim of social justice is to remove the imbalances in the social, political and eco- nomic life ofthe people to create a just society. In terms of cul- ture-specificity, the term social justice has a different meaning in Indian society. It means dispensing justice to those whom it has been systematically denied in the past because of an established social structure.

Division was created between touchable and untouchable. Untouchables were given only duties with no rights. The higher castes in Hindu society en joyed all rights and privileges. Ambedkar was of the opinion that Hindu society failed to unite unity and it was unfortunate that religion was a rock on which Hindu built their houses. His two well known works ,Who Were the Shudras? (1947) and The Untouchables (1948), has for the first time analyzed in detail the 'Shudras' and 'untouchables' which created a stir in.

Ambedkar's quest for social justice can be visualized in the philosophy, policy and ideals of the constitution of India. It is a fact that Ambedkar did not propound any specific definition or theory of Social Justice. His thought are eloquently por- trayed in his writings and speeches published posthumously. On the basis of these, it can easily argue that Ambedkar has mentioned multiple principles for the establishment an open and just social order in general and Indian society in particu- lar. Ambedkar was of the opinion that social justice can be dispensed in a free social order in which an individual is end in itself. Similarly, the term of associated life between mem- bers of society must be regarded by consideration founded on liberty, equality and fraternity. In a way these principles of social justice are similar to the principles of social justice as mentioned in Rawl's theory.

Ambedkar argues "Ideals would be a society based on lib- erty, equality and fraternity…" After India's independence for dispensing social justice in the wake of emerging democracy in a hierarchically arranged society, Ambedkar discussed the operationalization of principles of equality, liberty and fraternity, which were considered to be cardinal principles of any democracy. For social justice, he tries to find a creative combination of democracy and modernity. He looked at democracy

as an initial condition or the sphere which could be used for converting opportunity into an asset. For him conversion could be achieved only through modernity. Ambedkar tends to treat democracy as an initial condition of social justice both as consciousness and also as a material possibility. He does not take the position that social backwardness are historical discrimination is the final conditions within a claim to social justice can be established without moral justification. 4 For Ambedkar, moral justification needs to be internal to social justice implicating the most marginalized section of society.

Moral justification is internal to the Bahujan or orthodox con- cept of social justice, as the most marginalized cannot afford to either rubbish or trivialize such institutions; claims meet just the partial conditions when understood from the point ofviews of subaltern universe of justice.[5]

Ambedkar began investing the origin of the caste system more than a decade before Govind Sadashiv Ghurye- the first Indian anthropologist to do so. Yet his contribution was over- looked for many years, Oliver Herrenschmidt emphasizes as a prelude to his own efforts to redress this imbalance. The core of Ambedkar political strategy remained constant: Brah- mins and Capitalism were the main enemies. Dalits, as the super-oppressed and exploited, must maintain their autono- my. It was Ambedkar who felt for the untouchables to come forward and play a pioneering role in the eradication of caste destruction of the Brahminical system. The process of change was to involve a rejection of slavery by the slave, social struggles and political movements. The following father of Indian anthropology such as M.N Srinivas and Louis Dumont has ignored Ambedkar, even though he anticipated many of their arguments (Mendalsohn and Vicziany 1998).

According to Ambedkar, caste is religion and religion is any- thing but an institution. It may be institutionalized by it is not the same as the institution in which it is embedded. Religion is an influence or force suffused through the life of each in- dividual molding his character determining his actions and reaction, his likes and dislikes. These likes and dislikes, ac- tion and reactions are not institution, which can be lopped off. They are forces and influences, which can be dealt with by controlling them or counteraction them. If social forces are to be prevented from contaminating politics and perverting it to the aggrandizement of the few and the degradation of the many them it follows that it will contain mechanism, which will bottle the prejudices and nullity and injustice, which the social forces are likely to cause ifthey were let loose? (Vijayan 2006: 18).

Ambedkar's notion of social justice is based on equal rights and human dignity through legal framework. As the result of his thought, Indian constitutions grantees equal rights to all. He was first person to demand separate electorates and res- ervation system in favour of dalits in round table conference hence three round table conferences were failed. Ambedkar realized that affirmative action is only way to improvement of dalits communities which safeguards through legal insti- tutions.

Ambedkar did not encourage the aspiration of caste system within India and castes system generates inhuman practice among the communities. Ambedkar believed that economically dalits are very poor which they are lack ac- cess to political, social and economic power. Ambedkar did consider dalit representation into mainstream political arena which generates dalit movement in various Indian states for freedom and justice. He also believed that law is an important powerful weapon to fight against discrimination.

The constitutional commitment of the creation of a classless society be lifting equality and human dignity is sheltered by the rampant practice of untouchability and of bonded labour system. Ambedkar believed in the political process and was only anxious that the Depressed Classes share in it accord- ing to then numbers and needs. 6 He believed that democracy offers every individual achieve social equality, economic and political justice guaranteed in the preamble of the constitu- tion. Liberty, equality and fraternity should be the only alternative to abolition caste society (Rajasekhriah & Jayaraj 1991: 370). He argued that, liberty cannot be divorced from equality; equality cannot be divorced from fraternity. With equality, liberty would produce would kill individual initiative. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. It would require a constable to enforce them. We must begin by acknowledging the fact that there is completes absence of two things in Indian society. One of these is equal- ity? (Larbeer 2003: 64). Political democracy gives equal rights for everyone which assures legal provision to all. Ambedkar believed One Man One Value which means the basic need of each person are well satisfied with freedom and dignify.

Notes (Endnotes) :-

1. The term Chandala was of Hindu textual origin, exterior caste had been introduced by the British officials, and the term Harijan was coined by Narsinh Mehta and propagat- ed by M.K, Gandhi However the term dalit was coined by activists of Scheduled Caste background and has gained wide acceptance.

2. The term Dalit literally grounded, oppressed or broken) includes Scheduled castes, Scheduled tribes and other Backwards class es, However, in current political dis- course, the term dalit is mainly confined to Scheduled castes.

3. Sanskritization can be defined as a process by which, a low caste or tribe takes over the customs, ritual, belief and style of life of a high and in particular a twice-born caste. For more details see: M.S Srinivas(1998:88). A 'casteless' society: an aspiration or a myth to cover up privilege Despite attempts to create an egalitarian and modern society, the caste system remains a prominent feature of Indian society.

Historically, castes, which are often associated with certain occupations, were arranged in a

hierarchy, with some castes considered superior to others and thus accorded more power and privileges than others. This system of social stratification and power relations has been a major problem in India as it has led to discrimination and inequality for those belonging to lower castes?

QUESTIONS TO CHECK YOUR PROGRESS :-

1) Write an ambedker view of cast less?

2) Critically examine the visionof social justice?

SUGGESTED READINGS :-

1. Dr. B. R. Ambedkar: Writings and Speeches. Vol: I, Ambedkar Foundation, New Delhi, 2014.
2. Majumder : The Human Genetic History of South Asia: A Review.
3. https://egyankosh.ac.in
4. https://www.worldwidejournals.com
5. https://www.thehindu.com

Ph No. : 9535638019

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 227-230

DR. B.R. AMBEDKAR AS A MESSIAH OF THE SCHEDULED CASTES STRUGGLES

Dr. Arati Diwate

Associate Professor, Sangameshwar College, Solapur (Autonomous), India.

Dr. Ashwini Bidkar

Assistant Professor, Program Coordinator, Bharati Vidyapeeth (Deemed to beUniversity) Pune, INDIA

ABSTRACT :-

India has a society based on a hierarchical caste system, not only among Hindus but also among other castes. Previously, people in the lower classes did not have access to all resources and were also abused by the higher classes. Untouchables were considered very impure, so when a caste member comes into contact with them, that member becomes impure. Dr. Ambedkar himself has been a victim of social illness since childhood because he was a child of the Mahar caste which was considered the lower class. According to Ambedkar, the basic unit of Hindu society is caste. Dr. B. R. Ambedkar, a Dalit himself, strongly advocated for abolishing the caste system and supported Dalit struggles.

KEYWORDS :- Scheduled Castes, Indian Constitution, Untouchability, Atrocity

INTRODUTION :-

India is the only country that has a caste system. Caste system has remained an integral part of the Hindu social order. It was the main cause of injustice within Indian society. According to the "Rig Veda ", the caste system is classification of people into four main castes - The supreme varna is Brahman, the second is Kshatriya, the third is Vaishya and the last is Sudra. In this caste system, the shudras are at the very bottom and considered as untouchables. They have been socially discriminated against and exploited by the upper castes since time immemorial. All humans are equal by birth, but a few selfish & snobbish people constructed a caste system based on occupations that contributed to the evil practice of untouchability. The Hindu caste system had its origin in the period of Manu Smriti. In this Hindu caste system untouchables are placed at the bottom of the hierarchy and called Shudras. Today they are known as Dalits. These are the people who are poor, neglected, mistreated

and downtrodden. These people were excluded from various human rights, viz. social, economic, and political rights including the right to education and employment. They constituted the traditionally forced and customary undignified and mortifying labour due to their birth in the untouchable castes. These people were forced to live on the outskirts of the villages and towns in the areas towards which the wind blew and sewage flowed. Their houses were dirty, dingy, dark, and unhygienic, full with poverty and squalid.

DR. BABASAHEB AMBEDKAR'S INITIATIVE FOR THE BETTERMENT OF THE DOWNTRODDEN :-

Dr. B. R. Ambedkar (Bhimrao Ramji Ambedkar), popularly known as Babasaheb belonged to the Mahar caste. The Mahars were treated as untouchables and were subjected to socio-economic discrimination in society. In such a society, not only did man hate man, but the caste Hindus kept themselves away from the shadows of the Harijans (Harijans (children of lord Hari/Vishnu) is a term popularized by Mohandas Gandhi for referring to Dalits, traditionally considered to be untouchables) and downtrodden. Their paths, residences, wells and temples were separate; even if one side had a great desire to talk, but the other side discarded them. The ways of keeping relations were strange.

The downtrodden did not have the courage to come forth, raise their eyes and stand beside to talk to people of the higher castes. The doors of the temples, like the doors of schools, were not opened for them. These bad traditions were the gifts of the social structure and the caste system. It was in such a society that Ambedkar was born and brought up. However, fighting against all odds, he attained higher education and soon after completing his studies, he launched himself politically, fighting for the rights of the depressed classes and against inequality practiced in the society.

THE MESSIAH OF THE SCHEDULED CASTES :-

Dr B.R. Ambedkar's name will be written in golden letters in the history of India as a champion of social justice. He was not only the main builder of the Constitution, but also the crusader of social justice for the betterment of the downtrodden. He spent his whole life for the betterment of the poor and exploited untouchables in Indian society.

- Mahad Satyagraha or Chavdar Tale Satyagraha was a satyagraha led by B.R. Ambedkar on 20 March 1927 to allow untouchables to use water in a public tank in Mahad (currently in Raigad district), Maharashtra, India.
- Kalaram Temple Entry Movement, led by Dr. B. R. Ambedkar, formed a pivotal role in the Anti-Caste Movement in India outside the Kalaram Temple in Nashik, Maharashtra, in order to allow lower caste people or untouchables to enter the Temple. The Movement aimed for equal rights for the lower caste people.

- Dr B R Ambedkar demanded separate electorates for the 'untouchables' at the First Round Table Conference in London (1930).
- Dr B.R Ambedkar actively supported the rights of the Dalits. He established the All India Scheduled Caste Federation in 1942 to put forth the issues of Dalits in an effective manner.
- He was the chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly. In his capacity as a chairman, he along with the support of nationalists abolished untouchability.
- He spent rest of his life for laying foundations for the future of the Dalits- he

Indian Constitution and Special Provisions to eradicate untouchability :-

1. Reservations for members of the Scheduled Castes and Tribes in different spheres of public life. These include reservation of seats in the State and Central legislatures (i.e., state assemblies, Lok Sabha and Rajya Sabha); reservation of jobs in government service across all departments and public sector companies; and reservation of seats in educational institutions.
2. Caste Disabilities Removal Act of 1850 disallowed the curtailment of rights of citizens due solely to change of religion or caste.
3. The Constitution abolished untouchability (Article 17) which means that no one can prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities etc. It also means that it is wrong to practice untouchability and that this practice will not be tolerated by a democratic government. In fact, untouchability is a punishable crime now.
4. The 1989 Prevention of Atrocities Act revised and strengthened the legal provisions punishing acts of violence or humiliation against Dalits and Adivasis.
5. Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth.
6. National Commission for Scheduled Castes (NCSC) and National Commission for Scheduled Tribes (NCST) were set up to investigate and monitor all matters related to safeguarding the provisions for SC/ST under the Constitution and evaluating the working of those safeguards.

CONCLUSION :-

Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar is known as the Messiah of the Depressed Classes in India because of his pivotal work for the upliftment of the depressed section of the society.There are many reformers who played an important role for the upliftment of scheduled castes including Jyotiba Phule, Ayyankali of Kerala and LyotheeThass of Tamil Nadu. Dr. B.R. Amedkar emerged as a great leader of untouchables who fought against many social evils like untouchability, caste restrictions and other discriminations. He devoted his whole life to protect the life of untouchables in India.

According to B.R. Amedkar, the dalits were primarily socially, economically and politically

weak and could only be uplifted by changing the social structure through legal, political and educational means. He also advocated that a hereditarian caste system can only be eliminated through educational and inter caste marriage. “Ambedkar had visions of not only a casteless society, but one in which there was gender justice, labor justice, economic justice and an equal distribution of opportunities. He stood not just for the Dalits, but for all victims of inequality.”

REFERENCES :-

1. Singh, D. (2009), Development of Scheduled Castes in India -A Review, Journal of Rural Development Vol. 28, Issue 4, pp .529-542
2. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2230807518816579
3. https://eprajournals.com/IJES/article/8133
4. https://journal.lawmantra.co.in/wp-content/uploads/2016/08/1.pdf
5. Raghavendra R.H. (2016). Dr B.R. Ambedkar’s Ideas on Social Justice in Indian Society. Contemporary Voice of Dalit, 8(1), 24–29.
6. https://byjus.com/ias-questions/what-steps-have-been-taken-by-the-government-to-eradicate-untouchability/
7. https://www.geeksforgeeks.org/what-are-the-contributions-of-dr-br-ambedkar-towards-indian-society/

arati.diwate26gmail.com

ashwini.bidkar@bharatividyapeeth.edu

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 231-234

Dr. B. R. Ambedkar's Educational Vision : Empowering Minds and Transforming Societies

Dr. Naresh Kumar

Assistant Professor, State Council of Educational Research and Training (SCERT),
Varun Marg, Defence Colony, New Delhi

Abstract :-

Dr. B.R. Ambedkar, a prominent Indian jurist, social reformer, and the architect of the Indian Constitution, had profound views on education. He believed that education was the key to liberation from the social and economic oppression faced by marginalized communities in India. This essay delves into Ambedkar's views on education, highlighting his emphasis on access, quality, and social transformation through education. It explores his vision of an inclusive education system and the role of education in breaking the chains of caste-based discrimination.

Keywords :- Social Justice, Empowerment, Equality through Education, Economic Upliftment, Social Transformation, Inclusive Education, Women in Education, Political and Social Awareness.

Introduction :-

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, popularly known as Dr. B.R. Ambedkar, was a multifaceted personality who played a pivotal role in shaping modern India. Born into a marginalized community, he faced discrimination and inequality firsthand. Throughout his life, he championed the cause of social justice, equality, and empowerment for the Dalits (formerly known as "untouchables") and other oppressed communities. Education was one of the central pillars of his vision for a just society. This essay will elucidate Dr.Ambedkar's views on education, focusing on his thoughts regarding access, quality, and the transformative power of education.

Early Life and Education :-

Dr. B.R. Ambedkar was born on April 14, 1891, in a small village in Mhow, which is now part of Madhya Pradesh, India. He was born into a Dalit family, which meant he faced severe discrimination and untouchability from a young age. Despite the challenges, Ambedkar was determined to acquire an education and become a beacon of hope for his community. His pursuit of knowledge led him to

complete his primary education at the Elphinstone High School in Bombay (now Mumbai) and later graduate with honors in economics and political science from the University of Bombay. Ambedkar's personal experiences with discrimination and social injustice greatly influenced his views on education and its role in social transformation.

Ambedkar's Vision of Education :-

Dr. Ambedkar firmly believed that education was the most potent tool for the emancipation and empowerment of the marginalized and oppressed sections of society. His views on education can be summarized as follows :

1. **Equality through Education :-** Ambedkar stressed the importance of providing equal educational opportunities to all, regardless of caste, creed, or socioeconomic status. He viewed education as the means to eradicate the deeply rooted social inequalities and untouchability that plagued Indian society. He believed that education could empower the marginalized communities and enable them to assert their rights and dignity.

2. **Education as a Path to Self-Respect :-** For Ambedkar, education was not just about acquiring knowledge but also a means for individuals to gain self-respect. He believed that education could boost the self-esteem and confidence of Dalits and other oppressed communities, making them aware of their rights and potential.

3. **Political and Social Awareness :-** Ambedkar saw education as a tool to create political and social awareness among the marginalized. He emphasized the need for education to instill a sense of social and political responsibility in individuals. In his view, an educated person would be more inclined to participate in the democratic process and advocate for social justice.

4. **Economic Upliftment :-** Ambedkar understood the significance of education in providing economic opportunities. He believed that education could enable marginalized communities to escape the cycle of poverty and exploitation by gaining access to better employment and economic independence.

5. **Access to Education :-** Ambedkar recognized that education was the path to empowerment and the eradication of social disparities. He vehemently argued for equal access to education for all, irrespective of caste, creed, or gender. In his famous essay, "Annihilation of Caste," he remarked, "We must stand on our legs and fight as best as we can for our rights. So carry on your agitation, and organize your forces. Power and prestige will come to you through struggle."Ambedkar believed that education should not be a privilege but a fundamental right. He was a strong advocate for reservations or affirmative action to ensure marginalized communities had access to educational opportunities.

His efforts eventually led to the inclusion of provisions for affirmative action in the Indian

Constitution, which aimed to uplift Scheduled Castes and Scheduled Tribes through educational and employment quotas.

6. **Quality of Education :-** Ambedkar was not content with mere access; he stressed the importance of quality education. He argued that quality education was the means to equip individuals with the skills and knowledge required to break free from the shackles of poverty and discrimination. He criticized the prevailing education system for its failure to address the specific needs of marginalized communities.Ambedkar's call for quality education extended to the curriculum itself. He advocated for an education system that was not only academically rigorous but also socially inclusive. He believed that the curriculum should be designed to inculcate values of social justice, equality, and respect for diversity. In his words, "Political tyranny is nothing compared to social tyranny, and a reformer who defies society is a more courageous man than a politician who defies Government."

7. **Social Transformation through Education :-** Ambedkar saw education as a powerful tool for social transformation. He believed that education had the potential to challenge and change the deeply entrenched caste-based hierarchies in Indian society. Through education, he argued, individuals could develop critical thinking, question existing norms, and strive for a more egalitarian society.One of his notable contributions was the conversion movement. He encouraged Dalits to convert to Buddhism, seeing it as a means to break away from the oppressive Hindu caste system. Education played a pivotal role in this transformation. By embracing Buddhism, Ambedkar envisioned a way for his followers to renounce the social inequalities imposed by their previous religious affiliations.

8. **Inclusive Education :-** Ambedkar was a proponent of inclusive education, not only in terms of access but also in fostering an inclusive and compassionate society. He believed that the onus of creating an inclusive society lay on the education system. His vision of inclusive education went beyond just classroom diversity; it aimed at nurturing empathy and understanding among students from all backgrounds.

9. **Role of Women in Education :-** Ambedkar was a champion of women's education as well. He recognized the pivotal role that women played in the family and society and believed that their empowerment was essential for the overall upliftment of marginalized communities. He encouraged women to be educated and participate actively in social and political spheres.

Ambedkar's Legacy in Education :-

Today, Dr. B.R. Ambedkar's legacy in the field of education is enduring. His vision and efforts have led to significant changes in the Indian education system. Various policies and programs have been introduced to promote access to education for marginalized communities, particularly the

Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Affirmative action measures, such as reservation of seats in educational institutions, are in place to provide equal opportunities to these communities.

Ambedkar's influence extends beyond India, as his ideas on social justice, equality, and the transformative power of education have inspired movements and thinkers worldwide. His advocacy for education as a means to break the chains of discrimination and untouchability continues to resonate with people striving for a more equitable and just society.

Conclusion :-

Dr. B.R. Ambedkar's views educations were deeply rooted in his personal experiences of discrimination and social injustice. He saw education as the key to empowering the marginalized and oppressed on communities, enabling them to gain self-respect, political awareness, economic opportunities, and, most importantly, equality. His tireless efforts to promote education for all and his role in shaping the Indian Constitution have left an indelible mark on the nation's commitment to social justice and equality through education. Ambedkar's vision continues to inspire and guide generations in their quest for a fair and inclusive society.

References :-

1. Ambedkar, B.R. (1936). "Annihilation of Caste."
2. Ambedkar, B.R. (1949). "The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution."
3. Govt. of India: "Constitution of India."
4. Keer, Dhananjay. 'Ambedkar: Life and Mission."
5. Omvedt, Gail. "Ambedkar: Towards an Enlightened India."
6. Omvedt, G. (2004). "Ambedkar: Towards an Enlightened India."
7. Zelliot, E. (2002). "Ambedkar's Conversion to Buddhism."
8. Rodrigues, Valerian (Edited)."The Essential Writings of B.R. Ambedkar."
9. Moon, Vasnat (Edited)."Dr.BabasahebAmbedkar: Writings and Speeches."
10. Omvedt, Gail."B.R. Ambedkar: The Maker of Modern India."

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 235-238

DR. B. R. AMBEDKAR'S GEOGRAPHICAL THOUGHT : A CRITICAL ANALYSIS

Dr. Rajkumar Moharkar, Head, Associate professor
Mr. Shirish Jadhav, Research Student,
Dept. Of Geography, Sangameshwar College Solapur.

Abstract :-

Dr. B.R. Ambedkar's contributions to geography extended beyond the traditional boundaries of the discipline, intertwining with his social and political activism. His recognition of the geographical underpinnings of social and economic inequality informed his advocacy for policies that would promote spatial justice and equitable development. Ambedkar's legacy continues to inspire geographers and social scientists working to create a more just and equitable world.

Keywords :- Dr. B. R. Ambedkar, Contribution, Geography.

Introduction :-

Dr. B.R. Ambedkar, the renowned Indian jurist, economist, and social reformer, was also a keen observer of geography and its impact on society. His writings and speeches reveal a deep understanding of the geographical factors that shape human development, particularly in the context of India's diverse landscape and social fabric.

Ambedkar's Geographical Insights :-

Ambedkar recognized the significance of geography in shaping the distribution of resources, economic opportunities, and social structures. He noted that the uneven distribution of natural resources, such as fertile land and water sources, led to regional disparities in wealth and development. He also observed that geographical barriers, such as mountains and rivers, could hinder cultural exchange and economic integration.

Ambedkar's geographical insights extended to the realm of social stratification. He argued that the caste system, a deeply entrenched social hierarchy in India, was partly rooted in geographical factors. He pointed out that the upper castes often occupied more fertile lands and had access to better education and resources, while the lower castes were relegated to less productive lands and

faced greater economic and social marginalization.

Ambedkar's Engagement with Geography :-

Ambedkar's engagement with geography can be traced back to his early education and academic pursuits. He completed a degree in economics from Columbia University in the United States, where he was exposed to the latest geographical theories and frameworks. His doctoral dissertation, "The Problem of the Rupee," included a geographical analysis of the distribution of wealth and economic disparities in India.

Throughout his career, Ambedkar continued to draw upon geographical concepts to inform his social and political activism. He recognized the spatial dimensions of social inequality and understood that geographical factors played a crucial role in shaping the lives of marginalized communities. His writings and speeches frequently incorporated geographical references and analyses, demonstrating his grasp of the subject's relevance to social issues.

Critical Analysis of Ambedkar's Geographical Thought :-

Ambedkar's geographical observations provide valuable insights into the complex relationship between geography and society. However, a critical analysis of his thought reveals certain limitations. Firstly, Ambedkar's focus on geographical determinism, the idea that geography is the primary determinant of social and economic outcomes, may oversimplify the complex factors that shape human societies. While geographical factors undoubtedly play a role, they interact with historical, cultural, and political forces to produce diverse social realities.

Secondly, Ambedkar's analysis of the caste system, while insightful, may not fully capture the nuances of this complex social structure. The caste system is not solely determined by geographical factors but also by cultural beliefs, religious practices, and power dynamics.

Key Themes in Ambedkar's Geographical Thought :

Ambedkar's geographical thought revolved around several key themes :

- **The Geographical Basis of Social Inequality :-** Ambedkar argued that the caste system, the primary source of social stratification in India, was deeply entrenched in geographical patterns. He observed that caste-based communities often occupied distinct geographical spaces, creating a system of spatial segregation that reinforced social hierarchies.
- **The Impact of Geographical Factors on Economic Development :-** Ambedkar recognized that geographical factors, such as access to natural resources, infrastructure, and markets, significantly influenced economic development. He advocated for policies that would bridge geographical disparities and promote equitable economic growth across different regions of India.
- **The Role of Geography in Social Reform :-** Ambedkar believed that geographical analysis

could inform effective social reform measures. He proposed using geographical data to identify areas of concentrated deprivation and prioritize interventions aimed at improving the lives of marginalized communities.

Contributions to Geography :-

Ambedkar's contributions to geography can be summarized in the following areas :

1. **Caste and Geographical Distribution :-** Ambedkar recognized the strong correlation between caste and geographical distribution in India. He highlighted how Dalits, the lowest caste in the Hindu social hierarchy, were often concentrated in geographically disadvantaged areas, lacking access to basic resources and opportunities.
2. **Economic Geography and Development :-** Ambedkar emphasized the role of geography in economic development. He argued that geographical factors, such as natural resources, infrastructure, and access to markets, significantly influenced economic prosperity. He advocated for policies that would bridge geographical disparities and promote regional development.
3. **Political Geography and Representation :-** Ambedkar recognized the geographical basis of political representation in India. He argued for a system that ensured fair representation for marginalized groups, considering their geographical distribution and unique needs.
4. **Social Geography and Spatial Justice :-** Ambedkar's writings on social geography addressed the spatial aspects of social inequality and injustice. He highlighted the geographical segregation and marginalization faced by Dalits and advocated for policies that would promote spatial integration and social justice.

Impact of Ambedkar's Contributions :-

Ambedkar's contributions to geography had a profound impact on Indian society and policymaking. His insights into the geographical dimensions of social and economic inequality helped shape policies aimed at addressing these issues. His legacy continues to inspire geographers and social scientists working to promote spatial justice and equitable development.

Conclusion :-

Despite these limitations, Dr. B.R. Ambedkar's geographical thought offers valuable contributions to our understanding of the relationship between geography and society. His insights raise important questions about the role of geographical factors in shaping social inequalities and the need for policies that address regional disparities and promote social justice.

Ambedkar's legacy reminds us that geography is not a mere backdrop to human existence but an active force that shapes our societies and their trajectories. By understanding the geographical dimensions of social issues, we can better design policies and interventions that promote equity,

inclusivity, and sustainable development.

References :-

1. Vanjani, C. (2016). Dr. B.R. Ambedkar's Geographical Thought: A Critical Analysis. International Journal of Current Research, 8(8), 42025-42033.
2. Wankhede, D. M. R. (2009). Geographical Thought of Dr. B.R. Ambedkar. Gautam Book Center.
3. Mishra, H. N. (Ed.). (2012). Contributions to Indian geography. Heritage Publishers.
4. Rao, B. (2013). Dr. B.R. Ambedkar: A Geographer's Perspective. Economic and Political Weekly, 48(37), 38-42.
5. Ghosh, S. (2016). Dr. B.R. Ambedkar and the Geographical Dimensions of Social Justice. Journal of Social and Political Thought, 41(2), 199-218.
6. Sarkar, R. (2019). Dr. B.R. Ambedkar and the Geographical Basis of Political Representation. Journal of Indian Political Science, 80(1), 23-42.
7. Moon, Vasant. (2001). Dr. B.R. Ambedkar: Writings and speeches. Education Department, Government of Maharashtra.
8. Nanda, B.R. (2009). Dr. B.R. Ambedkar and the question of geographical federalism in India. Social Scientist, 37(9-10), 21-34.
9. Shetty, D.L. (2013). Dr. B.R. Ambedkar's thoughts on population geography: A critical analysis. Journal of Human Ecology, 24(2), 207-212.

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 239-244

DR. B. R. AMBEDKAR'S THOUGHTS AND PERCEPTIONS TOWARDS WOMAN EMPOWERMENT

Dr. Mrs. Kundalkesha Dharmendra Gaikwad
Associate professor, Department of Chemistry, Sangameshwar College, Solapur.
Dr. Mr. Rahul Mineshwar Khobragade
Associate professor, Department of Microbiology,
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University sub campus, Osmanabad.

Abstract :-

Dr. Bhimrao Ambedkar was the first Indian reformer who rooted out the barriers in the way of advancement of women in the country. Dr.B. R. Ambedkar has given equal position to women as men by providing many provisions in the Indian constitution, for strengthening and upliftment the situation of women. Dr. Ambedkar's aim was to make a society based on social justice. He thought everybody should be treated equally irrespective of caste, gender and religion. That is why he started work for the freedom of woman and their rights.

He framed many laws for Women in India viz, (i) Dearness Allowance, (ii) Employees' State Insurance, (iii) Provident fund Act (iv) Women Labour welfare fund, (v) Divorce Act, (vi) Right over parental Property, (vii) Women Labour Protection Act, (viii) Maternity benefit for women Labour bill, (ix) Leave Benefit to Piece Workers, (x) Revision of scale of pay for employees, (xi) Restoration of ban on women working underground in mines, (xii) No marriage before age of 18 years, (xiii) Maintenance allowance from husband on getting legal separation, (xiv) Widow can adopt a child, (xv) Equal pay for equal work irrespective of the sex and (xvi) Mother can change guardian of minor by will.

Dr. Ambedkaspent the whole of his life for improving the lifestyle of women belonging to every sphere of life, even for those who are involved in bad practices and professionals like prostitution.

Keywords :- Rights, Women empowerment, Women education.

Introduction :-

In the Indian man-dominated culture, because of superstitions and misplaced practices, women have faced tremendous problems since the Vedic period. The women were burdened by numerous means, such as child marriage, sati pratha, widow remarriage prohibition, abuse of the widow, devadasi system, etc. So in a way, taking birth as a woman in this oppressed societal order almost seemed to be a curse. This system insinuated women and introduced a complex of inferiority that proved to be a significant barrier to their social, economic, and personal growth. Such cases and reasons led Dr. Ambedkar, to act accordingly to develop a culture and a political atmosphere in which women can breathe without fear of injustice, exploitation, apprehension and the general sense of harassment that they used to stand in this conventionally male-dominated system.

Dr. B. R. Ambedkar was the first Indian reformer who rooted out the barriers in the way of advancement of women in the country. To secure the social justice to women, he incorporated many issues in the Indian constitution through its various articles for the Hindus, especially for backward communities and under privileged classes. Dr. Ambedkar fought for securing woman's social rights throughout his life. He studied the Hindu Shastras and Smritis comprehensively to find out the root cause of degraded status of women in India. He raised many issues including gender equality, women education and exposed the social, traditional and cultural problems faced by the women and other depressed classes in India. He strongly advocated for family planning measures for women in Bombay Legislative Assembly. He was the first Indian to tear down the obstacles to women's progress in India. He said that all-round growth, particularly social education, well-being, and socio-cultural rights, should be provided to women.

Women's empowerment :-

Women's empowerment is a mechanism in which women gain greater influence over content, human and intellectual capital such as expertise, intelligence, ideas, and financial resources such as money and access to money and control over decision-making in the home, culture, end-nation society, and 'power' gain. Women's liberation is basically the process of improving the physical, social, and political status of women in society, who are historically marginalized. It's the process of defending them from all kinds of violence.

Empowerment of women also refers to growing the cultural, democratic, social, educational, gender, or economic intensity of women's people and societies. Women's empowerment in India is highly dependent on several distinct variables including social status and age of geographical area along with the area’s educational status.

Status of women in India :-

Dr. Babasaheb advocated the reconstruction of Hindu society on the basis of equality rather than the social reforms initiated by Brahma Samaj or Arya Samaj because their attempts were limited only to the upper strata of the society. To understand the influence rendered by Ambedkar to liberate women from the cruel command of men, we have to check the status of women from the Vedic period to British Raj. In the early stage of human history, the families were matriarchal. In those days, it is a known fact that women were physically stronger than men. During menstruation, pregnancy, and childbirth, she had to depend upon men for food and her protection which subsequently confined her and society took the form of "Patriarchal." In this way, the matriarchal families have been changed to patriarchal families. Still, women continued to enjoy authority and respect in the family. This was continued to Vedic period.

In the Vedic period, women enjoyed all the necessary rights which are common for a human being with access to all branches of learning. Women played the important role in all types of religious ceremonies with a stipulation that no religious ceremony by men was complete without the participation of his wife. The so-called golden Age of Guptas was the Dark Age for women due to some evil practices forced on women. They had been bound to perform these practices. They supported early marriages, even the pre-puberty marriages. Some brahminical rules and dogmas were imposed upon women. A system started for keeping unmarried women in temples for the service including sexual abuse by the priests in the name of God. These women were named as Dev-Dasies. Polygamy, child marriage, illiteracy for women and discrimination on sex, caste, and creed became the order of the day.

After the era of such suffering, oppression and the outlook of many thinkers regarding women and their rights, it would be quite inspiring and interesting to mention the position of women in the society in later periods. In the regime of British Raj in India, a new hope dawned in the women community. In most of the part of the country, the western education system attracted and enlightened many Indians to work for the eradication of all evil practices that had been prevailed in Indian society. The British started work to purify Hindu society from its old age tradition.

There were many social workers who had sacrificed and laid down their lives for the rights of women. Jyotiba Phule and his wife Savitri Bai Phule devoted their whole lives to the education of girls. Raja Rammohan Roy worked hard for the abolition of Sati system and fought against dominant castes for the betterment of lives of thousands of women.

Dr. B.R. Ambedkar's view towards women status :-

Dr. Ambedkar created consciousness among poor, illiterate women and motivated them to

fight against the unjust and social practices like child marriages and devdasi system. His thoughts to inspire women are truly taken in to practice, the present picture of the society can change drastically, and women can claim equal rights in society as well.

He always honored women for their work and hardships. He suggested women with the following words. “Never wear such clothes which will damage our personality and character. Avoid wearing the jewelry on your body everywhere. It is not fare to make a hole in the nose and wear nath.” In this, he condemned all the bad traditions and habits, even the illiterate women followed his advice from the bottom of their heart.

Dr. Ambedkar’s approach to women’s right is exclusively different from other social reformers like Jyotiba Phule, Raja Ram Mohan Roy and Mahatma Gandhi. All others tried to reform the Hindu society of certain outdated customs and practices without questioning the hierarchical social order. However, Ambedkar made his own view of the women rights and that has been reflected in Indian constitution later. To secure the goal of social justice to Women, Ambedkar has given equal status to women at par with men by providing many provisions in the Indian constitution

Main role of Dr. Ambedkar in the Women Empowerment :-

According to Dr. Ambedkar, progress of a society depends on progress of women. He has proved to be a profound intellectual and committed warrior and has made tremendous efforts to lead society on the road of democracy, dignity, and fraternity.

He was the first Indian to tear down the obstacles to women's progress in India. He said that all-round growth, particularly social education, well-being, and socio-cultural rights, should be provided to women.All kinds of issues related to women empowerment are controlled by him. Gender equality related factors are controlled by him easily, as well as right of women to divorce is maintained by him. He can reveal this point of view about strict control of women through restriction of widow, child-marriage, sati and others. Various tremendous significant facts for women empowerment are evaluated by Dr. Ambedkar. Right to inheritance is provided by B.R. Ambedkar toward women, which is treated as an effective part of women empowerment.

Dr. B.R. Ambedkar can create an effective worldview about women empowerment in early 20th century. With the help of various resources it is observed that women emancipation movement and civil liberties in the west influence mentality of young B.R. Ambedkar. He can play a crucial; role in women’s right movement. Position disadvantages for women are securing by him. B.R. Ambedkar stated that “I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved”. Several key issues Hindu Code Bill has an impact on women empowerment, which identified and solved by B.R. Ambedkar. According to him, it is an effective responsibility for government to

bear some burden of maternity of women. Protection act for children, women and working mothers were passed in 1938, with the involvement of B.R. Ambedkar. He can help Delhi government to start free bus rides for women with entire safety. With the help of this factor women can participate in city's workforce.

The Preamble of Indian constitution guarantees social and economic justice to women and that is because of Dr. Ambedkar contribution. Dr. Ambedkar tried an adequate inclusion of women's right in the political vocabulary and constitution of India like article14 provides equal rights and opportunities in political, economic and social spheres, article 15 prohibits discrimination on the ground of sex, article 15(3) enables affirmative discrimination in favour of women, article 39 provide equal means of livelihood and equal pay for equal work, article 42 gives human conditions of work and maternity relief. Article 46 allows the state to promote with special care, the educational and economic interests of the weaker section of people and to protect them from social injustice and all forms of exploitation. Article 47 empowers the state to raise the level of nutrition and standard of living of its people and the improvement of public health. Article 51 (A) (C) deals with fundamental duties to renounce practices, derogatory to the dignity of women and so on. If we look at the provisions of constitution deeply, we can easily make out that Dr. Ambedkar was a great thinker of women rights and freedom.

Conclusion :-

Commonly the women can be signified as the mother and can play different vital role in daily life. They can be recognized as the head of the family. It can be served that women are mostly concerned with some kinds of religious ceremony where man acquire their confidence from there. Formal kind of description can be seen to analyse the efficiency of woman and she can be called as the equal half of all the men. It can be signified to be reflected as the social movement according to the injustice behaviour to be served in case of women.

Dr. Ambedkar brought a new trend for uprising women through his thoughts and beliefs and he was a path-maker of all the women irrespective of religion, caste, creed, gender. Along with women, all the people of India should be proud for his tremendous contributions and everlasting steps for the empowerment of women in Indian society. But still, discrimination against women in Indian society can't be overlooked. So, it is a duty of every Indian to fulfil the dreams of Dr. Ambedkar for a better world for women. However, in the present scenario, the Indian women have progressed a lot in various parts of their life although they are still suffering from various social evils like dowry, eve teasing, rape etc. Dr. Ambedkar's slogan on unity, education, and agitation must be remembered always. "Unity is meaningless without the accompaniment of women, education is fruitless without educated women,

and agitation is incomplete without the strength of women".

References :-

1. Kakhandaki, M.K. and Lokhande, R.S., 2016. DR. BR AMBEDKAR?S ROLE IN WOMEN EMPOWERMENT. RESEARCH JOURNEY, p.107.
2. Godbole M. T. (2015), The Study of Nature of Dr.Babasaheb Ambedkar's Constitution and its contribution for Justice, Freedom, Empowerment of Women's and Depressed Strata. International Journal of Medical Science and Clinical Inventions, Vol. 2 Issue 6, pp 1097- 1104.
3. Das S. (2015), Ambedkar and Women rights: An Analysis. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IRJIMS), Vol. I, Issue I, pp 191- 195.
4. Singariya M.R., 2014. Dr. B.R. Ambedkar and women empowerment in India. Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science, 2(1), pp.1-4.
5. Feminism In India. 2020. Why Ambedkar Matters To TheWomen's Rights Movement
6. The Indian Express. 2020. B R Ambedkar Was Instrumental In Shaping Legal Rights Of Women In India.
7. Ubale M. (2016), Dr. Babasaheb Ambedkar's approach to women's empowerment, International Education & Research Journal, Volume 2, Issue-6, pp 1-3.
8. Yadav, K.R., 2019. Ambedkar's Vision towards Women Empowerment in India: Reflections. Glass Ceiling and Ambivalent Sexism (Critical Perspectives of Gender Trouble), p.35

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 245-248

DR. B. R. AMBEDKAR THOUGHTS ON INDIAN ECONOMY

Dr. Sangita Kamat Nadkarni

Asst. Professor, Department of Economics, Sangameshwar College (Autonomous) Solapur.

Abstract :-

Dr. B. R. Ambedkar, a prominent Indian jurist, economist, and social reformer, held insightful views on the Indian economy. His economic thought was shaped by his understanding of the social and economic realities of India, particularly the plight of the marginalized and disadvantaged sections of society.

Keywords :- Prominent Indian Economist, Development of Economy, Society.

Introduction :-

He had extensively studied economics and had a clear vision for India's economic development. Ambedkar's economic thoughts were deeply rooted in the principles of social justice and economic equality. He believed that economic empowerment was crucial for the upliftment of the downtrodden and the eradication of caste-based discrimination.

Central Themes of Ambedkar's Economic Thought :-

1. **State Intervention and Economic Planning :** Ambedkar advocated for a mixed economy model with a strong role for the state in economic planning and intervention. He believed that the state had a responsibility to ensure equitable distribution of wealth and resources, and to promote the economic development of the underprivileged.

2. **Industrialization and Agriculture :** Ambedkar emphasized the importance of industrialization for India's economic growth. He recognized the need for a diversified economy that could reduce dependence on agriculture and provide employment opportunities for a growing population. However, he also stressed the importance of developing agriculture to improve the livelihoods of rural masses.

3. **Social Justice and Economic Empowerment :** Ambedkar believed that economic empowerment was essential for achieving social justice. He advocated for measures to uplift the

Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other marginalized groups, such as land reforms, education, and access to credit.

4. **Decentralization and Cooperative Economics :** Ambedkarfavoured decentralization of economic power and promoting cooperative societies. He believed that cooperatives could play a crucial role in empowering the underprivileged and ensuring economic participation at the local level.

Importance ofAmbedkar'scontributions in Economic Thought :-

- **Championing the Rights of the Marginalised :** Ambedkar's economic thought placed a strong emphasis on addressing the economic disparities faced by the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other marginalized groups. He advocated for policies and programs that would promote their economic inclusion and upliftment.
- **Advocating for a Mixed Economy Model :** Ambedkar's vision for India's economic future was that of a mixed economy, balancing the role of the state and the private sector. He believed that the state had a responsibility to intervene to ensure social justice and economic development, but also recognized the importance of private enterprise and market forces.
- **Promoting Cooperative Economics :** Ambedkar saw cooperatives as a promising tool for economic empowerment, particularly for the marginalized sections of society. He believed that cooperatives could foster self-reliance, encourage collective action, and promote equitable distribution of economic gains.

Enduring Relevance of Ambedkar's Economic Ideas :-

Ambedkar's economic thought remains relevant to India's continuing quest for inclusive and sustainable economic development. His insights on the importance of social justice, economic empowerment, and the role of the state in addressing economic disparities continue to resonate in contemporary policy discussions. His advocacy for cooperatives and decentralization also provides valuable perspectives on fostering local economic development and empowering marginalized communities.

Dr. B. R. Ambedkar's economic thought stands as a testament to his deep understanding of India's economic challenges and his unwavering commitment to social justice and economic equality. His ideas continue to inspire and guide policymakers and economists in their efforts to create a more equitable and prosperous India.

Central Themes of Ambedkar's Economic Thought :-

1. **Economic Equality and Social Justice :** Ambedkar believed that economic equality was a prerequisite for social justice. He advocated for measures to uplift the marginalized sections of society, including land reforms, reservation in education and employment, and progressive taxation.
2. **Mixed Economy and State Intervention :** Ambedkar recognized the limitations of a pure market economy in addressing India's socio-economic challenges. He favoured a mixed economy with a strong role for the state in promoting economic development and ensuring social welfare.
3. **Industrialization and Agrarian Development :** Ambedkar emphasized the importance of industrialization as a driver of economic growth. However, he also stressed the need for parallel development of agriculture to ensure food security and rural prosperity.
4. **Financial Stability and Monetary Policy :** Ambedkar advocated for sound financial management and a stable monetary policy to foster economic stability and growth. He supported the establishment of a central bank and the implementation of prudent fiscal measures.
5. **Global Economic Integration and Trade :** Ambedkar recognized the benefits of international trade and economic cooperation. He supported India's participation in global economic forums and advocated for fair trade policies that benefited developing nations.

Conclusion :-

Dr. B. R. Ambedkar's economic thoughts continue to be relevant in today's India. His insights into the challenges of economic development and his emphasis on social justice and economic equality remain valuable guides for policymakers and economists. His legacy serves as a reminder that economic progress must be inclusive and equitable, ensuring that the benefits of development reach all sections of society.

References :-

Books :

1. Chakrabarty, Dipankar. "Dr. B.R. Ambedkar: The Economist." Oxford University Press, 2018.
2. Muniyandi, C., and Surya, S. "Dr. AMBEDKAR'S THOUGHTS ON INDIAN ECONOMY." Mayas Publication, 2018.
3. Singh, Rajeev. "Ambedkar and the Economic Development of India." Sage Publications, 2014.
4. Upadhyaya, G. P. "Economics of Dr. B.R. Ambedkar: A Study of His Economic Thought and Policies." Deep and Deep Publications, 2017.

Articles :

1. Bardhan, Pranab. "The Economic Vision of Dr. B.R. Ambedkar." Economic and Political Weekly, vol. 32, no. 45, 1997, pp. 3025-3036.
2. Ghosh, Debashis. "Dr. B.R. Ambedkar's Economic Thought: A Critical Analysis." Economic and Political Weekly, vol. 53, no. 14, 2018, pp. 36-43.
3. Jena, J. K. "Ambedkar's Vision of Economic Development and Social Justice." Journal of Indian History, vol. 89, no. 1, 2011, pp. 45-63.
4. Muniyandi, C. "Ambedkar's Economic Thought: Relevance in the 21st Century." Economic and Political Weekly, vol. 47, no. 2, 2012, pp. 104-109.
5. Singh, Rajeev. "Dr. B.R. Ambedkar's Economic Thought: A Critical Appraisal." Journal of Indian History, vol. 89, no. 1, 2011, pp. 65-83.

Email Id - sangitakamat14@gmail.com

Contact No. 9665820779

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 249-251

DR. B. R. AMBEDKAR'S ECONOMIC THOUGHT : A CRITICAL ANALYSIS OF HIS CONTRIBUTIONS TO INDIAN ECONOMIC POLICY

Dr. Rajguru Pravin Pundalik
Assistant Professor, Department of Economics,
Sangameshwar College, Solapur, Autonomous (MH)

Abstract :-

Dr.B.R. Ambedkar, a towering figure in Indian history, was not only a social reformer and jurist but also a renowned economist. Though often overshadowed by his political and social activism, his contributions to economic thought are significant and far-reaching.Early Economic ContributionsAmbedkar's interest in economics began during his early education. He earned a Master's degree in Economics from Columbia University and a Doctorate from the University of London. His doctoral thesis, "The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution," dealt with the complexities of India's monetary system under British rule.

Keywords :- Economic Thoughts, Contribution, Critical Analysis

Introduction :-

In his thesis, Ambedkar argued that the gold standard, which pegged the value of the Indian rupee to gold, was detrimental to India's economic development. He advocated for a managed currency system that would allow for greater flexibility in monetary policy. His insights were ahead of his time and gained recognition decades later.

Dr. B.R. Ambedkar, the architect of India's Constitution, was a multifaceted genius who made significant contributions to various fields, including economics. His economic writings, though not as well-known as his political and social works, offer valuable insights into the challenges facing India's economic development and the role of the state in promoting equitable growth. This paper aims to shed light on Ambedkar's economic thought, highlighting his contributions to monetary policy,

federal finance, and the economics of social justice.

Monetary Policy and the Problem of the Rupee :-

In his seminal work, "The Problem of the Rupee" (1923), Ambedkar critically examined the monetary system of British India and its impact on the country's economic development. He argued that the gold standard, the prevailing monetary system at the time, was detrimental to India's economy, as it restricted the flexibility of the Reserve Bank of India to manage the money supply and respond to economic fluctuations. Ambedkar advocated for a managed currency system, one that would allow the central bank to control the money supply in accordance with the needs of the Indian economy.

Federal Finance and Provincial Autonomy :-

Ambedkar's work on "Provincial Finance in India" (1925) explored the intricacies of federal finance and the distribution of resources between the central and provincial governments in British India. He argued for greater financial autonomy for the provinces, enabling them to meet the specific needs and priorities of their regions. Ambedkar believed that decentralization of financial power would foster economic development and address regional disparities.

Economics of Social Justice and Empowerment :-

Ambedkar's economic philosophy was deeply rooted in the principles of social justice and equality. He recognized that economic disparities and social exclusion were major impediments to India's economic progress. He advocated for various measures to address these issues, including education, reservation policies, and land reforms.

Ambedkar believed that education was the key to empowering marginalized communities and enabling them to participate fully in the economic sphere. He championed the cause of universal education, particularly for women and lower castes, as a means to break the cycle of poverty and discrimination.

Reservation policies, also known as affirmative action, were another aspect of Ambedkar's vision for social justice and economic empowerment. He advocated for reserving a percentage of government jobs and educational opportunities for marginalized communities to ensure their fair representation and address historical inequities.

Land reforms were also a central element of Ambedkar's economic agenda. He believed that equitable distribution of land was essential for achieving economic equality and reducing poverty among the rural poor. He advocated for land redistribution and tenancy reforms to give landless laborers and marginal farmers access to land ownership and the means of production.

Economic Vision for India :-

Ambedkar's economic vision for India was rooted in the principles of social justice and

economic equality. He believed that economic development could not be achieved without addressing the deep-seated social inequalities that plagued Indian society.

He strongly advocated for land reforms, emphasizing the need for equitable distribution of land among the peasantry. He also recognized the importance of education and skill development for marginalized communities to participate effectively in the economy.

Ambedkar's economic policies were not limited to domestic issues. He also recognized the importance of international trade and cooperation. He was a strong proponent of India's participation in global economic institutions and believed that international trade could be a catalyst for economic growth.

Relevance of Ambedkar's Economic Thought :-

Ambedkar's economic contributions remain relevant in today's India, as the country continues to grapple with issues of social inequality, economic development, and globalization. His emphasis on social justice and inclusive economic growth is a guiding principle for policymakers.

Ambedkar's work highlights the importance of economic analysis in addressing social and political issues. His insights provide a valuable framework for understanding the complex interplay between economics, society, and politics.

Conclusion :-

Dr. B.R. Ambedkar's contributions to economics were significant and far-reaching. His work challenged conventional economic thinking and advocated for policies that would promote social justice and economic equality. His legacy continues to inspire generations of economists and policymakers in India and around the world.

References :-

1. Ambedkar, B.R. (1923). The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution. P.S. King and Son Ltd., London.
2. Ambedkar, B.R. (1925). The Evolution of Provincial Finance in British India - A Study in the Provincial Decentralisation of Imperial Finance. P.S. King and Son Ltd., London.
3. Moon, V. (1999). Dr. B.R. Ambedkar: The Economist. Sage Publications, New Delhi.
4. Nagaraj, M. (2007). Dr. B.R. Ambedkar's Economic Thought. Concept Publishing Company, New
5. https://economicshub.substack.com/p/dr-b-r-ambedkars-contribution-to

Email : dr.pravinrajguru@gmail.com

Mob: +91 9822371039

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 252-256

Economic Thoughts of Dr. B.R. Ambedkar

Dr. Reshama Shaikh

Sangameshwar College (Autonomous), Solapur.

Abstract :-

Dr. B. R .Ambedkar, known as Babasaheb, was an Economist and the first Indian to be awarded a Ph.D. in Economics. He earned a master degree and a Ph.D. in Economics from the Columbia University, in 1915 and 1917 respectively. In the three years, he spent at the university; he completed 29 courses in economics. He pursued a doctorate in science from the London School of Economics, which was awarded to him in 1923. This research paper discusses economic thoughts of Dr. Babasaheb Ambedkar. The objectives of research paper are to understand of Economic thoughts of Dr. B.R. Ambedkar and to study of Dr. B. R. Ambedkar as an Economist.

Keywords :- Indian Economy, Indian Rupee, Economic Policy, Agriculture and Land Reforms, Caste System etc.

Introduction :-

Dr. Babasaheb Ambedkar largely Known as the father of the Indian Constitution and a leader of Dalits was born on 14 April 1891 in the town and military cantonment of Mahow in the Central Provinces (now in Madhya Pradesh) of India. Dr. Ambedkar is the first Ph.D. holder in the Economics subject and first person to earn a twofold doctorate qualification in South Asia in a similar field. He was an expert economist intending to the monetary issues of the Indian Economy and overseeing financial issues of the nation during the time of 1923 – 1956. He was one of the best-educated economists of his generation in India, earning a doctorate in economics from Columbia University in the United States and the London School of Economics. Before Dr. Ambedkar became a political leader, he was trained as an economist until 1921 and was a professional economist. He has written three books on economics, namely 'Administration and Finance of the East India Company', 'Evolution of Provincial Finance in British India' and 'The Problem of the Rupee: Its Origin and Solution'. After the end of the Second World War, India faced many difficulties related to business, agriculture, needs, etc. Dr. Ambedkar's strategy helped to recover from that unfortunate and his strategy was instrumental

in creating enterprises, improving agriculture, and building the economy of India.

Objectives :

1) To understand of Economic thoughts of Dr. B.R. Ambedkar.

2) To study of Dr. B. R. Ambedkar as an Economist.

Research Methodology :

This study has been carried out with the help of secondary data such as online research papers, books, websites, etc.

Dr. B. R. Ambedkar and His Economic Thought :-

Ambedkar's Economic thought apply to Agriculture and Land Reforms, India's Currency Problems, Contribution to Monetary Economics & Public Finance,Women Improvement and Economic Upliftment of Indian Women, Labour Problem, Economics of Caste System, Concept of Human Capital, Water Resource Policy, of economic development, Taxation policy, and many more.

Agriculture and Land Reforms :-

Dr. Ambedkar has great contribution in agriculture and land reforms in India. He mentioned that holdings of lands by few people is an acute problem of Indian agriculture which has various disadvantages, like difficulties in cultivation and utilization and resources, increasing cost, low productivity, inadequate income and low standard of living. According to Dr. Ambedkar Productivity of agriculture is related to not only with the size of holdings of land but also with other factors such as capital, labour and other inputs. Therefore if capital or labour etc. are not available in adequate quantity and quality, then even a large size land can become unproductive. On the other hand small size land become productive if these resources are available in plenty. With this thought the 'Land Ceiling Act' is passed after Independence. Ambedkar, in 1928, had written about bringing restrictions on moneylenders and ways to do that.

Contribution to Monetary Economics & Public Finance :-

Dr. Ambedkar was a multidisciplinary person be it political science, law, economics, constitutional studies etc. The book published by Dr B R Ambedkar "the evolution of provincial finance in British India' showcased major loopholes in the financial policy relevant during that time. The book summarizes the financial relation between the province and the government of India. The government was under the financial strain due to its biased policy framework. The imperial government used to administer its rule and provincial States has no saying in policy making. After 1858, it was realized that the central imperial government was not able to administer the country efficiently and country was continuously going into financial burden. Provincial States who were able to administer the country pretty well than the central govt. enjoyed least power in raising funds and contribute in

policy making. This gave opportunity to the imperial govt. to interfere in their working which resulted in misusing of funds collected at centre. After situation had become grave , later in 1871, it was decided that provincial government should prepare their own revenue and expenditure budget.

Management of the Rupee :-

Dr. B. R. Ambedkar's London doctoral thesis, later published as a book, was on the management of the rupee. At that time, there was a great deal of discussion about the relative quality of gold as well as the exchange rate of gold. The gold standard refers to a convertible currency in which gold coins are issued and can be supplemented with paper money, which promises to be completely disposable in gold. In contrast, under the gold exchange standard, only paper money is issued, which is kept exchangeable at fixed rates with gold and authorities back it up with foreign currency reserves of such countries as are on the gold standard. Dr. B. R. Ambedkar argued in favors of a gold standard as opposed to the suggestion by John Maynard Keynes that India should embrace a gold exchange standard.

Dr. Ambedkar argued that gold exchange standards give the issuer more freedom to deal efficiently in the money supply and threaten the stability of the financial unit. Dr. Ambedkar argued that the amount of Mercantile should be linked with the wheel of Nature and stated that the gold exchange standard does not have the stability, currency which is a major concern for developing countries like India. Instead of implementing the Gold standard, he drafted the recommendations and had submitted it to The Royal Commission on Currency and Finance (Hilton Young Commission).

Importance of Industrialization :-

Dr. B. R. Ambedkar argued in favor of industrialization that increasing capital reserves was the real challenge and that it would only be possible if there were more savings in the economy. He said this was not possible as long as a large community of people depended on land for their livelihood. He posited industrialization as the answer to India's agricultural problem. Industrialization of India is the soundest remedy for the agricultural problems of India. The combined effect of industrialization will be to put less pressure on farmland, increasing the number of capital and capital goods will create the economic need of the country. When Dr. Ambedkar spoke in favor of industrialization and urbanization, he hinted at the scope of capitalism and suggested that inherent capitalism could turn into a force of oppression and exploitation.

Water management :-

Dr. B. R. Ambedkar suggested the creation of a water hotspot for India's rapid economic development before independence. He underlined that the water the board ought to be an indispensable piece of the nation. He outlined the Damodar Valley Scheme (Kolkata, January 3, 1945), modeled on the Tennessee Valley Authority of America. He had said, 'Damodar waterway project is a major

undertaking and will be a multi-purpose venture for economic development. One of the main objectives of his initiative was to save the common man from floods as well as to provide a framework for water supply, roads, power generation, and the much-needed system for the needy people in the country to succeed.

Women Improvement and Economic Upliftment of Indian Women :-

Dr. Babasaheb Ambedkars contribution to economic development and progress of women is significant. According to him, participation of women in the economic development is impossible without developing their social status and equality. But due to bad economic conditions of women in India, India's economic progress is hampered. So, it is important to improve the economic condition of women and give them equal rights and freedom of occupation.

Labour Problems :-

Ambedkar was Minister of Labour Ministry, he mentioned the Labour problems. Ambedkar supported trade union movement and right to strike against capitalism. He wanted participation of labourers in industrial management. He paid attention to joint council's employment exchanges and earned leave for permanent workers, welfare activities, conciliation and trade disputes. According to him industrial peace would prevail if it is based on social justice. He introduced 5% to 6% reservation for Schedule castes in Central government. He helped the untouchable students wishing to take technical education in foreign countries. Debate between M. K. Gandhi and Ambedkar on the issue of caste system in India. Ambedkar has stressed during that debate that. Caste system in India has made strong impact on our economic system. "He (Ambedkar) told that in India, Caste system does not mean only the division of labour but also the division of laborers".

Economics of Caste System :-

According to Ambedkar the caste system in India was a major obstacle to economic growth and development. The caste system didn't allow people to teach their professional skills to any person belonging to other caste. Only the members of their own caste were allowed to learn the profession. Thus if a person had the skill necessary for a particular job he would not accept the profession of a caste lower than his own. In a dynamic industrial set up the individual must be free to choose his occupation. But due to social religious restriction on inter occupational mobility has following consequences: Firstly, by not permitting readjustment of occupation, caste become a direct cause of much of the unemployment in various groups, as a religious Hindu would prefer to be unemployed rather than getting employed in profession not assigned to his caste. Second, individual justice and economic efficiency demand that competition exists in factor market. Due to the restriction on inter occupational mobility of labour, capital and entrepreneurship across caste groups the caste system

creates segregation in each of these markets. Labour and capital thus does not flow from one occupation to another even if the wage rate or rates of return on investments are higher in the alternative occupations.

Ambedkar on economic liberalization :-

Here with economic liberalization Ambedkar refers to the state refraining intervention into private affairs. Dr. Ambedkar says: "It is true that where the state refrains from intervention what remains is liberty. But according to ambedkar this liberty is liberty to landlords to increase rents, to increase hours of work and reduce wages. For the overall working of market there must be someone who can make laws and on whom direction wheels of business must go on. In other words, it was again the dictatorship of private employers from the earlier state monopoly. He was of the view that some entities must be governed by public sector like the basic amenities and rest should begin in the hands of private players. Neo liberal reforms of 1990 showed no significant increase in economic growth and no decrease in people below poverty line. Rate of employment fell drastically. Agriculture sector shown no signs of improvement. He was against complete nationalisation of economy & state monopoly

Conclusion :-

Ambedkar was a “Pradnya Surya” and his intelligence was boundless. Even though Dr. Babasaheb Ambedkar is known more for being the architect of the Constitution, but basically, he was the most educated economist of the country. Ambedkar’s thoughts of economics have made a significant impact on the social movement. He was mainly an economist and this is evident through various economic provisions made in our Constitution. Ambedkar's writings and speeches were clear in their economic thought. Ambedkars thought has far-reaching consequences on the Indian Economy. They were way ahead of his times.

References :-

1. Ambedkar, B. R., “The Problem of the Rupee: Its Origin and its Solution (History of Indian Currency and Banking)”.
2. Ambedkar, B. R., “Annihilation of Caste with reply to Mahatma Gandhi”, Dr. Babasaheb Ambedkar Source Material Publication Committee, Govt. of Maharashtra.
3. Rajendra Kumar Arya and Tapan Choure(2014), “The Economic Thoughts of Dr. Bhimrao Ambedkar with Respect to Agriculture Sector”, Developing Country Studies, Vol.4, No.25, 2014.
4. Ambedkar, B. R., “The Evolution of Provincial Finance in British India, A study in the Provincial Decentralization of Imperial Finance”
5. https://www.livemint.com/Sundayapp/lzpPlO5wsmQENPeXNWvwcK/The-economics-of-Ambedkar.html
6. https://ideas.repec.org/a/acg/journl/v7y2019i4p29-35.html
7. https://www.sociologygroup.com/research-on-ambedkar-and-his-economic.

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 257-260

SOCIAL AND POLITICAL THOUGHT OF DR. B.R. AMBEDKAR IN SPECIAL REFERENCE OF UNTOUCHABILITY, CASTE SYSTEM AND WOMEN

DR. MANJU RANI
ASSISTANT PROFESSOR, FACULTY OF TEACHER EDUCATION,
S. M. P. G. G. PG COLLEGE, MEERUT (U.P.)

ABSTRACT :-

Dr. Bhimrao Ambedkar is a well known name for his practices upon social justice. He is the architect of Indian constitution. He fought against caste system and untouchability in India and worked for schedule caste and schedule tribes to get rights equal to sawarna people. He raised his voice whole life to make people agree to accept dalit and adivashi as their brother and sister. He also fought for women rights. Present paper is the reflection of social and political thoughts of Dr. B.R. Ambedkar in special reference of untouchability and higher education.

KEY WORDS :-

Dr. B.R. Ambedkar, social and political thoughts, untouchability, caste system, higher education.

INTRODUCTION :-

Dr. B.R. Ambedkar is a dalit leader and mile stone in the history of India. He belongs to a dalit family of Maharashtrian mahar caste, a lower or schedule caste. He faced many of isolation, suppression in his whole life for he did not belong to an upper caste. He completed his education from India as well as foreign countries. There was a strong discrimination between upper and lower caste students in India institutions, so he went to foreign for higher education upon scholarship. Nobody wanted to speak with him, nobody wanted to provide him shelter because of his caste and many times he got humiliation from many people, women as well as kids of upper caste. Then he decided ti fight against caste system and untouchability. He fought whole life and revolution changed the history in the form of constitution. He was the chairman of the constitution committee of free India. With the help of other committee members Dr. B.R. Ambedkar produced the world's biggest constitution, where he tried to bring all castes people together and equal. He drew the constitution to provide equal rights to

all, upper as well as lower caste. Any person will not serve others, on the basis of caste. He opened the door for lower caste in education, government services, high posts by recommending reservation. He recommended education for all. He also fought for the rights of education.

CASTE SYSTEM IN INDIA :-

India is the country full of various castes. From ancient period, some castes called themselves as upper castes or sawarna and gave all rights to them while some other castes considered as untouchables. All sawarna caste never asked untouchables for their equal rights. Untouchables were not allowed to be equal as sawarna in various rights as rights of money, property, education, life style, well dressing, good food, jobs, salary and savings. Lower castes or shudras were not allowed to be the boss of upper caste. Shudras or lower caste people were considered as the slaves of all upper castes such as brahamin, kshatriya and vaishya. Upper castes tried to prove their superiority upon lower castes or shudra to make them slaves. Upper castes never paid better to shudra for their slavery and the tradition of suppression spread out within an era.

UNTOUCHABILITY IN INDIA :-

From ancient time, varna system transformed into caste system as Brahmin, kshatriya, vaishya and shudras. In all of them brahamins were upper most and shudras were lower most castes. Three of above castes had all rights but shudras had no single right but they had to serve above three castes without payment and died with whole life slavery and poverty. Caste system was running very powerful from ancient period. All lower caste or shudra people were separated from society and they were not eligible to mix with upper castes people. They were expected to serve only. No upper caste supposed to touch them. Food, water or any other consumable and luxury items were not supposed to be touched by shudras, if they did so, they have to face a terrible punishment. Inspite of it, nothing must be touched by shudras and nobody would touch shudras. Shudras were only eligible for ignorance, serving others, punishments and deprivations. The tradition of untouchability run across an era and continued till now.

SOCIAL THOUGHTS OF Dr. B.R. AMBEDKAR :-

Dr. B.R. Ambedkar was a socialist. He himself faced so many tortures, humiliations and sepertions due to low caste so he could be able to feel the pain of an unnatural discrimination made by upper caste people to rule over them until hostaging, starvation, unfortune, deprivation and death. Dr. B.R. Ambedkar is known for his relentless struggle against caste discrimination. He dreamed for a nation which provides equal rights to all castes and communities. He argued that who made this caste system, only few people made, so that they could rule over others by imposing their fake superiority. He accused that only hinduism create this discrimination. A country which is divided into

thousands of castes, how could be a nation without abolition of caste system. People of so called upper caste should accept all lower caste or shudras as their brothers, sisters and equal of them. Ambedkar named shudras as "dalit", a new word for a part of population, which was separated, discriminated, and suppressed by society. He blaimed that continue atrocity has bust the mind of dalitas throughout thousand years, now this is unbearable. Society has to give all their rights to dalitas such as rights to live, rights to survive, rights to education, rights to feed, rights to select etc. He also fought for women because he noticed that this condition of women is not good. Man always considered women as the mean of consumption. Condition of women was similar to dalitas. Women were also not allowed to survive with a good life like dalitas. So Ambedkar argued for women rights from stage and pleaded his demands strongly. He considered that a uniform society can be made from equality. He pleaded that uprooting of caste system and untouchability can line up all people in one line, no upper, no lower, no inferior, no superior, no boss and no slaves.

POLITICAL THOUGHTS Dr. B.R. AMBEDKAR :-

Dr. B.R. Ambedkar himself was a dalit leader. He always pleaded for the equal rights of dalitas, women, tribes and deprived section of society. He became a popular and favorite leader of dalitas for his selfless service. Before Ambedkar there was so many dalit leaders who tried to uproot social deformities for a better society, but Ambedkar is biggest among them. He was the chairman of constitutional committee. He gave all the provisions in constitution for dalita's rights. In his opinion, equal contribution and participation of dalitas, women and deprived section must be there in formation of a nation, and it could be possible only if all of them would get a chance to involve in politics of country. There must be a good representation of each caste and every community because only representative can represent his people and raise voice for their problems and rights. Dr. B.R. Ambedkar made provision of reservation for all deprived and suppressed sections until this population would not be stand equal to other prosperous and powerful sections of society. Ambedkar did not struggle for sc/st and women only but he urged for uniform civil code to implement uniform personal laws for all citizens. He also established Hindu code bill to remove various deformities mentioned in Hindu religion regarding property, marriage, guardianship, nominee etc. he favored women reservation in education, services as well as politics. He urged for equal wages for equal work. He also pleaded to fix a minimum remuneration and maximum hours of work in a day to stop harassment of workers and weak sections. He also made various strong laws to protect self respect and pride of SC/ST categories under SC/ST Act.

THOUGHT FOR WOMEN RIGHTS :-

After over two decades of meaningless debate, the Hindu code finally included the right of

women to divorce, the right of inheritance to daughters and the access of widows to equal property rights. Simultaneously, the regressive language around caste-specific rules was also deleted. This bill later turned into a series of acts including the Hindu marriage act of 1955, and forms the legislative bedrock for women's claims to shared property even today. Ambedkar also worked to ensure to protect the women rights under labour laws. He supported a bill to grant paid maternity leave for women workers. He also believed that all women have their rights over their own body and they have reproductive rights also. He emphasized equal citizenship, equal wages, casual and privilege leave, compensation in case of injury and pension and women's rights to economic development as crucial for women's rights in India. Hindu Code bill consist four acts as Hindu marriage act, Hindu succession act, Hindu adoption and maintenance act, Hindu minority and guardianship act. Equal remuneration act is an act which provides payment of equal remuneration to men and women workers and to prevent the discrimination, on the basis of sex, caste or community, against women and all in the matter of employment and for matters connected there with or incidental there to. Dr. B.R. Ambedkar tried to protect all women rights through these acts and he somewhat became successful to achieve it.

CONCLUSION :-

Dr. B.R. Ambedkar dreamed for a nation of equality. He wanted to give equal rights to deprived and suppressed section of society. The SC/ST (Prevention of Atrocities) act 1989, The Equal Remuneration Act, 1976, Hindu code bill are the product landmark of his restless struggle throughout his life. He also played a significant role in shaping the social, political and civic contours of India and fostering the advancement of society in general and for women in particular. He firmly believed that eradicating iniquitous caste and gender relations and elevating SC/ST and women's status were vital requirements within the process of social reconstruction at which he aimed his life's work. Dr. B.R. Ambedkar 's influence also led to the passage of various other pro-women acts like The Equal Remuneration Act of 1976, and The Dowry Prohibition Act of 1961 which legally entitled women to equal wages and criminalized dowry, respectively. A revolutionary figure, a pioneer of social justice and a true reformer was Dr. B.R. Ambedkar.

REFERENCES :-

1. Paswan, Pooja., "Shaping Legal Rights of Women in India by Dr. B. R. Ambedkar", 2022 academia.edu/79763607/Shaping_Legal_Rights_of_Women_in_India_by_Dr_B_R_Ambedkar_PA_TIMES_Online?email_work_card=view-paper.
2. B. R. Ambedkar 1891 – 1956, an article, https://www.constitutionofindia.net/members/b-r-ambedkar
3. SOCIAL AND POLITICAL IDEAS OF DR. B R AMBEDKAR, https://ir.nbu.ac.in/bitstream/123456789/1311/8/08_chapter_03.pdf

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 261-264

Remembering the Chief Architect of Indian Constitution- Bharat Rana Dr. B.R. Ambedkar and his contribution in promoting the National Integrity and Unity in India

Dr. Ashwini Bidkar

Assistant Professor, Program Coordinator, Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University) Pune, INDIA

ABSTRACT :-

An attempt is made in this paper to analysethe Contribution of Dr. B. R. Ambedkar in promoting the National Integrity and Unity in India. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was born on 14 April 1891 is considered as the Chief Architect of the world's longest constitution. As chairman of the Constitution Drafting Committee, Ambedkar had a meticulous approach towards making India a just society and strengthening national integrity and sovereignty.

KEYWORDS:- National Integrity, Unity, Diversity, Indian Constitution

INTRODUCTION :-

"Unity in diversity is India's strength. There is simplicity in every Indian. There is unity in every corner of India. This is our strength." — ***Narendra Modi***

India is described as a country which is "a Unity in Diversity" because it is comprised of a wide variety of individuals who belong to different religions, speak different languages, practice different traditions, have different castes, worship different gods, wear different clothing, and eat different foods. Although India is comprised of all these different individuals and their diverse traits and practices, these individuals live together in peace and harmony in India.

The whole credit of this goes to the Indian Constitution. The Indian Constitution, the longest of any sovereign nation in the world, provides a comprehensive framework to guide and govern the country, keeping in view her Social, Cultural and Religious diversity.

INDIAN INDEPENDENCE – THE FINEST EXAMPLE OF UNITY IN DIVERSITY :-

Like South Africa, India's Constitution was also drawn up under very difficult circumstances.

The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. Atleast ten lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. There was another problem. The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. The merger of these princely states was a difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country.

DR. AMBEDKAR, THE FATHER OF INDIAN CONSTITUTION :-

On August 29, 1947, Ambedkar was appointed along with seven other members to draft an independent Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar was appointed as the chairman of the drafting committee. The constitution of Ambedkar guarantees and protection for a wide range of civil liberties for individual citizens, including religious freedom, the abolition of untouchables, and the prohibition of all forms of discrimination. Ambedkar can certainly be regarded as the "chief architect of the Indian Constitution" due to his many outstanding contributions. His efforts to eradicate social illness are remarkable, which is why he is dubbed and oppressed as the "messiah" of the Indian Dalits.

The Constitution was passed on November 26, 1949, and approved by Parliament. The Constitution came into force on January 26, 1950, which is celebrated nationally as Republic Day.

'Constitution is not a mere lawyers' document... its spirit is always the spirit of Age'

CONTRIBUTION OF DR. B. R. AMBEDKAR IN PROMOTING THE NATIONAL INTEGRITY AND UNITY IN INDIA :-

A bond of togetherness between people irrespective of their caste, creed, religion, and gender is national integrity. This is a feeling of oneness and brotherhood in a country where diversity is the main ethos. National Integration keeps the entire country tote and strong, despite the differences in culture, language, and main livelihood. An integrated nation will always progress towards development and prosperity.

There were three aspects of the Constitution which helped immensely in promoting national integration. The very first was the Preamble, beginning with the letters, "We the people of India", i.e. Bharat. Then, the Fundamental Rights, enshrined in the constitution, that guarantee equal rights to all- irrespective of religion, region, caste, sex, creed, etc. The Directive Principles of state policy that directs states in taking steps towards bringing equality, justice, liberty to all. The ideals of the Preamble are to be established through the Directive Principles of State Policy. It is these three facets of our

Constitution, when read together, aim at creating conditions for an egalitarian society in which individual freedoms are secure.

Dr. Babasaheb Ambedkar had firm faith in a cohesive society, which he thought would eradicate the evils of traditional systems and assimilation of marginal section of society into the mainstream of national life and thereby helped in promoting national unity and integration. Dr. Babasaheb Ambedkar's views on associated life and interaction are also reflected in the preamble of our constitution which says, "we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts and expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation.

In short, India's national unity can be viewed as a three-dimensional construct —of castes, religions and regions.

CONCLUSION :

From the snow-capped peaks of the Himalayas to the lush green valleys of Kerala, India is a land of endless diversity. From the deserts of Rajasthan to the beaches of Goa, our country is home to people from all walks of life, who speak hundreds of languages and follow different religions. Yet, despite our differences, we are united by a common thread: the unbreakable bond of national integration.

This bond is forged through our shared history, culture, and values. It is the foundation on which our nation stands. On National Integration Day, we celebrate this bond and recommit to working together to build a stronger, more united India.

We recognize that we are all Indians and that we all have a role to play in shaping our nation's future. We commit to respecting each other's differences and working together to overcome our challenges. Together, we can build an India that is truly inclusive and prosperous.

"Our Constitution is for the people of India, by the people of India and for the people of India. Our Constitution teaches us to 'become one and be righteous',"

The Indian Constitution is a unique and remarkable document that reflects the diversity and unity of India. Its provisions for fundamental rights, directive principles of state policy, federalism, local governance, secularism, linguistic diversity, and cultural and educational rights promote unity in diversity in Indian society. The Constitution has played a crucial role in maintaining the harmony and unity of the country and has helped India to emerge as a democratic, secular, and diverse nation.

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, popularly known as Baba Saheb, was the chief architect of the

Indian Constitution. Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar has created a unique place for himself in the history of India by the 'sheer dint of his scholarly brilliance, untiring zeal, and tenacious efforts for the uplift of the downtrodden. The contribution of Dr. Ambedkar in the building of modern India will long be remembered. His work as one of the prime architects of our Constitution, the bedrock upon which the Indian nation rests, is of lasting importance. The work of Dr. Ambedkar was a source of inspiration not only to his own generation but the generations which have followed.

The governments have also been making efforts to promote national integration.

A National Integration Council has been set up to consider issues related to national and Integration and recommend suitable measures to be taken. The governments have also been making efforts to promote national integration.

A National Integration Council has been set up to consider issues related to national and Integration and recommend suitable measures to be taken.

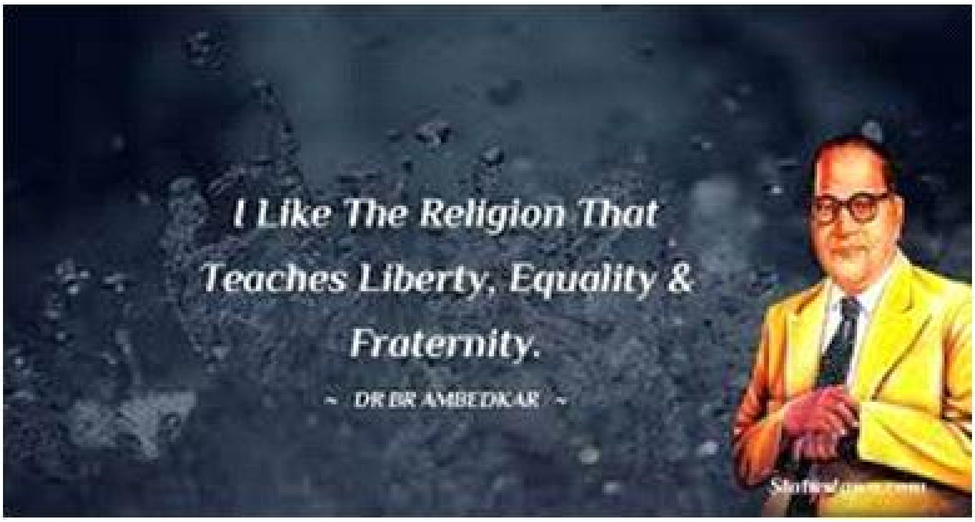

REFERENCES :-

1. Ambedkar B.R. (1948). Speech of B.R. Ambedkar in Constituent Assembly on November 4, 1948. In Constituent Assembly debates: Official report. (Reprint New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 1988, volume 7, pp. 31–44).
2. https://ceodelhi.gov.in/eLearningv2/admin/EnglishPDF/Chapter%203%20Constitutional%20Design.pdf
3. Sirswal D.R. (2011). Ambedkar on humanism: Action, reflection, action. Frontier, 43(27, January 16–22).
4. https://www.ijirmf.com/wp-content/uploads/2016/12/201611074.pdf
5. https://static.mygov.in/indiancc/2021/08/mygov-1000000000705675941.pdf
6. https://www.mainstreamweekly.net/article2699.html
7.. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=897021
8. http://ijahms.com/upcomingissue/02.07.2020.pdf
9. Mane, Suresh, Some Reflections on the Constitutional Philosophy of Ambedkar, Chapter five, Studies in Ambedkar, (Delhi,1995), pp. 67

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 265-273

"ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ "

Dr. Shridevi Annarao Patil

Assistant Professor, Kannada Dept., Sangfameshwar College, Solapur.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಇರಬಹುದು. ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿ ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳಂತೆ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ,ದಂಗೆ, ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾಡಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜನತೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಸುಗಮವಾದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಬೆಸತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾದರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತ, ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಅನೇಕ ಪಂಗಡ, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅನೇಕ ಧರ್ಮ, ಹಲವು ಭಾಷೆ, ಒಳಗೊಂಡ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಮಾವೇಶಕವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿಪರ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ

1919ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್" ಆಯೋಗ ನೇಮಕಗೊಂಡಿತು. ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಲ್ ಸಲಹೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಂಡನ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1930-31ಹಾಗೂ 32 ಮೂರು ಬಾರಿ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಆಸೆ - ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು 1935 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ

ಬಂದಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಮ್ ಎನ್ ರಾವ್ ರವರಿಂದ 1934ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು.

1938 ರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಭಾರತೀಯರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಭಾರತವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರೌಢ ಮತದಾನ ಪದ್ದತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪರಕೀಯರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮೇಧಾವಿಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

❖ **ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು :**

ಪಂಡಿತ್ ಜವರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಡಾ. ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಜಾಜಿ, ಮೌಲನ ಆಜಾದ್, ಜೆ ಬಿ ಕೃಪಲಾನಿ, ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಡಾ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆರ್ ಜೈಕರ್, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಡಾ.ಶಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಚಮಾಚಾರಿ, ಎಚ್‌ವಿ ಕಾಮತ್, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್, ಈ ಶಾಂತರಾಮ್, ಡಾ.ಜಾನ್ ಮಥಾಯ್, ಸರ್ದಾರ್ ಹುಕುಂ ಸಿಂಗ್, ಕೆ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರು.

❖ **ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ**

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 1946 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜೆ ಬಿ ಕೃಪಲಾನಿಯವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸಚಿನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 1946 ರಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸರ್ವಾನು ಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ರಾಜ್ಯಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಿತಿಗಳು ರಚನೆಯಾದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು.

1. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಮಿಟಿ
2. ಸದನ ಸಮಿತಿ
3. ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ
4. ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಿತಿ
5. ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ
6. ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ

7. ಪ್ರಾಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ

8. ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿ

9. ಕರಡು ಪರಿಶೀಲಿನ ಸಮಿತಿ

10. ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಗಳನ್ನು 1947 ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವು. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕರಡು ಸವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 29 1947 ರಂದು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.

❖ **ಅಧ್ಯಯನದ ಆರಂಭ :**

ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಮಾಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದ ನಾಜಿಯವಾದ , ಫಾಜೀಯವಾದ, ಮುಂತಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿದವು ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕ ಅ ನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಅರಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ, ಅರಿತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ ವಿಕಾಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯುದ್ದೇಶಗಳು ಅದರ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ರಚನೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವರೂಪದರ ಸಾಧಕ-ಭಾದಕಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ರಚನೆ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸವಿಧಾನದ ಪಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.

ದೇಶದ ಯಶಸ್ಸು ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ದೊರೆತಿರುವ ಸೌಲತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆಯೇ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಒಂದು

ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ, ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೀವೋ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ

❖ **ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಅಂಶಗಳು:**

ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವೇದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಸಂವಿಧಾನ . ರಚನಕಾರರು ಭಾರತಿಗಿಂತ ತತ್ವಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು.

❖ **ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು :**

1.ಉಪಯುಕ್ತತವಾದ (Utilitarianism)

2. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜವಾದ (democratic socialism)

3.ಫಾಬಿಯನಿಸಮ್ (Febianism)

4. ಗಾಂಧಿವಾದ (gandhisam)

ಮುಂತಾದ ವಾದಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದವು.

➢ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು (direct principle of social policy)

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವು.

➢ ಅನೇಕದಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.
➢ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಯುರೋಪಿನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು.
➢ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಸಹ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದಿದವು.

❖ **ಸಂವಿಧಾನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು.**

1.ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು

2.ಗಾಂಧಿವಾದಿ ತತ್ವಗಳು

3. ಉದಾರವಾದಿ ತತ್ವಗಳು

4.ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು

❖ **ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ :**

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜವರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ ಟಿ ಷಾ, ಕೆ ಎಮ್ ಮುನ್ಸಿ ಮುಂತಾದವರು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು " ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಉಳಿವು ನಿಂತಿದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಗದ ಅ ರಾಜಕ ಮತ್ತು ಗುರಿರಹಿತ ಸಂವಿಧಾನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ " ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ತತ್ವಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗವನ್ನು Novel Feature ಯಂದು ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಭಾಗವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮರೆತರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುವ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದೆಂದು ಏಕೆ ಅಯ್ಯರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಸರ್ವರು ಸುಖವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಗ್ರಾನ್ವಿಲೆ ಅಸ್ಟಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸುಖೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

❖ **ತತ್ವಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ :**

37 ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಖಿಲದಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಳ್ವಡಿಸಬೇಕು.38(1) ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು 38(2)ನೆ ಉಪ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ 44ನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ 20 1979 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.39ನೆ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯವು ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.

❖ **ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು :**

ಹಿಂದಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವಿರುತ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನವು ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲಿಖಿತ ಸವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕರುಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

❖ **ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು:: ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ :**

"ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಲಸ್ಕಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಹಿಕವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣವೇ ಹಕ್ಕುಗಳು " ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇವಿಳಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೋ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಇವಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಒದಗಿಸಿವೆ.

1 ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು

2 ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಕ್ಕು

3 ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು

4 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು

5 ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು L

6 ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕು

ಸಂವಿಧಾನದ 16ನೇ ವಿಧಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಕೂಡಲೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಂತಹ ನೌಕರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವು ಇರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದವರೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೆರಿಸಬಹುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಬಹುದು.

"17ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನುಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ "

18ನೇ ವಿಧಿಯು ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುವ ಬಿರುದುಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕನು ಪಡೆಯಕೂಡದು.

❖ **ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು :**

ಸಂವಿಧಾನ 19 ರಿಂದ 26 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

19 ನೇ ವಿಧಿಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

1 .ವಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.

2. ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರ ರಹಿತವಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.

3. ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ .

4. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

5. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ನೆಲೆಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

6. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ನೌ ಕುರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರು ಮಹತ್ವದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

❖ **ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು:**

ಸಂವಿಧಾನ 23 ಮತ್ತು 24 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.

24ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಗಣಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ದಾಯಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

❖ **ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು :**

❖ ಸಂವಿಧಾನ 25, 26, 27 ಮತ್ತು 28 ನೇ ನೀತಿಗಳು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

❖ 25ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರಿಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

❖ 26 ನೇ ವಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

❖ 27 ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಇರುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

❖ 28 ನೇ ವಿಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಕೂಡಲೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದ ಸಾಹೇಬ್ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ತರುವಂತಿಲ್ಲ.

❖ **ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು :**

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಹೃದಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳು ಹೆಚ್ಚುತಿ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

❖ **ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು :**

ನಾಗರಿಕನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳೆನ್ನ ಬಹುದು. ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೋಷಕವಾಗಿದೆ.

1.ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮುದ್ರೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದರ ಉದಾತ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರಿಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವುದು.

2.ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಉದಾತ್ತ ದೆಹಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸುವುದು.

3. ಭಾರತ ಸಮಗ್ರತೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.

4. ಪ್ರಸಂಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

5. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ಭಾವನೆ ಚೇತನ ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸತತವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುವುದು.

6 . ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುವಂಶಿಕತೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

7. ಅರಣ್ಯ ಸರೋವರ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ನದಿ ಮುಂತಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಾರಾಂಶ ಸುಧಾರಿಸುವುದು.

8. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಚೇತನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹರಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.

9. ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.

10. ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರುವುದು.

11. 86ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾಲಕರು ಆರರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಂದು ಘೋಷಿಸಿ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

❖ **ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು :**

1. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ - ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್.

2. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ - ಸರ್ಕಾರ ಮುದ್ರಣ ಕೃತಿ

3. ಬಸವಪಥ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ - ಸಂಪಾದನ ಕೃತಿ.

4 ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಚಯ - ಪ್ರೊ.ದುರ್ಗದಾಸ್ ಬಸ್ಸು

5. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ - ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಪಾಳೇಕರ್

6. ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು - ಡಾ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನ ಪ್ರಬಂಧA

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 274-277

ಹಿಂದೂಕೋಡ್ಬಿಲ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿಮಹಿಳೆಯರಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆಡಾಕ್ಟರ್ಬಿಆರ್ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರಕೊಡುಗೆಗಳು

ಲಲಿತಾಯಮನಪ್ಪಕಂದಗಲ್ಲ

Sangameswar College, Solanpur, Kannada Department.

ನಾನೊಂದುಬಂಡೆಯತರಹಅದುಕರಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆನದಿಪಾತ್ರಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು.-ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ .ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಬಡದಲಿತಜಾತಿಯಲ್ಲಿಜನಿಸಿದಡಾಕ್ಟರ್ಬಿಆರ್ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರುಹಿಂದೂಸಾಮಾಜಿಕವ್ಯವಸ್ಥೆಯಎಲ್ಲಾದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯವಿರುದ್ಧದದಂಗೆಯಸಂಕೇತಮತ್ತುಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳುಮತ್ತುಸಾಮಾಜಿಕನ್ಯಾಯದಹೋರಾಟಗಾರ,

ಅವರುಭಾರತದಲ್ಲಿಮಹಿಳಾಹಕ್ಕುಗಳಕಾರಣಕ್ಕೆಮಹತ್ತರವಾದಕೊಡುಗೆನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಕೀಳುಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನುಸೂಚಿಸಿದರುಆದರೆಭಾರತದಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಮಹಿಳಾಹಕ್ಕುಗಳವ್ಯಾಪಕವಾದಸೇರ್ಪಡೆಯಮೂಲಕಪುರುಷರೊಂದಿಗೆಅವರನ್ನುಸಮಾನಗೊಳಿಸಲುಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರುಅವರುಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಶಿಕ್ಷಣಮತ್ತುವಾಸ್ತವಿಕವಾದವುಹಿಂದೂಸಾಮಾಜಿಕವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಶಾಶ್ವತವಾದಮಹಿಳೆಯರಅವಮಾನಕರಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು.

ಭಕ್ತಿಚಳುವಳಿಯಕಾಲದಿಂದಲೂಮಹಿಳೆಧಾರ್ಮಿಕಸಮಾನತೆಕೇಳಲುಶಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಳೆಹೊರತುಸಾಮಾಜಿಕಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯಾವಬದಲಾವಣೆಯುಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಿಟಿಷರಆಗಮಆಗಮನವಾದನಂತರಸಮಾಜಸುಧಾರಕರುಸ್ತ್ರೀಶೋಷಣೆವಿರುದ್ಧಜನಜಾಗೃತಿಗೆಶ್ರಮಿಸಿದರು1848ರಲ್ಲಿಜ್ಯೋತಿಬಾಫುಲೆಯವರುವಿದ್ಯೆಯಿಂದವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆಮತ್ತುಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆಶಾಲೆಶುರುಮಾಡಿದರುಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ,ವಿಧವಾಪದ್ಧತಿ,ಸತಿಪದ್ಧತಿ,ಶಿಕ್ಷಣಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ,ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆಯಂತಹವಿಷಯಗಳನ್ನುಸಮಾಜಸುಧಾರಕರುಪರಿಗಣಿಸಿದರುಆದರೆಮಹಿಳಾಶೋಷಣೆಯವಿವಿಧಮಗ್ಗಲುಗಳಬಗ್ಗೆಆಳವಾಗಿಚಿಂತಿಸಿಧಾರ್ಮಿಕಸಾಮಾಜಿಕರಾಜಕೀಯಹಕ್ಕುಗಳನ್ನುಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿನೀಡಲುಶ್ರಮಿಸಿದಮೊದಲವ್ಯಕ್ತಿಡಾ.

ಬಿಆರ್ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರುಯಾವುದೇಸಮುದಾಯದಏಳಿಗೆಯನ್ನುಅಳೆಯಬೇಕಾದರೆಆಸಮುದಾಯದಸ್ತ್ರೀಯರಏಳಿಗೆಯನ್ನುಪರಿಗಣಿಸಬೇಕುಎಂದುಮಹಿಳೆಯರಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನುಸಮಾಜದಏಳಿಗೆಯಸೂಚಂಕವಾಗಿಪರಿಣಮಿಸಿದಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರುಭಾರತದಲ್ಲಿಮಾನವಹಕ್ಕುಹಾಗೂಮಹಿಳಾಹಕ್ಕುಹೋರಾಟಗಳಿಗೆಕಾನೂನಿನಚೌಕಟ್ಟುನೀಡಿದಮೊದಲಮಹಾನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಣ್ಣುಹಿಂದೂಸಮಾಜದಅತ್ಯಂತಶೋಷಿತಳುದಲಿತರುಮತ್ತುಮಹಿಳೆಯರಸ್ಥಿತಿಗತಿಒಂದೇ .ಭಾರತೀಯಸಮಾಜಒಂದುಕೈಯಲ್ಲಿಅವಳನ್ನುಪೂಜಿಸುತ್ತಾಮತ್ತೊಂದುಕೈಯಲ್ಲಿಬೆತ್ತಹಿಡಿದುಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆಗಳನ್ನುದಾಟದಂತೆನಿರ್ಬಂಧವಿಧಿಸಿದೆಎಂಬುದನ್ನುಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರುಅರಿತಿದ್ದರು.

ವಿದೇಶಿವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಅದರಲ್ಲೂಜರ್ಮನಿಯಬಾನ್ನಲ್ಲಿಕಳೆದದಿನಗಳುಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಸ್ತ್ರೀವಾದಿಚಿಂತನೆಗೆಅವರನ್ನುಹತ್ತಿರತಂದವುಮೊದಲಅ

ಲೆಯಮಹಿಳಾಚಳುವಳಿಯಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ1918ಹೊತ್ತಿಗೆಬ್ರಿಟನ್ಹಾಗೂ1920ರವೇಳೆಗೆಅಮೆರಿಕಗಳಲ್ಲಿಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಮತದಾನದಹಕ್ಕು

ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸಮಾನವೇತನ,

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಸಮಾನಆಸ್ತಿಹಕ್ಕುಮೊದಲಾದವುಅಲ್ಲಿಬಹುಚರ್ಚಿತವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವುಸಹಜವಾಗಿಮುಕ್ತಚಿಂತನೆಯಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರನ್ನು
ಮಹಿಳಾಪರಚಿಂತನೆಗಳುಸೆಳೆದವು.
ರಾಜಕೀಯಅಧಿಕಾರಸಿಗದೇಯಾವುದುಬದಲಾಗುವುದುಅಷ್ಟುಸುಲಭವಲ್ಲಎಂಬುದನ್ನಅವರುಗುರುತಿಸಿದರು
.ಕೊಲಂಬಿಯವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಓದುವಾಗತಮ್ಮಗೆಳೆಯನಿಗೆಬರೆದಪತ್ರಒಂದರಲ್ಲಿಹಿಂದುಳಿದವರ್ಗಗಳವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಅದರಲ್ಲೂಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಬಹುಮುಖ್ಯವೆಂದುಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇಒಳ್ಳೆಯದಿನಗಳನ್ನುಕಾಣುತ್ತೇವೆಆದರೆಅದಕ್ಕಾಗಿಪುರುಷರಜೊತೆಗೆಮಹಿಳೆಯರುಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆಶಿಕ್ಷಣಪಡೆಯುವುದುಅವಶ್ಯವಿದೆಎಂದುಹೇಳಿದರು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರುಹೊರತರುತ್ತಿದ್ದ,"ಮೂಕನಾಯಕ "ಹಾಗೂ "ಬಹಿಷ್ಕೃತಭಾರತ

"ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಮಹಿಳಾಸಮಸ್ಯೆಮುಖ್ಯವಾಗಿಚರ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. "ಮಹಾಡ್"

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ500ಸ್ತ್ರೀಯರುಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರುಕಾಳಾರಾಮ್‌ದೇವಾಲಯಪ್ರವೇಶಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಕೂಡಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರು

. 1927ರಲ್ಲಿಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್‌ಕ್ಲಾಸ್‌ವುಮೆನ್ಸ್‌ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ರೂಪವಾಯಿತು.

ಅದರಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ3000ಹಿಂದುಳಿದಮಹಿಳೆಯರನ್ನುಉದ್ದೇಶಿಸಿಮಾತನಾಡುತ್ತಾ'ನಿಮ್ಮಬಟ್ಟೆತೇಪೆಯಿಂದಕೂಡಿದ್ದರೇನಾಯಿತು?
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಇರಿನಿಮ್ಮನ್ನುನೀವೇಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರೆಂದುಭಾವಿಸಬೇಡಿನಿಮ್ಮಮಕ್ಕಳನ್ನುಅದರಲ್ಲೂಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನುಶಾಲೆಗೆಕಳುಹಿಸಿಮಕ್ಕಳಮನಸ್ಸಿನಕೀಳರಿಮೆತೆಗೆದುಅವರಲ್ಲಿಆತ್ಮಗೌರವತುಂಬಿಮಹಾನ್ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲುಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಎಂದುಅವರನ್ನುನಂಬಿಸಿಎಂದುಕಿವಿಮಾತುಹೇಳಿದರುಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರತಾತ್ವಿಕಬೆಂಬಲಹಾಗೂಸಂಘಟನೆಗಳಬಲದೊಂದಿಗೆಮಹಿಳಾಜಾಗೃತಿಯಹೊಸಅಧ್ಯಾಯವೇಶುರುವಾಯಿತು.

1928ರಲ್ಲಿಹಿಂದುಳಿದಮಹಿಳೆಯರಸಂಘಟನೆಆರಂಭವಾಯಿತುಅನೇಕಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದಲಿತಮಹಿಳಾಸಮಾವೇಶಗಳುಜರುಗಿದವುತುಳಸಿಬಾಯಿ

ಬನಸೋಡೆ'ಚೊಕ್ಕಮೇಲ'ಎಂಬಪತ್ರಿಕೆಶುರುಮಾಡಿದರುಮಹಿಳಾಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು,

ಶಾಲೆಗಳನ್ನುತೆರೆಯಲಾಯಿತುಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳುಆತ್ಮಕಥೆನಾಟಕಗಳನ್ನುಬರೆದರುಧರ್ಮಪ್ರಸಾರಕರಾದರು1931ರಲ್ಲಿರಾಧಾಬಾಯಿವಡಾಳೆಎಂಬಾಕೆಹಿಂದೂದೇವಸ್ಥಾನಪ್ರವೇಶಿಸಲುಹಾಗೂಕುಡಿಯುವನೀರಿಗಾಗಿಸಾರ್ವಜನಿಕಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆಹೋಗಲುನಮಗೆಹಕ್ಕುಬೇಕು
.ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲವೈಸರಾಯಅವರೇಸಾಮಾಜಿಕಹಕ್ಕುಗಳಜೊತೆಗೆನಮಗೆರಾಜಕೀಯಹಕ್ಕುಗಳುಬೇಕುಕಠಿಣಶಿಕ್ಷೆಗೆಲ್ಲನಾವುಹೆದರುವವರಲ್ಲ
.ದೇಶದಎಲ್ಲಜೈಲುಗಳನ್ನುಬೇಕಾದರೆತುಂಬಲುಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ.
ಅವಮಾನಕರವಾಗಿಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತನೂರುಸಲವಾದರೂಹೋರಾಡಿಸಾಯಲುನಾವುಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆಎಂದುಹೇಳಿದಳು.

ಮಹಿಳೆಯರುಎದುರಿಸುವಜೈವಿಕ,ದೈಹಿಕಕಷ್ಟಗಳಕುರಿತು;

ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದವಿಶೇಷಜವಾಬ್ದಾರಿಯಕುರಿತುಡಾಕ್ಟರ್‌ಬಿಆರ್‌ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರುಮಾತನಾಡಿದರು1938ರಷ್ಟುಹಿಂದೆಯೇಕುಟುಂಬಯೋಜನವಿಧಾನವನ್ನುಸರ್ಕಾರಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದುಮುಂಬೈಯಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿವಾದಿಸಿದರುಹೆತ್ತಮಕ್ಕಳನ್ನುಸಾಕುವುದರಲ್ಲಿಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳುಹೈರಾಣಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದುಅವರಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನುಸಮಾಜಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆಕುಟುಂಬಯೋಜನೆಅವಶ್ಯಕವೆಂದುಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು
.ದೆಹಲಿಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಕಾರ್ಮಿಕಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗಹೆರಿಗೆಬತ್ತೆನೀಡುವಬಗ್ಗೆಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರುಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆಆರ್ಥಿಕಹೊರಗೆನಿಸಿದರುಸಹಮನುಷ್ಯಸಮಾಜದನಾಳಿನಸಂತತಿಯನ್ನುಹೆತ್ತುಸಾಕುವಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನುಅಷ್ಟಾದರೂಗೌರವಿಸುವುದುಅವರಿಗೆಅವಶ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟುವಿರಾಮನೀಡುವುದುಉಳಿದಸಮಾಜದಕರ್ತವ್ಯಎಂದುಅದಕ್ಕೆಸರ್ಕಾರಸಿದ್ಧತೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದುಸೂಚಿಸಿದರು.

ಒಂದುಸಭೆಯಲ್ಲಿಮಾತನಾಡುತ್ತಾಮದುವೆಗೆಅವಸರಪಡಬೇಡಿಮದುವೆಒಂದುಬಂಧನಮದುವೆಯನಂತರದಆರ್ಥಿಕಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುನಿಭಾಯಿಸುವಷ್ಟುಶಕ್ತಿಶಾಲಿಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆಮದುವೆಯಾಗಬೇಡಿಮದುವೆಯಾದಹೆಣ್ಣುಗಂಡನಪಕ್ಕಸರಿಸಮಾನಳಾಗಿನಿಲ್ಲಬೇಕುದಾಸಿಅಂತಲ್ಲಮದುವೆಯಾದವರುನೆನಪಿಡಿತುಂಬಾಮಕ್ಕಳನ್ನುಹೆರುವುದುಅಪರಾಧಏಕೆಂದರೆನಮ್ಮಪಾಲಕರುನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನುನಾವುನಮ್ಮಮಕ್ಕಳಿಗೆನೀಡಲುಶಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕುಎಂದುಹೇಳಿದರುಇಂಥತಾಯ್ತನದಅಂತಕರಣದಮಾತುಗಳಕಾರಣವಾಗಿಯೇಜನಪದರಭಾವಕೋಶದಲ್ಲಿಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರುಬಾಬಾಎಂದುಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾದರು.

--ಭಾರತೀಯಮಹಿಳೆಮತ್ತುಹಿಂದೂಕೋಡ್ಬಿಲ್--

ಯಾವುದೇಸಾಮಾಜಿಕಬದಲಾವಣೆಬಯಸುವುದಾದರೂಅದಕ್ಕೆಪೂರಕವಾಗಿಕಾನೂನುಚೌಕಟ್ಟುಒದಗಿಸಬೇಕುಎನ್ನುವುದುಬಾಬಾಸಾಹೇಬಅವರನಿಲುವುಮಹಿಳಾಹಕ್ಕುಗಳಪರವಾಗಿಖಚಿತನಿಲುವುಹೊಂದಿದ್ದಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರಸಂವಿಧಾನವುಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಪುರುಷರಿಗಿರುವಎಲ್ಲಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನುನೀಡಿತುಜೊತೆಗೆ15 (3) ,51(ಎ)

ಕಲ್ಲಮಗಳುವಿಶೇಷಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನುನೀಡಲುಅವಕಾಶಕಲ್ಪಿಸಿದವುಅದಕ್ಕೆಪೂರಕವಾಗಿಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ರವರುಬಹಳಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟುತರಲಿತ್ನಿಸಿದ್ದು'ಹಿಂದೂಕೋಡ್ಬಿಲ್'..

ಭಾರತೀಯಹಿಂದೂವಿವಾಹಪದ್ಧತಿಮಹಿಳೆಗೆಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನುಸಮಾನತೆಯನ್ನುನೀಡುವಂತದ್ದಲ್ಲಅದುಮಹಿಳೆಗೆದಾಸ್ಯಹೇರುವುದಲ್ಲದವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆಅವಕಾಶನಿರಾಕರಿಸಿಪುರುಷರಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನುಮಾನ್ಯನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂವೈಯಕ್ತಿಕಕಾನೂನಿಗೆಏಕರೂಪಸಹಿತೆಯೊಂದನ್ನುತರಬೇಕೆಂಬುದುಬ್ರಿಟಿಷ್ಆಡಳಿತಕಾಲದಿಂದಲೂನಡೆದಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು.

ಹಿಂದೂಕೋಡ್ಬಿಲ್ಲನ್ನು11ಆಗಸ್ಟ್1946ರಂದುಸಂವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತುಏಪ್ರಿಲ್11

1947ರಂದುಆಯ್ಕೆಯಿಂದಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತುಹೀಗೆತಯಾರಾದಹಿಂದೂಕೋಡ್ಬಿಲ್ಲುಲವುವಿರೋಧಗಳನಡುವೆಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿತ್ತು.

ನೆಹರುಮೊದಲಿನಿಂದಲೂಹಿಂದೂವೈಯಕ್ತಿಕಕಾನೂನುಸುಧಾರಣೆತನ್ನಪ್ರಥಮಆದ್ಯತೆಎಂದೆಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರುಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಂತರ1947ರ

ಹಿಂದೂಕೋಡ್ಬಿಲ್ಲನ್ನುಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿಕಾನೂನುಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆಕಳುಹಿಸಿದರುಆಗಕಾನೂನುಮಂತ್ರಿಆಗಿದ್ದಡಾ.

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರುಪರಿಷ್ಕರಣಸಮಿತಿಯಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು

.ಹಿಂದೂಸಾಮಾಜಿಕಬದುಕಿನಲ್ಲಿಬದಲಾವಣೆತರುವನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರುಪರಿಷ್ಕೃತಹಿಂದೂಕೋಡ್ಬಿಲ್ಲನ್ನುಮಂಡಿಸಿದರು.

4ವರ್ಷಗಳಚರ್ಚೆಯನಂತರಅದುಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಉಳಿಯಿತುಅವರಮಾತಿನಲ್ಲಿಹೇಳುವುದಾದರೆಅವರುಈಮಸೂದೆಯು"

ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತುಮತ್ತುಬಳಕೆಯಾಗದಮತ್ತುಹಾಡದಂತಾಯಿತು

"ಎಂದುಹೇಳಿದ್ದಾರೆ."ಇದುಬಹುಶಹಸ್ವತಂತ್ರಭಾರತದಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಯಾವುದೇಒಂದುಮಸೂದೆಯಮೇಲಿನಸುಧೀರ್ಘಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆಹಿಂದೂಕೋಡ್ಮಸೂದೆಯನ್ನುಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲುಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲಮತ್ತುಇದರಿಂದಾಗಿಡಾಕ್ಟರ್ಬಿಆರ್ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರು27ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್1951ರಂದುಸಂಪುಟಕ್ಕೆರಾಜೀನಾಮೆನೀಡಿದರು.

ಆದರೆಅದೇಮಸೂದೆಯನ್ನು1955ಮತ್ತು1956ರನಡುವೆನೆಹರುಅವರಎರಡನೇಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಅವಧಿಯಲ್ಲಿನಾಲ್ಕುವಿಭಿನ್ನಮಸೂದೆಗಳಾಗಿಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಹೇಳುವುದಾದರೆಡಾ.

ಬಿಆರ್ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಅವರಿಂದಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡಹಿಂದೂಕೋಡ್ಬಿಲ್ನಹೆಚ್ಚಿನವೈಶಿಷ್ಟಗಳುಅವರಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ,ಸಮಾನತೆ,ಭ್ರಾತೃತ್ವಮತ್ತುಘನತೆಯಮೂಲಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನುಚೆನ್ನಾಗಿತಿಳಿದಿದ್ದರುಎಂಬುದನ್ನುಮೇಲಿನಯೋಜನೆಯಿಂದಸಾಕಷ್ಟುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವರುಎಂದಿಗೂಮಹಿಳೆಯರಅಸಮಾನತೆಯನ್ನುಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದುಬಯಲಿಸಲಿಲ್ಲಮತ್ತುಮಹಿಳೆಯರುಪುರುಷರಿಗಿಂತಕೆಳಗಿಲ್ಲಎಂದುನಂಬಿದ್ದರು.

ಈಮಸೂದೆಯಮೂಲಕಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಸಮಾನಹಕ್ಕುಗಳನ್ನುನೀಡಲುಬಯಸಿದಅವರುಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಆಸ್ತಿಯವರೆಗೆಎಲ್ಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಹ
ಕ್ಕುಗಳನ್ನುನೀಡಿದರು.
ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ,ಜನರಕೆಟ್ಟಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿಅವರುಈಮಸೂದೆಯನ್ನುಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,
ಆದರೆಅವರುಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಬದಲಾವಣೆಗಳುಸಮಯದಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು;ಆದ್ದರಿಂದಇದನ್ನುವಿವಿಧಕಾರ್ಯಗಳಮೂಲಕಜಾರಿಗೆತರಲಾಯಿ
ತು
.ಅವರಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿಯೇಇಂದಿನಭಾರತೀಯಮಹಿಳೆಯರುಸಮಾಜದಲ್ಲಿಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಮತ್ತುಸಮಾಜದಯಾವು
ದೇಪುರುಷನಂತೆಯೇಅವರುಏನುಬೇಕಾದರೂಸಾಧಿಸಬಹುದುಎಂದುತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ...

ಲಲಿತಾಯಮನಪ್ಪಕಂದಗಲ್ಲ

Sangameshwar College, Solapur, Kannada Department.

Mobile no -7619294959

Email Id-lalitakandagal@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 278-281

भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार

शुभांगी श्रीधर भागवत
त्रिमूर्ती ग्रामीण मुलींचे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय नेवासा जी, अहमदनगर, महाराष्ट्र।

शोध सारांश :-

भारताच्या सामाजिक राजकीय पटलावर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1920 ते 1956 पर्यंत त्यांनी विविध क्षेत्रात अतुलनीय योगदान दिले। भारतामध्ये ब्रिटिश समाजाचा कालखंडामध्ये त्यांनी भारतात सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तन घडवून आणण्यात ते अग्रेसर होते। शिवाय स्वातंर्त्य प्राप्ती नंतरही राज्यघटना बनवण्यासाठी त्यांनी अथक परिश्रम घेतले आणि त्यामुळे त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाते। विविध क्षेत्रातील कामगीरीतूनच त्यांनी आधुनिक भारताच्या पाया भरणीसाठी आपले सर्वस्व वाहून घेतले होते ते प्रकांड पंडित होते। प्रज्ञा सूर्याला दिशांचे बंधन नव्हते अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र यापासून कायदा, इतिहास, मानववंशशास्त्र, धर्मशास्त्र यांच्यापर्यंत त्याचबरोबर अर्थतज्ञ, शिक्षणतज्ञ, कायदे पंडित, पत्रकार, संसद पटू, समाज सुधारक, राजकीय मूत्सद्दी आणि बौद्धधर्मचक्र प्रवर्तक अशा भूमिकांम धून त्यांनी इतिहासावर आपला आगळावेगळा ठसा उमटला। त्यांच्या कडे विविध अशा विषयांची मालिकाच होती असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही आणि त्यामुळे त्यांचे भारतीय नेत्यांमध्ये स्थान हे अढळ आहे। ते कोट्यावधी पद्दलितांचे तारणहार होते उद्धारक होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आपण अभ्यास केलास आपल्या लक्षात येते की तत्कालीन सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीनुसार काळानुसार त्यांच्या विचारांमध्ये उत्क्रांती होत गेली आणि विचार बदलत गेले आणि त्यांचे ज्वलंत विचार सर्वसामान्य जनता तरुण कार्यकर्ते अभ्यासक यांनी घेतले पाहिजे विचारांनी प्रेरित होऊन आपल्यामध्ये रुजवून पुढच्या पिढीकडे कसे हस्तांतरित करण्यात येतील आपल्याला हे पाहिले पाहिजे तरच खर्‍या अर्थाने त्यांच्या विचारांची अंमलबजावणी सुरू केली असं आपण ठामपणे म्हणू शकतो।

भूमिका :-

समाजातील सर्व थरातील

वर्गातील लोकांचा त्याचबरोबर सर्व पैलूंचा अभ्यास करणारे असे थोर नेते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि यांचे विचार म्हणजे आपल्याला असं म्हणावं लागेल की यांच्या विचारांचा अभ्यास करने म्हणजे एक यज्ञ आहे। त्यांच्या भाषणांमधून त्यांचे विचार आपल्याला दिसतात तर मी या भाषणमधून त्यांनी कुठले काय काय विचार मांडले निबंधा मध्ये घेत आहे मला असं वाटतं की नक्कीच याचा फायदा अनेक शैक्षणिक कामांसाठी राजकीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विषयासाठी विचार होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करते।

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी उन्नतीच्या आड येणाऱ्या सर्व समाजाचा सर्व लोकांचा निषेध केला कारण की सर्वांना उन्नती करण्याचा अधिकार आहे असं त्यांचं मत होतं की तुम्ही जेव्हा उन्नती करत असता तर त्याच्या आड येणाऱ्या अडचणी येत असतील तर त्याची माहिती कशी होणार बहिष्कृत वर्गातील असो किंवा उच्च हिंदू वर्गातील असो किंवा एखादी संस्था असो आणि तिच्या हिता विरुद्ध कोणी जर काम करत असेल तर तसे प्रतिनिधी आपल्यात नकोऽतर त्या गोष्टीचा निषेध करायला हवा असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सतत म्हणत असत। स्वराज्य येणार असेल तर अस्पृश्य समाजाला त्यात इतरा सारखेच राजकीय अधिकार असले पाहिजे आपण पाहिले की वर्णव्यवस्थे प्रमाणे जो सगळ्यात खालचा वर्ग आहे अस्पृश्य त्यांना समाजात सर्वाधिक वेगळं मानले जायचे तर त्यांना एखाद्या किराणाच्या वस्तू प्रमाणे अथवा प्राण्या प्रमाणे आपण वागू नये। स्वतःच्या सुटका करून घ्यावी अस्पृश्यता ही गुलामगिरी पेक्षाही अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे। रोम इतिहास असं सांगतो गुलाम आपली सुटका करून घेऊ शकत होता परंतु हिंदुस्थानामधील अस्पृश्य कधीही स्वतःची उन्नती करू शकत नाही। असं ती वारंवार म्हणत असत। त्या ठिकाणी आपण जागृतीचा भाग आहे आपल्या मध्ये मनामध्ये जागृतीची आग पेटली पाहिजे ही पेटलेली आग कधीही विझू द्यायची नाही। कधीही कोठेही कसेही काहीही करत असताना कुठल्याही प्रकारच्या कारणामुळे तिला कधीही विसरायचे नाही वारंवार आपण काय करायचे की उन्नतीसाठी लढा द्यायचा आहे। आपण आपल्या उदात्त हेतूपासून तो तुसू भरही ढळायचं नाही हिंदू समाजात सर्वाधिक तिरस्काराचे धनी आंबेडकर झाले होते। देशद्रोही, हिंदूंचा शत्रू, हिंदू धर्म नाशक, आणि देशाच्या सर्वात मोठा क्षेत्र म्हणजे त्यांची निंदा केली जात असेल परंतु भविष्यकालीन इतिहासकार जेव्हा गोलमेज परिषदेतील सर्व घडामोडीचा निष्क्रिय आढावा घेतील त्यावेळी माझ्या देश सेवेची दाद देतील असं ते म्हणत आणि त्यांनी घेतलेल्या कामावर त्यांची अविचल श्रद्धा होती आंतरजातीय सहभोजन विहीरी खूल्या होणे देखील गरज त्यांना वाटली नाही सरकारी नोकऱ्या अन्न वस्त्र आणि शिक्षण इतर संधी जाती। भेदभाव प्रचलित आहेत पण राजकीय सुधारणा आवश्यक आहे म्हणून सामाजिक सुधारणा होणे आधी राजकीय सुधारणा होणे गरजेचे आहे।

देव दर्शना शिवाय कोणी मरत नाही महाड नाशिक आणि इतर ठिकाणच्या सत्याग्रहावरून आंबेडकरांचे अशी खात्री झाली होती की हिंदू लोकांचे अंतकरणे हे दगड विटांच्या भिंती प्रमाणे निर्जीव आहेत त्यांना माणूस म्हणण्याची हक्क देण्याचे चाड नाही दगडाच्या भिंतीवर डोके आपटून आपला कपाळमोक्ष केला तरी शेवटी रक्तच येणार परंतु त्या भिंतीच्या ठिकाणी कठोरता नाहीसे होणार नाही त्याप्रमाणे हिंदू लोकांच्या अंतकरणाची कठोरता कमी होणार नाही तेव्हा याबाबतीत असे मत झाले होते की देवांचे दर्शन झाले नाही म्हणून आपण मरत नाही।

देवालयात गेल्याने तुमचा उद्धार होणार नाही।

दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जिथे तिकडे तुमच्या करता जरी देवालये उघडी झाले असतील तरी देवाला जाण्यास मिळाले म्हणजे तुमचा उद्धार होत नाही ते तुम्ही हे विसरू नका पोटाची खळगी कशी भरता येईल असे याची विवंचना तुम्हाला अगोदर पडेल।

जगातल्या राष्ट्रीय घडामोडी मध्ये मुळे यश मिळवणे कधीही सोपे काम नाही तपशर्या करावी लागते पक्ष सबळ होण्यासाठी आपणामध्ये कोणत्या प्रकारच्या उणीव आहे त्या गोष्टीकडे प्रथम लक्ष द्यावे लागते।

कुठल्याही क्षेत्रात अतुलनीय असे यश मिळवायचं असेल तर आपण शिस्त आणि संघटन याला महत्व असते। स्वतः स्वातंर्त्य समता व बंधुभाव या तत्त्वावर आपली संघटना असायला हवी व आपण ध्येय तसेच

ठेवायला पाहिजे। तुमची पवित्र मते विकू नका ती सत्कार्य लावा। निवडून दिले माणसं आपले कर्तव्य करतात की नाही यावर लक्ष ठेवा आणि ती जर करत नसतील तर त्यांना पुन्हा निवडून देऊ नका। बहू संख्यांक असा शेतकरी वर्ग आणि कामकरी वर्ग हा देशाचा खरा सत्ताधारी बनला पाहिजे तरच त्यांना देशातील लोकांची दुःख जाणार आहेत अडचणी आणि समस्या कळणार आहेत आणि मग ते समस्या सोडण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील व त्या समस्या कधी उद्भवूच नये यासाठी ते प्रयत्नशील राहतील। लोकशाही जिवंत राहिली तरच तिची फळे नक्कीच लागतील पण लोकशाही जर मिळली त्यासाठी लोकशाही कायम राहण्यासाठी प्रत्येक सामान्य माणसाने कधीही जागृत राहिला पाहिजे। आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी आपण सत्तेमध्ये भागीदार झाले पाहिजे कुणाच्याही हत्ती सत्ता देऊन आपण नामा निराळे राहणे योग्य नव्हे। शिक्षण घेतलेले आहे त्याचा उपयोग तुम्हाला करता आला पाहिजे म्हणजे बुद्धीचा उपयोग भाकर शिक्षण राज्य संस्था मिळवण्यासाठी केला जावा आणि आपल्या समाजातील सामाजिक सुधारणा साठी प्रामाणिकपणे आपण सर्वांनी योग्य असा वापर केला पाहिजे। कुणाचाही भूल थापांना बळी पडू नये आपण सतत विविध विचार करायला हवा आपण नेहमी गरीब लोक शेतकरी यांच्यासाठी काम यांच्या कल्याण करता काय करता येईल याचा सदैव विचार करावा आणि त्यासाठी आपण नेहमी प्रयत्नशील राहावं। जुल्मी लोकांसोबत कधीही दोन हात करण्याची तयारी ठेवा। स्त्रियांनी सुद्धा आपल्या हक्कासाठी लढा द्यावा त्याचबरोबर आपली मते कुणाला द्यायची याचीही काळजी स्त्रियांनी घेतली पाहिजे आणि आपल्या हक्कांसाठी नेहमी लढले पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्हाला स्त्रियांना शिक्षण घेणे महत्त्वाचे आहे जर शिक्षण घेतले तर त्या त्यांच्या स्वतःसाठी त्याचबरोबर कुटुंबासाठी समाजासाठी लढू शकतील आणि आपल्या समाजाची प्रगती करू शकतील असं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होतं।

निष्कर्ष :-

भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या सार्वजनिक आयुष्यात पदार्पण केल्यापासून परीनिर्वाण होईपर्यंत जवळजवळ साडेतीन दशके भारतातील राजकीय वातावरनातील समस्या घुसळून काढले स्वातंर्त्यपूर्वक काळात येऊ घातलेले स्वराज्य आणि सामाजिक राजकीय आर्थिक सुधारणा यासाठी त्यांनी इकडे इंग्रज सरकारकडे पाठपुरावा केला तर दुसरीकडे आपल्या देशातील लोकांशी वेळोवेळी रचनात्मक संघर्ष केला आणि स्वातंर्त्यप्रांतीनंतरही स्वतंत्र भारताच्या पायाभरणीसाठी अनन्य साधारण योगदान दिले आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची कामगिरी खूपच मोठी आहे आणि त्यांनी काळानुसार आपल्या कामामध्ये त्यांनी बदल केलेले आहेत त्याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ दर्जाचे राजकीय मुसिद्धी होते त्यांनी राजकीय भूमिका काळाच्या व बदलत्या सामाजिक राजकीय परीक्षेत वेगवेगळी परिवर्तन घडवून आणली आणि परिवर्तन नुसार समाजात त्यांनी सुधारणा घडवून समाजात आपण जन्मलो वाढलो त्या समाजाची अवस्था बदलण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले आणि त्यासाठी देश मुळापासून हादरून टाकला।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे खंड एक ते 22 महाराष्ट्र शासन 1976 ते 2012
2. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाषण संपादक म फ गाजरे खंड एक ते सात अशोक प्रकाशन नागपूर 1968 ते 1977

3. Dr. Ambedkar life and mission Dhananjay keer popular Prakashan Mumbai 1954
4. बोल महामानवाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची पाचशे मर्मभेदी भाषणे खंड तिसरा राजकीय अनुवाद व संपादन डॉक्टर नरेंद्र जाधव।
5. पृष्ठ क्रमांक 13
6. पृष्ठ क्रमांक 15
7. पृष्ठ क्रमांक 19
8. पृष्ठ क्रमांक 149
9. पृष्ठ क्रमांक 150

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 282-286

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जलधोरण नीतीतील योगदान

प्रा. डॉ. मेटकरी संतोष मारुती
संगमेश्वर कॉलेज सोलापूर।

प्रस्तावना :-

स्वातंर्त्यपूर्व काळात 1920 ते 1950 या दरम्यान भारत सरकारने देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी नियोजनाचा अवलंब केला। नियोजनाच्या स्वीकाराबरोबर जल व वीज संसाधनांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे होते। 1942 ते 1946 दरम्यान केंद्रीय मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे श्रम,जल व विज खाते असताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या जल व वीज धोरणाचा पाया घातलेला आहे। दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या नियोजन काळात 1942 ते 1946 केंद्र सरकारने जल व संसाधनाच्या विकासासाठी देशपातळीवर धोरण आखण्याचे ठरविले परंतु हे दोन्ही विभागीय सरकारच्या आखत्यारीतील असल्यामुळे 1935 च्या कायद्यानुसार त्यांची मनधरणी करणे महत्त्वाचे होते। यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढाकार घेऊन विभागीय व राज्य सरकारला समजावून सांगितले की संपूर्ण देशाच्या विकासासाठी राज्या राज्यांमधून जाणाऱ्या नद्यातील पाण्याचे व्यवस्थापन विविध कारणासाठी करणे आवश्यक आहे व त्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण असणे आवश्यक आहे। विभागीय व राज्य सरकारच्या मनधरणीचे अवघड काम केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे शक्य झालेले आहे। देशाच्या व प्रामुख्याने शेतकरी आणि गरीब जनतेच्या तसेच देशाच्या विकासासाठी त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे।

संशोधनाचे उद्दिष्ट :-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जलधोरण आणि सोलापूर जिल्ह्यातील जलसिंचन।

संशोधन पद्धती :-

प्राथमिक व दुय्यम स्त्रोत तसेच विविध मासिके, वर्तमानपत्रे, पुस्तके इंटरनेट इत्यादी।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सिंचन विविध रस्ते, जलधोरणासारख्या आर्थिक पायाभूत सुविधा या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत याची कल्पना होती म्हणूनच त्यांनी 1942 ते 46 या योजना काळात विविध विकसित सोई करण्यावर भर दिलेला आहे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते स्वस्त व मुबलक विजेशिवाय आणि पाण्याशिवाय औद्योगीकरणाचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे सिंचन सुविधा विकसित केल्याशिवाय शेतीतील उत्पादकता व उत्पादन वाढविता येत नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नवीन

जलधोरण मांडलेले आहे।

1) नदी पाणलोट वर आधारित जल संसाधनाच्या विकासासाठी बहुविध दृष्टीकोनाचा स्वीकार करणे।

2) बहुविध जल प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नदी पाणलोट प्राधिकरणाची स्थापना करणे।

3) जल व वीज संसाधनाच्या विकासासाठी केंद्र पातळीवर दोन तांत्रिक संस्थांची निर्मिती करणे।

(क) केंद्रीय जलमार्ग, सिंचन व जलभ्रमण मंडळ।

(ख) केंद्रीय तांत्रिक वीज मंडळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे भारतामध्ये मोठे धरण प्रकल्प पूर्णत्वास आलेले आहेत. यामध्ये विशेष करून दामोदर प्रकल्प (बिहार) दामोदर प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर महानदी, सोने तसेच कोसी या प्रकल्पांची सुरुवात याच काळात करण्यात आलेली आहे। यासारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या उभारणीमध्ये बाबासाहेबांचे मोठे योगदान राहिलेले आहे।

बॉम्बे प्रेसिडेन्सीतून महाराष्ट्राची निर्मिती होत असताना व त्यानंतर त्या कालावधीत महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी सामाजिक व राजकीय बदलाबरोबरच महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासासाठी विकासासाठी राज्य पातळीवर महाराष्ट्र राज्याने राष्ट्रीय जलसंपत्ती मंडळाची 2002 मध्ये नवीन राष्ट्रीय जलदोरणाचा स्वीकार केलेला आहे त्यात एकात्मिक जलसंधृत संसाधनाचा विकास व व्यवस्थापन यावर भर देण्यात आलेला आहे भूपृष्ठावरील व भूम गर्भातील पाण्याचा पर्याप्त वापर करण्यासाठी काही उपायांची अंमलबजावणी केली त्यानुसार जलसंपत्तीची माहिती उपलब्ध करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे ठरवण्यात आलेले आहे। पाणी साठवण्याच्या पारंपारिक पद्धती, पाणी वापराच्या पारंपारिक पद्धती, पर्यावरणाचा विचार व त्यामध्ये संस्थात्मक व्यवस्था, पाण्याच्या लाभार्थीचा व्यवस्थापनात सहभाग इत्यादी बाबींचा समावेश या धोरणात करण्यात आलेला आहे। राज्य सरकारने आपल्या राज्यासाठी जलधोरण ठरविताना केंद्र सरकारच्या सर्व समावेशक सूचनांचा आदर केलेला आहे. जलसंपत्ती मंत्रालयाने 2002 चे जलधोरण यशस्वी करण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखलेला होता। त्यामध्ये मोठ्या धरणांच्या प्रकल्पावर भर देण्यात आलेले आहे। तुमची शेती हा तुमचा विषय राहिलेला नाही तुमची शेती हा देशाचा विषय झालेला आहे। आम्ही आमची शेती पिकविली नाही तर आम्ही आमच्या घरामध्ये उपाशी राहू असे म्हणून आपल्याला आता चालणार नाही आपली शेती आपली आहे पण तसेच ती देशाची शेती आहे। आपली शेती पिकली नाही तर आपला विकास होणार नाही एवढाच त्याचा अर्थ नाही तर त्याच बरोबर देशाचा देखील विकास नाही। इतके आज व्यक्तींचे आर्थिक प्रश्न आणि देशाचे आर्थिक प्रश्न एकरूप झालेले आहेत।

लोकशाहीचा खरा अन्वयार्थ आहे की लोकशाही देशातील व्यक्ती किंवा समाज आणि त्यांचे शासन यांचे हितसंबंध एकरूप झालेले असतील याची जाणीव शासनाला झाली पाहिजे त्याचप्रमाणे ही जाणीव व्यक्तीलाही असली पाहिजे आणि या जाणिवेतूनच जे सामर्थ्य आपल्याला वाढवायचे आहे। ते वाढविले पाहिजे जागरूकतेने जल वातावरण आपण निर्माण करून येथील अडचणींना तोंड देण्याची तयारी ठेवली तर आपला देश महासत्ता होईल। महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व.यशवंतराव चव्हाण हे विशाल दृष्टिकोनाचे होते. महाराष्ट्रातील 80 टक्के जनता ग्रामीण भागात राहणारी असून नदीकाठी, पठारावर व डोंगर कपारीत राहणाऱ्या माणसाला केंद्रबिंदू माणून महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासास मानवी चेहरा असला पाहिजे ही स्व. यशवंतराव चव्हाण यांची मूलभूत भूमिका होती। त्यामुळे शेती मग ती कालव्यावरील बागायत असेल किंवा पावसावरील जिरायत असेल अशा शेतीचा व शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या कारखानदारीच्या विकासावर 80 टक्के जनतेचा विकास अवलंबून आहे याची पूर्ण

जाणीव यशवंतरावांना होती।

महाराष्ट्र राज्यात कोकण सारखा जास्त पर्जन्यमान असणारा एक विभाग आणि कायम दुष्काळी राहणारा एक विभाग अशा मोठ्या क्षेत्रामध्ये विभागला असून त्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी डॉ. वि.मा.दांडेकर समिती असेल अथवा धरण कालव्याद्वारे (ब्लॉक सिस्टीम) केवळ सीमित जलसिंचन होते त्याचा आढावा घेणारी देशमुख, दांडेकर आणि देऊसकर आयोग असेल अशा अनेक प्रकारे शेतीच्या व दुष्काळी भागाचा विकासाचा शास्त्रशुध्द अभ्यास करण्यात आला आणि त्या निकषाद्वारे सर्व क्षेत्रात नवीन निती अवलंबण्यात आली। महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यात वागाड प्रकल्प, अहमदनगर जिल्ह्यात मुळा व मोठा सिंचन प्रकल्प आहे। त्याचाच भाग म्हणून सोलापूर जिल्ह्यात उजनी प्रकल्प अस्तित्वात आलेला आहे।

सोलापूर जिल्ह्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहून महाराष्ट्र शासनाने सन 1964 मध्ये भीमा नदीवर माढा तालुक्यातील उजनी येथे धरण बांधण्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि शिल्पकार मा. स्व.यशवंतराव चव्हाण साहेब यांच्या प्रयत्नांतून घेण्यात आलेला आहे। उजनी धरण 1969ते 1980 या दरम्यान पूर्णत्वास आलेले आहे। वारंवार व सतत पडणाऱ्या दुष्काळामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सांगोला, करमाळा, माढा, मंगळवेढा, मोहोळ, पंढरपूर, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट यासारख्या भागात प्रभावी पद्धतीने पाणी उपलब्ध होऊ शकत नव्हते. अशा क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळावा या दृष्टीने सन 1995 साली उजनी प्रकल्पाचा पाणी वापराचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन खरीप हंगामातून बचत होणाऱ्या पाण्यातून विविध उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत। त्यामध्ये आष्टी सिंचन योजना, बार्शी उपसा सिंचन योजना, शिरापूर उपसा सिंचन, एकरूप उपसा सिंचन, भिमासिना जोड कालवा, सीना माढा उपसा सिंचन योजना, दहिगाव उपसा सिंचन योजना, सांगोला उपसा सिंचन योजना, लाकडी लिंबोडी उपसा सिंचन योजना सुरू आहेत। यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात उजनीचे पाणी सर्वत्र पोहोचले आहे। अशी एक ना अनेक उजनी प्रकल्पाच्या विविध उपायाने सोलापूर जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासामध्ये निश्चितपणे मौलिक भर घातली आहे। व किंबहुना त्याचा पाया घडविला आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये। अर्थशास्त्रातील एका त्रयस्थ नामांकित संस्थेने असा निष्कर्ष काढला आहे। उजनी धरणामुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या आर्थिक घडामोडींमध्ये दरवर्षी एक लाख हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे। उजनी जलाशयातील उपसा सिंचनामुळे प्रचंड प्रमाणात लागवडीखालील क्षेत्र दोन्ही कालव्याच्या समावेश सिंचित क्षेत्रामध्ये वाढ झाली आहे। एवढेच नाही तर प्रगतीपथावरील विविध उपसा सिंचन योजनांमुळे कधीही सिंचनाची कल्पना करू न शकणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील नवनवीन भूभागांना वाढत जाणारा सिंचनाचा फायदा होत आहे। एवढेच नव्हे तर जिल्ह्यातील अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना कार्यान्वित आहेत। उजनी धरणामुळे ग्रामीण भागातील बदल तसेच औद्योगिक क्षेत्रात विशेषता साखर कारखान्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली आहे। उजनी धरणामुळे आज जिल्ह्यामध्ये उजनीच्या पाण्यामुळे लाखो टन ऊसाचे उत्पन्न शेतकरी घेत आहेत। उजनी धरणामुळे आज जिल्ह्यात 45 साखर कारखाने सुरू आहेत।

महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर कारखाने असणारा जिल्हा म्हणून सोलापूर जिल्ह्याची ओळख निर्माण झालेली आहे। तसेच द्राक्षे, डाळिंब, बोर, पेरू, सिताफळ, केळी, पपई, या फळांच्या बरोबर भाजीपाला लागवड देखील मोठ्या प्रमाणात होत आहे। डाळिंबाच्या बाबतीत तर सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील अजनाळे या गावाला कॅलिफोर्निया असे म्हटले जाते। विशेष करून अलीकडे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ड्रॅगन फ्रुट, स्ट्रॉबेरी अशा

अनेक बागायती पिकांची लागवड शेतकरी करीत आहेत। पूर्वी सोलापूर जिल्हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता परंतु ही ओळख उजनी धरणामुळे संपुष्टात आली आहे. आज सोलापूर जिल्हा खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा कॅलिफोर्निया झालेला आहे आज जिल्ह्यामध्ये दहा लाख ते हजार कोटी रुपये पर्यंत वार्षिक उत्पन्न ऊस व फळबाग या माध्यमातून मिळत आहे। ही प्रगती उजनी मुळे झालेली आहे आज शेतकऱ्यांची मुले जिल्ह्यातच इंजिनिअर, डॉक्टर, असे उच्च शिक्षण घेत आहेत।

महाराष्ट्र शासनाने 30 जुलै 2003 रोजी राज्याची चलनिती प्रसिद्ध केली व सन 2005 रोजी नाईक महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे। कृष्णा–भीमा स्थिरीकरण – सध्या कृष्णा व कोयना नद्या मधील पावसाळ्यात जे पाणी विना वापर वाया जाते। ते भौगोलिक सलगतेनुसार बोगदाध्कालव्याद्वारे प्रवाही पद्धतीने नद्या जोड करून उजनी जलाशयात आणल्यास सध्याचा वापर व भविष्यातील वाढीव गरज भागेल। सोलापूर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्याकरीता कृष्णा– भीमा स्थिरीकरण योजना लवकर राबविली तर कृष्णेचे वाया जाणारे पाणी उजनीत वळविले तर कृष्णेच्या अतिरिक्त उपलब्ध पाण्यातून सोलापूर जिल्ह्याची पाण्याची गरज भागवून मराठवाडा सुद्धा सिंचनाखाली येईल। त्याकरिता कृष्णा– भीमा स्थिरीकरण आणि नद्या जोड योजनेला गती देणे आवश्यक आहे।

कोल्हापूर आणि सांगली भागातील पूर व्यवस्थापन करण्यासाठी पावसाळ्यात तेथील अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागासह मराठवाड्यासाठी देण्यासाठी कृष्णा– भीमा स्थिरीकरण योजनेला नंतरच्या काळात कृष्णा– भीमा स्थिरीकरण ऐवजी कृष्णा फ्लड डायव्हर्शन योजना असे नांव देण्यात आले आहे। 12 सप्टेंबर 2019 रोजी जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोल्हापूर व सांगली या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. जानेवारी 2024 मध्ये जागतिक बँकेने 280 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 2328 कोटी रुपये) तर राज्य सरकार 120 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 998 कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण 400 मिलियन डॉलर्स म्हणजेच 3300 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत।

महाराष्ट्रात एकीकडे तीव्र दुष्काळ तर दुसरीकडे अतिवृष्टी अशी परिस्थिती निर्माण होते। हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे। अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाच वेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो। कृष्णा फ्लड डायव्हर्शन योजना या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे। पूर रेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे असे अनेक कामे करणे आवश्यक आहे। नीती आयोगाने सुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता। एकीकृत जल व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीतून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळविल्यास पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही क्षेत्रांना या प्रकल्पातून मोठा लाभ होईल। दरम्यान हा प्रकल्प सांगली सातारा व सोलापूर यासह मराठवाड्याच्या दुष्काळी पट्टयासाठी संजीवनी ठरणार आहे. सध्या निरा खोऱ्यातील नदीवाटे वाहून जाणारे सात टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देणाऱ्या योजनेचे काम प्रगतीपथावर असून यासाठी जमिनीखालून बोगदे खोदले जात आहेत। यातच आता कृष्णा डायव्हर्शन योजनेला मान्यता मिळाल्याने किमान 50 टीएमसी पाणी दुष्काळी भागात पोहोचविणे शक्य होणार आहे। सांगली व कोल्हापूर भागात किमान एकवर्षाआड पुराची स्थिती निर्माण होत असते। यामुळे हे अतिरिक्त पाणी आवर्षण भागात आणून सिंचनाची सोय करता येणे शक्य आहे।

निष्कर्ष – डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जलधोरणांमुळे भारतात आणि महाराष्ट्रात अनेक जलधोरणांचे प्रकल्प राबविण्यात आलेले आहेत। त्यापैकी भिमा नदीवरील उजनी धरणामुळे सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये कृषी, औद्योगिक क्रांती होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, होऊन राहणीमानात सुधारणा झालेली आहे। तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती झालेली आहे। तसेच अनेक गावच्या पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न सुटण्यासाठी मदत होत आहे। सोलापूर शहरासाठी लागणारा पाणीपुरवठा तसेच एन.टी.पी.सी. सारख्या वीज निर्मिती प्रकल्पास देखील उजनीच्या पाण्याची मदत होत आहे। म्हणूनच उजनी धरण (प्रकल्प) सोलापूर जिल्ह्यासाठी वरदायनी ठरलेला आहे। कृष्णा फ्लड डायव्हर्शन योजनेमुळे सोलापूर जिल्ह्यासह सांगली। सातारा आणि मराठवाडा या भागात देखील सिंचना खालील क्षेत्र वाढणार आहे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टिकोनातून भारतात व महाराष्ट्रात जलधोरण राबवणे तसेच नद्या जोड प्रकल्प यशस्वीपणे राबवणे आवश्यक आहे। सर्व जिल्ह्यांमध्ये जल धोरण कार्यक्षमपणे राबविल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील व महाराष्ट्र व देशातील दुष्काळाचे सावट कमी होण्यास मदत होईल। सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी प्रकल्पासारख्या योजना भारतातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविल्यास भारत देश जागतिक महासत्ता होण्यास मदत होईल।

संदर्भ :-

1. विजय कवी मंडन –कृषी अर्थशास्त्र, फडके प्रकाशन कोल्हापूर।
2. भोसले काटे –भारतीय अर्थव्यवस्था, फडके प्रकाशन कोल्हापूर।
3. डॉ. देसाई श्री मू.वी. येवलेकर दास्ताने संतोष– आर्थिक विचारांचा इतिहास, प्रकाशक दास्ताने रामचंद्रांनी कंपनी पुणे।
4. डॉ. जे.एफ. पाटील– आर्थिक विचारांचा इतिहास, फडके प्रकाशन कोल्हापूर।
5. श्री कीर धनंजय – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, फडके प्रकाशन कोल्हापूर।
6. स्मरणिका महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग।
7. यशवंतराव चव्हाण स्मरणिका।
8. सोलापूर जिल्हा सांख्यिकी।
9. महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकी, इंटरनेट, योजना प्रकाशित संशोधन लेख, अर्थमंथन इत्यादी।

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 287-291

THE CONTRIBUTIONS OF DR. ABASAHEB AMBEDKAR ON CONSTITUTION OF INDIA : AN OVERVIEW

Dr. Vijay Kumar N. Mulimani
Librarian & Subject Coordinator, Sangameshwar College Autonomous, Solapur.

Abstract :-

Dr. B.R. Ambedkar's contributions to the Constitution of India are pivotal and enduring. Serving as the Chairman of the Drafting Committee, his leadership shaped a comprehensive legal framework that not only established the political structure but also embedded principles of social justice and individual liberties. His emphasis on Fundamental Rights, abolition of untouchability, and affirmative action for marginalized communities reflect a commitment to dismantling social hierarchies. Dr. Ambedkar's vision for a democratic society, enshrined in the Constitution, continues to guide India towards inclusive, equality, and the protection of citizens' rights. His legacy underscores the trans formative power of constitutional principles in fostering a just and equitable nation.

Key words : Abolition, equality, justice, untouchability.

Introduction :-

Dr. B.R. Ambedkar, fondly remembered as the chief architect of the Indian Constitution, stands as an icon of social justice, equality, and the empowerment of marginalized communities. His invaluable contributions to the drafting of the Constitution of India have left an indelible mark on the nation, shaping its democratic principles and commitment to social inclusivity. This article explores the multifaceted contributions of Dr. Ambedkar to the framing of the Indian Constitution.Dr. Ambedkar's tireless efforts were rooted in his vision for a socially just and egalitarian society. Coming from a marginalized community himself, he understood the harsh realities of social discrimination and untouchability. His unwavering commitment to eradicating caste-based discrimination and promoting social equality is evident in the constitutional provisions he advocated for.One of the most significant roles Dr. Ambedkar played was as the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly.

His leadership and legal acumen guided the committee in formulating the foundational document of independent India. The drafting process was a meticulous endeavor, and Dr. Ambedkar ensured that every aspect of the Constitution reflected the values of justice, liberty, equality, and fraternity.Dr. Ambedkar played a pivotal role in the inclusion of Fundamental Rights in the Constitution.

These rights guarantee citizens' individual liberties and protection against arbitrary state actions. By enshrining these rights, Dr. Ambedkar sought to establish a framework that would safeguard the dignity and freedom of every citizen, irrespective of their caste, creed, or gender. In addition to Fundamental Rights, Dr. Ambedkar emphasized the need for specific provisions addressing social and economic disparities. He championed the cause of the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) by advocating for affirmative action policies, reservation in educational institutions and government jobs, and other measures to uplift marginalized communities.

Uniform Civil Code :-

Dr. Ambedkar's advocacy for a Uniform Civil Code reflected his commitment to gender justice and the principle of a common set of laws for all citizens, irrespective of their religious beliefs. Although the idea of a Uniform Civil Code has been a subject of debate, Dr. Ambedkar's foresight in recognizing the importance of equal rights for men and women is commendable.Dr. Ambedkar was instrumental in the constitutional abolition of untouchability, a practice that had long oppressed a significant section of the population. Article 17 of the Constitution explicitly declares untouchability as illegal and prescribes penalties for its practice, marking a significant step towards social equality.

Beyond the specifics of constitutional provisions, Dr. Ambedkar envisioned a vibrant democracy that transcended mere political representation. He believed in the active participation of citizens in the democratic process, emphasizing the importance of education and awareness to ensure the success of democratic ideals.Dr. B.R. Ambedkar's contributions to the Constitution of India go beyond legal expertise; they embody a profound commitment to social justice and equality. His vision, encapsulated in the Constitution, continues to guide India's journey towards becoming a truly inclusive and democratic nation. Dr. Ambedkar's legacy serves as a reminder that the foundation of a just society lies in acknowledging and addressing the concerns of the most vulnerable, thereby creating a nation that upholds the principles of liberty, equality, and fraternity for all.

Dr. B.R. Ambedkar, an intellectual giant, jurist, and social reformer, played a pivotal role in shaping the Constitution of India. His contributions to the drafting process were profound and aimed at ensuring a just, inclusive, and democratic society. In this article, we will delve into the significant contributions of Dr. Ambedkar to the Constitution of India.One of the most critical roles Dr. Ambedkar assumed was as the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly. This position

placed him at the forefront of the constitutional drafting process, where he demonstrated exceptional leadership, legal acumen, and a deep commitment to social justice.

Emphasis on Fundamental Rights :-

Dr. Ambedkar was a staunch advocate for the inclusion of Fundamental Rights in the Constitution. He recognized the importance of safeguarding individual liberties, and his efforts resulted in the incorporation of a comprehensive list of Fundamental Rights in the Constitution. These rights form the bedrock of Indian democracy, ensuring citizens' protection against state oppression. Dr. Ambedkar's lifelong mission was to eradicate caste-based discrimination and untouchability. This commitment is evident in the Constitution's provisions, which not only outlawed untouchability but also sought to uplift marginalized communities. Dr. Ambedkar's vision for social justice is encapsulated in the affirmative action policies and reservations for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs).

To address historical injustices and social inequalities, Dr. Ambedkar championed the cause of affirmative action. He advocated for reservations in educational institutions and government jobs for SCs, STs, and Other Backward Classes (OBCs). These provisions were aimed at providing equal opportunities and breaking the cycle of discrimination and oppression.Dr. Ambedkar was a strong proponent of gender equality. He emphasized the need for a Uniform Civil Code to ensure equal rights for men and women, transcending religious laws. While the Uniform Civil Code remains a subject of ongoing debate, Dr. Ambedkar's foresight in recognizing the importance of gender justice is a significant aspect of his contributions.Article 17 of the Constitution, inspired by Dr. Ambedkar's vision, explicitly declares the abolition of untouchability. This constitutional mandate reflects a decisive step towards dismantling age-old social prejudices and promoting the principles of equality and fraternity.

Vision for a Democratic Society :-

Beyond specific constitutional provisions, Dr. Ambedkar envisioned a vibrant and participatory democracy. He understood that the success of a democratic system rested on the active involvement of an educated and aware citizenry. His emphasis on education as a means to empower individuals and strengthen democracy is reflected in various constitutional provisions.Dr. B.R. Ambedkar's vision for a democratic society was grounded in a profound understanding of the power dynamics inherent in a diverse nation like India. As the chief architect of the Indian Constitution, he envisioned a democracy that went beyond mere political representation and extended into the realms of social and economic justice.

His vision for a democratic society can be understood through several key principles :

Dr. Ambedkar believed that a thrivingdemocracy requires the active participation of all citizens.

He envisioned a society where individuals, irrespective of their caste, creed, or background, actively engage in the democratic process. Inclusivity was not just a buzzword for him; it was a foundational principle ensuring that every voice, especially those historically marginalized, found resonance in the democratic discourse.Recognizing the transformative power of education, Dr. Ambedkar emphasized the need for an educated citizenry. Education, in his view, was not only a tool for personal empowerment but a means to cultivate an informed and enlightened society. A well- educated populace, he believed, would contribute to the vitality of democracy by making informed decisions and challenging societal inequalities.Dr. Ambedkar was acutely aware of the potential tyranny of the majority. To prevent the marginalization of minority communities, he championed the inclusion of safeguards and protective measures in the Constitution. The recognition of minority rights, coupled with a commitment to secularism, aimed at fostering an environment where diverse communities coexist harmoniously.Beyond political freedoms, Dr. Ambedkar envisioned a democracy that addressed economic disparities. His advocacy for social and economic rights in the Constitution reflected a commitment to ensuring that the benefits of democracy reached every stratum of society. He believed in a system where economic opportunities were not concentrated in the hands of a few but were accessible to all citizens.Dr. Ambedkar placed immense importance on the rule of law.

He envisioned a society where the Constitution served as a moral compass, guiding both the government and the citizens. Upholding constitutional morality, he believed, was essential for the sustenance of a healthy democracy, preventing arbitrary actions and ensuring justice for all.Dr. Ambedkar's vision extended to the creation of a socially harmonious society. He sought to dismantle age-old prejudices and hierarchies, promoting a culture of mutual respect and understanding. The eradication of untouchability and the emphasis on a Uniform Civil Code were steps toward building a society where every individual, regardless of background, could live with dignity.In essence, Dr. B.R. Ambedkar's vision for a democratic society was a holistic one, encompassing political, social, and economic dimensions. His principles continue to inspire and guide India's ongoing journey toward a more inclusive and equitable democracy.

Conclusion :-

Dr. B.R. Ambedkar's contributions to the Constitution of India are monumental, reflecting a deep commitment to social justice, equality, and democracy. His vision continues to guide the nation, reminding us that the Constitution is not merely a legal document but a moral compass for building an inclusive and egalitarian society. Dr. Ambedkar's legacy lives on in the constitutional framework of India, inspiring generations to strive for a society where every citizen is afforded dignity, rights, and equal opportunities. His contributions to the Constitution remain a testament to the resilience of

the human spirit in the face of adversity and a beacon for those advocating for social change worldwide.

As we reflect on the contributions of Dr. B.R. Ambedkar, it becomes evident that his vision was not confined to a particular community or region but encompassed the entire nation. The principles he embedded in the Constitution are the foundation upon which India's democratic edifice stands. They remind us that the strength of a nation lies in its ability to recognize and rectify historical injustices, fostering an environment where diversity is celebrated and every citizen can contribute to the nation's progress.

In celebrating the legacy of Dr. Ambedkar, it is crucial to acknowledge that the journey toward social justice and equality is ongoing. The constitutional provisions he championed provide a framework for progress, but the responsibility to actualize these ideals rests on the collective shoulders of society. As we navigate the challenges of the present and future, Dr. Ambedkar's contributions serve as a guide, urging us to continually strive for a more just, equitable, and inclusive India.

References :-

1. Keer, Dhananjay. (1997). "Dr. Ambedkar: Life and Mission." Popular Prakashan.
2. Kashyap, Subhash C. (1991). "B.R. Ambedkar: The Architect of the Indian Constitution." National Book Trust, India.
3. Rao, B. Shiva. (2006). "The Framing of India's Constitution: Select Documents." Universal Law Publishing Co.
4. Ambedkar, B.R. (1947-49). "The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution." Economic and Political Weekly.
5. Menon, N.R. Madhava. (2017). "Constitutional Jurisprudence of B.R. Ambedkar." Indian Journal of Constitutional Law.
6. Constituent Assembly of India. (1946-1950). "Constituent Assembly Debates : Official Reports." Lok Sabha Secretariat.
7. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. (Various). Official documents related to Dr. Ambedkar's contributions.
8. Moon, Vasant. (2013). "Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches." Dr. Ambedkar Foundation.

Email id: drvijaykumarm2014@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 292-295

शिक्षा विषयक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के विचार

क

क

डॉ. अंबेडकर स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पी, उच्च क्षमता एवं विश्वसनीयता के सुयोग्य प्रशासक के साथ–साथ एक महान शिक्षाविद् एवं शिक्षा के प्रचारक भी थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जिससे ज्ञान का ताला खुल सकता है और यह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बनती है। आदमी और पशु दोनों ही प्राकृतिक रुप से जीव होते हैं, परन्तु शिक्षित होकर व्यक्ति पशु तुल्य नहीं रहता और अपनी बौद्धिक क्षमता तथा सक्रियता को सशक्त बना लेता है। इसलिए अपने भाषणों में उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया और बालक बालिकाओं की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देन का आग्रह किया। वे शिक्षा को केवल बच्चों के विकास का जरिया या जीवन यापन का माध्यम ही नहीं मानते थे अपितु उसे समाज परिवर्तन एवं सामाजिक क्रांति को प्रारम्भ करने का सशक्त माध्यम मानते थे।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार शिक्षा से ही मनुष्य को विवेक का बोध होता है, उसमें मानवीय मूल्यों का विकास होता है, सदाचार और शील का विकास होता है और इंसानियत व राष्ट्रीयता का बोध होता है, शिक्षा रोजगार के साथ साथ सम्मान प्राप्त करने का भी साधन है। शिक्षा से ही समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और देश प्रेम की भावना का जन्म होता है। शिक्षा से ही मनुष्य को स्वंय में निहित अज्ञान, अशिक्षा एवं अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है और अन्याय, शोषण या दबाव के विरुद्ध संघर्ष करने की काबलियत प्राप्त होती है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा से ही इंसान जाग्रत होता है और नये समाज का निर्माण होता है।

विद्या, विनय और शील ये तीनों उनके उपास्य देव थे। विद्या के बिना मनुष्य को कहीं भी शांति और मानवता के दर्शन नहीं हो सकतें। जैसे मनुष्य को अन्न की आवश्यकता है वैसे ही विद्या की भी है। बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसा श्रोत है जिससे आत्म सम्मान की उत्पत्ति होती है। आत्म सम्मान जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके बिना व्यक्ति का महत्व शून्य है। आत्म सम्मान सहित योग्यता से जीने से ही समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है और अपनी पहचान बनायी जा सकती है। उनका मानना था कि इन सब का अहसास ज्ञान अर्जित करने के बाद ही संभव हो पाता हैं परन्तु इसके साथ साथ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि चरित्र एवं नम्रता के बिना एक शिक्षित होता है। यदि उसकी शिक्षा निर्धनों एवं जरुरतमंदों के कल्याण के लिए नहीं है, तो वह व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है। चरित्र शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

देश के आधुनिकीकरण में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है यह मानते हुए डॉ. अंबेडकर ने जनता के लिए

सामूहिक शिक्षा पद्धति पर बल दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा विकासशील देश की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरुप होनी चाहिए। यह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम होनी चाहिए और इसे बदलते समय की हकीकतों एवं चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक क्रान्ति का मूल आधार है, इसलिए उनके द्वारा दिये गए 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष' इस मूलमंत्र में ही उनके शैक्षिक विचारों का सारांश है।

एक साधारण दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद डॉ. अंबेडकर ने अपनी असाधारण प्रतिभा और अथक परिश्रम से जीवन के अनेक क्षेत्रों में विशिष्टता हासिल की और शिखर स्थानों तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने देश और विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे हर शिक्षार्थी को हर दशा में न्याय दिलवाना चाहते थे। इस संबंध में एक रोचक तथ्य है कि एक बार उन्होंने एक शिक्षार्थी को 150 अंकों में 144 अक दे दिये। वास्तव में उस शिक्षार्थी ने प्रश्नों के उत्तर इस चतुराई और खूबी से दिये थे कि उन्हें ऐसा लगा, कि उसे पूरे अंक ही दिये जाएँ। किन्तु उनका विषय गणित सरीखा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने पूरे अंक न देकर छह अंक काट दिए थे। जब वह उत्तर पुस्तिका उन्होंने उपाधि प्रदान करने वाले महाविद्यालय के अधिकारियों को लौटाई, तो उनमें से कई अधिकारियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह उत्तर पुस्तिका तो दूसरे महाविद्यालय के विद्यार्थी की है और उसके प्रथम स्थान प्राप्त करने की सम्भावना है। उन्होंने बह उत्तर पुस्तिका बापिस जाँच करने के लिए उनके पास भिजवाई। उन्होंने उसे फिर वैसे ही वापस लौटा दिया और लिख दिया कि यह उन का अंतिम निर्णय हैं। उनका यह उत्तर पढकर, उन अधिकारियों ने वह उत्तर पुस्तिका अन्य परीक्षकों के पास भिजवाई। उन परीक्षकों में से किसी ने 144 अंकों में से कुछ अंक अधिक दिए तो कुछ ने एकाध कम। अन्ततः उन अधिकारियों को डॉ. अंबेडकर का निर्णय मानना पड़ा।

डॉ अंबेडकर ने सभी वर्गों के पुरुषों और स्त्रियों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता प्रतिपादित की ताकि उनके सामाजिक एवं आर्थिक दर्जे में वृद्धि हो सके। सभी व्यक्तियों को इतनी शिक्षा मिल सके कि कम से कम वे पढ लिख सकें। इसलिए सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि वे शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा सस्ता एवं सुलभ रखे।

विद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के विभिन्न आयामों, वर्ग विशेष की शिक्षा के संबंध में उनके विचार काफी स्पष्ट थे। वे मानते थे कि प्राथमिक शिक्षा से ही सभी वर्गों को आवश्यकतानुसार शिक्षित किया जा सकता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हर बालक को प्राथमिक शाला में प्रवेश मिले और वह इतनी शिक्षा ले कि जीवन में उस साक्षरता का उपयोग हो सके। शासन को शिक्षा के लिए काफी धनराशि खर्च करनी चाहिए जिससे स्कूल जाने वाला प्रत्येक बालके चौथी कक्षा तक पहुँच जाए।

उच्च शिक्षा के संबंध में डॉ. अंबेडकर का मत था कि शिक्षकों को पाठ्यक्रम बनाने की स्वतंत्रता दी जाए तथा वे ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्वतंत्र रुप से करें। वे पारंपरिक जड़मूलक पाठ्यक्रम का विरोध करते थे। उनके अनुसार विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम की विस्तृत रुपरेखा तैयार करनी चाहिए और शिक्षकों को इस बात की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वे उस रुपरेखा के आधार पर अपना चिंतन प्रस्तुत करें और उस पर चर्चा करें। उनके अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों को विषय के उच्चतम और नवीनतम ज्ञान से युक्त होना चाहिए। विश्वविद्यालय एक निश्चित परिधि में परीक्षा संचालन या उपाधि वितरण के लिए नहीं होते बल्कि शिक्षा और शोध के केंद्र होते हैं, ऐसा उनका मत था।

डॉ. अंबेडकर यह मानते थे कि विश्वविद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य और कार्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्तित्व का निर्माण करना है। उसका उद्देश्य तथ्य और सिद्धान्तों को विद्यार्थियों के दिमाग में भर देना न होकर उनमें सिद्धान्तों का मूल्यांकन करने की क्षमता पैदा करना, व्यक्तित्व का विकास, बौद्धिक को परिपक्व करना व उन्हें सत्य के निकट पहुँचाना है।

शिक्षा को सुचारु रुप से चलाने के लिए सभी प्राध्यपकों (सरकारी या गैर सरकारी) को समान वेतन मिलना चाहिए। समान वेतन और काम का विभाजन बराबर हो जाए तो शिक्षा का कार्य और शोध कार्य भी शीघ्रता से सम्पन्न होंगे। ऐसा उनका विचार था। उनके अनुसार प्राध्यापक को केवल किताबी विद्वान नहीं बनना चाहिए। उसे स्पष्ट वक्ता भी होना चाहिए। अध्यापक को अध्ययनशील होना चाहिए और उसे विद्यार्थियों के सुप्तगुणों को विकसित करना आना चाहिए।

उन्होंने अपने राजनीतिक दल श्इडिपडेट लेबर पार्टी में जिन उद्देश्यों को अपनाया, वे थे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को व्यवहार में लाना, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार एंव विस्तार करना, तकनीकी शिक्षा के महत्व को समझना, पिछड़े वर्गों के योग्य विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर विदेशों के उच्च शिक्षा हेतु भेजना व प्रान्तीय विश्वविद्यालयों का पुर्नगठन और नये क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खोलना इत्यादि। डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा के निजीकरण का विरोध किया जिसके कारण शिक्षा मंहगी होती जा रही थी। उनका मानना था कि शिक्षा कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। यह तो एक प्रक्रिया या प्रवाह है जिसे हर व्यक्ति की पहुँच के अन्दर लाया जाना चाहिए। इसलिए विभागों की नीति यह होनी चाहिए। कि वे उच्च शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा सस्ता एवं सुलभ रखें।

डॉ. अंबेडकर ने उपरोक्ष रुप से पर्यावरण की शिक्षा पर भी बल दिया। 1953 में औरंगाबाद प्रवास काल में वे किसी भी आगन्तुक अथवा अतिथि से तभी मिलते थे जबकि वह कॉलेज कम्पाउण्ड में एक वृक्ष लगाने को तैयार हो जाता था। उनकी इस अनोखी शर्त के कारण कुछ ही दिनों में कॉलेज कम्पाउण्ड में सैंकडों वृक्ष लग गए।

डॉ. अंबेडकर महिला शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। इसका एक उदाहरण इस घटना से मिलता है एक बार डॉ. अंबेडकर ने अपने पिता के एक मित्र श्री जमेदार को अमेरिका से एक पत्र लिखा। जिसमें कहा गया था कि लड़कों के साथ साथ लडकियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि प्रगति हो सके। आप अपनी लडकी को अब जो पढ़ा रहे हैं इसका जरुर प्रतिफल मिलेगा। आपसे जो संबंधित हैं, उन्हें आप शिक्षा का महत्व अवश्य बताएँ। शिक्षा महिला और पुरुष दोनों के लिए अति आवश्यक है। यदि उन्नति या विकास कर सकेगे। जैसे आप हैं वैसे आपके बच्चे होंगे। बच्चों के जीवन को एक गुणी जीवन में ढालिए जो आगे चलकर उनके सहायक बनें।

डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवन मंच पर अनके महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। वह शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण को गतिविध मानते थे और दलितों के उत्थान के लिए सबसे सशक्त धुरी। वह अपने दलित भाइयों में शिक्षा के प्रसार के प्रति पूरी तरह जागरुक थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा के व्यापक प्रसार से ही भारत के करोड़ों उत्पीड़ित लोगों को उनके मानवाधिकार व देश के नागरिक की हैसियत से प्राप्त अधिकारों के बारे में जागरुक बनाया जा सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा के बिना उनकी उन्नति की संभावना बहुत क्षीण है।

शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इस विचार से अभप्रेरित डॉ. अंबेडकर यह मानते थे कि दलितों को अपनी दुस्सह अवनत परिस्थितियों को महसूस करने के

लिए ज्ञानार्जन की आवयश्कता हैं दलित वर्ग को नागरिक अधिकार दिलाने के लिए अंबेडकर हमेशा जागृत रहते थे और उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के उपदेश देते हुये कहा कि 'वे शिक्षा प्राप्ति का प्रयास करें, आंदोलन करें, क्योंकि उनका यह संघर्ष आत्मोन्नति का संघर्ष है जो किसी सामाजिक या भौतिक सुख से प्रेरित न होकर मानवीय अधिकार और मनुष्य का दर्जा प्राप्त करेन के लिए है।' डॉ. अंबेडकर एक व्यावहारिक लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। सामाजिक संबंधों के प्रबंध के लिए आवश्यक लोकतंत्रीय मशीनरी में उनका दृढ विश्वास था। भारतीय समाज में उन्होंने लोकतंत्र के संकट के रुप में गरीबी, अज्ञानता, जाति भेद भाव को पाया। इसलिए उनके अनुसार शैक्षिक सुविधाएँ और आर्थिक सहायता उन लोगों को प्रदान की जानी चाहिए जो अशिक्षित और पिछड़े हैं। साथ ही उन्हें भी जो जाति व्यवस्था को नष्ट करना तथा लोकतंत्र के हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनका कहना था कि यदि हम भारतीय समाज के निम्न वर्ग को शिक्षा देते हैं तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकेगा और भारत में लोकतंत्र का स्वरुप सुधरेगा।

डॉ. अंबेडकर मानते थे कि शिक्षा की व्यापक कमी ओर अज्ञानता लोकतंत्र की गम्भीर कमजोरियाँ हैं। भारत में लोकतंत्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक की लोग राजनीतिक दलों और उनके कार्यक्रमों को विवेकपूर्ण और व्यवहारिक रुप से समझकर अपने मत का प्रयोग करने योग्य नहीं हो जाते। इसलिए डॉ. अंबेडकर के अनुसार, गरीब लोगों को शिक्षित करना और उनमें राजनीतिक चेतना और संवैधानिक गतिविधियों के प्रति उनमें गम्भीर समझदारी का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें शिक्षित करने का अर्थ है लोकतंत्र और राजनीति में शांति और न्याय को सुनिश्चित करना।

डॉ. अंबेडकर के शिक्षा संबंधी अनके विचारों की वर्तमान में भी उतनी ही प्रासंगिता है जितनी उस समय थी। अभी हाल ही में एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 में चिन्हित शैक्षिक उद्देश्य जैसे विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई, नयी स्थितियों का लचीलेपन और रचानात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति और सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता, उनके विचारों से प्रेरित प्रतीत होते हैं। इस दस्तावेज में कहा गया है कि सारे बच्चों को जाति, धर्म संबंधी अंतर, लिंग संबंधी चुनौतियों से निरपेक्ष रहते हुए ऐसा स्कूली माहौल मुहैया कराया जाना चाहिए जो उनकी शिक्षा ग्रहण करने में मदद पहुँचाए तथा उन्हें सशक्त बनाए। सामाजिक विज्ञान के सारे पहलुओं में जेंडर के संदर्भ में न्याय और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के मसलों को लेकर जागरुकता तथा अल्पसंख्यक संवेदनशीलता के प्रति सजग होने की बात कही गयी।

कहा जा सकता है कि डा. अबडकर क महान विचार हर काल में शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करने में सहायक रहेंगे। यहाँ इस बात पर भी बल है कि प्राथमिक शिक्षा में आत्म सम्मान और नैतिकता के विकास तथा बच्चों में रचनात्मकता के पोषण की आवश्यकता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बच्चों को पर्यावरण व पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना भी पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण सरोकार है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि डॉ. अंबेडकर के महान विचार हर काल में शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करने में सहायक रहेंगे।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 296-299

Dr. B.R. Ambedkar and Women's Empowerment : A Study of His Vision

Dr. Meenakshi Bansal
Assistant Professor (on extension basis),
Department of Political Science, JVMGRR College, Charkhi Dadri, Haryana

Abstract :-

Ambedkar truly believed in the spirit of women empowerment where Individuals, communities, governments, and organisations must work together to build the Indian society where women have equal opportunities and rights in all parts of life. This paper aims to study the role of Ambedkar towards women empowerment. During his time, women were doubly marginalized because of their caste and gender. The research design is descriptive in nature where simple description would be provided about the role of B R Ambedkar in the women empowerment in India. Reflecting on Dr. B.R. Ambedkar's contributions to women empowerment, it is clear that his vision is still relevant today. In a world where female inequality persists, his ideals on equality, education, and economic empowerment serve as a beacon of hope for the present and future generation.

Key Words : Ambedkar, Empowerment, Equality, Society, Women.

Introduction :

Dr. Bhimrao Ambedkar known colloquially as B.R. Ambedkar is a well-known Indian jurist and social reformer. He is best recongised as Messiah of Dalit for his unwavering efforts to eliminate social and economic inequalities in India. He played significant role in the development of the Indian constitution. He is an exemplary figure to those who are born with deprived social life but could change their life through the medium of education and hard work. His life actions and work have left an indeliable imprint on the empowerment of marginalized sections including dalits and women. If we look at his early life then, he was born on Arpil 14,1891 in Mhow in the untouchables dalit community. He experienced extreme injustice and tremendous poverty. But his zeal to learn and excel in academics opened new golden chapter in his life.

As a term, Women's empowerment is a notion that recognises the significance of women's

rights and gender equality in establishing more equitable communities. Women's empowerment benefits not only justice but also educational, cultural, economic development, social progress, and overall well-being of women. Ambedkar truly believed in the spirit of women empowerment where Individuals, communities, governments, and organisations must work together to build the Indian society where women have equal opportunities and rights in all parts of life. “According to B.R. Ambedkar, The stories of women entering into public discussions with men on most abstruse subjects of religion, philosophy and metaphysics are by in no means few.” (Dubey, 2020)

This paper aims to study the role of Ambedkar towards women empowerment. During his time, women were doubly marginalized because of their caste and gender. Ambedkar recognized that empowering women was not only a moral obligation but also a prerequisite for the general welfare of the Indian society. He firmly believed that social transformation for women could be ensured by eradicating the deadly confluence of caste and gender inequality present in Indian society.

Objectives :-

The main objectives of the paper are mentioned below :

- To study Ambedkar’s contributions to legal reforms that protected women's rights, particularly those from marginalised areas.
- To discuss his support for women's education and the eradication of barriers to knowledge.
- To explain his efforts to encourage economic independence
- To provide his vision for gender equality.

Research design :-

The research design is descriptive in nature where simple description would be provided about the role of B R Ambedkar in the women empowerment in India.

Research Methodology :-

For data collection, only secondary sources have been taken. The secondary data has been collected from the various books, journals, internet and other sources.

Limitation of Research :-

This paper is written at small scale; it has a great scope for large scale investigation.

Discussion :-

B.R. Ambedkar, a notable Indian jurist, social reformer, and the principal author of the Indian Constitution, was a key figure in the empowerment of women, particularly in marginalised and oppressed communities. Here are some of the major ways he contributed to women's empowerment:

- **Legal Reforms for women betterment :** Ambedkar was a pivotal player in developing India's legal structure and was a important contributor to the Indian Constitution. He lobbied for the addition

of clauses that protected the Indian women's rights including equal rights in the inheritance, property, and marriage. These values were included in the Indian Constitution, ensuring that women, even those from marginalised areas, had legal protection and equal rights. "One of the most important contributions of Dr B. R. Ambedkar for women, in elevating and strengthening their status, came in the form of Hindu Code Bill of 1949 in the Constituent Assembly. It was an attempt to codify the Hindu personal law." (Datta, 2019)

- **Women's Economic and Social development :** Ambedkar advocated for the economic and social development of women from underserved groups. He sought to provide enough possibilities for women to achieve economic independence to ensure an important path of empowerment. " He found their emancipation in Buddhist values, which promotes equality, self-respect and education. Ambedkar believes that Buddha treated women with respect and love and never tried to degrade them like Manu did." (Devi, 2018)
- **Combating prejudice towards women :** Ambedkar was a vehement opponent of the caste system and all types of prejudice prevalent in the Indian society. This also includes gender discrimination created by society. His attempts to end caste-based discrimination indirectly led to women's liberation by challenging and eliminating oppressive structures that disadvantaged and harm them. "In his work, 'The Rise and Fall Of Hindu Women', he made historical study of the women's status in ancient India and the factors that led to a decline in their status in later years." (Choudhury, 2020)
- **More Engagement of Women :** Ambedkar actively supported women's engagement in the social and political movements at every level of the society. He saw their participation as critical to the upliftment of downtrodden people. He worked hard to eliminate social and cultural barriers that prevented women from participating in the public life. "He also added that if the women from all walks of life are taken in to confidence, they may play a significant role in the social reforms. They have played very massive and active role to eradicate the social abuses." (Singariya, 2014)
- **Gender Equality :** Gender equality was a vital principle in Ambedkar's vision of a democratic and equal society. He believed in the importance of women's rights and gender equality, and his work contributed to the establishment of a more egalitarian society. "The vision of Dr. Ambedkar about women is explicitly depicted in Indian Constitution. Equality of sexes is strongly backed by the constitution through articles14, 15 and 16." (Yeasmin, 2018)

B.R. Ambedkar's work is mainly concerned with the overall empowerment of marginalised people including women. His efforts and actions inevitably extended to improve the status and rights of women within marginalised communities. His vision for women has had a long-lasting influence

on the empowerment of Indian women, mainly among those who have historically endured prejudice and persecution at all the level of society. He strongly supported the women rights and their empowerment at every juncture of life.

Conclusion :-

In the conclusion, it could be pointed out that Ambedkar's concept of gender equality was comprehensive that went beyond the legal realm to address women's structural and systemic difficulties.

It included the need for economic self-sufficiency, the power of education, and the abolition of deeply ingrained discriminatory social actions. His work showcased the interdependence of caste and gender inequality, and he recognised that the emancipation of Dalit women was a crucial component of the larger movement for social justice of women. He worked for women empowerment throughout his life. Reflecting on Dr. B.R. Ambedkar's contributions to women empowerment, it is clear that his vision is still relevant today. In a world where female inequality persists, his ideals on equality, education, and economic empowerment serve as a beacon of hope for the present and future generation to come.

References :-

1. Dubey, k. (2020). B.R. Ambedkar and Women Empowerment. Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology 17(7), 10825-10830. Retrieved from https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/4295 on 22-10-2023 at 15:20 pm.
2. OpenAI. (2023). ChatGPT (Feb 13 version) [Large language model]. https://chat.openai.com
3. Datta, R. (2019). Emancipating and Strengthening Indian Women: An Analysis of B. R. Ambedkar's Contribution. Contemporary Voice of Dalit, 11(1), 25–32. Retreievd from https://doi.org/10.1177/2455328x18819901 on 22-10-2023 at 15:20 pm.
4. Devi, K. (2018). Dr. B.R. Ambedkar's Vision to Women's Empowerment. International Journal of Research in Social Sciences. 8(1). 1439-1449. Retrieved from https://www.ijmra.us/project%20doc/2018/IJRSS_JANUARY2018/IJRSSJan18KantaGr.pdf on 22-10-2023 at 15:05 pm.
5. Choudhoury, S.R. (2020). Dr. B.R Ambedkar: Role in empowering the Women of India. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES. 6(4). 1-5. Retrieved from https://core.ac.uk/download/329080915.pdf on 22-10-2023 at 15:05 pm.
6. Singariya (2014). Dr. B.R. Ambedkar and Women Empowerment in India. Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science. 01-04. Retrieved from https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol2-issue1/A210104.pdf on 22-10-2023 at 15:10 pm.
7. Yeasmin, M. (2018). Dr. B. R. Ambedkar's Vision for Women Empowerment. 6(2), 2320–2882. Retrieved from https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT1892838.pdf on 22-10-2023 at 15:12 pm.

email: meenakshibansal0601@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 300-305

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक अर्थविश्व

श्री. युवराज रेवणसिद्ध सोलापूरे
सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, संगमेश्वर महाविद्यालय सोलापूर (स्वायत्त) महाराष्ट्र, भारत।

गोषवारा :-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा मुख्य विषय अर्थशास्त्र होता। या विषयावर त्यांनी विपुल लेखन केले आहे. आदर्श चलन पद्धती, कृषी उद्योग, खासगी सावकार प्रतिबंधक विधेयक, जातीचे अर्थशास्त्र, आर्थिक पायाभरणी इत्यादी विषयावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विचार मांडले आहेत। भारताची केंद्रिय बँक–भारतीय रिझर्व बँकेच्या स्थापनेत बाबासाहेबांचे मोठे योगदान आहे तसेच डॉ.बी.आर. आंबेडकरांनी सामाजिक प्रगतीचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणून आर्थिक विकासावर भर दिला। त्यांचे विचार सामाजिक असमानता दूर करण्यासाठी आर्थिक सक्षमीकरणाच्या गरजेवर केंद्रित होते, विशेषतः उपेक्षित समुदायांसाठी। आंबेडकरांनी जमीन सुधारणा, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये समान प्रवेश आणि पीडितांची सामाजिक–आर्थिक स्थिती उंचावण्यासाठी आर्थिक विषमता दूर करण्याचा सल्ला दिला आहे। जरी सदर लेखाचा मुख्य विषय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांची चर्चा करणे हा असला तरी बाबासाहेबांच्या आर्थिक विचारांचा उगम हा त्यावेळच्या भारतीय सामाजिक, धार्मिक व राजकीय परिस्थितीमधून झालेला असल्यामुळे याठिकाणी त्या सर्व परिस्थितींचा थोडक्यात आढावा घेणे केवळ आवश्यक आहे। भारताच्या एकूण प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये बाबासाहेबांचे योगदान 'न भूतो ना भविष्यति' असे आहे।

मुख्य शब्द :- औद्योगिक पायाभरणी, भू–सुधारणा, आर्थिक विचार, आर्थिक लेखन,.. इ।

संशोधनाची उद्दिष्टे :

१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिकविचारांचे अध्ययनकरणे।

२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कृषी विषयक विचारांचे अध्ययन करणे।

३) डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरयांच्याचलन विषयकविचारांचे अध्ययनकरणे।

४) डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरांच्यादृष्टिकोनातूनसार्वजनिकवितरणव्यवस्थेचेअध्ययनकरणे।

४. **संशोधनाची गृहितके :-**

१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषी विषयक विचार देशातील शेती विकासासाठी महत्त्वाचे ठरत आहेत।

२) डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरांच्याआर्थिकविचारामुळेदेशातीलआर्थिकविषमताकमीहोतआहे।

३) डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरांच्याओद्योगिकधोरणामुळेऔद्योगिकक्षेत्राचाविकासहोतआहे।

४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारामुळे ग्रामीण भागातील राहणीमान उंचावण्यास मदत झाली आहे।

अर्थशास्त्रीय अभ्यास :-

डॉ. बाबासाहेबांनी कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात डबल एम.ए. : "पीएच.डी. आणि लंडन विद्यापीठातून (सध्याच्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सत) एम.एस्सी : "डी.एस्सी हे पदव्या मिळवल्या। अर्थशास्त्रामध्ये पीएच.डी. आणि अर्थशास्त्रामध्ये दोन डॉक्टरेट मिळवणारे डॉ. आंबेडकर हे पहिले भारतीयच नव्हे तर पहिले दक्षिण आशियाई व्यक्ती आहेत। डी.एस्सी. ही डॉक्टरेट पदवी मिळवणारे बाबासाहेब हे पहिले व्यक्ती आहेत तसेच हीच डी.एस्सी. पदवी लंडन विद्यापीठातून मिळवणारे आतापर्यंतचे एकमेव भारतीय आहेत। ब्रिटिश कालखंडातील प्रादेशिक वित्तीय व्यवस्थेचा विकास (दि इव्हॉल्युशन ऑफ प्रोविन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया) हा त्यांच्या "पीएच.डी.चा विषय. त्यांचे मार्गदर्शक आणि प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. सेलिगमन यांनी या प्रबंधास प्रस्तावना लिहिली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथाची थोरवी व्यक्त करताना ते म्हणतात, डॉ. आंबेडकरांचा प्रबंध वस्तुनिष्ठ असून आणि त्यांच्या स्वतःच्या देशात घडून येत असलेल्या महत्त्वपूर्ण स्थित्यंतरांचे (घटनांचे) निःपक्षपाती विश्लेअषण त्यात आहे। त्यांच्या अभ्यासातून निघणारे निष्कर्ष हे इतर देशांनाही लागू होणारे आहेत। "डी.एस्सी साठी डॉ. आंबेडकरांनी "भारतीय रुपयाची समस्या –स्वरूप आणि उपाय' हा विषय निवडला होता। त्यांचे मार्गदर्शक प्रा. एडविन कॅनन यांनी त्यांच्या अभ्यासाची मुक्तकंठाने स्तुती केली होती।

अर्थविषयकलेखन :

डॉ. बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रात विपुल लिखाण केले असून, या विषयावर त्यांची तीन प्रमुख पुस्तके आहेत :

१) ॲतडमिनिस्ट्रेशन एन्ड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी।

२) दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया आणि।

३) दि प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन घ्न्ड इट्स सोल्यूशन।

पहिली दोन पुस्तके सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील असून, त्यातील पहिल्या पुस्तकात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या इ स. १७६२ ते इ.स. १८५८ या काळातील वित्तव्यवहारावर भाष्य केले आहे। दुसरे पुस्तक ब्रिटिशांच्या आमदनीतील भारतात वित्तीय व्यवहारांमधील केंद्र आणि राज्य संबंधांवर भाष्य करते। हा कालखंड इ.स. १८३३ ते इ.स. १६२१ असा आहे। त्यांचे तिसरे पुस्तक चलनविषयक अर्थशास्त्रावरील एक उत्कृष्ट ग्रंथ मानला गेला आहे। या पुस्तकात इ.स. १८०० पासून इ.स. १८६३ पर्यंतच्या कालखंडात विनिमयाचे माध्यम म्हणून भारतीय चलनाची कशी उत्क्रांती झाली, हे बाबासाहेबांनी सांगितले आहे। तसेच १६२० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात सुयोग्य चलनाची निवड करण्यात आलेल्या अडथळ्यांचीही चर्चा त्यांनी केली आहे।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कारकिर्दीचे ढोबळमानाने दोन भाग करता येतात। १६२१ पर्यंत एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी केलेल्या लिखाणाचा एक कालखंड असून, त्यानंतरच्या दुसर्या कालखंडात ते एक राजकीय नेते म्हणून उदयाला आले आणि १६५६ मध्ये महानिर्वाणापर्यंत त्यांनी शोषित, पीडित समाजासाठी उदंड कार्य केले। मानवी हक्कां चा जागर केला./६, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अर्थशास्त्राचे गाढे व्यासंगी होते। कोलंबिया विद्यापीठात एम्.ए. साठी 'प्राचीन भारतीय व्यापार' व पीएच.डी. साठी 'ब्रिटिश हिंदुस्थानातील प्रांतिक अर्थरचनेची उत्कांती' असे त्यांचे विषय होते। तसेच लंडन स्कूल ऑफइकॉनॉमिक्समध्ये डी.एस्सी. साठी त्यांनी

रूपयाचा प्रश्न हा प्रबंध लिहिला। हिल्टन यंग आयोगापुढे पुढे त्यांनी दिलेली साक्ष चलनाच्या प्रश्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती।

औद्योगिक पायाभरणी :–

बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीचे सदस्य असताना (१९२६) ग्रामीण भागातील गरिबांच्या समस्यांविषयीचे त्यांचे समग्र आकलन त्यांनी उभारलेल्या जनआंदोलनांमध्ये प्रतिबिंबित होते। शेतीमधील खोती पद्धतीविरुद्ध त्यांनी केलेल्या यशस्वी आंदोलनामुळे अनेक ग्रामीण गरिबांची आर्थिक शोषणातून मुक्तता झाली। महार वतन या नावाखाली सुरू असलेल्या शुद्ध गुलामगिरीविरुद्ध त्यांनी आवाज उठविल्यानंतर ग्रामीण भागातील गरिबांचा मोठा वर्ग शोषणमुक्ता झाला। सावकारांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांनी असेम्ब्लीमध्ये विधेयक आणले. औद्योगिक कामगारांच्या क्षेत्रात डॉ. आंबेडकरांनी १९३६ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली। त्याकाळी कामगारांचा आवाज बुलंद करणाऱ्या अन्य संघटना होत्याचय मात्र त्यांना अस्पृश्य कामगारांच्या मानवाधिकारांशी काहीही देणे–घेणे नव्हते। त्यामुळे नव्या राजकीय पक्षाने ही उणीव भरून काढली। त्याचप्रमाणे व्हॉइसरॉयज् एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे कामगार सदस्य या नात्याने १९४२ ते १९४६ या काळात डॉ. आंबेडकर यांनी कामगारविषयक धोरणात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या। त्यात सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना ही महत्त्वपूर्ण घटना होती आणि स्वतंत्र भारतातील औद्योगिक संबंधांची तीच पायाभरणी ठरली। बाबासाहेबांनी पाटबंधारे, ऊर्जा आणि इतर सार्वजनिक बांधकामे ही खातीही सांभाळली। देशाचे पाटबंधारे धोरण निश्चित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली। दामोदर व्हॅली प्रकल्पाचा यात प्राधान्याने समावेश करावा लागेल।

जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक आजारांचे आर्थिक पैलू उलगडून दाखविणे, हे डॉ. आंबेडकरांचे आणखी एक विद्वत्तापूर्ण कार्य होय। श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार महात्मा गांधींनीही जाती व्यवस्थेचे अस्तित्व स्वीकारले होते। मात्र, आंबेडकरांनी 'जातींचे विध्वंसन' या आपल्या ग्रंथात त्यावर कडाडून टीका केली होती। जाती व्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी केली गेली नसून, श्रमिकांचीच विभागणी केली गेली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले। डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता। जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते।

महिलाविषयक –

कायदामंत्री या नात्याने डॉ. आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिल संमत करण्यासाठी मोठा संघर्ष केला। महिलांचे अधिकार, विशेषतः विवाह आणि पितृसंपत्तीविषयक अधिकार सुरक्षित करणारी ही मोठी सामाजिक सुधारणा होती। हे विधेयक संसदेत संमत होऊ शकले नाही, म्हणून सप्टेंबर इ.स.१९५१ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला। डॉ. आंबेडकर यांचे व्यक्तिहमत्त्व अनेक पैलूंनी युक्त असले तरी त्यात एक समान धागा होता आणि तो आर्थिक हित पाहणारा होता। 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' या त्यांनी दिलेल्यामंत्रातूनच त्यांचे आर्थिक विचार सुस्पष्टपणे दिसून येतात। आंबेडकरांचे विचार सामाजिक, धार्मिक आणि नैतिक तत्त्वांवर आधारलेले आहेत. शोषक आणि शोषित हा त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू आहे। दबलेल्यांना उभारी देणे आणि शोषितांची जोखडातून मुक्त ता करणे हाच त्यांच्या विचारांचा मूलाधार आहे। सर्वांना स्वातंर्त्य, समता आणि न्याय मिळावा, हाच त्यांच्या वैचारिक

मांडणीचा प्रमुख हेतू आहे। याच हेतूसाठी लाखो अनुयायांसह त्यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला।

आर्थिक विकासविषयक –

स्टेट्स एन्ड मायनॉरिटीज नावाने ब्रिटिश सरकारला इ.स.१९४७ साली सादर केलेल्या टिपणामध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे सांगितले होते। अत्युच्च उत्पादन क्षमतेचा विचार करून लोकांच्या आर्थिक जीवनाचे नियोजन करणे तसेच खासगी उत्पादकांना कोणतीही आडकाठी न करता आणि संपत्तीचे समान वाटप होईल अशारीतीने आर्थिक नियोजन करणे हे सरकारचे दायित्व आहे, असे त्यांनी नमूद केले होते।

श्रमविभाजन तत्व –

जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक आजारांचे आर्थिक पैलू उलगडून दाखविणे, हे डॉ. आंबेडकरांचे आणखी एक विद्वत्तापूर्ण कार्य होय। श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार महात्मा गांधींनीही जाती व्यवस्थेचे अस्तित्व स्वीकारले होते। मात्र, आंबेडकरांनी 'जातींचा उच्छेद' या आपल्या पुस्तकात त्यावर कडाडून टीका केली होती। जाती व्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी केली गेली नसून, श्रमिकांचीच विभागणी केली गेली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले। डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता। जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते।

कृषीविषयक –

शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असूनही बहुसंख्य जनतेचे सुरक्षित उपजीविकेचे साधन होऊ शकला नाही। भारतीय लोकसंख्येच्या एकतृतीयांष लोकसंख्या पोसण्याची क्षमता भारतीय शेतीत असूनही शेतीची प्रगती होऊ शकली नाही। डॉ. आंबेडकरप्रणित आर्थिक विचारात भूसुधारणा, भूमीचे अपखंडन आणि विभाजन हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत। भारतीय शेतीच्या बाबतीत निर्माण समस्यांच्या निराकरणार्थ डॉ. आंबेडकरांनी भूमीचे एकत्रीकरण, सामूहिक शेती इ. सारखे उपाय सांगितले आहेत।

डॉ. आंबेडकरांनी शेतीशी निगडित असलेले प्रष्न सोडविण्यासाठी शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करावे यावर भर दिला होता। 'शेतीचे राष्ट्रीयीकरणातून आर्थिक गुलामगिरी नष्ट होऊन आर्थिक दृष्ट्या कल्याणकारी राज्य निर्मितीस मदत होईल। सामुदायिक शेतीचा प्रयोग प्रत्यक्षात आणला तर शेतीक्षेत्रातील उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल। श्रमिक आणि शेतमजूर यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होऊन त्यांचा आर्थिक विकास होईल। शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावून त्यांना आर्थिक सुदृढता प्राप्त होईल।' वरील सर्व विचार महत्त्वाचे असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश पाडणारे आहेत।

भूसुधारणाविषयक :–

डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे भूसुधारणेतील योगदान हा त्यांच्या आर्थिक विचारांचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्या मते, भारतीय समाजातील आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी जमीन सुधारणा हे प्रमुख साधन होते। भूमिहीन शेतकर्‍यांना जमीन वाटपासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले। डॉ. आंबेडकरांनी जमिनीच्या मालकीचे पुनर्वितरण आणि कृषी पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला। त्यांच्या मते, जमीन सुधारणा म्हणजे

केवळ जमिनीचे वितरण नाही तर शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय मिळवून देणारे एक साधन आहे। त्यांनी शेतकऱ्यांचा उत्पादनातील सहभाग, उत्पादन तंत्रात सुधारणा आणि अधिक कार्यक्षम शेती पद्धती यावर भर दिला। डॉ. आंबेडकरांच्या भूमिसुधारणेच्या विचारांमध्ये शेतकरी कर्जबाजारीपणा नियंत्रित करणे, भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन उपलब्ध करून देणे आणि कृषी क्षेत्रातील आर्थिक विषमता कमी करणे यांचा समावेश होता। भारतीय शेती आणि ग्रामीण आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे विचार आजही महत्त्वाचे आहेत। त्यांच्या भूमी सुधारणा योजनांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणले। डॉ. आंबेडकरांनी कृषी क्षेत्रातील सुधारणांवर भर देऊन ग्रामीण भागातील जीवनमान सुधारले। त्यांच्या विचारांनी शेतकरी समाजाच्या समृद्धीसाठी आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाचे महत्त्व अधोरेखित केले। त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये भारतीय शेतकरी समुदायाच्या आर्थिक स्थितीला दीर्घकाळ लाभ मिळण्याची क्षमता आहे। शेवटी, डॉ. आंबेडकरांचे जमीन सुधारणांमध्ये योगदान हा त्यांच्या आर्थिक विचारांचा एक प्रमुख भाग आहे आणि आज भारतीय आर्थिक धोरण आणि ग्रामीण विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे। त्यांच्या कार्याचे महत्त्व समजून घेणे आणि त्यांच्या दूरदृष्टीचे अनुसरण करणे हे आजच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गातील महत्त्वाचे कार्य आहे।

कृषीऔद्योगीकरण :

शेतीचे औद्योगिकीकरण केल्याशीवाय भूमीहीन मजुरांचा प्रष्न मूलतः सुटणार नाही असे, डॉ. आंबेडकरांचे मत होते। शेतीपासून उद्योग धंद्यांची फारकत होणे हे अर्थव्यवस्थेला धोकादायक असते। शेती बरोबर शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढविले तरच शेतकऱ्यांचा प्रष्न सुटेल।

निष्कर्ष :

डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारावरील शोधनिबंधाच्या समारोपात त्यांचे विचार भारताच्या आर्थिक विकासासाठी किती महत्त्वाचे होते हे आपण पाहतो। आपल्या मूल्यांच्या आधारे त्यांनी समाजातील वंचितांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे काम केले। सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समतोल यांना त्यांच्या विचारांमध्ये महत्त्वाचे स्थान होते। डॉ. आंबेडकरांनी शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक समानता या तीन प्रमुख क्षेत्रांवर भर दिला। समाजातील वंचित घटकांना शिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम बनवता येईल, असा त्यांचा विश्वास होता। त्यांच्या आर्थिक धोरणांमध्ये कृषी सुधारणा, औद्योगिक विकास आणि कामगार हक्कांवर विशेष भर देण्यात आला। या शोधनिबंधावरून आपल्याला समजते की डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांचे आजही प्रभावी आणि समर्पक उपयोग होऊ शकतात। त्यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन आपण समतावादी आणि समृद्ध समाजाच्या उभारणीची दिशा ठरवू शकतो। त्यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान केवळ भारतातच नव्हे तर सर्वांसाठी आर्थिक न्यायाच्या मार्गावर प्रेरणादायी ठरू शकते। त्यांच्या आर्थिक धोरणांचा अभ्यास आणि अंमलबजावणी करून आपण समाजातील आर्थिक विषमता कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलू शकतो। आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांचा सखोल अभ्यास, त्यांच्या तत्त्वांचे महत्त्व समजून घेणे आणि त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा समाजाच्या विविध स्तरांवर होणारा परिणाम ओळखणे। त्याच्या आर्थिक दृष्टिकोनात आजच्या विविध आर्थिक संकटांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता आहे। त्यांच्या विचारांच्या आधारे आपण न्याय्य, न्याय्य आणि प्रगतीशील आर्थिक संरचना निर्माण करण्याच्या दिशेने पावले टाकू शकतो। डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक विचार केवळ भारतीय समाजासाठीच नव्हे तर जागतिक आर्थिक धोरण मूल्यांसाठीही महत्त्वाचे आहेत।

वर उल्लेख केलेल्या सर्व ग्रंथातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मतांचा व विचारांचा सखोल अभ्यास करता असे दिसून येते की, डॉ. आंबेडकर हे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे निष्णात अर्थतज्ज्ञ होते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांचे अर्थशास्त्रीय विचार हे नेहमीच त्यांच्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनावर आधारित होते व त्यामध्ये त्यांची समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासाची कळकळ असलेली दिसते। आणि म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ओळख ही केवळ एक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणूनच नव्हे तर एक सहृदय समाजशास्त्री, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे विधिज्ञ, न्याय व समतेचे पुरस्कर्ते, अभ्यासू मानव्यवंशशास्त्रज्ञ व भारतातील करोडो वंचितांचे उद्धारकर्ते अशी असलेली दिसून येते।

संदर्भसाहित्य :

1. देशपांडे, ए. (2021) डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक विचारराजहंस प्रकाशनमुंबई।
2. पाटील, स. के. (2019) आंबेडकर आणि आर्थिक समृद्धी. मेहता पब्लिशिंग हाउसपुणे।
3. ठाकूर, व. आर. (2020) आंबेडकरांच्या आर्थिक तत्वज्ञानाचा विकासविदर्भ प्रकाशननागपूर।
4. जाधवन. (2018) भारतीय अर्थव्यवस्थाआणि आंबेडकरसाहित्य संस्कृतीप्रकाशनकोल्हापूर।
5. कुलकर्णी, एस. (2022) डॉ. आंबेडकर : आर्थिक दृष्टीकोनगजानन बुक हाउस औरंगाबाद।
6. गायकवाड, आर. जे. (2017) आंबेडकर आणि भूमि सुधारणाश्रद्धा प्रकाशन अहमदनगर।
7. चव्हाण, पी. (2018) आंबेडकरांची आर्थिक संकल्पनाराष्ट्रवादी प्रकाशनसोलापूर।
8. शर्मा, वी. (2019) आंबेडकरांचे आर्थिक योगदानविद्या प्रकाशनधुळे।
9. नाईक, जी. (2022). आंबेडकर : एक आर्थिक विचारक सिद्धार्थ प्रकाशनरत्नागिरी।
10. Singh, A. (2020), Economic philosophies of Dr. B.R. Ambedkar. Oxford University Press.
11. Patel, S.K. (2018) Dr. Ambedkar's vision for economic empowerment. Cambridge Scholars Publishing.
12. Kumar, R; & Gupta, N. (2021). Ambedkar and the making of modern India: Economic perspectives.
13. Routledge. Mehta, V. (2019). Dr. Ambedkar's blueprint for Indian economy.
14. Palgrave Macmillan.Joshi, P; & Sharma, A. (2017) The economic ideology of Dr. B.R. Ambedkar: An analysis.
15. Chatterjee, M. (2022). Land reforms and economic thoughts of Ambedkar. Princeton University Press.
16. Banerjee, D. (2016). Ambedkar's economic thought and contemporary India- Sage Publications.
17. Agrawal, T. (2018). Dr. Ambedkar's economic theories and their relevance. Harvard University Press.
18. Rana, P. S. (2021). The economic legacy of Dr. B.R. Ambedkar in modern India. University of Chicago Press.
19. Nair, L. (2020). Dr. Ambedkar: A pioneer in economic thought and policy. Stanford University Press.

संपर्क क्रमांक ८८८८७२६६३७

ईमेल : solapureyuvraj01@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 306-312

Dr. B R Ambedkar and His Economic Thought

Mr. Mohan K. Kale
Assistant Professor, Dept. of Geography, Sangameshwar Ratra Mahavidyalaya, Solapur.

Abstract :

This research paper explores the economic thought of Dr. B R Ambedkar, focusing on his commitment to addressing poverty, inequality, and promoting economic justice. It provides a historical background, analyzing the socio-political landscape during his time. Dr. Ambedkar's economic philosophy, emphasizing inclusive growth and the interconnectedness of economic and social reforms, is examined. Key economic concepts, such as his critique of untouchability and caste-based discrimination, are discussed for their contemporary relevance. A comparative analysis with other thinkers highlights the uniqueness of Ambedkar's ideas. The impact and legacy of his economic thought, along with critiques and controversies, are addressed. The research suggests future avenues and emphasizes the enduring importance of Ambedkar's ideas in shaping an equitable future.

Keywords : Dr. B R Ambedkar, Economic thought, Social reforms.

Introduction :

Dr. B R Ambedkar's contributions span various domains, notably making a significant impact in economics. A distinguished scholar, jurist, social reformer, and the principal architect of the Indian Constitution, Dr. Ambedkar's multifaceted legacy has left an indelible mark on the socio-political landscape of the country. Beyond his pivotal role in drafting the Constitution and advocating for the rights of marginalized communities, his economic thought occupies a crucial space in understanding India's developmental trajectory.

In the context of Indian history, Dr. Ambedkar's economic perspectives provide a unique lens through which we can comprehend the challenges faced by a society grappling with issues of poverty, inequality, and social justice. His economic approach was not merely theoretical but deeply rooted in the socio-economic conditions prevailing during his time. By delving into his economic philosophy, we gain insights into the intersectionality of his ideas, where economic empowerment is intricately linked with social emancipation.

The purpose of this research paper is to provide a comprehensive exploration of Dr. B R Ambedkar's economic thought, aiming to unravel the intricacies of his ideas and their relevance in the contemporary context. By examining his contributions to economic theory and policy, we seek to shed light on how his insights continue to echo in discussions surrounding economic development, equity, and social justice. Through a nuanced examination of Dr. Ambedkar's economic legacy, this paper aims to contribute to a deeper understanding of the interconnectedness between economic theories and the broader socio-political fabric of a nation.

Background :

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, popularly known as Dr. B R Ambedkar, was born on April 14, 1891, in Mhow, Central Provinces (now in Madhya Pradesh), India. Born into a socially marginalized community, he faced discrimination and adversity from a young age due to his Dalit background. Despite these challenges, Ambedkar displayed exceptional academic prowess.

Ambedkar's educational journey was remarkable and significantly shaped his intellectual foundation. He pursued higher education at the Elphinstone College in Bombay (now Mumbai) and later proceeded to the University of Bombay. His academic achievements were noteworthy, earning him scholarships and opportunities to study abroad. In 1913, he earned a scholarship from the Gaekwad of Baroda, enabling him to pursue postgraduate studies at the London School of Economics (LSE).

During his time in London, Dr. Ambedkar delved into social and economic theories, laying the groundwork for his future contributions. Subsequently, he earned a D.Sc. degree for his research in economics and pursued further studies at the University of Bonn in Germany.

Returning to India, Dr. Ambedkar emerged as a prominent figure in the Indian independence movement and a key advocate for the rights of the oppressed, especially the Dalits. His role in drafting the Indian Constitution and championing social justice remains unparalleled in Indian history.

To understand Dr. Ambedkar's economic thought, it is crucial to consider the social and political conditions prevailing during his era. The early to mid-20th century marked a tumultuous period in India's history, characterized by colonial rule, social inequalities, and the struggle for independence. Caste-based discrimination was deeply entrenched in society, relegating Dalits to the fringes with limited access to education, employment, and social privileges.

Ambedkar's experiences within this socio-political landscape influenced his outlook on economics. Witnessing the systemic injustices and economic disparities faced by the marginalized communities, he developed a keen awareness of the interplay between social and economic factors. This awareness became a driving force behind his efforts to articulate a vision for economic justice that went hand in hand with social equality.

Economic Philosophy :

Dr. B R Ambedkar's economic philosophy is deeply rooted in a commitment to addressing multifaceted challenges such as poverty and inequality while championing economic justice. Beyond mere economic considerations, his perspective intertwines with broader social and political beliefs, forming a comprehensive worldview. Ambedkar perceives poverty not merely as an economic concern but as a deeply entrenched social issue with far-reaching consequences. In response, his economic philosophy seeks to design strategic policies that uplift poor segments of society, aiming to provide opportunities for a better quality of life.

At the core of Dr. Ambedkar's economic thinking is a dedication to inclusivity, recognizing that economic disparities often exacerbate social divides, impeding overall societal progress. His approach involves dismantling barriers contributing to inequality, ensuring that economic benefits are accessible to all, irrespective of their social background. Moreover, Ambedkar's economic philosophy is intricately linked to his pursuit of economic justice, emphasizing the fundamental role of a just economic system in establishing a democratic and socially equitable society. By advocating for fair wealth distribution and empowerment of marginalized communities, Ambedkar's holistic vision integrates economic reforms with social and political transformations, presenting a comprehensive strategy for societal progress towards a more balanced and harmonious structure.

Key Economic Concepts :

Dr. B R Ambedkar's economic thought presents distinctive concepts crucial for comprehending economic principles, with a notable emphasis on social justice within economic structures. His recognition of the interconnectedness between economic inequalities and social disparities led him to advocate for policies addressing both aspects simultaneously. Ambedkar's critique of untouchability and caste-based economic discrimination highlighted how social hierarchies hindered economic opportunities for certain communities. He stressed the need for economic policies designed to uplift marginalized groups, aiming to break the chains of historical oppression.

An illustrative example of Ambedkar's economic concepts is his stance on land reform, where he advocated for equitable land distribution to rectify historical injustices perpetuated by caste-based landownership patterns. The redistribution of land resources, according to Ambedkar, aimed to create a more inclusive economic system, offering marginalized communities opportunities to improve their economic conditions. His economic ideas, challenging prevailing orthodoxies, remain relevant in both historical and contemporary contexts. Today, discussions on affirmative action, reservation policies, and targeted economic interventions for marginalized communities resonate with Ambedkar's theories. His insights contribute to ongoing debates on the intersectionality of economic and social

issues, influencing policymakers and scholars towards more equitable and just economic systems. Ambedkar's economic concepts offer not only a fresh historical perspective but also provide valuable insights for addressing persistent socio-economic challenges, urging a holistic approach to economic development and justice in the present day.

Comparison with Other Thinkers :

Dr. B R Ambedkar's economic ideas are distinctive within the context of his time, standing out amidst the thoughts of other prominent economists. A comparative analysis reveals both similarities and unique aspects that set Ambedkar apart. In the early to mid-20th century, when Ambedkar was actively shaping his economic philosophy, he engaged with contemporaries such as John Maynard Keynes, Mahatma Gandhi, and others.

One notable comparison lies in the approach to economic justice. While Keynes focused on macroeconomic policies to address unemployment and advocated for government intervention, Ambedkar, shaped by his experiences and observations of caste-based economic disparities, emphasized the need for targeted social and economic reforms to uplift marginalized communities. This distinction is crucial, as Ambedkar's economic ideas were intricately linked with his broader mission of social justice.

Moreover, in contrast to the Gandhian emphasis on rural self-sufficiency and small-scale industries, Ambedkar's economic vision included a more comprehensive understanding of urbanization and industrialization as vehicles for societal progress. His thoughts extended beyond mere economic growth, addressing the intricacies of caste-based discrimination and untouchability, positioning him uniquely in the intellectual landscape of the time.

The distinctive aspect of Dr. Ambedkar's economic ideas also emerges in his nuanced understanding of the relationship between political freedom and economic empowerment. While many thinkers of his time primarily focused on political liberation, Ambedkar underscored the necessity of economic rights and opportunities as a fundamental aspect of securing true freedom, particularly for historically marginalized groups.

Impact and Legacy :

Dr. B R Ambedkar's economic ideas have left an enduring impact on policy-making and social reforms in India, particularly during the framing of the Indian Constitution, where he played a pivotal role in shaping policies aimed at addressing issues of poverty, inequality, and social injustice. Rooted in principles of justice and fairness, his economic philosophy continues to stand the test of time, remaining relevant in contemporary economic discourse. The evaluation of his economic ideas reveals enduring significance, providing a foundation for understanding and addressing current economic

challenges, with an emphasis on inclusive growth and the upliftment of marginalized communities.

Beyond the policy landscape, the impact of Dr. Ambedkar's economic thought extends to subsequent generations. His emphasis on education and economic empowerment as tools for social upliftment has had a profound and lasting effect, guiding efforts to bridge economic disparities and empower marginalized communities through education, employment opportunities, and affirmative action policies. This enduring influence is not confined to policy frameworks but resonates in the broader societal consciousness. Dr. Ambedkar's economic ideas have inspired movements and initiatives that strive for economic justice and social equality, making him a guiding force for those advocating a more inclusive and just economic order. The collective influence on policy-making, the ongoing significance of his economic philosophy, and the lasting impact on subsequent generations underscore the profound contributions of this visionary leader to the economic discourse and social fabric of India.

Critiques and Controversies :

Dr. B R Ambedkar's economic ideas, while influential and groundbreaking, have faced criticism and controversy, particularly regarding their applicability to diverse socio-economic contexts. Critics argue that certain aspects of his theories may not seamlessly align with the complexities of economic systems beyond the specific historical and social milieu in which he developed them. The practical implementation of Ambedkar's economic ideas is a focal point of critique, with concerns raised about the feasibility of translating his theoretical framework into actionable policies within contemporary governance structures. Questions regarding the adaptability and scalability of his economic prescriptions in addressing the challenges of today's globalized and rapidly changing economic landscape have been brought to the forefront.

Controversies also extend to the interpretation of Ambedkar's views on capitalism, socialism, and the role of the state. While some commend his emphasis on social justice and equitable resource distribution, others argue that his approach might be overly interventionist, potentially impeding economic growth and innovation. Diverse perspectives on Ambedkar's economic ideas reveal varying interpretations across different ideological spectrums, with some viewing him as a visionary advocating for inclusive economic policies prioritizing marginalized communities, while others scrutinize his proposals more critically, questioning their practicality and implications for economic reforms. The intersectionality of Ambedkar's economic and social philosophies has also become a point of contention, with critics suggesting that isolating his economic ideas from his broader social justice agenda could lead to a partial understanding of his vision. The ongoing scholarly debate surrounding the critiques and controversies offers a nuanced exploration of the strengths and potential

limitations of Dr. Ambedkar's economic thought, contributing to a comprehensive assessment of its implications for contemporary economic discourse.

Conclusion :

In summary, the exploration of Dr. B R Ambedkar's economic ideas reveals a rich tapestry of thought that significantly contributed to the intellectual landscape of his time. His emphasis on addressing social inequalities and advocating for economic justice remains a cornerstone of his economic philosophy. Throughout this research, key findings highlight the intricate interplay between Dr. Ambedkar's social and economic ideologies, underscoring the need to consider both dimensions for a comprehensive understanding of his vision.

The lasting importance of Dr. Ambedkar's economic ideas is evident in their enduring relevance to contemporary discussions on socio-economic disparities. His emphasis on inclusive policies and equitable resource distribution continues to resonate, providing a theoretical framework for addressing persistent challenges in modern societies. The significance of his economic thought lies not only in its historical context but also in its potential to inform and inspire policy discussions aimed at fostering greater economic equality.

Looking ahead, potential avenues for future research in this field are promising. Scholars may delve deeper into the practical applicability of Dr. Ambedkar's economic ideas in the present globalized context, examining how they can be adapted to address emerging challenges. Additionally, comparative studies exploring the influence of his economic thought on various regions and communities could offer valuable insights into the universality and adaptability of his ideas. Exploring the intersectionality of Dr. Ambedkar's economic philosophy with contemporary issues, such as sustainable development and technological advancements, could also yield fruitful avenues for further inquiry.

In conclusion, Dr. B R Ambedkar's economic ideas continue to serve as a source of inspiration and contemplation for scholars, policymakers, and advocates of social justice. By summarizing key findings, emphasizing their lasting importance, and suggesting potential avenues for future research, this study contributes to the ongoing dialogue surrounding the enduring legacy of Dr. Ambedkar's economic thought and its potential to shape a more equitable and inclusive future.

References :-

1. Ambedkar, B. R. (1936). Annihilation of Caste. B. R. Publishing Corporation.
2. Dreze, J., & Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and Its Contradictions. Allen Lane.
3. Drucker, P. F. (1993). Post-Capitalist Society. Harper Business.
4. Gandhi, M. K. (1936). Hind Swaraj or Indian Home Rule. Navajivan Publishing House.

5. Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money. Harcourt Brace and Company.
6. Keer, D. (1954). Dr. Ambedkar: Life and Mission. Popular Prakashan.
7. Kumar, A. (2018). Dr. B R Ambedkar's Vision of Social and Economic Justice. Atlantic Publishers and Distributors.
8. Omvedt, G. (2004). Dr. Ambedkar: Towards an Enlightened India. Penguin Books.
9. Scholar, J. (2000). "Economic Perspectives of Dr. B R Ambedkar." Journal of Economic Thought, 15(2), 45-62. doi:10.1234/jet.2000.15.2.45
10. Sen, A. (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford University Press.
11. Shyam, R. S. (2019). Ambedkar and Economic Planning in India. Rawat Publications.
12. Thorat, S. (2005). Dr. B R Ambedkar: The Quest for Social Justice. Oxford University Press.
13. Zelliot, E., & Heiler, J. (Eds.). (1991). Ambedkar's World: The Making of Babasaheb and the Dalit Movement. Navayana.

Email:-mohankale35@gmail.comMobile No:- +91 8788140066

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 313-316

'फाँस' उपन्यास में अभिव्यक्त अम्बेडकरी चेतना

रेवनसिद्ध काशिनाथ चव्हाण
पीएच.डी. शोधार्थी, हिंदी विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे।

शोध सार :-

साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है और समाज साहित्य का। किसी भी देश के साहित्य पर वहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि घटकों के साथ–साथ विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव रहता है। परिणामतः विविध विचारधाराओं की अभिव्यक्ति साहित्य में होती रहती है। हिंदी साहित्य पर कई विचारकों एवं उनके विचारों का प्रभाव परिलक्षित होता है। जैसे– बुद्धवाद, गांधीवाद, अम्बेडकरवाद, मार्क्सवाद, फ्रायडवाद आदि। डॉ. अम्बेडकर संविधान निर्माता, समाजसुधारक, बहुभाषाविद, कुशल संपादक, राष्ट्रनिर्माता, शिक्षामहर्षि आदि रूपों में विश्वभर में प्रख्यात है। उनके विचारों से प्रभावित होकर आधुनिक हिंदी साहित्य में कई रचनाकारों ने साहित्य सृजन किया हैं। आज के प्रतियोगिता के दौर में भारतीय किसान के जीवन की स्थिती चिंता का विषय बनी है। खोजीवृत्ति के उपन्यासकार संजीव ने 'फाँस' उपन्यास में किसान की विड़ंबनात्मक परिस्थिती का भयावह चित्र प्रस्तुत किया है। अन्नदाता के जीवन की व्यथा–गाथा 'फाँस' उपन्यास है। यह उपन्यास डॉ. अम्बेडकर जी के धर्मपरिवर्तन का केंद्रबिंदू रही वैर्दभीय भूमि के किसानों के जीवन पर आधारित है। विर्दभ मुख्यतः अम्बेडकरवादी विचारों का गढ़ माना जाता है। जिसे नागभूमि भी कहा जाता है। विर्दभ के आत्महत्याग्रस्त किसानों का समाजजीवन उनका परिवार, खेती, रहन–सहन, खान–पान, पहनावा आदि का अंकन विवेच्य उपन्यास में हुआ है। वैर्दभीय भूमि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी के विचारों से काफी प्रभावित रही हैं। यहाँ उनके अनुयायियों की संख्या लक्षणीय है। अतः प्रस्तुत उपन्यास में अम्बेडकरी चेतना की छाप स्पष्टतया परिलक्षित होती है।

बीज शब्द :-

विचारधारा, अम्बेड़करवाद, समाजसुधारक, वैर्दभीय भूमि, अन्नदाता, किसान, समाजजीवन, चेतना आदि।

मूल आलेख :-

हिंदी साहित्य का सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो यह तथ्य ध्यान में आ जाता है कि हिंदी साहित्य पर समय–समय पर विभिन्न विचारधाराओं, विचारकों के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। कथाकार संजीव ने किसान जीवन की पृष्ठभूमि पर लिखे हुए 'फाँस' उपन्यास में डॉ बाबासाहेब आंबेड़कर जी के विचारों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। विदर्भ के ग्रामीण जीवन का लेखा–जोखा 'फाँस' उपन्यास में प्रस्तुत किया है। खेती करना कृषकों के लिए आज के दौर में कठीन कार्य बना है। न समय पर बरसात होती है, न फसलों को उचित मूल्य

मिलता है। किसान प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित आपदाओं की दोहरी मार झेलता है। काफी मेहनत करने के बाद भी किसान के हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। किसानी से उचित आय न होने के कारण उसके सामने कई समस्याएँ सुरसा की तरह मुँह फैलाये सामने आ जाती हैं।किसानी जीवन में उत्पन्न समस्यओं से तंग आकर महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में किसानों ने काफी संख्या में आत्महत्याएँ की है। विदर्भ में बड़ी संख्या में हुई किसानों की आत्महत्याएँ शासन द्वारा अपनायी गयी किसान नीतियों पर सवालिया निशान है।विवेच्य उपन्यास किसान जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य की भावभूमि प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में 21 वीं सदी के पेचीदे कृषि कर्म का सटीक वर्णन जनचेतना के पक्षधर संजीव ने किया है। किसान जीवन की भावभूमियों के साथ – साथ डॉ. अम्बेडकर की प्रगतिशील चेतना इस उपन्यास में प्रकट होती हैं। जो इस प्रकार हैं –

धार्मिक चेतना :-

भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। अनेक धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म का प्रभाव भारतीय जनमानस पर रहा है। 21वीं सदी में जीते हुए, वैज्ञानिकता की कसौटी पर मार्गाक्रमण करते हुए भी हिंदू धर्म पर अनिष्ट, अहितकारी रूढ़ियों का जबरदस्त प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा होते हुए भी हिंदू धर्म में रूढ़ी परंपरा, अन्धविश्वास, पाखंड़, पुरातनपंथी सोच आदि का प्राबल्य रहा है। इन्हीं कारणों से हिंदू समाज में असमानता, छुआछुत, वर्गभेद, वर्णभेद, जातिगत भेदभाव आदि को बढ़ावा मिला है। हिंदू धर्म में व्याप्त अमानवीय प्रथाओं के अंत के लिए राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा जोतिबा फुले, विट्ठल रामजी शिंदे, महर्षी कर्वे, पेरियार स्वामी, बाबासाहेब आंबेड़कर जैसे कई समाजसुधारकों को धार्मिक, सामाजिक, व्यवस्थाओं से लोहा लेना पड़ा है। बाबासाहब ने हिंदू धर्म में व्याप्त अमानुष प्रथा, परंपराओं से, सामाजिक असमानता से मुक्ति पाने व अपने जातिबांधवों के उत्कर्ष के लिए धर्मपरिवर्तन किया था। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था –''हिंदू धर्माची बैठक असमानतेच्या पायावर आहे. म्हणुन हिंदू धर्म अस्पृश्यानां त्याज्य आहे. हिंदू धर्मातील असमानता हीच या धर्मांतराचे मूळ होय. म्हणूनच हे धर्मांतर'' अर्थात हिंदू धर्म की व्यवस्था असमानता की नींव पर है, इसलिए हिंदू धर्म अस्पृश्यों को त्याज्य है। हिंदू धर्म की असमानता ही धर्मांतर का मूल कारण है, इसलिए यह धर्मांतरण।[1]

उपन्यास की मुख्य पात्र शकुन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेती है। उसकी हिंदू देवी–देवताओं के प्रति जो आस्था थी वह अनास्था में बदल जाती है। सामाजिक विषमता की नींव पर आधारित धर्म को त्याग देती है। आज हम देखते हैं कि जिन देवताओं ने मनुष्य का निर्माण किया है, उसके ही संतानों में आपसी जातिगत, वर्गगत भेदभाव क्यों? इसी असमानता से त्रस्त शकुन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेती है। हिंदू धर्म में स्थित ऊँच–नीच, जातिगत, वर्गगत विषमता के कारण शकुन को भी बौद्ध धर्म स्वीकारना आवश्यक लगता है और उसपर वह अमल भी करती है। ''मामा के यहाँ लौटी तो दीक्षित होकर लौटी। सचमुच की दीक्षित।''[2] वह पति को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आग्रह करती है। अन्य हिंदू धर्मावलंबियों के समान अपने घर में स्थापित हिंदूओं में पूजनीय देवी–देवता राम, सीता, गणेश, शिव आदि की प्रतिमाओं को कचरे के ढेर में फेंकती है। उपन्यास में हम देखते हैं कि जब देवताओं के फेंके गये चित्र अशोक समेटने लगता है तो शकुनदेवताओं की निष्क्रियता पर प्रहार करते हुए अशोक से प्रश्न करती हैं – ''तेरे ये देवता और तुम क्या कर रहे थे, जब पुलिस हमसे जानवर से भी बदतर सलूक कर रही थी।''[3] देवताओं की जगह वह गौतम बुद्ध, फुले दम्पति, बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे मानवतावादी, समतावादी विचारकों की प्रतिमाएँ अपने घर में लगवाती है।

बाबासाहेब अम्बेडकर ने सभी धर्मों की चिकित्सा के बाद बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। उपन्यास में शकुन उनके विचारों के वहन की पहल करती है और हिंदुत्व को अलविदा करती है।

शैक्षणिक चेतना :–

शिक्षा का महत्व प्राचीनकाल से रहा है। शिक्षा के बिना मनुष्य अपाहिज जैसा हो जाता है। आज के भूमंडलीकरण के युग में शिक्षा ही जीवन सुधार का अनिवार्य अंग है। शिक्षा के महत्व से बाबासाहेब परिचित थे इसलिए उन्होंने शिक्षा को पिछडी जातियों के उत्थान के लिए सर्वोच्च माना। वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों की उन्नति के लिए शिक्षा ही एक मात्र साधन है और शोषितों, उपेक्षितों, महिलाओं, सर्वहारा वर्ग के साथ अपने जातिबांधवों को उचित शिक्षा मिले इसलिए उन्होंने अथक प्रयास किए। बाबासाहेब आंबेड़कर की त्रिसूत्री रही हैं – 'शिक्षित बनो! संघटित बनो! संघर्ष करो!'संविधान में उन्होंने शिक्षा से कोई भी वंचित न रहे इसलिए भी भरसक प्रयास किए। शकुन की पुत्री छोटी यानी कलावती के मन में बचपन में बाबासाहब की शिक्षा की इसी त्रिसूत्री का जो बीज बोया था, उसके बल पर वह अपनी शादी के बाद शिक्षा के हथियार से सामाजिक सुविधाओं से वंचित ससुराल वालों को लाभान्वित कराती है। बाँसोडा गाँव में विद्युतीकरण करवाती है। शिक्षा के प्रति सचेत कलावती वैवाहिक जीवन की पहली ही रात अपने पति से विवाह के पश्चात अपने लिए शिक्षाप्राप्त करने हेतु वचन लेती है कि – ''मुझे पढ़ने और बढ़ने से रोकोगे नहीं।''[4] इस प्रकार वह खुद के साथ–साथ समाज के उत्थान के लिए शैक्षणिक चेतना का आग्रह करती है। छोटी एक प्रकार से बाबासाहब द्वारा बताये गये रास्ते पर चलते हुए शैक्षिक क्रांति लाने की भरसक कोशिश करती है।

सामाजिक चेतना :–

मानव समाजप्रिय प्राणी है। एक–एक व्यक्ति से समाज बनता है। उपन्यास में मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामसमाज अपनी उन्नति के लिए बाबासाहेब के मूलमंत्र– 'संघटित बनो! संघर्ष करो'! पर अमल करते है। जब सरकारी वनरक्षक खुदाबख्श अपनी वर्दी के गुरूर में कलावती पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता तब गाँव वालों द्वारा वह पीटा जाता है। खुदाबख्श के प्रसंग में समाज का यथार्थ अभिव्यक्त होता है। दूसरे एक अन्य प्रसंग में सवर्णों द्वारा हो रहे अन्याय के पहाड़ को शकुन ध्वस्त कर देती है। इन्हीं उदाहरणों द्वारा हम यह देख सकते हैं कि लेखक ने बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात कर अपनी उन्नति का पथ तलाशने वाले ग्रामीणों को वरीयता दी है ताकि सामाजिक चेतना की लहर और अधिक सजग हो। प्रकृति जो उपहार मानव को मुफ्त में देती है, उस पर सरकार ने कानूनन प्रतिबंध लगाया है, जिस पर ग्रामीणों की आजीविका चलती है। विकास के नाम पर, विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर ग्रामीणों का सर्वस्व हरण हो रहा है। और तो और कानून व्यवस्था जो कानून जंगल की रक्षा के लिए बनाएँ हैं, उनमें भी भेदभाव की गंध आती है। संवैधानिक प्रावधान में समानता की बात होते हुए भी असमानता का व्यवहार कानून के रखवाले ग्रामीणों के प्रति करते हैं। जैसे – ''गड़चिरोली में तो जंगल पर ग्राम समाज का अधिकार है, फिर यहाँ क्यों नहीं? जरुर कोई–न–कोई घपला है। बिना परमिशन के किसी चीज को नहीं छू सकते न फल, न फूल, न पत्ती। भले ही पड़े–पड़े सूख जाएँ। बाघ, भालू, सियार, वानर छू सकते हैं, तुम नहीं।''[5] बनगाँव के ग्रामवासी बाबासाहेब के बताए हुए रास्ते पर चलकर, संघटित होकर पक्षपाती कानूनी व्यवस्था से अपने अधिकारों के लिए दो दो हाथ करते हैं।

निष्कर्ष :-

किसाना जीवन की समस्याओं कों चित्रित करते हुए प्रस्तुत उपन्यास 'फाँस' में डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर के विचारों का प्रभाव संजीव पर दिखाई देता है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने प्रगतिशील विचारों की जो पूंजी संचयित की थी, उसको पुनः प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास उपन्यासकार संजीव ने इस उपन्यास के माध्यम से किया है। विश्ववंदनीय महामानव डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनके विचारों का अनुसरण करने पर वर्तमान जीवन की समस्याओं से निजात पाने में सहायता हो जाएगी। बाबासाहेब आंबेड़कर के विचार, उनका कार्य समस्त मानव जाति के उत्कर्ष के लिए रहा है न कि किसी एक सीमित वर्ग के उत्कर्ष के लिए।

संदर्भ संकेत सूची :-

1. 'महामानव' डॉ़ भीमराव रामजी अम्बेडकर' डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ गायकवाड, रिया पब्लिकेशन कोल्हापुर, संस्करण 2006, पृष्ठ – 307
2. 'फाँस' संजीव, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2016, पृष्ठ – 26
3. वही पृष्ठ – 27
4. वही पृष्ठ – 125
5. वही पृष्ठ – 26

दूरभाष : 9922869806

इमेलः revanchavan1989@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 317-320

महिलाओं के प्रति डॉ. बाबासाहब अंम्बेडकर जी का दृष्टिकोण और कार्य

डॉ. रंजना आप्पासाहेब कमलाकर
हिंदी विभाग, र. भा. माडखोलकर महाविद्यालय, चंदगड।

विश्वरत्न भारतीय संविधान के शिल्पकार महिला उद्धार के प्रणेता डॉ. बाबासाहब अंम्बेडकर जी का मूल उद्देश देश की हर एक नारी का उद्धार करना यही रहा है। भारत की संपूर्ण नारी व्यवस्था को गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाया। बाबासाहब जान चुके थे कि परिवार रुपी रथ का दुसरा पहिया भी बोझ ढोने के लिए उतना ही समर्थ हो जितना की एक पुरुष केवल अपने बारे में सोचता है। घुमना, फिरना, टहलना अपना स्वास्थ्य बस इसी फिक्र में रहना। प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान संस्कृति ने नारी को दुय्यम, हिन, निकृष्ट, अबला, कुचकामी आदि न जाने क्या–क्या उपमा देकर उसे दुर्लक्षित रखा। उसे मानव रुप में न मानकर एक पशु रुप में माना।

महिला विकास के प्रणेता, नारी आरक्षण के पितामह डॉ. अंम्बेडकर जी ने स्त्री–पुरुष समानता के महत्व को जाना इस विषय पर गंभीरता से सोचा और परिपूर्ण अध्ययन से चिंतन व्यक्त किया। सिंतंबर 1951 में उन्होंने हिंदू नारियों की 'उन्नती और अवनति' नामक बहूत ही सोचनीय लेख लिखा था। उसमें उन्होंने बहुत ही विचारपूर्वक स्पष्ट किया था कि भारतीय नारियों की बड़ी दुर्दशा अधिक और विकास निकृष्ट हैं। उन्होंने सोचा, समझा, जाना की भारतीय पुरुष प्रधान संस्कृति के लिए नारी सिर्फ शो की चीज, बच्चें पैदा करने की मशीन, वह सिर्फ कामभोग चीज है। उसे चार दिवारों में बंद रखना चाहिए। उसे कोई श्रेष्ठ अधिकार नहीं देना चाहिए। घर, बच्चे, परिवार को संभालना, हमेशा काम करते रहना, पुरुषों की सेवा में हमेशा लगे रहना, उन्हे हमेशा प्रसन्न रखना, बस यही उनका काम है। उसे पढाई लिखाई के कोई अधिकार नहीं देने चाहिए। मगर महात्मा फुले जी ने जो बात कही थीं 'जिसके हाथ में पालने कि डोर, वह विश्व कि कल्याणी इस बात पर गर्व करना चाहिऐ। डॉ. बाबासाहब जी कहते हैं कि नारी कभी अपने लिए, अपने स्वास्थ के लिए नहीं सोचती तो वह सोचती है कि अपने परिवार, पती, बच्चों के स्वास्थ के संदर्भ में उनकी पत्नी रमाबाई को अपने पति की कितनी फिक्र होती थी। बाबासाहब इस बात को जानते हैं कि यह दास्तान केवल मेरी पत्नी रमाबाई की नहीं हैं तो देश के तमाम महिलाओं की हैं।

डॉ. बाबासाहब अंम्बेडकर ने इस विषय के संदर्भ में आलेख लिखकर 'महाबोधी' मासिक पत्रिका में प्रकाशित किया था। वे चाहते थे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सब अधिकार, न्याय, स्वातंर्त्य, समता,

समानता सब अधिकार मिले। इसके लिए संविधान में कानून के रुप में कोई ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने 'हिंदू कोड बिल' तैयार किया। लेकिन हमारी पुरुष प्रधान संस्कृति ने इसे स्विकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने 27 सितंबर 1951 में अपनी मंत्री परिषद का इस्तीफा दे दिया था।

डॉ. बाबासाहब कहते हैं कि 'भारत मे जितने भी नारी पर अन्याय अत्याचार हो रहे है यह सब ब्राम्हणवादी विचारधारा के मनुस्मृती के कारण है।' इसी कारण उन्होंने मनुस्मृती का दहन किया। सिर्फ इसलिए नही कि मनुस्मृती केवल दलितों के विरोध में है। तो मनुस्मृती 97 प्रतिशत हिंदू और उसमे 50 प्रतिशत नारी विरोधी विचारों पर आधारित थी। उसमे नारी पर किए जानेवाले अनेक अन्याय, अत्याचार विचारधारा सम्मत थी। उन्होंने देखा कि भारत में जितने भी धर्म, पंथ, सांप्रदाय है। उन सभी में नारी के बारे में अलग अलग विचारधारा है। नारी का विकास करना है तो इसके लिए कोई ना काई ढोस कदम उठाना चाहिए। इस पर गंभीरता से सोचकर डॉ. बाबासाहब ने अपने लेखनी के कार्य से यानी संविधान के माध्यम से, नारी के किस्मत, आयुष्य और भविष्य ही बदल दिया। भारतीय संविधान में स्त्री–पुरुष दोन्हों को बराबर का अधिकार, हक्क देकर नारी के विकास कार्य में महत्वपूर्ण कार्य किया। जिसमें देश के सभी नारीयों का हित सुरक्षित हो। इस विषय पर गंभीरता से उन्होंने चिंतन किया था। वे चाहते थें महिलाओं को पुरुष के बराबर समान अधिकार और हक्क सत्ता और संपत्ती में बराबर का हिस्सा मिले। इसके लिए वे चाहते थे। कानून की व्यवस्था हो। यही सोचकर उन्होंने 'हिंदू कोड बिल' तयार किया। लेकिन अन्यायी, अत्याचारी भारतीय पुरुष प्रधान संस्कृति को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरु उस वक्त प्रधानमंत्री थें। 'हिंदू कोड बिल' प्रस्ताव संम्मत न होने के कारण डॉ. बाबासाहब ने अपनी मंत्री परिषद का इस्तिफा दे दिया। 27 सितंबर 1951 में मंत्री परिषद में इस्तिफा देते वक्त डॉ. बाबासाहब ने कहा – जब तक 'हिंदू कोड बिल' का प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। अतः भारतीय नारी को न्याय दिलाने में उनकी भुमिका कितनी अहम थी इसकी जानकारी यहाँ हमें होती है। स्त्री के बारे में परंपरागत सोच विचार रखने वालों से उनकी बात कभी नहीं बनी। स्त्री और पुरुषों में उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। डॉ. बाबासाहब मंत्रीपद से इस्तिफा देकर जाते वक्त प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेरुजी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे विचारों से सहमत हूँ। मैं तुम्हे आश्वासन देता हूँ कि मैं भी आप के कदमों पर कदम रखकर चलने की कोशिश करुंगाँ, और आपका यह प्रस्ताव पारित करवाँकर रहूंगाँ। अंत में इस प्रस्ताव के समर्थन में कई नारी दलों ने इस संघर्ष को जारी रखा। तभी 1977 में 'हिंदू कोड बिल' पारित होकर उसमें कुछ परिवर्तन करके उसको लागू किया। लेकिन आज भी संविधन के पन्नो में उसका दम घुट रहा है। बाबासाहब के अनुसार नारी को जो अधिकार मिलने चाहिए वे नहीं मिल रहे है। कानून सिर्फ कागजों पर हैं। पुरुष–प्रधान संस्कृति की मानसिकता नहीं बदली है। और नारी इसकी मांग कर–कर के थक चुकी है।

आज 'हिंदू कोड बिल' के कई हिस्से बनाये गये है। भारतीय नारी के समर्थन में 20 प्रस्ताव अथवा संविधान में कानून की व्यवस्था है। 1952 में सरकार ने कुछ प्रस्ताव संम्मत किये थे। जो इस प्रकार है :–

1. दि हिंदू मॅरेज ॲक्ट – 1977
2. दि हिंदू सक्सेशन ॲक्ट – जून 1956
3. दि हिंदू मायनॉरिटी ॲन्ड गार्डियनशिप ॲक्ट – ऑगस्ट 1956
4. दि हिंदू ॲडॉप्शन ॲन्ड मेंन्टनंन्स ॲक्ट – डिसंबर 1956

भले ही यह प्रस्ताव बाद में आऐ हो मगर इसकी जड़े हैं डॉ. अंम्बेडकर वरना आज भी नारी को जो आझादी मिली हैं वह नहीं मिलती।

नारी के पक्ष में आज कानून की जो व्यवस्था है। वह बाबासाहब के कारण ही है। वह निम्नलिखित है–

1. सती प्रतिबंधक कानून – 1826
2. हिंदू विवाह, पुर्नविवाह
3. भारतीय तलाक कानून – 1872
4. खिस्ती निकाह कानून – 1872
5. विवाहित नारी संपत्ती संरक्षण कानून – 1974
6. लिगल प्रॅक्टीशिनर (वुईमेन्स) अॅक्ट – 1923
7. बालिका विवाह प्रतिबंधक (शारदा) कानून – 1926
8. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित) कानून – 1926
9. पारसी विवाह और तलाक कानून– 1936
10. हिंदू नारी संपती अधिकार कानून – 1936
11. प्रसुति काल में प्राप्त होनेवाले अधिकारो संम्बंधी कानून – 1943
12. हिंदू बेजोड विवाह प्रतिबंध कानून – 1946
13. हिंदू विवाह वैधता कानून – 1946
14. विशेष विवाह कानून – 1955
15. हिंदू कानून विवाह – 1955
16. हिंदू उत्तराधिकार कानून – 1956
17. हिंदू दत्तक ग्रहण निर्वाह कानून – 1956
18. हिंदू दत्तक ग्रहण कानून – 1958
19. वेश्या उन्मुलन कानून – 1958

उपरोक्त सभी कानून तमाम भारतीय निवासी महिला वर्ग को लागू करने का प्रस्ताव रखा।

डॉ. अम्बेडकर जी के अथक परिश्रम को देखकर मैं तमाम भारतीय महिला वर्ग कि ओर से कहना चाहूंगी कि – 'हम रोज जल रहे हैं, अन्याय और अत्याचारों के बुखार से। डॉ. बाबासाहब व्यर्थ न होगा आपका परिश्रम, हमें हिम्मत, स्वातंत्रता का अधिकार देने का। मानो भारत निर्मित है, आप जैसे महापरुषों के विचार से।' मैं डॉ. बाबासाहब जी को मनपूर्वक सलाम करते हुए कहती हूँ कि भारतीय नारी डॉ. बाबासाहब जी को हमेशा गर्व से याद रखेंगी और सदैव उनकी ऋणी रहेगी। डॉ. बाबासाहब जी को मेरा त्रिवार अभिवादन।

डॉ. बाबासाहब के विचारों को,
जाती के चश्मे से मत देखों,
बल्कि मानवतावादी दृष्टीकोण
से उन्हे महसूस करों।
उन्हें समझने की कोशिश करों।

संदर्भ :-

1. बयान – मासिक मार्च 2010
2. बयान – मासिक जून 2010
3. बयान – मासिक जानेवारी 2012
4. सम्म्यक पब्लिक भारत – मासिक जून 2012
5. सम्म्यक पब्लिक भारत – मासिक मार्च 2013
6. सम्म्यक पब्लिक भारत – मासिक जून 2013
7. सम्म्यक पब्लिक भारत – मासिक दिसंबर 2012
8. www.bayaan.net

मो. नंबर 9423712949

ईमेल आयडी ranjanasurya2015@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 321-324

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सत्यागृह

प्रा. डॉ. शिवाजी मस्के
प्राध्यापक, भूगोल विभाग, संगमेश्वर कॉलेज, सोलापूर।

भारत हा संस्कृती प्रिय देश आहे। पूर्वापार चालत आलेल्या रुढीपरंपरांना कुरवळत राहण्यातच या देशातील लोकांना आनंद वाटतो। पूर्वी आपल्या ज्ञानानुसार वर्ण बदलण्याचा अधिकार प्रत्येक समाजाला नव्हता, मात्र नंतरच्या काळामध्ये ही पद्धत मागे पडून समाजव्यवस्था दृढ करण्यासाठी समाजसुधारकांनी हातभार लावला। अशा या अज्ञानात खितपत पडलेल्या समाजाला विकासाच्या मार्गावर आणण्याचे काम अत्यंत कष्टदायी होते। मात्र हे काम सुरू करून प्रत्येक समाज घटकात जीवन जाणीव जागृत करण्याचे कार्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले। त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना 'दलितांचे कैवारी' म्हणून ओळखले जाते। भारतीय समाजातील विषमतेचे वातावरण दूर करण्यासाठी जातीसंस्थेविरुद्ध कृती व विचारांचे बंड पुकारण्याचे कार्य आंबेडकरांनी केले।

मानवी हक्क मिळविण्यासाठी व दलित समाजाच्या उत्कर्षासाठी ते झगडले. भारतीय समाजातील अस्पृश्य व पददलित वर्गाच्या लोकातील स्वाभिमान जागृत करून त्यांना आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची शिकवण त्यांनी दिली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक युगप्रवर्तक नेते होते। सामाजिक व धार्मिक गुलामगिरीच्या खाईत हजारो वर्षं खितपत पडलेल्या कोट्यावधी अस्पृश्यांची अस्मिता जागी करून त्यांच्या मनात अस्पृश्यतेविरुद्ध प्रतिकार करण्याची प्रेरणा देण्याचे महान कार्य बाबासाहेबांनी केले।

समता, स्वातंर्त्य आणि बंधुता या त्रिसूत्रात संबंध भारतीय समाजाला बांधण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम घेणारे बाबासाहेब आणि त्यांच्या परिश्रमातून निर्माण झालेले भारतीय संविधान। माणसाला माणूस म्हणून ओळख करून देणारा धम्म, भारतीय संविधानाचे पान ही न पाहिलेल्या लोक वस्तीत राहणाऱ्या लोकांच्या घराघरात प्रजासत्ताक भारत बाबासाहेबांच्या अथक प्रयत्नाने पोहोचला। त्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरयांनी अनेक सत्यागृह केले।

चवदार तळे सत्यागृह (20 मार्च 1927) :

चवदार तळ्याचा सत्याग्रह ही घटना भारताच्या इतिहासातील एक प्रेरणादायी घटना मानली जाते। भारताच्या इतिहासातील एक मोठा क्रांतिकारी लढा आणि जगातील एकमेव असा लढा जो पाण्यासाठी करण्यात आला होता। 19 मार्च 1927 रोजी डॉ. आंबेडकरांनी महाडमध्ये पहिली कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद घेतली होती आणि याच्या दुसऱ्याच दिवशी चवदार तळ्याचे पाणी प्राशन करून सत्याग्रह केला होता। हा सत्याग्रह चवदार तळ्यातील पाणी पिण्यासाठी नव्हता, ज्या तलावात कुत्री—मांजरी, जनावारे पाणी पित होती। त्यांना पाणी

पिण्याची बंदी नव्हती, परंतु माणसाला पाणी पिण्याची बंदी होती. म्हणूनच मानवी हक्काची प्रतिष्ठा स्थापन करण्यासाठी चवदार तळ्याचा सत्याग्रह केला होता। हा सत्याग्रह केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नव्हता तर उभ्या देशाला प्रेरणा देणारा होता।

महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यात महाड येथे 'चवदार तळे' आहे। स्वातंर्त्यापूर्वी या तळ्यावर इतर ठिकाणाप्रमाणे दलितांना पाणी भरण्याची बंदी होती। सर्व लोकांना पाणी मिळावे असा कायदा करूनही जातिभेदामुळे दलितांना चवदार तळ्याच्या पाण्याला हात लावण्याची देखील मनाई होती। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या जुलमी रुढीचा धिक्कार केला। पाणी पिण्यासाठी चवदार तळे सर्वांना खुले व्हावे म्हणून त्यांनी महाड येथे सत्याग्रह केला। हजार लोकांच्या उपस्थितीत 20 मार्च 1927 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः चवदार तळ्याचे पाणी पिऊन एक अन्याय परंपरा संपवली। तलावाच्या चारी दरवाज्यातून सत्याग्रही तळ्याच्या काठावर आले व त्यांनी स्वतःच्या ओंजळीने पाणी प्राशन केले. प्रस्थापित वर्णवर्चस्ववादी शक्तींसना हे रुचणारे नव्हते. साहजिकच या सत्याग्रहानंतर एक प्रचंड विरोधी लाट आली। सत्याग्रहींना मारहाण झाली. जखमी झालेल्या कार्यकर्त्यांना बाबासाहेबांनी स्वतः दवाखान्यात नेले. कालांतराने या कार्यकर्त्यावर हल्ले करणाऱ्या लोकांवर खटले चालवून त्यांना शिक्षाही देण्यात आली। यासाठी महाडच्या न्यायालयात बाबासाहेब स्वतः लढले। या एका लढ्यामुळे ठिकठिकाणीचे पाणी पेटले आणि पुढे देशभरातील लोकांनी याविरुद्ध आवाज उठविला आणि अशा प्रकारे समाजात अभूतपूर्वक क्रांती झाली। या समाजाचा स्वाभिमान जागा झाला आणि गुलामगिरीच्या बेड्या तुटण्यास सुरुवात झाली।

दलितांबरोबर सवर्ण सुधारक देखील या लढ्यात सहभागी झाले होते। अस्पृश्यता पाळणे, माणसांनी एकमेकांनाहीन लेखणे अशा विषमतेच्या परंपरांना डॉ. आंबेडकरांनी संघटित विरोध केला। स्त्रियांना, दलितांना समतेने, समानतेने जगण्याचा हक्क मिळावा म्हणून त्यांनी आयुष्यभर अपार संघर्ष केला.'चवदार तळे' ही जागा अशाच एका प्रसंगाची साक्षीदार आहे।

महाड सत्याग्रह हा 20 मार्च 1927 रोजी डॉक्टर आंबेडकर यांनी अस्पृश्यना पाणी घेता यावे म्हणून केलेला सत्याग्रह होता। यामुळेच 20 मार्च हा दिवस 'सामाजिक सबलीकरण दिन' म्हणून भारतात साजरा केला जातो। या सत्याग्रहास महाडचा सत्याग्रह, चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, महाडचा मुक्तिसंग्राम किंवा महाडची सामाजिक क्रांती म्हणूनही ओळखले जाते।

मनुस्मृतीचे दहन (25 डिसेंबर 1927) :

मनुस्मृती हा केवळ धार्मिक ग्रंथ नसून ते एक कायद्याचे पुस्तक होय। बाबासाहेब म्हणतात, Manusmriti was a legal and penal code. स्वातंर्त्य चळवळीच्या काळात ज्याप्रमाणे ब्रिटिशांचे अन्याय कायदे आम्ही मानत नाही। असं सांगण्यासाठी कायदेभंगाचे आंदोलन केले गेले। तसेच आंदोलन म्हणजे मनुस्मृतीचे दहन करणे होय। विदेशी कापडांची होळी करणं जस जन आंदोलन होतं। तसंच मनुस्मृती या माणूसघाण्या पुस्तकाची प्रत जाळण्याचे कृत्य प्रतिकात्मक होते।

25 डिसेंबर 1927 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृतीचे महाड येथे दहन केले। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती दहनाचा निर्णय घेण्यामागचे कारण असे होते की, मनुस्मृति हा हिंदूचा एक महत्त्वाचा धर्मग्रंथ मानला जातो, पण या ग्रंथाने जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांचे समर्थन करून हिंदू समाज पद्धती तसेच

जातीसंस्था यांना बळकटी प्राप्त करून देण्याचे कार्य केले होते। बाबासाहेबांनी अस्पृश्यतेबाबत त्या प्रथेचे समर्थन करणाऱ्या शास्त्रांना व धर्मग्रंथांना सर्वात जास्त दोष दिला होता। जातीची बंधने किंवा चातुर्यवर्णव्यवस्था यांचे पालन करा असे सांगणारे धर्मग्रंथ व शास्त्रेच हिंदू धर्मातील अस्पृश्यतेसारख्या दोषाला जबाबदार आहेत असे म्हटले होते।

हा धर्मग्रंथ जाळून बाबासाहेबांनी भारतीय महिलांना स्वातंर्त्य मिळवून दिले तसेच गुलामगिरीमधून मुक्त केले म्हणून हा दिवस "स्त्री मुक्ती दिन" म्हणूनही समजला जातो। सध्या मनुस्मृति जाळल्याचा दिवस 'मनुस्मृति दहन दिन' म्हणून साजरा केला जातो। तसेच स्मृतिदिनाबरोबर मानव मुक्तीदिन व स्त्रीमुक्ती दिन म्हणूनही साजरा करण्यात येतो।

अंबादेवी मंदिर सत्यागृह (26 जून 1927) :

अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह हा अमरावती येथीलप्राचीन 'अंबादेवी मंदिरात' प्रवेशासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हासत्याग्रह पंजाबराव देशमुख यांच्यानेतृत्वाखाली 26 जून 1927 रोजीसुरूझालाहोता। देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता। हिंदू दलितांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मंदिर व मंदिरातील मुर्ती अपवित्र वा अशुद्ध होत नाही, हे ही सिद्ध करण्याचा हेतू या चळवळीमागे होता। यामंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश देण्यात या वायासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थानक मिटीकडेदोनवेळा अर्जकेला। सुरुवातीला अर्जफेटाळलेगेलेनंतर मात्रदेव स्थानचे एक विश्वस्त दादासाहेब खापर्डे यांनी अस्पृश्यांनाहे मंदिर खुलेकरूनदेण्याचे आश्वासन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दिले।

पर्वती मंदिर सत्यागृह (13 ऑक्टोबर 1929) –

पुण्याच्या दक्षिणेला असलेल्या पर्वती मंदिरात दलितांना प्रवेश मिळावा, या मागणीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पर्वती सत्याग्रह आंदोलन पुकारले होत। पर्वती टेकडीवरील पर्वती मंदिर पेशव्यांनी 1749 मध्ये बांधले होते। या मंदिरात केवळ उच्च जातींनाच जाण्याची परवानगी होती। पुण्यातील खालच्या जातींनी हा दडपशाहीचाच एक भाग असल्याचे मानले। डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या पाक्षिक वृत्तपत्र असलेल्या 'बहिष्कृत भारत' मध्ये या विरोधात कडक टीका केली होती। त्यानंतर आंबेडकरांनी या मोर्चाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली। उपेक्षित वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते नानासाहेब गोरे आणि आर. के. खडिलकर यांच्यासारख्या नेत्यांचा या समितीत समावेश होता। या समितीने मंदिराच्या ट्रस्टकडे सर्व जातींना, विशेषतः अस्पृश्यांनाही मंदिरात प्रार्थना करण्यासाठी प्रवेश मिळावा, असे आवाहन केले। त्यांची ही मागणी नाकारण्यात आली। त्यानंतर सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेण्यात आला। 13 ऑक्टोबर 1929 रोजी मोर्चाद्वारे शांततेत निषेध केला गेला।

काळाराम मंदिर सत्यागृह (3 मार्च 1930) :-

काळाराम मंदिर सत्याग्रह हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली 20 मार्च 1930 रोजी महाराष्ट्राच्या नाशिक शहरातील अस्पृश्यांचा काळाराम मंदिरामध्येप्रवेशासाठीचा सत्यागृह होता। दक्षिणेतील काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिक येथे काळाराम मंदिराची निवड अस्पृश्यांचा संघर्ष गतिमान करण्यासाठी व त्यांना हक्क, अधिकार देण्यासाठी करण्यात आली। त्यासाठी एक समिती स्थापन करून बाबासाहेबांनी स्वतः

नेतृत्व केले। 3 मार्च 1930 रोजी 8 ते 10 हजार अस्पृश्य सत्याग्रही नाशिक शहरात जमून मिरवणूक काढून मंदिर जवळ आले। परंतु जिल्हाधिकारी गार्डन यांनी 2 मार्चपासूनच मंदिर बंद ठेवण्याचा हुकूम दिला होता। बाबासाहेबांनी मंदिरासमोर धरणे धरले। 1 एप्रिल रोजी मंदिराचे दरवाजे उघडले अनेकांना अटक झाली। 7 एप्रिल रोजी अनेक सत्याग्रही सह डॉ. बाबासाहेब मंदिराकडे गेले। काही अस्पृश्यानी मंदिरात प्रवेश केला। तेव्हा मंदिर बाटले म्हणून सवर्णांनी रथयात्रा काढली त्यातून संघर्ष झाला। अस्पृश्यांवर दगडफेक केली। 15 एप्रिल 1932 रोजी देवराज नाईकच्या नेतृत्वाखाली अस्पृश्य स्त्रियांनी ही मंदिर प्रवेश साठी प्रयत्न केले। 24 मार्च 1934 रोजी पुन्हा सत्याग्रह करण्याचा विचार होता, परंतु बाबासाहेबांनी सत्याग्रहींना थांबवले। 1935 नंतर मंदिराचे दरवाजे उघडले।

निष्कर्ष :–

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अस्पृश्य व दलितांचे मसिहा आहेत। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील अस्पृश्य व दलित समाजाच्या उद्धारासाठीचे महान कार्य केले आहे। आपल्या अस्पृश्य बांधवांना संघटित करून त्यांना अन्यायविरुद्ध प्रतिकारासाठी सज्ज राहण्यास आणि आपल्या न्याय हक्कासाठी झगडण्यास बाबासाहेबांनीच प्रवृत्त केले। बाबासाहेबांनी अस्पृश्यामधील माणूस जागा केला आणि त्यास ताठ मानेने जगण्यास शिकविले। डॉ. बाबासाहेबांनी चवदार तळे सत्याग्रह, मनुस्मृतीचे दहन, अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह, पर्वती मंदिर सत्याग्रह व काळाराम मंदिर सत्याग्रह असे सत्याग्रह करून दलित व अस्पृश्यांना त्यांचे हक्क व न्याय मिळवून दिले।

संदर्भ सूची :–

1. कटके महावीर महादेव (2016) : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक कार्य, महामानवाचा महाग्रंथ, यशोदीप पब्लिकेशन पुणे।
2. नांदगावकर अनुप अरुण (2016) : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे समाज चिंतन, महामानवाचा महाग्रंथ, यशोदीप पब्लिकेशन पुणे।
3. धनजय कीर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर।
4. गायकवाड ज्ञानराज काशिनाथः महामानव।
5. खैरमोडे चांगदेव भगवान : डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र, खंड 1
6. खैरमोडे चांगदेव भगवान : डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र, खंड 2

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 325-330

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जल व कृषी धोरणविषयक विचार

प्रा. विनायक यशवंत वनमोरे
सहाय्यक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), कन्या महाविद्यालय मिरज।
प्रा. डॉ. बाळासाहेब कोंडीबा माने
सहयोगी प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज, कासेगाव (संशोधन मार्गदर्शक)

भारतीय आर्थिक विचाराच्या पद्धतशीर माडणीला खऱ्या अर्थाने १६ व्या शतकापासून आरंभ झाला। भारतातील आर्थिक विचारांचा विकासाचा सखोल अभ्यास करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लिखाणाचा विचार करावा लागतो। भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना घटनातज्ञ, कायद्याचे गाढे अभ्यासक, संसदपटू, राजकारणी अशा विविध पदव्यांनी ओळखतो पण एक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची ओळख फार दुर्मिळ आहे। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. भीमराव उर्फ बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म १४ एप्रिल १८९१ रोजी झाला। रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंबवडे हे मूळ गाव, प्राथमिक शिक्षण दापोली येथे तर माध्यमिक शिक्षण सातारा येथील प्रतापसिंह हायस्कूल सातारा येथे झाले। त्यांचे पुढील शिक्षण एल्फिन्स्टन कॉलेज मुंबई येथे झाले त्यांचे पुढील शिक्षण अमेरिकेतील कोलबीया विध्यापीठातून ते एम.ए. व लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक येथून पी.एचडी. अर्थशास्त्र ही पदवी संपादन केली। पुढे १९२२ मध्ये ते बॅरिस्टर परिक्षा उत्तीर्ण झाले तर १९२३ मध्ये त्याच्या 'द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी' या प्रबंधास लंडन विध्यापीठाने त्यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी बहाल केली। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक असामान्य, प्रतिभावंत, समाजकारण, राजकारण अशा विविध क्षेत्रात कामागिरी बजावलेले महामानव म्हणून ओळखले जातात त्यांनी अनेक विषयाचा सखोल अभ्यास केला त्यांचे अनेक दर्जेदार अर्थशास्त्रीय लेखन प्रसिध्द आहे। त्यामध्ये त्यानी शेतीविषयक विचार, चलन विषयक विचार, सार्वजनिक आयव्यय, कामगारांचे प्रश्न, जमीन महसूल इ.विषयी आपले स्पष्ट विचार मांडले आहेत।

उदिष्ट :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कृषी व जल धोरणविषयक विचार अभ्यास करणे।

अभ्यास पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंध दुय्यम तथ्य सामग्रीवर आधारीत असून विविध संदर्भ पुस्तके, वर्तमानपत्रे व इंटरनेटचा

वापर केला आहे।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जल धोरणविषयक विचार :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेती धोरणविषयक विचार समजावून घेताना त्यांच्या जलधोरण विषयक विचारांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते। त्यांच्या जलधोरण विषयक विचारांचा आवाका इतका व्यापक आहे की, तो केवळ शेती जलसिंचन बाबींशिच संबंधित नव्हताय तर पेयजल पुरवठा, जलमार्ग, नौकानयन आणि जलविद्युत निर्मिती इ. विषयी त्यात त्यांनी अतिशय महत्त्वपूर्ण चर्चा केली आहे। स्वातंर्त्यपूर्व काळात पेयजल पुरवठा, जलसिंचन, पूरनियंत्रण, जलमार्ग आणि जलविद्युत निर्मिती याविषयी त्यांनी मांडलेली भूमिका, स्वातंर्त्योत्तर काळात प्रामाणिकपणे स्वीकारून, धोरणात्मक कृती झाली असती तर वर्तमानकालीन शेतीचे, ऊर्जा निर्मितीचे, पूरनियंत्रणविषयक कार्यवाहीचे आणि वाहतूक व्यवस्थेचे एक अतिशय प्रगल्भ व प्रगत चित्र भारतात पाहावयास मिळाले असते। १९४२ ते १९४६ या कालवधीत डॉ. आंबेडकर मध्यवर्ती सरकारमध्ये श्रम, जलसिंचन आणि ऊर्जा खात्याचे मंत्री होते। त्यांच्या आणि श्रम विभागातील सहकाऱ्यांच्या योजनाबद्ध प्रयत्नांमुळेच भारताच्या जलधोरणाची सुरुवात झाली, त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे मध्यवर्ती जलमार्ग, जलसिंचन आणि नौकानयन आयोगाची स्थापना होऊ शकली। भारतातील दामोदर नदी खोरे प्रकल्प, हिराकुंड आणि सोननदी खोरे प्रकल्प डॉ. आंबेडकरांच्या नियोजनबद्ध विचारांमुळे व प्रयत्नांमुळे आकाराला येऊ शकले। धरणे बांधताना विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या कार्याकडे देखील त्यांनी विशेष लक्ष दिले होते। डॉ. आंबेडकरांच्या जलधोरण विषयक विचारांचा आढावा पुढीलप्रमाणे घेता येतो।

बहुउद्देशीय नदी–खोरे प्रकल्पांची उभारणी :

डॉ. आंबेडकरांनी बहुउद्देशीय नदी खोरे प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी पुढाकार घेतला। नदी खोरे प्रकल्प राबवित असताना त्याद्वारे पूरनियंत्रण आणि जलसिंचनासाठी धरणे बांधणे त्यांना अपेक्षित होतेच। पण त्याचबरोबर ऊर्जा (वीज) निर्मिती आणि जलमार्ग निर्मिती देखील साध्य झाली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता। नदीवरील पाण्याचा वेगवेगळ्या उद्देशाने वापर करून घेतल्यास नदी खोरे विकास प्रकल्पांची देशाच्या प्रगतीमध्ये उपयुक्तता वाढण्यास मदत होईल अशी डॉ. आंबेडकरांची भावना होती। या दृष्टिकोनातून त्यांनी दामोदर नदी खोरे प्रकल्प, हिराकुंड नदी खोरे विकास प्रकल्प आणि सोननदी खोरे प्रकल्प तयार केले आणि या नद्यांवर धरणे बांधून शेतीकरीता जलसिंचन, वीज निर्मिती आणि पूरनियंत्रण करण्याचे कार्य पार पाडले, नदी–खोरे विकास प्रकल्प तयार करताना त्यातून पुढील उद्दिष्ट्चे साध्य व्हावीत असे त्यांचे मत होते।

१) जलसंपत्तीचा वापर फक्त एका उपयोगासाठी न करता सिंचन, नौकानयन, औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी जलऊर्जा विकसित करणे अशी उद्दिष्ट्चे साध्य झाली पाहिजेत।

२) नदी–खोरे प्रकल्पाची आखणी करताना एखाद्या छोट्या प्रदेशापुरता किंवा राज्यापुरता विचार न करता संपूर्ण नदीखोऱ्याचा विकास घडवून आणला पाहिजे।

३) बहुउद्देशीय प्रकल्प आखताना त्याची सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरण विकासाच्या उद्दिष्टांशी सांगड घातली जावी।

जल संवर्धन विषयक विचार :-

डॉ. आंबेडकरांनी जल संवर्धनाकरीता भारतामध्ये काय करता येणे शक्य आहे? आणि जलसंवर्धन करणे भारताकरीता किती महत्त्वाचे आहे? याबाबतीत देखील खूप महत्त्वाचे विचार मांडले आहेत। त्यांच्यामते नदीतून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे। पाण्याचे साठे निर्माण करून जलसंवर्धन केले पाहिजे। ऊर्जा विकासासाठी आणि अंतर्गत लांब पल्ल्याच्या नौकानयन सुविधांकरिता जलसंवर्धनाच्या योजना राबविणे गरजेचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला। पण नदीच्या किनाऱ्यावर केवळ भराव बांधून पुरेसे नाही तर अतिरिक्त पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे। अमेरिकेत टेनसी, मसुरी, मियामी नदी खोरे प्रकल्प उभारत असताना त्यांनी स्वीकारलेल्या धोरणाप्रमाणे भारतात नदी खोरे विकास प्रकल्प राबविल्यास नदीच्या पाण्याचे संवर्धन करता येईल अशी डॉ. आंबेडकरांची धारणा होती।

जलसंसाधनाचे महत्व :

१९४२ ते १९४६ दरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केन्द्रीय मंत्रीमंडळात त्यांच्याकडे श्रम, सिंचन व वीज खाते असताना त्यांनी केन्द्र सरकारचा जल व वीज धोरणाचा पाय घातला। संपूर्ण देशासाठी नदयातील पाण्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक असून त्यासाठी राष्ट्रीय धोरण असणे आवश्यक आहे। ते मंत्री असताना स्वस्त व मुबलक विजेशिवाय शेती व औद्योगिकींकरणाचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकत नाही। तसेच शेतीसाठी सिचन सुविधा निर्माण केल्याशिवाय उत्पादन व उत्पादकता वाढवता येते नाही।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या प्रयत्नामुळेच मोठे धरण प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले। त्यामध्ये दामोदर प्रकल्प (बिहार) प्रामुख्याने समावेश होतो। त्याचबरोबर महानदी, सोन व कोसी नदीवरील प्रकल्पाची सुरुवात याच काळात (१९४२–४६) करण्यात आली त्यांच्या प्रभावामुळे आंतरराज्य नद्यांचे नियंत्रण व विकास हा विषय केंद्र यादीमध्ये समावेश केला जलसंसाधानाचा विकासासाठी नवीन जलधोरण तयार करताना त्यांच्या विकासातून तळागाळातील लोकापर्यंत त्याचे लाभ पोचतील याची काळजी डॉ. आंबेडकरांनी घेतली आहे। धरण प्रकल्प तयार करताना त्या क्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येकाला वाटा मिळाला पाहिजे असे मत त्यांनी मांडले। अर्थव्यवस्थेच्या व प्रामुख्याने शेती विकासासाठी डॉ. आंबेडकरांनी जल संसाधन विकासाला महत्त्व दिले आहे।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे कृषी विषयक विचार :

१९१८ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लहान धारणक्षेत्र आणि त्यावरील उपाय (Small Holding in a india and their Remedies) यावर लेख लिहिला त्यात भारतातीत शेती विषयक प्रश्नांची आणि त्यावरील उपायांची चर्चा केली आहे। यामध्ये भारतीय शेतीचे धारणक्षेत्र, नापीक व पडीक जमिनीचा विचार, जमिन महसूल, सामुदायिक शेती, सहकारी शेती, महार वतन व खोती पध्दत इ. घटकांचा समावेश आहे। शेती व्यवसायाबरोबर जोडधंदा म्हणून शेतीपासून समाजाला पशुधन, वनउत्पादन इ. बाबी व्यापारासाठी महत्वपूर्ण ठरु शकतात असे मत त्यांनी मांडले आहे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचे असे मत होते की भारतीय शेतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी औद्योगिकीकरन हा एकच प्रभावी व खात्रीशीर मार्ग आहे। त्यांच्या शेतीविषयक विचाराचे विविद्य पैलु पुढीलप्रमाणे

१) शेतीचे राष्ट्रीयीकरण / सामुदायिक शेती :

१. महाराष्ट्रातील सर्व लागवडी योग्य शेतजमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करावे। सामुदायीक सहकारी पध्दतीने मशागत करावी त्यामुळे कुळ व मालक भेद राहणार नाही येणारे सर्व उत्पादन सर्व शेतकऱ्यांना समान व न्याय पद्धतीने वाटून घेऊन दारिद्र्य निर्मुलन हेतू पूर्ण करावा।

२. श्रीमंत भांडवलदार व गरीब कामगार हा भेद नाहीसा करण्यासाठी उद्योगाच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे खाजगी उत्पादन पद्धतीतील किंवा भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेंतील पिळवणूक थांबेल। सरकारच्या मालकीचे उद्योग असल्याने नागरिक आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता उदा. पेन्शन, आजार शासनाकडून वित्तीय मदत त्यासाठी मिळु शकेल।

३. शासनाने वितरन स्वतः नियंत्रणात ठेवावे त्यामुळे सर्वांना वस्तू वाजवी किमतीत मिळू शकेल।

४. शेतीविषयक विचारांमध्ये शेतजमिनीची खाजगी मालकी रद्द करून त्याऐवजी सामुदायिक मालकीची कल्पना मांडली त्यानी कार्ल मार्क्सची राष्ट्रीयीकरणाची संकल्पना त्यानी नाकारली।

२) जमिन महसूल :

ब्रिटिशांच्या राजवटीत मोठया प्रमाणात शेतसारा आकारला जात होता तो जमीन महसूल आकारताना सर्वांकडून एकाच दराने तो आकारला जात असे। हे बाबासाहेबाना मान्य नव्हते। त्यास त्यानी विरोध केला। त्याचे असे मत होते की जमीन महसुलीची आकार शेतीतून निघणाऱ्या उत्पनानुसार त्याचा प्रमाणात आकारावा। ज्या शेतकऱ्याचे उत्पन कमी त्याचा महसूल माफ करावा। जमीन महसूल हा अन्यायकारक असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पनावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो। त्यातुन शेती आणखी मागास राहील असे मत मांडले त्यानी जमीन महसूल संहितेचे १०७ वे कलम रद्द करून जमीन महसूल प्राप्ती कराच्या कक्षेत आणला पाहिजे असे विचार व्यक्त केले।

३) महार वतन :

ब्रिटिश काळातील वतन अँकट प्रमाणे गावचे कामगार म्हणजे पाटील, कुलकर्णी व महार हे होय। यासर्वांना वेतन मिळत असे त्यापैकी। महार वतनामध्ये अनेक दोष होते। महारांचे कामाचे तास आणि त्यांना देण्यात येणारी कामे अनियमित असत। इतर अनेक कामाबरोबरच सरकारी अमलदार येतील त्यांचा बंदोबस्त ठेवणे व ते सांगतील ती कामे करणे असा काही ठिकाणी उल्लेख आहे, तसेच रयतेची खाजगी अनेक कामे करवून घेतली जात। एखादा महार कामावर जाऊ शकला नाही तर त्याच्याऐवजी कुटुंबातील कोणाला तरी ते काम करावे लागत असे तसेच त्याना २४ तास कामावर हजर राहिले पाहिजे अशी सक्ती त्याच्यावर होती। यासर्व कामाबद्दल महारांना जमिनीचा एखाद्या तुकडा, थोडेसे धान्य व दर महिना २ आणे ते रुपया दीडरुपया असा मुशाहिरा दिला जात असे त्यामुळे महार वतन खालसा करावे असे मत आंबेडकरांनी मांडले। यांची कारणे हि त्यानी सांगतली आहेत।

१ वतनामुळे महार स्वाभिमान शून्य झाले आहे।

२. महारांची महत्वकांशा मारली गेली आहे।

३. वतनदारी नष्ट केल्याशिवाय सामाजिक सुधारणा अशक्य आहे।

मुंबई विधिमंडळात १९२८ रोजी कायद्यात दुरुस्ती विधेयक मांडले वतनदाराला वतनापोटी एकदम पैसे घेण्याची सवलत देने मुशाहिरा ची खात्री व कामासबंधी पोटनियम तयार करने याच विधेयकात मांडले। परंतु १९२९ ला हे विधेयक मागे घेण्यात आहे। पुन्हा १९३९ मध्ये आंबेडकरांनी महाराच्या वतनी जमिनी रयतवारी जमिनी कराव्यात, महाराना सरकारी कनिष्ठ नोकर समजून मासिक वेतन दयावे व फक्त सरकारी कामेच त्याना सांगावीत अशा सूचना केल्या तसेच महारानी लहान तुकड्यात उदरनिर्वाह न करता पडीक जमीनी लागवडी खाली आनावी असे मत त्यांनी मांडले।

४) खोती पद्धती :

ब्रिटिश काळात रत्नागिरी, कुलाबा जिल्ह्यात जमीन कसणुकीची खोती पद्धत होती। या पद्धतीत खोत म्हणून गावातील सुलतान असे। या पद्धतीत सरकार व जमीन कसणाऱ्यांचा प्रत्यक्ष सबंध येत नसल्याने खोती पध्दतीत जमीन महसूल गोळा करण्याचे काम खोत करत व त्यातून सरकारकडे शेतसारा भरत। हा खोत अनेक प्रकारे शेतकयांची पिळवणूक करत असे खोताची अनेक शेती कामे शेतकऱ्यांना करण्यास भाग पाडत असे। शेतकऱ्यांला सरकारी देणे देऊन खोती हक्कबद्दल वेगळे देणे दयावे लागत। नाना प्रकारे शेतकऱ्यांवर जुलूम होत असे. लागवडी कामास शेतकऱ्यांना जबरदस्ती होत असे व शेतकऱ्यांची जमिनीही बळकावीत असे।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खोती पध्दती विरुध्द रत्नागिरी येथील दलित वर्गीयांच्या परिषदेत आवाज उठविला जमिन कसणाऱ्यांना कूळ वहिवाटीचे हक मिळावेत व त्या जागी रयतवारी पद्धती आणावी यासाठी त्यानी १९७३ मध्ये मुंबई विधिमंडळात खोती पद्धत रद्द करण्यासाठी विधेयक मांडले। खोती प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे रक्त शोषन थांबवुन त्याना माणुसकीचे हक्क मिळवून देण्यासाठी खोती पध्दती समूळ नष्ट केली पाहिजे असे त्यांचे मत होते. खोती पध्दती जमीन महसूल संहितेत येत नाही हा स्वतंत्र विषय आहे असे ते मानत।

५) शेतीतील छुपी बेकारी :

शेतीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आवश्यक रोजगार हि संकल्पना मांडली। शेतीक्षेत्राच्या मानाने शेतीत काम करत असलेली लोकसंख्या अतिरिक्त आहे त्यामूळे शेती उत्पादनावर त्याचा वाईट परिणाम होतो यालाच त्यानी शेती क्षेत्रांतील छुपी बेकारी म्हटले आहे। त्यानी निष्क्रिय भांडवल आणि निष्क्रिय श्रम यातील फरक सांगितला आहे। जा भाडवलामुळे उत्पन्न मिळत नाही किंवा भांडवलाचा उपयोग खर्च शुन्य असतो त्याला निष्क्रिय भांडवल म्हणतात। तसेच निष्क्रिय श्रम उत्तपादनासाठी खर्च नसला तरी श्रमिक जिवंत राहन्यासाठी खर्च करावा लागतो। असे निष्क्रिय श्रम देशाचा उत्तपणात भर घालत नाहीत। भारतातील शेती शेतीक्षेत्रातील ही समस्या सोडवण्यासाठी त्यानी औद्योगिकरणास प्राधान्य देण्याचे मत मांडले आहे।

निष्कर्ष :

स्वतंत्र भारताचे जलविषयक धोरण कसे असावे? याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले विचार सरकारला

खपूच मार्गदर्शक आहेत। भारताच्या जलविषयक धोरणावर डॉ. आंबेडकरांच्या शास्त्रीय, वस्तुनिष्ठ, अभ्यास तरीदेखील मूलतः मानवतावादी दृष्टिकोनाचा प्रभाव होता। याविषयी श्री. सी. एच. भाभा (१९४६) आणि प्रा. एच. सी. हर्ट बांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी गौरवपूर्ण उद्‌घ्गार व्यक्त केले आहेत। सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात भरीव व ठळक कामगिरी करणाऱ्या आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रीय विचारात ही भर घातली ते खऱ्या अर्थाने अर्थशास्त्रज्ञ होते। त्यानी तत्कालीन परिस्थितीत मांडलेले अर्थशास्त्रीय विचार काळाच्या सीमा ओलाडणारे होते। त्यामध्ये कृषी व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करावे गरीब शेतमजुरांना जमिनीचे पुर्नवाटप, शेतीचे सामुदायीकिकरण, शेतीचे यांत्रिकीकरण, सहकारी पद्धतीने शेती करावी, उत्पादन वाढीसाठी सरकारी गुंतवणूक वाढवावी, राखीव जागाची तरतूद तसेच वर्ग जातीमुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार इ. विषयावर स्पष्ट व परखड विचार त्यानी मांडले। अशा प्रकारे सर्वसमावेशक, कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुरस्कार केला हा त्यांच्या आर्थिक विचारांचा सार आहे।

संदर्भ :-

१. जागतिक आर्थिक विचारांचा इतिहास – डॉ. एस. एम. खंदारे (कैलाश पब्लिकेशन औरंगाबाद)

२. आर्थिक विचारांचा इतिहास बी.ए. भाग ३ – प्रा.जे.एफ.पाटील (फडके प्रकाशन)

३. आर्थिक विचार व विचारवंत – डॉ. बी.डी. कुलकर्णी, डॉ.एस.व्ही. ढमढेरे (डायमंड प्रकाशन)

४. आर्थिक विचारांचा इतिहास – डॉ. अनिलकुमार वावरे, प्रा.संजय धोडे, अनिल सत्रे (एज्युकेशनल पब्लिशर्स औरंगाबाद)

मो. नं. 9422382238

मेल आयडी. vyvanmore@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 331-339

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शैक्षणिक विचार व धोरण

डॉ. सतीश पन्हाळकर
सहा. प्राध्यापक

प्रस्ताविक :

डॉ. भीमराव रामजी उर्फ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे थोर विचारवंत, दलित, शोषित, पीडितांचे कैवारी व मसिहा होते। दलितात स्वत्वाची जाणीव निर्माण करणारे क्रांतिकारक महापुरुष, समाजसुधारक व थोर शिक्षणतज्ज्ञ होते। ते भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार होते। जातीभेदाचा त्यांना अत्यंत त्रास सहन करावा लागला। त्यातून ते ताऊन सुलाखून निघाले।

आयुष्यभर खडतर ज्ञानसाधना करून विधिशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र यात प्रभुत्व संपादन केले होते। दलित, शोषित व पीडित यांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी त्यांनी आपले आयुष्य समर्पित केले। ते पत्रकार, शिक्षण संस्थापक, अस्पृश्योद्धारक, ज्ञानपिपासू, ग्रंथवेडे, प्रज्ञासूर्य होते। त्यांनी लोकशिक्षक या अथनि अनेक शैक्षणिक कार्य करून आपले शिक्षणविषयक विचार मांडले। न्याय, स्वातंर्त्य, समता आणि बंधुता या चार आधारभूत तत्त्वांचे ते पुरस्कर्ते होते। त्यांनी गौतम बुद्ध, संत कबीर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांना गुरू मानले होते। 'भारतरत्न' या सर्वश्रेष्ठ पुरस्काराने सन्मानित झाले होते। श्री. शांताराम गरुड यांच्या मते, 'शिक्षणाची ओढ, अध्यापन निष्ठा यांचे शैक्षणिक पूर्वसंचित आणि महात्मा फुले यांच्या समाजपरिवर्तनासाठी प्रबोधन, संघटन व आंदोलन यांच्या लोकविलक्षण कार्यसिद्धींचे सांस्कृतिक पूर्वसंचित अशी अनेकविध पूर्वसंचितांची शिदोरी पचवीत ड़ॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आजचे उत्तुंग व्यक्तिमत्व घडले आहे।'

जन्म :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 रोजी मध्यप्रदेशातील महू या ठिकाणी झाला। त्यांचे बालपणचे नाव भीमराव असे होते। वडिलांचे नाव रामजी सकपाळ असे असून ते लष्करात सुभेदार मेजर या पदावर नोकरीस होते। त्यामुळे घरातील वातावरण शिस्तीचे होते। आईचे नाव भीमाबाई असे होते।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मूळचे खरे आडनाव आंबावडेकर असे होते। आंबावडे हे त्यांचे मूळचे गाव होय। त्यांच्या शिक्षकाचे आडनाव 'आंबेडकर' होते। ते ब्राह्मण कुटुंबातील होते। भीमराव हे त्या शिक्षकाचे आवडते विद्यार्थी होते। एकदा शिक्षकांनीच भीमरावांना म्हटले, 'अरे भीमराव, तुझे आंबावडेकर हे आडनाव आडनिडे आहे। त्यापेक्षा माझे आंबेडकर हे आडनाव सोपे आहे। म्हणून यापुढे आंबावडेकर या आडनावाऐवजी माझे आंबेडकर हे आडनाव लिहित जा' शिक्षकांनी तशी कॅटलॉग मध्ये नोंद सुद्धा करून टाकली होती। तेव्हापासून बाबासाहेबांनी आंबेडकर हे नाव आडनाव म्हणून नावापुढे लावण्यास सुरुवात केली। तेव्हापासून त्यांचे पूर्ण नाव 'भीमराव रामजी

आंबेडकर' असे झाले। त्यांचे महापरिनिर्वाण 6 डिसेंबर 1956 रोजी दिल्ली येथे झाले।

शिक्षण :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्राथमिक शिक्षण सातारा येथे 1896 रोजी कॅम्प मिलिटरी स्कूल येथे झाले। मुंबई येथील एलफिन्सटन हायस्कूल मध्ये माध्यमिक शिक्षण घेतले। इ. स. 1908 रोजी मॅट्रिकची परीक्षा पास केली। याच वर्षी म्हणजे भीमराव सतरा वर्षाचे असताना त्यांचा विवाह भीकू धोत्रे यांची कन्या रमाबाई हिच्याशी झाला। त्यावेळी रमाबाई नव वर्षांची होती. बी.ए. ची परीक्षा इ. स. 1912 रोजी पास केली। उच्च शिक्षणासाठी बडोदा येथील सयाजीराव गायकवाड महाराज यांनी भिमरावांना शिष्यवृत्ती देऊन उच्चशिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी पाठविले। त्या विद्यापीठातून एम. ए. ची परीक्षा इ. स. 1915 रोजी पास केली. तसेच 1916 रोजी पीएच. डी. ही पदवी पास केली। इ. स. 1920 रोजी इंग्लंडला जाऊन इ. स. 1921 मध्ये एम. एससी. आणि इ.स. 1923 रोजी डी. एससी। या पदव्या मिळविल्या. तसेच बॅरिस्टरची –बॉर ॲट लॉ. ही पदवीसुध्दा यशस्वीरित्या पास केली. कोलंबिया विद्यापीठाने इ. स. 1952 रोजी त्यांना एलएल. डी. ही सन्माननीय पदवी बहाल केली।

लेखन : वैशिष्टये –

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ग्रंथसंपदा बरीच मोठी आहे। त्यांच्या लेखनाची काही वैशिष्टये पुढील प्रमाणे सांगता येतील।

1. दलितांविषयी जिव्हाळा।
2. समतेचा पुरस्कार।
3. विचारांची स्पष्टता।
4. निर्भयता।
5. सडेतोडपणा।
6. ज्ञान लालसा।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या ठळक ग्रंथांची नावे पुढील प्रमाणे –

1. थॉटस् ऑन पाकिस्तान।
2. हू वेअर द शुद्राज?
3. व्हॉट कॉंग्रेस अँड गांधी हॅव्ह इन टू अनटचेबल्स।
4. ॲनिहिलेशन ऑफ द रुपी इटस ओरिजन अँड सोल्युशन।
5. द प्राब्लेम ऑफ कॉस्ट्स।
6. स्टेट्स अँड मायनारिटीज।
7. इमॅन्सिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स।
8. थॉट्स ऑन लिन्गिस्टीक स्टेट्स।
9. रानडे, गांधी अँड जिन्ना।
10. द बुद्ध अँड हिज धम्म।

ड़ॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शैक्षणिक विचार :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे शैक्षणिक विचार हे जनसामान्यसाठी तसेच वंचितासाठी होते। समाजाचे शिक्षणाद्वारे उत्थान व्हावे असे त्यांना वाटे। स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या तीन मानव कल्याणाच्या तत्वास अनुसरून जीवन व्यत्तीत करणारा समाज ड़ॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना शिक्षणातून निर्माण व्हावा हे अभिप्रेत होते। त्यासाठी सातत्याने कार्यरत राहण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादित केली होती। त्यांचे शैक्षणिक विचार पुढील प्रमाणे सांगता येतील।

1. व्यक्तीला जाणीव करून देण्यासाठी शिक्षण।
2. शिक्षण एक शस्त्रच।
3. विषमता नष्ट करण्यास व सामाजिक लोकशाहीसाठी।
4. संघटित होणे व संघर्षासाठी शिक्षण।
5. समानतेसाठी शिक्षण।
6. शिक्षण एक अन्न व शक्ती।
7. शिस्त व विकासासाठी।
8. चारित्र्य संवर्धनासाठी।
9. शिक्षण मूल्याधिष्ठित।
10. शिक्षण एक पवित्र कार्य।
11. समाज परिवर्तनाचे व क्रांतीचे पवित्र साधन।
12. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण।
13. स्त्री शिक्षण।
14. विद्येला प्रज्ञा, शील, करुणा, आणि मैत्री या परिमिताची गरज।

1. शिक्षण व्यक्तीला जाणीव करून देण्यासाठी –

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाची परिपूर्ण व सर्वांगसुंदर अशी व्याख्या केली आहे। त्यांच्या मते, 'व्यक्तीला जाणीव करून देते ते शिक्षण होय।' (Education is that which realises a person)।

शिक्षणा अभावी माणूस म्हणजे निव्वळ पशू असं त्यांच मत होतं। त्यांनी यापुढे असती म्हटले आहे की, 'उपासमारीने शरीराचे पोषण कमी झाल्यास माणूस बलहीन होऊन अल्पायुषी होतो। तसेच शिक्षणाच्या अभावी तो निर्बुद्ध राहिल्यास जिवंतपणी दुसऱ्याचा गुलाम होतो। 'त्याचे शैक्षणिक तत्त्वज्ञान शिक्षण, संघटन आणि संघर्ष ह्या कृतीचा मार्ग दाखविते। ह्यात ते म्हणतात, 'शिक्षण म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचे प्रबोधन, संघटन म्हणजे जनसामान्यांचे संघटन आणि संघर्ष म्हणजे सर्व सामान्य माणसाने प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध पुकारावयाचे बंड होय। म्हणून शिक्षणाद्वारे माणमास त्याच्या कर्तव्याची व अधिकाराची जाणीव होणे गरजेचे आहे। शिक्षणाने समाजाच्या व स्वतः च्या बऱ्यावाईट बाबींचा विचार करण्याची क्षमता निर्माण होते। शिक्षणाने स्वतःच्या व पर्यायाने समाजाच्या उत्थानासाठी व्यक्ती हातभार लावू शकते। व्यक्तीला अन्यायाविरुद्ध उठाव करण्याचे सामर्थ्य आणि त्याची जाणीव केवळ शिक्षणामुळेच होऊ शकते असा ड़ॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विश्वास होता। म्हणून स्वतःचा उद्धार करावयाचा असेल तर शिक्षण घेणे गरजेचे आहे।

2. शिक्षण एक शस्त्रच होय :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विदयेला शस्त्राची उपमा दिली आहे। त्यांच्या मते 'विद्या हे एक असे शस्त्र आहे की, ज्याच्या जवळ ते असेल व तो शीलवान असेल तर त्यायोगे तो एखाद्याचे संरक्षण करू शकेल। पण तोच मनुष्य शीलवान नसेल तर विद्येच्या शस्त्राने दुसऱ्याचा घात करेल. मात्र ते शस्त्र आहे। म्हणून कसे ही वापरता येणार नाही। कारण ते तितकेच धारदार आहे। अनवधानाने कोणाचाही घात करू शकते। चारित्र्य संपन्न व्यक्ती या शस्त्राचा दुरुपयोग करणार नाही।' म्हणून शिक्षणात नैतिकता असावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात विद्येने दुष्टांचा संहार करता येतो व दुष्टांपासून रक्षणही करता येते।' तसेच ते शिक्षण व्यक्तीला आत्मस्वांतर्त्यासाठीही वापरता येऊ शकते। म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणास शस्त्र म्हटले आहे।

3. विषमता नष्ट करण्यास व सामाजिक लोकशाहीसाठी शिक्षण :

समाजात अनेक प्रकारच्या विषमता आहेत। जाती, धर्म, पंथ इत्यादी क्षेत्रात विषमता असलेली दिसून येते। त्यामुळे जनसामान्यांची सतत पिळवणूक होताना दिसते। जातीप्रथेमुळे समाज परस्परापासून दूर जाताना दिसतो। धर्माधर्मात विषमता पसरविली जाते। ती नष्ट करण्यासाठी शिक्षणाची कास धरणे गरजेचे ठरते। त्यासाठी जातीप्रथेच्या तटबंद्यापासून मुक्त होण्यासाठी व्यक्तीला शिक्षण घेणे आवश्यक आहे। विविध समाज बांधवात त्यांचे हित संवर्धन व सामंजस्याचे वातावरण तयार करण्याची जाणीव निर्माण झाली पाहिजे। हे शिक्षणाने शक्य होऊ शकते। असा त्यांना आत्मविश्वास होता। म्हणून सर्व प्रकारच्या विषमता नष्ट करण्यासाठी आणि सामाजिक लोकशाही प्राप्त करण्यासाठी शिक्षण हा एक राजमार्ग ठरू शकतो।

4. संघटित होणे व संघर्षासाठी शिक्षण :

शिक्षण हा शोषणमुक्तीचा मार्गच होय असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटे। भारतातील पददलित स्त्रिया हे दैन्यावरती जीवन जगत आहेत। त्याचे दैनंदिन शोषण केले जाते। यापासून मुक्त व्हायचे असेल तर शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही। अशी त्यांची धारणा होती। त्यांच्या मते 'उपासमारीने शरीराचे पोषण कमी झाल्यास माणूस हीनबल होऊन अल्पायुषी होतो। तसेच शिक्षणाचे अभावी तो निर्बुद्ध राहिल्यास जिवंतपणी दुसऱ्यांचा गुलाम होतो।' निरक्षर जनता गाढ झोपेत असल्याचा त्यांना भास होताना दिसला। त्यांच्यावर उच्चवर्णियांनी लादलेल्या अमानुषतेची समाजाला जाणीव करून दयावयाची होती। त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजाच्या उच्चस्तरावर त्यांची प्रगती करावी आणि योग्यता सिद्ध करण्याचा विडाच उचललेला होता। म्हणूनच त्यांनी जनतेला 'शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा,' असा संदेश दिला होता। या तीन तत्त्वातच त्यांच्या शैक्षणिक विचाराचे सार आहे।

व्यक्तीने क्रियाशील बनणे, अन्याय–अत्याचाराच्या विरूद्ध संघर्ष करणे आणि त्या ध्येयासाठी संघटन बांधणे म्हणजेच क्रांतीचा मार्ग खुला करणे होय असे त्यांना वाटे, ड़ॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, 'शिक्षण हीच शोषणमुक्तीची पायवाट होती।' यावरून व्यक्तीला शिक्षण किती आवश्यक आहे याची प्रचिती येते।

5. समानतेसाठी शिक्षण :

समाजात दिवसेंदिवस असमानता दिसत असल्याबद्दल ड़ॉ. आंबेडकरांना खंत वाटत होती। त्यांच्या मतानुसार शिक्षण प्रत्येकाच्या आवाक्यात आणता आले पाहिजे। म्हणून निम्नस्तरीय वर्गासाठी शिक्षण जेवढे स्वस्त व सुलभ करता येईल तेवढे करता आले पाहिजे।' तत्कालीन शासनाला त्यांनी मागासवर्गीय समाजाला

आपुलकीची वागणूक देण्याचे आवाहन केले होते। याबाबत युक्तीवाद करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की, 'सर्व जाती जमातींना एका समानतेच्या पातळीवर आणावयाचे असेल तर त्यावरील एकमेव उपाय म्हणजे असमानतेचे तत्त्व नाकारणे आणि जे त्या पातळीखाली आहेत त्यांना आपुलकीची वागणूक देणे।' या मताच्या समर्थनार्थ त्यांनी एक उदाहरण दिले आहे। जे लोक सर्व बाबींमध्ये समानतेच्या तत्त्वावर भर देतात। ते सोयीस्कर विसरतात की पाच आणि दहा या आकड्याना दोन या समान घटकाने गुणिले तर त्याचा गुणाकार अनुक्रमे दहा आणि वीस होतो, पण दोन्ही बाबतीत वीस होत नाही। या कारणास्तव त्यांच्या मते, समानतेचा अर्थ म्हणजे खालच्या वर्गाची पातळी वरच्या वर्गाच्या पातळीपर्यंत आणणे होय।' म्हणून खालच्या पातळीच्या लोकांना शिक्षण घेण्यासाठी विशेष सवलती उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत।

6. शिक्षण एक अन्न व शक्ती होय :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाला अन्न व शक्तीची उपमा दिली आहे। त्यांच्या मते, 'ज्याप्रमाणे मनुष्य प्राण्याला अन्नाची जरूरी आहे त्याचप्रमाणे सर्वांना विद्येची जरुरी आहे।' अन्नाशिवाय व्यक्तीला जगणे कठीण आहे। अन्न सेवनाने व्यक्तीला शक्ती प्राप्त होऊन त्याप्रमाणे ती व्यक्ती अधिक जोमाने कार्यक्षम राहू शकते, अन्नाप्रमाणेच शिक्षणाला महत्त्व आहे। त्यांच्या मते, शिक्षण हे व्यक्तींच्या शरीरात भिनले पाहिजे। त्यामुळे त्याचे मन आणि शरीर सुदृढ राहील। शिक्षणाअभावी व्यक्ती पशुवत होईल। म्हणून व्यक्तीला शिक्षणाची आयुष्यभर गरज असते। जिवंत असे पर्यंत तो अन्नाची तसेच आयुष्यभर शिक्षणाची गरज असल्याने शिक्षण आयुष्यभर चालणारी एक प्रक्रिया आहे। आयुष्याचा शेवट झाल्यास शिक्षणाचाही शेवट होतो। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतःच्या अध्ययनाने त्यांच्या नावासमोरच्या एम. ए. पीएच.डी. डी. एस. सी एलएल. डी. डी.लिट, बॉर ॲट–ला या पदव्यांच्या मालिकांनी सिद्ध करून दाखविले आहे। त्यांचा वाचनाचा व्यासंग व स्मरणशक्ती इतकी दांडगी होती की कोणते वाक्य कोणत्या पुस्तकात कोठे आहे, हे ते सत्वर सांगत असत। पुस्तक वाचने हे त्यांच्यासाठी शक्तीवर्धक साधनच होते। त्यामुळेच त्यांची बुद्धी तल्लख झाली होती।

7. शिस्त व विकासासाठी शिक्षणाची गरज :

व्यक्तीच्या जीवनात शिस्तीला अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे। जीवनात शिस्त नसेल तर व्यक्तीचे भविष्य अंध कारमय बनू शकते। शिक्षणाने शिस्तबद्धता आणता येते। त्यामुळे सामाजिक प्रगती व विकास घडून येण्यास मदत होते। यातच विकासाचा खरा मार्ग म्हणता येईल। समाजात शिस्त नसल्यास सर्वत्र अराजकता माजण्याचा धोका संभवतो। व्यक्ती अशिक्षित असल्यास तिच्यामध्ये अनुशासनहीनता येते व विनाशाला मोकळी वाट होते। व्यक्ती शिक्षित असल्यास तिच्यामध्ये अनुशासनता, व सामाजिक प्रगतीचा विकास दिसून येतो। म्हणून व्यक्तीला त्याच्यामध्ये शिस्त येण्यास व विकास होण्यास शिक्षणाची गरज आहे।

8. चारित्र्य संवर्धनासाठी शिक्षण :

शिक्षणाने व्यक्ती शिक्षित होते। पण ती सुशिक्षित होईलच असे मात्र म्हणता येणार नाही। शिक्षणाला चारित्र्याची जोड असावी। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या मते, 'चारित्र्यामुळे ज्ञान चांगल्या अथवा वाईट कामासाठी वापरावयाचे की नाही ते ठरविता येते। मानवी सभ्यता व संस्कृतीचा खरा पाया म्हणजे शिक्षण होय' त्यासाठी चारित्र्य आणि एकता यांची गरज भासते। सुशिक्षिताकडे चारित्र्याची वाण असेल तर त्यांच्या प्रगतीसाठी आणि वंचित व दुबळ्या घटकांसाठी हितकारक अशा ज्ञानाचा वापर करता येण्याजोगा आहे। चारित्र्य संवर्धनात प्रज्ञा,

करुणा, शील आणि मैत्री या गुणाचा समावेश होतो। या पंचतत्त्वानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपले चारित्र्य बनवले पाहिजे यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कटाक्ष असे।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चारित्र्याला म्हणजेच शीलास उत्तम प्रकारे जपले होते। व आधी केले, मग सांगितले।' याची प्रचिती आणून दिली होती। वंचितांच्या आत्मोन्नतीसाठी त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा वापर करून घेतला होता। व्यक्तीला चरित्र असते, पण चारित्र्य असेलच असे म्हणता येणार नाही। मानवजातीची इमाने एतबारे सेवा करण्यासाठी चारित्र्य हीच मानवाची शक्ती असते असा त्यांचा दृढ विश्वास होता, म्हणून चारित्र्य संवर्धन करण्यासाठी शिक्षण गरजेचे असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले आहे। शिक्षणाचा प्रमुख उद्देश शील आणि चारित्र्याची निर्मिती करणे असा असला पाहिजे यावर त्यांचा आग्रह असे।

9. शिक्षण मूल्याधिष्ठित असावे :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या मते, शिक्षण मूल्याधिष्ठित असावे, बालकांच्या मनावर शिक्षणाचा प्रभाव योग्य प्रकारे झाला पाहिजे। शिक्षणाने त्याग, मानवता, विनम्रता, दुसऱ्याची जाणीव, नैतिकता यासारखी मूल्य बालमनावर रुजविली पाहिजेत। यामुळे बालकाच्या व्यक्तीमत्त्वाचा विकास होऊ शकेल। जीवनाला मूल्याची जोड असणे गरजेचे आहे। कारण 'मूल्य शिकविली जात नाहीत, ती आत्मसात करावी लागतात। त्याही पलिकडे जाऊन असे म्हणता येईल की, मूल्य शिकविली जात नाहीत वा आत्मसातही केली जात नाहीत। तर बालकामध्ये उपजत असलेल्या मूल्यांचा विकास केला पाहिजे। आजकाल समाजात नैतिकमूल्यांची घसरणं होताना दिसतेय पण शेअर बाजारात मात्र मूल्य वाढताना दिसते।

शिक्षण हे मूल्याधिष्ठित म्हणजे उच्चतम नैतिक आचरण निर्माण करणारे असावे, असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना विश्वास होता। समाजात शिक्षणप्रेमीची गरज भासते। त्यांच्या मते, 'पत्नी व अपत्यापेक्षा शिक्षणावर प्रेम करणारी व्यक्ती हीच शिक्षणप्रेमी समजावी।' त्यांच्या मते, शिक्षण आणि नैतिकता ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नैतिकतेशिवाय शिक्षण असू शकत नाही। तसे नसले तर ते शिक्षणच नव्हे।'

नैतिकता, शिक्षण व लोकशाही याविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात। 'लोकशाही यशस्वी करावयाची असेल तर जनता किंवा समाज नैतिकमूल्याधिष्ठित शिक्षणाद्वारे संस्कारिक असावा। लोकशाहीसाठी सुशिक्षित समाजाची अत्यंत गरज आहे। शिक्षित नैतिकमूल्याधिष्ठित समाजाची लोकशाही ही सर्वाधिक यशस्वी किंवा हमखास यशस्वी ठरू शकेल।' मात्र शिक्षितपण नैतिकमूल्यहीन समाजाची लोकशाही हे मृगजळ ठरू शकते। अशिक्षितांची नैतिकमूल्याधिष्ठित लोकशाही यशाकडे वाटचाल करणारी पण अशिक्षितांचीच नैतिकमूल्यहीन समाजाची लोकशाही खरोखरच अपयशी ठरू शकेल। मूल्याधिष्ठित शिक्षणात नैतिकता, शिक्षण आणि लोकशाही यांचा अतुट संबंध असल्याचे लक्षात येते।

10. शिक्षण हे एक पवित्र कार्य :

बालकाला घडविण्याचे शिक्षण हे एक पवित्र कार्य होय असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत होते। त्यासाठी शैक्षणिक संस्था व ज्यांच्या माध्यमातून ते चालते असे शिक्षक या दोन्हीचेही पावित्र्य राखणे आवश्यक आहे। शिक्षण संस्था या पवित्र जागा समजल्या जातात। तेथे असणारे शिक्षक यांच्याविषयी बालकांच्या मनात नितांत आदर असावयास पाहिजे, त्यांचे पावित्र्य संबंधितांना टिकवून ठेवण्याची गरज आहे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा विचार अतिशय समर्पक वाटतो। परंतु आज आपणास उलट अनुभव येतांना दिसत आहे। शिक्षण

संस्थांच्या पावित्र्याअभावी आणि शिक्षकांच्या अंतर्गत दोषांमुळे आजचे शिक्षण प्रभावहीन झाल्याचे दिसून येते। आपणास आजची पिढी संस्कारहीन दिसते। ती पिढी विनाशाकडे जाताना दिसते। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात, 'माणूस दया मज माणूस दया' त्याप्रमाणे निष्ठावान शिक्षक दया म्हणण्याची पाळी आली आहे। शिक्षकाचे अध्यापनाचे कार्य उदात्त असते। त्यामुळे शिक्षकाने राष्ट्र व समाजाप्रती सेवासमजून कार्य करावे। शिक्षक हा समानतेवर विश्वास ठेवणारा, उदार अंतः करणाचा व निःपक्षपाती कार्य करणारा असला पाहिजे। डॉ, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, 'शिक्षकाच्या हाती समाज आणि राष्ट्रोन्नतीची सूत्रे असल्यामुळे शिक्षक कोण व कसा असावा हा एक गहन प्रश्न मानला जातो।' यासाठी शिक्षकाचे कार्य एक पवित्र कार्य असून ती एक राष्ट्र आणि समाज यांच्या प्रती समर्पित केलेली सेवा समजून शिक्षकाने याच भावनेने अध्यापनाचे कार्य करावे।

11. शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे व क्रांतीचे पवित्र साधन :

समाजात अनेक गैरसमज, रूढी, परंपरा वास करीत असतात। समाजपरिवर्तनासाठी त्यांचा बीमोड करणे आवश्यक असते। डॉ. बाबासाहेबांच्या काळात समाजाद्वारे मिळालेल्या सहानुभूतीशून्य वागणुकीने आणि सामाजिक परिस्थितीने त्यांना अस्वस्थ केले होते। त्यामुळे त्यांच्या विचारांना एक प्रकारची धार निर्माण झाली।

वैचारिक क्रांती व समाजपरिवर्तनासाठी शिक्षणाचा वापर, स्वातंर्त्य, समता आणि बंधुभाव यासाठी केला। त्यामुळे त्यांचे व्यक्तिमत्व उत्तुंग झाले। त्यांनी प्रगतिसाठी 'समता' विकासासाठी 'स्वातंर्त्य' आणि 'सौहार्द्रप्रेमासाठी बंधुभाव यांचा वापर केला। यास सामाजिक व राष्ट्रीय प्रगतीचा मूलमंत्र समजून ते प्रभावीपणे कृतीने समाजाला पटवून दिले। सामाजिक क्रांती घडवून आणण्यासाठी शिक्षणाद्वारे त्याची बीजे बालकांच्या बालवयातच रुजविली जावीत असे त्यांचे मत होते। बालवयात बालके वैचारिक संस्काराने प्रवृत्त झाली तर ते मोठेपणी खरी सामाजिक क्रांती व समाजपरिवर्तन घडवून आणू शकतात। असे केल्याने शिक्षणामुळे नवा समाज निर्माण होऊ शकेल यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा गाढ विश्वास होता। यामुळे शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे व समाजक्रांतीचे एक प्रभावी साधन ठरू शकते। त्यांनी समाजपरिवर्तनाची तरफ म्हणून आणि सामाजिक अभियांत्रिकीचे हत्यार म्हणून शिक्षणाचा पाठपुरावा केला। समाताधिष्ठित सामाजिक क्रांती आणि समाजपरिवर्तन शिक्षणाने घडून येऊ शकते। त्यामुळे नवसमाजाची निर्मिती होण्यास मदत होते। त्यांचे हे शिक्षणविषयक विचार मौलिक स्वरूपाचे असल्यामुळे समाज परिवर्तनास व सामाजिक क्रांतीसाठी शिक्षणच एक प्रभावी साधन ठरू शकते। यासाठी प्रत्येकाने शिक्षण घ्यावे यावर त्यांचा कटाक्ष असे।

12. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करणे :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरं नी प्राथमिक शिक्षणाविषयी आपले परखड विचार मांडले आहेत। ते जनसामान्यांना मिळावे यासाठी त्यांनी शासन दरबारी व लोकव्यासपीठावर विचार व्यक्त करून प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करावे यावर अधिक जोर दिला। प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे असे त्यांचे मत होते। म्हणजे वयाच्या 6 ते 14 वर्षांच्या मुलांना शाळेत पाठविण्याची सक्ती करण्यात यावी। प्राथमिक शिक्षण पूर्णपणे मोफत करू नये। ज्यांना शुल्क देणे परवडत असेल तर ते त्यांच्याकडून घ्यावे व ज्यांना शुल्क देणे परवडत नसेल तर त्यांच्याकडून ते न घेता त्यांना मोफत असले पाहिजे।

13. स्त्री शिक्षण :

स्त्री शिक्षणविषयक शिक्षणविचार डॉ. बाबासाहेब आबेडकरांनी स्पष्टपणे मांडले आहेत। शिक्षणाची संधी

सर्वांना असावी, असे त्यांना मनोमन वाटे। आलेल्या संधीचा सदुपयोग करणे हे त्यांच्या जीवन शिक्षणाचे मुख्यसूत्र होते. देव, दैव, नशीब आणि धर्मभोळेपणा, अशा खुळचट, प्रवृत्तीविरुद्ध त्यांना मनस्वी चीड़ होती। त्यांच्या मते, 'आई–बाप मुलांना जन्म देतात। कर्म देत नाहीत हे म्हणणे बरोबर नाही. आई–बाप आपल्या मुलांच्या आयुष्याला योग्य वळण लावू शकतात।

ही गोष्ट आपल्या लोकांच्या मनावर बिंबवावी मुलांच्या शिक्षणाबरोबर मुलींच्याही शिक्षणासाठी धडपड केल्यास आपल्या समाजाची प्रगती झपाट्याने होईल।' यामध्ये आपला समाज म्हणजे त्यांची जात मुळीच नाही, तर त्यात आपला संपूर्ण भारतीय समाज होय, म्हणून प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात जेव्हा संधीची लाट येते तेव्हा तिचा योग्य प्रकारे वापर केला पाहिजे। त्यानेच व्यक्तीला वैभव मिळू शकते। म्हणून खियांना शिक्षण देणे ही काळाजी गरज आहे। स्त्रियांना शिक्षण उपलब्ध करून देणे म्हणजे एकप्रकारे त्यांचा सन्मान करण्यासारखे आहे। स्त्रिया विषयी, 'यंत्र नार्यस्तु पुजन्ते रमन्ते तत्र देवता' म्हणजे जेथे स्त्रियांचा सन्मान केला जातो तेथे देवदेवता वास करतात। असे म्हटले जाते. म्हणून स्त्रियांच्या दैन्यावरचा खरा उपाय म्हणजे शिक्षणच होय अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची धारणा झाली होती। त्यांना मुलांच्या शिक्षणाएवढेच मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्व वाटत होते, हे यावरून दिसून येते।

14. विद्येला प्रज्ञा, शील, करूणा आणि मैत्री या पारमिताची गरज :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणास अतिशय महत्त्व दिले आहे। परंतु विद्येसोबत चार पारमिता असाव्यात असे त्यांना वाटते, त्याच्याच शब्दात सांगायचे म्हणजे, 'माझ्या मते केवळ विद्याच पवित्र असू शकत नाही। प्रज्ञा म्हणजे शहाणपणा, शील म्हणजे सदाचरणयुक्त असं आचरण, करुणा म्हणजे सर्व मानवजातीसंबंधी प्रेमभाव आणि मैत्री म्हणजे सर्व प्राणिमात्राविषयीची आत्मीयता। विद्येबरोबर या चार पारमिता असल्या पाहिजेत। तरच विदवतेचा काही उपयोग आहे।' यावरून ते या चार पारमितास फारच महत्त्व देतात असे दिसून येते। म्हणून शहाणपणासाठी प्रज्ञा, चांगल्या आचरणासाठी शील, मानवजातीविषयी प्रेमभाव राखण्यासाठी करुणा आणि प्राणिमात्राविषयी आत्मीयता असण्यासाठी मैत्री यांची विद्येबरोबर सांगड घालणे गरजेचे आहे. याकरिता शिक्षणाची आवश्यकता आहे।

डॉ. बावासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक विचार व कार्याचे मूल्यमापन :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार, चौर विचारवंत, दलित, शोषित पीडितांचे कैवारी व मसिहा म्हणून ओळखले जातात। ते भारतरत्न बा सर्वोच्च बहुमानाने पुरस्कृत होते। ते थोर समाजसुधारक व खंदे शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून परिचित आहेत। ते परिवर्तनवादी मानवतावादी होते। एक द्रष्टे व लोकशिक्षक या नात्याने त्यांच्या शैक्षणिक विचार व कार्याचे मूल्यमापन करणे अवघड काम आहे।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे शिक्षण हे वंचितासाठी व जनसामान्यांसाठी होत, तरी इतरांनीही त्याचा फायदा घेतलेला दिसून येतो। 'व्यक्तीला जाणीव करून देते ते शिक्षण अशी शिक्षणाची त्यांनी सोपी व्याख्या केलेली आहे। व्यक्तीला त्याच्या गुलामगिरीची, दारिद्र्याची, आर्थिक विवंचनेची जाणीव केवळ शिक्षणामुळे प्राप्त होऊ शकते। त्यांनी 'शिका, संघटित व्हा आणि संघां करा।' असा विद्यार्थ्यांना व पर्यायाने जनतेला नाराच दिला होता। कारण त्यांच्या मते, 'शिक्षण म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचे प्रबोधन, संघटन म्हणजे जनसामान्यांचे संघटन व संघर्ष म्हणजे सर्वसामान्य माणसाने प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध पुकारावयाचे बंड होय।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विद्येला शख म्हटले आहे। त्यामुळे त्याचा जपूनच वापर करणे तोलामोलाचे

ठरते। तसेच त्यांनी शिक्षणाला वाघिणीचे दूध' म्हटले आहे। जो ते दूध प्राशन करील तो बाघासारख्या गुरुगुरल्याशिवाय राहणार नाही। अशी त्यांची धारणा होती। समाजातील विषमता नष्ट करून सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी शिक्षणाची गरज प्रतिपादन केली आहे। जातीप्रथेच्या तटबंद्यापासून मुक्त करण्यास व्यक्तीला शिक्षण घेणे गरजेचे आहे।

सर्वजाती जमातीला एका समान पातळीवर आणण्यास असमानतेचे तत्त्व नाकारले पाहिजे व आपुलकीची वागणूक दिली पाहिजे। परंतु अजूनपावेतो समाजात समानता आणण्यात शिक्षणाला यश आलेले दिसत नाही। त्यासाठी कठोर कायदयाची व अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे। समाजात आज शिस्तीचा अभाव दिसतो। त्यामुळे व्यक्तीचा विकास खुंटत चालला आहे। व्यक्ती अशिक्षित असल्यास तिच्यामध्ये अनुशासनहीनता येते। त्यासाठी त्यांनी शिक्षणाची आवश्यकता प्रतिपादन केली।

व्यक्तीला चारित्र्याची गरज असते। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चारित्र्यास म्हणजे शीलास खूप जपले होते। महात्मा गांधी म्हणतात।' मी माझे चारित्र्य डोळ्यात तेल घालून जपले आहे।' (1 Guarded my characters jealously). म्हणून चारित्र्य संवर्धन करण्यास शील आवश्यक असते। ते शिक्षणानेच साध्य करता येते असा त्यांचा आग्रह असे।

मराठी संदर्भ ग्रंथ :-

1. घोडेस्वार, देविदास (संपा) : दलितांचे शिक्षण, नागपूरः समता प्रकाशन, 1994
2. घोरमोडे, डॉ. कला : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 1986 च्या संदर्भात राजर्षी शाहू महाराज यांचे शैक्षणिक विचार आणि कायर्रू एक अभ्यास, ब्रह्मपुरी (नागपूर विद्यापीठ) पीएच.डी. (शिक्षण) शोध प्रबंध 2005
3. पवार, दया, (निमंत्रक) : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ, मुंबई।
4. पाटील, लीला : आजचे शिक्षण, आजच्या समस्या पुणेः श्री विद्या प्रकाशन, 1885

हिंदी संदर्भ ग्रंथ :-

1. गुप्ता, रामबाबू : विश्व के महान शिक्षा शास्त्री, आगरा : रतन प्रकाशन मंदिर, 1993
2. चौबे, सरयु प्रसाद : भारतीय और पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री, आगरा : रामप्रसाद और सन्स, 1969

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 340-348

डॉ० भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत और दर्शन

मोनिका राज
शोधार्थी, बौद्ध अध्ययन विभाग, नव नालंदा महाविहार, नालंदा, बिहार।

सार :–

डॉ० भीमराव अम्बेदकर एक महान राष्ट्र–निर्माता थे। परतंत्र भारत के स्वाधीनता–संग्राम के वे महान योद्धा थे। परम्परावादी हिन्दुत्व की तत्कालीन रूढ़ियों की विघ्न बाधाएँ उनकी प्रतिभा के प्रकाश को अवरुद्ध नहीं कर सकीं। उत्पीड़ितों की उत्पीड़न–मुक्ति के लिये अम्बेदकर देवदूत बनकर आए थे। उन्होंने संघर्ष का शंखनाद किया था। भारत को कल्याणकारी सांविधानिक स्वरूप प्रदान करने में उनका महान योगदान है।

भीमराव अम्बेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे, जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है।

अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का विशद अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा भी की कि भारतीय समाज में वर्ण–व्यवस्था, जाति–प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालान्तर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारम्भ से ही विद्यमान थी। अम्बेडकर समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सके तो उसे बदल देना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री–पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। अम्बेडकर शिक्षा के महत्व से भली–भाँति परिचित थे। दरअसल अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के चलते उन्हें अपने स्कूली जीवन में अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में यह समझ विकसित करती है कि वह अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार हैं।

अम्बेडकर अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों पर बल देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए, अपितु उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए, लेकिन

हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों के साथ–साथ हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी है।

कूट शब्द :– परम्परावादी, उत्पीड़न, कर्तव्य, अधिकार, अछूत।

एक ऐसा महापुरुष जिसका जीवन कांटों से भरे सेज पर बीतना शुरू हुआ और समाज के हर बुराइयों से लड़ते हुए उच्च कोटि के विद्वान तक का सफर तय किया। जब–जब भारत के संविधान की बात होगी, भीमराव अम्बेडकर की बात जरुर ही होगी। एक ऐसा इंसान जिसने भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उनके कर कमलों से ही आज भारत का संविधान दुनिया में जाना जाता है। डॉ० भीमराव अम्बेदकर एक महान राष्ट्र–निर्माता थे। परतंत्र भारत के स्वाधीनता–संग्राम के वे महान योद्धा थे। परम्परावादी हिन्दुत्व की तत्कालीन रूढ़ियों की विघ्न बाधाएँ उनकी प्रतिभा के प्रकाश को अवरुद्ध नहीं कर सकीं। अमा–निशा का तमस तोम चाहे जितना सघन हो, अरुणोदय का होना सुनिश्चित है। प्रभाकर का प्रकाश तिमिर जाल में आवद्ध नहीं हो सकता। अन्तरिक्ष के अन्तस्तल को बेचकर जीवनदायिनी रश्मियाँ प्रस्फुटित होंगी ही क्षितिज तल पर उषा का अजस्र आलोक फूटेगा ही।

अशांत ने सच ही कहा है–

'मुँह पर तोपें आज लगा दो, पर मन तो स्वाधीन रहेगा
तूफानों का बन्दी बनकर क्या सूरज पराधीन रहेगा?'

उत्पीड़ितों की उत्पीड़न–मुक्ति के लिये अम्बेडकर देवदूत बनकर आए थे। उन्होंने संघर्ष का शंखनाद किया था। भारत को कल्याणकारी संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने में उनका महान योगदान है। भारत के सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक, अंबेडकर को भारत की जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमानताओं के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए जाना जाता है। एक दलित परिवार में जन्मे, अंबेडकर अपने समुदाय के शोषण और भेदभाव को देखते हुए बड़े हुए, जिससे उन्हें समानता के लिए आजीवन धर्मयुद्ध शुरू करने के लिए प्रेरणा मिली। डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे, जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है।

अम्बेडकर के धार्मिक विचार :–

प्राचीन भारत से ही भारत में धर्मों का प्रभाव आम जन पर व्यापक रूप से रहा है। शुरुआत से हम देखे तो भारत के धर्म में तीन परिवर्तन हुए हैं। वैदिक धर्म, जिसने समय के साथ ब्राह्मणवाद एवं तदुपरांत हिंदू धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। ब्राह्मणकाल के दौरान ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। ऐसा होने के पीछे का कारण साफ था क्योंकि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद द्वारा प्रारंभ की गई असमानता, अधिकार एवं विभिन्न वर्गों में समाज के विखंडन का विरोध किया था। इसी ने बौद्ध धर्म को सशक्त करने में भूमिका निभाई थी।

अम्बेडकर ने आत्मा और पुनर्जन्म पर विवादित मत रखा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बुद्ध ने आत्मा के विचारों को नकार दिया था जबकि आम तौर पर कहा जाता है कि बुद्ध ने आत्मा के बारे कोई राय नहीं दी थी। उन्होंने न तो आत्मा को स्वीकार किया और न ही उसे नकारा ही। अम्बेडकर ने नामरूप सिद्धांत की व्याख्या की जिसमें चेतना के बारे में बताया। अम्बेडकर ने कहा है कि बुद्ध के अनुसार चेतना एक बार जागृत होती है,

मनुष्य संवेदनशील हो जाता है, तब आत्मा का गठन किससे होता है? सभी कार्य चेतना के परिणाम हैं। इस कारण आत्मा का कोई कार्य नहीं है और कोई अस्तित्व भी नहीं है। मानव में जो मौजूद है वह है शरीर, जीवन और चेतना। चेतना, जीवन के साथ जागृत होती है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। इस तरह बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत को नकार दिया है।

अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म मे व्याप्त सत्य के बारे में अपना विचार रखा है। बुद्ध के अनुसार, सत्य वह है जिसे कोई भी 'दास इंद्रिय' प्रत्यक्ष रूप से देखे और उसका अनुभव कर सके जबकि अगर हम ब्राह्मण सिद्धांतों की बात करें तो उसके अनुसार सत्य वह है, जिसकी परिभाषा वेदों में की गई है। ब्राह्मणवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था, 'बौद्ध क्रांतिकारी थे एवं ब्राह्मण प्रतिक्रांतिकारी।' इन्हें बौद्धमत एवं ब्राह्मणवाद के बीच के अंतर के रूप में देखा जा सकता है।

अम्बेडकर प्राचीन भारत मे वेदों को सर्वोच्च बताने का भी विरोध करते हैं। असमानताओं को बढ़ावा देने वाला ग्रन्थ सर्वोच्च कैसे हो सकता है? कहीं–न–कहीं अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के पीछे का कारण भी समाज में व्याप्त असमानता, छुआछूत, शोषण ही था। अम्बेडकर इन सबसे मुक्ति चाहते थे और उसका समाधान बौद्ध धर्म में दिख रहा था। महात्मा बुद्ध ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के इतिहास में पहली बार समानता एवं भाईचारे का संदेश दिया था।

अम्बेडकर सामाजिक व्यवहार को ही नैतिक व्यवहार मानते है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इसी व्यवहार की आज्ञा देती है। इस अर्थ में धर्म का सम्बन्ध राजनीति और अर्थनीति से भी हो जाता है। बिना सही सामाजिक व्यवस्था के, न तो राजनीति, न ही अर्थनीति सही मार्ग पर जा सकती है। इसलिए धर्म एक ऐसी आवश्यकता है, जो मानव को सही अर्थ में मानव बनाने के लिए अनिवार्य है। मानवता को बनाये रखने के लिए धर्म जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर धर्म के आड़ में मानवता को दानवता की चक्की में पिसी जाने लगे तो फिर धर्म में सुधार की बात उठने लगती है। जैसे कि आजकल धर्म के आड़ में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाने लगा है और उसे ही धर्म मान लिया जा रहा है।

एक प्रश्न उठता है कि अगर धर्म का आधार सामाजिकता है, तो धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? बिना समानता के सिद्धान्त के सामाजिकता का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए धर्म की अवधारणा, समानता के आधार पर अवस्थित है। जो धर्म समानता का लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हो वह धर्म नहीं हो सकता बल्कि वह अधर्म है। अम्बेडकर कहते है कि चूँकि हिन्दू धर्म समानता के आधार पर नहीं टिका है, हिन्दू धर्म सही अर्थ धर्म नहीं है। हिन्दू धर्म में कर्मकाण्ड की प्रधानता है और इसी के माध्यम से वर्ण–व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसका आधार समानता नहीं है और यह अपेक्षित सामाजिकता की स्थापना नहीं कर सकता।

जब भारत मे स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ उसके बाद अपने भाषणों में डॉ. आंबेडकर ने प्रभावपूर्ण तरीके से यह कहा कि भारत में पुनः बौद्ध पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया है। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चिह्नित अशोक चक्र के प्रतीक हेतु बौद्ध धर्म के पास आना पड़ा, क्योंकि उन्हें ब्राह्मणवाद में ऐसा कोई प्रतीक नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि भारत गणराज्य के प्रतीक चिह्न 'चार शेर' हेतु बौद्ध धर्म पुनः सामने आया और जब भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति शपथ लेने वाले थे तब उस ऐतिहासिक अवसर पर अनगिनत हिंदू देवी–देवताओं के स्थान पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई थी।

अम्बेडकर संविधान निर्माण के समय धर्म के बारे में भी अपने विचार स्पष्ट कर रहे थे। अम्बेडकर ने कभी भी धर्म को अनावश्यक नहीं माना बल्कि उन्होंने सुस्पष्टतापूर्वक कहा, "मैं मानता हूँ कि धर्म मानवता के लिए आवश्यक है। यदि धर्म समाप्त होगा तो समाज का भी पतन होगा। कोई भी सरकार मानवता की उस तरह से रक्षा या उसे अनुशासनबद्ध नहीं कर सकती जिस तरह नीति अथवा धर्म कर सकते हैं।''

भारत में बौद्ध धर्म के विकास के बारे में कहा जाता है कि भारत बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। यह भारत में 543 ई.पू. से 1400 ईस्वी अर्थात् लगभग 2000 वर्ष तक फला–फूला। यद्यपि बौद्ध धर्म लुप्त हो गया है फिर भी महात्मा बुद्ध का उतना ही सम्मान है और उनके द्वारा चलाए गए धर्म की स्मृति अब भी हरी–भरी है। भारत में बौद्ध धर्म का पौधा मुरझाया हुआ अवश्य है किंतु अभी इसकी जड़ें मरी नहीं हैं। हिंदू भी महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। भारत में हमें किसी नए देवदूत के प्रति श्रद्धा पुनःस्थापित करने की आवश्यकता नहीं हैं। हमें इस धर्म को लौटाकर लाने का अनुकूल प्रयास मात्र करना है। ऐसा फलदायी प्रयासों की आसान परिस्थितियाँ अन्य किसी भी देश में नहीं मिलेंगी। बौद्ध धर्म अन्य देशों में पहले से ही स्थापित धर्म है। जहाँ तक भारत का संबंध हैं तो भारत में भी इसके विचारों का विरोध नहीं होता है। अभी भी भले ही बौद्ध धर्म का भारत मे जनाधार नहीं रह गया हो कि लेकिन उसके विचारों जनता में व्यापक प्रभाव रहता है। साथ ही जब भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब बौद्धिस्ट देशो में जाते है तो वहाँ बुद्ध की बात कर अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में सफल रहते है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत मे भले ही बौद्ध धर्म जन में कमजोर पड़ गया है लेकिन इसके बावजूद भी जनता के दिलो में बसा हुआ है।

डाक्टर अम्बेडकर का विचार स्पष्ट था कि उन्होंने पूर्व से चले आ रहे सभी 'धर्म' के बदले 'धम्म' को ज्यादा उपयोगी माना और उसे ही अंगीकृत किया।

उन्होंने बुद्ध के धम्म शब्द की व्याख्या की। धम्म में ईश्वर नहीं बल्कि नैतिकता की बात की गई। यह नैतिकता मानव जीवन मे काफी उपयोगी साबित होता है। इसलिए अम्बेडकर के अनुसार, 'बौद्धधर्म सम्पूर्ण मानवता का धर्म है। 'धम्म' के अनुसार सब लोग को समानता की नजर से देखा गया है। इसमें किसी को उच्च या फिर किसी को नीच नहीं माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध दर्शन में करुणा और दया को महत्व दिया गया है, वर्ण–व्यवस्था को नहीं।'

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर ही अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि दीक्षा के वक्त जब अम्बेडकर ने 'मैं हिन्दू धर्म छोड़ता हूँ का एलान किया, तो उनका गला रूंध आया था। यानी कि अम्बेडकर के मन मे भी धर्म त्याग का दुःख था तभी तो गला रुंध गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्तिगत मजबूरी के अहसास में, उन्होंने पैदायशी धर्म त्यागा हो? जो भी हो, इस धर्म–परिवर्तन में निहित जिस पीड़ा का अनुभव होता है, वह सारे हिन्दू–समाज के लिए एक चुनौती है। कोई भी धर्म जो अपने ही अनुयायियों को ऐसी गहरी यन्त्रणा का अनुभव कराये, उसमें प्रश्न चिह्न तो लग ही जाता है।

भले ही उन्होंने हिन्दू धर्म को त्याग दिया हो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अम्बेडकर देशप्रेमी थे। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अम्बेडकर के हिन्दूधर्म त्यागने का यह अर्थ कतई नहीं समझना चाहिए कि वे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध थे। उन्होंने खुद ही कहा था– 'बौद्धधर्म भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि मेरे धर्म परिवर्तन से इस देश की परम्पराओं, संस्कृति

और इतिहास पर आघात न पहुँचे। हिन्दूधर्म में जो असमानता का भाव उन्होंने देखा उसी से रुष्ट होकर उन्होंने अपना पैतृक धर्म त्याग दिया। दीक्षा लेने के समय उन्होंने कहा – 'गले सड़े धर्म को त्याग कर, जो असमानता और उत्पीड़नु को मान्यता देता है, मैं आज एक नया जन्म ले रहा हूँ और नरक से मुक्ति प्राप्त कर रहा हूँ।' उन्होंने सोचा होगा कि स्वर्ग मिले चाहे न मिले, परन्तु नरक से मुक्ति आवश्यक है।

अम्बेडकर की बौद्धिक विचारधारा अदृश्यवाद, रहस्यवाद और पौराणिक कथाओं से रहित था। उनके अनुयायियों के द्वारा व्याख्याओं की पद्धति को समझने की कमी के कारण इस क्षमता का उन्हें शायद ही एहसास हो पाया। वर्तमान समय में नए सिरे से रूचि के साथ लोगों ने अम्बेडकर को बहुत अलग तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने अम्बेडकर की 'द बुद्ध एंड हिज धम्म' किताब की आलोचना की थी आज वे लोग ही उनकी पुस्तक की प्रशंसा कर रहे हैं और पुनः रूचिपूर्वक उनकी रचनाओं का पढ रहे हैं जिनमें श्रीलंका, थाईलैंड और जापान आदि के लोग भी सम्मिलित हैं। तिब्बत के बौद्धों हेतु यह एक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि तिब्बती बौद्ध हमेशा रहस्यवाद के विचारों से गुजर रहे हैं।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर ने बुद्ध को दिव्य व्यक्तित्व के रूप में नहीं बल्कि एक दार्शनिक और समाज में परिवर्तन लाने हेतु एक मार्गदर्शक और प्रत्येक व्यक्ति को खुद के प्रति आत्म–उत्तरदायी बनाने हेतु प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में अम्बेडकर ने अनेक दार्शनिक मुद्दों को छुआ है और ये सभी मुद्दे निकायों में उल्लिखित सूतों पर आधारित हैं। बुद्ध एवं उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह अम्बेडकर ने रहस्यहीन कर दिया और बौद्ध धर्म को बहुत ही अलग ढंग से समझने का मार्ग प्रशस्त किया तथा सभी व्याख्याएं मुख्य रूप से निकायों के आधार पर की गईं।

अम्बेडकर के सामाजिक न्याय पर विचार :-

समाज में व्याप्त बुराईयों से लड़कर बड़े होने वाले डॉ0 अम्बेडकर ब्राह्मणवाद की संकीर्णता, विकृतियों और पाखण्डों के कठोर निंदक थे। उनके अनुसार ब्राह्मणवाद हिन्दू समाज के पिछड़े और अछूत वर्ग के सामाजिक शोषण का नमूना था जो कि पिछड़ो के शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था। इन्हीं बुराइयों से लड़ने के लिए वह बौद्ध धर्म की ओर चले गए थे। आखिरकार उन्हें भगवान बुद्ध के उपदेशों में सांत्वना मिली जिन्हें वह दलितों का मसीहा मानते थे। जिन्होंने एक संपूर्ण समतावादी समाज के दर्शन का उपदेश दिया था।

समतामूलक समाज बनाने के प्रयास में अम्बेडकर हमेशा ही आगे रहते थे, जिनके कर–कमलों से समाज के पिछड़े लोगों को भी अधिकार मिला। बाद में उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने में भी अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। डॉ० अम्बेडकर के अनुसार, सामाजिक सुधार में परिवार व्यवस्था और धार्मिक जीवन में सुधार शामिल था। पारिवारिक सुधार का मतलब है बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का अन्त, विधवा पुनर्विवाह, अन्तरजातीय विवाह आदि। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की दुर्दशा की कड़ी आलोचना की। डॉ0 अम्बेडकर अछूतों के लिये सामाजिक पैगम्बर थे।

सामाजिक न्याय के सिद्धांत का मुख्य अभिप्राय यह है कि नागरिक और नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति विभेदन न हो और सभी को विकास में समान अवसर दिया जाए। विकास के मौके अगड़े–पिछड़े को उनकी आबादी के मुताबिक मुहैया हो ताकि सामाजिक विकास का संतुलन बनाया जा सके। समाज के कमजोर

तबके का भी विकास में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। दलित हो या महिला या अनाथ या गरीब सबको समानता का अधिकार मिले। संसार की सभी आधुनिक न्याय–प्रणाली प्राकृतिक न्याय की कसौटी पर खरा उतरने की चेष्टा करती है, अंतिम लक्ष्य होता है कि समाज के सबसे कमजोर तबके का हित सुरक्षित हो सके अन्याय न हो।

सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में अंबेडकर और गांधी के विचारों में मतभेद देखने को मिलता है।

अंबेडकरवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा :-

डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के अवधारणा के ज्यादा नजदीक है। डॉ. अंबेडकर गांधीवादी न्याय के सिद्धांत को एक छल कहते थे। वे मानते है कि जिस सामाजिक न्याय के सिद्धांत में जातिगत ऊंच–नीच, धार्मिक कट्टरता, लिंग भेद, पूर्वजन्म की कल्पना को मान्यता दी जाती है,वह सामाजिक न्याय हो ही नहीं सकता। वे इसे ब्राह्मणवादी न्याय का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि इस सिद्धांत में किसी जाति विशेष, लिंग विशेष का हीं हित सुरक्षित है। इसलिए डॉ. अंबेडकर जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करते है वे नस्ल भेद, लिंग भेद और क्षेत्रीयता के भेद से मुक्त है। इस अवधारणा में समाज के कमजोर वर्ग के साथ न केवल न्याय हो, बल्कि उनके अधिकार और हित सुरक्षित हो। संविधान निर्माण में उनके इस सिद्धांत की भूमिका स्पष्ट देखी जा सकती है।

अम्बेडकर ने बचपन से जो समाज मे देखा था, उसमें अब सुधार करने के लिए तत्पर थे। अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो विचार रखा था, उसमें तीन घटकों को प्रमुख स्थान दिया था – स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अम्बेडकर को पता था कि इन तीनों के बिना निम्न वर्ग का सामाजिक विकास संभव नहीं हैं। बाद में आजादी के बाद संविधान में भी सामाजिक न्याय पर ध्यान दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का जिक्र किया गया है। देश के सभी नागरिक सामाजिक दृष्टि से समान समझे जाएंगे। उनमें जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अम्बेडकर द्वारा दिए गए तीन घटकों में पहला है– स्वतंत्रता। भला आजादी किसे पसन्द नहीं होती, चाहे वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा इंसान हो या फिर पिजड़े में बंद पक्षी। लास्की का हवाला देते हुए अम्बेडकर ने कहा कि स्वतंत्रता की वास्तविकता हेतु इसके साथ कुछ सामाजिक स्थितियाँ होनी चाहिए। सामाजिक समानता सबसे पहले होनी चाहिए। नागरिकों के सामाजिक अधिकार अधिक समान हैं, और वे अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने में अधिक सक्षम हैं। यदि स्वतंत्रता को उसके स्थान से हटाना है तो यह महत्वपूर्ण है कि समानता होनी चाहिए और साथ में आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। इसके अलावे शिक्षा सभी लोगों हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिए। शिक्षा का उपलब्ध होना इसलिए भी जरूरी है कि जब तक निम्न तबका को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, उससे फायदा नहीं उठा सकता हैं। शिक्षा हेतु मनुष्य का अधिकार उनकी स्वतंत्रता के लिए मौलिक हो जाता है।

सामाजिक न्याय का दूसरा घटक है– समानता। इसका तात्पर्य है कि सभी लोग एक ही सार के हैं, सभी लोग समान हैं और सब लोग एक ही मौलिक अधिकार और समान स्वतंत्रता के हकदार है। अम्बेडकर कहते हैं कि रैंक और उन्नयन की व्यवस्था, असमानता के सिद्धांत को अभिव्यक्त सामाजिक न्याय की अवधारणा करने

का दूसरा तरीका है जिससे वास्तव में कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म समानता को मान्यता नहीं देता है।

सामाजिक न्याय का तीसरा घटक है – भाईचारा। अम्बेडकर का यह मानना था कि केवल भाईचारा हीं है जो अराजकता को रोकता है और लोगों के बीच नैतिक आदेश को बनाए रखने में मदद करता है। व्यक्तिवाद अराजकता पैदा करता है। भाईचारा जो सामाजिक न्याय का एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटक है उसके बिना एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कारण अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हैं।

अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा में निम्न शामिल हैं–

- सभी मनुष्यों की एकता और समानता।
- पुरुषों और महिलाओं के बराबर मूल्य।
- कमजोर और नीच हेतु सम्मान।
- मानवाधिकारों के संबंध में।
- साथी प्राणियों के प्रति उदारता, आपसी प्यार, सहानुभूति, सहिष्णुता और दान।
- सभी मामलों में मानवीय व्यवहार।
- सभी नागरिकों की गरिमा।
- जाति भेद का उन्मूलन।
- सबके लिए शिक्षा और संपत्ति।
- सदभाव और सौम्यता।
- सामाजिक न्याय।

अम्बेडकर के राजनैतिक विचार :–

भारत के राजनीति में अंबेडकर का अनन्य योगदान है। डॉ अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। साथ ही संविधान निर्माण में उन्हें भारत के नए संविधान और संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। निर्माण समिति के अध्यक्ष होने के नाते संविधान को वास्तुकार रूप देने में भी अम्बेडकर को जाना जाता है।

अम्बेडकर का राजनैतिक दर्शन काल्पनिक और नैतिक विचारों पर आधारित नहीं था बल्कि मानव समस्याओं और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। उनका मानना था कि इंसान हमेशा बदल रहा है, आगे वह मनुष्य वही बनता है। यानि कि प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है और उसमें सभी को कार्य करने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति होनी चाहिए। इसे पूरी तरह से विकसित होने के अवसर मिलने चाहिये ताकि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी अपमान और अधीनता के अपना व्यक्तित्व विकसित कर सके।

अम्बेडकर के सपनों के राजनीतिक व्यवस्था ऐसा है, जिसमें राज्य सत्ता, धर्म, पूंजीवाद, आदि द्वारा स्त्री और पुरुष का शोध समाप्त हो जाए। उनका राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों से, परस्पर अनुभव और अहसास के साथ जुड़ा हुआ है। वे कहते थे, 'जनतंत्र सार्वजनिक जीवन जीने की पद्धति है। जनतंत्र की जड़ें व्यक्तित्व के सामाजिक संबंधों में खोजनी पड़ती है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बिना रक्त की एक बूंद बहाए क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं।'

डॉ. अम्बेडकर जनतंत्र को एक जीवन पद्धति मानते थे। वे व्यक्ति की श्रेष्ठता पर बल देते और सत्ता के परिवर्तन को साधन मानते। कुछ संवैधानिक अधिकार देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की हो जाती है, इस पर उनका विश्वास नहीं था। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में 'नैतिकता' और 'सामाजिकता' ये दो प्रमुख मूल्य रहे हैं। जीवंत मनुष्यों को नियन्त्रित करने के लिए उन्हें इकट्ठे जीवन के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों की निमित्ति के लिए साझेदारी आवश्यक है, ऐसा वे मानते थे। उनकी जनतंत्र की कल्पना स्थितिवादी अथवा जड़वादी न होकर गतिशील तथा समाज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध ऐसी कल्पना है।

उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। वे कहते थे कि 'सामाजिक चेतना' के अभाव में जनतंत्र आत्माविहीन मृत देह के समान है और जब तक 'सामाजिक जनतंत्र' नहीं स्थापित होगा तब तक 'सामाजिक चेतना' का विकास भी संभव नहीं।

अम्बेडकर के विचारों में उदारवाद एवं समाजवाद दोनों के दर्शन हैं। तभी तो अम्बेडकर एक ऐसा राज्य चाहते हैं जो व्यक्ति के स्वतंत्रता एवं गरिमा का सम्मान करते हुए लोककल्याण के मार्ग को प्रशस्त करे। समाजवादी विचारों से व्यक्ति को साध्य मानते हैं, इसलिए वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को संकट में डालकर लोककल्याण नहीं चाहते हैं। वे कुल मिलाकर उदारवादियों की तरह राज्य के सकारात्मक भूमिका को स्वीकारते हैं किंतु वो यह भी चाहते है कि व्यक्ति के स्वतंत्रता का क्षरण न हो। लोक कल्याणकारी राज्य में ही सर्वांगीण विकास एवं समस्त नागरिकों की प्रगति संभव है।

अम्बेडकर चाहते थे कि राज्य का संचालन 'नियंत्रण एवं संतुलन' सिद्धान्त पर आधारित संसदीय प्रणाली के माध्यम से हो। ताकि शासन के तीन अंग संयमित एवं मर्यादित रहें। वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बहुमत के अतिक्रमण होने की संभावना के प्रति सचेत करते थे। अम्बेडकर मील की तरह स्वतंत्रता के परम उपासक थे। इसलिए वे एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हेतु वयस्क मताधिकार की वकालत करते थे। वे मताधिकार हेतु आयु के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिबंध के हिमायती न थे।

अम्बेडकर हमेशा ही समाज का हित चाहते थे। जो व्यक्ति समाज के लिए समर्पित होगा वह लोकतंत्र को मजबूत स्तम्भ बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। अम्बेडकर भी लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। तभी तो वे संपूर्ण जीवन में स्वतंत्रता, समानता, स्थापित करने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहे जो प्रजातंत्र का मूल आधार है। उनका मानना था कि प्रजातंत्र केवल सरकार का एक रुप मात्र न होकर सामाजिक संगठन का स्वरुप भी है। इसीलिए प्रजातंत्र को उच्चता व निम्नता पर बिना विचार किये हुए सभी के कल्याण हेतु कार्य करने चाहिए।

अम्बेडकर लोकतंत्र में उसके संसदीय व्यवस्था को बेहतर मानते थे। अत्यधिक पसंद करने के पीछे उनका कुछ कारण था। जिसमें कि पहला शासन वंशानुगत नहीं है। दूसरा कि इसमें व्यक्ति विशेष शासन सत्ता का प्रतीक नही होता है। और तीसरा निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास रहता है। लेकिन अम्बेडकर पश्चिम देशों जैसे जर्मनी, रुस, स्पेन इत्यादि में संसदीय शासन प्रणाली की विफलता से चिंतित भी थे। वह भारत के लिए चाहते थे इसे स्वीकारने से पूर्व इस बात पर मंथन होना चाहिए कि उक्त देशों में यह किन कारणों से विफल हुआ है। वे कहते थे कि संसदीय लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज में असमानतायें न हो

तथा एक सशक्त विपक्ष भी अस्तित्व में हो। वे लोकतंत्र के लिए स्थायी रुप से प्रशासनिक तंत्र एवं संवैधानिक नैतिकता की भी बात करते हैं।

संदर्भ सूची :

1. डॉ. अम्बेडकर राजनीति, धर्म और संविधान विचार, संपादक – डॉ. नरेंद्र जाधव
2. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय।
3. काश्यप, डॉ० सुभाष, विश्व प्रकाश गुप्त, राजनीति कोष, दिल्ली विश्वविद्यालय (दिल्ली), हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, अगस्त, 2015
4. चौबे, कमल नयन, (अनु०), समकालीन राजनीति – दर्शन : एक परिचय, दिल्ली, पियर्सन, 2013
5. गाबा, ओम प्रकाश, राजनीति – चिन्तन की रूपरेखा, नोएडा, मयूर पेपर बैक्स, 2012
6. लक्ष्मीकांत, एम०, भारत की राजव्यवस्था, चेन्नई, मैक्ग्रा हिल एजूकेशन (इण्डिया) प्रा0लि0, 2017
7. पाण्डेय, तेजस्कर, संगीता पाण्डेय, भारत में सामाजिक समस्याएँ, नयी दिल्ली, टाटा मैक्ग्रा हिल एजूकेशन प्रा० लि0, 2012
8. साधना आर्य, निवेदिता मेनन व जिनी लोकनीता (सम्पादक) (2015) – नारीवादी राजनीति : संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
9. Guru, Gopal (2017): "Ethics in Ambedkar's Critique of Gandhi", EPW April 15 (Vol. II, No. IS)
10. Venketaraman, R (1990) "Message" in Sudarshan Aggarwal (ed.). P. vii. खेती के लिए भूखंड
11. मून वसंत–– डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रीय जीवन चरित, प्रथम संस्करण 1991, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया।
12. Balchandra Mungerkas, "Annihilating Caste" Frontline, Vol. 28, Jul. 16-19, 2011. Page-110.
13. Gopal Guru (2002): Ambedkar's Idea of Social Justice\ in Ghanshyam Shah (ed), Dalits and the State, Concept Publishing Company, New Delhi. Page-121.
14. Naik, C.D. (2003) : "Buddhist Developments in East and West Since 1950: An Outline of World Buddhism and Ambedkarism Today in Nutshell". Thoughts and Philosophy of Doctor B.R. Ambedkar (First ed.) New Delhi: Sarup & Sons.
15. Quak, Johannes, Disenchanting India: Organized Rationalis, and Criticism of Religion in India, Oxford University Press, 2011.
16. Sangharakshita (2005): "Milestone on the Road to conversion". Ambedkar and Buddhism (1st South Asian ed.) New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 349-353

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और सामाजिक क्रांति

डॉ. सहदेव वर्षाराणी निवृत्तीराव
श्री विजयसिंह यादव महाविद्यालय, पेठवडगाव, ता. हातकणंगले जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र (भारत)

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितों के मसीहा थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी शास्त्रों पर आधारित हिंदू समाज व्यवस्था, अस्पृश्यता पर आधारित जातिवाद, वर्णवाद और शास्त्र व्यवहार पर आधारित तिरस्कार, गुन–द्वेष, ऊंच–नीच, पवित्र–अपवित्र, शोषण उत्पीड़न, दमन का पहली बार विरोध कियाद्य जिसके मानकों में हृदय परिवर्तन की भावना न होकर, विद्रोह निषेध की सृजनात्मक क्रांति चेतना थी। डॉ बाबासाहेब ने बचपन से ही देखा था कि बाजार में कपड़ा खरीदने जाए तो दुकानदार दूर से ही कपड़े फेंका करता था। भैंसों का भी मुंडन करने वाला नाई उनके बाल काटने से धर्म डूबने की बात करता थाय स्कूल में सहपाठी भी उन्हें नहीं छूते थे। इतना ही नहीं विदेशी उच्च विद्या से विभूषित होकर वह जब दफ्तर में अफसर बने तो वहां का चपरासी भी अस्पृश्यता के भय से उनकी ओर दूर से ही फाइलें फेंका करता था। खुद बाबा साहब पर इतने जुल्म रहे, तो उनके संपूर्ण समाज की हालत क्या होगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

आंबेडकर ने अपने समाज के भाई बहनों के मन में अस्मिता जागृत की और उनको स्वस्थ किया। डटकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दी। इस संदर्भ में मराठी के महान चरित्र लेखक धनंजय लिखते हैं, "विश्व भूषण डॉ बाबासाहेब ने युवा लोगों से अस्पृश्य, अति शुद्र कहलाने वाले समाज में आत्मप्रत्यय और आत्मतेज, आत्मविश्वास और स्वाभिमान एवं इंसानियत की नई चेतना निर्माण की।"[1]

डॉ. आंबेडकर जी का उदय आधुनिक भारत के इतिहास में एक तेजस्वी और शाश्वत मूल्यों का दर्शन करने वाली महान घटना है। अस्पृश्यता राष्ट्रीय प्रश्न है, इसे मानवीय मूल्य से जोड़ना चाहिए। अस्पृश्यता से भारतीय एकात्म जीवन खंडित हुआ है। जाति व्यवस्था के निर्मूलन के बिना देश समृद्ध और संपन्न नहीं हो सकता। डॉ. आंबेडकर ने दलितों के दुखों को वाणी देने के लिए अपने युवा काल से ही अनेक प्रयास किए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में 'हिंदू बनाम हिंदू' लेख में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने लिखा था कि, 'आज वर्ण और जाति इन दो कटघरे को तोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है।'[2] वर्ण एवं योनि से जुड़े मूल्य का खामीयाजा आज सबसे अधिक उस तबके को भुगतना पड़ा है जिसे आंबेडकर ने दलित समाज और महात्मा गांधी ने हरिजन के रूप में पहचान दी।

स्वतंत्र भारत के संविधान ने इसी तबके की दलित समाज की कुछ जातियों एवं उपजातियां को अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की जातियों के रूप में अवसर और समानता के आधार पर विकास की दौड़ में सम्मिलित करने का संकल्प किया था। महात्मा गांधी ने अपने ही स्वर्ण समाज के शास्त्र के आधार पर दलित बनाए गए हरिजन लोगों की मुश्किलों की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया था। उनके साथ सदियों से होते अन्याय, शोषण एवं उत्पीड़न की भी कटु आलोचना की थी। दलित सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1920 में 'मुकनायक' नामक साप्ताहिक अखबार निकाला। 2 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया और इस तरह संगठन आत्म तरीके से दलित सुधार का कार्य प्रारंभ कर दिया था।

दलितों को जागृत करने के लिए उनका नारा था– 'दास को आभास कर दो कि वह दास है' तभी वह विद्रोह करेगा। परिणाम स्वरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में दलितों की विद्रोह नीति की चिंगारियां उत्पन्न हुई, जो धीरे–धीरे कालांतर में प्रचंड लपटे बनी। राजर्षी शाहू महाराज ने डॉ आंबेडकर के जोश और लगन को देखकर भविष्यवाणी की थी कि, "मेरे दलित भाइयों डॉ. आंबेडकर के रूप में तुम्हें अपना परमेश्वर मिला है, तुम्हारी गुलामी की जंजीरें वही तोड़ेगा। मेरा दिल कहता है कि भविष्य में दलितों का उद्धारकर्ता एवं भारत के एक महान कार्यकर्ता के नाते यह युवक विश्व के इतिहास में बड़ी क्रांति सफल कर देगा।"[३]

इस प्रकार आंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था व जातिगत अत्याचार, दमन, वेदना को स्वयं दलितों को संगठित कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी प्रतिकूलताओं से संघर्ष करते हुए अपने वर्ग की उन्नति और मुक्ति के लिए भरसक प्रयास किया। आंबेडकर जी उस समय जाति–अपमान की पीड़ा झेलते हुए बड़ौदा से मुंबई के बीच नौकरी के लिए भटक रहे थे। वे दलित उत्पीड़न से बेचौन थे।

इसी सामाजिक क्रांति के लिए बाबा साहब आंबेडकर द्वारा किया गया धर्मांतरण महज एक धर्मांतरण नहीं था, यह इस देश में सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी, जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। एक वर्ण विहीन, जाति विहीन समाज का सपना, जो समानता–स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित था। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर धर्म को व्यक्तिगत सरोकार नहीं मानकर सामाजिक सरोकार मानते हैं। वे धर्म की आवश्यकता को भी स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं होता तो वह धर्मांतरण नहीं करते केवल हिंदू धर्म का त्याग भर करते। बौद्ध धर्म को अंगीकार नहीं करते और न हीं इतना विशाल आयोजन करते। अपने संबोधन के पश्चात बाबा साहब ने विशाल जन समुदाय को आव्हान किया कि जो बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते हैं, वे खड़े हो जाए तो पूरा का पूरा जन समुदाय खड़ा हो गया। इस प्रकार यह मात्र धर्म परिवर्तन की घटना न होकर एक ऐतिहासिक घटना बन गई। यह सामाजिक क्रांति का, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का उद्घोष था। बाबा साहब ने कहा था मनुष्य को जीवित रहने के लिए केवल भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती उसके पास मस्तिष्क भी होता है। जिसके लिए विचारों की खुराक आवश्यक है। उनके अनुसार मनुष्य की इस मानसिक भूख को मिटाने के लिए धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः धर्म को सामाजिक नैतिकता पर आधारित सामाजिक मूल्यों के आधार पर जांचा–परखा जाना चाहिए। बाबा साहब जैसे विद्वान न्यायविद और समाज सुधारक द्वारा इस प्रकार हिंदू धर्म का परित्याग करना

इस धर्म की घोर विसंगतियों और सामाजिक पाखंड की तीव्र प्रतिक्रिया थी। जिस महान पुरुष में भारत का संविधान रचने का सामर्थ्य हो उसे मात्र इसी कारण एक ब्राह्मण से नीचे माना जाता रहे कि वह एक महार के घर में पैदा हुआ है। इससे बड़ा सामाजिक अन्याय और क्या होगा? और इस अन्याय का प्रतिकार बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। अपने जीवन में जिस पीड़ा को, जिस अपमान को उन्होंने भोगा था, कदम–कदम पर रूढ़ व्यवस्थाओं के जख्म उन्होंने झेले थे उसे वह कैसे भूल सकते थे। जब उन जैसे उच्च शिक्षित व्यक्ति के साथ यह अंधा समाज इस तरह पेश आता है तो गांव में रहने वाले दिन दुर्बल और अनपढ़ बंधुओं की क्या स्थिति हो सकती है। इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। उन्हें ऐसी व्यवस्थाओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी जिसमें मनुष्य को पशुओं से भी बद्तर समझ जाता हो। वह नहीं चाहते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ी ऐसी समाज व्यवस्था को मानती रहे। हिंदू समाज में व्याप्त उंच–नीच और छुआछूत संबंधी और मानवीय व्यवस्था विरोधी आंदोलन का एक लंबा क्रम उपलब्ध है। इसी क्रम में बाबा साहब आंबेडकर भी भारतीय समाज से इस कलंक को मिटाने के लिए सामाजिक क्रांति करने के लिए कृत संकल्प थे। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षमता के प्रबल पक्षधर बाबा साहब आंबेडकर ने भारत भर इसके लिए संघर्ष किया। संघर्ष के इस दौर में उन्होंने यह नहीं देखा कि वह किससे संघर्ष कर रहे हैं।

बाबा साहब आंबेडकर जी राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक स्वतन्त्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में वे देश के बड़े नेताओं के साथ मिलकर प्रयास कर रहे थे किंतु साथ ही यह भी मानते थे कि मानवीय समानता के अधिकार के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। उनका कहना था सामाजिक–आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता का लाभ पिछड़ों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए वे सामान्य के लिए संरक्षण की गारंटी चाहते थे। बाबा साहब ने वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का गहन अध्ययन करके अपने लिखे पुस्तकों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि हिंदू धर्म में छुआछूत है, उन्होंने प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण या अछूत नहीं होता वह कर्मों से ब्राह्मण और अछूत बनता है। इसलिए वर्ण व्यवस्था की प्रबल प्रतिपादक मनुस्मृति को डॉ. बाबा साहब आंबेडकर ने लाखों के जन्म समुदाय के बीच उसे जलाकर उसकी मान्यताओं का विरोध किया था। उनकी योग्यता, विद्वत्ता व गुणग्रहीयता के कारण ही पंडित नेहरू ने इन्हें अपने मंत्रिमंडल में भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में शामिल किया था। यही नहीं भारत जैसे विशाल देश का संविधान निर्माण का महान दायित्व भी उनके कंधों पर डाला गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। संविधान में उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, न्याय दिलाने का पूरा–पूरा ध्यान रखा।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की गिनती विश्व के महानतम छह विद्वानों में होती है। जगत में उन्हें बौद्ध धर्म का नायक माना जाता है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया था उसकी रुढियों को नहीं। अपने नागपुर के दीक्षा समारोह के अवसर पर दिए गए वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है बुद्ध की क्रांति के बाद भारत में बाबा साहब के इस धर्मांतरण से ही सामाजिक क्रांति का शंखनाद फूंका है और सडी–गली सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल बजा है। विश्व में ऐसी कोई विचारधारा नहीं जो समानता स्वतंत्रता और बंधुता की इस

क्रांतिकारी विचारधारा से बढ़कर हो और इसे काट सके इसलिए यह धर्मांतरण महेश धर्मांतरण नहीं वरन् एक महान सामाजिक क्रांति की शुरुआत है।

भारतीय समाज में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा पश्चात दोनों ही दौर में समाज के वंचित वर्ग को अपना जीवन अनेक यातनाओं से गुजरना पड़ा तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दलित जन की पीड़ा व्यथा अभाव तथा अन्याय को डॉ. भीमराव आंबेडकर ने न केवल मुखरित किया बल्कि दलितों के जीवन स्तर में सुधार को ही अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया।

डॉ. आंबेडकर की बहिष्कार के विरुद्ध लड़ाई दलित की उन्नति और आधुनिक समाज में उनके पर्याप्त स्थान के लिए थी। उनके लिए दलित प्रश्न मुख्यतः सत्ता विमर्श न होकर लोक विमर्श था। इसलिए उसमें सुधार की आवाज थी। उन्होंने दलितों में आत्म प्रेरक भाषणों से एक क्रांति खड़ी की। अस्पृश्यों की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो हम यह देखें कि हमारे अस्पृश्यता न मानने मात्र से हम पर क्या—क्या जुल्म उठाए जाते हैं। हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, कुँए से पानी नहीं खींच सकते, दूल्हे को घोड़ी पर बिठा नहीं सकते, यदि हम अधिकार पूर्वक ऐसा करना चाहते हैं तो हमें मारा—पीटा जाता है। उन्होंने अपने लखनऊ भाषण 1948 में कहा कि, स्पेशल लोग भी आपस में अब तक छुआछूत मानते हैं। खुद दलितों का कोई ऊंची नीची जातियों में बड़ा होना और उनके बीच दूरी एक समस्या रही है। अंबेडकर दलित अस्मिता को व्यापक संदर्भ में देखते हैं। उनका कहना था कि हम ब्राह्मणों की विरुद्ध नहीं, हमारा आक्रमण ब्राह्मणवाद पर है। उन्होंने पारिवारिक सुधार के लिए क्षमता स्वतंत्रता और भारत रत्न के आधार पर हिंदू समाज के पुनर्गठन की बात कही थी। ब्राह्मणवाद के विरोध के कारण उन्होंने धर्मांतरण करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया क्योंकि वे गांधी की तरह धर्म की एक ऐसी उच्चतर भूमि की कामना करते थे जहां कोई मिथ्या प्रभेद ना हो। धर्म का मूल तत्व आत्मा की एकता है जो आदमी इस तत्व को नहीं पहचानता वह वेदों और शास्त्रों का पंडित होने पर भी मूर्ख है। इस तरह अंबेडकर दलित स्थान के प्रति अग्रणी रहे। उन्होंने सामाजिक उन्नयन के साथ राजनीति के क्षेत्र में काम किया। संविधान द्वारा विधि प्रदान की और अपने विचारों के माध्यम से दलित पिछड़ों के सुधार के साथ ही सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भूमिका का निर्वाह करते हुए समानता का जो धरातल तैयार किया था वही आज दलित चेतना के रूप में पल्लवित हो व्यापक स्वरूप प्राप्त कर सका है। डॉ. अंबेडकर ने हिंदू समाज व्यवस्था पर विचार करते हुए कहा था क्या हिंदू समाज व्यवस्था में व्यक्ति का महत्व है? क्या वह उसकी विशेषता को महत्व देती है? क्या यह भाईचारे को मानती है? यह कहना कठिन है कि भारत में कभी भी एक ढंग की हिंदू समाज व्यवस्था रही है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित चेतना के प्रेरक स्रोत बनकर उभरे। वे देश में 4000 जातियां होने का उल्लेख करते हैं इनमें से अधिकांश वंचित जातियां हैं। इनमें परस्पर सूक्ष्म भिन्नताएं हैं। उनके रीति रिवाज, अनुष्ठान, मूल्य, मान्यताए अलग है। दलित सुधार के प्रवर्तक डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलित जातियां वे है – इनमें निम्न श्रेणी के कारीगर, धोबी, मोची, बसर और अन्य सेवक जातियां जैसे चमार, डांगरी, सदरी,

ढोला आदि आते हैं इन जातियों को लंबे काल तक ऐसे ही मानसिकता के सहारे जीना पड़ा कि वे ईश्वर की ही निर्मित है। उन्हें कभी एहसास तक नहीं होने दिया यह भेद समाप्त किया जा सकता है। इसी कारण दलित जातियां बांटी गई और शोषण तथा अत्याचार से उनका सहकार होता रहा। धीरे–धीरे यह सरकार अन्य जातियों के समाजों में विमर्श की स्थिति प्राप्त करने लगी। तभी हम देखते हैं कि आज दलित चिंतन एक नया आयाम बनकर सामने आया है। अंबेडकर के दलित सुधार आंदोलन का व्यापक प्रभाव उसे समय के रचनाकारों पर पड़ा अंबेडकर जैसे नेता नायकों के आंदोलन से एक अच्छी शुरुआत हो गई कि दलित नेता अपने आप दलित विमर्श का स्थान पाने लगा। डॉ. अंबेडकर ने प्रतिरोध और विद्रोह के जो बीज बोये उनके अंकुरण का समय भी आ गया।

सन्दर्भ :–

१. दलित चेतना : डॉ. आंबेडकर : मधुमती : अप्रैल– मई, २०१०/०६

२. दलित चेतना : डॉ. आंबेडकर : मधुमती : अप्रैल– मई, २०१०/२४

३. दलित चेतना : डॉ. आंबेडकर : मधुमती : अप्रैल– मई, २०१०/३०

दूरभाष –8806919900

Email- varsha.sahadev@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 354-358

परिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों की महत्वपूर्णता:

भंते दीप रतन
रिसर्च स्कॉलर, बौद्ध अध्ययन विभाग, एम.सी.यू यूनिवर्सिटी नखोरचचसीमा कैंपस, थाईलैंड।

प्रस्तावना :

आज, 6 दिसंबर, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, जो पूरे विश्व में समर्पित आयोजनों और अभिवादनों के साथ मनाया जाता है। उस दिन को समर्पित करते हुए, हम उनके विचारों की प्रासंगिकता पर विचार करेंगे।

बाबासाहेब आंबेडकर जी का जीवन संघर्ष :-

उनका जीवन एक महान संघर्ष का परिचायक है, जो मानव अधिकार और समाज में न्याय के प्रति समर्पित है। उन्होंने उच्च विद्या की प्राप्ति के बावजूद भी जातिवाद, असमानता और अत्याचार के खिलाफ अपना समर्पण बनाए रखा। उनका संघर्ष आज भी हमें एक न्यायप्रिय, समृद्ध और समृद्धि योग्य समाज की दिशा में मार्गदर्शन करता है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर, जिन्हें बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय समाज के उत्थान और न्याय के प्रति अपने संघर्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें उनके जीवन संघर्ष की कुछ मुख्य बातें हैं:–

जन्म और शिक्षा :-

1. डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के महू (जो अब ड्र. आंबेडकर नगर कहलाता है) में हुआ। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जिसमें उन्होंने जीवनभर के लिए सामाजिक असमानता का महसूस किया।

2. **शिक्षा में संघर्ष :** बाबासाहेब ने अपनी शिक्षा के लिए बड़ी मेहनत की। उन्होंने नानाल की उपशाला, स्वार्गती नानाल, और कोल्हापुर के राजकीय शिक्षा संस्थान में अध्ययन किया। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक न्यायालय में स्थान बनाने के लिए संघर्ष किया।

3. **परिवर्तनकारी सोच :** बाबासाहेब ने समाज में परिवर्तन करने के लिए विशेषकर दलितों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रतिबद्ध होते हुए, अनेक उपायों का समर्थन किया। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता की बातें की और अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।

4. **संविधान निर्माण :** बाबासाहेब अ0ांबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय समाज को भारतीय

संविधान देना है। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान की रचना की और यह बनाने का कार्य 26 जनवरी 1950 को पूर्ण हुआ, जब भारत गणराज्य की स्थापना हुई।

5. **बौद्ध धम्म का स्वीकार :** बाबासाहेब ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें उन्होंने अपनी संघर्षशील जीवनशैली के लिए प्रेरित किया।

बाबासाहेब आंबेडकर के जीवन संघर्ष ने भारतीय समाज को जागरूक किया और उनकी सोच ने समाज में समानता, न्याय, और विकास के लिए मार्गदर्शन किया।

शिक्षा का महत्व :-

बाबासाहेब आंबेडकर जी ने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना और उसे जनसामान्य के बीच फैलाने के लिए समर्थन किया। उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को सुधारने का मार्गदर्शन किया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को शिक्षित बनाने के महत्व को पहचानने वाले एक महान विचारक थे। उनकी दृष्टि में, शिक्षा का महत्व सिर्फ व्यक्ति के विकास में ही नहीं, बल्कि समाज के समृद्धि और सामाजिक समानता में भी है।

उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार :-

1. **समाज में समानता का माध्यम :** आंबेडकर ने शिक्षा को एक माध्यम के रूप में देखा जिससे समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता संभव हो सके। उनका कहना था कि शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सकता है और उनका समर्थन कर सकता है।

2. **ब्राह्मणवाद और असमाजिकता का खंडन :** आंबेडकर ने शिक्षा को ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली औजार के रूप में देखा। उनका उत्कृष्ट विद्वत्ता के कारण वह आपसी समाज में विशेषाधिकारों के खिलाफ थे और उन्होंने उन्हें समाप्त करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना।

3. **व्यक्ति के स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता :** आंबेडकर ने शिक्षा को व्यक्ति की स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति समाज में अपनी जगह बना सकता है और उसके पास स्वतंत्रता होती है अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए।

4. **न्याय और समरसता :** उनके अनुसार, शिक्षा समाज में न्याय और समरसता की भावना को बढ़ावा देती है। शिक्षित व्यक्ति समाज में उच्चतम आदर्शों की प्रेरणा बन सकता है और उसका समाज के साथ सहमतिता बना रहता है।

इन तत्वों से साबित होता है कि आंबेडकर शिक्षा को व्यक्ति और समाज के उत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनका उद्देश्य था कि समाज को बनाए रखने के लिए लोगों को शिक्षित बनाना अति आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और सामाजिक समानता में योगदान दे सकें।

शिक्षा में समानता :-

आंबेडकर जी के विचारों में शिक्षा का सिद्धांत समानता पर आधारित था। उन्होंने शिक्षा को एक समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का साधन माना।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए अपने विचारों में महत्वपूर्ण रूप से

समाज में समानता की भावना को प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार :–

1. **शिक्षा का सर्वसमान हक :** आंबेडकर ने समाज में सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा का समान हक प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, धर्म या वर्ग का हो। उनका मानना था कि यदि समाज में समानता बनाये रखना है, तो शिक्षा में समानता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

2. **शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव :** उनका मूल मंत्र था कि शिक्षा समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता का माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति को उच्चतम आदर्शों की ओर प्रवृत्ति करने की प्रेरणा प्रदान कर सकती है और इससे समाज में परिवर्तन हो सकता है।

3. **समाज में व्यापक समानता की अवधारणा :** आंबेडकर जी ने शिक्षा को विद्यार्थियों के बीच सामाजिक समानता की भावना को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनका उत्कृष्ट विद्वत्ता के कारण वह सामाजिक और आर्थिक समानता के पक्षधर बने रहे हैं।

4. **शिक्षा के माध्यम से उत्थानशीलता :** उनका यह मानना था कि शिक्षा से व्यक्ति अपने पोतेंशियल को पूरी तरह से विकसित कर सकता है, जिससे उसका व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान हो सकता है।

इस प्रकार, डॉ. आंबेडकर ने शिक्षा में समानता के महत्व को गहराई से समझा और इसे समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा।

समाज में परिवर्तन :–

आंबेडकर जी का संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज की रचना करना– जो समृद्धि, न्याय, और समानता के आधार पर टिका हो। उन्होंने समाज में बदलाव के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना और अपने अनुयायियों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने समाज में परिवर्तन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपने योजनाओं और मुद्दों के माध्यम से महत्वपूर्ण योजनाएं बनाईं थीं। **उनके विचारों के कुछ मुख्य पहलुओं में शामिल हैं :**

1. **सामाजिक समानता की बढ़ती हुई मांग :** आंबेडकर ने सामाजिक समानता की मांग की और विभिन्न समुदायों के लोगों को एकसाथ रहने और एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा दी।

2. **सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए आरक्षण :** उन्होंने भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान करवाया, जिससे वर्गवाद और जातिवाद के खिलाफ होने वाले सामाजिक परिवर्तन को पुनर्विचारित किया गया।

3. **शिक्षा का अधिकार :** आंबेडकर ने सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति के लिए उत्साहित किया और इसके माध्यम से समाज में समानता की भावना को मजबूत करने का सुझाव दिया।

4. **धर्मनिरपेक्षता :** उन्होंने समाज में धार्मिक बहिष्कार के खिलाफ खड़ा होने की मांग की और धार्मिक समानता की बांधा को हटाने के लिए प्रयास किया।

5. **उत्थानशीलता की प्रोत्साहना :** आंबेडकर ने अस्पष्टता, असहिष्णुता, और अपनी आत्म–हिंसा के खिलाफ खड़ा होने की मांग की और उत्थानशीलता की प्रोत्साहना की।

6. **निर्विवाद विवाद :** आंबेडकर ने समाज में विवाद और निर्विवाद की भावना को प्रोत्साहित किया और यह मान्यता प्राप्त करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहमति बनाए रखने की आवश्यकता को बताया।

आंबेडकर के विचारों के प्रभाव से भारतीय समाज में कई सामाजिक परिवर्तन हुए हैं और उनके योजनाओं ने

समाज में समानता और न्याय की दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं।

आज हम जानेंगे कि उनका योगदान पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं पूरे विश्व की मनुष्य जाति के विकास के लिए किस प्रकार से रहा है। उनका जीवन संघर्ष हमें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। उनके जीवन की निष्ठा उनके जीवन के सारे पलों को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि वह मनुष्य जाति के उत्कर्ष के लिए इंसानियत की भावना को बढ़ाने के लिए मनुष्यता का विकास करने के लिए अन्य और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए ही उनका जीवन समर्पित रहा है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए खास तौर पर उन्होंने शिक्षा के लिए केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा शेरनी का दूध है। इसे जो प्रश्न करेगा वह दहाड़ देगा इस प्रकार की बुलंद विचारधारा उन्होंने हमारे सामने रखी और इसी को आधार मानकर आज हर युवा आगे बढ़ रहा है। अपने सपनों को साकार कर रहा है यह चिंगारी यह बीच यह ज्ञान का दिया बाबा साहब अंबेडकर जी के इन विचारों में हमें दिखाई देता है। उनका शिक्षा अभिषेक धोरण हमें सोने के लिए मजबूर करता है वह चाहते थे इस देश का हर एक युवक युवती पढ़ी लिखी हो आगे बड़े तरक्की करें अपने पैरों पर खड़े हो जाए और देश का एक सच्चा नागरिक बनकर अपने जीवन की नई आंखों पर करें शिक्षा एक ऐसी माध्यम है। जिसके द्वारा पूरा समाज पूरा राष्ट्र विकसित हो सकता है। अज्ञान अंधकार को मतकर ज्ञान का दीप जलाने के पश्चात मनुष्य जो है वह आगे बढ़ता है। इस शिक्षा की जरूरत को उन्होंने महसूस किया शिक्षा की आवश्यकता को उन्होंने समझा और पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी के द्वारा उन्होंने शिक्षा के द्वारा सारे लोगों के लिए खुले कर दिए उन्होंने देखा था कि शिक्षा प्राप्त करना कितना आवश्यक है। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के पश्चात उन्होंने शिक्षा का महत्व समझ लिया था और इसलिए वह चाहते थे आने वाले सदियों तक कोई कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे आता है तो उसे वह अधिकार मिलना चाहिए चाहे किसी भी जाति धर्म पेंट का व्यक्ति क्यों ना हो वह शिक्षा से वंचित न हो पाए। शिक्षा लेने के बाद ही व्यक्ति संस्कारित हो सकता है उसकी जीवन का एक आधार बन सकता है। जीवन की सच्चाई उसे समझ में आ सकती है इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है।

आज के दौर में बाबा साहब के विचार हमें प्रासंगिक इसलिए लगते हैं कि वह अध्ययन चिंतन मनन के द्वारा छात्रों के मन में चिंगारी पैदा करते हैं। 18–18 घंटे की पढ़ाई करना और किताबों में ही व्यस्त रहना यह हमें बहुत कुछ सीखाता है। अपना राजगृह नमक मकान किताबों के लिए बनवाना उसमें किताबें रखना यह हमारे लिए सोचने लायक है। हम बाबा साहब अंबेडकर जी से यही सीख सकते हैं कि हमें भी ज्ञान की पूजा करनी चाहिए ज्ञान के मंदिर में बैठना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए पुरुषार्थ करना चाहिए हर मुसीबत का सामना करने के बाद अपनी मंजिल प्राप्त हो सकती है। वह केवल ज्ञान के बल पर इसे बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाना था। इसलिए वे अध्ययन चिंतन मनन को इतना महत्वपूर्ण मानते थे अपने अनुयायियों को उन्होंने यही संदेश दिया की जीवन में आगे बढ़ाना है तो शिक्षा के बगैर हमें और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शिक्षा लेना परम आवश्यक है शिक्षा के द्वारा आदमी अपने जीवन के आनंद के पल को आरंभ कर देता है। शिक्षा के द्वारा ही वह जीवन के इस महान आरंभ को आगे ले जा सकता है। जीवन की इस नए को पार कर सकता है अगर आज्ञा की खाई में व्यक्ति डूब जाता है तो उसे कोई बाहर निकलने वाला नहीं है लेकिन ज्ञान की खाई में अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है तो वह चलांग लगाकर आगे बढ़ता है। यही तो भाव बाबा साहब

अंबेडकर जी ने हमें दिया है उनके जीवन से हमें यही सीखना चाहिए हर युवक हर युति को यही संदेश है 'पढ़ो संगठित बनो और संघर्ष करो' यह नारा जो है हमें बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ महत्वपूर्ण संदेश देता है हमें पढ़ना चाहिए पढ़ना आवश्यक है साथ ही साथ संगठित भी होना बहुत ही आवश्यक है जहां अन्याय होता है अत्याचार होता है उसके खिलाफ संघर्ष करना भी उतना ही आवश्यक है साथ ही साथ संगठित होकर उसके अन्याय अत्याचार का मुकाबला करना है और वह है संघर्ष करना संघर्ष करना बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों का एक महत्वपूर्ण अंग है। संघर्ष के बगैर हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है अगर छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक मां उसे दूध नहीं पिलाती। इसलिए हमें संघर्ष करना चाहिए रोना नहीं है दुखी बने रहना नहीं है निराश होना नहीं है। संघर्ष के द्वारा अपने लड़ाई खुद लड़नी है खुद संघर्ष करना है आजादी प्राप्त करने के लिए आदमी जिस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर देता है ठीक उसी प्रकार मनुष्य जाति के उत्कर्ष के लिए भी हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। अपने भाई को अपने परिवार को अपने देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षित बनने के बाद ही आदमी अपने जीवन के हर सपनों को साकार कर सकता है जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार फैल जाएगा। इस बात को बाबा साहब अंबेडकर जी ने खूब जाना था और इसीलिए अपने अनुयायियों को उन्होंने यह संदेश दिया है कि आज हम जो प्रगति देख रहे हैं।

आज हम जो माहौल देख रहे हैं केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के महान त्याग से उनकी प्रेरणा से यह सारा माहौल बदल चुका है। हमें इसे ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है जब हम देखेंगे समझेंगे आगे बढ़ेंगे तो जीवन बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, विकास हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है आज 6 दिसंबर को बाबा साहब को अभिवादन करते समय हमें उनके विचारों की पूजा करनी है। उनके विचारों को आगे ले जाना है उनके सपनों को साकार करना है। भारत का नवनिर्माण करना है। भारत की जनता को भाईचारा का रिश्ता आगे ले जाना है। लोकतंत्र को मजबूत करना है। भारतीय संविधान जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें दिया है तो इसकी हिफाजत करनी चाहिए भारतीय संविधान की रक्षा करनी चाहिए उसे संविधान की मूल्य की रक्षा करनी चाहिए। संविधान जब तक रहेगा तब तक बाबा साहब अंबेडकर जी का जीवन संघर्ष हमें याद रहेगा संविधान है तो बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार है। उनके विचारों से ही यह पूरा देश आगे बढ़ रहा है। इसे हर किसी को नहीं भूलना चाहिए आज केवल पूजा पाठ करना प्रतिमा को अगरबत्ती लगाना मोमबत्ती लगाना यहां तक हमें सीमित नहीं रहना है। उसकी भी आगे जाकर उनके विचारों की पूजा हमें करनी है। उनके विचारों को अमल में लाना बहुत ही आवश्यक है उनके विचारों को जीवन में उतरना बहुत ही आवश्यक है तभी जाकर यह बदलाव यह क्रांति यह जीवन का संघर्ष हमें बहुत कुछ आनंद देगा सुख शांति देगा। आज के इस परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष में मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को कोटि–कोटि नमन करता हूं।

समापन : आज, जब हम परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि बाबासाहेब आंबेडकर जी के विचार समाज को सशक्त बनाने की दिशा में हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी शिक्षा, समाज में समानता की भावनाऔर समृद्धि के लिए उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है।

bhantedeepratan@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 359-364

भारतीय समाज व्यवस्था और दलित जीवन

प्रा. सौ. मानसी संभाजी शिरगांवकर
हिंदी विभागाध्यक्षा, कन्या महाविद्यालय, मिरज।

भारतीय समाज व्यवस्था में दलित जीवन :

साहित्य मनुष्य के वर्तमान को चित्रित करता हुआ उसके भविष्य का निर्माण भी करता है। साहित्य ही समाज में सकारात्मक सोंच की नींव डालता है और जीवन में संघर्ष की प्रेरणा देता है।

दलित समाज सबसे अधिक उपेक्षित वर्ग रहा है। इस पर हम विचार करके देखें तो वेदों की ओर हमारा ध्यान जाता है। यहाँ वर्ण व्यवस्था गण–कर्म एवं सभाव के अनुरुप थी जो भारतीय समाज की दृढ़ आधारशिला थी। कालान्तर में गुण और कर्म की कसौटी के तिरोहित हो जाने पर वर्ण–निर्धारण का एक मात्र आधार जन्म मान लिया उसी समय से वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को जन्म दे दिया। परिणामतरू ब्राह्मण स्वयं को पूजनीय, क्षत्रिय शक्तिशाली और वैश्य सम्पन्न समझने लगे और शुद्र तीनों वर्णों द्वारा उपेक्षित हो गए। यही से शुद्रों की दुर्भाग्य की यात्रा शुरु होती गई।

भारत को विभिन्नता में एकता का प्रतिनिधी माना जाता है। भारत की यह विभिन्नता भौगोलिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी परिलक्षित होती है। वस्तुतः भारत की सामाजिक विभिन्नता विभिन्न जातियों के मध्य का अन्त कम और एक समाज के भीतर की असमानता अधिक है। इस असमानता का कारण विशेषतः हिन्दू परम्पराओं में व्याप्त सदियों पुरानी प्रथा रही है।

डॉ. राजबली पाण्डेय लिखते हैं किी –

'भारतीय मान्यता के अनुसार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन ही गुणों की सत्ता है, धर्म शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के स्वभाव में जिस गुण की प्रधानता होगी, वही उस विशिष्ट वर्ण को प्राप्त कर सकता है। सत्व (प्रकाश), रजस (शक्ति) तथा तमस (जड़ता) का वाचक है।'

इसलिए कहा जा सकता है कि 'ज्ञानतत्व गुण का राग–द्वेष रजोगुण' का तथा अज्ञान तमोगुण का परिचायक है आत्मा का निर्मल पक्ष जो कि प्रेम युक्त, प्रशांत तथा ज्योति स्वरुप है। वह सत्वगुण है। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार के गुणों की प्रधानता होगी वह ब्राह्मण की श्रेणी में माने जायेंगे। फल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना, धैर्य रहित होना तथा यशस्वी होने की अभिलाषा, वीरता, शासनक्षमता तथा अन्य वीरोचित गुण रजोगुण को लक्षित करते हैं क्षत्रियों में इन गुणों की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है यही कारण है कि क्षत्रिय को लोक रक्षा, शासन, व्यवस्था तथा शौर्य के कामों का निर्वहन करना पड़ता है, तमोगुण मिश्रित रजोगुणों को धारण करने वाले वैश्य कहलाते हैं। इनमें शूरता तथा प्रशासनिक क्षमता कें अतिरिक्त धन सम्पत्ति, कृषि, वाणिज्य तथा व्यवसाय में भी

रूचि होती है। इस प्रकार के गुणों से समन्वित व्यक्ति वैश्य कहलाते हैं। केवल तमोगुण से युक्त शारिरीक श्रम की योग्यता रखने वाले को शूद्र कहा गया।'

रामायण, महाभारत, पुराण सूत्र–साहित्य, स्मृति–शास्त्रों उपनिषद आदि ग्रंथो में गुण और वर्ण को आधार माना है। साथ ही गुण और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में वर्ण परिवर्तन की भी व्यवस्था थी। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं कि अनेक हीन आचरन करने वालों को भी उच्च श्रेणी में होने पर भी हीन अवस्था की ओर जाना पड़ा । और धर्म का आचरन करने वाले नीच वर्ण में जन्मा आदमी उच्च वर्ण को पहुँचा है।

गीता में श्रीकृष्ण ने कहा भी है कि – 'चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागकशः।'

भारतीय संस्कृति की चातुवर्णय–व्यवस्था की, अपनी एक विशेषता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इन चारों वर्णों पर आधारित यह व्यवस्था ऋग्वेदकाल से लेकर आज तक किसी न किसी रुप में विद्यमान है। आज का दलित और उस जमाने का शुद्र में विशेष समानता दिखाई देती है। परिणामतः उस युग का समाज उसकी व्यवस्था के संदर्भ में शूद्र या दलित की स्थिती क्या है वह कहाँ है यह देखना अनिवार्य है।

आज हिन्दु संस्कृति जिस आधार पर खड़ी है उसका मुख्य आधार धार्मिक और प्राचीन ग्रंथ है। धर्म भारतीय जीवन का आधार स्तंभ है। ये सभी धार्मिक ग्रंथ समाज–व्यवस्था के अंग बन चुके हैं। यह संस्कृति के पाँच प्राण हैं। वेदों, श्रुतियों, स्मृतियों, पुराणों, में व्यक्त जीवन पद्धति चतुर्थ वर्ण के चार सोपानें पर टिकी हुई है। प्रथम यह विभाजन व्यवसाय पर निर्भर था और उसका जातिय श्रम से कोई संबंध नहीं था। धीरे–धीरे आगे चलकर सबसे निम्न कोटि में आने वाला चौथा वर्ण शुद्र पर सारा बोझ आ गया और तीनों वर्णों की सेवा करने वाला वर्ग दलित कहलाने लगा।

> ''ब्राह्मणस्थ तपों ज्ञानं क्षत्रस्य रक्षणम्।
> वैशस्य तु तपो वार्ता तपः शुद्रस्य सेवनमः।।''

अर्थात ब्राह्मण का ज्ञान ही तप है क्षत्रिय का रक्षा तप है वैश्य का व्यापार और ब्राह्मण सेवा यही शुद्र का तप है।

मनुष्य द्वारा प्रणीत इस सामाजिक सूत्र में शूद्र–अति शुद्र, कमजोर, शोषित और सबसे दबाया हुआ एक वर्ण है एक वर्ग है जिसका सामाजिक स्तर अन्य वर्णों या वर्गों के सामाजिक स्तर के समकक्ष ऊपर नहीं उठा। इसलिए इन्हे दलित की श्रेणी में रखने में कोई कठिनाई महसूस नहीं की गई।

महाभारत में ऐसे कई प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि जाति का निर्माण जन्म द्वारा न होकर कर्म के माध्यमे से निश्चित होता था। वेदव्यास, विदुर, कर्ण आदि शुद्र थे फिर भी उच्च कर्म के कारण वे महानता तक पहुँचे। वेद व्यास और विदुर शुद्र के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी वे महाप्राज्ञ, सर्वधर्मज्ञ, महात्मा जैसे विशेषणें से संबोधित किये गए।

वंश, वेदाचार्य आदि कुछ भी ब्राह्मणत्व का कारण नहीं है सिर्फ चरित्र की शुद्धता के द्वारा ही द्विजत्व प्राप्त होता है। जो सद्चरित, दयालु, अतिथिपरायण निरहंकारी गृहस्थ होता है वह निम्न जाति में जन्म लेने पर भी द्विजत्व लाभ प्राप्त कर सकता है और जो उच्च कुल में ही क्यों न जन्मा हो ब्राह्मण हो यदि वह चरित्रहीन सर्वभक्ष निन्दित कर्मी होता है वह ही शुद्रत्व को प्राप्त होता है।

रामधारी सिंह दिनकर कहते है –

'उँच–नींच का भेद न माने
वही श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाता है
दया–धर्म जिसमें हो
सबसे वही पूज्य प्राणी हैं।
क्षत्रिय वही, भरी हो जिसमें,
निर्भयता की आग
सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है
हो जिसमें तप–त्याग।'

इस प्रकार भारतीय समाज में वर्णव्यवस्था जन्म पर आश्रित होते हुए भी व्यक्ति के वंश को महत्व न देते हुए कर्म को महत्व दिया जाता था।

दलित शब्द की व्याख्या और उत्पत्ति :–

व्याख्या – हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में दलित शब्द को विशेष अर्थ प्राप्त हुआ। फिर भी विद्वानों में दलित शब्द के बारे में मतभेद है।

1. हरदेव बाहरी कहते हैं कि – 'दलित का अर्थ है कुचला हुआ दबाया हुआ। तो कहीं 'दलित' शब्द को इस रुप में भी दिया गया है – दल उक्त अर्थात टुटा हुआ, चीरा हुआ, फटा हुआ, टुकड़े–टुकडे हुआ।

विभिन्न हिन्दी शब्द कोश में दलित शब्द का अर्थ विनिष्ट किया हुआ है साथ ही।

1. मसला हुआ मर्दित।
2. दबाया रौंदा या कुचला हुआ।
3. खंडित।
4. विनिष्ट किया हुआ, इत्यादि।

हमारे देश में इस शब्द का प्रचलन कब और कैसे हुआ। यह जानना आवश्यक है। एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति करने वाला समाज दलित है। ऐसी घोषणा करने वाले कुछ चिंतक इस विवाद से हट जाते हैं। जिससे पाठक भ्रमित हो जाते हैं। सरकार ने 'डिप्रेस्ड क्लास' शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ 'पददलित' है। पददलित शब्द के लिए ही पर्यायवाची शब्द के रुप में प्रयुक्त किया जाता है। समाजवादी–विचार धारा के प्रादुर्भाव से नई सामाजिक दृष्टि का उदय हुआ। जिससे, जो वर्ग दबा हुआ, कुचला हुआ एवं शोषित है ऐसे वर्ग को महत्व प्राप्त हुआ और उस वर्ग को ही 'दलित वर्ग' के रुप में देखा जाने लगा। इस विशिष्ट प्रकार की सामाजिक स्थिति को हम वर्ग व्यवस्था अथवा जाति भेद और आर्थिक असमानता के संदर्भ में दख सकते हैं। क्योंकि शोषण सामाजिक या आर्थिक ही नहीं होता बल्कि इसके अनेक रुप हो सकते हैं। जिससे शोषितों का शोषण किया जाता रहा है। प्राचीन साहित्य में दलित शब्द के लिए शुद्र, अतिशुद्र, चांडाल, अत्यंज, अपृश्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अछूत शब्द का अर्थ स्पर्श करने में अपात्र होने के कारण, घृणास्पद हो गया। बाद में पंचम, हरिजन, बहिष्कृत जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ जिन्हें दलित शब्द के बदलते हुए रुपों के रुप में स्विकारा गया।

जातिय आधार और वर्ण :-

जातिय आधार और वर्ण और वर्गभेद शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 'भू' उच्चारण से ब्राह्मण 'भुव' से क्षत्रिय और 'स्व' उच्चारण से वैश्य की उत्पत्ति हुई है।

यहाँ शुद्र की उत्पत्ति का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद काल तक अस्पृश्यता का उदभव नहीं है।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री यू.एन. घोषाल कहे हैं कि 'ऋग्वेद से कौटिल्य तक दासों को अछूत नहीं माना गया था।'

तैतरिय ब्राह्मण श्लोक के अनुसार, 'ऋग्वेद से वैश्य, यजुर्वेद से क्षत्रिय और सामवेद से ब्राह्मण पैदा हुए। यहाँ भी शूद्र का उल्लेख नहीं है। प्रथम शुद्र का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सुक्त में है। जो वर्ण विभाजन का उल्लेख करता है। इसी में यह भी बताया गहा है कि यह पवित्र और दैनिक शक्ति और जुड़ गई जिसमें स्वयं भगवान यह दावा करते हैं कि उन्होंने योग्यता और कर्म के आधार पर चार वर्ण बनाये। कुछ समीक्षकों ने शास्त्रों के 'कर्म' की 'जन्म' के अनुसार 'भाग्य' के रुप में व्याख्या की है। जो वर्ण विभाजन से शुरु हुआ और शौषणवाले समाज विकास के समय जातिय व्यवस्था में बदल गया। यहाँ तक कि इसमें एक पाँचवा समूह, अति शुद्र अछूतों के रुप मे सामने आयाब वर्ण का अर्थ ऋग्वेद में रंग माना गया है। वर्ण से गोरे या काले रंग का बोध होता है। इसी से आर्य वर्ण और दास वर्ण का बोध होता है। यह आर्यवर्ण अथवा दास वर्ग केवल रंग में नहीं बल्कि पूजापाठ, आचार–विचार, शरीर आकृती एवं भाषा में भी भिन्न थे। उत्तर वैदिक काल में 'वर्ण' शब्द का अर्थ रंग की अपेक्षा जाति के अर्थ में सुनिश्चित रुप में मिलता है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में स्थिति, अधिकार कर्तव्यों और कर्मों की दृष्टि से वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र आदि चार भाग किए जाते हैं ..... इन चारों वर्णों में बहुत भिन्नता दिखाई देती है। वर्ण भेद के अनुसार व्यक्ति के आचार–व्यवहार में भी भिन्नता के विभिन्न प्रमाण प्राप्त होते है।

डॉ. गोविंद सदाशिव धूर्ये कहते हैं कि, 'वर्ण शब्द प्रयोग केवल आर्य वर्ण और दास वर्ण के अंतर के लिए प्रयुक्त हुआ है। चारों वर्णों में भी उल्लेखित सभी वर्णों का संबंध रंग से माना गया है जैसे ब्राह्मण–सफेद, क्षत्रिय –लाल, वैश्य–पीला और शुद्र कृष्णवर्ण।

दलित साहित्य - मानवता की मुक्ति के लिए सांस्कृतिक कर्म :-

मनुष्य सर्वप्रथम मनुष्य है यही सत्य है। मनुष्य की स्वतंत्रता शिवम है। मनुष्य की मनुष्यता ही सौंदर्य है। विश्व में मनुष्य जैसा सत्य और सुन्दर दूसरा कोई नहीं है।

दलित साहित्य, साहित्य लेखन का नवीन भाग है। इसके अन्तर्गत समाज के उन लोगों के हितों की वकालत की जाती है जो सदियों से शोषित, पीड़ित और उपेक्षित रहे हैं।

वस्तुतः दलित साहित मानवता की मुक्ति के लिए सांस्कृतिक कर्म है क्योंकि इसमें दलितों के कष्टों, समस्याओं, और दयनीयता के साथ उनकी पीड़ा, वेदना, टीस और कसक की अभिव्यक्ति भी है। किसी भी देश या समाज में किसी विशिष्ट समय में उत्पन्न व विकसीत साहित्यिक–सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ उस देश व समाज के विशिष्ट सामाजिक–राजनितिक गठन को प्रतिबिम्बित करने वाली होती है।

'दलित' शब्द की अर्थ छाया बहुत विस्तृत है, किन्तु भारतीय दलित साहित्य भारतीय समाज के वर्ण भेद व जाति–विभाजन की तीव्रता को अभिव्यक्त करने के संदर्भ में उत्पन्न व विकसित हुआ है।

प्रा. दत्ता काम्बले कहते हैं कि – 'इसका साध्य मानव मुक्ति ही है, सम्पूर्ण गुलामी से। विद्रोही वाणी द्वारा वह वर्ण–व्यवस्था पर निर्मम होकर प्रहार करते हुए अपने आत्म–सन्मान को खोजने का प्रयास कर रहा है।'

वस्तुतः दलित साहित्य को सातवें दशक में मान्यता प्राप्त हुई जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के प्रभाव में उठे व्यापक सामाजिक आन्दोलन से दलित साहित्य भी एक सांस्कृतिक आन्दोलन के रुप में उभरा। लेकिन मराठी दलित साहित्य केवल आधुनिक सामाजिक आन्दोलन के कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि मध्ययुग के मराठी संत साहित्य और इसके साथ ही सम्पूर्ण भारत में उभरे व्यक्ति आन्दोलन को भी दलित साहित्य ने अपनी परम्परा के अर्थ रुप में देखा है।

मराठी में नामदेव, चोखामेला, ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास, तुकाराम, एकनाथ आदि संत कवि आधुनिक मराठी दलित साहित्यकारों के लिए आदरणीय हैं। इसी प्रकार उत्तर भारत में संत कबीर, रविदास, मीराबाई, दयाबाई, सहजोबाई, सेन पीपा आदि हिंदी दलित साहित्य के लिए प्रेरणास्त्रोत रहे हैं। हिन्दी साहित्य के आदिकाल के अनेक नाथ और सिध्द कवियों ने दलित भावनाओं की अभिव्यक्ती अपने साहित्य द्वारा की है। इन सबसे भी ज्या महत्वपूर्ण नाम है, जिसने पूरे भारत की दलित साहित्य धारा को प्रज्वलित नाम है वे हैं भगवान गौतम बुद्ध। इसलिए कहा जा सकता है कि परम्परा के रुप में दलित साहित्य अपने जड़े गौतम बुद्ध के चिन्तन में खोजता है।

गौतम बुद्ध की प्रेरणा से अनुप्रमाणित होकर आधुनिक युग में डॉ. रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, साहुजी महारा और बाबासाहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे महान इतिहास पुरुषों ने दलित आन्दोलन को सम्पन्नता प्रदान की।

युगों–युगों शोषित, प्रताड़ित, कुत्सित, संस्कृति, साहित्यिक सरोकारों से वंचित मानस जब स्वयं को साहित्य से जोड़ता है तब दलित साहित्य अपनी निजता को पहचानने की अभिव्यक्ती बन जाता है।

निष्कर्ष :–

विश्व के परिवर्तनकामी मानवतावादी साहित्य की यह परम्परा साहित्य के केंद्र में मनुष्य रखती है। यह साहित्य मनुष्य पर अत्याचार एवं शोषण का विरोध करता है। दलित साहित्य समाज को मनुष्य के हित में बदलने का पक्षधर साहित्य है। एक नये मानवीय समाज के निर्माण का पक्षधर है। जिसमें रंग, वर्ण, जाति, लिंग भाषा या सामाजिक सत्ता के आधार पर मनुष्यों के बीच भेदभाव न हो। यह साहित्य शोषण पर आधारित व्यवस्था का विरोधी है और सच्ची मानवता, समानता पर आधारित व्यवस्था के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

संदर्भ :–

1. हिन्दू धर्म कोश – डॉ. राजबली पाण्डेय, पृ. 295
2. इक्कीसवीं सदी का दलित आन्दोलन – सम्पा वीरेंद्र सिं. यादव, पृ. 74
3. श्रीमद् भगवतगीता, पृ. 4 / 3
4. अछूत कौन और कैसे – डॉ. भीमराव अंबेडकर, पृ. 183
5. मनुस्मृति – पृ. 212
6. रश्मिरथी – रामधारी सिंह दिनकर, पृ. 17

7. इक्कीसवी सदी का दलित आन्दोलन – सम्पा. डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, पृ. 16
8. हिंन्दी और मराठी का दलित साहित्य – एक मुल्यांकन ले. डॉ. सुनीता साखरे, पृ. 15
9. हंस – फरवरी 2011 सम्पा. राजेंद्र यादव – पृ. 81
10. दलित साहित्य 2003 सम्पा. जयप्रकाश कर्दम – पृ. 39
11. दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ले ओमप्रकाश वाल्मीक – पृ. 61–62
12. दलित वार्षिकी – 2006 सम्पा. जयप्रकाश कर्दम – पृ. 47

मो. नं. 9561453319
ई–मेल mansishirgoankar@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 365-368

डॉ. आंबेडकर के दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद

निर्मल सुवासिया
शोधार्थी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर सही अर्थों में एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका लालन पालन कड़े अनुशासन के वातावरण मे होने कारण वे बहुत ही संयमी एवं अनुशासित व्यक्ति थे। चूंकि अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण जीवन मे न जाने कितनी बार धार्मिक रुढ़ियों एवं परम्पराओं का सामना करना पड़ा। जीवन के प्रारम्भ में जाति सूचक एवं अपमान जनक बातो के तीर से व्याकुल होकर सनातन हिन्दु धर्म से मोह भंग होने के कारण उन्होने बौद्ध धर्म अपना लिया।

डॉ० अम्बेडकर ने अपमानो एवं तिरस्कारों से विचलित हुए बिना अपने आप को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। अपने एवं अपने समाज के सम्मान के साथ–साथ राष्ट्र के सम्मान के प्रति हरदम सचेत रहे जिस कारण आज वो भारत रत्न के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। आज सारा देश डॉ० अम्बेडकर को शत् शत् नमन करता है और स्मरण करता है, लेकिन क्या ये उनकी परिपूर्णता है? शायद नहीं। आमतौर पर शोधरत् विद्यार्थी, शिक्षाविद एवं बुद्धिजीवियों ने और खासतौर पर दलितों ने उनके कद को एक दलित नेता तक सीमित कर दिया है कुछ प्रगतिशील बुद्धिजीवी हद से हद उन्हे भारतीय संविधान का मुख्य रचना कार मानते है इसमें भी उन्हे कुछ झिझक है। व्यक्ति, जाति, हिन्दू समाजिक ढाँचा, समाजिक न्याय, हिन्दू महिलाओं की समसस्याओं और भारतीय अल्प संख्यको को समझने में उनके योगदान के अलावा देश तथा राष्ट्र निर्माण के सम्बन्ध में उनके विचारो के गहनता से अध्यन की अवश्यकता है।

डॉ० अम्बेडकर हर एक स्थित को अपने देश की जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते और मुल्यांकन करते थे चाहे राजनीति का काम हों या समाज का डॉ० अम्बेडकर सदैव राष्ट्र परक रहे। उनका कोई भी कार्य कभी राष्ट्र हित के विरुद्ध नहीं रहा। उन्होने एक बार कहा था, 'अपनी विचारधारा के प्रति मेरी निष्ठा अन्तर्निहित है। अपना यह देश प्रचुर सम्भावनाओ वाला देश है जिसमें हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकतें है। परन्तु देश के महान कट्टर नेता इस महान राष्ट्र के निर्माण में अपनी सौ फीसदी महती भूमिका का निर्वाह करें। आगे आपने कहा कि 'मैं गांधी और जिन्ना दोनो को ही नापसंद करता हूँ, किन्तु मै उनसे घृणा नही करता, क्योंकि भारत को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ हर राष्ट्रवादी का यही सच्चा धर्म है। मैं आशा करता हूँ कि कोई दिन आयेगा कि जब मेरे मेरे देशवासी यह जानेगें कि देश लोगो से कही बड़ा होता है। अपने देश की सविधान सभा में 25 नवम्बर 1949 में भाषण देते हुए उन्होने कहा था, 'धर्मो और जातियों के रुप में हमारे पुराने शत्रु तो मौजूद थे ही अब उनके साथ जुड़ रहे है अनेक राजनीतिक दल जिनकी भिन्न–भिन्न विरोधी विचार धाराये होगी। क्या

भारतीय अपने देश को विचारधारा से बड़ा मानेगे या विचारधारा को ऊपर तरजीह देंगें? मुझे नहीं मालूम पर इतना तो पक्का है कि यदि राजनीतिक दलो ने अपनी विचारधारा को देश के ऊपर माना तो हमारी स्वतन्त्रता न केवल दुबारा खतरे में पड़ जायेगी बल्कि शायद हमेशा के लिए खो जायेगी। हमें सतर्क रहना है ताकि ऐसा कभी न हो पाये। अपने रक्त की आखिरी बूंद तक हमें अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।'

अम्बेडकर के राष्ट्रवाद का आधार :-

1. जातिवाद का अन्त -

एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक अपनी पुस्तक में डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, 'मैं निस्संशय यह कह सकता हूं कि समाज व्यवस्था को बदले बगैर प्रगति सम्भव नहीं है। इसे किये बगैर समाज रक्षा अथवा अभिक्रमण के लिये भी तैयार नहीं किया जा सकता। जाति प्रथा की नींव पर कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता। न तो राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और न ही नैतिकता का जाति प्रथा की नीव पर जो कुछ भी बनाया जायेगा। उसमें दरारें पड़ जायेंगी वह कभी भी पूरा नही हो पायेगा'।

2. परम्परागत धार्मिक मूल्यों का परित्याग -

डॉ० अम्बेडकर का मत था कि परम्परागत धार्मिक मूल्यों का परित्याग किया जाये, और नये विचारों को अपनाया जाये। उन्होंने संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में सभी के लिये सम्मान, एकता, स्वतन्त्रता, अधिकारों एवं नागरिक अधिकारों पर विशेष जोर दिया। डॉ० अम्बेडकर जीवन के हर क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक में लोकतन्त्र के पक्षधर थे। उनके अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ– ज्यादा से ज्यादा लोगो को अधिक से अधिक खुशिया मिलना था। उन्होने लोकतंत्र की अपनी अवधारणा में हर व्यक्ति की गरिमा को बहुत महत्व दिया है। हर एक व्यक्ति स्वयं में विलक्षण होता है।

3. सशक्त केन्द्रीय सरकार -

डॉ० अम्बेडकर केन्द्र को और अधिक शक्तियां प्रदान कर देश की एकता एवं अखण्डता के हित में उसे मजबूत देखना चाहते थे। उन्होनें जोर देकर कहा कि भारतीय समाज न केवल जाति तथा वर्गों में बंटा हुआ है बल्कि इसमें क्षेत्रीय, भाषायी, परम्परागत, संस्कृति और विचारों की भी विभिन्नतायें है। इसलिये प्रादेशिक एकता और प्रशासनिक अनुशासन के लिये एक प्रबल केन्द्र अत्यन्त आवश्यक है।

4. स्वतंत्रता और समानता के आदर्शो पर आधारित समाज -

डॉ० अम्बेडकर का राष्ट्रवाद दलितों और निर्धनों तथा देश–प्रेम के उद्धार के साथ प्रारम्भ हुआ था। उन्होनें उन्हें समानता और नागरिक अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष किया राष्ट्रीयता सम्बन्धी उनके विचार केवल गुलाम देशो की मुक्ति तक ही सीमिति नही है, वरन् वह प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता चाहते है। उनके अनुसार समता के बिना स्वतंत्रता अधूरा लोकतंत्र है।

डॉ. अम्बेडकर एक सच्चे देश भक्त एवं राष्ट्रवादी थे आप के दिमाग में हर वक्त भारत देश की उन्नति कैसे हो यही विचार कौंधते रहते थे लेकिन जाति प्रथा से परेशान रहते थे। उनके विचारों में नये भारत की कल्पना में भूत एवं वर्तमान का एक सुन्दर समन्वय मिलता है। उन्होंने भारत की बौद्ध संस्कृति की धरोहर को संभाला और संविधान की भूमिका में निहित मूल्यों की प्राप्ति पर बल दिया। आधुनिक प्रगति से लाभ उठाया जाना चाहिये जाना चाहिये। डॉ० साहब ने अतिवादी दृष्टिकोण को पसन्द नहीं किया। अतीत में जो मूल्य हीन है उसे

त्याग दिया जायें और जो आज प्रासंगिक है उसे ग्रहण किया जायें। वह चाहते थे कि जाति विहीन की स्थापना हो जिसमें कौमी एकता, राष्ट्रीय भावना वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सामाजिक समता तथा धार्मिक सहिष्णुता जैसे आदर्शो का अनुसरण किया जाये किसी के साथ छुआ छूत तथा ऊँच–नीच का व्यवहार न हो और सभी नागरिक निर्भय होकर शान्ति एवं सद्भावना पूर्ण जीवन यापन करें 'बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय' के बौद्ध सिद्धान्त को वह व्यवहारिक बनाना चाहते थे डॉ० अम्बेडकर की प्रत्येक रचना तथा भाषण में दीन हीन, दलित–पीड़ित लोगों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। डॉ० अम्बेडकर ने अपने मानववादी दर्शन में न केवल भारतीय दर्शन, विशेषकर बौद्ध धर्म एवं चिंतन को आधार बनाया अपितु पाश्चात्य विचार धारा को भी ध्यान में रखा। वह धर्म तथा दर्शन के रहस्यवादी पक्षों से दूर रहे और विज्ञान तथा धर्म के उन्हीं पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जिसमें मानव कल्याण सम्भव है।

5. लिंग भेद का अन्त एवं नारी अधिकारों का समर्थन –

डॉ० भीमराव अम्बेडकर हर हमेशा हर समय देश के दलित वर्ग एवं नारियों की परेशानियों के बारें में विचार किया करते थे। वे सारे विश्व नारियों से भारत की नारियों की तुलना करने की कोशिश भी किया करते थे। डॉ० साहब का विचार था कि भारत जैसे विशाल एवं विविधातापूर्ण देश में जहां अनेक धर्म भाषायें एवं परम्परायें हैं, जहां सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर पर अनेक भेद एवं रुढिवादितायें भी है समाज में जिन वर्गों का सदियों से शोषण हुआ है, जिनके आस्तित्व को ही नकारात्मक दृष्टि से देखा गया, जिनको सदा दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया। दुर्भाग्य से स्त्रियां भी उनमें से एक हैं। जिस दौर में संविधान की रचना हुई उसमें लिंग भेद वस्तुतः अन्याय माना ही नहीं जाता था। स्वयं स्त्रियां स्वीकार कर चुकी थी कि वें पुरुषों की तुलना में कमजोर, कम पढ़ी लिखी और कम बुद्धिमान हैं। डॉ अम्बेडकर ने महिलाओं को समाज रचना की एक बड़ी ताकत के रुप में पहचाना। उन्होने न सिर्फ कोशिश की बल्कि उसमें सफल भी हुये। अततः संविधान में किसी भी लिंग भेद को तिलांजलि दे दी गयी। स्त्रियो को उनके जन्म के साथ समाज में सम्मानजनक दर्जा दिलाने हेतु डॉ० अम्बेडकर ने स्वतन्त्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रुप में प्रचुर प्रयास किये। उन्होंने हिन्दू कोड बिल पर संसद और समाज में अपने व्याख्यान और आग उगलते लेखो द्वारा अपना दृष्टिकोण पूरी तार्किकता के साथ रखा नारी उद्वार की बात लोगो के गले उतारने के लिये स्वय अपने जीवन में भी अनेक परेशानियों का सामना करते हुये चुनौतियों से निपटारा किया। संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के जीवन्त प्रमाण हैं।

डॉ० अम्बेडकर हर समय देश की उन्नति का सपना देखते थे, परन्तु देश की उन्नति तभी हो सकती थी जब देश का नौजवान बेकार न हो सभी को रोजगार मुहैया हो, छुआछूत जैसी घृणित बीमारी न फैली हो तथा नारियो की सुरक्षा एवं संस्था के लिये देश का हर व्यक्ति हर वक्त हर जगह तैयार रहे।

नारी को माता का रूप बताते हुए डॉ० अम्बेडकर ने कहा पुरुष के पढ़ने पर पुरुष शिक्षित होगा, परन्तु एक नारी के शिक्षित होने पर वह स्वयं एवं अपने आने वाले बच्चों एवं परिवार को भी शिक्षित करती है। उन्होने कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूं कि इस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। नारियों को समाज में अपना विशेष योगदान देने के लिए अपना एक संगठन बनाने का भी आह्वान किया। समाज की राजनीति में अपनी सहभागिता के लिए भी डॉ० अम्बेडकर ने महिलाओं से कहा

'सामाजिक परेशानी एवं देवी आपदाओं से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहें। अपना संगठन बनाये और अपने अधिकारों की रक्षा करे एकत्रित होकर देश की समस्याओं को सुलझानें में सहयोग दें। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में स्त्रीवर्ग अधिक सहायता कर सकता है। किसी समाज की प्रगति स्त्री वर्ग की उन्नति से ही मापी जा सकती है।'

डॉ० अम्बेडकर के अनुसार देश की उन्नति एवं राष्ट्र की तरक्की के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है। समाज के हर प्राणी को राष्ट्रीय उन्नति के लिए प्रगतिशील होना बहुत जरूरी है। समाज में अनेक ऐसे माता पिता है जो अपने बच्चों की परवरिश एवं पढ़ाई–लिखाई का जरा भी ख्याल नहीं रखते। डॉ० अम्बेडकर ने समाज में पनपी उन बुराइयों की ओर भी इशारा किया जिससे परिवारिक विघटन, बाल अपराध एवं अशिक्षा आदि पनपते है और उन्होंने कहा 'माता–पिता का यह महान कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अपने से अधिक शिक्षित होने का अवसर दें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लड़की को जो विवाह करती है, अपने पति के साथ–साथ चलना चाहिए अपने को, अपने पति का मित्र तथा समान प्राणी समझना चाहिए, और अपने पति का कभी भी दास बनना स्वीकार नहीं करना चाहिए मुझे विश्वास है कि आप यदि इस सलाह को मानेंगी तो आप अपना आत्म सम्मान तथा गौरव बढ़ायेगी।'

इस प्रकार डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने समाज की सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित में सामाजिक महिलाओं के लिए विचार व्यक्त किये। डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने स्त्रियों पर घोर अत्याचार को होते हुए देखा था, जाति प्रथा पर हो रहे अत्याचार को तो वह स्वयं महसूस कर रहे थे। परन्तु महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से वह व्याकुल हो जाते थे। वे उस धर्म ग्रंथ को अच्छा नहीं मानते थे जो महिलाओं को अपमानित करने की कोशिश करता हो। वे अपने हर भाषण में नारियों की मुक्ति के लिए आवाज उठाते ही रहे और हमेशा अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलन्द करते रहे। एक बार भीमराव अम्बेडकर जी लुधियाना में थे वही पर स्त्रियों को संदेश देते हुए कहा था प्राचीन काल से ही स्त्रियों पर घोर अत्याचार होते चले आ रहे है। भारत में आदर्श समाज कायम करने के लिए मैं पूरे जोर से लड़ाई लड़ रहा हूं। हिन्दू अभी तक शास्त्रों के कानून को खुदाओं और देवताओं का बनाया हुआ कानून मानते हैं। वेद और शास्त्रों के कानून को नष्ट करना होगा, पढ़ी लिखी औरतों को हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठना चाहिए। उन धर्म ग्रन्थो के विरोध में आवाज बुलन्द करनी चाहिए जिसमें औरतों को जलील करने के आदेश दिये गये, संसार की कोई भी ताकत आपके अधिकारों को हड़प नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं भारतीय नारी जागृति हो, और संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे।

निःसदेह उनका कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है और जितना तब था। क्योकि बाद में टुकड़े करके और अनेक, परिवर्तनों के साथ जो हिन्दू कोड बिल पास हुआ वह अभी परम्परावाद, अन्धविश्वास, कानूनी अज्ञानता, परिवारिक दबावों आदि के कारण किताबों में ही बन्द पड़ा है। उसे क्रियान्वित करने के लिए और भारतीय नारी के जीवन में उत्कृष्ट परिवर्तन लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। डॉ० अम्बेडकर ने अपनी पत्नी श्रीमती सविता को 06.02.1948 को लिखे एक पत्र में कहा था कि मैं स्त्रियों की उन्नति एवं मुक्ति के लिए लड़ने वाला महान सेनानी रहा हूं और मैंने स्त्री के स्थान को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संघर्ष भी किया है, जिसका मुझे गर्व है। अपने उपर्युक्त आदर्शो से युक्त राष्ट्र के निर्माण की सम्भावना डॉ० साहब को बौद्ध धर्म में दिखायी दी। तदनुसार उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उनके प्रचार हेतु कार्य किया।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 369-372

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के तीन गुरू

Dr. Ratan Kumar
Hindi Department, Bangalore University, Jnana Bharathi campus, Bengaluru 560056

28 अक्टूबर 1954 को मुंबई के पुरंदरे स्टेडियम में 30 हजार लोगों की एक सभा को संबोधित करते हुए बाबासाहेब ने कहा था कि मेरे तीन गुरू हैं।

1) महात्मा गौत्तम बुद्ध।
2) संत कबीर।
3) महात्मा ज्योतिबा फुले।

मेरे पहले आदर्श हैं महात्मा गौत्तम बुद्ध। मेरी उम्र 10–12 साल थी, जब मेरे पिता जी कबीर पंत को मानते थे। मेरे पिता धर्म के चहेते और विद्या के भक्त थे। बचपन में ही उन्होंने रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ मुझसे रटवा लिए थे। इन सबसे मेरे जीवन पर गहरा असर तब हुआ मुझे बुध्द के चरित्र की एक पुस्तक पुरस्कार मे भेंट की गई। जिसे पढ़ने के बाद मुझमें एक अलग ही प्रकाश ने जन्म लिया। बुध्द के बारे में पढ़ने के बाद आज तक मेरे मन पर पकड़ बनी हुई है।

शील का आचरण करना याने एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना। एक दूसरे के प्रति करूणा का भाव लगाकर अपनी किसी भी कृति में दूसरों को उपद्रव न करना क्षति न पहुंचना। यदि इस संसार में हर एक व्यक्ति शील का आचरण करेंगे तो संसार से दुरूख नष्ट होगा लोग एक दूसरे पर अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे। एक दूसरे के साथ मैत्रि से व्यवहार करेंगे तो संसार में सुख ही सुख निर्माण होगा। बाबासाहेब कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया का कल्याण केवल बुद्ध धम्म ही कर पाऐगा।

महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाईयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वंय पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है।

बाबासाहेब अपना दूसरा गुरू कबीर को मानते थे। वे कहते थे कि मेरे पिता कबीरपंथी थे। इसलिए कबीर के जीवन और उनके सिद्धांतों का मुझ पर काफी गहरा असर डाला। हिन्दी में कबीर ग्रंथावली का पहला प्रकाशन बाबू श्यामसुन्दर दास के संपादन में 1930 में हुआ था। लेकिन ज्यादा सम्भावना है कि 1915 में लन्दन मैकमिलन से प्रकाशित किताब "हंड्रेड पोएम्स ऑफ कबीर" ने, जिसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर की सौ कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, बाबासाहेब के समक्ष एक दार्शनिक और तर्क करने वाले कबीर को प्रस्तुत किया

था। इस किताब के प्रकाशन के समय बाबासाहेब अमेरिका में थे, और 1916 में लन्दन में राजनीतिक विज्ञान के छात्र थे। वह नई किताबों के खोजी और गजब के पढ़ाकू थे। अतः कहना न होगा कि कबीर की कविताओं के इस संग्रह ने उन पर व्यापक प्रभाव डाला था।

लेकिन कबीर से प्रभावित होने का यही एक कारण नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यह था कि कबीर और उनके समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां समान थीं, और कबीर के व्यक्तित्व ने उनके नेतृत्व को नयी धार दी थी।

कबीर ने ब्राह्मण के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया था, जो उनके समय में पूरे जगत का गुरू बना हुआ था। (ब्राह्मण गुरू जगत का साधू का गुरू नाहीं, उरझि–पुरझि कर मरि रह्या, चारिउं वेदा माहीं, वही, पृ. 28) यह उस दौर की सबसे बड़ी क्रांति थी।

कबीर का निर्गुणवाद बाहर से भले ही ईश्वरवादी लगता है, पर भीतर से अपनी अर्थवत्ता में वह निरीश्वरवाद ही है। वह अकेला ऐसा ईश्वरवाद है, जो स्वर्ग–नर्क, आवागमन, परलोक, मुक्ति, पुनर्जन्मवाद, अवतारवाद, पूजा, तीर्थ, व्रत–उपवास और शास्त्रवाद का खंडन करता है। कौन सा ऐसा ईश्वरवाद है, जो खंडन करता हो? कबीर का निर्गुणवाद आदमी को भाग्य और शास्रों में विश्वास करने की शिक्षा नहीं देता है, बल्कि वह कहता है––

कौन मरे कौन जनमे भाई।
सरग नरक कौने गति पाई।
पंचतत अविगत थें उतपना, एकै किया निवासा
बिछुरे तत फिरि सहजि समाना, रेख रही नहीं आसा।
जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहरि भीतरि पानी।
फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना, यह तत कथो गियानी।
आदे गगना अन्ते गगना मधे गगना भाई।
कहे कबीर कर्म किस लागे, झूठी संक उपाई। (वही, पृ. 80)

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर को इस निर्गुणवाद ने बहुत प्रभावित किया था, यही विज्ञान उन्हें बुद्ध के दर्शन में मिला था। कालामों को दिए गए जिस उपदेश में बुध्द ने शासनवाद और व्यक्तिवाद का खंडन करते हुए अनुभूत ज्ञान पर जोर दिया था, उसे बाबासाहेब ने कबीर के इस पद में देखा था––

मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे,
मैं कहता हों आँखिन देखी,
तू कहता कागद की लेखी। (कबीर, पृ. 247)

इसमें 'कागद लेखी' में शास्रवाद और व्यक्तिवाद दोनों का खंडन है, और 'आँखिन देखी' में अनुभूत ज्ञान है। यह कबीर का वह पद है, जिसे बाबासाहेब ने अपने राजनीतिक नेतृत्व का आधार बनाया था, और जिसके बल पर गाँधी और कांग्रेस को दलितों की सामाजिक, आर्थिक हालात का आईना दिखाया था।

कबीर का तर्क था कि जब ईश्वर का कोई वर्ण नहीं है, तो वह मनुष्यों का वर्ण कैसे बना सकता है? कबीर ने बड़ी वैज्ञानिक बात कही थी – "नाति सरूप वर्ण नहीं जाकै, घटि–घटि रह्यौ समाई।" जो बात बुद्ध

ने कही थी, वही बात कबीर ने भी कही –

"एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम इक गूदा।
एक जोत से सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सूदा।।"

मेरी राय से कबीर को बुद्ध के दर्शन का असली मतलब समझ आया था।

बाबासाहेब अपना तीसरा गुरू ज्योतिबा फुसे को मानते थे। उन्होंने कहा था कि दर्जी, कुम्हार, नाई, कुर्मी, माली, मछुआरे को इंसानियत का पाठ उन्होंने ही पढ़ाया। बाबासाहेब ने अपनी किताब "शूद्र कौन थे?" महात्मा फुले को समर्पित की थी, जिसमें अन्होंने लिखा कि फूले ने हिन्दू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जाग्रत किया था।

जोतिराव ने वेदों को पवित्र मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मूर्तिपूजा का विरोध किया और चातुर्वण्य की निंदा की। 1891 में प्रकाशित उनकी पुस्तक सार्वजनिक धर्म पुस्तक में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर उनके विचार संवाद के रूप में दिये गये हैं। उनके अनुसार, पुरूष और महिला दोनों समान अधिकारों का आनंद लेने के हकदार थे और लिंग के आधार पर मनुष्यों के बीच भेदभाव करना पाप था। उन्होंने मनुष्य की एकता पर बल दिया और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित समाज की परिकल्पना की। वह जानते थे कि धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद मनुष्य की एकता को नष्ट कर देते हैं।

एक प्रसंग है जिसने ज्योतिबा फूले जी को इसके लिये प्रेरित किया। अपने एक ब्राह्मण मित्र कि शादी में जातिगत भेदभाव एवं वैमनस्यता के कारण वे बुरी तरह अपमानित हुए और उन्हें धक्के देकर शादी के मंडप से निकाल दिया गया। घर आकर उन्होंने अपने पिताजी से इसका कारण पूछा। पिताजी ने बताया कि सदियों से यही सामाजिक व्यवस्था है और हमे उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण भूदेव (धरती के देवता) हैय उँची जाति के लोग हैं और हम लोग नीची जाति के लोग हैं। अतः हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। फूले जी ने अपने पिताजी से बहस की और कहा, "मै उन ब्राह्मणो से ज्यादा साफ–सुथरा था, मेरे कपड़े अच्छे थे, ज्यादा पढ़ा–लिखा व होशियार हूँ। हम उनसे ज्यादा अमीर भी है फिर मैं उनसे नीच कैसे हो गया?" पिताजी नाराज होकर बोले,"ये मुझे नहीं पता परंतु यह सदियों से होता आ रहा हैं हमारे सभी धर्मग्रंथों एवं शास्रो में यही लिखा है और हमें भी यही मानना पड़ेगा क्योंकि यही परम्परा व परम सत्य है।" फूले जी सोचने लगे। धर्म तो जीवन का आधार है फिर भी धर्म को बताने वाली पुस्तकों धर्मग्रंथों शास्रो में ऐसा क्यों लिखा है? अगर सभी जीवों को भगवान ने बनाया है तो मनुष्य–मनुष्य मे विभेद क्यों हैं? कोई ऊँची जाति, कोई नीची जाति का कैसे है? अगर ये हमारे धर्मग्रंथों में लिखा है और जिसके कारण समाज में इतनी विषमता व छूआछूत हैं तो यह परम् सत्य कैसे हुआ? यह असत्य हैं। यदि यह असत्य हैं तो मुझे सत्य की खोज करनी पड़ेगी और समाज को बताना भी पड़ेगा। अतरू उन्होंने इस काम के लिए एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा "सत्यशोधक समाज।"

फुले ने 'जाति भेद विवेकानुसार' (1865) में लिखा कि 'धर्मग्रंथों में वर्णित विकृत जाति–भेद ने हिन्दुओं के दिमाग को सदियों से गुलाम बना रखा है, उन्हें इस पाश से मुक्त करने के अलावा कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता है।' बाबासाहेब अपनी चर्चित कृति जाति व्यवस्था का विनाश यानी 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' में ठीक इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जाति व्यवस्था के स्रोत–धर्मग्रंथों को नष्ट करने का आव्हान करते हैं। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने इन तीन गुरूजनों को नहीं देखा लेकिन उनके विचारों को आत्मसाथ कर समाज

मे एक नई क्रांति कर दी, समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का निर्माण किया। इन महापुरूषों का सामाजिक विकास कार्य, भगवान बुद्ध का स्थापित नीति का धर्म, संत कबीर का कबीर पंथ, और जोतिराव फुले का सत्यशोधक समाज यह एक ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। कबीर और जोतिराव फुले ने भी महात्मा बुद्ध के विचारों को अपनाया और अंहिसा के मार्ग पर चल कर समाज को जगाया। तो सभी भारतवासियों को जागना होगा, भारत के पावन पुण्य भुमि पर तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध के नीतिमता के आधार पर फिर से वही भारत, बुद्ध का भारत, बुद्ध के अंहिसा का भारत, निर्माण करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://samaybuddha.wordpress.com
2. https://nedricknews.com
3. https://hi.m.wikipedia.org
4. बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के पांच सपने : धम्ममित्र सुधाकर कि. गायकवाड़, पृष्ठ संख्या – 17
5. कबीर ग्रंथावली : श्याम सुन्दरदास, नगरी प्रचारिणी सभा, काशी, संस्करण सं. 2034
6. कबीर : हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण सं. 1993
7. कबीर समग्र खंण्ड–1 : प्रो. युगेश्वर, हिन्दी प्रचारक संस्थान वाराणसी, संस्करण सं. 1995

Phone No. 9844258371

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 373-377

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उच्च शिक्षण विषयक विचार

प्रा. डॉ. वसंत कोरे, प्राध्यापक – संशोधन मार्गदर्शक
धिरज भिमशा शाखापुरे, संशोधक विद्यार्थी पीएच.डी.
संगमेश्वर महाविद्यालय, सोलापूर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर।

प्रस्तावना :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे तत्कालीन परिस्थितीतील सर्वात जास्त शिक्षण घेतलेल्या उच्च शिक्षित असे महनीय व्यक्तिमत्वांपैकी एक होते। 'शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा' या संदेशातून त्यांनी शिक्षणाचे महत्त्व त्यांनी प्रतिपादित केले आहे। तत्कालीन समाजातील समाजसुधारक हे प्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष देत होते, पण डॉक्टर आंबेडकर हे प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी सतत प्रयत्नशील असल्याचे दिसतात। डॉ. आंबेडकर हे खऱ्या अर्थाने कृतीशील नेते होते, आपल्या कृतीतून त्यांनी दाखवून दिलेले आहे की, शिक्षण हेच माणसाच्या उद्धाराचे साधन आहे। देशातील कोट्यावधी लोकांच्या मागासलेपणाचे दारिद्र्याचे कारण हे अशिक्षितपणा आहे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ओळखले होते।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, उपासमारीमुळे शरीराचे पोषण कमी झाल्यास माणूस अल्पायुषी होऊन हतबल होतो। त्याचप्रमाणे शिक्षणाच्या अभावी तो निर्बुद्ध राहिल्यास जिवंतपणीच तो दुसऱ्याचा गुलाम बनतो। शिक्षण नसल्यामुळे जीवनाच्या शर्यतीत पुढे जाता येत नाही। त्यामुळे समाजाकडून गळचेपी, मानहानी व विटंबना होते, अशा निकृष्ट अवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी, अस्पृश्य जातीच्या उद्धारासाठी शिक्षण हेच खरे साधन आहे व त्यांना शिक्षण मिळवून देणे ही शासनसंस्थेची जबाबदारी आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशद करतात।

बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्यांच्या शिक्षणाबरोबरच स्त्रियांच्या शिक्षणाचा ही पुरस्कार करतात। स्त्रीयांना शिक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी अनेक प्रयत्न केल्याचे त्यांच्या कृतीतून दिसते। प्राथमिक शिक्षणामुळे माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होतो, त्याला अक्षर ओळख होते, पण उच्च शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्ती स्वतःबरोबरच समाज घडवण्याचे महत्त्वाचे काम करतो, त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकर उच्च शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून दर्जेदार उच्च शिक्षण सगळ्यांना मिळावे यासाठी आग्रही असल्याचे आपल्याला दिसते।

विद्यापीठीय शिक्षणाविषयी विचार :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिनांक १५ ऑगस्ट १९२४ रोजी विद्यापीठ पुनर्रचना समिती समोर मांडलेले विचार हे त्यांचे विद्यापीठ शिक्षणाविषयीचा दृष्टिकोन स्पष्ट करतात। सर चिमणलाल सेटलवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई विद्यापीठ सुधार समिती स्थापन झाली होती। या समितीने ५४ प्रश्नांची प्रश्नावली तयार करून देशातील ३२१ तज्ज्ञ व्यक्तींची मते जाणून घेण्यासाठी पाठविली होती। यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सुद्धा होते। डॉ.

आंबेडकरांनी समितीला विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत, पण काही निवडक प्रश्नांची उत्तरे दिली। या प्रश्नांच्या आधारे आपल्याला त्यांचे विद्यापीठीय शिक्षणा संबंधीचे विचार समजतात।

१. विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेत व धोरण निर्मितीमध्ये मागासवर्गीय व दलित यांची भागीदारी असावी विद्यापीठांच्या सिनेट मध्ये जोपर्यंत मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही तोपर्यंत संशोधन व उच्च शिक्षण या क्षेत्रात या वर्गाच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन होणार नाही।

२. विद्यापीठाचे कार्य हे फक्त परीक्षा घेणारी यंत्रणा असे नसावे तर शैक्षणिक कार्य करणारी एक व्यवस्था म्हणून विद्यापीठाने कार्य केले पाहिजे।

३. पदवी शिक्षण व पदव्युत्तर शिक्षण अशी विभागणी न करता दोन्हीही शिक्षणाची जबाबदारी विद्यापीठानेच घ्यावी।

४. खाजगी महाविद्यालयांवर विद्यापीठांचे नियंत्रण असावे आणि या महाविद्यालयांना विद्यापीठाच्या माध्यमातूनच अनुदान दिले जावे।

५. ग्रंथालय हे विद्यापीठातील एक महत्त्वाचे ज्ञानस्त्रोत विभाग आहे। कोणतेही विद्यापीठ हे ग्रंथालयात शिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही। ग्रंथालय हे अद्यावत असावे. ग्रंथालयाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक उत्तरदायित्व पार पाडावे।

६. विद्यापीठाने आपले शिक्षण हे समाजाभिमुख, विज्ञाननिष्ठ, पक्षपातविरहित ठेवावे। विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होईल, त्यांच्या बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतांमध्ये वाढ होईल अशा प्रकारच्या शिक्षण विद्यापीठात असावे।

७. भारतातील विद्यापीठे लंडन विद्यापीठाच्या धर्तीवर असावीत। त्या विद्यापीठामध्ये जशा प्रकारच्या सुविधा आहेत. तशा प्रकारच्या सुविधा पुणे, मुंबई व अहमदाबाद या विद्यापिठ्तील विद्यार्थ्यांना प्राप्त व्हाव्यात।

८. शिक्षकांच्या नियुक्तीवर विद्यापीठांचे नियंत्रण असावे।

विद्यापीठाच्या घटनेविषयीचे विचार :

१. विद्यापीठांमध्ये समाजाच्या विविध आणि बदलत्या गरजांचा सतत मागवा घेणारी स्वतंत्र यंत्रणा असावी।

२. विद्यापीठ सल्लागार मंडळ – विद्यापीठ समाज आणि विद्वान वर्ग यांच्यात सामंजस्य प्रस्थापित व्हावे यासाठी विद्यापीठात एक सल्लागार मंडळ असावे।

३. विद्यापीठात शिक्षकांना मार्गदर्शन व दिशा देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावे।

४. विद्यापीठात विविध विद्याशाखांची स्थापना करण्यात यावी।

५. शिक्षकांना विद्यापीठाच्या प्रशासकीय यंत्रणेत स्थान असावे।

६. प्रत्येक विद्याशाखेवर प्राध्यापक असावे, बाहेरच्या तज्ज्ञांना सभासद म्हणून घेता यावे।

७. कुलगुरू हे प्रत्येक विद्याशाखेचे पदसिद्ध सदस्य असावे।

८. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामध्ये सामंजस्याचे संबंध असावेत।

९. परीक्षेसोबतच विद्यार्थ्यांनी संशोधन केले पाहिजे। संशोधनासाठी प्रबंध लेखन व मौखिक परीक्षा घ्यावी।

१०. अभियांत्रिकी, कृषी, ललित कला, तंत्रज्ञान आणि संगीत या विषयांसाठी सुद्धा स्वतंत्र विद्याशाखा असावी।

११. विद्यार्थ्यांना पदवीच्या अभ्यासक्रमासाठी निबंध लिहिणे सक्तीचे असावे। त्यांचा आकार ७५ टंकमुद्रीत पानांचा असावा. तो प्रबंध प्रकाशन योग्य असला पाहिजे।

१२.	विद्यापीठाचे स्वतंत्र मुद्रणालय व प्रकाशन विभाग असावे।

दि. २७ जुलै १९२७ रोजी विधिमंडळात मुंबई विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयकावर दिलेल्या प्रदीर्घ आणि अभ्यासपूर्ण भाषणात ते म्हणतात, "वर्तमान पद्धतीत, महाविद्यालयांना शिस्त लावण्याची किंवा महाविद्यालयांनी विद्यापीठाचे नियम पाळावेत यासाठी विद्यापीठाकडे मान्यता रद्द करण्याच्या दंडात्मक अधिकाराशिवाय अन्य कोणताही अधिकार नाही। महोदय, महाविद्यालयांच्या कारभारात सुधारणा व्हावी, महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या सूचनांचे पालन करावे, यासाठी विद्यापीठाकडे मान्यता रद्द करणाऱ्या दंडात्मक अधिकाराशिवाय आणखी काही अधिकार विद्यापीठास मिळावेत, यासाठी मी हा दुरुस्ती ठराव मांडत आहे। म्हणून महोदय, मी असे सुचवू इच्छितो की, शासनाने विद्यापीठाला एक स्वतंत्र एकक म्हणून मान्यता दिली तर (आणि शासनाने ती द्यावी, असे माझे मत आहे.)

त्याचा परिणाम म्हणून विविध महाविद्यालयांना द्यावयाची अनुदाने विद्यापीठामार्फत वितरित होतील किंवा विद्यापीठाच्या संमतीने वितरित होतील। यामुळे विद्यापीठाला असा अधिकार मिळेल की, जो महाविद्यालयांना शिस्त लावण्यासाठी आवश्यक आणि उपयोगी ठरेल आणि असे होणे आवश्यक आहे। जी महाविद्यालये बेशिस्तीचे आणि नियमबाह्य वर्तन करतात, त्यांना शिस्त लावण्यासाठी, त्यांनी नियमानुसार आचरण करावे या हेतूच्या पूर्ततेसाठी विद्यापीठाला हा अधिकार असणे आवश्यक आहे।"

स्त्री शिक्षणाविषयक विचार :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्त्री शिक्षणाविषयाची तळमळ त्यांचे वडिलांचे मित्र सुभेदार शिवनाक जेमदार यांना ४ ऑगस्ट १९१३ रोजी कोलंबिया युनिव्हर्सिटी, न्यूयॉर्क अमेरिका येथून पाठवलेल्या पत्रातून दिसते। यात डॉ. आंबेडकर म्हणतात, आई–वडील आपल्या मुलाला जन्म देतात, कर्म देत नाही, असे त्यांचे म्हणणे ठीक नाही। आई–वडील मुलांच्या आयुष्याला वळण लावू शकतात। ही गोष्ट लोकांचे मनावर आपण बिंबवून जर मुलांच्या शिक्षणाबरोबर मुलींच्या शिक्षणासाठी धडपड केली तर, आपल्या समाजाची प्रगती झपाट्याने होईल। डॉ. आंबेडकर पुढे म्हणतात की दिन दलितांचे दैन्य, दारिर्द्य संपवणारा एकमेव मार्ग हा शिक्षण आहे। कार्यकर्त्यांनी शिक्षणाच्या प्रसारासाठी बाहेर पडले पाहिजे। त्यांनी या पत्रामध्ये शेक्सपियरच्या नाटकातील खालील वचन उद्धृत केलेले आहे।' प्रत्येक मनुष्याच्या आयुष्यात संधीची लाट येते, तेव्हा त्याचा योग्य प्रकारे उपयोग केला तर त्या मनुष्यास वैभव प्राप्त होते।

१९५४ मध्ये औरंगाबाद येथे स्थापन केलेल्या मिलिंद महाविद्यालय सुरु केले। या मुलींना वेळेवर पोहचता यावे, त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुलींसाठी स्वतंत्र बसची सुविधा केली होती।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्ता संदर्भात विचार :

डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांनी फक्त शिक्षण संस्था स्थापन केल्या नाहीत, तर त्यांची गुणवत्ता टिकवण्याकडेही विशेष लक्ष दिलेले आहे। एप्रिल १९४७ मध्ये सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्राध्यापकाचे संशोधन या विषयावर बोलत असताना म्हणतात, "प्राध्यापकांनी अध्ययनाच्या आणि अध्यापनाच्या कामात स्वतःला इतके वाहून घ्यावे की, आपल्या घराकडे बघायला मुळीच सवड असता कामा नये। प्राध्यापक लोकांनी भलती कामे अंगावर घेऊन जबाबदाऱ्यांचे स्तोम उगाच वाढत जावे, ही गोष्ट मला मान्य नाही। अध्यापन व अध्ययन यामध्ये

संशोधन ही आलेच। या तीन गोष्टींखेरीज प्राध्यापकांनी दुसरे काम करता कामा नये।"

औरंगाबाद येथे स्थापन केलेले मिलिंद महाविद्यालय हे तत्कालीन उस्मानिया विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येत होते, उस्मानिया विद्यापीठाच्या तत्कालीन कुलगुरूंनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मुंबईच्या घरी पत्र पाठवले, या पत्रामध्ये असे नमूद केले की 'आपण सुरू केलेल्या मिलिंद महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची विद्यापीठ परीक्षेतील कामगिरी सातत्याने घसरत आहे। गेली चार वर्षे हे सातत्याने चालू आहे। या संदर्भात आपण योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे। मी हि बाब आपणास या पत्रातून अवगत करत आहे। सदर पत्र मिळाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतः दोन आठवडे सुट्टी घेऊन औरंगाबाद येथे गेले। ते मिलिंद महाविद्यालयाच्या परिसरात राहिले व स्वतः वर्गात अध्ययन सुरू असताना वर्गांना भेटी देऊन मागील बाकावर बसून शिक्षक शिकवत असलेल्या पाठाचे निरीक्षण केले। या निरीक्षणानंतर मुंबईत आल्यानंतर काही आठवड्यातच मिलिंद महाविद्यालयातील सहा प्राध्यापकांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले। यावरून आपणास सांगता येईल की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेसाठी आग्रही होते।

विज्ञान व तंत्रशिक्षणाविषयीचे विचार :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, विद्यार्थ्यांनी पारंपारिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान व तंत्रज्ञानातील उच्च शिक्षण घेणे आवश्यक आहे। विज्ञान व तंत्रज्ञानातील शिक्षण हे रोजगार निर्मितीसाठी खूप महत्त्वाचे आहे। आंबेडकर हे काळाच्या सोबत चालणारे विचारवंत होते। विज्ञान व तंत्रज्ञानातील शिक्षण हे उपयोगी शिक्षण आहे। हे शिक्षण घेण्याची अनुसूचित जातीतील बहुतांश लोकांची आर्थिक स्थिती नाही. या कारणास्तव विज्ञान तंत्रज्ञान शाखातील उच्च शिक्षण घेता येत नाही। हे शिक्षण त्यांना घेता यावे यासाठी सरकारने अशा विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य करावे, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हे योग्य असे पाऊल ठरेल। भारतात विद्यापीठात किंवा विज्ञान व तंत्र शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना ते शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपानत सरकारने अनुदान द्यावे, याचबरोबर भारतात बाहेर इंग्लंड, युरोप व अमेरिका यासारख्या विद्यापीठातून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावेत।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केलेल्या शिक्षण संस्था व महाविद्यालय :

पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी– ८ जुलै, १९४५ रोजी या शैक्षणिक संस्थेची स्थापना केली।

या संस्थेच्यावतीने

१. सन १९४६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय।

२. सन १९५० मध्ये औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय।

३. सन १९५३ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय।

४. सन १९५६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय सर्व समाजांसाठी सुरू केले।

सध्या देशभरात या संस्थेची ३० पेक्षा जास्त महाविद्यालये आहेत।

निष्कर्ष :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजामध्ये अमुलाग्र अशी क्रांती घडवून आणलेली आहे. उच्च शिक्षणाच्या (विद्यापीठ) धोरणनिर्धारणामध्ये समाजातील सर्व घटकांचा समावेश असावा, यावर ते भर देतात। विद्यापीठामध्ये फक्त अध्ययनावर भर न देता संशोधन हि होणे गरजेचे आहे, असे ते आवर्जून मांडतात।

डॉ. आंबेडकर लोकशाहीची व्याख्या सांगताना म्हणतात, "लोकांच्या सामाजिक, राजकीय व आर्थिक जीवनामध्ये रक्ताचा एकही थेंब न सांडता, शांततामय मार्गाने अमुलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारा शासनप्रकार म्हणजे लोकशाही होय।" शिक्षण हे अशाच अर्थाने रक्ताचा एकही थेंब न सांडता लोकांच्या जीवनामध्ये उत्कर्ष निर्माण करताना दिसते। या उत्कर्षाबरोबरच मनुष्याची नैतिकता, चारित्र्य, करुणा यालाही डॉ. आंबेडकर महत्त्व देताना दिसतात। शिक्षण हे रोजगाराभिमुख असावे यावरही ते भर देतात। स्वातंत्र्य, समता, सामाजिक न्याय ही मुल्ये शिक्षणाच्या माध्यमातून पूर्ण होताना दिसतात। डॉक्टर आंबेडकर हे बोलघेवडे समाज सुधारक नसून कृतिशील अशा प्रकारचे नेते आहेत। त्यांनी आपल्या कृतीतून भारतामध्ये शिक्षणाच्या माध्यमातून अस्पृश्य, स्त्रिया व दिन दलित यांच्या जीवनामध्ये खूप मोठे परिवर्तन घडवून आणलेले आहे।

संदर्भ :

१. Dr. Babasaheb Ambedkar : Writing and Speeches, Volume-2

२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : भाषणे आणि विचार : संपा. डॉ. धनराज दहाट।

३. कीर धनंजय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पॉप्युलर प्रकाशन मुंबई, १ एप्रिल १९९६

४. बोल महामानवाचे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ५०० मर्मभेदी भाषणे (खंड दोन), अनुवाद व संपादन – डॉ. नरेंद्र जाधव, ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई (२५ ऑक्टोबर २०१२)

५. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ : महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, ३२ (२५ डिसेंबर १९९३)

६. अर्थबोध पत्रिका, पुणे, खंड १२, अंक ६ (सप्टेंबर २०१३)

Mobile No. ९०७५९२११००

Mobile No. ९७६७०५९७७०

Email Id: dhirajshakhapure@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 378-390

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರ ನಿಲುವು

ಡಾ.ಅನಿತ ಟಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು – 56

ಪೀಠಿಕೆ

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನೇತಾರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ, ದಲಿತಜನಾಂಗದ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತರಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಹಲವು ಮಹನೀಯರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಎನಿಸಿದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳಂಕವಾಗಿದ್ದ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶ ಹೃದಯಿ ಎಂದರೆ ಅವರೆ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು. ಇವರು 1891 ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಹೋ ಎಂಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ರಾಮ್‌ಜೀ ಮಾಲೋಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಭೀಮಬಾಯಿ ಯವರ 14 ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನನ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖೇಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರು ಮಹಾರ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಾವು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಉಂಡು ಜನತೆಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಬೇದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ 14 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರು ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ತಂದೆಯವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಭೀಮರಾವ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಲು ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನೀತಿ ಪಾಠ ನೆರವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ 1906 ರಲ್ಲಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಯವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. 1935 ರಲ್ಲಿ ರಮಾಬಾಯಿಯವರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ. 1948 ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸವಿತಾರವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ ಇವರು 2003ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭೀಮರಾವ್ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮರಾವ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯಾದ ಮೀರಾಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧ, ಸಂತ ಕಬೀರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆಯವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಕಭೀರರ ದೋಹೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಕಭೀರರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರಿಗೆ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಯಾವುದೆಂದು ತೋರಿಸಿದವು. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯೌವ್ವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿಧಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವನೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಲಾರ ಎಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಿಯವಾದವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳು ಅವುಗಳ ರಚನೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಅಪಾರವಾದ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದ್ದರು. ಬುದ್ಧ ಮಾರ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಹಿಂದು ಧರ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬುದ್ಧನ ಚಿಂತನೆಯ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳಾದ ನಶ್ವರತೆ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮಗಳನ್ನೆ ನಂಬಿದ್ದರು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಹು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವ ಅಪಾರ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆಯವರನ್ನು 'ಮಹಾತ್ಮ' ಎಂದು ಸಂಭೋದಿಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ, ಕುಂಬಾರ, ನಾವಿದ, ಕೋಳಿ, ಮಹಾರ್, ಮಂಗ್, ಮಾಲಿ, ಚಮ್ಮಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಫುಲೆಯವರನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತಕರೆಂದರೆ ಎಂ.ಜಿ. ರಾನಡೆ. ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಯಿತು. ಬುದ್ಧ, ಕಭೀರ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆ, ರಾನಡೆಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. 1940 ರಿಂದ 1946 ರರವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏಳು-ಬೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಖರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 1943 ರಲ್ಲಿ ರಾನಡೆ, ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಾ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ದಲಿತ-ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರ ಪರ ನಿಂತರು.

1946ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಯಾದ ಶೂದ್ರರು-ಯಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಈ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಾಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಮೂಲತಃ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ

ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಅದರ ನಿರೋಧದಿಂದ ಒದಗುವ ಶಾಂತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ಸಕಾರವಾಗಿದ್ದವು. ಮನಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೂದಿಯಂತೆ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬೂದಿ ಹಾರದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಸಂವಿದಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮೂಹದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ದೀರ್ಘವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಜರಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾನವತಾವಾದಿಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿನಾಶ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಂತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಫಲಗಳನ್ನು ದೀನದಲಿತರಿಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡಲು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ.

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವನ ದಮ್ಮ ಕೃತಿಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1957 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಯಿತು. 1956ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆಯಾಯಿತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾಯಿತೆಂದರೆ ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾ ದಲಿತರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವತ್ತಾ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು.

1930ರಲ್ಲಿ ಬಿ. ಶಾಮಸುಂದರ್ ರವರು 'ಭೀಮ ಸೇನಾ' ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ದಲಿತರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಹುರುಪು ನೀಡಿದರು.

ಜಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವ್ವೈ (ತಮಿಳು ಕವಯಿತ್ರಿ). ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳಿವೆ

ಬುದ್ಧರ ಪ್ರಕಾರ	ಅವ್ವೈರ ಪ್ರಕಾರ
1. ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ	1. ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳು
2. ಕೆಳಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ	2. ಕೆಳಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಿಪುಣರು

ಬುದ್ಧರ ಪ್ರಕಾರದ ಜಾತಿಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣರಾದವರು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ವೈರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು ದಾನ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವವರು ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಪುಣರು ಜಿಪುಣತನ ಮಾಡಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು.

1927 ರಲ್ಲಿ 'ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ್' ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಪಾಕ್ಷಿಕವೊಂದನ್ನು ಹೊರ ತಂದು ನಿಮ್ನವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ನೆಲ, ಜಲ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂತಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಿದೆ

ಎಂಬುಬದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಇದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳೆಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರೇ ಆದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳೇ ಆದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಸಿಗುವ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. " ಹಕ್ಕು – ಭಾದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗ ಫಲಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟರು.

1930ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 'ಮೂಕ ನಾಯಕ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಾಠಿ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವ ಮೂಲಕ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು. ಇದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸು ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ " ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಏಕೀರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜನರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇಕಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು".

1950 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 'ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್' ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಯುವ ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ' ದ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ವ್ಯೂಮೆನ್' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ಮುಂದೆ ಕೋಲಂಬೋನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ದಿನದಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನೀಡಿದ ' ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್' ಎಂಬ ಪ್ರವಚನ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಸಮಾನತೆ, ಅಹಿಂಸಾವಾದ ಮುಂತಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಸಹೃದಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1950 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪುಸ್ತಕ

ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪೂಜ್ಯ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.

1954 ರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದಂದು ರಂಗೂನಿನ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಛಿತ್ತರಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಸಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3ನೇ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಧರ್ಮದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ರಂಗೂನ್ ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು 1955 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 'ಭಾರತೀಯ ಬುದ್ಧ ಮಹಾ ಸಭಾ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಹಾಗೂ ಪುಣೆಯ ಬಳಿಯ ದೇಹೂ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು.

ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧನ ಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. 1955 ರ ಜುಲೈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೀಣಿಸತೊಡಗಿತು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ' ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸುವಾರ್ತೆ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರು.

1956 ಮೇ 1 ರಂದು ಲಂಡನ್ನಿನ ಬಿಬಿಸಿ ರೇಡಿಯೋಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ನಾನೇಕೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ? ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ' ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ತುಂಬು ಮಾನವತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಕರುಣೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಭೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಮಾನವನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.

1956 ಮೇ 24 ರಂದು ಬಾಂಬೆಯ ನಾರೆ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಸಮಾನತೆಯ ಬೀಡಾಗಿರುವ,

ದೇವರು– ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಪಿಡುಗಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡರಿಯದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೇರಲಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ 1956 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ನಾಗಪುರದ ಶ್ರದಾನಂದ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 14 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಿಂಗಾರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದು ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳ ಬೌದ್ಧ ಧ್ವಜ, ಶ್ವೇತಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅನೇಕರು ನೆರೆದಿದ್ದರು ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ದಾಖಲೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ " ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಆದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಬೇಧ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವ ವಾತಾವರಣ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ಕುಶನಾರದ ' **ಮಹಸ್ತ ವೀರ ಚಂದ್ರಮಣಿ**' ಯವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇತರೆ ಮೂವರು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಾಗಪುರದ ಆ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಬಿಳಿಕೋಟು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ರೇಷ್ಮೇ ಪಂಚೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಸವಿತಾರವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಏರಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯಬುದ್ಧನ ಕಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು **ಚಂದ್ರಮಣಿ ಬಿಕ್ಕು**ವಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ " ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪಂಚಶೀಲಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತಾಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1956 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು " ಇಂದು ಅಸಮಾನತೆಯ ಆಗರವಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಸೇರಿ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಜ್ಞಾನ, ಸನ್ಮಾರ್ಗ, ಅನುಕಂಪಗಳೆಂಬ 3 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.

1956 ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 4 ನೇ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ " ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್" ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ " ಬೋಧಿ ಸತ್ವ" ಎಂಬ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮಹೋನ್ನತ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರಿಸಲಾಯಿತು.

1956 ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು "ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವನ ದಮ್ಮ" ಕೃತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು ಹಾಗೂ 'ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ' ಎಂಬ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕ್ಷೀಣಿಸಿತ್ತು.

1956 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ವಿಧಿವಶವಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಲಿತರ ಸೂರ್ಯ ದಲಿತರ ಕಿರಣ ಎನಿಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿ ನಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಂತಾಯಿತು. ತಳಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಂತ ದೈವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರಸಿಡಿಲುಬಡಿದಂತಾಯಿತು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಕಳೆಬರವನ್ನು ಮುಂಬಯಿಗೆ ತಂದು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮುಂಬಯಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆ ತರಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೇಬರವನ್ನು ಜನರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜನರ ಮಹಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದು

ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾದರ್ ಚೌಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ನಿಮ್ನವರ್ಗದ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಸವರ್ಣಿಯರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಠಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರನ್ನು ಭವ್ಯಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಯೆಂದು ಕರೆದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1990 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ " ಭಾರತ ರತ್ನ" ವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು (ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರವರು ನೀಡಿದರು)

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ.ಎಸ್.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌ರವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ(1967) ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. (1950 ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಬಿಂದು ಚೌಕ, ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದೆ)

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರೇ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ 'ಸಹ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಕಂಪ, ಗೌರವಗಳನ್ನು ತೋರದ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕೆಂದು ಬತ್ತಾಯಿಸುವ ಧರ್ಮ ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸುವಂತಾಗಬಾರದು ಎಂದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾದ ಮಾತು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 'ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು, ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿವಹಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಅವರನ್ನು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬಾರದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಲಾರಂಭಿಸಿತೂ...' ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೂ ಸಹ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡದಾದ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಮಂದಿರವಾದ ಇದು ಸುಮಾರು 75 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಿಹಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಸಿಂಹಶಿರದ ಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯ 2007 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 2009ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೈಶಾಖ ಬುದ್ಧಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಾಲಂಕೃತ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದು ನೋಡಲು ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು 1956 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ನಾಗಪುರದ ದೀಕ್ಷಾಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ಹೊರಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಯೂ ಅಜಂತಾ , ಎಲ್ಲೋರ ಮತ್ತು ಸಾರನಾಥದ ಶಿಲ್ಪ

ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ 2 ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಶೋಕ ಗುಡಿಕಾರ್ ರವರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 6 ಅಡಿ ಇದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನನು ನೀಡುವುದಾದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಕು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದವರಾದ ಶಹವನಾಜ್ ಆಲಿ ಎಂಬ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಾಂಕ 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರನಾಥ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಹಾಭಿಕ್ಕು ಬೋಧಿದತ್ತಥೇರಾ ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ

- ಲಂಡನ್ನಿನ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂದರೇ ಅದು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.
- ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ ರೂವಾರಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ವಿನ್ಯಾಸ – ಪಿಂಗಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ).
- ಕೊಲಂಬಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 2004ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ 100 ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ.
- 64 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಾಲದು ಎಂಬಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ಸುಧೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು (ಸುಮಾರು 3,75.000ಜನರು) ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

- 2017 ರಿಂದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ನ್ನು "ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಡೇ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರ ಧರ್ಮ ಚಿಂತನೆಯು ಮಾನವ ಕುಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರ ಜ್ಞಾನ ದಿಗಂತವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ರವಿ ಕಚ್ಚೀಗೆರೆ – ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ, ಎಸ್.ಕೆ. ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು 2010.
- ಕೆ.ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ – ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದವರು: ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಅಕ್ಷತಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 2007.
- ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ – ಬಂಡಾಯ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು 1999.
- ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ (ಸಂ) – ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರ ಆಯ್ದುಬರಹಗಳು, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು 2007.
- ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ – ಬುದ್ಧನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 2010.
- ಜೆ.ಬಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ– ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋಬಯಾಗ್ರಫಿ, ಅಕ್ಷತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 2007.
- ಡಾ.ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ – ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು 2014.
- ವಿ.ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ – ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ತನುಮನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು 2009.
- ಅಂತರ್ಜಾಲದ ನೆರವು.

ದೂರವಾಣಿ 8970600676

ಮೇಲ್ : laughyani@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक पृष्ठ : 391-395

Philosophy of Dr. Babasaheb Ambedkar and National Education Policy 2020

Dr. Patil Sahebagouda Subhasachendra,

Dr.Sanghaprakash Dudde

Sangameshwar College, Solapur Autonomous.

Abstract :-

Dr. Babasaheb Ambedkar was an eminent teacher with multi faceted personality. He has wide knowledge in Philosophy, Law, Economy, Sociology, History, Anthropology etc. He perceived the world knowledge through greater hard work.Hisphilosophy of higher education emphasized the constructive role of education for the emancipation of society and individuals for collective development. The basic objectives of education must induce equality, morality, humanly values among individuals of society. It should enlighten society with fearless, freedom and brotherhood co existence of individuals. The basic philosophy of Dr Babasaheb Ambedkar arefound to be emerged through the basic principles imbibed in the new National Education Policy 2020, that provide equitable access to study multidisciplinary subjects, revival of Indian Knowledge System, greater ease and trend to perceive education with modern aids means. The inculcation of On Job training and emphasis on Skill Development Courses and Vocational skill courses are from the vision of Dr. Bhim Rao Ambedkar.

Introduction :-

Dr. Bhim Rao Ambedkar said : Education is not only the bright of every human being but also a weapon of social change"(Ambedkar, Vol. XIX). Therefore in this article we are going to discuss about great vision of Dr. Babasaheb Ambedkar and National Educational Policy 2020. Government of India has brought New National Education Policy 2020 in India. Several stated have accepted and adapted various features of NEP 2020. In Maharashtra NEP 2020 has been implemented for Autonomous colleges since 01st August 2023 while it will be implemented to affiliated colleges from 01st August 2024. The basic philosophy and the idea of NEP 2020 originated from the great vision of Dr. Babasaheb Ambedkar.

Contribution of Dr. Bhimrao Ambedkar for Drafting India constitution is undoubtedly a

revolution in human history but also his contribution to education in India especially for girls and people of backward sections of society is no less significant contribution to humanism.

In India, education system is grudged by several factors like social, economic and political aspects. It is interlinked with all other factors therefore habitat and niche of education sector should be considered while framing the policy for it. Dr. Babasaheb Ambedkar gave greater ideals that can be seen in emerging new and modern terminologies like NEP 2020, cluster university through management of resources, concept of scholarship, concept of valuing traditional aspects, justifiable and human conditions etc.

Dr. Babasaheb Ambedkar established People's Education Society at Bombay and Aurangabad in 1945. His objective was to provide education to students of deprived section. He thought that nobody should suffer while perceiving education as it happened with him. Dr. Babasaheb thought that educational institution should become gravity centres that attract students, where they become educated and learned to fight against the social evils. He though educational institutions should provide force of social change (Ambedkar 40-41). He thought that society should give highest priority to the education to inculcate human and moral values in people. He believed that education should teach the peoples about human dignity, human rights and justice (D. Keer, 1987).

Dr. Babasaheb Ambedkar staunchly believed that the ultimate cause of backwardness is lack of education and knowledge. He believed that the ultimate purpose of education is to enlighten the path of others and to improve ourselves (Ahir,D.C. 1990). Dr. Babasaheb Ambedkar opposed the professional education system (British Educational System) as he thought that the Professional education in England lead to creation of Clerks or workers (Ambedkar Vol. XIX). Therefore, this idea has been imbibed in New National Education Policy 2020, which support interdisciplinary and multidisciplinary approach. The inclusion of Indian Knowledge System in the NEP 2020 might have originated from Dr. Ambedkar's secular concept of education. His books and articles over history enlightens over the past glory and heritage of India.

Research Objective :

1. The basic objective this research is relating the Philosophy of Dr. Bhim Rao Ambedkar and National Education Policy 2020.
2. To study the possible ways of dynamism that could be brought in Educational system through implementation of NEP 2020 through the vision of Dr. Babasaheb Ambedkar.
3. To study contribution made by Dr. Bim Rao Ambedkar in the field of Higher education.

Research Methodology :

Research Methodology includes data collection and analysis from various secondary sources,

research articles arguments, debates. Evaluating the facts and developing newer perspective or understanding the concept in newer way.

Learning through struggle :

His eagerness to perceive knowledge since his childhood made him first person of his community to complete Matriculation. He studied in Elphinstone College and completed degree with Political Science and completed Economics from Bombay University. He went to Columbia University, New York, USA to complete his post graduation under the scholarship offered by Sayajirao Gaekwad from State of Baroda.

Dr. Ambedkar's perspective on education system before and during British raj.

He observed that earlier the schools were in Gurukul form like at present living in hostel and getting education somewhere away from home. There were very few education centres with limited number of seats and that to meant only for upper cast pupil. He observed that During Peshwa rule and British Raj the right to education was only limited to upper casts (Richa Langyan and Narender Ranga 2019). The poor, downtrodden andlower castes people didn't have access to formal education (Ambedkar, 40-41). Therefore he took initiative against the evil practice of society "untouchability" that forbidden access to education, by actively participating in movement for educating people. Due to his tireless effort and discussions Primary Education Amendment act was passed by Bombay Presidency in 1920 and Bombay University act in 1914. He thought that every one has right to access the basic education.

Dr. Babasaheb Ambedkar, while framing the Constitution of India, he put special emphasis on article 45 in DPSP (Directive Principle of State Policy) enabling the responsibility of state to provide free and compulsory education up to the age of 14 to all sections of society. Dr. Babasaheb Ambedkar established People's Education Society at Bombay and Aurangabad in 1945, he also established several colleges, Hostels for providing education especially to Dalits. Therefore NEP 2020 provide the onus of providing free and compulsory education to states.

Dr. Babasaheb Ambedkar once mentioned in his constituent assembly that Sanskrit shall be national language while primary education should be imparted in mother tongue. Therefore in NEP 2020 emphasize education in mother tongue. Mother tongue is made mandatory up to grade 5. According to him, teaching in mother tongue will help the student to understand concepts very easily.

In R.D. Kulkarni Report, which was accepted by Government of Maharashtra for implementation of NEP 2020, it has allotted some credits for on job training and courses that enhance skills. It mentions skill courses in two forms one is SEC (Skill Enhancement Courses) and another is VSC (Vocational Skill Courses). Dr. Ambedkar was staunch supporter of skill courses, where he

thought the skill courses will only help to uplift the economically backward people. They will learn basic skills which will help them to earn their own daily butterand enable them to lead dignified life (Ambedkar, B.R.,1987).

Dr. Babasaheb Ambedkar always propounded and supported for education of girl child (Gunjal V.R. 2012). Once he mentioned “I measure the progress of a society with degree of progress that women have achieved” (Ambedkar, 40-41). One of the basic objective of NEP 2020 is to reduce the social and gender gap emerged in the education sector since the implementation of earlier policies. For that Gender Inclusion Fund has been created which will be used to strengthen Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaywhich are focussing on girls especially who are coming from backward classes (Ramesh Pokhariyal 2021).

NEP 2020 in higher education has given greater emphasis on Indian Knowledge system. Dr. Babasaheb Ambedkar supported Sanskrit as Indian official language (Ambedkar 40-41). Sanskrit language can help to dig out several hidden knowledge that has been masked with time. Therefore,while implementing NEP 2020 for higher education, Sanskrit has be made one of the subject where any student can opt it to study. Therefore learning Sanskrit didn’t remain exclusive right of specific section of the society.

The concept of Multidisciplinary and Interdisciplinary originated from the ideals of Dr. Babasaheb Ambedkar. He himself studied History, Sociology, Philosophy, Anthropology and several other subjects. The concept of major and minor in NEP can be seen through his vision as he Completed M.A. in Major economics and other minor subject were History, Sociology, Philosophy, Anthropology. Besides he completed Bar course in 1916atGray’s Inn. He worked over Doctoral thesis in London School of Economics. Second Masters degree in Economics with thesis title “The problem of the rupee: Its origin and its solution” and completed D.Sc. in Economics from University of London. He presented papers in several conferences like he presented his research paper presentation- Castes in India : Their Mechanism, Genesis and Development before a seminar conducted by the anthropologist Alexander Golden Weiser. While implementing NEP 2020 in higher education, research has also given greater emphasis especially degree has been made four year course instead of three year course. In the last year students has to undertake research work.

Conclusion :-

After several decades of Independence, the basic education has not reached to every section of society. There were several lacunas in the earlier polies that felt need to be corrected so that fruits of development should be equitably shared. Therefore, Government of India felt there is time and need to make drastic change in education system. While strengthening the education system it should

follow some greater vision and philosophy. Thus, the Philosophy given by Dr. Babasaheb Ambedkar become basic objective of National Education Policy 2020. The NEP 2020 give emphasis on education of girl's child, reduce gender bias, provide on job training, enhance skills through Skill enhancement courses and Vocational courses. NEP 2020 also emphasize to inculcate research skills in graduating students.

References :

1. Dr. Ramesh Pokhariyal 2021 " Be educated, Be organised. Be agitated- Bhimrao Ramji Ambedkar" by EMN https://easternmirrornagaland.com/be-educated-be-organised-be-agitated-bhimrao-ramji-ambedkar/
2. Babasaheb Ambedkar: Writing and Speeches, Vol II, pp. 40-41
3. Babasaheb Ambedkar: Writing and Speeches, Vol XIX
4. Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches, Vol. I, p. 15, Bombay: The Education Department, Government of Maharashtra, (1979)
5. Dr.Babasahab Ambedkar Writings and speeches Bombay 1979, Vol.14, part 2
6. Ambedkar, B.R. (1987) "Women and Counter Revolution" Riddles of Hindu Women" in Dr. Baba Saheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 3, Department of Education, Govt of Maharashtra.
7. Arya, Sudha, (200) Women Gender Equality and the State, Deep and Deep Publications, New Delhi.
8. D. Keer, 1987. Dr. Ambedkar: Life and Mission, Bombay.
9. Richa Langyan, Narender Ranga 2019 "Dr. B.R Ambedkar's Philosophy and Contribution towards Education". Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) June 2019, Volume 6, Issue 6 pp 60-64
10. Gunjal V.R. 2012. Dr. Babasaheb Ambedkar and Women Empowerment, Social Work, Vol. XI (1), PP 84-85.

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 396-400

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आर्थिक विचार

डॉ. वसंत गुलशन कोरे, सहयोगी प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग,
श्री. लोंढे अभिजीत शंकरराव, संशोधक विद्यार्थी, Corresponding Author
संगमेश्वर महाविद्यालय संशोधन केंद्र, सोलापूर)

सारांश :-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भारतीय राज्यघटनेचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून मोठे योगदान आहे। त्याचप्रमाणे ते एक विद्वान, शिक्षणतज्ञ, कायदेतज्ञ, संसदपटू, पत्रकार—संपादक तसेच दलितांच्या मानवी हक्कांसाठी लढणारे एक समाजसुधारक ही होते। अर्थशास्त्री म्हणून त्यांनी दिलेले योगदान महत्वाचे आहे। डॉ. आंबेडकरांचा मूळ अभ्यासविषय हा अर्थशास्त्र होता। त्यांनी अर्थशास्त्रात लिखाण केले असून त्यांचे तीन प्रमुख पुस्तके/प्रबंध आहेत. १) औडमिनिस्ट्रेशन ध्न्ड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी, २) दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया आणि ३) दि प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी रू इट्स ओरिजिन एन्ड इट्स सोल्यूश। परदेशात शिक्षण घेत असताना त्यांनी देशातील आर्थिक विकासाबाबत चिंतन करून अतिशय महत्त्वपूर्ण विचार मांडले. त्यांनी विनिमय दरासाठी निश्चित सुवर्ण मानकांसाठी युक्तिवाद केला। त्यांनी सांगितले की, कमी विनिमय दर निर्यात वाढवतात त्याचप्रमाणे अंतर्गत किंमती सुद्धा वाढवतात। सार्वजनिक निधीचा आर्थिकदृष्ट्या आणि नियोजित उद्दिष्टांसाठी त्याचा योग्य वापर केला तर राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होऊ शकते। कृषी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी त्यांनी प्रभावी उपाय म्हणून 'औद्योगीकीकारण'चा पुरस्कार केला। औद्योगिकीकरण हे देशातील आवश्यक गरजा आणि देशातील स्त्रोत यावर आधारित असले पाहिजे, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते। आपल्या सुरुवातीच्या आयुष्यात त्यांनी आपल्या लेखनातून भारतीय अर्थव्यवस्थेस योगदान दिले। आंबेडकरांनी अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची चर्चा या शोधनिबंधात करण्यात आली आहे।

बीज शब्द (Key Word)

आर्थिक विकास, चलनाची परिवर्तनशीलता, रुपयाचे व्यवस्थापन, राज्य—समाजवाद, औद्यागिकरण, कृषी।

प्रस्तावना :

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर) यांच्या जन्म १४ एप्रिल १८९१ मध्ये भारतातील महू येथे झाला। त्यांचे वडील रामजी सकपाळ हे लष्करी छावणीतील शाळेत शिक्षक होते नंतर त्यांनीचौदा वर्ष मुख्याध्यापक म्हणून काम पाहिले। त्यांचे लष्करी छावणीतील शिक्षक सेवेतील कामामुळे त्यांना बढती मिळत ते लष्करात सुभेदार—मेजर पदापर्यंत गेले। व्यावसायिक स्वातंर्त्य मिळाल्यामुळे एखादा महार सुद्धा शिक्षक होऊ शकतो, हे त्यांनी स्वरू कर्तबगारीने सिद्ध केले। अशाप्रकारे त्यांना शिक्षणाचे महत्व पटल्यामुळे

त्यांनी त्यांच्या मुलांना शिक्षण दिले। भीमराव हे रामजींचे चौदावे अपत्य। वडील शिक्षक होते, त्यांनीहावर्डची इंग्रजी पुस्तके आणि तर्खडकरांच्या भाषांतर पाठमाला यांच्या साह्याने भीमरावचा इंग्रजी विषय चांगला करून घेतला। भीमराव आंबेकरांचे शिक्षण मुंबई मधील एल्फिन्स्टन माध्यमिक शाळेत आणि महाविद्यालयात झाले। मध्यंतरीच्या काळात त्यांना अभ्यासक्रमाबाहेरील वाचनाची आवड निर्माण झाली। अर्थशास्त्र आणि राजकारण या विषयात त्यांनी बी.ए.ची पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांना उच्च शिक्षणासाठी बडोदा संस्थानाची शिष्यवृत्ती मिळवली व १९१३ मध्ये अमेरिकेस गेले। अर्थशास्त्र हा त्यांचा आवडता विषय होता। विद्यार्थी दशेपासूनच अर्थशास्त्र या विषयाचा त्यांच्यावर प्रभाव होता। त्यांनी अर्थशास्त्रात पदवीपासून ते पीएचडी पर्यंतचे शिक्षण घेतले। आणि तेही जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठामधून। अर्थशास्त्राच्या विविध पैलूंवरील त्यांचे संशोधन उल्लेखनीय आहे।[1]

आंबेडकरांनी अर्थशास्त्राचे मूलभूत प्रशिक्षण घेऊन १९१७ मध्ये अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट मिळवली। १९२२ मध्ये पुन्हा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ने त्यांना डॉक्टरेट ऑफ सायन्स ही पदवी त्यांच्या अर्थशास्त्रातील संशोधनासाठी दिली। या पदवीसाठीच्या प्रबंधाव्यतिरिक्त त्यांनी भारतातील सामाजिक आणि राजकीयसमस्यांचे विश्लेषण केले। विशेषतः भारतात आल्यानंतर त्यांनी सामाजिक समस्यांचे आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण चांगल्या प्रकारे केले। जमीन सुधारणा, अल्प–भूधारणा आणि त्यांचे उपाय, शेती आणि जातीव्यवस्था हे त्यांच्या आर्थिक विचारातील प्रमुख सूत्रे राहिली आहेत। त्याचप्रमाणे परदेशात अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेत असताना भारतीय चलनाची समस्या, प्रांतीय वित्त आणि नियोजन या ही आर्थिक मुद्यांचा त्यांनी अभ्यास केला। सार्वजनिक वित्त, कृषि, कामगार यासारख्या अर्थशास्त्राच्या उप शाखांमधील त्यांचे योगदान मोठे आहे।

रुपयाचे व्यवस्थापन :

1 एप्रील 1935 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना करण्यात आली। भारताची चलन व्यवस्था कशी असावी ह्या विषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 93 वर्षा अगोदरच मार्गदर्शन केले आहे। ब्रिटिश इंडिया मध्ये रुपयाचे व्यवस्थापन सरकारच्या हातात होते। ब्रिटिशांनी त्यावेळी ठरवलेले चलन प्रमाण हे ‘सुवर्ण विनिमय प्रमाण’ होते। म्हणजे सोन्याच्या दरावर रुपयाचा दर ठरणार। परंतु हे सोन्याचे दर हे ब्रिटनमधील पकडले जात। ब्रिटिश राजवटीत भारतीय रुपयाचे मूल्य सतत घसरत होते। पहिल्या महायुद्धानंतर तिथे सोने महाग झाले आणि त्यामुळे रुपयाचा दर त्यापटीत कमी झाला। त्यावर उपाय म्हणून चलनाचे अवमूल्यन हा उपाय १९२० नंतर सुचविला गेला। रुपयाचे अवमूल्यन केल्यामुळे चलन वाढ करावी लागेल आणि चलनवाढ केली की महागाई वाढेल आणि त्याचा फटका हा मजूरी करणाऱ्या सर्वसामान्य कामगाराला बसेल हा विचार तेव्हा आंबेडकरांनी मांडला। या स्थितीवर उपाय म्हणून ‘सुवर्ण विनिमय प्रमाण’ बंद करून ‘सुवर्ण प्रमाण’ आणा, असे प्रतिपादन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी The Problem of the Rupee – Its Origin and its Solution (रुपयाचा प्रश्न : उद्गम आणि उपाय) या प्रबंधात केले। त्यांच्या मते विनिमय दर स्थिरतेचा फायदा फक्त व्यापारी वर्गाला होईल, अर्थव्यवस्थेतील गरिबांना नाही। जेव्हा आंतरिक स्थिरता असेल तेव्हाच गरिबांना फायदा होईल। चलन सोन्याच्या दृष्टीने नव्हे तर वस्तूंच्या दृष्टीने स्थिर असावे। पैशाचा पुरवठा सोन्याशी जोडण्याच्या संकल्पनेला ते विरोध करत होते। त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की सुवर्ण विनिमय मानकांनुसार सरकार चलनात फेरफार करून ते सोन्याच्या मूल्याच्या बरोबरीने ठेवण्याचा प्रयत्न करते जी चांगली कल्पना नाही। १९२५ मध्ये ब्रिटीशांना भारतीय चलनासाठी यंग

हिल्टन आयोग नेमावा लागला आणि त्यांनी आंबेडकरांशी चर्चा करावी लागली।

सरकारने चलन प्रवाहाचे व्यवस्थापन करावे ही कल्पना त्यांना आवडली नाही। सरकार नीट व्यवस्थापन करू शकणार नाही, अशी भीती त्यांना होती। त्यामुळे त्यांनी व्यवस्थापित चलन व्यवस्थेला कडाडून विरोध केला। चलन निर्मितीवर कोणतातरी अंकुश असला पाहिजे, हे अभ्यासपूर्ण यंग हिल्टन समितीसमोर सांगितले। त्यांनी मध्यवर्ती बँकेकडून केंद्र सरकारला किती रक्कम द्यावी यावर मर्यादा घालून द्याव्यात अशी सूचना केली होती। अमर्याद चलन निर्मितीमुळे अमर्याद चलनवाढ होते ज्यामुळे वित्तीय तुट वाढली जाते। १९९१ सालचे भारतातील आर्थिक अरिष्ट्य अमर्याद चलन वाढीमुळे निर्माण झाले होते। त्यामुळे ७० वर्षपूर्वी त्यांनी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी आपण १९९३ मध्ये केली।

भारतीय वित्त आयोग :

१९२३ मध्ये यंग हिल्टन आयोगसमोर बोलताना बाबासाहेबांनी सांगितले होते की, वित्त आयोगाचा अहवाल 5 वर्षांच्या अंतराने यायला हवा। "भारतीय वित्त आयोग" ची स्थापण 1951 साली झाली. भारतीय वित्त आयोगाचे काम हे आहे कि, देशातील केंद्र आणि राज्य ह्या दोन्ही घटकांमध्ये भारत सरकारकडे येणाऱ्या सर्व करांच्या स्वरूपातील महसुल आणि इतर ठिकाणांहुन येणारा महसुल हा खुप मोठ्या प्रमाणात केंद्रा कडे पैश्याच्या स्वरूपातुन जमा होतो। तर त्याचे प्रत्येक 5 वर्षांनी व्यवस्थापण करणे गरजेचे असते। THE EVOLUTION OF PROVINCIAL FINANCE IN BRITISH INDIA. 1925- Dr. Babasaheb. उइमकांत हा बाबासाहेबांचाकोलंबिया विद्यापिठा मध्ये Ph.D. साठीचा प्रबंध आहे। ह्याप्रबंधाच्या आधारेच भारतीय वित्त आयोगाची स्थापणा झाली आहे। आज पर्यंत सर्व 14 वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत।

राज्य-समाजवाद :

स्वातंर्त्योत्तर भारताचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी एक आदर्श प्रारूप तयार केले। त्यांनी हे आर्थिक विकासाचे प्रारूप (Model of Economic Development) 'राज्य आणि अल्पसंख्याक' (States and Minorities) मध्ये मांडले आहे। त्याकरिता त्यांनी राज्य समाजवादाची (State Socialism) संकल्पना मांडली। बाबासाहेब आंबेडकर हे मुक्त बाजार, सरकारी हस्तक्षेप नसलेल्या बाजारपेठांचे समर्थक नव्हते। त्यांच्या मते, यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी अधिक स्वातंर्त्य मिळेलपरंतु याच्या विरुद्ध राज्यातून या प्रकारच्या स्वातंर्त्यामुळे खाजगी भांडवलशाहीला जन्म मिळू शकतो, जो त्यांच्याच प्रकारचा हुकूमशहा असू शकतो। बाबासाहेब खाजगी उद्योगांच्या विरोधात नव्हते परंतु त्यांना संपत्तीच्या न्याय्य वाटपाची जास्त काळजी होती। भारताच्या आर्थिक विकासात सार्वजनिक क्षेत्राने सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे, तर खासगी क्षेत्राला निष्क्रिय खेळाडू मानले पाहिजे, अशी त्यांची इच्छा होती। भारतातील औद्योगिकीकरण, लहान जमिनींचे एकत्रीकरण आणि जलप्रकल्पांची उभारणी याविषयी चर्चा करताना ते म्हणाले की ते राज्याच्या मालकीचे असले पाहिजेत आणि त्यांचे व्यवस्थापन राज्याने केले पाहिजे।

औद्यागिकीकरण :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अर्थशास्त्रज्ञ होते। त्यामुळे त्यांनी देशातील आर्थिक विकासाबाबत चिंतन करून अतिशय महत्त्वपूर्ण विचार मांडले। त्यांनी औद्योगिकीकरणाचा पुरस्कार केला। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, भारताचा विकास हा औद्यागिकीकरणाशिवाय शक्य नाही। त्यांच्या मते, मोठ्या प्रमाणात रोजगार वाढला तर

आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन वाढून त्यांचा मोठ्या प्रमाणात खप वाढतो। यासाठी कच्चा माल आणि कामगारांची मागणी वाढते। परदेशी भांडवलावरील अवलंबित्व कमी होते आणि कामगारांच्या रोजगाराच्या सुरक्षेत वाढ होते। या सर्व घटकांमुळे देशाचा आर्थिक विकास जलद होण्यास मदत होते। जड उद्योग सार्वजनिक क्षेत्राच्या मालकीचे असावेत आणि खाजगी क्षेत्राने ही पोकळी भरून काढावी अशी त्यांची इच्छा होती।

डॉ. आंबेडकरांनी मोठे उद्योग उभारण्याचा पुरस्कार केला, पण शेतीला समाजाचा कणाही मानले। औद्योगिक क्रांतीवर भर देण्याबरोबरच ते म्हणाले की, शेतीकडे दुर्लक्ष करू नये कारण देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येला शेतीतूनच अन्न आणि उद्योगांसाठी कच्चा माल मिळतो। जेव्हा देशाचा झपाट्याने विकास होईल, तेव्हा आधुनिक भारताची इमारत ज्या पायावर उभारली जाईल, तो शेती हाच पाया असेल, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आंबेडकरांनी कृषी क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसाठी क्रांतिकारी पावले उचलण्याचीप्रयत्न केले। आंबेडकर हे शेतजमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाचे मोठे पुरस्कर्ते होते।

कृषी क्षेत्रातील आर्थिक विचार :

1918 मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या 'स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज' या पेपरमध्ये त्यांनी भारतीय कृषी व्यवस्थेला आजही सतावत असलेल्या समस्येचा वेध घेतला। सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या काळात कृषी विकास दर केवळ स्थिरच नाही तर सतत घसरत चालला आहे। सरकारने केवळ तांत्रिक समस्यांवरती लक्ष केंद्रित केले आहे परंतु संस्थात्मक दुर्लक्ष झाले। जमीन सुधारणा, मालकी हक्कांचे आकारमान वितरण ह्या कृषी विकासातील मुख्य अडसर ठरत आहे। डॉ. आंबेडकर हे पहिले भारतीय अर्थतज्ञ होते की ज्यांनी शेतजमीन धारणेच्या समस्यांचे परीक्षण केले आणि असे मत मांडले की, लहान आकाराची जमीन हे कमी उत्पादनाचे एक कारण आहे। त्यामुळे जमीनधारणेचे एकत्रीकरण झाले पाहिजे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या लोकसंखेचा देश असून कमी उत्पादकता दर आणि उच्च अवलंबित्व या कृषी क्षेत्रातील समस्याना तोंड देत आहोत। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कमी जमीन धारण क्षेत्राच्या विरोधात होते आणि त्यांनी सुचविले की सहकारी शेती आणि सामूहिक शेती सुरू करण्याची नितांत गरज आहे। त्यासाठी सहकारी शेतीसह कृषी क्षेत्रातील सुधारणा झाल्या पाहिजेत आणि विकासासाठी सहकारी सोसायट्या तयार करण्याची गरज आहे। त्याचप्रमाणे आंबेडकरांनी राज्य–समाजवादाची संकल्पना मांडली। ज्यामध्ये राज्याने मध्यस्थानचे निर्मूलन करून, राज्यातील संपूर्ण जमिनीचे मालक असणे आवश्यक आहे। राज्याने या शेतजमिनीचे शेतकऱ्यांना वाटप करावे आणि शेतकऱ्यांनी सामूहिक शेती करावी। राज्याने कृषी क्षेत्राला आवश्यक भांडवलाचा पुरवठा केला पाहिजे आणि प्राप्त उत्पन्न शेतकाऱ्यांमध्ये वितरीत केले पाहिजे। त्यामुळे शेतमाजुरांचा प्रश्न सुटणार आहे।

जातिव्यवस्था आणि आर्थिक विकास :

जातीव्यवस्था हा भारताच्या आर्थिक विकासातील प्रमुख अडथळा आहे। 1936 मध्ये, आंबेडकरांनी 'जातीचे उच्चाटन' नावाचे भाषण लिहिले, 1937 मध्ये ते प्रकाशित झाले। त्यामध्ये त्यांनी प्रतिपादन केले की, भारतातील जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाच्या आणि भांडवलाच्या गतिशीलतेमध्ये अडथळा आणत आहे। त्यामुळे त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे। या जातीच्या उतरंडीमुळे भारतातील रोजगार जन्मानुसार निश्चित केला जातो, ज्यामुळे इतर क्षेत्रातील कामगारांची गतिशीलता कमी होते।

डॉ. बी. आर. आंबेडकर हे एक उच्च प्रशिक्षित अर्थशास्त्रज्ञ होते परंतु अर्थशास्त्रातील त्यांचे योगदान मुख्य

प्रवाहातील अर्थशास्त्रात ओळखले गेले नाही। त्यामागील कारण म्हणजे भारताला स्वातंर्त्य मिळाल्यानंतर बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास करणे बंद केले आणि आपला बहुतांश वेळ राजकारण आणि समाजकारणात घालवला। त्यामुळे ते अर्थतज्ज्ञापेक्षा राजकीय नेते म्हणून अधिक लोकप्रिय होते। पण त्यांनी अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात जे काही योगदान दिले ते उल्लेखनीय आहे। ते फक्त रुपयाचे प्रश्न मांडून थांबले नाहीत, तर उलट त्यांचे आर्थिक विचार हा त्यांच्या पुढील वाटचालीत सामाजिक, राजकीय विचारांचा पाया ठरला। ते शोषितांच्या उत्थानासाठी लढले। आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करायचे असेल तर खऱ्या अर्थाने अर्थव्यवस्थेमधील मागासलेल्या लोकांच्या उन्नतीची गरज आहे, असे प्रतिपादन केले। बाबसाहेबांची अर्थनीती देशाला आजही मार्गदर्शक आहे।

संदर्भ सूची :-

१. कीर धनंजय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, चौथी आवृत्ती २००६. पा. क्र. २३–२४.

२. पाटील जे. एफ. आर्थिक विचारांचा इतिहास, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, प्रथम आवृत्ती २००५.

३. जाधव नरेंद्र, डॉ. आंबेडकर आर्थिक विचार आणि तत्वज्ञान, सुगावा प्रकाशन, पुणे, प्रथम आवृत्ती, १९९२.

४. इंगळे एम. आर.,डॉ. आंबेडकर आर्थिक व राजकीय विचार, नभ प्रकाशन, अमरावती, प्रथम आवृत्ती, २०११.

५. हजारे त्रिलोक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषीविषयक विचार, सुबोध प्रकाशन, पुणे, प्रथम आवृत्ती, २००७.

६. Arya R. K; Dr.Choure T.; The Economic Thoughts of Dr. Bhimrao Ambedkar with Respect to Agriculture Sector; Developing Country Studies; ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online); Vol. 4, No. 25, 2014.

७. Jadhav N; Neglected Economic Thought of Babasaheb Ambedkar, Economical and Political Weekly, dated 13th Apr, 1991.

८. राऊतभारतकुमार, महामानवाचे आर्थिक विचार, दै. तरुणभारत, १४ एप्रिल २०२१.

Email :vasantkore@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 401-403

Dr. B.R. Ambedkar's Perspective on Indian Caste System

SURESHA C

Assistant Professor, BBMP First Grade College for Women,
Cleveland Town, Bengaluru North University.

ABSTRACT :

It would not be an exaggeration to call Dr. Ambedkar's second Moses or modern Manu. He was the voice of the voiceless, hope of the hopelessness, light of those in darkness and a support for those, who were deprived and exploited in the Indian society. He brought them out of the clutches of untouchability, bondage of oppression, and the leprosy of the caste system. Ambedkar's understanding of the caste system underwent certain significant changes over the period of his writing. Initially, he had argued that the characteristic of caste was superimposed on exogamy in a shared cultural ambience. He found that the caste name is an important feature, which keeps the solidarity of the caste intact. Castes are not all built on the same model. The system has grown up slowly and gradually, and castes, which are of different origin, are also of different nature. They all have, as a common characteristic, a spirit of exclusiveness, which has the effect of restricting the intercourse of their members both with each other and with other castes.

Key words : Caste Hindus, untouchability, cultural ambience, exclusiveness.

INTRODUCTION :

The Indian Caste System is historically one of the main dimensions where people in India are socially differentiated through class, religion, region, tribe, gender, and language. Although this or other forms of differentiation exist in all human societies, it becomes a problem when one or more of these dimensions' overlap each other and become the sole basis of systematic ranking and unequal access to valued resources like wealth, income, power and prestige. The Caste System in its classical form is a unique institution of social governance of the Hindu society. The duties and rights are thus pre-determined by birth in to the specific caste and are hereditary, not subject to change by deeds of the individuals. The social position or standing of each caste is hierarchically arranged, in the sense

that the rights gets reduced in descending order, that is, from the Brahmin (who are located at the top of hierarchy) to the untouchable, who are placed at the bottom of the caste hierarchy.

OBJECTIVES :

1. To study the Hierarchical order of the Caste System.
2. To study the Caste Politics in India.
3. To study of caste weaknesses.

METHODOLOGY :

Use the Methodology Only Secondary sources describe, discuss, interpret, comment upon, analyse, evaluate, summarize, and process primary sources. Secondary source materials can be articles in newspapers, popular magazines, books, articles found in scholarly journals that discuss or evaluate someone else's original research. Journals, magazines, and newspapers are serial publications that are published on an on-going basis.

MEJOR FINDINGS :

- Untouchability is the product, therefore, not of the caste system, but of the distinction of high and low that has crept into Hinduism and is corroding it. The attach on untouchability is thus an attach upon this high-and-low-ness. The moment untouchability goes, the caste system itself will be purified, that is to say, according to my dream, it will resolve itself into the true Varna dharma, the four divisions of society, each complementary of the other and none inferior or superior to any other, each as necessary for the whole body of Hinduism as any other. How it can be and what that Varnashram is, it is not necessary to examine here.
- Dr. B.R.Ambedkar ultimately suggested that inter-caste marriage is the only remedy to destroy caste. In The Annihilation of Caste, Ambedkar's critique of the Hindu social order was so strong that Mahatma Gandhi, in Harijan, described Dr. B.R.Ambedkaras a “challenge to Hinduism”. Ambedkar replied to Gandhi in his usual uncompromising manner.
- When the British conceded his demand, Gandhi started his historic fast unto death in the Yerawada jail. Pressure from all corners mounted on Dr. B.R.Ambedkar to forgo the demand for a separate electorate as the Mahatma's life was at stake. Reluctantly Dr. B.R.Ambedkar agreed to the formula of a Joint Electorate with reserved seats in legislatures for untouchables.
- In The Annihilation of Caste, Dr. B.R.Ambedkar, probably for the first time, raised many profound questions with respect to caste. First, he rejected the defence of caste on the basis of division of labour and argued that it was not merely a division of labour but a division of labourers.

The former was voluntary and depended upon one's choice and aptitude and, therefore, rewarded efficiency. The latter was involuntary, forced, killed initiative and resulted in job aversion and

inefficiency. He argued that caste could not be defended on the basis of purity of blood, though pollution is a hallmark of the caste system.

- In the religious sphere, there sprang up movements which combated religious superstitions and attacked idolatry polytheism and hereditary priesthood. These movements in varying degrees, emphasized and fought for the principles of individual liberty and social equality and stood for nationalism.

- Since caste system was hierarchically graded, it was based on social and legal inequalities. For example, at the apex of this social pyramid stood the caste of Brahmins who had the monopoly right to officiate as priests with exclusive access to all higher religious and secular learning and knowledge while, at the base swarmed the mass of Shudra together with the untouchable and even unapproachable whom the scheme of Hindu society, sanctified by the Hindu religion and enforced by the coercive power of Hindu state, had assigned the duty of serving all other caste and constrained to follow, under the threat of severest penalty, such low vocation as those of scavengers, tanners and others.

CONCLUSION :

Dr. B.R.Ambedkarhas tried all kind of strategies during his life for eradicating caste and, more especially, for emancipating the Dalit from this oppressive social system. In the political domain, he promoted separate electorate, party building and public policies like reservations – and did not hesitate to collaborate with the ruler of the time – be it the British or the Congress for having things done. In the social domain, he militated in favour of reforms at the grass root level – education being his first goal – and reforms by the state – as evident from the Hindu code bill. None of his strategies really succeeded during his life time.

REFERENCES :

1. B.R.Ambedkar'. "Caste in India"- Their mechanism genesis and development, Blue in Patnika, Publication, 1977. P. 7.
2. Desai, A.R. Social background of Indian Nationalism, Popular Prakashan, 1991, P. 245
3. T.K.Somaiya (1994), Journalist, Gandhi, Yash Printers, Mumbai.
4. Geraled Berreman, Caste and other Inequalities-Essays on Inequality Folklore Institute, Meerut, 1979.
5. Pauline Kolenda (1997), "Caste in Contemporary India", Rawat Publication, New Delhi
6. Madhusudan Reddy K. and B.A.V. Sharma (1982), (eds), "Reservation Policy in India", Light Life Publishers, New Delhi.

Mobile No - 7406907748, Email – sureshkc935@gmail.com.

संगम Impact Factor : 4.553 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक Vol. 12, Issue 1
पृष्ठ : 404-407

डॉ. आंबेडकर का सामाजिक संघर्ष और समकालीन समाज

अंकित दुबे
शोधार्थी, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी– 221005

पिछली शताब्दी में भारतीय समाज के ढांचे को जिन्होंने न केवल सर्वाधिक प्रभावित किया बल्कि उसमें एक बड़े सकारात्मक बदलाव के कारण रहे डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव को बचपन से ही बहुत निकटता से देखा था और स्वयं भी इसका शिकार रहे थे। इसलिए यह पीड़ा उनके लिए भोग हुआ यथार्थ ही थी। बचपन में रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी से यात्रा करने की घटना ने उनके मस्तिष्क को भीतर तक प्रभावित किया। धनंजय कीर लिखते हैं–'भीम के खूबसूरत कपड़े देख कर उनको ऐसा लगा कि ये बच्चे किसी सम्पन्न परिवार के होंगे। लेकिन जब यह मालूम पड़ा कि वे एक महार के हैं, तो वे चार कदम पीछे हट गए। फिर भी उन्हें एक बैल गाड़ी किराये पर देने का सद्भाव उन्होंने दिखाया। गाड़ी के कुछ आगे बढ़ने पर बच्चों के संवाद से गाड़ीवान ने यह जाना कि ये बच्चे महार के हैं। वह आग बबूला हो गया। उसने उन बच्चों को गाड़ी से इस तरह फेंक दिया जैसे टोकरी से कूड़ा–करकट फेंका जाता है।'[1]

यह घटना एक ओर तो समाज की दलितों के प्रति मानसिकता दर्शाती है लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जब वही बच्चे दुगुना किराया देने को तैयार हो जाते हैं तो वही गाड़ीवान उसी गाड़ी में उनको बैठने देता है। इससे सामाजिक के साथ आर्थिक पहली भी खुलकर सामने आता है। यानि धन एक ऐसी वस्तु है जो हर प्रकार के भेदभाव को कुछ हद तक तो कम कर ही देती है। इसीलिए डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को मानव मुक्ति का आधार मानते हुए सभी से शिक्षित होने की अपील की। 20 जुलाई, 1924 को इसी उद्देश्य से डॉ अंबेडकर ने बंबई में एक सभा बुलाकर 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से बहिष्कृत समाज के लिए छात्रावास, पुस्तकालय व शिक्षा में मदद हेतु अन्य संसाधनों की पूर्ति करने की योजना बनी। इस सभा बहिष्कृत लोगों के जीवन में अनेक तरह के सकारात्मक बदलावों का कारण बनी। इसके माध्यम से लोग आत्मनिर्भर व अपने शिक्षा के लक्ष्य के प्रति अधिक दृढ़ बने।

इसके तीन साल बाद 20 मार्च, 1927 को चवदार तालाब की घटना, जिसे महाड़ सत्याग्रह भी कहा जाता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक स्तम्भ बन कर आज भी सबके मन में छपी हुई है। 'अंबेडकर चवदार तालाब की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गए। वे नीचे झुके और उन्होंने तालाब का एक अंजुली भर पानी पिया। उस प्रचंड जनसमुदाय ने भी अपने नेता का अनुकरण किया। उन्होंने अपना नागरिक तथा मानवीय अधिकार प्रस्थापित किया।'[2] तालाब से एक अंजुली पानी पीना महज एक प्रतीक था उन अधिकारों को आगे बढ़कर छीन लेने का, जिन्हें भेदभाव के चलते भारतीय समाज में उन्हें नहीं मिले थे। ये दलित समाज को इंसान होने का

दर्जा दिलवाने की डॉ. अंबेडकर की लड़ाई थी जो 1937 में जाकर पूरी हुई। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी लोगों को उस तालाब से पानी पीने का आदेश जारी किया। अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र के साथ–साथ दो वोट डालने का अधिकार भी दिया। अंबेडकर इसके समर्थन में थे तो वहीं दूसरी ओर गांधी ने इसका विरोध यह कर किया कि ऐसा होने से हिन्दू समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होगी। अंततः दोनों के बीच समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसके अंतर्गत दो वोट डालने का दलितों का अधिकार तो समाप्त हो गया लेकिन उनके लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ा दी गई। आगे चलकर जब डॉ. अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे तब उन्होंने अपने एक भाषण में कहा– '26 जनवरी, 1950 को हमें राजनीतिक समता प्राप्त होगी। किन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता रहेगी। अगर यह विसंगति यथासंभव तुरंत दूर करने का प्रयास हमने नहीं किया, तो जिन्हें विषमता की आंच लगी हुई है, वे लोग संविधान समिति द्वारा बड़े परिश्रम से बनाए इस राजनीतिक लोकतंत्र की मीनार मिट्टी में मिलाए बिना नहीं रहेंगे।'[3] इससे यह स्पष्ट होता है कि भले ही अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में दलितों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न किया था, लेकिन फिर भी भविष्य के प्रति वे पूरी तरह से आशान्वित नहीं थे।

हिन्दी साहित्य में विधिवत दलित लेखन का प्रारंभ भीम राव अंबेडकर के विचारों को आधार मान कर ही किया गया। दलित साहित्य के लेखकों ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से सामाजिक भेदभाव का सच हमारे सामने रखा है। ऐसी ही दो प्रमुख आत्मकथाएं हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन (खंड–1 व खंड–2) और डॉ तुलसीराम की दो भागों में लिखी गई आत्मकथा– मुर्दहिया और मणिकर्णिका। जूठन की भूमिका में ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं– 'दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव–दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसें ली हैं, जो बेहद क्रूर और अमानवीय है।'[4]

लेखक द्वारा कही गई ये बात कोई गैर–दलित व्यक्ति शायद ही महसूस कर सके। इसीलिए दलित साहित्य में 'स्वानुभूति' और 'सहानुभूति' साहित्य का एक लंबा विमर्श चला। हालांकि सदियों के जुल्म को परिणामस्वरूप ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए साहित्य की प्रामाणिकता पर सिर्फ इसलिए सवाल उठायें जाएँ क्योंकि वो व्यक्ति दलित नहीं है, यह भी एक प्रकार का जुल्म ही है। दलितों को स्कूल में पढ़ाई से लेकर, पानी पीने व घर से दूर रहने पर किराये पर कमरा लेने में जो परेशानियाँ होती हैं, उन सब घटनाओं का इन दोनों आत्मकथाओं में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो घर की आर्थिक समस्याएं थीं सो तो थीं ही। जूठन में लेखक ने लिखा है– 'साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है। हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकीय जीवन से कम ना थे।'[5] डॉ अंबेडकर ने भी शिक्षित बनने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने की ओर जोर दिया था क्योंकि सामाजिक भेदभाव का मूल आधार भी यही दोनों पहलू रहे हैं। हालांकि जो दलित बहुत शिक्षित व आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, ऐसा कहना सच्चाई से मुंह फेरना ही होगा।

जूठन में लेखक ने एक ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है। जब किसी यात्रा में पास की सीट पर बैठे परिवार से सामान्य व सुखद बातचीत चल रही थी। लेकिन जात का सवाल आते ही दोनों परिवारों के बीच सन्नाटा छा गया और ये सन्नाटा पूरी यात्रा के दौरान बना रहा। यह सन्नाटा समाज के एक वर्ग के प्रति लंबे

समय से हो रहे भेदभाव का परिणाम था। इसमें अपनी योग्यता से ऊँचे पदों पर पहुँच जाने के बाद भी सहकर्मियों द्वारा लेखक की योग्यता पर लगातार संदेह करना भी शामिल रहा।

डॉ. अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह 1927 ई. में किया था लेकिन 21वीं सदी में प्रकाशित आत्मकथा मुरदाहिया में डॉ तुलसी राम लिखते हैं– 'अकाल की विभीषिका से कहीं पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा था। संयोगवश बबुरा धनहुवाँ के स्कूल के प्रांगण में एक नल (हैंडपंप) गड़ा हुआ था। डर के मारे हम उसे नहीं छूते थे। मुझे बड़ी राहत मिली जब मेरे सहपाठी सकंठा सिंह ने नल चलाकर मेरे हाथ–पैर धुलवाये।'[6] इस घटना को जानने के बाद यह प्रश्न मन में अवश्य उठता है कि इतने वर्षों बाद भी दलितों के जीवन में क्या बदला है? पहले भी उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, अब भी नहीं है। दरअसल जातिगत भेदभाव की कई परतें हमारे समाज में व्याप्त हैं। ये परतें इस कदर एक–दूसरे में उलझी हुई हैं कि इन्हें सुलझा पाना बहुत बहुत मुश्किल है। जातिगत व्यवस्था के बारे में हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारत में हर छोटी से छोटी से जाति अपने से छोटी जाति खोज लेती है। इस कथन की प्रामाणिकता डॉ तुलसीराम की आत्मकथा में देखने को मिलती है।

तुलसीराम जब अपनी उच्च शिक्षा के लिए बनारस में पहुंचे तब उनको वहाँ किराये पर कमरा लेने के लिए कई बार जाति छुपानी पड़ी, और कई बार जाति का भेद खुल जाने पर कमरा छोड़ना भी पड़ा। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं– 'उन दिनों दलितों को गैरदलित लोग किराये पर बनारस में मकान नहीं देते थे। अतः जो भी दलित किराये का कमरा लेते थे, वे अपनी जाति छिपा देते थे। गौरीगंज में जो कमरा हमें मिल, उसे मुन्नी लाल ने तय किया था। मकान मालकिन थी राजवंती चाची, जो जाति से तेली थी, किन्तु भेदभाव में उसके सामने कट्टर ब्राह्मण भी कहीं नहीं ठहरते थे।'[7] इससे यह भी सपस्थ होता है कि ब्राम्हणवाद और सामंती सोच हमारे समाज के मन–मस्तिष्क में गहरे तक घर कर चुकी है। जाहिर है कि जब चाची पर किरायेदारों का जाति भेद खुला, उसी दिन उस मकान से ना केवल भागना पड़ा बल्कि बड़ी मुश्किल से अपना सामान उस कमरे से निकाल पाए। इन संघर्षों से निकल कर जो लोग आगे बढ़ गए, उनके लिए अलग संघर्ष दूसरे रूपों में आए।

समकालीन समाज की बात करने से पहले हमें समकालीन शब्द के अर्थ को समझना होगा। हिन्दी शब्द सागर के अनुसार समकालीन शब्द का अर्थ– 'जो एक ही समय में हो। एक ही समय में हने वाले।'[8] समकालीनता को हम दो अर्थों में समझ सकते हैं– पहली काल आधारित समकालीनता और दूसरी विषय आधारित समकालीनता। विषय आधारित समकालीनता कई बार हमें अपने समय से बहुत पीछे लेकर चली जाती है। इसलिए हम यहाँ पर काल आधारित समकालीनता के संदर्भ में पिछले कुछ समय में घटी घटनाओं के माध्यम से समकालीन समाज में दलितों की स्थिति को समझ सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश से एक खबर सामने आई थी कि दमोह में एक सरकारी डॉक्टर को किराये का मकान ढूँढने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर होने के नाते पहले तो लोग बहुत सम्मान देते हैं लेकिन जैसे ही जाति का पता चलता है तो मकान देने से मना कर देते हैं। ऐसी ही एक खबर नवभारत टाइम्स ने मार्च महीने में छापी थी जिसमें उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में टीचर की बाल्टी से पानी पीने पर एक 9 साल के दलित बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई थी। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अखबारों का हिस्सा बन गईं। ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो आज तक कहीं दर्ज नहीं हो सकी हैं। पिछले दिनों नेटफलिक्स पर आई मूवी कटहल में भी इस विषय को बहुत प्रभावी

ढंग से उठाया गया है। जिसमें तथाकथित निम्न जाति से आने वाली इन्स्पेक्टर को कई जगहों पर लोगों के पूर्वाग्रह का शिकार होना पड़ता है। रामचरित मानस के बालकांड में तुलसीदास ने लिखा है–

'जद्यपि जग दारुण दुख नाना
सबसे कठिन जाति अवमाना।'

यानि दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं लेकिन जातिगत अपमान सबसे बड़ा दुख है। यह दुख वही लोग बेहतर समझ सकते हैं जिन्होंने स्वयं इस दुख को झेला हो।

अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए खूब संघर्ष किया लेकिन आज लगभग 100 साल बाद भी स्थिति पूरी तरह से नहीं बदल पाई है। सामाजिक न्याय के जिस संकल्प को लेकर डॉ. अंबेडकर चले थे, वह संकल्प पूरा होने में अभी बहुत समय लगेगा। इसे पूरा करने के लिए समाज में उनके जैसे दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व की आवश्यकता बनी रहेगी।

संदर्भ :-

1. डॉ. आंबेडकर जीवन–चरित, धनंजय कीर, पॉप्युलर प्रकाशन, पांचवां पुनर्मुद्रण, 2022, पृष्ठ संख्या– 15
2. वही, पृष्ठ संख्या– 71
3. वही, पृष्ठ संख्या– 394
4. जूठन (पहला खंड), ओमप्रकाश वाल्मीकि, राधाकृष्ण पेपरबैक्स, ग्यारहवाँ संस्करण, 2016, पृष्ठ संख्या–7
5. वही, पृष्ठ संख्या–35
6. मुर्दहिया, डॉ. तुलसी राम, राजकमल पेपरबैक्स, नौवां संस्करण, 2023, पृष्ठ संख्या– 83
7. मणिकर्णिका, डॉ. तुलसी राम, राजकमल पेपरबैक्स, सातवाँ संस्करण, 2023, पृष्ठ संख्या–37
8. हिन्दी शब्द सागर कोश, संपादक– श्यामसुंदर दास, पृष्ठ संख्या–250

ई मेल – Ankitdu1999@gmail.com
मो. नं. – 9568326349

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 12, Issue 1
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 408–413

अंबेडकरवादी अवधारणा

डॉ. शाहिद हुसैन
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय, करगीरोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

शोध सारांश

अंबेडकरवाद मूलतः मानवतावादी अवधारणा पर आधारित है। अंबेडकरवाद श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति की संकल्पना प्रस्तुत करके अंतरराष्ट्रीयवाद की अवधारणा को भी एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अंबेडकरवाद सामाजिक लोकतंत्र में विश्वास करता है जिसे संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। अंबेडकरवाद एक समान रूप से ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को दलित पिछड़े वर्ग का सबस बड़ा दुश्मन मानता है। अंबेडकरवाद संपूर्ण मानव समाज के लिए उन मूल्यों को स्थापित करना चाहता है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। इसलिए उसमें मानव कल्याण की भावना सर्वोपरि है। दलित साहित्यकारों के प्रेरणा स्रोत डॉ बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर साहित्य लिख रहे हैं। दलित साहित्य की व्यापकता इसी में है कि वह अन्याय, अत्याचार, सामाजिक विषमताओं, शोषण, दमन के विरुद्ध है। आज उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, समीक्षाएं, पत्रकारिता, आत्मकथा, संस्मरण, साहित्यिक टिप्पणियां आदि विधाओं में अनेक पुस्तक आ चुकी है।

डॉ अंबेडकर दलित समाज को स्व उद्धारक उद्धारक की नई दृष्टि देने वाले महान नेता थे। दलितों के दुखों को वाणी देने के लिए 1920 में मूक नायक नामक साप्ताहिक चलाया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन मुंबई में 2 जुलाई 1924 को स्थापित किया। उन्होंने अपने भाई बहनों के मन में (दलित समाज) अस्मिता जागृत की साइमन कमीशन के समक्ष अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था कि ''अछूतों की समस्याओं को हिंदुओं से ना जोड़ा जाए। अछूत सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः शोषित एवं दलित है। इन्हें सैकड़ो वर्षों से शोषित पीड़ित एवं दलित रखा गया है। इनके लिए शिक्षा के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। या इंसानियत रूपी हैवानियत की जिंदगी के रूप में पशुओं की भाति इधर–उधर विचरण कर रहे हैं।''[1] कहना सही है कि दलिता को मानवीय हक दिलाने के लिए

उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। दलित साहित्यकारों के प्रेरणा स्रोत डॉ बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर साहित्य लिख रहे हैं। दलित साहित्य की व्यापकता इसी में है कि वह अन्याय, अत्याचार, सामाजिक विषमताओं, शोषण, दमन के विरुद्ध है। आज उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, समीक्षाएं, पत्रकारिता, आत्मकथा, संस्मरण, साहित्यिक टिप्पणियां आदि विधाओं में अनेक पुस्तक आ चुकी है।

राष्ट्र निर्माण में डॉ. अंबेडकर का विशेष योगदान रहा है। 20वीं शताब्दी में डॉ. अंबेडकर गरीबों पिछड़ों अल्पसंख्यको मजलूमों के सबसे बड़े हिमायती थे। वे दलित समुदाय के लोगों के हित के लिए चिंतनशील रहते थे। दलित समुदाय के हित को बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रहित से ऊपर मानते थे। उन्हें भी दलित होने का अपमान जिंदगी में कई बार झेलना पड़ा था। ''डॉ आंबेडकर के सत्याग्रहों से दलितों पिछड़ों शोषितों के मनोबल में वृद्धि हुई। मजलूमों की भावनाओं से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता उन्होंने अपने व्यक्तित्व में निखार लाना, अनगिनत चुनौतियों को स्वीकारना, जाति प्रथा की विषमता को समूल नष्ट करना, मानवता को प्रोत्साहन देना, यथार्थ जीवन के सम्यक रहस्य उद्घाटन करना, सामाजिक उत्थान करना, प्रचलित पाखंड को उजागर करना, नैतिकता की पहचान करना, अंबेडकरवादी संघर्षों को मूल्य तक पहुंचते हैं।''[2]

डॉ अंबेडकर ने बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानकर दलित चिंतन की परंपरा को ही पष्ट किया है। अंबेडकरवाद ने वैज्ञानिक चिंतन को आगे बढ़ाया है। अंबेडकरवाद से दलित समाज लेखन की प्रेरणा लेता है। अंबेडकरवाद का अर्थ है एक ऐसी विचारधारा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जनवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विकसित होती है अर्थात डॉ आंबेडकर के वैज्ञानिक चिंतन और उनके समाज दर्शन के आधार पर अंबेडकरवादी विचारधारा विकसित हुई है। दलित लेखन में अंबेडकरवादी विचारधारा है। अंबेडकरवादी आंदोलन में स्वामी अछूतानंद के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता।

अंबेडकरवाद मूलतः मानवतावादी अवधारणा पर आधारित है। अंबेडकरवाद श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति की संकल्पना प्रस्तुत करके अंतरराष्ट्रीयवाद की अवधारणा को भी एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अंबेडकरवाद सामाजिक लोकतंत्र में विश्वास करता है जिसे संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। अंबेडकरवाद एक समान रूप से ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को दलित पिछड़े वर्ग का सबस बड़ा दुश्मन मानता है। अंबेडकरवाद संपूर्ण मानव समाज के लिए उन मूल्यों को

पिछड़े वर्ग का सबस बड़ा दुश्मन मानता है। अंबेडकरवाद संपूर्ण मानव समाज के लिए उन मूल्यों को स्थापित करना चाहता है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। इसलिए उसमें मानव कल्याण की भावना सर्वोपरि है। यह भी मानता है की स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व में ही व्यक्ति–स्वातंत्रय की भावना निहित है। एक व्यक्ति एक मूल्य सामाजिक लोकतंत्र का आधार बिंदु है।

अंबेडकरवाद को सिर्फ जाति प्रथा उन्मूलन तक ही सीमित नहीं करके देखना चाहिए क्योंकि अंबेडकरवाद एक ऐसा सामाजिक दर्शन है जो समस्त शोषण उत्पीड़न और उपेक्षित मानव की मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। डॉ अंबेडकर ने आरंभिक दौर में अपने चिंतन को जाति प्रथा की संरचना उत्पत्ति और विकास की अध्ययन पर केंद्रित करके दलितों की मुक्ति के लिए नई संभावना तलाश ली थी। राजा राममोहनराय विद्यासागर रानाड़े और दयानंद सरस्वती जैसे हिंदू समाज सुधारवादी भी सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह तथा विधुर विवाह आदि सामाजिक समस्याओं का समाधान सजातीय विवाह प्रथा में ही खोज रहे थे इसलिए उनका समाज सुधार आंदोलन उनके समय में ही असफल सिद्ध हो गया था जबकि इस दौरान सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक बुराइयों का समाधान अंतजातीय विवाह में खोज रहे थे और ब्राह्मणी विधवाओं के विवाह की व्यवस्था इसी आधार पर कर रहे थे। डॉ. अंबेडकर ने अपने वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर इन सामाजिक रूढ़िवादी प्रथाओं का समाधान ज्योतिबा फुले की तरह ही अंतजातीय भोज और अंतजातीय विवाह में खोज कर दलित चिंतन की परंपरा को विकसित किया है। आज दलित साहित्यकारों ने भी अंबेडकरवादी चिंतन की परंपरा को आत्मसात करके उसे अपने साहित्य का आधार बनाया है।

अंबेडकरवादी साहित्य आंदोलन के प्रभाव के कारण ही जाति प्रथा के उन्मूलन का एकमात्र समाधान अंतजातीय विवाह ही है जिससे जाति प्रथा के प्रमुख सामाजिक संस्थाओं का विखंडन संभव हो सकता है। अंबेडकरवादी विचारधारा ने जातिगत चेतना को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अंबेडकरवाद जाति की श्रेष्ठ शुद्धता और पवित्रता के जाति शास्त्र का विनाश करके समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे जनवादी और लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर समाजशास्त्र का नया सिद्धांत प्रतिपादित करता है जिसे अंबेडकरवादी साहित्य समाजशास्त्र कहा जाता है। अंबेडकरवादी साहित्य की अवधारणा का आधार अंबेडकरवादी समाज दर्शन है। अंबडकरवाद ईश्वर, अवतारवाद, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, नियतिवाद और कर्मवाद जैसे अवैज्ञानिक सिद्धांतों को विखंडित कर देता है। अंबेडकरवादी साहित्य का मुख्य उद्देश्य मानवतावाद की स्थापना करना है। उनका मानवतावाद स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व जैसे

जनवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों पर आधारित है। अंततः वह जाति विहीन और वर्ण विहीन समाज व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है।

महाराष्ट्र में दलित आंदोलन एवं डॉ आंबेडकर के प्रयासों से जिस दलित चेतना का विकास हुआ वह उत्तर भारत में अछूतानंद के आंदोलन के बावजूद वैसा नहीं बन पाया। उत्तर भारत में व्यापक सार अंबेडकरवादी चेतना महाराष्ट्र के बहुत बाद आई। आज तक अंबेडकरवादी साहित्य का मार्गदशक रहा है। जयंत परमान कहते हैं – ''अंबेडकरवादी साहित्य का आंदोलन एक तहरीक है वर्ण, वर्ग विहीन समाज का अंबेडकरवादी साहित्य एक संघ साहित्य मास लिटरेचर है इतना ही नहीं वह लिटरेचर ऑफ एक्शन भी है जिसमें क्रिया शब्द क्रिया के साथ चौकस परिणाम के साथ संबंध है जो क्रिया मूल्य स्वीकार की गई है।''[3]

अंबेडकरवादी साहित्य का अपना आदर्श सत्य रूप ले सकता है और समाज की विषमता को नष्ट करने का संयुक्त हथियार हो सकता है। शरण कुमार लिंबाले लिखते हैं – ''बाबा साहब के मतानुसार हर एक ग्रंथ को समाज और मनुष्य का जिम्मेदार होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा है कि संत साहित्य चातुवर्णर्य विध्वंश करने की दृष्टि से कुछ उपयोग नहीं हुआ। उनकी मान्यता है कि साहित्य से समता का संवर्धन और विषमता का विध्वंश होना चाहिए।'' आगे फिर वे लिखते हैं–''बाबा साहेब का कहना है कि आम आदमी की महत्ता से प्रेरणा लेकर लेखकों को लेखन करना चाहिए। वे कहते हैं कि अपने साहित्य की रचनाओं में उदात्त जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों को परिष्कृत कीजिए। अपना लक्ष्य सीमित मत रखिए। अपनी कलम की रोशनी को इस तरह से परिवर्तित कीजिए कि गांव देहातों का अंधेरा दूर हो। यह मत भूलिए कि अपने देश में दलित और उपेक्षितों की दुनिया बहुत बड़ी है। उसकी पीड़ा और व्यथा को भली–भांति जान लीजिए और अपने साहित्य द्वारा उनके जोवन को उन्नत करने का प्रयास कीजिए। इसमें सच्ची मानवता निहित है।''[4]

डॉ आंबेडकर के साफ–साफ विचार है कि साहित्य का विषय व्यापक आमजन होना चाहिए मतलब समाज का सबसे उत्पीड़ित तबका वह गरीब भी है, दलित भी, आदिवासी और अल्पसंख्यक भी।

भारतीय समाज के जाति–पाति व अछूतपन आदि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना ही उन्होंने परम धर्म माना था। उन्होंने सामाजिक न्याय के संदर्भ में महात्मा गांधी से कहा था –'' भारत मेरी मातृभूमि है और इसी मातृभूमि में हमें कुत्ते और बिल्लियों से भी अधिक नीच समझा जाता है जिस देश तथा धर्म में हमें सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं लेने दिया जाता भला आप बताएं क्या यह देश व धर्म मेरा हो सकता है? क्या मैं अपने आठ करोड़ अछूत भाइयों के साथ इसमें रह सकता हूं? जहां पर सामाजिक न्याय व समानता का कोई मूल्य नहीं है।''[5]

दलित समाज अतिदीन, दलित, दर्द पीड़ित, शोषित आत्म सम्मान से वंचित, निराश, ईश्वर और धर्म के नाम पर प्रतिपीड़ित, अस्पृश्यों के रूप में विद्यमान थी। डॉ आंबेडकर कहते हैं–''मैं भारतीय समाज के इस कोढ़, इस अछूतपन को जड़ से मिटाने के लिए जीवन भर संघर्ष करूंगा और इसके लिए कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे लोगों के साथ जो अपमानजनक, असम्मानित, अमानवीय और धार्मिक आचरण होता है उसे मिटाने का भरसक प्रयत्न करूंगा।''[6]

अंबेडकरवादी विचारधारा के समाज में लाखों की तादाद में लेखक, पत्रकार, साहित्यकारों की फौज या पीढ़ी का उदय हुआ। डॉ आंबेडकर के विचार, कार्यों से प्रेरित होकर ही लेखक, कवि कलाकारों की बड़ी विशाल फौज आज स्थापित हो चुकी है। अंबेडकरवादी विमर्श का उद्देश्य समाज का सभी प्रकार के शोषण, उत्पीडन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें स्वतंत्रता व बंधुत्व की अवधारणा केंद्रीय धुरी के रूप में मौजूद है। अंबेडकरवादी साहित्य सहानुभूति के बजाय स्वानुभूति पर जोर देता है क्योंकि स्वानुभूति के आधार पर लिखा गया अंबेडकर साहित्य दलित जीवन से जुड़ी संवेदनाओं अपेक्षाओं उत्पीड़न दर्द व आक्रोश को अपने सामाजिक परिवेश के अनुरूप लोक भाषा में यथार्थ रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए अंबेडकरवादी साहित्य यथार्थवादी साहित्य है। अंबेडकरवादी आंदोलन लंबे सृजनात्मक संघर्ष के बाद आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उस विकास में निश्चित तौर पर डॉ आंबेडकर के सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन की अहम भूमिका है।

आधुनिक युग में दलित पुनर्जागरण की लंबी बौद्धिक परंपरा में विकसित अंबेडकरवादी साहित्य चिंतन का पहली अभिव्यक्ति कविता द्वारा ही संभव हुई जिसका श्रेय स्वामी अछूतानंद को जाता है। पटना के हीरा डोम ने भी इस समय भोजपुरी में ''अछूत की शिकायत'' कविता लिखकर दलित समाज के लोगों की वेदना और पीड़ा को अभिव्यक्त कर चुके थे जो अंततः एक दलित की शिकायत बनकर ही रह गई थी। उनको यह कविता 1914 में सरस्वती पत्रिका के अंक में छपी थी। अछूतानंद ने 'मैं अछूत हूं' कविता मे हिंदुओं जाति व्यवस्था के शोषण, उत्पीड़न, भेदभाव और छुआछूत जैसी अमानवीय मान्यताओं और व्यवहारों से मुक्ति का चित्रण है। अंबेडकरवादी साहित्य चिंतन की परंपरा में बिहारी लाल हरित को माना जाता है। उन्होंने भीम के नारे का अंबेडकर के विचारों को ही दलित जन तक पहुंचाया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1 बुद्ध अंबेडकर मिशन– ज्ञान प्रकाश, पृष्ठ 25 स्मारिका 2014–15

2 'अपेक्षा' संपादक तेजसिंह, जनवरी–जून 2013 पत्रिका, पृष्ठ 45

3 पूर्ववत, पृष्ठ 46

4 पूर्ववत, पृष्ठ 113

5 पूर्ववत

6 धनंजय कीर, "अंबेडकर व्याख्यान माला (प्रथम पुष्प) भाषण से मराठावाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, 1972

7 वसाणी कृष्णावंती पी., "दसवें दशक के हिंदी उपन्यासों में दलित चेतना।"

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

लेखक परिचय

नाम : प्रो.डॉ. संघप्रकाश मारुती दुड्डे

जन्म : २४ अक्टूबर, १९७१

शिक्षा : एम.ए. सेट (हिन्दी), पीएच.डी.

लेखन : समाचार पत्रों में लेखन, विविध पत्र-पत्रिका में शोधपूर्ण-आलेख प्रकाशित, प्रसिद्ध सोलापूर आकाशवाणी पर विविध विषयों पर भाषण

विशेष : परिवर्तनवादी आंदोलन, बौद्ध धम्म प्रचार-प्रसार में योगदान, बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर जीवन और कार्य पर समय-समय पर विशेष लेख प्रकाशित, धम्म-सम्मेलनों, संगोष्ठियों में सक्रिय भागीदारी.

सचिव : (१) बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय विपश्यना संशोधन न्यास, सोलापुर
(२) आखिल भारतीय बौद्ध साहित्य परिषद, सोलापुर

सदस्य : (१) सोलापुर विश्वविद्यालय हिन्दी अध्यापक परिषद, सोलापुर
(२) हिन्दी विकास मंच, सोलापुर
(३) बहुजन हिताय संघ, सोलापुर
(४) सम्यक विचार मंच, सोलापुर

पुरस्कार : (१) अखिल भारतीय समता परिषद, सोलापुर द्वारा आदर्श प्राध्यापक पुरस्कार, २०१३
(२) पंचशील क्रिडा मंडळ मोहोळ द्वारा, पंचशील रत्न पुरस्कार, २०१५

सम्प्रति : संगमेश्वर महाविद्यालय हिन्दी विभाग प्रमुख, सोलापुर, जिल सोलापुर (महाराष्ट्र)

निवास : सी-११, जाई जुई नगर, न्यु आरटीओ रोड, सोलापुर-४१३००४.

मो. : ०९७६६९९७१७४

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गीना देवी शोध संस्थान के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज, भिवानी से छपवाकर सम्पादकीय कार्यालय 6-एच 30, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001 से वितरित की।

ISSN 2321:8037